(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 5] सप्तम् विधान सभा के पंचम सत्र का 9 वां दिवस [संख्या 7

मंगलवार

दिनांक 14 सितम्बर, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री बंशी लाल पटवा ।

भीलवाड़ा नगर के विभिन्न विद्यालयों की क्रमोन्नति

207. **श्री बंशी लाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार भीलवाड़ा नगर के राजेन्द्र मार्ग सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी, और नवयुग विद्या मन्दिर को को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री बुलाकी दास कल्ला) : सत्र 1982–83 में नये उच्च माध्यमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलते समय राज्य सरकार राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजेन्द्र मार्ग, भीलवाड़ा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा नवयुग विद्या मन्दिर, भीलवाड़ा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के बारे में गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी । सत्र 1982–83 में राज्य सरकार का कोई नये सैकण्डरी स्कूल खोलने का विचार नहीं है ।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्पष्ट नहीं आया है। मेरा निवेदन है कि उत्तर स्पष्ट आये, भीलवाड़ा नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या और स्टूडेंट्स को देखते हुए । प्रतापनगर हायर सैकण्डरी स्कूल शहर से काफी दूर है । सैकण्डरी स्कूल जो शहर के मध्य में है यदि उसको हायर सैकण्डरी स्कूल कर दिया जाय तो स्टूडेंट्स का लोड कम होगा । इसी तरह से नवयुग विद्या मन्दिर भी शहर के मध्य में है, बिल्डिंग पूरी है, सब सुविधाएं व साधन उपलब्ध हैं अतः प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया

Page No 2

(श्री बंशीलाल पटवा)

जाय। यह यदि इसी वर्ष करने का इरादा हो व राजकीय विद्या मन्दिर, जो शहर के मध्य में है, जहां पुराना एस०पी० ऑफिस था, को यदि सैकण्डरी कर दिया जाय लड़कियों और लड़कों की दृष्टि से तो लोड कम हो सकता है। इससे व्यवस्था पूरी तो नहीं होगी लेकिन कुछ सुधार होगा कुछ तसल्ली हो जायेगी। इस दृष्टि से मेरा कहना यह है कि जो उत्तर आया है वह अस्पष्ट है, वह ऐसी भाषा में है जिसके दो अर्थ निकलते हैं। आप क्या इस वर्ष इस पर विचार कर रहे हैं, इसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिए। जब अहसास करते हैं कि स्टूडेंट्स का लोड बढ़ रहा है तो इस दृष्टि से डिस्क्रीमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्पष्ट उत्तर आना चाहिए, स्टूडेंट्स के बढ़ते हुए लोड को कम करने के लिए यह आवश्यक है। यदि इसकी निश्चित तिथि बता सकें तो कृपा होगी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार नये उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलते समय पंचायत समिति मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों, जहां पहले से उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, पर प्राथमिकता के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने का काम करेगी। जहां तक उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार स्थानीय मांग, जनसंख्या, भवन की उपलब्धता, क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर विचार करती है। इसी आधार पर मैंने बताया है कि हम नये उच्च माध्यमिक विद्यालय और नये उच्च प्राथमिक विद्यालय गुणावगुण के आधार खोलने का विचार करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री बंशी लाल पटवा : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इन्होंने जो उत्तर दिया वह स्पष्ट नहीं है। इस सम्बन्ध में एजूकेशन डिपार्टमेन्ट से यह प्रपोजल आया है जिले के शिक्षा कार्यालय से, तो उस दफ्तर से इस सम्बन्ध में मिडिल स्कूल, प्राइमरी एजूकेशन सैन्टर नवयुग विद्या मन्दिर को सैकण्डरी बनाने का प्रपोजल सरकार के पास पैंडिंग है? क्या ऐसा प्रपोजल आया है और आया है तो कब आया है? उस पर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष राज्य सरकार के पास प्रपोजल्स आते रहते हैं लेकिन राज्य सरकार पंचायत समिति और तहसील मुख्यालयों, जहां दो-दो सौ गांवों पर एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है, को प्राथमिकता देगी न कि भीलवाड़ा को जहां 4 हायर सैकण्डरी स्कूल हैं।

श्री बंशी लाल पटवा : हायर सैकण्डरी भीलवाड़ा में। एक हायर सैकण्डरी स्कूल है भीलवाड़ा में। डिपार्टमेन्ट ने आपको गलत सूचना दी है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं नाम पढ़कर सुना रहा हूं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलवाड़ा....

Page No 3

(6)

श्री बंशी लाल पटवा : 5 हायर सैकण्डरी कैसे हो सकते हैं ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : नाम सुन लीजिए। भीलवाड़ा में वर्तमान में निम्नलिखित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं :—

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलवाड़ा (राजकीय)
2. महेश शिक्षा सदन, भीलवाड़ा (सहायता प्राप्त)
3. विद्या निकेतन, भीलवाड़ा (सहायता प्राप्त)
4. महिला आश्रम बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलवाड़ा (सहायता प्राप्त)
5. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलवाड़ा (राजकीय)

इसके अलावा भीलवाड़ा नगर में....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी में अन्तर समझते हैं ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : वर्तमान में 18 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 12 राजकीय तथा 6 मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एक मापदण्ड बताया, तहसील के केन्द्र और पंचायत समिति के केन्द्र, फिर उन्होंने दूसरा मापदण्ड बताया। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि अगर पहला मापदण्ड पूरा नहीं हुआ तो भी क्या दूसरे मापदण्ड के अनुसार विचार करेंगे ? दूसरा उद्घोषित सच आता है, क्या उपमन्त्री सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी में अन्तर समझते हैं ?

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़) : आप नहीं समझ रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारपूर्वक पांचों हायर सैकण्डरी स्कूल्स के नाम मैंने बताये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय संदस्य।

श्री बंशी लाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अन्तिम सप्लीमेंटरी कवेश्चन है। वहां 5 हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं, यह बिल्कुल × × × उत्तर है।

श्री अध्यक्ष : × × × शब्द को कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री बंशी लाल पटवा : डिस्क्रिमिनेशन बरता जा रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने जो पूरक प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट किया है, राज्य सरकार नये उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलते समय पंचायत समिति मुख्यालय और तहसील मुख्यालयों को प्राथमिकता देगी जहां पहले से उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मुझे पूछना है....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री त्रिलोक सिंह : उच्च माध्यमिक विद्यालय गांवों में क्यों नहीं खोले जाते और शहरों में क्यों खोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री त्रिलोक सिंह : गांवों में खोलिये। गांवों में नहीं खोले जाते तो किसी दिन तो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री चांद खां (कामां) : एक मिनट के लिए इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें। श्री अमीन खां।

(व्यवधान)

श्री चाद खां : अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इस सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकार लिया गया है। आर्डर प्लीज।

तहसील शिव में पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

208. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की तहसील शिव में सन् 1971 में पाकिस्तान से आये शरणार्थी कितने केम्पस में रखे गये थे ?

(2) तहसील शिव में जिन-जिन शरणार्थी परिवारों को स्थाई रूप से बसाया गया है कृपया उनकी सूची ग्रामवाइज सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन शरणार्थी परिवारों को राजस्थान नहर क्षेत्र में स्थाई तौर पर बसाने की व्यवस्था की गई है उनमें से कितने परिवार राजस्थान नहर क्षेत्र में बसा दिये गये हैं ?

(4) तहसील शिव के ग्रामों की गोचर भूमि पर सन् 1971 से जो शरणार्थी परिवार बसे हैं और स्थाई रूप से राजस्थान नहर क्षेत्र में उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है उन्हें गोचर भूमि से कब हटाया जायगा और वहां से हटाना किस की जिम्मेदारी है ?

राज्य मंत्री, पुनर्वास (श्री दिनेश राय डांगी) : (1) भारत-पाक संघर्ष 1971 के फलस्वरूप आये विस्थापितों को तहसील शिव के 8 शिविरों में रखा गया ।

(2) स्थाई रूप से बसाये गये विस्थापितों की ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) राजस्थान नहर क्षेत्र में कुल 2992 परिवारों को भू-आवंटन किया गया जिनमें से अब तक 261 परिवार वहां चले गये हैं । उनमें से शिव तहसील के 215 परिवार हैं ।

(4) राजस्थान नहर क्षेत्र में उन्हें भू-आवंटन किया गया है जिनको पूर्व में कहीं नहीं बसाया था । पूर्व में बसाये गये परिवारों के हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पूछने की मंशा सिर्फ यही है कि हमारी तहसील में जो ये कैम्प हैं, बालेवा, हरसानी, गिराब, नीमला, मागपुर, रायला, इन गांवों की आबादी, मुश्किल से किसी में पांच सौ है तो किसी में पन्द्रह सौ तक है । जिस तरह का आपका उत्तर आया है बालेवा में पांच परिवारों को सरकारी आवंटन कर जमीन दी । उसमें हमें कोई एतराज नहीं है । जहां पर गोचर में से कन्वर्ट करके आबादी के लिए जमीनें दी गई हैं वह तो ठीक है लेकिन उस गांव में जहां पर पन्द्रह सौ घर हैं और लगातार 12 वर्षों से रह रहे हैं, जहां आपने उनको घर के लिए जमीन भी दे दी है, घर बनाने के लिए भारत सरकार ने पैसा भी दे दिया, उनके लिए क्या होगा ? वहां के लोगों की आर्थिक हालत जो है उसमें लकड़ी, गोचर और पशुओं को चराने के लिए समस्या खड़ी हो गई है । गोचर भूमि के कारण स्थानीय लोगों के सामने यह समस्या है । जिन लोगों को जहां स्थाई रूप से बसाने का इन्तजाम किया गया है, चाहे हमारे जिले में किसी भी गांव में हो, जिनको एग्रीकल्चर के लिए जमीन दी गई उनको आबादी के लिए भूमि भी उसी गांव में मिलनी चाहिए । तहसील में जिन आदमियों को एग्रीकल्चर के लिए जमीन दी गई है, यह सही बात है । उनको आबादी के लिए भी उसी गांव और तहसील में जमीन देनी चाहिए । राजस्थान कैनाल पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने जितने परिवार बसाये हैं, उनको आबादी भूमि के लिए जो कर्जा, पैसा और सब्सिडी दी है उनको वहीं पर नहीं बसाओगे तो जो पांच सौ की आबादी है, और पन्द्रह सौ घर दूसरे हैं उनके लिए आप क्या महसूस करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

कृपया आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य । आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा है और जो सूचना मांगी है, यह बात सही है कि हमने 2992 परिवार, जो 8 कैम्पों में थे, को बसाने के

(श्री दिनेशराय डांगी)
लिए राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जमीन दे दी थी और वह राजस्थान कैनाल के पास है। कुछ परिवारों को वहां भिजवा दिया है, 261 परिवार वहां पर चले गये हैं। उनमें से शिव तहसील के 215 परिवार हैं। वहां पर कुल 1855 परिवार हैं। अब प्रश्न यह है कि जमीन का अलाटमेंट तो हो गया है लेकिन वे जब चाहेंगे तभी खाली होंगे। वहां से खाली करवाने की जिम्मेदारी पुनर्वास विभाग की नहीं है। जिनको अलाॅटमेंट किया गया है उनकी सूची जिलाधीश, बाड़मेर को दे देंगे। कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार उन्हीं को है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री देवदत।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : प्रश्न बिल्कुल सरल है कि जिन गांवों की जितनी आबादी स्थानीय लोगों की थी उससे अधिक संख्या में शरणार्थी वहां पर बस गए हैं। वहां पर शरणार्थियों की आबादी हो जाने से स्थानीय लोग बर्बाद हो गए हैं। उन्हें चाहे आप हमारे जिले में ही बसायें, हम उनको अपने यहां बसाने में प्रसन्न हैं, लेकिन एक ही गांव पर वजन पड़ता रहे, यह उचित नहीं है। आप दूसरे गांवों में उनको कब बसायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आसाम में भी यही हो रहा है। आपकी सरकार क्या कर रही है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि 2992 परिवार जो हैं उनको बसाने के लिए जमीन दे दी है और उनको बसाने के लिए भारत सरकार से जो पैसा मिला है उसका भी पेमेंट कर दिया गया है लेकिन उनके वहां जाने में कठिनाई यह हुई कि बरसात नहीं होने के कारण कम फेमिलीज को भेज पाये। जब तक वे कैनाल पर नहीं जायें, वहीं पर उनको पैसा दे दें तो वे सारा रुपया वहीं पर खर्च करके वहीं पर बसे रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि उनको वहां पर बसा दें। अब जिलाधीश को उनकी लिस्ट दे देंगे....

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल की बात है, मुझे भी एक प्रश्न पूछने दें।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि शरणार्थियों के वहां आ जाने से शिव से आने वाले माननीय सदस्य के व्यवसाय में फर्क पड़ा है?

(व्यवधान)

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको राजस्थान कैनाल क्षेत्र में बसाने से पूर्व वहां पूर्ण व्यवस्था सरकार कर रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से इस बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को 14 आइूरी डिस्ट्रीब्यूटरी कालोनाइजेशन, तहसील पूगल में भूमि

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)
आवंटित की गई है, नम्बर एक। क्या यह सही है कि जहां भूमि आवंटित की गई है वहां केवल धोरे ही धोरे हैं, भूमि कृषि के अयोग्य है और उसको 20 वर्षों में भी कृषि योग्य बनाना नामुमकिन है? नम्बर तीन, क्या यह सही है कि उनके लिये पीने की पानी की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। आठ-आठ किलोमीटर से उनको पानी लाना पड़ता है? क्या यह सही है कि जिन कैम्पों में पाकिस्थान से आये ये शरणार्थी रहते हैं उनको 15–15 किलोमीटर जाकर काम करना पड़ता है, खाजीवाडा में जाकर काम करना पड़ता है, उनको सात रुपया मजदूरी मिलती है और साढ़े तीन रुपया किराया देना पड़ता है?

श्री दिनेशराय डांगी : इन परिवारों को वहां पर बसाने से पूर्व पानी की व्यवस्था की जाएगी। जो डिग्गियां बनाने का प्रावधान है उनमें से 20 डिग्गियां बन चुकी हैं और जो बाकी हैं जैसे जैसे परिवार वहां जाते जायेंगे उनको वहां पर बसाने से पूर्व पानी की व्यवस्था कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री असलम खां। कृपया बैठ जावें।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : क्या यह सही है कि वह भूमि कृषि योग्य है?

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालनी) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न हमारे जिले का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जावें। श्री असलम खां।

श्री असलम खां (पाली) : मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में शरणार्थियों को बसाने के लिए जमीन दी गई है लेकिन क्या उन्होंने और भी जिलों में इस तरह की जमीन दबाई है? मेरी जानकारी है कि पाली जिले में शरणार्थियों ने आठ सौ बीघा जमीन दबाई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि बाड़मेर जिले में जो शरणार्थी बसे हैं वे बोर्डर पर हैं और बोर्डर को छोड़ना नहीं चाहते। × × ×

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : इनको पाकिस्तान से निकाला गया है। पहले प्रश्नकर्त्ता से पूछो कि × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 8

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : जिस तरह का आरोप लगाया गया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें । अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : कोई जानकारी है नहीं । और सही बात जो है....

श्री अध्यक्ष : मैं किसी को पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा । अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के युद्ध के समय अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस प्रकार....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें । अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पुकार लिया है ।

अंकित न हो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो । समय ले रहे हैं । अंकित नहीं हो रहा है । व्यर्थ में समय ले रहे हैं ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये । आर्डर, माननीय सदस्य । ऑर्डर, आर्डर । कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं । ऑर्डर, ऑर्डर । ऑर्डर, आर्डर । कृपया बैठ जायं । आर्डर । अगला प्रश्न, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा । श्री हीरालाल आर्य । श्री दाऊदयाल जोशी । अंकित न हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार रहा हूं ।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : वहां स्मगलिंग होती है, आप उनको बढ़ावा देते हैं ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आप समय ले रहे हैं सदन का। व्यर्थ में सदन का समय ले रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आपने कोई प्रश्न पूछा नहीं। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं पूरक प्रश्न की। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। श्री हीरालाल आर्य। आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायं।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। इस तरह मैं इजाजत नहीं दूंगा। कार्यवाही थोप नहीं सकते हैं। कृपया बैठ जायें। मैं इजाजत नहीं दूंगा। श्री हीरालाल आर्य। श्री दाऊदयाल जोशी।

(व्यवधान)

बाधा नहीं पहुंचायें कार्यवाही में।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायें। मैं इजाजत नहीं दूंगा। श्री हीरालाल आर्य। श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। आपके क्षेत्र का कोई प्रश्न नहीं है। आर्डर प्लीज। राजस्थान कैनाल का होने से आपके क्षेत्र का नहीं हो जाता है। माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं इस प्रश्न पर किसी माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। आप बैठ जायं।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : नियमों के उल्लंघन की बात करते हैं। एलीगेशन सीरियस लगाया है।

श्री अध्यक्ष : आप नया विषय इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं।

श्री राजबहादुर : जो एलीगेशन लगाया है, वह सीरियस है। उसको एक्सपंज किया जाये।

श्री अध्यक्ष : वह मैं कार्यवाही में देख लूंगा। व्यवधान था सदन में। इस तरह की बात अंकित हुई है तो उस पर मैं व्यवस्था दे दूंगा। मैं इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बैठ जायं। विनम्र निवेदन है।

पंचायत समिति, इटावा को भूमि विकास बेंक से ऋण

209. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या सहकारिता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हीरालाल आर्य)
समिति, इटावा में वर्ष 1966-67 से 1973-74 तक भू संरक्षण विभाग द्वारा भूमि विकास बैंक से ऋण दिलाकर भूमि समतल की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य में अनियमितताओं के कारण कार्य ठीक नहीं हुआ तथा किसानों पर ऋण-भार डाल दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ऋण को माफ किये जाने हेतु विभाग ने सरकार से निवेदन किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ऋण से मुक्ति दिये जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर) : (1) जी हां।

(2) कोटा भूमि विकास बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषकों के खेत पर कार्य ठीक नहीं होने की वजह से कृषक अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं एवं उन पर ऋण-भार बढ़ रहा है।

(3) जी हां। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में फर्माया कि काम ठीक नहीं होने से और पूरा नहीं होने से किसान ऋण चुका नहीं पा रहे हैं। इस बात को माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है। जो गरीब लोग हैं उनकी कुर्की की जा रही रही है, उनको बार-बार परेशान किया जा रहा है। यह क्यों किया जा रहा है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत कुल 285 कृषकों को लोन दिया गया था। उनमें से 27 ने अपना कर्जा चुका दिया।

श्री हीरालाल आर्य : 321 ;

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेरे पास 285 की जानकारी है।

श्री हीरालाल आर्य : वह ठीक नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : 14 कृषकों ने इस वर्ष कर्जा पूरा चुका दिया। 244 में से तीन कृषकों की किश्तें प्रति वर्ष समय पर आ रही हैं। 102 कृषक ऐसे हैं जो बीच-बीच में किश्त जमा कराते जा रहे हैं, परन्तु यह देख कर कि शायद लोन माफ हो जाये किश्तें जमा कराना बन्द कर देते हैं। 139 ऐसे कृषक हैं जिन्होंने प्रारम्भ से ही किश्तें जमा नहीं करायी हैं। अध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में रोकने की कार्यवाही की गई थी जब काश्तकार सरकार के पास आये। एडिशनल कमिश्नर, कोटा और भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर उस पर विचार कर रहे हैं। जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने लोन को ग्रान्ट मान कर माफ कर दिया उस तरह राजस्थान में भी कुछ कार्यवाही करें।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब तक कार्यवाही आपके विचाराधीन है, तब तक किसानों से कुर्की न करें, परेशान न करें। वह बहुत गरीब किसान हैं। उनके छोटे-छोटे

(श्री हीरालाल आर्य)
खेत हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के किसान हैं। उनको लोग पकड़ कर ले जाते हैं, कुर्की करते हैं, यह तो बन्द करायें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : इस बात की मैं व्यवस्था कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने कहा, किसानों ने कर्जा चुकाया है। आपने उनकी कुर्की की है। काम गलत हुआ है। एरिया डवलपमेंट कमिश्नर, लालवाणी मौके पर गये, इंजीनियरों ने काम बन्द करा चक्का जाम किया। आपने यह कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आप किसानों के हमदर्द हैं, उनके खेतों का लेवलिंग किया है, उन पर हजार रुपये का कर्जा लाद दिया है। गवर्नमेंट को, विभाग को लिखा है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। इधर आप माफ़ करने का विचार कर रहे हैं और उधर दूसरी ओर किसानों की कुर्कियां की जा रही हैं और उनको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय एरिया डवलपमेंट कमिश्नर ने सुझाव दिया था, उनका 9-3-80 को ऋण माफ करने का प्रस्ताव सरकार के पास आया। जैसा कि माननीय सदस्य खुद जानते हैं, उनके समय में भी यह प्रश्न था। 62, 67 से 74 तक यह काम पूरा हुआ....

श्री अध्यक्ष : वही सवाल, ढाई साल तक क्या किया....

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। आवेश में न आयें। मैं निवेदन करता हूं, सरकार मानती है कि काश्तकारों के साथ ज्यादती हुई है। निर्णय में देर हुई है। कुर्कियां चालू रहती हैं तो मैं समझता हूं यह किसानों के साथ अन्याय होगा। जो कुछ आपको करना है, देना है या नहीं देना है, इसकी कोई मियाद बता दीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, जो आप कहने जा रहे हैं, वह बात मैंने कह दी है।

(व्यवधान)

जो समस्या सामने आई है उसको मैंने थोड़े शब्दों में मंत्री महोदय के सामने रख दिया। कृपया उत्तर सुन लीजिये। मैं आगे किसी पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर से जो कुर्कियां की गई या उन पर जो रिकवरी की कार्यवाही हो रही है वह तुरन्त रोक दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। मुद्दे की बात आ गई है। आपको आसन के आदेशों को मानना पड़ेगा। मैंने एक बार कह दिया। आर्डर प्लीज। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी।

हैण्ड पंप्स खोदने का ठेका, उदयपुर

210. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) :क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में पीने के पानी की समस्या के निराकरण हेतु कौन-कौन सी एजेंसीज द्वारा किन-किन परियोजनाओं के अन्तर्गत कहां-कहां पर किस गहराई तक हैण्ड पम्प्स खुदवाये गये ?

(2) उपरोक्त हैण्ड पम्प्स को खुदवाने हेतु विभाग के पास कुल कितनी रिग्स उपलब्ध थीं ? क्या उपरोक्त रिग्स का क्षमता के अनुसार उपयोग किया गया ?

(3) यदि हां, तो प्राइवेट पार्टियों को किन-किन शर्तों पर किन कारणों से हैण्ड पम्प्स खोदने का ठेका दिया गया तथा प्लेटफार्म बनाने की शर्त क्या-क्या थीं ? कृपया शर्तें, उपयोग की गई सीमेंट एवं अन्य खर्च तथा उपयोग में आये डीजल के बारे में तकनीकी रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें ।

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उदयपुर जिले में जो रिग्स लगाई गई उनकी माहवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । रिग्स का उपयोग क्षमता के अनुसार किया गया ।

(3) राजस्थान में पिछले दो तीन वर्षों में जिस गति से हैण्ड पम्प खोदने का कार्य किया गया उसके लिए मात्र विभागीय रिग्स काफी नहीं थीं तथा प्राइवेट पार्टियों द्वारा भी काम कराया गया है । प्राइवेट पार्टियों को हैण्ड पम्प खोदने का ठेका एवं प्लेटफार्म बनाने के ठेके की शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न है ।

प्राइवेट पार्टी द्वारा काम में लिये गये डीजल इत्यादि के बारे में विभाग से कोई अनुबन्ध नहीं होता । प्रत्येक हैण्ड पम्प पर प्लेटफार्म बनाने के लिए अनुमानत: 5-6 बोरी सीमेंट की आवश्यकता होती है ।

(सूची व प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का दो बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक तो जो सूची दी है, यह हिन्दुस्तान का पहला टेण्डर होगा जिसमें कोई क्लॉज नहीं है । जिन पार्टियों को आपने ठेका दिया है उनके पास रिग्स मशीनें उपलब्ध थीं या नहीं, यह कहीं मेंशन नहीं है ।

"The rate of drilling in all types of rock to remain as Rs. 40.00 per meter for 100 mm. dia. bore."

This is one condition. The second condition is :—

"The above agreement with the adove contractors will remain in force for three years from september 1, 1980."

यह उनका कहना है । मेरा माननीय मन्त्री महोदय से उसकी शर्तों के बारे में

(श्री सी. पी. जोशी)

पूछना हैं। क्या यह सच है कि जिन 12 फर्मों को ठेका दिया था उनमें से किसी एक फर्म के पास भी रिग्स मशीन अवेलेबल नहीं थी? दूसरे, क्या यह सच है, रेट 160 रु. पर मीटर है और आप 240 रुपये दे रहे हैं। आप लगभग 50 फीट गहराई मान लीजिये तो प्रति हैण्ड पम्प पर जो रकम दे रहे हैं वह बहुत ज्यादा दे रहे हैं? इस हिसाब से उदयपुर में यह रकम होगी 97 लाख और राजस्थान में 2700 गांव कवर करने हैं। यदि आप रकम को मल्टीप्लाई करें तो 8.77 करोड़ होगा। This is what you are paying, and this is more than what you will be getting from Central Government. इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कॉंक्रीट चार्ज है। यह राजस्थान की जनता के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। एक सितम्बर, 80 से, जिस दिन से आपने ठेका दिया, फर्मों के पास कोई रिग्स अवेलेबल नहीं थी। तीन साल तक काम करेंगे इसका मतलब केवल मात्र एक साल में राजस्थान सरकार 8.77 करोड़ रुपये ज्यादा दे रही है। उनके पास रिग्स भी अवेलेबल नहीं थी। टैक्निकल ना-हाऊ नहीं था। मेरे पास इसकी जानकारी है कि आपके पास पर्याप्त रिग्स मशीनें अवेलेबल हैं, आपको टेण्डर देने की आवश्यकता नहीं थी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कॉंक्रीट पिन पाइन्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या यह सच है? यह सारी बातें बताने के बाद क्या यह सच है कि यह सारा समझौता, जनता पार्टी के शासन में से जाने के बाद, जब राष्ट्रपति शासन था, मैं पहले ही कह चुका हूं यह सबसे बड़ा घोटाला तब राजस्थान की जनता के साथ ब्यूरोक्रैट्स ने किया है। इससे, जितना पैसा अवेलेबल था डबल विलेजेज कवर कर सकते थे।

आखरी प्रश्न करूंगा। क्या यह सही है कि जिन 12 फर्मों को ठेका दिया गया था, ठेके की शर्तों के अनुसार उनके पास रिग्स उपलब्ध थीं? क्या यह सही है कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेंट के पास रिग्स अवेलेबल थीं और हैण्ड पम्प डिविजन के ए. ई एन., एक्स. ई एन. को पी. एच. ई. डी. को ट्रान्सफर कर दिया और पोस्ट क्रिएट कर लाइबिलिटी को बढ़ा दिया? क्या यह सही है कि ठेका 240 रुपये पर मीटर बोर करने का दिया गया जब कि डिपार्टमेंट की रेट इससे कम है?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वाटर सप्लाई सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड राष्ट्रपति के शासन में स्थापित किया गया था। उसके अन्तर्गत चार कमेटियां काम करती हैं। उसमें एक कमेटी फाइनेन्स कमेटी है। फाइनेन्स सैक्रेटरी उसका सदस्य होता है। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के पास में 16 रिग्स उपलब्ध थीं। इसके लिए टेण्डर इन्वाइट किये गये। फाइनेन्स कमेटी ने टेण्डर इन्वाइट करने के बाद में जो रेट उचित समझी उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजी और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 8 दिसम्बर, 1980 को यह रेट एप्रूव की, और उसकी कॉन्करेंस दी। इसके बाद रेट फिक्स कर दी। बोर्ड की

(श्री परसराम मदेरणा)

फाइनेन्स कमेटी ने फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की कॉन्करस के बाद यह रेट निर्धारित की है। यह बात सही है कि डिपार्टमेन्ट के पास में 16 रिग्स हैं। लेकिन यह रिग्स सितम्बर, 1980 के बाद आयी हैं। सितम्बर, 1980 के पश्चात् जहां पर डिपार्टमेन्ट की रिग्स उपलब्ध थीं वहां पर प्राइवेट पार्टीज को काम करने की अनुमति नहीं दी गई है। उनको वहां के वर्क के लिये ऑर्डर नहीं दिया जाता है। इसके अलावा भी भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सिक्स्थ प्लान के अन्दर कम-से-कम जो प्रॉब्लमेटिक विलेजेज हैं वहां पर पानी का एक सोर्स डवलप कर दिया जाये। वहां पर हैण्ड पम्प का सोर्स बना दिया है। राजस्थान सरकार इस बारे में बार-बार भारत सरकार को अनुरोध कर रही है कि राजस्थान के अन्दर हैण्ड पम्प जहां पर बोर सकते हैं वहां पर तो यह कर देंगे परन्तु जो हार्ड कोर प्रॉब्लम विलेजेज है वहां पर हैण्ड पम्प उपयुक्त नहीं है। इसलिये हमें इजाजत दें कि जो हमारी पाइप स्कीम है वह चालू की जाये। फण्ड्स की कमी को देखते हुए हैण्ड पम्प बोर किये गये हैं। जिस द्रुतगति से हैण्ड पम्प बोर हुए हैं—करीबन बहुत ज्यादा हुए हैं, उसमें से 22–23 हजार सक्सैसफुल हुए हैं और उनसे 7 हजार के आसपास गांव कवर किये गये हैं। यह जो कॉन्ट्रेक्ट दिया गया है यह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की अनुमति लेने के बाद दिया गया है इसलिये जो कैलकुलेशन आपने लगाया है वह कैलकुलेशन काल्पनिक है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि सितम्बर, 1980 को कॉन्ट्रेक्ट देने के बाद जो आपका टार्गेट था वह टार्गेट मार्च, 1981 में पूरा नहीं हुआ। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। सितम्बर में आपके पास में 12 रिग्स अवेलेबल थीं। जिन 12 पार्टियों को ठेका दिया गया उन्होंने राजस्थान में पहले कहां काम किया? क्या अन्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड 111.00 रुपये पर मीटर में बोर कर रहा है, फिर आपको 240·00 रुपये पर मीटर में कॉन्ट्रेक्ट देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो रेट निर्धारित कर दी है।

श्री सी. पी. जोशी : फाइनेन्स कमेटी ने यह रेट का निर्णय किया है। परन्तु आपके डिपार्टमेन्ट के अन्दर उससे कम रेट में काम हो रहा है तो 240·00 रुपये की रेट कैसे निर्धारित कर दी ? किस आधार पर कर दी ? Purely on the whims of the Finance Committee ?

कान्ट्रेक्ट की शर्तों को आप देख लीजिये। यह 12 पार्टीज राजस्थान की धरती पर पहले नहीं थीं। सितम्बर, 1980 में कान्ट्रेक्ट होने के पश्चात् इन्होंने पहला हैण्ड पम्प कहां पर बोर किया है, यह बता दीजिये ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले के अन्दर भी 1980 के अन्दर जो हैण्ड पम्प बोर हुए हैं वे करीब 215 हैं।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा प्रश्न यह है कि इन 12 पार्टीज ने पहला हैण्ड पम्प कहां पर बोर किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह इन्फार्मेशन मेरे पास उपलब्ध नहीं है। चौबीस हजार हैण्ड पम्प किस-किस तारीख को खोदे गये हैं, यह सूचना मेरे पास में उपलब्ध नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि वे इश्यु को साइट-ट्रैक नहीं करें। मैं यह गंभीरता से कहना चाहता हूं कि जिन 12 पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उनके पास रिग्स अवेलेबल नहीं थीं, इन्होंने पहले रिग्स ही नहीं देखी है। एक पार्टी इसमें भीलवाड़ा की है वह हाई कोर्ट से स्टे ले आई है। तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट है 240·00 रुपये पर मीटर में और गवर्नमेन्ट का विभाग इससे कम में बोर कर रहा है। यह घपला हुआ है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक प्लेटफार्म की कॉस्ट 1250/– रुपया और 6 बोरी सीमेन्ट लगने की बात कही गयी है। मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेन्ट ने 1250/– रुपये और 6 बोरी सीमेन्ट के हिसाब से पेमेन्ट किया है परन्तु आज यही काम 300/– रुपये में हो रहा है और इसमें सीमेन्ट लग रही है तीन बोरी। इसमें भी घपला है। राजस्थान के इतिहास में यह घपला जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जो पूरक प्रश्न पूछे गये हैं उनका पहले उत्तर हो जाये।

श्री परसराम मदेरणा : 1250/–रुपये प्लेटफार्म का खर्चा नहीं आता है। यह खर्चा 500 रुपये के आस-पास होता है।

श्री सी० पी० जोशी : 1250/- रुपये का पेमेन्ट आपके विभाग से हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसकी जांच कर लूंगा। जैसा पूर्व में प्रश्न पूछा गया है कि इन ठेकेदारों ने हैण्ड पम्प 1979, 1980 और 1981 में कहां-कहां खोदे हैं, यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जहां तक रेट का प्रश्न है, रेट्स फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की कॉन्करेंस से तय की गई हैं। यह रेट नहीं दी जानी चाहिये थी, इस प्रकार का जो एलीगेशन माननीय सदस्य सदन में लगा रहे हैं; फाइनेन्स कमेटी ने यह निर्णय लिया है और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने इसकी कॉन्करेंस दी है इसलिये यह तमाम मैटर मैं फाइनेन्स डिपार्टमेंट को दुबारा एग्जामिनेशन के लिये भेज दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने जो मसले उठाये हैं वे इतने गंभीर हैं....

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय का यह कहना कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट इसकी इन्क्वायरी करेगा। उससे इसका समाधान नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जिन कम्पनी को कांन्ट्रैक्ट दिया गया है उसमें अनियमितता हुई है। जो ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं उनमें अनियमितता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुई है। लम्बाई, गहराई, सीमेन्ट का उपयोग और मशीनरी का उपयोग बता कर फर्जी बिल बना कर पेमेन्ट किया गया है। यह केवल उदयपुर जिले की ही समस्या नहीं है, मंत्री महोदय के स्वयं के जोधपुर जिले की ही समस्या नहीं है। मंत्री महोदय के स्वयं के जोधपुर जिले में और पूरे राजस्थान में, जहां इस प्रकार इन कम्पनीज के द्वारा काम किया गया है, वहां पर हैण्ड पम्प किस प्रकार की स्थिति में हैं ? सारे राजस्थान में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी गयी है। जिस प्रकार से भी इनका हिसाब बैठ गया बिल बना कर पेमेन्ट हो गया। इसलिये इसकी व्यापक तरीके पर इन्डिपेन्डेन्ट रूप से इन्क्वायरी होना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कोई इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी कराने को तैयार नहीं हूं। यह टैक्निकली पूरा-का-पूरा पाइप निकालने की बात है, प्लेटफार्म को हटाना होगा। कुछ की तो मैं सैम्पल जांच करवाने को तैयार हूं लेकिन जैसी कि माननीय सदस्यों ने बात की है इस प्रकार की बात अगर है तो स्पेसिफिक जांच करवाने को तैयार हूं। पर सारे के सारे केस की जांच करवाना तो सम्भव नहीं है। कुछ हैंड पम्प्स को अगर री-ओपन करना है तो कर सकते हैं, कुछ प्लेटफार्म को तोड़ना है तो वे भी तोड़े जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये गलत बात कह रहे है। इसकी जरूरत नही है।

श्री परसराम मदेरणा : जैसी कि मुझे जागकारी मिली है जो डिपार्टमेंट के लेप्सेज थे, जो डिपार्टमेंट के लेप्सेज काम कर रहे थे, जैसे कि गलत लोगों को ठेके दिये गये, प्लेटफार्म बनाने में कोई घोटाले हुए, उनकी रेट पहले 1250 रखी थी और अब उसको कम कर दिया गया है। कम किया गया तो क्यों किया गया है, पहले ज्यादा क्यों रखी गयी थी, कितना गहराई पाइप है, उसकी जाँच मैं करवा रहा हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, इससे काम नहीं चलेगा। इस सारे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए तब सब कुछ सामने आयेगा। इससे करोड़ों के घोटाले हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय सारी जांच होनी चाहिए, इसमें करीब 10 करोड़ का घोटाला है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, न्यायिक जांच की जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये अधिकारी से जाँच करवायेंगे। उनसे क्या न्याय की आशा करते हैं, उन्होंने ही तो घोटाला किया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है। 100 में से कोई 20 हैंड पम्प ठीक होंगे, बाकी डेढ़ से ज्यादा फीट की गहराई में नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है....

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। आॅर्डर, आॅर्डर। आॅर्डर। बैठ जाइये।

(व्यवधान)

इस प्रश्न को किसी अन्य तरीके से ले सकते हैं। इस माध्यम से लेना सम्भव नहीं है। मैं इतने प्रश्न की इजाजत नहीं दे सकता हूं। मेरी मजबूरी है। आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : करोड़ों का घोटाला है यह भी आप नहीं देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो अल्पावधि का माध्यम है। इसे आप किसी अन्य तरीके उठा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई बातें रह गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बड़े जोश के साथ कहा कि वे इन्क्वायरी करना चाहते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से डी-नोवो जांच कराना चाहते हैं। वे सदन को ऐसे समझते है जैसे कोई कुछ समझता ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह आपका ही कहना है कि जब भाषण दे रहें हो तो यह समझना चाहिए कि दूसरा कुछ नहीं समझता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भाषण के लिये कहा है लेकिन जवाब के लिये नहीं। जवाब और भाषण दोनों में फर्क है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को शायद यह मालूम हो कि उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा के मामले आपके पास आये हैं। मेरे पास आये हैं। माननीय सदस्यों को जानकारी मिली है। उसके लिये यह कहना कि प्लेटफार्म को तोड़ना होगा या उसके लिये पूरा पाइप निकालकर देखना होगा, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। आप जांच कराने से क्यों इन्कार कर रहे हैं? जांच कराने के कितने ही तरीके हैं जिनके आधार पर यह जांच हो सकती है कि प्लेटफार्म में कितनी सीमेंट लगी और कितना पाइप लगा और उसकी कास्ट कितनी हो सकती है। आप जांच कराने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? इसकी जांच करवायें।

जिस व्यक्ति को आप उचित समझें उसी से जानकारी करा लें। आप टैक्निकल लोगों की कमेटी अपॉइंट कर दें। जैसे आप चाहें, जिस पर आपको विश्वास हो उससे जांच करवा लें।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर, भीलवाड़ा का ही मामला होता तो कोई बात नहीं थी लेकिन यह सारे राजस्थान का मामला है। जहां-जहां पर इस प्रकार के हैंड पम्प्स बनाये गये हैं, जोधपुर, पाली, जालौर, झुन्झुनू, अजमेर, बाड़मेर आदि सब जगह पर कई हजार का नहीं, कई लाख का नहीं, कई करोड़ का घपला हुआ है। इसलिये राजस्थान की जनता आपसे अपेक्षा करेगी, 8-10 करोड़ का

Page No 18

(श्री राम सिंह विश्नोई)
घपला हुआ है, आप कहें, इसकी आपको जांच करवानी चाहिए। जांच किस प्रकार की हो, यह मैं बता दूं कि यह डिपार्टमेंटल नहीं होनी चाहिए। ढाई हजार, पांच हजार से ज्यादा खर्च हैड पम्प को लगाने में मय प्लेटफार्म के नहीं आता है। लेकिन एक हैण्ड पम्प बनाने में बीस-बीस हजार रुपये खर्च किये हैं जो सरासर लूट है। डिपार्टमेंट के अलावा अन्य स्रोतों से इसकी जांच करायी जावे। विभागीय रिग्स उपलब्ध होने के बावजूद अपने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिये सारे हैण्ड पम्प ठेके पर दिये गये, जो नियमानुसार नहीं खोदे गये, क्योंकि ठेकेदारों का उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही था। डेढ़ सौ फीट की जगह 80 फीट से ज्यादा कहीं पर हैण्ड पम्प गहरे नहीं हैं और जो लगे हैं उनमें से भी 80 प्रतिशत खराब पड़े हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी एक भी विधायक के कहने से हैंड पम्प नहीं लगाये गये। तो वहां पर लगाये गये हैं जहां पर कि या तो आलरेडी पानी था या जहां पर खारी पानी था या जहां पर इसकी आवश्यकता नहीं थी। अधिकारियों से कहा लेकिन फिर भी उन्होंने और ठेकेदारों ने चाहा वहीं पर हैंड पम्प लगाये गये हैं। 80 प्रतिशत से ज्यादा हैंड पम्प बेकार पड़े हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों को सस्पैण्ड किया जाना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही नहीं है कि 80 प्रतिशत तक हैंड पम्प बेकार पड़े हैं।

अनेक माननीय सदस्य बिल्कुल सही है। 80 प्रतिशत क्या इससे ज्यादा खराब पड़े हैं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : 90 प्रतिशत से भी ज्यादा बेकार पड़े हैं।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : मेरे यहां पर चलें, आज मेरे यहां पर 80 प्रतिशत से भी ज्यादा हैण्ड पम्प बेकार पड़े हैं। मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकूंगा तो त्याग पत्र दे दूंगा। आप चले मेरे क्षेत्र में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर हैं। मंत्री महोदय का जवाब आने दें। वे जवाब दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ हैंड पम्प बेकार पड़े हैं, यह सही है। बाकी कुछ रिपेयर चाहते हैं। अब राज्य सरकार ने यह आदेश दिया है कि इन हैंड पम्प्स को रिपेयर किया जाये और जो भी खर्च आये, किया जाय। फिर इनको स्वायत्तशासी संस्था को ट्रान्सफर चालू हालत में किया जाये। उनकी रिपेयर की जा रही है जिसका काम सतोषजनक ढंग से चल रहा है और प्रगति पर है।

दूसरी बात यहां पर कही गयी कि करोड़ों का घोटाला है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें घोटाला नहीं होगा....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : इसमें घोटाला है। 200 फीट की जगह पर 50 फीट ही खोदे गये हैं....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित कर चुका हूं कि रेट्स ज्यादा थीं, इसके संबंध में मैं इस मामले को जांच के लिये फाइनेंस डिपार्टमेंट को दुबारा रेफर कर रहा हूं, क्योंकि रेट्स की कसेंट उन्हीं की थी।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं कह रहा हूं कि यह ढाई हजार में खुद सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं डिपार्टमेंट के टैक्निकल लोगों की एक कमेटी के द्वारा इसकी जांच करवा सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्षमा करें, माननीय मंत्री महोदय डिपार्टमेंट की टैक्निकल कमेटी के द्वारा जांच करवाने की बात कर रहे हैं तो उनका तो इसमें हाथ है ही।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनसे ही जांच करवा लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, खेतसिंह जी से करवा लें मुझे एतराज नहीं है। इनके यहां कुछ हैंड पम्प लग गये। लेकिन इससे क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि टैक्निकल आदमियों की जो कमेटी आप डिपार्टमेंट के लोगों की बनाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ही तो यह सब घोटाले हुए हैं, और उन्हीं से जांच करवा रहे हैं तो क्या पता लगेगा। आप दूसरे किसी डिपार्टमेंट के लोगों से जांच करवा लें। जिनकी इन्टेग्रिटी पर डाउट नहीं हो, उनसे जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मैं यह कहना चहता हूं कि राजस्थान में हर जगह पर यह हुआ है। मैंने खुद झुंझुनू और सीकर के एरिया में देखा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसकी यह रिकमंडेशन थी कि हमारे यहां पर हैंड पम्प्स नहीं लगाये जायें फिर भी जबर्दस्ती लगा दिये हैं। वे किसी काम के नहीं है, काम ही नहीं कर रहे हैं। इसके अन्दर बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिये इसकी कम्पलीट जांच करवायें। इसके लिये विधायकों की एक कमेटी बनायी जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री सुजान सिंह।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 97 प्रतिशत हैण्ड पम्प चालू हैं। मगर, मेरे साथ, माननीय सदस्य विधान सभा में बैठे हैं, हैण्ड पम्प तो लगवाना चाहते हैं, काम नहीं किया। मैंने जिस गांव में मंजूर करवाया, मैंने गांव वालों को सबसे पहले सतर्क कर दिया कि ठेकेदार गलती नहीं कर दे, पाइप सीधा लगना चाहिए। हैण्ड पम्प जितने गहरे बने हुए हैं, उतनी कामयाबी हुई है। माननीय विधायक महोदय बैठे हैं इन्होंने उस पर कतई गौर नहीं फर्माया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था सुन लीजिए, आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आपका पूरा हुआ समझा गया । आसन पैरों पर है । विचाराधीन प्रश्न है, उसमें कई माननीय सदस्यों को कई प्रश्न पूछने हैं । क्योंकि सदन का प्रश्न काल का समय समाप्त हो गया इसलिए....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

पूरी बात सुन लीजिए । प्रश्न काल समाप्त किया जाता है। स्थगित प्रश्न हैं, वह फिर स्थगित किए जाते हैं । जो यह विचाराधीन प्रश्न था, उसके बारे में कुछ सूचना चाहते हैं, वे इस प्रश्न को अन्य किसी माध्यम से करें ताकि उसमें और भी आपको अवसर मिल सके ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।.

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज । मैंने निवेदन किया था कि अगर किन्हीं माननीय सदस्यों को शिकायत है तो अन्य किसी माध्यम से उस प्रश्न को उठा सकते हैं ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सांगानेर तहसील की एस. पी. ए. योजना

201. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 82 में सांगानेर तहसील, जिला जयपुर की भी एक एस. पी. ए. योजना प्रस्तावित थी ?

(2) क्या वह योजना स्वीकृत हो गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस वर्ष जयपुर जिले की कुल कितनी एस. पी. ए. योजनायें स्वीकृत हुई, और उनके अन्तर्गत कौन-कौन से ग्राम लिये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1981-82 में सांगानेर तहसील/पंचायत समिति क्षेत्र की एक एस. पी. ए. श्रेणी की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना का प्रारूप तैयार करने का प्रयास किया गया था ।

(2) जी नहीं । सांगानेर तहसील/पंचायत समिति राज्य सरकार के भूजल सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार भूजल की दृष्टि से ओवर ड्राफ्ट क्षेत्र हैं । अतः साध्य योजना बनाना सम्भव नहीं हो सका ।

(3) वर्ष 1982 में माह जनवरी, 1982 से अगस्त, 1982 तक जयपुर जिले की निम्नलिखित एस. पी. ए. श्रेणी की योजनायें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ऋण सहायतार्थ स्वीकृत की गई है :—

1. पंचायत समिति, बस्सी (पश्चिमी क्षेत्र)

2. पंचायत समिति, आमेर

(ऊर्जा मंत्री)

उपरोक्त योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनायें

202. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने इस साल कितनी नई परियोजनाओं के लिये स्वीकृति प्रदान की ?

(2) किस-किस जिले में कितनी कितनी परियोजनायें कार्यान्वित होंगी, तथा कितना खर्चा आयेगा ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इस वर्ष जनवरी, 1982 से 31-8-82 तक विभिन्न श्रेणी की 45 योजनाएं स्वीकृत की गई।

(2) जिलेवार परियोजना एवं अनुमानित लागत निम्न तालिका सार है :—

क्र.सं.	जिला	योजना की संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	अजमेर	4	111·082
2.	अलवर	4	95·888
3.	बांसवाड़ा	1	0·355
4.	भरतपुर	2	107·31
5.	चित्तौड़	3	7·404
6.	धौलपुर	1	60·239
7.	गंगानगर	2	109·131
8.	जयपुर	2	123·847
9.	झुंझुनूं	3	83.296
10.	झालावाड़	1	35.249
11.	जोधपुर	1	18.779
12.	कोटा	2	2.134
13.	पाली	3	93·388
14.	सवाई माधोपुर	4	21.290
15.	सीकर	4	113·919
16.	टौंक	5	112.621
17.	उदयपुर	5	43.279
	कुल योग	47	1139.272

ग्राम पंचायत अजयराजपुरा तहसील सांगानेर

203. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सांगानेर तहसील का ग्राम पंचायत, अजयराजपुरा का खसरा नं. 6038-6039 ग्राम चिरोटा के अन्तर्गत है या बगरू के ? कृपया तहसीलदार व कलेक्टर द्वारा सत्यापित प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तहसील सांगानेर की ग्राम पंचायत अजयराजपुरा में ख. नं. 6038 व 6039 ग्राम चिरोटा अथवा कस्बा बगरू ग्राम में स्थित नहीं है। ग्राम बगरू कला में कुल खसरा नम्बर 5460, अजयराजपुरा में कुल खसरा

(राजस्व मन्त्री)
नं. 754 व चिरोटा में कुल खासरा नम्बर 214 ही है।

इसलिए खसरा नम्बर 6038-6039 ग्राम बगरू या चिरोटा में होने का प्रश्न नहीं है।

गृह निर्माण सहकारी समितियां

204. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करें :—

(1) कृपया उन समस्त गृह निर्माण सहकारी समितियों का निम्न विवरण सदन के पटल पर रखें जिन्होंने जोधपुर अरबन एरिया में राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक कार्य हेतु आवंटन रूपान्तरण तथा नियमितीकरण) नियम, 1981 के अन्तर्गत कृषि भूमि के रूपान्तरण के लिए दी आथोराइज्ड आफिसर, कनवर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैन्ड्स, जोधपुर को आवेदन-पत्र दिनांक 31-7-1982 तक प्रस्तुत किये हैं:–

(i) गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन संख्या एवं दिनांक।

(ii) गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों की संख्या।

(iii) समिति की भूमि के गांव का नाम, खसरा संख्या एवं क्षेत्रफल जिसके रूपान्तरण के लिए आवेदन-पत्र दिया गया।

(iv) समिति ने उपरोक्त भूमि को जिस व्यक्ति से क्रय की, उसका नाम, पिता का नाम व पता एवं क्रय का दिनांक।

(2) क्या यह सत्य है कि जोधपुर नगर का मास्टर प्लान दिनांक 26-11-1977 से लागू हुआ तब से आज "दी अरबन लैण्ड (सीलिंग एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1976" के सैक्शन 2 के अनुसार उस भूमि को कृषि उपयोग में आने वाली भूमि नहीं मानी जायेगी जिसका उपयोग मास्टर प्लान में गैर कृषि कार्यों के लिए दर्शाया गया है अतः ऐसी भूमि इस एक्ट के अन्तर्गत वेकेन्ट लैण्ड मानी जायेगी ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त एक्ट के सैक्शन 5 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के पास सीलिंग से अधिक लैण्ड हो तो उसको एक्सेस वेकेट लैण्ड होल्डर मानते हुए उसके वेकेन्ट लैण्ड के ट्रान्सफर पर रोक लगी हुई है ?

(4) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त उन समितियों के भूमि का रूपान्तरण नहीं किया जायेगा जिन्होंने भूमि का क्रय दिनांक 26-11-1977 को या उसके पश्चात् किया है क्योंकि ऐसा करना उपरोक्त रूपान्तरण नियम के पांचवें नियम की अवहेलना करना है ?

(5) क्या यह सत्य है कि यदि संबंधित अधिकारी ने दिनांक 26-11-1977 को या पश्चात् क्रय की गई भूमि का रूपान्तरण कर भी दिया तो उपरोक्त एक्ट के सैक्शन 5 एवं 42 के अनुसार यह रूपान्तरण नल एण्ड वोइड होगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां। परन्तु राजस्थान अरबन लैण्ड (सीलिंग एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1979 की धारा 20 के तहत राज्य सरकार को छूट देने के अधिकार हैं। जिन भूमियों के बाबत ऐसी छूट दे दी जावे उनका रूपान्तरण छूट देने के बाद किया जा सकता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

पश्चिमी राजस्थान में अकाल, सूखा व बाढ़ की स्थिति

205. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पश्चिमी राजस्थान गत 10 वर्षों में कितने वर्ष लगातार अकाल, सूखा व बाढ़ से ग्रसित रहा है ?

(2) क्या इस वर्ष भी वहां सूखे की स्थिति है ?

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

(4) इस वर्ष सूखा व अकाल किन-किन स्थानों पर है ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट क एवं ख)

(2), (3) एवं (4) खरीफ की गिरदावरी हो जाने के पश्चात् सम्बन्धित जिलाधीशों के प्रतिवेदन से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और तभी राज्य सरकार द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जावेगी।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

टौंक जिले में गत वर्ष आई वर्षा से क्षति

206. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या राहत मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(1) टौंक जिले में गत वर्ष आई वर्षा से कुल कितनी भूमि एवं कुओं को क्षति पहुंची ?

(2) टौंक जिले के किस-किस ग्राम के किस-किस व्यक्ति को कितनी भूमि एवं कुएं बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए ?

(3) किस-किस बाढ़ से पीड़ित कृषक को क्षतिग्रस्त कुओं की क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता कब-कब प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक राहत प्रदान कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) टौंक जिले में वर्ष 1981 में भारी वर्षा से आई बाढ़ के कारण 2504.38 हैक्टेयर भूमि व 253 कुओं को क्षति पहुंची है।

(2) प्रभावित व्यक्तियों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(राहत मन्त्री)

(3) बाढ़ से क्षतिग्रस्त कुओं की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती। टौंक जिले में वर्ष 1981 में आई बाढ़ से जिन कृषकों के कुएं क्षतिग्रस्त हुए उनमें से 4 हैक्टेयर की सीमा तक भूमि धारक जन जाति, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा सेमी मीडियम कृषकों को क्रमशः 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की दर से अनुदान दिये जाने हेतु 3,33,000 की धनराशि आवंटित की गई। विशेष शिविर आयोजित किये जाकर अनुदान राशि का वितरण किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पांचना परियोजना उप खण्ड श्री महावीर जी

207. **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पांचना परियोजना उप-खण्ड श्री महावीरजी द्वारा वर्ष 1981-82 व 1982-83 में कुल कितने रुपये की मशीनरी, पम्प, ट्रक्स व जीप के पुर्जे खरीदे गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ सामान ऐसी फर्मों से खरीदा गया है जिनके पास सैल्स टैक्स विभाग का नम्बर नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक सरकार, ऐसी अनियमितताओं में कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पांचना परियोजना उप-खण्ड महावीर जी द्वारा वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 (अप्रेल से अगस्त, 82) में क्रमशः 20,086.83 एवं 15,186.96 रुपये की मशीनरी, पम्प, ट्रक्स एवं जीप के पुर्जे खरीदे गये हैं।

(2) जी हां। कुछ सामान ऐसी फर्मों से खरीदा गया है, जिन्होंने सेल्स टैक्स विभाग से रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त नहीं किया है। इस तरह की कमी को अलग से सेल्स टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है, जो कि नियमानुसार है। अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, बांसवाड़ा द्वारा पी. वी. सी. वायर की खरीद

208. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, बांसवाड़ा ने दिसम्बर, 1979 के द्वितीय सप्ताह में मैसर्स अर्जेंट एजेन्सी, उदयपुर से पी. वी. सी. वायर के 3/18 की 40 कोइल और 1/18 की 30 कोइल खरीदी थी ?

(2) यदि हाँ, तो ये किस किस भाव से किस फर्म से खरीदी थी, कुल कितना चुकारा किया गया तथा इनकी खरीद हेतु टेण्डर किस किस फर्म से आमन्त्रित किये गये थे ? कृपया फर्मों द्वारा प्रस्तुत टेण्डर की प्रतियां सदन के पटल पर रखें।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या यह भी सही है कि 1/18 कोइल की कीमत 3/18 कोइल से कम होनी चाहिये, जबकि वह ज्यादा दी गई है और दोनों ही प्रकार की कोइलों की कीमत बाजार भाव से बहुत अधिक दी गई है ?

(4) क्या सरकार इस खरीद में कथित अनियमितता की जांच कराकर त्रुटि पाई जाने पर उत्तरदायी अधिकारी को दंडित करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) उक्त खरीद अर्जेन्ट एजेन्सीज, 0 सरदार पटेल नगर, हीरा मगरी, उदयपुर से निम्न प्रकार की गई:—

क्र. सं.	विवरण	संख्या व तादाद	दरें	कुल लागत
(1)	पी. वी. सिंगल कोर कोपर वायर 440 बोल्ट (राजमेक) 3|10	40 कोयल	149|-	5,960/-
(2)	--,,-- 1|10	30	160/-	5,040|-
			टोटल	11,000|-

(2) बिल का भुगतान 11,000/-- रु. किया गया । उक्त खुली निविदायें थीं एवं किसी विशेष फर्म से आमन्त्रित नहीं की गई । फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं की प्रतिलिपियां संलग्न हैं । साधारणत: 1/10 की कोइल की कीमत 3/10 की कोइल से कम होनी चाहिये थी । कोइल की कीमत के बाबत जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

(4) उक्त खरीद के लिये जांच आदेश दिये जा चुके हैं । जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जावेगी ।

(प्रतिलिपियों के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राजकीय महाविद्यालयों के छात्रावास

209. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों के छात्रावासों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(2) राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनके मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय छात्रावास नहीं हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालयों, बाड़मेर के साथ राजकीय छात्रावास नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर के लिये छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(शिक्षा मंत्री)

(2) राजस्थान में निम्नलिखित चार जिले ऐसे है जिनके मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालयों के साथ छात्रवास नहीं है :

1) अलवर,

2) बाड़मेर,

3) नागौर,

4) कोटा ।

(3) जी हां । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान मिलने पर छात्रावास भवन बनाने पर विचार किया जा सकता है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट :8 देखें)

राजकीय प्राथमिक विद्यालय अचरोल में उर्दू भाषा के अध्यापक की नियुक्ति

21. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में 100 छात्रों के पास उर्दू विषय है किन्तु उनको पढ़ाने के लिये एक भी उर्दू अध्यापक नियुक्त नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति कर विद्यार्थियों की कठिनाई दूर करने का प्रयत्न करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में, उर्दू का विषय ही नहीं है, और न ही पढ़ाया जाता है ।

(2) प्राथमिक विद्यालय, अचरोल में उर्दू अध्यापक की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजकीय माध्यमिक शाला कटराथल, सीकर

211. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय माध्यमिक शाला, कटराथल, जिला सीकर की छात्र संख्या क्या है ?

(2) क्या ग्राम कटराथल-दौलतपुरा, जो कि एक ही ग्राम के दो टुकडे हैं, की आबादी करीब 11 हजार है ? क्या सरकार को यह भी विदित ही है कि विभिन्न विद्यालयों प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्त ग्राम के पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है ?

(3) क्या सरकार उक्त आधार पर इस विद्यालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय कटराथल में छात्र संख्या 420 है ।

(2) जी नहीं कटराथल और दौलतपुरा दो गांव हैं, जिनकी आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार, क्रमशः 3100 व 2530 है । प्रश्न का शेष भाग स्पष्ट नहीं है ।

(शिक्षा मंत्री)

(3) सन् 1981–82 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कटराथल को क्रमोन्नत करने के बारे में राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

बाड़मेर जिले की प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी

212. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर की सभी पंचायत समितियों में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या क्या है? कृपया समितिवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले की पंचायत समितियों में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है:—

पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय की संख्या
बायतु	84
शिव	92
चोहटन	103
सिणधरी	81
बाड़मेर	103
सिवाना	76
बालोतरा	103
धोरीमन्ना	96

बाड़मेर जिले में पांच पंचायत समितियों में 65 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां अध्यापक नहीं हैं।

राजस्थान स्टेट लाटरी के विज्ञापन पर हुआ व्यय

213. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही "लाटरी" का विज्ञापन किस किस माध्यम से किया जाता है और उस माध्यम के चयन की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

(2) क्या यह विज्ञापन समाचार पत्रों के माध्यम से भी कराया जाता है? यदि हां, तो किन-किन समाचार पत्रों के माध्यम से और उनके चयन की प्रक्रिया क्या रही है?

(3) कृपया वित्तीय वर्ष 1981-82 में लाटरी के विज्ञापन समाचार पत्रों के देने पर हुए व्यय का विवरण अलग अलग समाचार पत्रों के अनुसार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही लाटरी का विज्ञापन डी. ए. वी. पी. द्वारा स्वीकृत विज्ञापन एजेंसीज से निम्नलिखित माध्यम से कराया जाता है:–

(2) समाचार पत्रों द्वारा,

(2) रेडियो द्वारा।

डी. ए. वी. पी. एवं डी. पी. आर. द्वारा अनुमोदित सूची में सम्मिलित प्रमुख समाचार पत्रों की लोकप्रियता, प्रसार संख्या

(श्री कैलाश मेघवाल)
एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए लाटरी के विज्ञापन दिये जाते हैं।

रेडियो पर विज्ञापन आल इंडिया रेडियो की मूल दरों पर एजेंसीज के माध्यम से कराये जाते हैं।

(2) हां। जिन समाचार पत्रों से इस प्रकार का विज्ञापन कराया जाता है उनके चयन की प्रक्रिया प्रश्न संख्या (1) के उत्तर में दर्शायी जा चुकी है। प्राय: जिन समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार का विज्ञापन कराया जाता है उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गयी है।

(2) वित्तीय वर्ष 1981-32 में लाटरी के विज्ञापन समाचार पत्रों को देने पर कुल राशि रु. 43,66,220/– का व्यय हुआ है। अलग-अलग समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर हुए खर्च का ब्यौरा सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

(सूची व ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जमवारामगढ़ क्षेत्र के विकास की योजना हेतु सलाहकार समिति

214. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) माह नवम्बर, 1982 में जमवारामगढ़ में तैराकी प्रतियोगिता के कारण उक्त क्षेत्र के विकास की क्या योजना बनाई गई है? कृपया ब्ल्यू प्रिंट सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त योजना की कितनी क्रियान्विति हो चुकी है और शेष कार्य कब तक सम्पन्न हो जावेगा?

(3) क्या उक्त योजना से संबंधित कोई सलाहकार समिति बनी है? यदि हां, तो कृपया नाम सूची सदन के पटल पर रखें। क्या उसमें जन प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माह नवम्बर, 1982 में जमवारामगढ़ में नौकायान प्रतियोगिता के कारण उक्त क्षेत्र के विकास की कोई योजना शिक्षा विभाग द्वारा नहीं बनाई गई है। नौकायन प्रतियोगिता के आयोजन सम्बन्धी निम्न निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं:--

1- विजिटर गैलेरी का निर्माण
2- बोटशेड का निर्माण
3- जिमनेजियम का निर्माण
4- चेन्ज रूम का निर्माण
5- रिफ्रेशमेन्ट कक्ष का निर्माण
6- बाई पास। लिंक रोड की मरम्मत
7- चौकीदार कक्ष मैनेजर कक्ष का निर्माण

(2) 1. उक्त कार्य में विजिटर गैलेरी लगभग बन चुकी है। ऊपर पत्थर के स्लेब्स लगने बकाया हैं। यह कार्य नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक सम्पन्न हो सकेगा।

2- बोटरोड तैयार हो चुका है।

3- जिमनेजियम कक्ष लगभग तैयार हो चुका है। फिनिशिंग कार्य इस माह के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा।

(शिक्षा मंत्री)

4 चैन्ज रूम लगभग तैयार है। सेनिटरी और बिजली फिटिंग का कार्य 15 अक्टूबर, 82 तक पूर्ण हो जायेगा।

5 रिफ्रेशमेन्ट रूम का निर्माण हो चुका है। बिजली-लकड़ी का काम चल रहा है जो 15 अक्टूबर, 82 तक पूर्ण हो सकेगा।

6 बाई पास का सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। एक महीने में समस्त बाई पास पूर्ण हो जायेगा।

7 चौकीदार कम मैनेजर रूम का निर्माण कार्य चल रहा है और नवम्बर, 82 के दूसरे सप्ताह तक पूर्ण हो जायेगा।

(3) जी नहीं। नौकायन खेलों का आयोजन एशियाई खेलों की विशेष आयोजना समिति द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा निम्न नौकायन संचालन समिति बनाई गई है:—

1. मुख्य मंत्री, राजस्थान	मुख्य संरक्षक
2. श्री रामनिवास मिर्धा (एन. पी.)	संरक्षक
3. शिक्षा मंत्री, राजस्थान	संरक्षक
4. श्री के.पी. सिंह देव, उप रक्षा मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
5. श्री एन. एस. भाटी, पर्यटन मंत्री, राजस्थान	कार्यकारी अध्यक्ष
6. श्री गोपाल घोष, अध्यक्ष, रोइंग फैडरेशन आफ इन्डिया	सदस्य
7. मुख्य सचिव, राजस्थान	सदस्य सचिव

अजमेर में देशी व विदेशी शराब की दुकानों के लाइसेंस

215. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या वित्त एवं आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में शराबबन्दी समाप्त होने के बाद अजमेर नगर परिषद् सीमा में देशी व विदेशी शराब की दुकानों को खोलने के लाइसेन्स किस-किस स्थान के लिये स्वीकृत किये गये हैं और किस-किस स्थान के लिये प्रस्तावित हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या खोली गई दुकानों अथवा प्रस्तावित दुकानों में राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये नियम, उप नियम, आदेशों तथा लाइसेन्स की शर्तों का पूरी तरह पालन किया गया है?

(3) क्या इस क्षेत्र में मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, उपासरे, विद्यालय, महाविद्यालय, हरिजन बस्ती, मजदूर बस्ती, अस्पताल, औषधालय, महात्मा गांधी की मूर्ति से शराब की दुकानों की दूरी सबंधी प्रावधानों का कठोरता से पालन किया गया है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने शराबबन्दी समाप्त होने के बाद अजमेर नगर परिषद सीमा में देशी शराब व विदेशी शराब की

(वित्त एवं आबकारी मंत्री)

दुकानें खोलने के स्थानों की सूची संलग्न है।

परिशिष्ट (क) व (ख)

(2) जी हां। यथासंभव ध्यान रखा गया है।

(3) प्रावधानों का यथासंभव ध्यान रखा जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

वेतन अदायगी अधिनियम के तहत कार्यवाही

216. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में वेतन अदायगी अधिनियम के तहत वर्ष 1981 में कितने निरीक्षण किये गये ?

(2) उपरोक्त निरीक्षणों में कितने मामले समय पर भुगतान नहीं किये जाने बाबत प्रकाश में आये तथा उन पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) वेतन अदायगी अधिनियम के तहत कितने क्लेम प्रस्तुत किये गये ?

उत्तर

(1) 2293

(2) 178 मामले निरीक्षणों में समय पर भुगतान नहीं किये जाने के पाये गये, जिनके क्लेम दायर कर दिये गये हैं।

(3) 2674

श्रम विभाग के अधिकारियों के अधिकार

217. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के श्रम विभाग में अधिकारियों के कितने वर्ग हैं तथा प्रत्येक वर्ग के अधिकारी को क्या क्या अधिकार व शक्तियां प्रदान की गई हैं ?

(2) श्रम विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की पदोन्नति किन किन पदों पर की जाती है ?

उत्तर

(1) राज्य में श्रम विभाग के निम्न विवरणानुसार अधिकारियों के वर्ग हैं :—

1. श्रम आयुक्त
2. संयुक्त श्रम आयुक्त
3. उप श्रम आयुक्त
4. सहायक श्रम आयुक्त
5. श्रम कल्याण अधिकारी

प्रत्येक वर्ग के अधिकारियों को निम्न विवरणानुसार अधिकार एवं शक्तियां प्रदत्त हैं :—

(श्रम मंत्री)

(1) **श्रम आयुक्त** :--

1. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति आयुक्त, सम्पूर्ण राजस्थान।

2. ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन (अधिनियम 1970–अपील अधिकारी) धारा 78, 12 व 14 के अधीन आदेशों के विरुद्ध।

3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन समझौता अधिकारी-सम्पूर्ण राजस्थान।

4. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948–प्राधिकारी सम्पूर्ण राजस्थान।

5. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1948-प्राधिकारी सम्पूर्ण राजस्थान।

6. उपादान भुगतान अधिनियम-अपील अधिकारी।

7. अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979-अपील अधकारी।

(2) **संयुक्त श्रम आयुक्त** :--

इस वर्ग में तीन पद मुख्यालय पर व एक पद क्रमशः जयपुर रीजन व कोटा के लिये है। इनकी प्रदत्त शक्तियां व अधिकार निम्न है :—

मुख्यालय :—समझौता अधिकारी राजस्थान के अतिरिक्त तीनों संयुक्त श्रम आयुक्तों को निम्न में से अलग अलग कार्य सौपें हुये हैं :--

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समझौता अधिकारी, राजस्थान।

2. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सर्टीफाइंग आफिसर।

3. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार।

4. मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत मुख्य निरीक्षक।

5. बीडी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत मुख्य निरीक्षक।

6. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत राजस्थान के लिये निरीक्षक।

7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत–सम्पूर्ण राजस्थान के निरीक्षक।

8. श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीरण उपलब्ध न अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत—निरीक्षक सम्पूर्ण राजस्थान।

9. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत निरीक्षक सम्पूर्ण राजस्थान।

10. बीडी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत–अपील अधिकारी।

11. बीडी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत–मुख्य निरीक्षक सम्पूर्ण राजस्थान।

(श्रम मंत्री)

12. औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत-रजिस्ट्रार राजस्थान।

13. अन्तर्राज्यिक प्रवासी अधिनियम, 1979-स्पेसिफाइड आथोरिटी।

इसके अतिरिक्त राजस्थान में श्रम स्थिति पर नियंत्रण, असफल प्रतिवेदनों की जांच, विभिन्न श्रम अधिनियमों के संशोधन अधिसूचनाएं, विमुक्ति, चालान स्वीकृतियां एवं निरीक्षणों की अनुपालना कराना तथा राज्य स्तरीय, इण्डिया लेवल की समितियां, बैठकों आदि से संबंधित कार्य, श्रम कल्याण केन्द्रों के कार्य संचालन पर निगरानी, तथा कार्यालय प्रशासन संबंधी कार्य।

(3) **उप श्रम आयुक्त-मुख्यालय/सहायक श्रम आयुक्त-मुख्यालय व श्रम कल्याण अधिकारी :--**

श्रम आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों के स्थापना शाखा संबंधी कार्य, वेतन आहरण एवं वितरण, न्यायालय से प्राप्त अवार्ड का प्रकाशन, अधीनस्थ कार्यालयों का तथा श्रम कल्याण केन्द्रों का निरीक्षण। विभिन्न श्रम अधिनियमों में निम्न विवरणानुसार शक्तियां भी प्रदत्त है :--

1. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत-निरीक्षक सम्पूर्ण राजस्थान।

2. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1946-निरीक्षण सम्पूर्ण राजस्थान।

3. श्रम जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीरण उपलब्धन अधिनियम, 1955-निरीक्षक सम्पूर्ण राजस्थान।

4. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958-निरीक्षक सम्पूर्ण राजस्थान।

5. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत-समझौता अधिकारी, सम्पूर्ण राजस्थान।

सहायक श्रम आयुक्त (मुख्यालय) का औद्योगिक आवासन योजना से संबंधित कार्य राज्य सरकार के विरुद्ध याचिकाओं पर समुचित कार्यवाही (ई०एस० आई. व कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम) के अन्तर्गत संशोधन, अधिसूचनाओं का प्रकाशन तथा संयुक्त श्रम आयुक्त द्वारा जो भी कार्य अधिकृत करा जावे।

श्रम कल्याण अधिकारी, (मुख्यालय) कार्यालय पुस्तकालय का कार्य, अखिल राजस्थान श्रम कल्याण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, संयुक्त श्रम आयुक्त के कार्य में सहायता व कोर्ट केसों में प्रभारी अधिकारी का कार्य।

अधीनस्थ कार्यालय जहां सयुक्त श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त एवं सहायक श्रम आयुक्त अपने-अपने कार्यालय/क्षेत्र में नियुक्त है को विभिन्न श्रम अधिनियमों में निम्न अधिकारी व शक्तियां प्रदत्त की गई है :--

1. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन-आयुक्त।

2. बोनस संदाय अधिनियम, 1965-निरीक्षक (अपने अपने अधिसूचित क्षेत्रों में)।

3. श्रम जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीरण उपलब्धन अधिनियम,

Page No 33

(33)

(श्रम मंत्री)

1955–निरीक्षक (अपने–2 अधिसूचित क्षेत्रों में) ।

4. राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिनियम, 1959–विहित प्राधिकारी ।

5. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनितम–1980–निरीक्षक (अपने 2 अधिसूचित क्षेत्रों में)

6. ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970–अनुज्ञापन प्राधिकारी (अपने–2 अधिसूचित क्षेत्रों में) ।

7. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 समझौता अधिकारी (अपने–2 अधिसूचित क्षेत्रों में) ।

8. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948-प्राधिकारी (निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम देने । ओवर टाइम के कार्य का भुगतान। साप्ताहिक अवकाश का मुआवज़ा न देने सम्बन्धी मामलों की सुनवाई व निर्णय हेतु) ।

9. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1926–प्राधिकारी (वेतन में कटौती तथा देर से हुये भुगतान संबंधी मामलों की सुनवाई व निर्णय हेतु) ।

10. अन्तर्राज्यिक प्रवासी अधिनियम, 1979–निर्णय हेतु, रजिस्टरी कर्ता विहित प्राधिकारी एवं अनुज्ञापत्र अधिकारी ।

11. अतिरिक्त पंजीयक भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत संयुक्त श्रम आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त ।

कर्मचारी वर्ग में प्रथम वर्ग कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक एवं कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के अवसर हैं तथा अधिकारी वर्ग में श्रम निरीक्षक से श्रम कल्याण अधिकारी, श्रम कल्याण अधिकारी से सहायक श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त से उप श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त से संयुक्त श्रम आयुक्त के पद पर पदोन्नति के अवसर हैं ।

घाटे में चल रहा राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन जयपुर

218. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, जयपुर गत कुछ वर्षों से नुकसान में चल रहा है ? यदि हां, तो अगस्त, 82 तक कुल कितनी हानि हुई तथा उसका क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्पोरेशन अन्य विभागों को मशीनें किराये पर देता है ? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में उससे कितना किराया प्राप्त हुआ ? गत तीन वर्षों में उपरोक्त मशीनों की मरम्मत व कर्मचारियों के वेतन पर कितनी

(श्री हंसराज शर्मा)

राशि खर्च की गई ? वर्ष वार विवरण प्रस्तुत करें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग के पास जीप तथा एम्बेसेडर गाड़ियां भी हैं ? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में उसकी मरम्मत पैट्रोल पर कितनी राशि खर्च की गई ? वर्षवार सूची रखें।

(4) क्या यह सही है कि कार्पोरेशन के अध्यक्ष के पास भी गाड़ी है ? यदि हां, तो किस किस नम्बर की गाड़ियां हैं ? गत एक वर्ष में इस गाड़ी पर पैट्रोल व मरम्मत आदि पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1980-81 तक निगम में कुल संचित हानि 84.45 लाख रुपये हुई तथा वर्ष 1981-82 के लेखों का अंकेक्षण अभी होना बाकी है। उक्त वर्ष के बजट के अनुसार 42.27 लाख रुपये का घाटा अनुमानित है। इस तरह से वर्ष 1981-82 के अन्तर्गत संचित हानि लगभग 126.72 लाख रुपये तक होने की सम्भावना है। हानि के मुख्य कारण निम्न हैं :—

1. मशीनों को पूरा कार्य न मिलना,
2. कृषि यंत्रालय की कार्यक्षमता के अनुरूप काम न मिलने के कारण हानि,
3. राजकीय कृषि फार्मों से हानि,
4. कम्पोस्ट खाद के कारखाने से हानि,
5. वेतन व भत्तों में महंगाई इत्यादि बढ़ने के फलस्वरूप वृद्धि।
6. ब्याज के रूप में वित्तीय भार में वृद्धि।

(2) जी हां। गत तीन वर्षों में मशीनों से कुल निम्न प्रकार से किराया प्राप्त हुआ :—

वर्ष	राशि (लाखों में)
1979-80	165.87
1980-81	158.27
1981-82	131.07

गत तीन वर्षों में मशीनों पर कार्यरत स्टाफ की मजदूरी एवं मरम्मत, स्टोरेज व ऑयल लुब्रिकेन्ट्स का खर्चा निम्न प्रकार से है :—

1976-80	88.56
1980-81	98.93
1981-82	80.82

(3) जी हां। निगम के पास 5 एम्बेसेडर कारें तथा 17 जीपें हैं जिस पर मरम्मत, पैट्रोल/डीजल पर गत तीन वर्षों में खर्चा हुआ, वह निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	वर्ष	खर्चा (लाखों में)
1.	1979-80	4.26
2.	1980-81	6.15
3.	1981-82	5.26

(अभी अंकेक्षण होना बाकी है)

(4) जी हां। निगम के अध्यक्ष, के पास गत एक वर्ष 1981-82 में समय-समय पर रही गाड़ियों का नम्बर एवं खर्चे का विवरण निम्न प्रकार है :—

(कृषि मन्त्री)

क्र. सं	वाहन नं.	कुल खर्चा
1.	आर. आर. जी. 1921 (कार)	7,485.27 रुपये
2.	आर. आर. बी. 5456 (कार)	35,428.09 रुपये
3.	आर. आर. बी. 239 (जीप डीजल)	14,089.86 रुपये
		59,004.22 रुपये

कीटनाशक औषधियों को प्रयोगशाला द्वारा निरस्त घोषित करना

219. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कीट नाशक औषधियों को प्रयोगशाला द्वारा निम्न स्तर (सब स्टेण्डर्ड) की घोषित किये जाने पर चालान करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है ? यदि हां, तो किस अधिकारी से ?

(2) क्या गत विधान सभा सत्र में मंत्री महोदय ने चालान के लिए अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था जिला स्तर पर ही करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था कर दी गई है ?

उत्तर

(1) हां। राज्य सरकार ने निम्न स्तर (सबस्टेण्डर्ड) की कीटनाशक-औषधियों के प्रति न्यायालय में दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध इन्सेक्टिसाइड इन्सपेक्टरों को चालान करने के लिए अनुमति प्रदान करने की शक्तियां विभाग के उप निदेशक (पौध संरक्षण), राजस्थान, जयपुर को प्रदान की गई हैं।

(2) जिला स्तर पर चालान के लिए अनुमति की व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है।

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलना

220. **श्री भेरूलाल** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति गिर्वा की पंचायत कामां, बारापाल, टीडी, जावर, पडूना, सरू, पई, उन्हरी, चनावदा एवं पंचायत समिति सरहडा की पंचायत पाडला और सिंगटवाड़ा क्षेत्रों में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इन आदिवासी क्षेत्रीय पंचायतों के निवासियों के पशुओं की चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सालय खुलवाने की कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और कहां पशु चिकित्सालय खोल दिये जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि टीडी पंचायत क्षेत्र उक्त सभी पंचायत क्षेत्रों के बीच में स्थित है ?

उत्तर

(1) जी हां। क्योंकि ये पंचायतें बहुत छोटी हैं तथा इनकी जनसंख्या कम है।

(पशुपालन मन्त्री)

(2) इन आदिवासी क्षेत्रीय पंचायतों के लिए वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने में सम्भव नहीं है।

(3) जी, हां।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को लाभांवित करना

221. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्य कृषि (विशिष्ट योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1981-82 में जयपुर जिले में गरीबी की रेखा से नीचे के चयनित कितने परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य था और कितनों को लाभान्वित किया गया? इनमें से लघु कृषक, सीमान्त कृषक तथा गरीबी की रेखा से नीचे की श्रेणी के चयनित परिवार पृथक-पृथक कितने थे? कृपया पंचायत समिति व श्रेणीवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार को विदित है कि जयपुर जिले में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने परिवार हैं? यदि हां, तो कृपया वर्ष 1981-82 में लाभान्वित होने से वंचित रहे ऐसे परिवारों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम व ग्राम तथा पंचायत समिति का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में गरीबी के रेखा नीचे चयनित 10,250 परिवारों को लाभांवित करने का लक्ष्य था। लाभांवित किये गये परिवारों का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(2) गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, परन्तु मई, जून, 1981 में ग्राम सभाओं का आयोजन कर वर्ष 1981-82 से 1983-84 में लाभांवित करने वाले गरीब परिवारों का चयन किया गया। उनकी कुल संख्या 28805 थी जिनका वर्षवार व पंचायत समितिवार विवरण संलग्न है।

वर्ष 1981-82 में 11524 चयनित परिवारों में से 7074 परिवारों को ही लाभांवित किया जा सका। बाकी के अलाभांवित परिवारों की परिवार वार, ग्रामवार व पंचायतवार सूची बनाने में समय लगेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के आगार

222. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी**(जैसलमेर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में राजस्थान पथ परिवहन निगम के कितने आगार स्थापित हैं? कृपया जिला व वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) निगम के आगार स्थापित करने के क्या माप दण्ड हैं?

Page No 37

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

(3) राज्य में ऐसे कितने जिले हैं, जहां पर निगम के आगार नहीं हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार शेष जिलों में आगार स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में परिवहन निगम के 34 आगार स्थापित हैं। आगार एवं जिलावार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) कम से कम 30 वाहनों का संचालन जिस स्थान से प्रारम्भ होता है वहां पर आगार स्थापित किये जाने का माप दण्ड है।

(3) राज्य में केवल दो ही जिलों में निगम के आगार स्थापित नहीं हैं वह निम्न हैं:—

1– पाली

2– जैसलमेर।

(4) वर्तमान में उपरोक्त दो जिलों में आगार स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

आवासन मण्डल द्वारा बनाये गये भवन

223. **श्री हरि सिंह (कुम्हेर)** : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में आवासन मण्डल ने वर्ष 77 से वर्ष 81 की समाप्ति तक किस किस नगर में कितने कितने मकान किस किस श्रेणी के बनाये हैं, और उन पर क्या लागत आई है ?

(2) राजस्थान आवासन मण्डल किसी भी नगर में मकान बनाने की योजना किस आधार पर प्रारम्भ करता है ?

उत्तर

(1) वर्ष 77 से 81 तक मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का उनके माप के अनुसार नगरवार विवरण परिशिष्ट "क" पर तथा उनकी लागत परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(2) आवासन मण्डल द्वारा उस क्षेत्र विशेष, जहां मकान बनाने की मांग है, की आवास संबंधी स्थिति का अनुसंधान करवाता है तथा आवश्यक होने की स्थिति में पंजीकरण योजना प्रारम्भ की जाती है। उस स्थान विशेष पर कम से कम 200 आवेदकों द्वारा पंजीकरण कराने पर ही मकान बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

रामगंजमण्डी जयपुर बस सेवा

224. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मंडी से जयपुर प्रातः 5 बजे राज्य पथ परिवहन

(श्री हरीश शर्मा)
की बस सेवा संचालित थी ?

(2) क्या इस बस का संचालन निगम ने बन्द कर दिया ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(3) क्या सरकार जनहित में इस बस सेवा का पुन: संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह बस सेवा रामगंज मण्डी से प्रात: 5-30 बजे जयपुर के लिये संचालित थी ।

(2) जी हां, माह अप्रेल, 80 में इस बस सेवा का संचालन बन्द कर दिया गया क्योंकि इस समय पर उक्त सेवा को रामगंज मण्डी से जयपुर के लिए पर्याप्त यात्री भार न मिलने के कारण इसका संचालन अनार्थिक था ।

(3) यह पर्याप्त यात्री-भार की उपलब्धि पर निर्भर है ।

प्रवर्तन निरीक्षक मारवाड़ जंक्शन के विरुद्ध शिकायतें

225, **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या खाद्य एवं रसद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील मारवाड़ जंक्शन के प्रवर्तन निरीक्षक के विरुद्ध जिलाधीश, पाली, खाद्य राज्य मंत्री व मुख्य मन्त्री जी को शिकायतें भेजी गई हैं ?

(2) यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच किसके द्वारा की जा रही है व अब तक की जांच से क्या परिणाम निकला ?

(3) क्या यह सही है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पीयरलेस एजेन्सी का भी काम किया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि खाद्य विभाग के कतिपय अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षक को संरक्षण दे रहे हैं ? यदि हां, तो कौन ?

उत्तर

(1) जी हां । तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक, मारवाड़ जंक्शन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(2) अतिरिक्त जिलाधीश, पाली द्वारा जांच की जा रही है । जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है । अत: जांच पूर्ण होने पर ही परिणाम की जानकारी हो सकेगी ।

(3) जांच के परिणाम प्राप्त होने पर ही इस सम्बन्ध में सही स्थिति ज्ञात हो सकेगी ।

(4) जी नहीं ।

तहसील बस्सी व चाकसू के ग्रामों में नियमित चीनी का वितरण नहीं होना

226. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 39

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की तहसील बस्सी व चाकसू में कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां नियमित चीनी वितरण नहीं होती ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई पंचायतें ऐसी हैं जहां से 6 महीने की चीनी एक साथ वितरण की गयी है ? यदि हां, तो ऐसी पंचायतें कौन कौन सी हैं तथा इतने महीनों की चीनी एक साथ वितरण करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) बस्सी तहसील की ग्राम पंचायत कुथेला एवं रामरतनपुरा को छोड़कर तहसील बस्सी एवं चाकसू में सभी जगह जून, 1982 तक की चीनी का वितरण हो चुका है। ग्राम पंचायत कुथेला एवं रामरतनपुरा के डीलर्स द्वारा अचानक त्याग पत्र देने के कारण अक्टूबर, 81 तक की चीनी जिसका दिसम्बर, 81 में हुआ उसके पश्चात् चीनी का वितरण नहीं हो सका। अब दिनांक 11.9.82 से उक्त दोनों ग्राम पंचायतों की चीनी का वितरण प्रारम्भ करवा दिया गया है।

(2) ग्राम पंचायत कुथेला एवं रामरतनपुरा के अतिरिक्त किसी भी पंचायत में छः माह की चीनी एक साथ वितरित नहीं की गई है।

जयपुर नगर की गृह निर्माण सहकारी समितियां

227. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या सहकारिता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर की किस किस गृह निर्माण सहकारी समिति का कब कब पंजीयन हुआ है? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) इन समितियों में किस किस समिति का निर्धारित अवधि में चुनाव हुआ है और किस किस का नहीं और क्यों ?

(3) इन समितियों में किस किस समिति के हिसाब का निर्धारित समय में आडिट हुआ है और किस किस का नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त गृह निर्माण सहकारी समितियां अधिनियम, नियम एवं उप-नियमों का निरन्तर उल्लंघन कर रही हैं ? यदि हां तो इन समितियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन हुआ है की तालिका परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिन समितियों का निर्धारित अवधि में चुनाव हुआ है, सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। चुनावों पर समय समय पर राज्य सरकार द्वारा स्टे किये जाने के कारण निर्धारित अवधि में चुनाव नहीं हो सके।

(3) सूची के अनुसार वर्ष 80-81 तक का आडिट सम्पन्न हो गया है। जिन समितियों का आडिट वर्ष 80-81 का नहीं हुआ है उनकी सूची संलग्न है।

(4) जिन समितियों ने अधिनियम, नियम व उपनियम के अन्तर्गत अनियमित-

(सहकारिता मंत्री)
तायें की है व उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें।

सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, उदयपुर द्वारा ऋण की वसूली

228. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, उदयपुर ने ऋण वसूली हेतु प्राइवेट जीपें किराये पर ले रखी हैं? यदि हां, तो वर्ष 1981-82 से अगस्त, 1982 तक बैंक ने ऋण वसूली हेतु कितनी राशि व्यय की तथा कितनी राशि की वसूली हुई ?

उत्तर

(1) जी हां, सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., उदयपुर ने ऋण वसूली हेतु प्राइवेट जीपें जुलाई, 81 से अगस्त, 82 तक किराये पर ली थीं। इन जीपों पर किराये के रूप में 71,359·56 का तथा डीजल, पैट्रोल आदि पर 40,529·94 का व्यय हुआ। इस अवधि में कुल नकद वसूली 158·36 लाख व कन्वर्शन से 70·60 लाख कुल रु. 228·96 की वसूली की गई।

राजस्थान राज्य सहकारी संघ कर्मचारी यूनियन द्वारा सरकार को ज्ञापन

229. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या सहकारिता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य सहकारी संघ कर्मचारी यूनियन की ओर से राज्य सरकार को सेवा नियम व ग्रेच्युटी सुविधा प्रदान करने की मांग को लेकर कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कृपया ज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार सहकारी कर्मचारियों को सेवा नियम व ग्रेच्युटी सुविधा प्रदान करने हेतु विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ज्ञापन अध्यक्ष सहकारी संघ को सम्बोधित करके प्रति राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को दी थी जिसकी प्रति सलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमि. जयपुर के कर्मचारियों के सेवा नियम विभाग द्वारा अनुमोदित कर दिये गये हैं जिससे संघ के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की सुविधा उपलब्ध हो गई है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

1981-82 व 1982 तक स्वीकृत सड़कों का निर्माण

230. **श्री समर्थ लाल** (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री समर्थ लाल)

(1) राजस्थान में सन् 1981-82 व अगस्त, 1982 तक स्वीकृत सड़कों पर अब किन-किन क्षेत्रों में काम चल रहा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कें निर्धारित राशि व निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो पायेंगी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में अगस्त, 82 तक के राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सड़क कार्यो (अकाल राहत कार्यों को छोड़कर) को कराए जाने हेतु जिन कार्यों पर वर्ष 82–83 में राशि आवंटित की गई है, की सूची (प्रपत्र–क) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त सड़कों पर आवंटित राशि के अनुसार ही कार्य निर्धारित समय में कराया जायेगा और सड़कें पूर्ण किया जाना प्रशासनिक स्वीकृति तथा आंवटित राशि पर निर्भर करेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति

231. **श्री समर्थ लाल** (राजगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ऐसे कितने विद्यालय व छात्र राजस्थान में हैं जिनको सत्र 1981–82 में मिलने वाली छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई ?

(2) छात्रवृत्ति न मिलने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान के विद्यालय स्तर के छात्रों की 17 जिलों की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे यह सूचित होता है कि 20,271 अनुसूचित जाति एवं 10,944 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कर्मचारियों की हड़ताल के कारण वर्ष 1981–82 में छात्र-वृत्ति नहीं मिल पाई। विद्यालयों की संख्या की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह छात्रवृत्ति (पूर्व मैट्रिक) जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से स्वीकृत की जाती है।

(2) महाविद्यालयों के स्तर की सूचना 17 जिलाधिकारियों एवं 21 महाविद्यालयों से प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार 23 महाविद्यालयों के 340 अनुसूचित जाति के तथा 157 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वर्ष 1981–82 में छात्रवृत्ति नहीं मिली, जिनमें से कुछ छात्र नियमानुसार छात्रवृत्ति पाने योग्य नहीं थे तथा कुछ छात्रों को कर्मचारियों की हड़ताल के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई।

समाज कल्याण छात्रावास भवन केशवरायपाटन की मरम्मत

232. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण छात्रावास भवन केशवरायपाटन, जिला बूंदी की मरम्मत हेतु विभाग द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बूंदी ने इस राशि में से अब तक कितनी छात्रवास की मरम्मत पर खर्च की है शेष राशि कितनी है और कब तक खर्च की जावेगी ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण छात्रवास भवन, केशवरायपाटन द्वारा वर्ष 1976–77 में 10,000 की राशि तथा वर्ष 81–82 में 5,000 रुपये की राशि मरम्मत हेतु स्वीकृत की गई थी।

(2) अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बूंदी ने वर्ष 76–77 में आवंटित 10,000 की राशि के विरुद्ध 7,607.87 पैसे एवं वर्ष 81–82 में आवंटित 5,000 की राशि के विरुद्ध 13,824.41 पैसे का व्यय बताया है। इस प्रकार अब कोई राशि शेष नहीं रही है।

झालवाड़ जिले में जंगल में मंगल कार्यक्रम के तहत लगाये गये पेड़

233. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जंगल में मंगल कार्यक्रम के अन्दर जिला झालावाड़ में कितने पेड़ किस किस किस्म के कहां कहां लगाये गये ? उनमें से कितने पेड़ लगे और कितने समाप्त हो चुके हैं ? जिले में इस कार्यक्रम हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) उक्त कार्य के लिये कितने मजदूरों को काम पर लगाया ग तथा उनको दैनिक मजदूरी किस दर से दी गई ?

उत्तर

(1) जंगल में मंगल कार्यक्रम के तहत जिला झालावाड़ में वन विभाग द्वारा वर्ष 1981–82 एवं 1982–83 (31-8-82 तक) में 2,81,938 पौवे उगाये गये तथा 7,35,168 रु. की राशि आवंटित की गई। वर्ष 1981–82 में उगाये पौधे में से लगभग 60 प्रतिशत पौधे जीवित हैं तथा 1982–83 में उगाये गये पौधों का आंकलन अप्रेल, 1983 में करवाया जावेगा। उगाये गये पौधों में मुख्यत: शीशम, घुरेल, करंज, यूकेलिप्टस, खैर, कूमट, नीम, धौक आदि के पौधे लगाये गये हैं। प्रमुख कार्य स्थलों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त कार्य के लिए वर्ष 1981–82 में 52,893 कार्य दिवस श्रमिकां को लगाया गया जिन्हें 7/– रु० प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया तथा वर्ष 1982–83 में 32,335 कार्य दिवस श्रमिकों को लगाया गया जिन्हें 9/– रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(श्री अध्यक्ष)

कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य गण ।

(1) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा डी. ए. वी. कॉलेज, अजमेर का छात्रावास बन्द करने के कारण उस छात्रावास को नई बस्ती रामगंज में बनाने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के विषय मे,

(2) श्री बालचन्द्र आर्यवीर सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में गोचर भूमि पर अवैध कब्जे के विषय में,

(3) श्री महावीर प्रसाद, सदस्य विधान सभा की ओर से चान्दसिंहपुरा थाना दूनी, जिला टोंक के निवासी श्री जगदीश पुत्र कल्याण जाति रेगर की गत 3 सितम्बर को मारपीट के कारण अस्पताल में मृत्यु हो जाने के पश्चात् पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने के विषय में,

(4) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वन की चौकियों को तोड़ने व वन क्षेत्र की अवैध कटाई के विषय में ।

(5) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के पहाड़गंज सूरजपोल यूनानी दवाखाना में पिछले एक माह से दूषित पेयजल उपलब्ध होने के विषय में,

(6) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निकाले गये परीक्षा परिणामों में भारी गड़बड़ी व धांधली होने के विषय में,

(7) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर में पिछले एक सप्ताह से पानी का वितरण ठीक न होने के विषय में,

(8) श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के परिसर में मेडिकल रिसर्च यूनिट का निर्माण कार्य अकस्मात् बन्द हो जाने के विषय में,

(9) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 7 सितम्बर को बीकानेर गंगानगर रेल में बिना टिकट के यात्रियों की चैकिंग करते समय पुलिस कर्मचारियों द्वारा जी. आर. पी. के सिपाहियों व रेलवे टिकट कलेक्टर को चोट पहुंचाने के विषय में,

(10) श्री वंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल व अन्य खण्डों में अतिक्रमण कर इमारती पत्थर व पट्टियां निकाले जाने के विषय में,

(11) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 10 सितम्बर को सीटू के कर्मचारियों द्वारा जे. के. फैक्ट्री में भारतीय मजदूर संघ के शरणार्थियों की पिटाई करने के विषय में,

(12) श्री चुन्नीलाल व श्री लच्छूराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के पुलिस थाना नोखा के ग्राम सींथासर में 30 व्यक्तियों द्वारा घातक हथियारों से एक किसान के परिवार पर अपराधिक हमला करने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(13) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से लीबिया की एक कम्पनी में एक संविदा के आधार पर राजस्थान के कुछ नागरिकों के लीबिया जाने पर कम्पनी द्वारा करार तोड़ देने के कारण उन मजदूरों की गिरफ्तारी तथा जीवन संकटमय होने के विषय में,

(14) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से अजमेर नगर में बीड़ी निर्माण में लगे 25-30 हजार नियमित व होम वर्कर श्रमिकों के शोषण के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अत: मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :—

(1) श्री दाऊदयाल जोशी—बूंदी जिले में गत एक वर्ष से चोरियों का तांता लगा है। यह प्रस्ताव अस्पष्ट है और इसमें किसी एक घटना का उल्लेख नहीं है।

(2) श्री हीरालाल आर्य—कोटा जिले की नायब तहसील ने इन्द्रगढ़ में बने इन्द्रयाणी बांध के टूट जाने के कारण हुई क्षति। इस प्रश्न पर गत सत्र में चर्चा हो चुकी है।

(3) श्री हंसराज शर्मा—सवाई माधोपुर नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की कमी। यह प्रस्ताव राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

(4) श्री रामकिशोर मीणा—दौसा क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक, श्री अजयसिंह डाबरिया द्वारा गम्भीर अनियमितताएं एवं गबन आदि करना। यह एक व्यक्तिगत मामला है और माननीय सदस्य इस विषय में मुझसे चेम्बर में बात करें।

(5) श्री महाराम चौधरी—ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति न होने। यह प्रस्ताव अस्पष्ट है और स्थगन का विषय नहीं है।

(6) श्री छीतरलाल आर्य—अटरू विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की कमी। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

(7) श्रीमती उजला अरोड़ा—जनवरी, 1982 में कारावास मन्त्री के घर पर लगे हुए प्रहरी के गायब हो जाने के विषय में। इस प्रश्न पर पूर्व सत्र में चर्चा की जा चुकी है।

अब मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूं वे माननीय सदस्य अपने स्थगन प्रस्तावों के बारे में दो दो मिनट में अपनी बात कहने का कष्ट करें। श्री हीरालाल आर्य।

(व्यवधान)

चोरियां तो बहुत होती रहती हैं कौन सी चोरी, कब ?

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : पहले देख लेते हैं, जिन माननीय सदस्यों के स्थगय प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये हैं बाकी माननीय सदस्यों को अगर शिकायत होगी तो एक एक करके सब माननीय सदस्यों को अवसर देंगे। एक साथ सब माननीय सदस्य खड़े होंगे तो समय जायेगा।

मैं सबको अवसर दे दूंगा।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है।

आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस सदन का पूरा दिन बेकार जाता है। राजस्थान की जनता के सामने क्या विचार किया जाये। आये दिन इस सदन में स्थगन प्रस्ताव भेजे जाते हैं। कोई भी विधेयक पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। हमने देखा है इस बात को, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय, आपको....

(व्यवधान)

बहुत अच्छा रहे।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव बहुत मूल्यवान सुझाव है।

ऑर्डर प्लीज।

श्री चतुर्भज : इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं....

श्री अध्यक्ष : इसका मैं सदैव ध्यान रखता हूं, आज भी ध्यान रखूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी।

(व्यवधान)

मैं बाद में आपको अवसर दूंगा। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

सभी माननीय सदस्य खड़े हो जायेंगे, तो....

श्री देवीसिह भाटी (कोलायत) : पॉइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न दिया गया उससे सम्बन्धित जो पूर्व में अध्यक्षीय व्यवस्था दी गई है उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आसन ने जो व्यवस्था दे दी उस पर तो पॉइन्ट आफ आर्डर हो ही नहीं सकता।

श्री देवीसिह भाटी : पूर्व में जो व्यवस्था दी थी उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पूर्व में यदि कोई व्यवस्था दी थी तो उस पर भी पुनर्विचार नहीं हो सकता जब तक कि कोई ऐसी परिस्थितियां न हो जायं सदन के समक्ष।

श्री देवीसिह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था दी गई है, उस पर कोई पुनर्विचार का सवाल नहीं है लेकिन आइन्दा इस बात को ध्यान में रखा जाय, उसके बारे में मैं आपका ध्यान....

Page No 46

(46)

श्री अध्यक्ष : किताबें पढ़ने की इजाजत नहीं होती। आप बता दीजिये आपको शिकायत क्या है।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, चार लाइन हैं—पेज संख्या 47 बिन्दु 25 पर है :—

I will not allow the Hon'ble members to discuss things amongst themselves.

श्री अध्यक्ष : मैं समझा नहीं :

श्री देवीसिंह भाटी : If a particular reply is given a particular member or one who is conversant with the constituency or with the particular spot, he has every right to challenge the validity of that statement.'

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा आपसे बार बार निवेदन यह है कि....

श्री अध्यक्ष : कृपया आप इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें अंग्रेजी समझना मेरे लिये कुछ मुश्किल है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि अगर कोई ऐसा प्रश्न हो, जो उस माननीय सदस्य के निर्वाचित क्षेत्र से सम्बन्धित हो और उसके बारे में वह कोई विशेष जानकारी रखता हो, तो उसको सप्लीमेन्ट्री की इजाजत दी जानी चाहिये, इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा था कि राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : ऐसे प्रश्नों पर मैं ध्यान रखता हूं, लेकिन इस प्रश्न को मैं पूछने की इजाजत नहीं दूंगा। यदि आपको शिकायत है तो आप मुझसे मिल लें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा अन्याय हुआ है मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर जो शरणार्थी बसाये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस प्रकार से चर्चा नहीं उठाई जा सकती। यदि आपको शिकायत हो, तो अन्य किसी तरीके से उठायें या आप मेरे से मिल लें। उस विषय पर दुबारा चर्चा उठाना ठीक नहीं होगा कि यह आपका अधिकार है पूरक प्रश्न पूछने का। मैंने इजाजत नहीं दी है। आर्डर प्लीज। मैं यथासंभव ध्यान रखता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : जिस माननीय सदस्य को जिस विषय में रुचि है, उनको विशेष जानकारी हो, उनके क्षेत्र का वह मामला हो, उस पर मैं सदैव ध्यान रखता हूं। यह भी आप जानते हैं कि सभी प्रश्नों को एक साथ सदन में प्रस्तुत करने की मैं इजाजत भी नहीं दे सकता। इसलिये आपने जो अध्यक्षीय व्यवस्था बताई वह ठीक है लेकिन उस पर चूंकि मैंने अनुमति नहीं दी, प्रश्न अब नहीं उठाया जा सकता। आपकी कोई शिकायत रह गई हो, तो मैं सुनूंगा शांति से और शिकायत नहीं रहे ऐसी मेरी यथा संभव कोशिश होगी। श्री चतुर्वेदी।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष) –

आर्डर प्लीज । ज्यादा समय ख़राब न हो । ध्यान रखें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य का एडजोर्नमेन्ट मोशन जो आपने रिजेक्ट किया है, उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उसको रिजेक्ट करने का यह कारण दिया गया कि उसकी चर्चा पिछले सत्र में हो चुकी है । अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में कमिटमेन्ट था माननीय मंत्री महोदय का कि इसकी रिपोर्ट 3 मास में कर ली जायेगी, इसकी इन्क्वायरी कर ली जायेगी । आज 13 महीने हो गये उसका नतीजा यह है । इसलिये मैं चाहता हूं कि पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री अध्यक्ष : किस तरह का प्रश्न है, मुझे बतायें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोटा जिले की नायब तहसील के इन्द्रगढ़ में बने इन्द्रयाणी बांध के टूट जाने के कारण हुई क्षति ।

श्री अध्यक्ष : इस पर पुनर्विचार कर लूंगा या उस पर जानकारी ले लूंगा ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह आप कर लें ताकि तथ्य स्पष्ट आ जायं ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं पाइन्ट आफ आर्डर, पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन की इजाजत नहीं दूंगा, पहले जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारु....

श्री नाथूसिंह : आधा मिनट में पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : प्रिविलेज का प्रश्न है इतनी देर में तो प्रश्न पूरा हो जाता, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आधे मिनट और इतनी देर का सवाल नहीं है । पहले, श्री दाऊ दयाल जोशी ।

(व्यवधान)

आप बैठ जायं, आपका प्रश्न हो चुका है । यह प्रश्न नहीं उठाने दूंगा, मैंने कहा है कि जानकारी मंगा लूंगा अतः प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । समय न लें, माननीय सदस्य, कृपया कार्य में बाधा न डालें ।

(व्यवधान)

मैं पहले श्री दाऊदयाल जोशी का नाम पुकारता हूं....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी कि आपने व्यवस्था दी कि यह प्रस्ताव अस्पष्ट है और इसमें किसी एक घटना का उल्लेख नहीं है, चोरियां नहीं बतलाई गई, मेरा निवेदन करना यह है कि यहां सदन में....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में आप गांवों के नाम जिनमें चोरियां हुईं, कितनी हुईं और कितन डकेतियां हुईं, यह बता दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साल में 269 चोरियां हुईं, 269 चोरियों में से 67 चोरियां कोतवाली के क्षेत्र में बून्दी नगर में हुईं। यह एक चिन्ता का विषय है। मेरा कहना यह है कि बून्दी क्षेत्र में, जहां से कोटा-बून्दी-झालावाड़ के रिप्रजेन्टेटिव माननीय विधि मंत्री जी विराजमान हैं वहां लगातार चोरियों का तांता लगा हुआ है और चोर पकड़े नहीं जाते हैं, चोरों को संरक्षण दिया जाता है। 269 चोरियां हुईं, 3 डकेतियां हुईं। 3 डकेतियों में से 2 डकेतियां गांव बड़गांव में हुईं, चोरी का माल पकड़ा गया, 12 मुल्जिम थे। 12 में से 6 मुल्जिम पकड़े गये और आज की तारीख तक बाकी मुल्जिम नहीं पकड़े गये, 12 महीने के उपरान्त भी उन 6 मुल्जिमों में से 3 मुल्जिम कांग्रेस आई के नेताओं के....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस तरह के विषय विवादास्पद विषय हैं मैं इस तरह के विषय उठाने की इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि....

श्री अध्यक्ष : आप अपने क्षेत्र की घटना का स्पष्ट वर्णन करें कि इतनी चोरियां हुईं, इतनी डकेतियां हुईं। आप व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं। मैं इस प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : 35 किलो चांदी एक मैटाडोर से....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, इस तरह का प्रश्न पहले आ चुका है। मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं दे सकता। ऑर्डर प्लीज, अंकित न हो....

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। व्यर्थ में समय खराब कर रहे हैं यह नहीं बता रहे हैं कि इतनी चोरियां हो रही हैं। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। स्थगन प्रस्ताव किन परिस्थितियों में उठाया जा सकता है कृपया उसको पढ़ने का कष्ट करें।

श्री दाऊदयाल जोशी, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

मैं आपको इजाजत दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे से नाराजगी है क्या?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आपने जो प्रस्ताव दिया है उस पर मैं जानकारी ले रहा हूं। यह प्रकरण यहीं समाप्त हुआ। श्री हंसराज शर्मा।

(व्यवधान)

× × × माननीय अध्दक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर नगर में वहां के मूल निवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसका कारण यह है कि सवाई माधोपुर में जो सीमेंट फैक्ट्री बनी, उस समय सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर ने नगर पालिका क्षेत्र की जनता को 9 लाख गैलन पानी प्रतिदिन देने का वायदा किया था, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि वहां आज डेढ़ लाख गैलन पानी वितरित किया जा रहा है, जो बहुत कम पड़ता है। इसके अलावा वह स्वयं कारखाने में पर्याप्त पानी लेते हैं। पहले अपने यहां पूरा पानी लेते हैं और यदि शेष पानी उनके पास बचता है तो वह नगर की जनता को देते हैं। दूसरी ओर जो पानी कम पड़ रहा है उसके लिए विभाग द्वारा मौखिक रूप से कुछ कुओं पर पम्प लगाकर के सीधे पानी की सप्लाई की जाती है। पानी पहले फिल्टर होता था क्योंकि इस क्षेत्र का पानी खारा है, इसलिए उसको बिना फिल्टर किये देने से इस क्षेत्र में सारी बीमारियां होती हैं।

तीसरा, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, वहां सवाई माधोपुर की जनता को जो पानी मिल रहा है वह सवाई माधोपुर के बीच में होकर के गन्दा नदिया नाला आता है उस गन्दे नदिया नाले के पानी को सीमेंट फैक्ट्री उठाती थी, वहां की जनता के पीने के लिए....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, गन्दे पानी को पीने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। वहां के तमाम पुजारियों ने गन्दे पानी से ठाकुरजी को रगड़-रगड़ कर कम कर दिया, वहां की धार्मिक संस्थाओं में जिनको गन्दे नाले का पानी मिल रहा है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना बनाई गई है। माननीय मन्त्री महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया है और विभाग ने भी स्वीकार किया है कि वास्तव में यहां पानी की समस्या है और पर्याप्त मात्रा में उसको पानी सप्लाई करना है। गत वर्ष एक योजना बनाई गई थी विभाग द्वारा....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री हंसराज शर्मा : सर्वे भी करा लिया गया था और सम्बन्धित विभाग ने कार्य प्रक्रिया अपनाकर के योजना तैयार करके माननीय मन्त्री महोदय के यहां भिजवा दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह जो आपने योजना बनाई है उसको अविलम्ब प्रारम्भ किया जाय ताकि वहां की जनता को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर विकास की गति बिलकुल ही रुक गई है और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। इसके लिए तो 5-6 बड़ी-बड़ी योजनायें बनी हैं और कई आयोग वगैरह बैठे हैं। इस छोटे से दो मिनट के माध्यम से कैसे बतायेंगे ?

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन और दूसरी संस्थाओं वगैरह ने जितनी भी पंचवर्षीय योजनायें और जो भी कार्यवाही की है वह कागजों तक ही सीमित है। यह कागजों तक सीमित क्यों हैं और इसमें कहां कमियां आ रही हैं, यह तो बहुत लम्बा चौड़ा सब्जेक्ट है। मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया था, उस समय यह सोचा था कि यह स्वीकार करके थोड़ी बहुत चर्चा होगी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लाखों करोड़ों रुपये ग्रामीण जनता के विकास करने के नाम पर खर्च किये जा रहे हैं वह उनके पास पहुंच भी नहीं रहे हैं। जो भी कार्य चलाये जा रहे हैं उनमें व्यावहारिकता का नामोनिशान नहीं है। न तो ग्रामीण क्षेत्र वालों को योजना बनाने वाले समझ पाये हैं और न ग्रामीण क्षेत्रों में योजना बनाकर उसकी क्रियान्विति करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग पहुंचते हैं उनको गांव वाले समझ पाये हैं। तो जब ग्रामीण क्षेत्र वाले उनको नहीं समझ सके और योजना बनाने वाले और योजना की क्रियान्विति करने वाले आदमी आपस में एक दूसरे को नहीं समझते हैं तब तक इसकी व्यावहारिकता नहीं है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत यह विकास का कार्य चल रहा है उसके अन्दर जो समस्यायें हैं उनको और जटिल करने, एक योजना के अन्दर दूसरी योजना को चलाने, एक ही कार्य को चलाने के लिए अलग-अलग एजेन्सी होने से गांव वालों को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। गांवों के अन्दर इस तरह का वातावरण फैल गया है कि अब तो जैसे ही सरकारी अधिकारी विकास का नाम लेकर गांवों में पहुंचते हैं तो गांव वाले लुकना शुरू हो जाते हैं और सोचते हैं, ये क्या हौवा लेकर आये हैं, यह कहते हैं। वास्तव में, सही रूप में देखा जाय तो जो कर्मचारी इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए वहां जाते हैं उनकी भावना, उनकी व्यावहारिकता की तरफ अगर देखा जाय तो वह ग्रामीण लोग उनसे घृणा करते जा रहे हैं। ऐसे कार्यों के लिए जहां कहीं भी इस तरह की कमी महसूस करते हैं यदि उन कमियों की शिकायत सरकार के पास की जाती है तो शिकायतों की जांच करने के बाद, सब मालूम हो जाने के बाद भी उनके खिलाफ में कतई कोई कार्यवाही नहीं होती है। आज तक भी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, समाप्त तो है ही, विकास तो होगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : इसलिए फिर ऐसे समस्या पर ज्यादा बोलने से क्या फायदा ?

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन की बात तो निकाल दें।

श्री अध्यक्ष : बहुत से अन्य अवसर आते हैं उस वक्त निकालिये। आज निकल गई इतनी ही बहुत है।

श्री महाराम चौधरी : मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जो योजनायें हैं, उन योजनाओं को बीस सूत्री कार्यक्रम के साथ मिलाकर के लम्बी चौड़ी लिस्ट तो बना दी लेकिन गांवों के अन्दर तो आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि प्रशासनिक काम करने के लिए जनता को सक्षम बना करके उनके द्वारा कार्य करवाया जाय। गांवों के अन्दर आर्थिक व्यवस्था के लिए या आर्थिक सुधार करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मार्फत यह काम हो जाय। बाकी दूसरे यह नहीं कर सकते तो कम से कम एक प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के लिए तो सम्भव हो सकती है। इन तीन एजेन्सियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यावहारिकता लाई जाय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : तो गांव के अन्दर कुछ हो सकता है नहीं तो गांव वाले तो आज इस तरह से असमंजस में हैं कि उनके ऊपर भार पर भार बढ़ता जा रहा है। सभी कार्यों का सरकारीकरण हुआ....

श्री अध्यक्ष : इतने जीप लेकर आ जावें तो खाना खिलाना बड़ा मुश्किल होता है।

श्री महाराम चौधरी : यह बात भी व्यावहारिक है, आपको भी मालूम है इसलिए उनको लुकना पड़ता है, इतना आटा पिसा हुआ मिले नहीं। कह देते हैं शहर से निकलकर के खाना खाकर वापस चले जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : अपने कोई ज्ञान की जानकारी दिये बगैर। इसलिए इस प्रकार के अधिकारियों के ऊपर दोषारोपण है, उसके लिए वहां की संस्थाओं और....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : जन प्रतिनिधि कहें तो बाद में जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : छीतरलाल आर्य।

अटरू में पेयजल की कमी।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : जी हां, मेरा विधान सभा क्षेत्र अटरू तहसील हैडक्वार्टर है और यहां की आबादी दस-पन्द्रह हजार के करीब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यहां जो पेयजल का उच्च जलाशय बना हुआ है वह छोटा है और पर्याप्त नहीं है। उससे वहां सारे शहर को पानी पर्याप्त रूप से नहीं दे सकते हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उनसे निवेदन है कि अटरू नगर की पेयजल की समस्या दूर करने के लिए जो पहले से जलाशय, टंकी बनी हुई है उसको बड़ी करायें जिससे अटरू तहसील के निवासियों को पूर्ण रूप से जल की सुविधा

(श्री छीतरलाल आर्य)

पर्याप्त मात्रा में दी जा सके। इस सम्बन्ध में मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस सत्र अवधि में यह व्यवस्था कर दें तो वहां के नागरिकों के लिए उत्तम होगा। जिन गांवों में पानी की समस्या है वहां, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन ठेकेदारों को टेण्डर से हैण्ड पम्प लगाने के ठेके दिये गये हैं, तो उन लोगों को भी जहां ऐसा लगता है या उनको पानी नजदीक नजर आता है वहां हैण्ड पम्प लगाये हैं क्योंकि वहां ज्यादा प्राफिट है और जो समस्याग्रस्त गांव हैं उन गांवों में उन्होंने हैण्ड पम्प नहीं लगाये क्योंकि उनको वहां कम प्राफिट होता है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री महोदय को व्यक्तिगत सुझाव के तौर पर निवेदन है कि पंचवर्षीय योजना, जो पेयजल के लिए बनी है उसमें करीब पांच साल में ठेकेदार हैण्ड पम्प नहीं लगा पायेंगे जहां पर इस प्रकार की पानी की समस्या है। वह वहीं लगायेंगे जहां अत्यधिक प्राफिट होता है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में हैण्ड पम्प लगाये जायें, प्रथम प्राथमिकता के आधार पर हैण्ड पम्प लगाये जायें। उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो माननीय सदस्य यहां हैं, उनके सुझाव पर ही हैण्ड पम्प लगावें। लेकिन उन अधिकारियों से कहा तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जवाब देते हैं कि पांच साल की योजना है उसके अन्दर हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, उन गांवों में जो हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं वह पूरी जानकारी के अनुसार ही वहां पर लगाये जायें, यही मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : अब कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य कुछ कहना चाहेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, 7.9.82 को मैंने नियम 157 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा था, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव या प्रश्न आप रखने से पहले, कृपया मुझ से बाद में मिल लें, मैं व्यवस्था दूंगा। आप जानते हैं कि नियमों के अनुसार उनको इस तरह नहीं उठाया जा सकता है। आप थोड़ी देर बाद मुझ से मिल लें।

(व्यवधान)

श्री रामकंवार बैरवा : ....काम रोको प्रस्ताव दिया था ....

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था या नहीं दिया था, उसके बारे में आप मुझ से मिलें। मैं व्यवस्था करके वक्तव्य दिलाऊंगा, उसकी क्या स्टेज है, क्या नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था प्रहरी के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में मैंने व्यवस्था दे दी। वह पूर्व में आ चुका है। उसको स्थगन प्रस्ताव के माध्यम उठाने की मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और किस माध्यम से आप...

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, टौंक फाटक के सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष : मैंने जानकारी चाही है । यदि यह महत्वपूर्ण विषय है तो आप इस पर रोशनी डाल दें, दो मिनट का समय आपको दिया जाता है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रेलवे बोर्ड की ओर से एक बोर्ड लगा दिया गया है, उस पर लिखा है कि 15 तारीख को आज रात 12 बजे के बाद टौंक फाटक बन्द कर दिया जायेगा । इसलिए यह गम्भीर समस्या है । 80 हजार लोग टौंक फाटक के पार रहते हैं । कितनी कालोनियां हैं, उस पुल पर से हजारों लोग जाते हैं, सामान ले जाते हैं। अब उनको तीन मील का चक्कर काटकर जाना होगा, यह बहुत कठिन काम है लोगों का पैसा जाया होगा । पहले भी टौंक फाटक बन्द कर दिया गया था । यह नहीं पता कि क्यों बन्द कर दिया गया था लेकिन दो साल बन्द रहने के बाद वहां की जनता के बार–बार आह्वान के बाद बड़ी कठिनाई से दो साल पहले खोल दिया गया । मैं कहना चाहती हूं कि यह टौंक फाटक बन्द नहीं किया जा सकता इसकी व्ययस्था राज्य सरकार करे । जब चुनाव का समय आया, 1980 में, उस समय इस फाटक को खोल दिया गया था और राज्य सरकार की ओर से तीन व्यक्तियों की नियुक्ति उस फाटक पर कर दी गई थी । अब यह दलील दी जाती है कि इन तीन व्यक्तियों का खर्चा राज्य सरकार वहन नहीं कर सकती ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर मैंने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है, आपने ध्यानकर्षण कर दिया, मैं समझता हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बात और है । टौंक फाटक के पार श्मशान और कब्रिस्तान भी हैं, जहां बजाज नगर और गांधी नगर वाले शव का दाह संस्कार करने के लिये जाते हैं । अब शव दाह होना मानवीय स्थिति है, पुलिया पर से कैसे ले जा सकेंगे । इन दोनों बातों पर ध्यान दिया जाये । मेरा यही निवेदन है कि टौंक फाटक आज रात को बन्द नहीं होना चाहिये । वहां के नागरिकों ने इस बात के लिये कहा है कि अगर फाटक बन्द किया गया तो हम आन्दोलन करेंगे, इतना ही नहीं, आज रात को ट्रेन रोकेंगे । जन आन्दोलन न हो, मानव उत्तेजित न हों, इसलिये आवश्यक है कि फाटक खुला रहे । मेरा निवेदन है कि आप राज्य सरकार को बाध्य करें कि तीन आदमियों का खर्चा वह नहीं दे सकती तो हम किसी प्रकार की उनके लिये व्यवस्था करेंगे । लेकिन टौंक फाटक बन्द नहीं किया जाये । मैं आपकी भी राय जानना चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष : जो सदन की राय होती है, वही हमारी राय होती है । श्री शिवराम ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदयर, मैं मांग करती हूं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनका तो राज करने का विषय है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह आपका विषय नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । मैंने श्री शिवराम को अवसर दिया है ।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) अध्यक्ष महोदय, टोंक फाटक मेरे क्षेत्र में आता है, पुलिया बन जाने के बाद....

श्री अध्यक्ष : लेकिन इसका उपयोग तो दूसरे क्षेत्र वाले भी कर रहे होंगे।

श्री शिवराम शर्मा : सब कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि टोंक फाटक का पुल बना तब उस पुलिया को बन्द किया गया। उधर बैठे हुए पार्टी के सदस्य और जनता पार्टी के तत्कालीन मन्त्री महोदय, सतीश चन्द्र ने काफी जोर लगाया फिर भी यह नहीं खुला, लेकिन मेरे प्रयत्नों से 1980 में यह फाटक खुल गया।

(व्यवधान)

अभी 15 सितम्बर का इसको बन्द बन्द करने का नोटिस लगा। ज्यों ही यह नोटिस मुझे मिला, त्यों ही मैं वहां पर गया और लोगों से जाकर बातचीत की और राज्य सरकार से भी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं की।

श्री शिवराम शर्मा : मैंने राज्य सरकार से भी सम्पर्क किया। मुख्य मन्त्रीजी को लिखा, उन्हें 700-800 आदमियों की दरख्वास्त भी दे चुका हूं और रेलवे प्रशासन से भी मैंने बात की है। आपको यह मैं बता दूं कि फाटक बन्द नहीं हो रहा है, कम से कम कल तो नहीं। इसको परमानेंट रूप से खुला रखा जाये, इसकी व्यवस्था की जा रही है और मैं करके रहूंगा।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है, यह जनता के हितों का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप शान्त रहें।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री रामकरण कताला, सदस्य, विधान सभा को सदन की बैठकों से अनुपस्थित-रहने की अनुमति।

अनुपस्थित के लिए अनुमति।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व श्रीरामकरण कताला, सदस्य, विधान सभा ने 14 सितम्बर, 1982 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति कि उन्हें सदन की बैठकों सेदिनांक 14 सितम्बर, 1982 से सत्रान्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रिविलेज मोशन मूव किया जस्टिस कृष्णा अय्यर के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में दो दिन के बाद, और भी कई माननीय सदस्यों ने 2-3 प्रिविलेज मोशन दिये है।

श्री नाथूसिंह : कल मैंने आपसे कहा था इसके बारे में, स्थगन प्रस्ताव का उत्तर

(श्री नाथू सिंह)
आ गया था। आपने कहा था, मुझे दो मिनट का समय बोलने के लिये....

श्री अध्यक्ष : आपको दो मिनट का समय दिया जाता है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, 16-17 अगस्त की रात्रि को एक डिपार्टमेंट की जीप उदयपुर से आ रही थी। समाचार-पत्रों में आपने भी पढ़ा होगा उसका एक्सीडेंट हुआ और उसमें आठ आदमी मारे गये। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार उसके लिये जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वह कोई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, कोई ड्राइवर जिम्मेदार हो, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में स्थिति यह थी कि उस जीप को जीप का ड्राइवर चला ही नहीं रहा था। कोई कारण नहीं था उन कर्मचारियों को उस जीप से उदयपुर भेजने का, क्योंकि मलेरिया उन्मूलन का स्टाफ उदयपुर में भी बहुत है। लेकिन यहां से स्पेशली, जो एडीशनल डाइरेक्टर है श्री ज्ञान प्रकाश....

श्री अध्यक्ष : आपने उनका नाम आदि या जो नये तथ्य बता रहे हैं उसमें आपने इसका कोई जिक्र नहीं किया है।

श्री नाथूसिंह : सब्जेक्ट के बारे में दिया तो नाम तो आयेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप जो स्थगन प्रस्ताव के अंदर विषय है....

श्री नाथूसिंह : मैं नाम नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप दायरे से बाहर जा रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : एक्सीडेंट हुआ था उसके कारणों में तो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं तो कारण आपको उसमें लिखने थे उसके अनुसार हम सूचना मांगते। आपने जो एक्सीडेंट हुआ है उसके तथ्य मंगाये थे और उसमें जो दोषी ड्राइवर है ट्रक का उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, यह बात कह दी। इस पर सरकार से जानकारी आ गई, आर्डर प्लीज। विवादस्पद विषय जिनके लिए आपने पहले नहीं लिखा उस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री नाथूसिंह : मैं आपकी जानकारी में लाता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरी जानकारी में अलग से लायें लेकिन सदन का समय, माननीय सदस्य, कृपया खराब न करें। मैं काफी उदारता से काम लेता हूं लेकिन जो नया विषय है....

श्री नाथूसिंह : नया विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह कहते तो मैं उनसे जवाब मंगा लेता। अगर आप यह फरमाते कि अब भी इस तरह के तथ्य हैं ....

श्री नाथूसिंह : ठीक है, साहब, मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री भगवानदास शास्त्री। उपखण्ड अधिकारी, भूमि, अजमेर द्वारा नगर परिषद सीमा, अजमेर में रहने वाले नागरिकों से रूपान्तरण शुल्क एवं

(श्री अध्यक्ष)
पेनल्टी राशि जमा कराने हेतु दिये नोटिसेज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। संक्षेप में।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : मैंने आपसे नियम 127 के तहत एक अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न के लिये चर्चा की अनुमति मांगी थी।

श्री अध्यक्ष : यह तो अभी आपने दिया है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : पिछले वर्ष आपको भी और सरकार को भी दिया था। बहुत महत्व का है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। नियम 127 का विषय है, आप तत्काल दें उस पर व्यवस्था हो जाय या वक्तव्य हो जाय, मैं इस पर जानकारी लूंगा। सरकार व्यवस्था करेगी, ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : सरकार से कह दो, जानकारी के लिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) अजमेर द्वारा नगर परिषद् सीमा अजमेर में रहने वाले नागरिकों को रूपान्तरण शुल्क एवं पेनल्टी को जमा कराने हेतु दिये गये नोटिस।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस प्रश्न की ओर माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह विशिष्ट प्रश्न अजमेर के संदर्भ में है। अजमेर नगर के संदर्भ में इसलिये है, अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं जानता हूं राजस्व मंत्री को राजस्व विधि और नियमों का ज्ञान अधिक है, उनकी जमीन के बारे में जानकारी अधिक है लेकिन अजमेर में सैटलमेंट नहीं हुआ और जो सैटलमेंट हुआ है उस सैटलमेंट का कभी कोई प्रामाणिकता के आधार पर रिकार्ड नहीं रखा गया। भू-रूपान्तरण नियम, 1981 में लागू हुये उस के बाद जो भू-रूपान्तरण उपखंड अधिकारी वहां पर लगाया गया था उसने कोई मैजरिंग स्कवाड तैयार कर ली। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भू रूपान्तरण उपखंड अधिकारी के पास कोई प्रमाणित रिकार्ड नहीं है कि कृषि भूमि कौनसी है और कृषि भूमि पर कौनसे मकान बने हैं। जब ऐसा रिकार्ड उसके पास नहीं है, उसके बावजूद भी उसने नोटिस जारी करना चालू किया है। उस नोटिस की भाषा क्या है, क्षमा करें, मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं, राजस्व मंत्री जी, यह नोटिस है :

"मुझे मैजरिंग स्कवाड ने रिपोर्ट की है कि आपने अजमेर नगर खसरा नं०, खसरा नम्बर क्या है या नहीं है, आधा खाली है, रकबा 225 वर्ग गज जो कृषि भूमि है, सिवाय चक अनधिकृत विलंडन कर, भवन निर्माण कर भूमि को रहवासी व्यावसायिक रूपान्तरित किया है इसलिये आपको उप नियम के अन्तर्गत जरिये नोटिस हाजा दिया जाता है कि आप नियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में इस न्यायालय में आकर रूपान्तरण पेनल्टी की राशि राज कोष में जरिये चालान इस कार्यालय द्वारा पास करवाकर जमा करवायें अन्यथा आपके विरुद्ध बेदखल करने की कार्यवाही अमल में लाई जायगी। आप इस

(श्री कैलाश मेघवाल)
न्यायालय में दिनांक 5–8–82 को उपस्थित हों।"

एक वेट नोटिस है जिसमें खसरा नम्बर नहीं है। किस आधार पर वह इसको कृषि भूमि मानते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं। इस तरह का उसमें कोई उल्लेख नहीं कि किस जमीन का क्या भाव तय किया है। नियमों में सबसे बड़ा प्रावधान है कि निश्चित भूखंड, जो कृषि भूमि यह मानते हैं उस कृषि भूमि का भाव तय कर लेंगे। कोई भाव तय नहीं किया और सीधा सादा बुला लिया। रिपोर्ट किसकी? मैजरिंग स्कवाड की। अब यह स्थिति आ गई कि मैजरिंग स्कवाड के हाथ में अजमेर नगर है। जैसे मैंने निवेदन किया, कृषि सैटलमेंट या राजस्व के कोई खिलाफ पूरे नहीं हैं और मैजरिंग स्क्वाड का काम हो गया, नोटिस दिलाओ और उनसे बात करो या रिपोर्ट कर दी गई तो नोटिस जायगा कहां से अजमेर की भूमि, जिसको कृषि भूमि मानते हैं, वहां का नागरिक यहां से लुटना चालू हुआ। मैं राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कोई विवेक नहीं इस्तेमाल किया। हमने यह पूछा वहां के लोगों ने बार-बार दरख्वास्त देकर पूछा जिलाधीश से कहा, माननीय राजस्व मन्त्री अजमेर पश्चिम से आने वाले माननीय विधायक ने निवेदन किया कि भाई, आधार क्या है। आधार कुछ नहीं, तुम्हारी कृषि भूमि है। उसकी लुटाई यहां से चालू हुई और जिसने इस बात को नहीं माना; उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी गई। उस रिपोर्ट में यह कभी नहीं दिखाया कि कोई कृषि भूमि या अकृषि भूमि कैसी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज यहां पर इस बात की स्पष्ट घोषणा करें कि आखिर कृषि भूमि की परिभाषा क्या है जिस को अजमेर नगर पर लागू करना चाहते हैं। अगर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 में दी हुई कृषि भूमि की परिभाषा लागू करना चाहते हैं, क्योंकि भू-रूपान्तरण नियम, 1981 में कृषि भूमि की परिभाषा नहीं हैं, तो अजमेर में कोई कृषि भूमि उसके आधार पर नहीं ठहरती। माननीय राजस्व मंत्री आप तो अजमेर नगर पधारे हैं, रेवेन्यू बोर्ड भी देखा होगा कलेक्ट्री भी देखी होगी, सब आई. ए. एस. और बाड़े ऑफिसर्स जिस जमीन पर रहते हैं देखी होगी आपके भू-रूपान्तरण उपखंड अधिकारी जिस तरह से चल रहे हैं वह सारी कृषि भूमि उनके पास है। कलेक्ट्री कृषि भूमि पर, रेवेन्यू बोर्ड कृषि भूमि पर सारे सरकारी भवन बने हुये हैं कृषि भूमि पर। अब उनको नोटिस सरकार ने दिये या नहीं? इस तरह से गरीब आदमियों के साथ जो ज्यादती होना चालू है उसका कोई अंत नहीं। बार-बार लोग चिल्ला रहे हैं। क्या हो रहा है, अध्यक्ष महोदय? रिकार्ड रूम में जाते हैं, रिकार्ड पुराने अजमेर का मिलता नहीं। अजमेर का विलीनीकरण होने के बाद अजमेर के राजस्व रिकार्ड की आज जो स्थिति है उससे मैं राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह संतुष्ट हैं कि वह रिकार्ड सही ढंग से रखा गया है? आज रिकार्ड उपलब्ध नहीं है और रिकार्ड उपलब्ध नहीं है तो वह आपके सामने कैसे स्पष्ट करेंगे कि आखिर मकान किस तरह से बनाये गये और मकान बनाने के लिये आदेश किस तरह से दिये गये।

(12.46 म.प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

Page No 58

(58)

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैं सबसे पहले राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा, 1954 का एक आदेश है। आप ध्यान से पढ़िये, क्योंकि अजमेर की स्थिति क्या है क्या नहीं है उसका यह केवल नमूना पेश कर रहा हूं अलग-अलग तरीके से। 1914 में....

श्री उपाध्यक्ष : आगे चलिये।

श्री कैलाश मेघवाल : यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। इसलिये महत्वपूर्ण है कि यदि इसको पेश नहीं किया गया तो अजमेर में लोगों की जो ठुकाई हो रही है उसका कोई अंत नहीं होगा। यह रहा। यह 1935 का एक आदेश है उन्होंने जिस तरह से घोषित किया है : Case no. 143 of 1935 Order u/s 3 of Ajmer Alienation of land regulation III of 1914.

'Having enquired into the circumstances of this case, I consider that there is no objection to permitting the sale, as desired of this plot/those plots of land. Accordingly under Sec. 3 of Ajmer Regulation III of 1914, I grant permission to Mr. Maha Deo Persad, Mr. Mahabir Prashad and Mr. Dwarka Persad sons of Debi Dayal Bhargava, Ajmer to sell the following plots of land situated at Ajmer Thok Malyan to Umrao Singh s/o. Teh Pal, Brahmin Hiralal, Hukma Ram, Narain Singh, Sukh Ram sons of Nathu Ram Raj Balai of Ajmer for building purposes.'

मेरा निवेदन है कि इसमें जिस तरह से आदेश है, क्या आपके उपखंड अधिकारी के पास है। इस आदेश का नम्बर आपको नोट करवाता हूं, सारे डिटेल्स नोट करवाता हूं। इसके तहत जितने मकान बने हैं, राजस्व मंत्री जी, सबको नोटिस जारी किया, आप बता दें ?

यह तो किसी एक ही व्यक्ति के पास कोई नकल मिल गयी बाकी दूसरे लोगों के पास नहीं मिल सकती है। यह आदेश सन् 1914 के हैं, इस तरह से लगातार एक के बाद एक आदेश होते रहे और वह भी दो-दो लाइन के आदेश, क्या इस तरह के सारे आदेश आपके उप खण्ड अधिकारी के रिकार्ड में है ? अगर नहीं हैं तो इस तरह के आप आदेश तुरन्त करें कि आप उन्हें रोकिये। मैं, राजस्व मन्त्री जी, आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इन मामलों में जरा कन्सीडरेट होकर सोच समझ कर देखें ताकि अजमेर की गरीब जनता है वह बिना बात ही परेशान नहीं हो। आप ऐसा कदम उठायेंगे जिससे उनको राहत मिले, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला आपसे निवेदन यह है कि आप स्थिति देखिये, अजमेर के अन्दर जो यह पहला रेगुलेशन एक्ट है, अजमेर का, इसमें यह है कि Section of Ajmer Alienation of Land Regul ation III of 1914.

यह रेगुलेशन एक्ट 1914 का है।

(श्री कैलाश मेघवाल)
इस एक्ट के तहत कितने ही आदेश हुए, आज अजमेर के भूमि रूपान्तरण उप खण्ड अधिकारी के रिकार्ड में हैं। अगर वह अजमेर के भू-रूपान्तरण उप खण्ड अधिकारी के रिकार्ड में दर्ज नहीं है तो उस उप खण्ड अधिकारी को आप तुरन्त रोकिये, आप इस प्रकरण को तुरन्त रोकिये और उससे यह भी पूछिये कि आखिर आप जो यह आदेश दे रहे हो वह किस आधार पर दे रहे हो। यह मैंने इसलिए निवेदन किया, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह दुर्भाग्य है अजमेर का कि कई आदेश मिल जायेंगे आपको ऐसे जिनके तहत आपको यह पता लगेगा कि आबादी भूमि के पास या आबादी भूमि के अन्दर जो जमीन है, पहाड़ी है या और कोई बारानी जमीन है, दूसरी तरह की जमीन है, चूंकि यह आबादी भूमि के पास जमीन है इसलिए उस जमीन को बिल्डिंग टाइप के लिये अलाऊ करता हूं, ऐसे आदेश हुए हैं। इसके अलावा दूसरी तरह के आदेश भी हुए हैं। यह तो मैं, आपको नमूने के तौर पर सुना रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे आदेश हैं। इसमें एक आदेश की भाषा यह है

I also inspected she site on 1-11-81 From a copy of the Khawt, at Ex.A.W.5, it is evident that the applicants have been entered as Biswedars jointly. From the oral testimonity of the witnesses, it is also clear that the land is situated within the minicipal limit and near abadi.

यह आदेश क्या हुआ है :—

This fact has also been proved by my inspection and this land is just near the abadi........

As regards Khasra No. 2476-M, 2478, 2479, 2481, 2482, 2489, 2491, 2493, 2495 and 2548 which have been classified as Barani or Barda and as are just near the abadi, can b easily taken as house-sites within the meaning of sec. 6. Accordingly I declare those 12 Khasras as the personal & private property of the applicant and they shall continue to belong & be hold by the applicants. इस तरह के कई आदेश हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस आधार पर यह आबादी भूमि साबित हो चुकी है। चूंकि वह जमीन म्यूनिसिपैलिटी के पास होने के कारण और म्यूनिसिपल लिमिट के अन्दर होने के कारण एक सामान्य नियमों की तरह कि अगर कोई जमीन नगरपालिका की लिमिट में होती है तो उस जमीन पर हमें मकान बनाने की इजाजत दे दी जाती है। इस तरह की बात ही वहां पर हुई, वहां पर लोगों को मकान बनाने की इजाजत दे दी गयी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की इजाजत पिछले कई दशकों से दी जाती रही है। इन सारे रिकाडर्स को आप देखिये, आपके पास हैं। उससे आप पता लगावें कि वह किस किस खसरा नम्बर में दी गयी। अगर नहीं दी गयी और अगर आपके पास वह रिकार्ड नहीं है तो आप अपने भूखण्ड अधिकारी को

(श्री कैलाश मेघवाल)

तुरन्त रोकिये। मेरा निवेदन है कि आप अपने अजमेर के भू-रूपान्तरण उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय के रिकार्ड को ठीक कीजिए। जो भू-रूपान्तरण एक्ट 1981 के नियम है, जिनके तहत नोटिसेज दिये गये हैं और देने जा रहे हैं, उसके पहले आप उन्हें देखें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पहले अजमेर में पर्सनल और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लोगों की होती थी और में वहां पर बिस्वेदार होते थे। बिस्वेदारी के बारे में वहां काफी माइन्यूट सैंक्टिटी होती थी। राजस्व मन्त्रीजी शायद मेरे से ज्यादा जानते हैं पर मुझे इतना जरूर मालूम है कि बिस्वेदार उस जमीन के मालिक होते थे और उस जमीन को वह बेचना चाहते थे तो बेच सकते थे और उस जमीन पर मकान बना सकते थे, इसका बिस्वेदार को पूरा हक होता था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकांश अजमेर में ऐसी स्थिति थी। तो मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, वहां पर मकान बना सकते थे। यह सारे के सारे पाइन्ट्स, उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मैं राजस्व मन्त्रीजी को दे चुका हूं। अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मकान बनाने के लिये यू०आई०टी की परमिशन ली जाती है, मकान बनाने के लिये नगर परिषद की परमिशन ली ली जाती है इन दोनों के अलग-अलग कार्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा मकान बनाने के लिये नगर नियोजक और उप नगर नियोजक की भी स्वीकृति ली जाती है कि उस भूखण्ड को हाउस टाइप बनाने के लिये स्वीकृति मिलनी चाहिये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हीं लोगों को यह नोटिसेज दिये गये हैं आपके भू-रूपान्तरण उप खण्ड अधिकारी के द्वारा आज कोई लोगों को अजमेर में नोटिसेज दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन लोगों के पास नगर परिषद की ऑलरेडी स्वीकृति है, उन्होंने स्वीकृति लेकर मकान बनाये हैं। आज नहीं आज से 33 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल और आपको 79 साल पुराने भी मकान नगर परिषद की इजाजत के द्वारा बने हुए मकान मिलेंगे। इतना ही नहीं उन मकानों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, उन मकानों को बनाने के लिये यू. आई. टी की स्वीकृति भी ली जा चुकी है इस आधार पर उन लोगों ने मकान बनाये और ऐसे लोगों को भू-रूपान्तरण उप खण्ड अधिकारी ने अब नोटिस जारी कर दिये हैं। पर्सनल और प्राइवेट लैण्ड पर जिन लोगों ने जमीन खरीद कर अपने मकान बनाये हैं उनको नोटिस दिये गये हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा और आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि आखिर किन नियमों के तहत किन नियमों के आधार पर यह नोटिसेज दिये जा रहे हैं? अजमेर नगर, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से दो रूप में बसा हुआ है। वहां पर दो चीजे हैं, एक तो अजमेर थोक मालियान और दूसरा अजमेर थोक तेलियान। यह अजमेर के थोक मालियान और थोक तेलियान ही अजमेर की भूमि के दो आइडेंन्टिफिकेशन हैं,

(श्री कैलाश मेघवाल)
अजमेर नगर इसी के मुताबिक बसा हुआ है। थोक मालियान और थोक तेलियान। यह भूखण्ड जो हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इनके लिये कई बार यह आदेश हो चुके हैं कि यह आबादी लैण्ड हैं, यह आदेश आपको रिकार्ड में भी देखने को मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ खास-खास बातें हैं इनको यहां पर स्पष्ट करना बहुत ही जरूरी है इनका विस्तार से जवाब आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। आज का बिजनेस लम्बा है इसलिए आप इसको संक्षेप में समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। आज अजमेर के हजारों लोगों की शांति का खतरा बना हुआ है। हजारों लोगों की शांति को तबाह कर दिया, हजारों लोगों की मानसिक हालत खराब हो रही है। आज लोगों को नोटिसेज दिये जा रहे हैं। आज वहां पर हजारों दलालों और वकीलों के माध्यम से उन लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। लोग नोटिसेज आने पर वकीलों के पास जाते हैं और आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि वकील लोग तो बिना फीस बात नहीं करते हैं। इस प्रकार एक नोटिस के एक-एक हजार और पांच-पांच सौ रुपये वसूल किये जा रहे हैं। यह जबकि राजस्व अधिकारियों के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए एक मामला मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं। अजमेर की आबादी बसी हुई है और अजमेर के जो राजस्व अधिकारी हैं उनके रिकार्ड में दर्ज नहीं है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा अजमेर के एक दीवानी केस में यह फैसला 1974 में हुआ है। न्यायाधीश ने यह फैसला दिया कि कोई भी भूमि अभिलेख या खसरा नम्बर में अंकित करने मात्र से ही वह कृषि भूमि नहीं हो जाती है, यह तथ्यपूर्ण विषय है। अपील में उन्होंने फिर कहा है कि खसरा भूमि पर अजमेर की पापुलेशन बसी हुई है अतः विवादास्पद भूमि को यदि राजस्व अधिकारियों द्वारा अभिलेख में खसरा भूमि कर दिया गया है और अगर उस पर काश्त भी की गई हो और शहर में स्थित हो तो शहर की [redacted] जानी चाहिये। अजमेर की पृष्ठभूमि इस तरह की है। फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार अपील में नहीं गई और जब अपील में नहीं गई तो इसका मतलब जो फैसला हुआ वह फाइनल था। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, इस फैसले के अनुसार अजमेर शहर की सारी भूमि आबादी भूमि हो गई और वहां पर जिसने भी जमीन बेची, जिसने भी जमीन खरीदी, वहां पर मकान बनाया, उन मकानों के लिये अजमेर नगर परिषद से मकान बनाने के लिये स्वीकृति ले रखी है और फिर बाद में उन मकानों की रजिस्ट्री भी हुई है तो मुझे आप बताइये कि इसमें उस मकान बनाने वाले का क्या दोष है, उसने कहां गलती की है। उपाध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक लोग मकान बनाते गये। सारी स्थिति बहुत ही गम्भीर है और गम्भीर समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित

(श्री कैलाश मेघवाल)
करना चाहता हूं, जो स्पष्ट मुद्दे मैंने उठाये हैं उनका वह मुझे स्पष्ट जवाब दें। इस तरह के समय-समय पर आदेश होते रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, दो-दो लाइनों के आदेश हुए हैं। वहां पर अजमेर में पहले अंग्रेज कलेक्टर रहा करते थे जो कि प्रेमाइज और कनसाइज आदेश देते थे, जैसा कि "There is no objection to permitting the sales as desired, of those plots of land....

इस तरह के आदेश हुए हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो उप-खण्ड अधिकारी हैं, यह उनके रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जब तक यह दर्ज नहीं हो तब तक के लिये राजस्व मन्त्रीजी से मेरा यह निवेदन है कि आप इस प्रक्रिया को रोकने की व्यवस्था करें। बस मेरा यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मैं भी इस भूमिका के अन्दर निवेदन करना चाहूंगा ताकि मन्त्री महोदय जब जवाब दें तो उसको भी शामिल कर लें। उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर की भूमिका बहुत पुरानी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी बात की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं 12 जुलाई को एक अर्जी लिखित में राजस्व मन्त्री जी को दे चुका हूं और स्वायत्त शासन मन्त्रीजी को भी एक अर्जी 12 जुलाई को दे चुका हूं। उसमें मैंने निवेदन किया था कि हैनीमैन स्टेट जो कि 1807 में अजमेर नगर परिषद के अन्दर स्थित था, उपाध्यक्ष महोदय, आज भी अजमेर नगर परिषद के रिकार्ड में यह उपलब्ध है। उसमें कब्रिस्तान, हैनीमैन स्टेट और वहां भूमि पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। वहां पर दरगाह के एरिया में कब्रिस्तान और हैनीमैन स्टेट मैंने देखा है, उपाध्यक्ष महोदय।

मैंने उनको अर्ज किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब मैंने उनको कहा कि मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं तो उन्होंने कहा कि जो भूमि रूपान्तरण मिनिस्टर हैं उनसे मिलें। वह बड़ी इज्जत के साथ पेश आये। मैंने सारी स्थिति राजस्व मंत्रीजी को बता दी। मतलब यह है कि इस समय अजमेर आज का अजमेर नहीं था, इस समय अजमेर नगर जंगलाती, पहाड़ी इलाका था और बिलकुल भी बसा हुआ नहीं था। पुष्कर एक गांव था। जो उस समय चीफ कमिश्नर ऑफ इण्डिया थे उन्होंने दो कम्युनिटीज का आह्वान किया, अजमेर पूर्व और पश्चिम जैसे अभी हमारी दो कॉन्स्टीट्युएन्सी हैं, उसी प्रकार एक तरफ तो तेलियों को बसा दिया और दूसरी तरफ मालियों को। आधा-आधा शहर को बांट दिया। उन्होंने पट्टे काटकर भूमि को बेचा जिसको करीब सौ साल हो चुके हैं। सन् 1860 और उसके पश्चात् 1943 तक भी उस समय की नगर परिषद में चेयरमैन

(श्री भगवानदास शास्त्री)
नामीनेटेड अंग्रेज बैठता था। तो मैं पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के चीफ कमिश्नर, ने दो कम्युनिटीज को जो पट्टे दिये हैं वह भूमि रूपान्तरण में आ सकते हैं क्या? इसका मतलब, क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट को पावर्स नहीं हैं कि जो पट्टे दिये वह भूमि रूपान्तरण में आ सकते हैं? जो पट्टे दिये हैं वह लीगल हैं, वह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के दिये हुये हैं। इसको शहर बनाया गया है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद क्या होता है, यह कहते हैं, कुछ अधिकारियों ने भी एक गलत सी धारणा बना रखी है। माननीय राजस्व मंत्रीजी ने मुझे बाइज्जत कहा कि मैं कलेक्टर से बात कर लूं, लिख भी दिया उन्होंने मेरी एप्लीकेशन के ऊपर कि धारणा गलत है और अजमेर आधा एग्रीकल्चर लैण्ड है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नोटिसेज दिये हैं नई बस्ती रामगंज में, जिसमें खसरा नम्बर जीरो और रकबा नम्बर 133 है, मेरे पास ऐसे 90 नोटिसेज की फोटोस्टेट कापी है। मैं कहता हूं कि यह एरिया जितना बसा हुआ है वह एक कस्टोडियन से सिंधी संतूमल डाक्टर रामप्रकाश से नीलाम में लिया, जो उस समय कब्रिस्तान था। अजमेर में कई स्थान पहाड़ी इलाके हैं, कब्रिस्तान और पर्सनल प्रॉपर्टी है। वह कस्टोडियन की प्रॉपर्टी है। जो मुसलमान मालिक था कब्रिस्तान का वह पाकिस्तान चला गया। कस्टोडियन से भूमि खाली नहीं हुई और उन्होंने अलग-अलग प्लाट्स काटकर बेचे हैं। यह भूमि रूपान्तरण में नहीं आ सकती। अजमेर का तो हाल यह है कि आदर्शनगर में भी अभी नोटिसेज दिये गये हैं। मेरे नोटिसेज कब्जे में लेने के बाद इन्होंने बीछला में भी नोटिस भेजे हैं। बीछला में इस समय जो प्रॉपर्टी है वह उस समय आर्य समाज के श्री चांदकरण जी शारदा की प्रॉपर्टी थी। वहां पर किसान खेत नहीं बोते बल्कि छोटी-छोटी जगहों में सब्जी बोते हैं। पानी कहां से आता है, नाले का गन्दा पानी आता है। गन्दे पानी पर सब्जी बोई जाती है क्या वह एग्रीकल्चरल लैण्ड कहलाती है? बम्बई में चर्च गेट से बोरीविली तक सब कच्ची झोंपड़ियों वाले सब्जी बोते हैं उसको फिर एग्रीकल्चरल लैण्ड क्यों नहीं कहते, राजस्व मन्त्री जी? अजमेर के ईस्ट या वेस्ट की तो बात छोड़ दें।....

श्री उपाध्यक्ष : एग्रीकल्चरल लैण्ड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?

श्री भगवानदास शास्त्री : एग्रीकल्चरल लैण्ड वह कहलाती है जहां धान की खेती होती है सब्जी की नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अनाज उगाना....

श्री भगवानदास शास्त्री : कैसे? सब्जी अनाज तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : जो चीज उगाते हैं जिस जमीन पर, क्या कहते हैं आप उस जमीन को?

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं चप्पा-चप्पा जानता हूं अजमेर का। मैं 1936 से 40 तक अजमेर में पढ़ा हूं। बाद में पाकिस्तान बना है। तो मैं कहता हूं, माननीय

(श्री भगवानदास शास्त्री)

राजस्व मंत्रीजी खुद जानते हैं और किसान हैं अगर पांच हजार बोरी देकर भी हल चलायें तो मैं भी उनके साथ लग जाऊगा और पांच बोरी भी वापस आ जाये तो मैं चैलेन्ज देने के लिए तैयार हूं। अजमेर की जितनी भूमि है मैं आपको गारन्टी से कहता हूं कि एक तो पहाड़ी इलाका है जहां नोटिसेज दिये हैं वहां खसरा नम्बर है है नहीं। कब्रिस्तान का खसरा नम्बर आता है क्या ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप माफ करें मुझे....

[redacted]

श्री उपाध्यक्ष : खसरा नम्बर होता है कब्रिस्तान का भी।

श्री भगवानदास शास्त्री : नहीं हैं इनके पास रिकार्ड। मैं कहता हूं जितने भी नोटिसेस दिये हैं यह सब इल्लीगल हैं, गैर कानूनी हैं। अजमेर के नगर परिषद एरिया के लिए शामलात कमेटी ने 1951 में रिपोर्ट दी है। शामलात कमेटी ने भी कहा है, सन् 51 में कि अजमेर नगर किसी भी हालत में एग्रीकल्चरल लैण्ड में नहीं आता। नगर परिषद एरिया में बाहर के 33 गांव सम्मिलित कर दिये, वहां भी अलग बात है। बाकी नगर परिषद एरिया के अन्दर आपकी यू०आई०टी० बनी। नगर परिषद में मैं भी 12 साल तक मैम्बर रहा हूं और बिल्डिंग सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन रहा हूं, हमने खुद नक्शे पास किये हैं उसमें कहीं नहीं आता कि एग्रीकल्चरल लैण्ड है। यह जरूर है कि बाद में कुछ सोसाइटीज़ बनीं, कंवर कालोनी है, ऐसी जो कालोनीज़ बनीं, उसमें भी उस समय के जिलाधीश अनिल बोर्दिया ने एग्रीमेन्ट कराये। क्योंकि उनको लोन नहीं मिल रहा था। वह एग्रीमेन्ट हुए आपकी फाइल में पेण्डिग पड़े हैं। बाकी एग्रीकल्चरल लैण्ड के बारे मे जिसका एग्रीमेन्ट नहीं है, जिन्होंने लिखकर आपको नहीं दिया है, जो एग्रीकल्चरल लैण्ड में आते ही नहीं हैं और नगर परिषद के पास शुदा नक्शे, नगर परिषद के शरायत यू०आई०टी० के हैं। अजमेर नगर के बारे में मैं चैलेन्ज से कहता हूं कि जो पट्टे गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के चीफ कमिश्नर द्वारा दिये गये हैं वह भूमि रूपान्तरण से अलग हैं। इसलिए आप अजमेर निवासियों को राहत दें और नोटिस वापस हटा दें। जो आपके उप-खण्ड अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनका आपने बोझा और खर्चा उठा रखा है शीघ्रातिशीघ्र उन्हें बुलाइये। इतना ही मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनट बोलना चाहता हूं। यह जरूर है कि यह अजमेर से संबंधित है लेकिन सारे राजस्थान में ही भूमि रूपान्तरण के ऐसे केसेज हैं इस प्रकार के फेग नोटिस सारे राजस्थान में दिये जा रहे हैं। नगर पालिकाओं से जिन्होंने परमिशन ली है जिन्होंने नगरपालिकाओं की जमीन ली है राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत में मकान बना रखे हैं उन लोगों को भी नोटिस दिये हैं और उन लोगों के मकान तोड़ने की साजिश की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये। आसन पैरों पर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कार्यवाही सारे राजस्थान में की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मंत्री जी। माननीय सदस्य, मैं असमर्थ हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजस्व मंत्री जी इस मामले में सोचें। सारे राजस्थान में यह मामले हो रहे हैं। टोंक जिले में तो बहुत हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : खाली अजमेर की बात है बैठ जाइये। श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अजमेर पूर्व और अजमेर पश्चिम से आने वाले माननीय सदस्यों ने, भूमि रूपान्तरण अधिकारी ने जो नोटिस दिये हैं लैण्ड एक्वीजीशन नहीं कराने वाले लोगों को, उस संबंध में जो उत्पन्न स्थिति है उस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस विषय में राज्य सरकार का वक्तव्य इस प्रकार है :

पिछले तीन दशकों में बहुत बड़ी संख्या में कृषि भूमि को लोगों ने टुकड़े करके हस्तान्तरित किया है एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बिना अनुमति के उपयोग कर लिया है। बड़े शहरों में जिनमें अजमेर भी शामिल है यह कार्यवाही बहुत बड़े स्तर पर हुई है। यह कार्यवाही कानूनन वैध नहीं है, परन्तु कई वर्षों की अवधि में एवं बड़े पैमाने पर यह हो चुकी है और विवादग्रस्त भूमियों पर जो निर्माण हो चुके उन्हें तुड़वाना राज्य सरकार ने अव्यावहारिक और मानवीय तथा आम हित के विरुद्ध समझा। बहुत वर्षों से चली आ रही इस गम्भीर समस्या का उपयुक्त और व्यावहारिक हल निकालने के लिये ही राज्य सरकार ने भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 बनाये जिससे इस बड़ी समस्या का मौके की स्थिति के अनुसार कोई कानून सम्मत हल निकल सके एवं अनियमित रूप से बने इन निर्माणों का नियमन किया जा सके। इन नियमों में व्यवस्था है कि इस प्रकार से जो मकानात बनें उनके लिए सम्बन्धित व्यक्ति नियम 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें। सारे राज्य में भारी संख्या में ऐसे आवेदन पत्र आये हैं। नियम 3 में यह भी व्यवस्था है कि प्राधिकृत [redacted] स्वतः भी उन मामलों में कार्यवाही चालू कर सकता है जिनमें अनियमित निर्माणकर्ता आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें। ऐसे मामलों में सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस देना अनिवार्य है। नियमन के दायरे में नोटिस देकर उन लोगों की समस्या पर भी विचार करना ही होगा जो स्वयं आवेदन पत्र नहीं देना चाहते। यदि ऐसी कार्यवाही नहीं की जाती है तो इस समस्या का हल नहीं निकल पायेगा एवं केवल उन लोगों के मामले ही तय होकर रह जायेंगे जो आवेदन पत्र स्वयं देते हैं। उप-खण्ड अधिकारी, अजमेर ने भी इस प्रकार नोटिस देने की कार्यवाही की है। जिन लोगों को नोटिस दिये गये हैं इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कानून सम्मत विधि से भूमि का क्रय करके मकान बनाये हैं तो वे अपनी स्थिति को सक्षम न्यायालय में स्पष्ट कर दें। परन्तु जिन मामलों में प्रकटतः अवैध निर्माण कार्य हुए हैं उनकी सही स्थिति तो तब ही सामने आ पायेगी जब सक्षम न्यायालय में इस बात पर जांच होकर

(श्री परसराम मदेरणा)

निर्णय हो जायेगा। मौजूदा स्थिति में इस निर्णय पर पहुंचना संभव नहीं है कि जिन लोगों को नोटिस दिये गये उनमें ऐसे कितने हैं जिनके मामलों में विधिवत कार्यवाही होकर मकान बनाये गये हैं। इस जांच के पश्चात् यदि यह पाया जाय कि मकान विधिवत बने हैं तो कार्यवाही समाप्त कर दी जायेगी। जिन मामलों में रूपान्तरण की राशि एवं पेनल्टी कायम कर दी जाय उनमें यदि संबंधित पक्ष असन्तुष्ट हो तो वह सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है।

जहां तक [redacted] क्षेत्र की भूमिका का सम्बन्ध है, उसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार भूमिधारियों को प्राप्त हैं। कुछ भूमि बिस्वेदारी की थी जिसमें खेवरदारी भी शामिल है। विभिन्न प्रकार के कृषक भी अजमेर राज्य में थे, यथा :

1. Occupancy Tenant 2. Non Occupancy tenant 3. Ex-Proprietary tenant. 4. Hereditory tenant.

इन सबके भूमि सम्बन्धी अधिकार भी विभिन्न प्रकार के थे जिन पर विभिन्न कानून लागू होते थे, यथा :

1. The Ajmer Land and Revenue Regulation, 1877.

2. The Ajmer Alienation of Land Regulation, 1914

3. The Ajmer Tenancy and Land Reords Act, 1950

4. The Punjab Land Revenue Act, 1887 (Relevant sections)

राजस्थान में अजमेर का विलीनीकरण होने के पश्चात् 1958 से राजस्थान के भू-सम्बन्धी कानून भी लागू हो गये एवं वर्ष 1959 में राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 प्रभाव में आया। कृषि भूमि पर इस रूप में जो कानून समय-समय पर लागू रहे उनमें कृषकों के अधिकारों पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध थे, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं।

1. The Ajmer Land and Revenue Regulation, 1877 की धारा 9 में प्रतिबन्ध था कि भूमि का विभाजन इस प्रकार नहीं किया जा सकता था कि भूमि का कोई सा एक टुकड़ा 10 बीघा चाही या 15 बीघा तालाबी या 30 बीघा असिंचित से कम रह गया।

2. The Ajmer Alienation of Land Regulation, 1914 की धारा 3 में प्रावधान था कि भूमि का कोई स्थाई अन्तरण जिलाधीश की स्वीकृतिके बिना नहीं हो सकता।

3. The Rajasthan Zamindary & Biswedari abolition Act, 1959. की धारा 7 के द्वारा उन अन्तरणों को अमान्य माना गया था जिनमें भूमि का अन्तरण एक जनवरी, 1983 के बाद किया गया हो। वर्तमान में जिन व्यक्तियों ने निर्धारित तिथि से पूर्व मकान बनवा लिये हैं उनके यदि विवादग्रस्त कोई भूमि ऐसी

Page No 67

(श्री परसराम मदेरणा)

भूमि के निकट स्थित है जो ग्राबादी घोषित की जा चुकी है तो इससे विवादग्रस्त भूमि का प्रकार नहीं बदल जाता। यदि ऐसी भूमि पर बने किसी मकान पर गृह कर भी लिया जाने लगा हो उससे कृषि भूमि का ग्रवैध ग्रन्तरण वैध नहीं हो जाता। जहां तक राजस्व भू-ग्रभिलेखों का सम्बन्ध है, वे उपलब्ध तो हैं ही तथा रिकार्ड नवीनीकरण का कार्य ग्रजमेर क्षेत्र में चालू है। संक्षेप में इन सब मामलों में विधि ग्रनुसार गुणावगुण के ग्राधार पर निर्णय लिये जायेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ग्रफसोस है, मैं एक स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं, माननीय राजस्व मन्त्रीजी, ग्रापसे, ग्रापने कहा कि यह फैसला तब होगा जब नोटिस दे दिया; नोटिस के बाद ग्राप बता दें कि ग्रापके कानून की मन्शा क्या है? ग्रापके कानून की मंशा क्या जनता को जलील करने की है, नागरिकों को जलील करना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि ग्रगर कानून बनता है तो उस कानून के हिसाब से पहले ग्रापका रिकार्ड तैयार होना चाहिए ग्रौर उस रिकार्ड में ग्रापकी प्रामाणिकता होनी चाहिये। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, ग्रापका नोटिस देने का ग्राधार क्या है? ग्रगर ग्रापके पास भू-राजस्व का रिकार्ड नहीं है तो सरकार की इस गलती को ग्राप उन गरीब लोगों पर क्यों थोपना चाहते हैं? जो वकीलों के सामने जाकर, किस तरह के लोग हैं, इसमें किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी गलती ग्रापके बड़े लोग नहीं करते, पैसे वाले नहीं करते, दूसरे नहीं करते। जिन्होंने इस तरह की जमीन पर ग्रपने मकान बनाये हैं, बारानी जमीन पर बनाये हैं, पहाड़ी जमीनों पर बनाये हैं, इस तरह की भूमि पर प्लॉट खरीद कर लोगों ने उस जमीन में मकान बनाये हैं वह कौन लोग हैं जिनकी, पावर्टी लाइन के बराबर की ग्रामद है। ग्राज ग्राप चाहते हैं कि ग्रापकी गलती से उन लोगों को जलील होना पड़े क्योंकि सरकार के पास रिकार्ड उपलब्ध नहीं है? ग्रापके लैण्ड ग्रधिकारी द्वारा बनाया गया जो स्टेटमेन्ट है, पहली बार मुझे लगा कि, माननीय राजस्व मन्त्री जी, ग्रापने ग्रपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं लिखा [redacted] सवाल पूछा है कि कृषि भूमि ग्राप किसको कहते हैं ग्रौर उस कृषि भूमि के नोटिस देने का ग्राधार, ग्रापके लैण्ड मजिस्ट्रेट का क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बैठिये, जवाब दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कुछ मुद्दे उठाये हैं। माननीय राजस्व मन्त्रीजी ग्राज यह घोषणा करते कि पहले हम ग्रपना रिकार्ड ठीक करेंगे। मैं कहता हूं, 1914 के ग्रन्दर किसी ग्रादमी ने एक ग्रादेश लिया ग्रौर ग्रादेश के बाद ग्रपना मकान बना लिया, ग्राज वह ग्रादेश उसको नहीं मिलता, उसमें उसकी क्या गलती है। मजदूरों की मजदूरी लेने के लिए जिस तरह पिटाई हो रही है, राजस्व मंत्री जी, ग्राप स्वयं जाकर देखिये। ग्रपेक्षा हमें यह थी कि जिलाधीश कार्यालय में बैठकर सारे मुद्दे ग्राप सुनते कि क्या क्या तकलीफें हो रही हैं। ग्राज मिसलें

(श्री कैलाश मेघवाल)

मिल नहीं रहीं 1913 की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो स्वयं वकील रहे हैं, आपके मुवक्किल भी आते हैं, उनसे कहो, दो साल पहले की कोई मिसल ले आओ तो बेचारा नहीं ला सकता, 10 साल पहले की भी नहीं ला सकता। आपने कहा, घोषणा करेंगे कि 3 दशकों में यह काम होगा। वैसे तो अजमेर का 1956 में राजस्थान में विलय हुआ, 56 की स्थिति छोड़ दीजिए, 1956 के पहले जो मकान बने हैं उनके बारे में आपको [redacted]? आप डिस्टिंगुइश करना नहीं चाहते, आप लोगों को परेशान, जलील होने देना चाहते हैं। यह अपेक्षा आपसे नहीं है, माननीय राजस्व मन्त्रीजी। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं उन लोगों का पक्ष लेने के लिए नहीं खड़ा हुआ जिन्होंने वास्तविक कृषि भूमि पर नियमों के विरुद्ध मकान बनाये हैं, उनसे आप पेनल्टी लीजिए। लेकिन मैं उन लोगों का पक्ष लेने के लिए खड़ा हूं, जिनकी अपनी कोई गलती नहीं, जिनको खाने के लिए घर में रोटी नहीं, जिनके बच्चे दूध पीने के लिए तरसते हैं उन लोगों को आपके अधिकारी, आपका लैण्ड मजिस्ट्रेट चुनौती देता है और चूंकि वह पैसा नहीं दे रहे हैं, वे उनको नोटिस दे रहे हैं। नोटिस देने के बाद आपका लैण्ड अधिकारी, माननीय राजस्व मन्त्री जी, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि उन पर आपने बड़े व्यंग्य की बात कर दी कि इस नियम में यह होना चाहिए, इस नियम में यह होना चाहिए लेकिन उन नियमों की पालना कैसे हो रही है। पहले एक बात साफ कह दीजिए कि यह नियम हमने गरीबों को चूसने के लिए, उनको जलील करने लिए, पग-पग पर उनसे रिश्वत खाने के लिए अधिकारियों को अधिकार देने के लिए बनाये हैं। मुझे एक शब्द कहने की जरूरत नहीं है। अन्यथा मैं आपके साथ बैठकर, जो कहें उस विषय पर चर्चा कर सकता हूं, विस्तार से आपको यह बता सकता हूं कि आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। मुझे आपसे बहुत सी आशायें हैं, माननीय राजस्व मंत्रीजी, आप पर कुछ विश्वास भी करता हूं। इसलिए मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके सामने रखा है। आपके कुछ दूसरे मंत्री हैं मुझे मालूम है कि वे किस तरह के जवाब देते हैं रटे रटाए, क्या उनकी समझ है या नहीं है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप इस मसले पर....

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाइये, जवाब देने दीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : लोगों को बुलायें ताकि जिन लोगों ने वैध रूप से मकान बनाये हैं, वे लोग अपके अधिकारियों के हाथों पिटें नहीं, लुटें नहीं ऐसी कोई व्यवस्था आप कीजिए तो आपका राजस्व मंत्री होना भी सार्थक होगा और आपकी वरिष्ठता का होना भी सार्थक होकर सामने आएगा, मुझे यही आपसे निवेदन करना है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कृषि भूमि की परिभाषा के सम्बन्ध में मुझसे पूछा, राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 5(24) स्पष्ट है, जिसका उल्लेख

(श्री परसराम मदेरणा)
आपने भी कर दिया है। उस एक्ट में लैंड की जो परिभाषा दी है उसमें एग्रीकल्चर लैंड कौन कौन सी होती है वह स्पष्ट है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं 27-12-58 से पहले जिन्होंने मकान बना लिए, जबकि धारा 90 (ए) राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर समावेश किया गया था उसके पहले मकान बना लिए, तो उनको नोटिस देने का प्रश्न नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह स्पष्ट घोषणा कीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : हां, यह स्पष्ट घोषणा कर रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : कौन सी तारीख के पहले बने हुए मकानों पर ?

श्री परसराम मदेरणा : हां, पहले बने हुए, धारा 90 (ए) के पहले....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : कौन सी तारीख से पहले ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बात सुनिये।

श्री परसराम मदेरणा : उसके बारे में ही बता रहा हूं, आप सुनिये।

श्री कैलाश मेघवाल : यह तारीख कौन सी है, साहब, स्पष्ट आ जाय। माननीय राजस्व मंत्रीजी, आप जो तारीख कह रहे हैं कि उसके पहले जो मकान बन गए हैं उन पर भूमि रूपान्तरण नियम लागू नहीं होंगे, वह तारीख कौन सी है ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 90 (ए) जब स्टेट्चुअटरी बुक में आ गई....

श्री कैलाश मेघवाल : किस तारीख को आई है ?

श्री परसराम मदेरणा : 27–12–58 को आई है। जो केस इस 27–12–58 से पूर्व के हैं, इस अमेंडमेंट से पहले के है उन्हें नोटिस देने का प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैं पूर्व में अपने वक्तव्य में माननीय सदस्य से निवेदन कर चुका हूं कि अजमेर के भूमि सम्बन्धी कानून समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार के थे और उसमें अलग-अलग प्रावधान थे। यह कहना ठीक नहीं कि वहां पर कोई रिकार्ड नहीं है। 1958 तक खेवट बन गई थी जिसको अपने जमाबन्दी कहते हैं। इसलिए वह जमाबन्दी के, उस खेवट के आधार पर आज भी खसरा नम्बर वगैरह अंकित हैं। एस. डी. ओ. या ऑथोराइज ऑफिसर ने खसरा नम्बर क्यों नहीं दिए मैं इस बात की जांच कराऊंगा और निर्देश दूंगा कि उसमें खसरा नम्बर का निश्चित रूप से उल्लेख होना चाहिए और अंकित होना चाहिए। जैसा कि अजमेर पूर्व और अजमेर पश्चिम से आने वाले दोनों माननीय सदस्य जानते हैं कि अजमेर रि–ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 56 बनने के बाद में 1-11-56 को आप राजस्थान में शामिल हो गए और 15-6-58 को रेवेन्यू लाज एक्सटेंशन एक्ट आप पर भी लागू हो गया और यह टिनेंसी और लैंड रेवेन्यू एक्ट भी आप पर लागू हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि 1959 में बिस्वेदारी और जमींदारी एक्ट बना उस वक्त

(श्री परसराम मदेरणा)

के जो भी खेवटदार थे उनको परिभाषित कर दिया गया है। उनका स्टेटस बिस्वेदार का रह गया। अब वह सोल प्रोपरा-ईटर है। सोल प्रोपराइटर की जमीन को एलिमिनेट करना था। यह अजमेर में 1914 से है और रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 14 में कलेक्टर्स से परमिशन लेना जरूरी था....

श्री कैलाश मेघवाल : मालिक सरकार नहीं है, मालिक वही है।

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये। उसको मालिक बना रहे हैं लेकिन मालिक एलीनिएट नहीं करता था और बिस्वेदारी और जमींदारी एक्ट के अन्दर इस बात का रिट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन डाल दिया था कि 1963 के बाद में एलीनियेशन किया है तो वह कानून की निगाह में वाइड और इल्लीगल है, क्योंकि पहले के कई कानून हैं। राज्य सरकार यह नहीं चाहती कि लोगों का हरैसमेंट करे। राज्य सरकार नहीं चाहती कि लोगों को इसके लिए वकील वगैरह अंग्रेज करके खर्चा करना पड़े। राज्य सरकार यह भी नहीं चाहती कि पहले रिकार्ड से निलम्बित होने के बाद कन्वर्शन के लायक हैं तो उनको पेशियों पर फिरना पड़े और ऑथोराइज आफिसर की कोर्ट के अन्दर चक्कर लगाता फिरे। क्योंकि अजमेर का मामला अपनी एक विशेष स्थिति रखता है क्योंकि उस प्रकार के अलग-अलग कानून लागू थे, इसलिये मैं इस मामले में विधि विभाग की राय लूंगा। मैं उनको रेफर कर रहा हूं और विधि विभाग की और एडवोकेट जनरल की जो भी राय आएगी उसके अनुसरण में ऑथोराइज ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन्स दे दिये जायेंगे। उससे पहले वहां पर ऑथोराइज आफिसर जब तक यह राय नहीं आ जाती है, कोई कार्यवाही नहीं करे, इस प्रकार के आदेश भली प्रकार से प्रसारित कर दूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर के नागरिकों की दयनीय स्थिति है। उन पर विशेष ध्यान दें। आज उनकी सौ रुपये देने की ताकत नहीं है, वकील लोग पांच-पांच सौ रुपये मांग कर रहे हैं। यह स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह कह दिया है कि कार्यवाही, ऑथोराइज आफिसर नहीं करेगा जब तक कि राज्य सरकार के आदेश नहीं हो जाते।

श्री भगवानदास शास्त्री : हमको भी विश्वास है।

शासकीय वक्तव्य

कोटा शहर में पेयजल समस्या

श्री उपाध्यक्ष : हां ठीक है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, श्री परसराम मदेरणा कोटा शहर में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, कोटा में पीने के पानी के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण का जो प्रस्ताव दिया है, माननीय सदस्य ने....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मैंने स्थगन प्रस्ताव भी दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : हां, जोशी जी ने दिया है, उस सम्बन्ध में राज्य सरकार का वक्तव्य इस प्रकार है :

दिनांक 15 जुलाई, 1982 को कोटा बैराज का जल स्तर, जो साधारणत: समुद्रतल से 852 फीट ऊंचा रहता है, कोटा थर्मल की इन्सेट चेनल बनाने के लिए घटा कर 840 फीट किया गया। दिनांक 29 जुलाई, 82 को कोटा बैराज एवं जवाहर सागर के कैचमेन्ट में दोपहर से ही भारी वर्षा हुई जिससे कि अचानक बैराज में बहुत अधिक मात्रा में जल आ गया जिससे कि कोटा बैराज में कम जल होने के कारण जल में बहुत उथल पुथल हुई वह 29 जुलाई, 1982 की रात में अचानक बैराज के जल टरबिडटी 11.0 पी.पी.एम. से बढ़ कर लगभग 300·0 पी.पी.एम. हो गई। रात के समय में जब कि कोटा नगर में भी भारी वर्षा हो रही थी अचानक टरबिडिटी बढ़ने के सम्बन्ध में समय पर जांच नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो जल शुद्धिकरण यंत्र से नियंत्रण करना था वह सम्भव नहीं हो सका एवं गंदला पानी पाइप लाइन द्वारा नगर में वितरण हुआ। इस बाबत दिनांक 30 जुलाई, 82 को प्रात: 8 बजे तक जानकारी कर जल की क्वालिटी पर नियंत्रण किया गया। रात में जो गंदला पानी पाइप लाइनों में आ गया था उससे न सिर्फ रात को ही जल वितरण में गंदला पानी निकला बल्कि पाइप लाइन में मिट्टी रह जाने के कारण अगले 4–5 दिन भी पाइप में से नलों द्वारा गंदला पानी आता रहा। इस स्थिति में नगर में बीमारी इत्यादि न फैले, इस दृष्टि से शीघ्र ही क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दी गई थी। जहां तक विभाग को जानकारी है, इस घटना के उपरान्त कोटा नगर में जल से फैलने वाली किसी बिमारी का कोई प्रकोप नहीं हुआ।

कोटा शहर में वर्तमान में कुल 90 लाख गैलन जल प्रतिदिन शुद्धिकरण करने के लिए फिल्टर उपलब्ध है। नगर की वर्तमान जल की आवश्यकता लगभग 160 लाख गैलन प्रतिदिन है इस बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करने की दृष्टि से साधारणत: फिल्टर को ओवर लोड करके प्रतिदिन 135–140 लाख गैलन जल वितरित किया जाता है। इस ओवर लोड की स्थिति में अचानक बैराज [redacted] विडिटी बढ़ने के कारण वितरण में भी गंदला पानी आ गया था उसका नियन्त्रण करने के लिए दिनांक 30 जुलाई, 1982 से सिर्फ 90 लाख गैलन पानी फिल्टर करके वितरित किया गया।

कोटा नगर में चूंकि पूर्व में अधिकतर क्षेत्रों में 10-12 घंटे अच्छे दबाव से वितरण हो रहा था एवं वर्तमान में कम हो गया है, अत: नागरिकों में असन्तोष की भावना है। किन्तु 90 लाख गैलन प्रतिदिन की दर से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 22 गैलन जल वितरण किया जाता है, जो कि कई अन्य कस्बों से अधिक है। मुख्यत: समस्या शहर के कुछ भागों में, जो कि या तो ऊंचे हैं या घने हैं या छोर पर हैं, जल वितरण अधिक कम हो जाने के कारण है। समस्या का समाधान बैराज के जल में टरबिडिटी कम होने के साथ अगले 10-15 दिन में होने की आशा है।

इसमें यह उचित होगा कि घरों में जनता भी पानी भरकर रखने की व्यवस्था

(श्री परसराम मदेरणा)
रखे जिससे कि जल की अधिक मांग के समय असुविधा न हो।

कोटा नगर की जल समस्या के समुचित समाधानों को ध्यान में रखते हुये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के सहयोग से पुनर्गठित जल प्रदाय योजना आई. डी. ए. 10.95 करोड़ रुपये की लागत की वर्ष 1980-81 में स्वीकृत की। उक्त योजना के अनुसार कोटा नगर में वर्ष 1990 में 5.0 लाख आबादी के लिए 265 लाख गैलन जल प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है एवं [redacted] 2000 में 7 लाख की आबादी के लिए 400.0 लाख गैलन जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उक्त प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 1984 के अंत तक जल स्रोत विकसित कर 140 लाख गैलन जल फिल्टर करने की अतिरिक्त क्षमता बनाई जायेगी। इससे पूर्ण क्षमता 230.0 लाख गैलन हो जायेगी। इस दिशा में कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

उक्त योजना के तहत शहर में कुल लगभग 115 किलोमीटर पाइप लाइन लगाने का प्रावधान है जिसमें से लगभग 25 किलोमीटर पाइप लाइन लगाई जा चुकी है। इनके लिए आवश्यक पम्पिंग सैट के लिए आदेश दिये जा चुके हैं। पम्पिंग स्टेशन निर्माण किये जा चुके हैं एवं उच्च स्वच्छ जलाशयों का निर्माण कार्य 1983 तक कर लिया जावेगा।

उक्त योजना पर मार्च, 1982 तक 1.20 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। वर्ष 1982-83 में 1.30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। प्रस्तावित समय में योजना का कार्य पूर्ण करने के लिए वर्ष 1983-84 में 5.6 करोड़ एवं वर्ष 1984-85 में 2.80 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

उक्त योजना से कोटा शहर को लाभ 1984 में ही प्राप्त होने की सम्भावना है। कोटा की समस्या को देखते हुए वर्तमान में तुरन्त राहत देने की दृष्टि से स्टेशन के क्षेत्र में 15 नल कूप एवं भू तल पर स्वच्छ जलाशय बनाने का प्रस्ताव है जिससे कि नगर के छोर के इलाकों को कुछ राहत दी जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : I know it.

श्री रामकिशन वर्मा (लाडपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोटा शहर की जल वितरण व्यवस्था के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कोटा ही एक ऐसा शहर है, मेरी जानकारी के अनुसार, राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में, जिससे लगा हुआ इतना ज्यादा पानी का भण्डार है जिसके लिये लोग तरसते हैं और पानी होते हुए भी पीने के पानी के न होने के कारण प्यासे मर रहे हैं। पूरे शहर की जनता की यही स्थिति है। कोटा के अन्दर आज हर प्रकार की खुशहाली है और खुशहाली के अन्दर अगर आज पीने का पानी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। राजस्थान के अन्दर ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर

(श्री रामकिशन वर्मा)
चम्बल का वरदान सिर्फ कोटा को ही मिला हुआ है जिसकी वजह से पीने के पानी की बात तो दूर सिंचाई का पानी राजस्थान को देने के साथ-साथ हम मध्य प्रदेश को भी पानी देते हैं। आज उस पानी को देखते हुए और पीने के पानी की कमी को देखते हुए ऐसा अनुभव होता है है कि हमारे यहां के जो भी अनुभवहीन और अकर्मण्य अधिकारी हैं और जिन लोगों की जानकारी नहीं है उन सब लोगों की वजह से हम कोटा के लोग प्यासे मरते हैं।

सुबह जब बच्चे स्कूल जाने को तैयार होते हैं तो नलों से पानी गायब मिलता है। माताएं बहिनें रात-रात भर पानी के लिए लाइनें लगाती हैं। आदमी जब सोये रहते हैं, आराम की नींद लेते हैं तब माताएं बहिनें पीने के पानी के लिये, नलों से पानी लेने के लिये लाइन लगाये खड़ी रहती हैं और पीने के पानी का इन्तजाम करती हैं। आप कहते हैं कि पीने के पानी का आठ घंटे सप्लाई करने का इन्तजाम कर दिया गया है उसके लिये तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि तीन घंटे भी पूरा पानी पूरे कोटा शहर के अन्दर नहीं दिया जाता है। तीन घंटे से मेरा तात्पर्य यह है कि कोटा में एक भी इलाका ऐसा नहीं है जिसके अन्दर इतने समय तक पानी दिया दिया जाता है। ऐसे इलाके भी हैं जहां पर कि 12-13 घंटे तक पानी नहीं आता है, लोग पानी के लिये तरसते रहते हैं, शौच आदि से निपटने के लिये भी उनको पानी नहीं मिलता है और वे जंगल टेकड़ी आदि पर जगह तलाशते फिरते हैं। आज ऐसी स्थिति के अन्दर हम यह कहें कि 82-83 में और 84 में जाकर पानी का इन्तजाम करेंगे तो शर्म की बात है। जहां पर कि पानी इतना है कोटा की तो बात ही क्या है, पूरे राजस्थान को कोटा से हम पानी पिला सकते हैं। आज बनास नदी से लेकर अजमेर को पानी देने की बात चल चल रही है उसको क्रियान्वित किया जा रहा है लेकिन हम अपने शहर के अन्दर ही, हम अपने इलाके के अन्दर ही जहां पर कि चम्बल एक वरदान के रूप में प्राप्त है पीने के पानी के लिए तरसते हैं। मैं आपसे यह भी [redacted] कि इस मामले के अन्दर कई दफा अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया, कई बार यहां पर विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया गया कि कोटा नगर में पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको सुधारें। वहां पर इससे लोगों में आक्रोश होगा और नाराजगी आयेगी। लोग देखते हैं कि जो हमें पीने का पानी ही नहीं दिला सकते हैं उनसे और के बारे में तो क्या आशा की जाय। हमें भी शर्म आती है कई बार अधिकारियो से बात की जाती है तो वे तो एक ही छोटा सा जवाब देते हैं कि दबाव को ठीक करने के लिये बूस्टर लगा दिये हैं। बूस्टर तो लगा दिये लेकिन पानी आये तब तो दबाव से आये ना। पानी ही नहीं आता है और आप बूस्टर चालू कर देते हैं। हमारे यहां पर यह हो रहा है कि पानी नहीं आता है। पानी आता है तो दो बाल्टी और उसका और उसका मीटर चलता रहता है और उसका बिल आता है 160 रुपया। हमारे यहां पर कौनसा पानी उठता है? कौनसा आप

(श्री रामकिशन वर्मा)

पानी देते हैं ? कौनसा हमने इतना सारा पानी पी लिया ? आज हमारे यहां पर दूसरी जो समस्या है वह यह है कि आज अधिकारियों के द्वारा हमारे यहां पर इस प्रकार की मीटरों में पानी के अतिरिक्त और गलतियां आती हैं। जो कमजोरियां हैं उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि जिस मकान मालिक के आना चाहिये, जिस फैक्ट्री में आना चाहिए 500 रुपये का बिल, उसके यहां तो आता है 60 रुपये का बिल और जहां पर आना चाहिए पांच रुपये का बिल उसके यहां पर आता है डेढ़ सौ और तीन सौ का बिल। इस प्रकार की अनियमितताओं की ओर ध्यान दिया जाय। जहां तक पानी के अशुद्ध होने का सवाल है, शुद्ध जल की बात करते हैं, ऐसा जल हमारे यहां पर आया था जिसमें पानी के साथ-साथ नलों के अन्दर कीड़े भी आ गये, छोटे-मोटे सांप आ गये, मछलियां आ गईं, यह आज बड़े ही शर्म की बात है। मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कोटा के अन्दर चम्बल का पानी तो ऐसा है कि जिसके लिये किसी प्रकार के शुद्धिकरण की आवश्यकता ही नहीं है, वह तो आलरेडी फिल्टर्ड है उसको तो बिना शुद्ध किये हुये भी पिया जाये तो कोई बीमारी नहीं होगी। यह पानी तो हर प्रकार से टैस्ट किया हुआ पानी है, लेकिन हम लोगों की अकर्मण्यता के कारण, हमारे अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण हम इतना गन्दा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। फिर हम 84 तक इस प्रकार की व्यवस्था ठीक करने की बात करते हैं और इसके लिये 10 करोड़ रुपयों के खर्च की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ सुझाव दें, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन वर्मा : उसके लिये तो सुझाव यह है कि हायर टैंक बनाये जाने चाहिये, बड़ी-बड़ी टंकियां बनानी चाहिये जिससे टैम्प्रेरेली हमको पानी मिल सके। गरीबों के मोहल्लों के लिए आप कहते हैं कि रात को पानी भर लें। हम रात को कुछ घंटों के लिए पानी सप्लाई कर देंगे, तो वह आदमी क्या करेगा जिसके यहां पर पानी भरने के लिये बरतन ही नहीं है। हमारे यहां पर ऐसे गरीब भी हैं जो कि इतनी भी हैसियत नहीं रखते हैं कि वे पानी बरतनों में भरकर रख सकें, इसलिये आप 24 घंटे पानी देने की व्यवस्था करें, टैम्प्रेरेरी लाइन डाल दें। कहते हैं कि वहां पर हम खुदाई नहीं कर सकते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, बम्बई भी तो नीचा ही प्रदेश है, वहां पर किस प्रकार से 48 इंच की लाइन डाली गई है ? पहले कोटा के अन्दर जो लाइन डाली गई थी वह किस प्रकार से डाली गई थी ? अगर आप फिर भी इस प्रकार से लाइन नहीं डाल सकते हैं तो नालियों के ऊपर लाइन डाल दें, इससे कुछ ही पैसा खर्च होगा और हमको पीने का पानी मिल जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा की जनता का दुख दूर करें तथा कोटा की जनता को जितना पानी चाहिये उसकी व्यवस्था करें तभी हमको संतोष मिल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे यहां तो यह चंबल

(श्री उपाध्यक्ष)

जैसी नदी होती तो या तो नलकूप खुदवाते या कुछ भी नहीं खुदवाते।

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने वक्तव्य में बताया कि कोटा नगर के अन्दर 160 लाख गैलन पीने के पानी की मांग है। हमारी 135 लाख गैलन पानी सप्लाई करने की क्षमता है और हमने 90 लाख गैलन पानी सप्लाई किया है, यह पानी अभी सप्लाई किया जा रहा है। पिछले दिनों जिस समय बारिश बहुत अधिक हुई थी उस समय 80 लाख गैलन पानी ही सप्लाई किया गया है। मेरा सबसे पहला निवेदन है कि बाकी पानी का क्या हुआ? जो 135 लाख गैलन की क्षमता से सप्लाई की बात कर रहे हैं, 135 लाख गैलन में से 80 या 90 लाख गैलन पानी ही दिया तो बाकी लोगों को पीने का पानी क्यों नहीं मिला? क्या उन लोगों को प्यासा ही रह जाना पड़ा, एक बात?

दूसरी बात यह निवेदन करनी है कि जो 80 लाख गैलन पानी सप्लाई हुआ है उस समय थर्मल पावर स्टेशन के लिए एक चैनल खोदी जाने वाली थी। एक चैनल खुद रही थी उस चैनल के लिये उस थर्मल पावर स्टेशन से कोटा की जनता को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े इसके लिये कोई राशि जलदाय विभाग को समर्पित की गई थी? अगर की गई थी तो वह पैसा कितना था? उस पैसे का बाद में उपयोग क्या हुआ? कितना उपयोग किया गया? उस पैसे का उपयोग क्यों नहीं हुआ? मेरे यह प्रश्न हैं।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि जब चैनल खुद चुकी है तो अब कौनसी समस्या आ रही है, कोटा नगर में पीने के पानी की समस्या क्यों नहीं ठीक हो रही है? कोटा बैराज में जितना पानी आने की क्षमता है वह आ चुका है तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी मंत्री महोदय ने बताया ना कि 15 दिन के अन्दर कुछ हो जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : कुछ नहीं हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और न ही होने वाला है।

चौथा मेरा यह निवेदन है कि वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट या बिजली विभाग पानी बिजली जिस क्षेत्र में बंद करता है वहां पर माइक के द्वारा या अखबार के द्वारा सूचना देता है कि फलां तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक पानी बंद रहेगा, कृपया व्यवस्था कर लें या इतने बजे से इतने बजे तक बिजली बंद रहेगी कृपया कष्ट के लिये क्षमा करें। मैं पूछना चाहता हूं विभाग ने किस किस तारीख को कब कब माइक के द्वारा या राजस्थान के अखबारों में या कोटा के अखबारों में यह डिक्लेयर किया कि कोटा के अन्दर पानी सप्लाई नहीं हो सकेगा?

पांचवीं बात, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि कोटा के अन्दर गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। बीस दिन तक कोटा की जनता को गंदा पानी दिया गया। वह पानी इतना खराब था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब कोटा पधारे और जब उन्होंने उस पानी को देखा तो

(श्री दाऊदयाल जोशी)

उन्होंने कहा कि यह कोटा के साथ क्या मजाक हो रहा है, तुम लोग तुरन्त इसकी व्यवस्था करो तो दूसरे दिन व्यवस्था तो हो गई लेकिन पानी की सप्लाई में कटौती कर दी गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के पास उन दिनों में फिटकरी नहीं थी, फिटकरी की कोई व्यवस्था भी नहीं थी इसलिये पानी साफ नहीं किया गया ? क्या यह सही नहीं है कि फिल्टर पम्प वाटर वर्क्स का उन दिनों में खराब पड़ा हुआ था और फिल्टर पम्प विभाग ने उपयोग नहीं किया इसलिए कोटा की जनता को ऐसा गंदा पानी पिलाया जाता रहा ? मंत्री महोदय कह रहे थे कि क्लोरिन की अतिरिक्त मात्रा की व्यवस्था की। मंत्री महोदय, कृपा करके अप्रेल, मई, जून तीन महीनों में प्रयोग की जाने वाली क्लोरिन की मात्रा बता दें। जुलाई अगस्त में कितनी क्लोरिन काम में ली गई उसकी मात्रा बता दें। दोनों की बताने की कृपा करें। आपने कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की है। मेरे पास आंकड़े हैं, समाचार पत्रों में यह छपा है, अखबारों के आधार पर यह रिपोर्ट है कि कोटा के अस्पतालों में डेढ़ हजार लोग पीलिया के रोग से ग्रस्त होकर भर्ती हुए। मेरा आरोप है कि आपके विभाग ने कोटा की जनता को गंदा पानी पिलाया।

मेरा आपसे निवेदन है आप 10 करोड़ 95 लाख रुपया वर्ल्ड बैंक की सहायता से कोटा में खर्च करने जा रहे हैं। 10 करोड़ 95 लाख रुपया आप सन् '85 तक खर्च कर देंगे, तो आप बतायें, इस साल में आपने कुल कितना रुपया खर्च किया है और जो इस साल कोटा नगर में इस योजना के तहत वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 60 टैंक बनाने थे उनकी प्रगति की क्या रिपोर्ट है ? क्या 60 में से एक भी टैंक कोटा के किसी भी मोहल्ले में बना है, क्या इसकी व्यवस्था आपके डिपार्टमेंट ने की है ? ये मेरे स्पेसिफिक प्रश्न हैं जिनका आपको जवाब देना है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पहले मैं भी बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : दो माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं उनका जवाब आ जाने दें फिर आप बोल लेना। ठीक है, बोल लें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय खटवाड़ा, भीमगंज मंडी नयापुरा, विज्ञान नगर ये कुछ ऐसे पीड़ित मोहल्ले हैं जो पिछले दो वर्षों से लगातार बिलबिला रहे हैं। बिना पानी के तड़फते रहते हैं और बूंद बूंद पानी के लिए नलों को देखते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चम्बल नदी से पानी क्यों नहीं ले लेते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उसी पर कह रहा हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जब कभी जिस मोहल्ले में जिस क्षेत्र में वातावरण गर्म होता है, आवाज उठाई जाती है और उस आवाज को जलदाय विभाग तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है उस

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मोहल्ले में तो दो दिन पानी आ जाता है, पानी चला जाता है किन्तु दूसरे मोहल्ले वाले तरसते रहते हैं। यह बात मन्त्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट है, उन्होंने कहा कि 160 लाख गैलन पानी की मांग है और केपेसिटी है 90 लाख गैलन की और ओवर लोडिंग करके 135 लाख गैलन पानी दिया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वहां के पिछले नौ महीनों के आंकड़े सभा में रख कर कन्विंस करने की कोशिश करें कि जो 90 लाख गैलन की केपेसिटी का पम्प है, उससे किस प्रकार आप 135 लाख गैलन की ओवर लोडिंग करते हैं? वह होगी कितने दिनों तक? बिलकुल नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि एक क्षेत्र को पानी दे करके दूसरे क्षेत्र में अव्यवस्था करें यह ठीक नहीं है। जो आल्टर व्यवस्था है उसके बारे में तो लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह चुके हैं। वे मेरे क्षेत्र से आते हैं उनका हमारा एक संबंध है लेकिन ये हमारे बीच लड़ाई कराना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय इसके लिये प्रयास कर रहे हैं और वहां इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, 90 लाख गैलन की केपेसिटी वाले पम्प से 135 लाख गैलन की ओवर लोडिंग करना क्या प्रतिदिन सम्भव है? कितना होता है? डेढ़ गुना होता है। ओवर लोडिंग एक दिन कर सकते हैं दो दिन कर सकते हैं, पांच दिन कर सकते हैं, लेकिन Scientifically it is not at all feasible.

हो नहीं सकता है, ओवर लोडिंग में कमी तो गड़बड़ी होगी, बिजली की गडबड़ होगी, एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ होगी, वह पम्प काम नहीं करेगा। तो आखिर कब तक हमारे कोटा नगर को, मन्त्री महोदय, इस स्थिति में रखेंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं वे वर्ल्ड बैंक से जो सहयोग की बात करते हैं उसके बड़े आंकडे देकर 10 करोड़ का बड़ा भारी भरकम आंकड़ा यहां सदन में कोट किया। 80-81 में वर्ल्ड बैंक की योजना के आधार पर जो फिजिकल टार्गेट और फाइनेंसियल टार्गेट थे, क्या वे 80-81 में पूरे हुए? क्या 80-81 में पूरे हो गये? जिस अनुपात में ओवर हैड टैंक्स बनने ~~कार्डिन से क्या~~ बने? या यह जो फाइनेंसियल टार्गेट की योजना थी वह पूरी हुई? मंत्री महोदय बड़ी बड़ी बात कर रहे थे क्या वे मेरी इस बात का जवाब देंगे। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि 80-81 और 81-82 इन दोनों वर्षों में जो फिजिकल टार्गेट थे और जो फाइनेंसियल टार्गेट थे वे पूरा नहीं हुए हैं। आपको स्मरण होगा विधान सभा में पिछले सत्र में मैंने आरोप लगाया था कि कोटा में खर्च होने वाला पैसा वहां खर्च नहीं होगा उस पैसे का बहुत बड़ा भाग डूंगरपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर को चला जायेगा। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं और मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं 80-81, 81-82 के जो फिजिकल टार्गेट्स थे, पैसा लगाने वाले टार्गेट्स थे, जिसमें इस योजना को हल करने के लिये था क्या वे फिजिकल टार्गेट्स पूरे किये गये? वे नहीं किये गये हैं। मेरी सूचना है 80-81 में ही बड़े तालाब के पास एक बड़ा टैंक बनना था, ओवर हैड टैंक

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बनना था जिससे नयापुरा और आगे स्टेशन पर भटवाड़ा बस्ती में ठीक रूप से पानी पहुंचाया जा सके। माननीय मंत्री महोदय ने यह तो कह दिया कि 22 गैलन प्रति व्यक्ति पानी मिलता है, कोटा को। वह और स्थानों से ज्यादा तो है लेकिन जो इसका डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, जो लाइन्स सिस्टम है, जो बूस्टिंग सिस्टम है वह फेल हो गया है। हो सकता है, जैसा मैंने कहा कुछ बस्तियां तो बड़े आराम से रहती हैं, पानी खूब आता है लेकिन दूसरी बस्तियां सिसक रही हैं, तड़फ रही हैं और बगावत आने की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय को स्पेसिफिक सुझाव देना चाहता हूं। लाइन्स छोटी हैं, यह बात सच है तर्क भी दिया जाता है कि हम बड़े डाइमीटर की पाइप लाइन मंगाने की कोशिश करते हैं किन्तु वह मुहैया नहीं होती है। कलकत्ते का जिक्र किया जाता है। मैं तो वहां व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करता हूं, मुझे पता लगा कि वहां सामान नहीं आ पाता है। तो सामान नहीं आने के नाम पर कोटा के लोगों को कब तक प्यासे मरने देंगे? उस पाइप लाइन को ठीक करिये, एक प्लान बनाइये। जो आपके प्लान का आधार है और जो वर्ल्ड बैंक ने प्लान दिया है उसको इस प्रकार मोडिफाई करिये कि ठीक रूप से पानी पहुंच सके इसलिये लाइन्स की व्यवस्था कीजिये, ओवर हैड टैंक की योजना बनाइये। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं वह पूरी योजना नहीं बन रही हैं।

बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सात पाइन्ट्स की बातें की है, वह तो मुझे पता नहीं है किन्तु जो फिजिकल टार्गेट्स हैं और एक स्पेसिफिक ओवर हैड टैन्क की बात है, साथ ही उसके स्थान के चयन की बात है, वह पूरा करिये, प्रेशर को ठीक करने के लिये बूस्टर लगाइये। प्रेशर के लिये बूस्टर की आवश्यकता है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो गन्दा पानी पिलाने की प्रक्रिया है, उसमें सुधार करिये। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, अगर पानी बहुत आ गया था जैसा उन्होंने कहा बड़ी सघन बरसात हो गई, सघन बरसात हुई तो 90 लाख गैलन से 80 लाख गैलन कर दिया और कहा यह गया कि पाइप लाइन में मिट्टी आ गई थी। मिट्टी नहीं आई, जो फिल्टर प्लान्ट था, उस फिल्टर प्लान्ट में फिटकरी की आवश्यकता थी, फिटकरी उसका एक अंग है। अन्य वस्तुओं की अनुपलब्धता थी और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के कारण एक दिन नहीं, दो दिन नहीं 20 दिन नहीं 25 दिन तक गन्दा पानी पीना पड़ा। राजस्थान के मुख्य मंत्री को जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि कोटा नगर तो सीधा चम्बल नदी पर बसा हुआ है, उसके किनारे बसा हुआ है। आपने कहा वहां से ले आना पानी। मंत्री महोदय, कम से कम 200 फीट नीचे उतरना पड़ता है इसलिये वहां से सिर पर लाना बड़ा मुश्किल है। मेरा निवेदन है कि एक लाइन और लगा दें। कोटा इण्डस्ट्रियल सिटी है ऐसी स्थिति में पानी भरकर घड़ा 200 फीट नीचे से उठाकर लायें यह सम्भव नही लगता है।

Page No 79

(79)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
मैं सुझाव देना चाहता हूं, मंत्री महोदय, एक फिल्टर प्लान्ट और बनाइये।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : दो-दो, चार-चार किलोमीटर से पानी भरकर हमें लाना पड़ता है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं चम्बल नदी पर कोटा नगर बसा है वहां एक और फिल्टरिंग प्लान्ट बनाने की आवश्यकता है। वहां एक पुराना फिल्टर प्लान्ट है। जो हमारी पुल है उसके पास दूसरा प्लान्ट लगाया जाय, कोटा नगर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए इस बात की बहुत आवश्यकता है। गन्दा पानी पिला कर कोटा नगर के जन जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। 5–5 गैलन, 3–3, 4–4 गैलन और कहीं कहीं तो डेढ़ गैलन प्रति व्यक्ति पानी दिया है। मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि डेढ़ गैलन पर हैड पर डे पानी दिया गया है, इस नाते से कि मारवाड़ में बहुत कम पानी मिलता है और हमें पानी बहुत मिलता है। यह ठीक नहीं है। कोटा चम्बल नदी पर है इसलिये वहां पानी का ठीक से डिस्ट्रिब्यूशन करें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, असन्तुलित बरसात होने की वजह से फिल्टर प्लांट खराब हो गया और उससे कोटा नगर के लोगो को परेशानी हुई, जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उस सम्बन्ध में 13 तारीख को मुख्य मंत्रीजी ने सभी अधिकारियों के साथ बातचीत की है और सभी अधिकारियों को बड़ा अफसोस है। हम चाहते हैं कि उपभोक्ताओं को पानी शुद्ध मिले। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने ठीक कहा चम्बल नदी बहती है लेकिन नदी में जो पानी चलता है, वह जब जम जाता है तो उसकी फ्लोइंग कैपेसिटी कम हो जाती है और जब मैला नीचे बैठ जाता है तो जो पानी चलता है उसकी फ्लोइंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा हो जाती है तो प्रीमियम ज्यादा होने की वजह से पानी का फिल्टर करना आवश्यक है और फिल्टर की कैपेसिटी केवल 90 लाख गैलन की है इसलिये यह समस्या चम्बल के एरिया की हमारे सामने है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या इस प्रकार का गन्दा पानी जनता को पिलाना उचित है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : और साल भी पिलाया था या इसी साल....

श्री परसराम मदेरणा : इसका जवाब

(80)

(श्री परसराम मदेरणा)
मैं सबसे अन्त में दूंगा। आप इस तरह से बीच में करके....

श्री बाऊदयाल जोशी : मुझे दुख है, मैं बीच में बोला हूं....

श्री परसराम मदेरणा : मुझे भी दुख है। दुख नहीं, मैंने तो खेद प्रकट किया है। सबसे पहले तो लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये हैं, जो कोटा की पुनर्गठित जल प्रदाय योजना 10 करोड़ 95 लाख की लागत की है वह प्रारम्भ कर दी गई है और प्रारम्भ करने के साथ ही उन्होंने कहा पानी बहुत कम मिल रहा है। मैं यह बात मानता हूं माननीय सदस्य की कि जो क्षेत्र ऊंचा है, छोर पर आया हुआ है और थिकली पापूलेटेड है उसमें पानी की मात्रा कम होती है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि भटवाड़ा और नीमगंज क्षेत्र में पानी की समस्या है। उस एरिया में वास्तव में पानी की समस्या है। सदन की जानकारी के लिये बता दूं जो पानी फिल्टर किया जा रहा था उसकी मात्रा में वृद्धि कर 90 लाख गैलन की जगह ओवर लोड करके 120 लाख गैलन पानी प्रति दिन फिल्टर करके पानी की आपूर्ति की जा रही है—एक बात। दूसरा, स्टेशन एरिया और दूसरे स्थानों पर क्योंकि फिल्टर की सुविधा नहीं है इसलिये राज्य सरकार ने यह सोचा कि वहां ट्यूब वैल ड्रिल किये जाने चाहिये। चार ट्यूब वैल ड्रिल कर दिये गये हैं और पांचवें का काम प्रगति पर है इसलिये निश्चित तौर पर इस ट्यूब वैल को खुदाने के बाद में डाइरेक्ट पानी पाइप लाइन के अन्दर दिया जायेगा—एक बात। आर्गेनाइजेशन स्कीम में टोटल पाइप की लम्बाई जो 125 किलोमीटर है उसमें 25 किलोमीटर पाइप लाइन बन गई है उसमें भी पानी को बढ़ाया जायेगा—दूसरी बात।

यह बात सही है कि पूरी स्कीम के जो फिजिकल टार्गेट्स थे वे पूरे नहीं हुए लेकिन जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि फिल्टर प्लान्ट का काम प्रारम्भ कर दिया गया है नदी पर पम्पिंग स्टेशन बना दिया गया है पम्प हाउसेज का काम भी प्रारम्भ कर दिया गया है और रि-आर्गेनाइजेशन की स्कीम प्रगति पर है। 120 लाख गैलन पानी हम फिल्टर करके दे रहे हैं और भी आवश्यकता होगी तो ट्यूब वैल्स खोद करके लोगों की पानी की जो किल्लत है उसको कम करने का हम प्रयास करेंगे। पूरी पानी की सुविधा के लिये 1984-85 में 11 करोड़ की योजना है उस योजना के सम्पूर्ण होने पर ही इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिये नहीं तो 2001 तक के लिये समाधान हो जायेगा।

यहां पर दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने दो-एक बातें मुझसे पूछी हैं, एक तो क्लोरिन के बारे में और दूसरी ओवर हैड टैंक के बारे में। क्लोरिन की कितनी मात्रा पिछले महीनों में जो पानी गंदा हो गया उसमें डाली गयी, यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैं यह आंकड़े प्राप्त करके दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। जहां तक ओवर हैड टैंक का प्रश्न है, जब तक फिल्टर प्लान्ट तैयार न हो, ओवर हैड टैंक बना भी दें तो उसका कोई अभिप्राय नहीं है। पहले फिल्टर

(श्री परसराम मदेरणा)
प्लान्ट और पम्प हाउस बनाने तथा लाइन बिछाने के बाद में टैंक का काम होगा। किन्तु एक ओवर हैड टैंक के लिये टेण्डर इन्वाइट कर लिये गये हैं और इसका काम जल्दी ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सैकण्ड प्लेस पर फिल्टर प्लान्ट डालने का सवाल किया था, मंत्री महोदय, उसका जवाब नहीं आया। टैक्निकली आप इसको दिखवा लें। सैकन्ड प्लेस पर एक फिल्टर प्लान्ट, पम्प हाउस डाल देने से बहुत कठिनाई कम हो जायेगी, प्रेशर डवलप हो जायेगा, सभी स्थानों पर पानी पहुंच जायेगा। क्या मंत्री महोदय इसकी जानकारी करेंगे ? एक बात।

श्री परसराम मदेरणा : फिल्टर प्लान्ट के बारे में केपेसिटी क्या है, वहां किस केपेसिटी का फिल्टर प्लान्ट होना चाहिये, वह चालू कर दिया जाये तो उससे पानी की आपूर्ति हो सकेगी या नहीं, यह टैक्निकल बातें हैं। दूसरी बात यह है कि मैं टैक्नोक्रेट नहीं हूं। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं समझता हूं, शायद विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। विज्ञान के विद्यार्थी तो रहे हैं लेकिन पी. एच. ई. डी. के सम्बन्ध में आपकी टैक्निकल जानकारी उतनी ही है जितनी मेरी है। विज्ञान एक स्पेशिलाइज्ड सब्जेक्ट है किसी जर्नलिस्ट से इसकी उम्मीद कैसे कर। दूसरे फिल्टर प्लान्ट की आवश्यकता है या नहीं, जिस केपेसिटी का फिल्टर प्लांट बन रहा है वह कोटा नगर के नागरिकों की जो पानी की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इस पाइंट को एग्जामिन करने के बाद ही मैं कह सकूंगा।....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय, किसी स्तर पर आफिसर्स की मीटिंग रेगूलरली तीन महीने में हो जाये क्या इसकी कोई व्यवस्था कर सकेंगे ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा प्रश्न यह था थर्मल पावर प्रोजेक्ट....

श्री उपाध्यक्ष : आपका जवाब हो गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं, कोटा नगर में पानी [redacted] रूप से चालू रखने के लिये वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट को कुछ धनराशि दी थी। बीस लाख रुपया दिया था, क्या उसका उपयोग हुआ है ? जी नहीं। केवल चार लाख रुपये का उपयोग हुआ है। इसकी आपने मशीनरी मंगा ली। इस मशीनरी को पड़े रखा। आपके डिपार्टमेन्ट को बीस लाख रुपया थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने दे दिया था, उसका उपयोग नहीं हुआ। जब मालूम था बरसात आ रही है पानी की समस्या आयेगी, 12 फीट पानी का लेवल कम हो जायेगा, ऐसी स्थिति में पानी के लिये लोग तरसेंगे। वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट को थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने बीस लाख रुपया दिया था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री दाऊदयाल जोशी : तो पानी की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की ? दूसरी बात, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, वह जवाब नहीं आया है।

श्री परसराम मदेरणा : थर्मल प्लान्ट के सम्बन्ध में एक अलग से प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जैसी मंत्री महोदय ने कोटा नगर के लिये चिन्ता व्यक्त की है और कोटा नगर के लिये जो व्यवस्था कर रहे हैं कहीं ऐसा न हो जाये कि पूरे राजस्थान का पैसा कोटा में खर्च हो जाये और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र के लोग पानी के लिये त्राहि-त्राहि करते रह जायें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप फिक्र न करें ।

श्री महाराम चौधरी : वहां पर 15/15, 12/12 किलोमीटर की दूरी से पानी उपलब्ध होता है । यह आश्वासन दे रहे हैं । सारे का सारा धन उधर लगा देंगे तो हम हम लोग तरसते रह जायेंगे । आश्वासन दे दिया, धन दे दिया, योजना दे दी तो वहां के लोग क्या करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने सुना नहीं माननीय सदस्य ने क्या कहा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको बता दिया है ।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बताया है वह मंत्री महोदय ने नहीं सुना है । मैं तो मामूली बात यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय ने कोटा नगर की पेयजल की समस्या के प्रति खेद व्यक्त किया है । इसके साथ उन्होंने आश्वासन भी दिया है और आश्वासन देते-देते धन भी उपलब्ध करा दिया । यह सब करते करते पश्चिमी राजस्थान के जो हमारी ढाणी के गांव हैं वहां लोग 15 किलोमीटर से सिर पर पानी लाते हैं । कोटा पानी में तिर रहा है आप कहीं हम को महरूम न रख दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे यह आशंका थी कि 1 करोड़ की एक योजना एक शहर के लिये बनेगी तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य की प्रतिक्रिया इस बात के लिये होगी कि गांव में पांच सात, आठ मील तक पानी उपलब्ध नहीं है, निश्चित तौर पर वे डिमाण्ड रखेंगे । आपकी डिमाण्ड वाजिब हैं लेकिन शहरों के अन्दर भी समस्या खड़ी होती है । मैंने खेद इस बात का प्रकट किया था कि पानी का लेवल कम हो गया, ज्यादा बरसात होने की वजह से अन फिल्टर्ड पानी देना पड़ा नागरिकों को और उसका कारण भी मैंने बता दिया था । लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य चले गये हैं । मैंने स्वयं इस मामले में चीफ इन्जीनियर को वहां भेजा है । मैं खुद देख रहा हूं, कोटा का जो फिजिकल टार्गेट है, पानी के लिये रि-आर्गेनाइजेशन स्कीम है, जो लक्ष्य, समय निर्धारित किया गया है उसके अनुसार उसकी प्रगति हो । गांवों में प्रगति हुई है, यह बात नागौर से आने वाले माननीय सदस्य भी जानते हैं । मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आपके क्षेत्र में जितने ट्यूबवैल पिछले एक वित्तीय वर्ष में खोले

(श्री परसराम मदेरणा)
गये हैं वह आपकी और मेरी एक सौ पीढ़ी के अन्दर भी खुले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मैं इजाजत देने वाला नहीं हूं।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री दाऊदयाल जोशी : सरकार के एक वरिष्ठतम मंत्री से यह आशा नहीं थी कि वे मेरे प्रश्न के जवाब को चबा जाएंगे।

(व्यवधान)

कोटा आज की तारीख में पानी के लिये तरस रहा है।

(व्यवधान)

आज की तारीख में कोटा में पानी के लिये बच्चे प्यासे मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा प्रश्न यह था कि बीस लाख रुपया आपने लिया है या नहीं लिया है?

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : हम बोल नहीं सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे क्षेत्र का स्पेशली यहां पर विवेचन किया है। विवेचन करने के बाद में अपने यहां की परम्परा है कि ऐसे मामले के अन्दर आधा मिनट बोलें आधा मिनट ही बोल करके मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। श्री महाराम चौधरी, Please Sit down.

श्री [redacted] : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है, 20 लाख रुपये लिये या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : After the statement of the Minister concerned, no further questions will be allowed.

माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दाऊदयाल जोशी, बैठ जाइये। इससे ज्यादा आश्वासन आपको....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैंने नाम से पुकार लिया। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोटा के पानी का प्रश्न है, चंबल नदी जिसकी धरती पर है उसके बावजूद

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

राजस्थान का निकम्मा शासन कोटा को पानी नहीं दे रहा है। स्कूलों में जाने वाले बच्चे....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री दाऊदयाल जोशी। Please, sit down।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : [redacted] मैं विनती करता हूं....

(व्यवधान)

विधायी कार्य। विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक, जयपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश पर परिनियत संकल्प। श्री नाथूसिंह।

(व्यावधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं जो गंदा पानी आया, आप सुन तो लें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने दूसरा आइटम ले लिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट। मेरी बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, I am sorry. मैंने दूसरा आइटम हाथ में ले लिया है। श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : 20 लाख का क्या हुआ, सीधा सा प्रश्न है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक सवाल सुन लें....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये। मैं बहुत इज्जत के साथ आपको अर्ज कर रहा हूं, कृपया बैठ जाइये। श्री नाथूसिंह।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह बात कहूंगा, अगर हमारी गलती है तो दण्ड दे दें। मेरा कहना है, 20 लाख रुपये अगर उपयोग में आ जाते तो पानी गदा नहीं होता। जो लोग भर्ती हुए हैं पीलिया के रोग से, उसका कौन जिम्मेदार है ? क्या मंत्री महोदय उन अधिकारियों, जिन्होंने पैसा लेकर व्यवस्था नहीं की, के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया, आप तो बहुत समझदार हैं। माननीय सदस्य, प्लीज।

(व्यवधान)

आप मेरी जगह होते तो अलाऊ नहीं करते, प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, पानी के अभाव में बुरी तरह से त्रस्त हैं....

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा—That chapter is over.

श्री दाऊदयाल जोशी : ××××

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैंने हमेशा आपको टाइम दिया है। जब मैंने दूसरा आइटम हाथ में ले लिया—that chapter is over.

श्री दाऊ दयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे दिया, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये। श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं दिया, कहां दिया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बहुत विनम्र शब्दों में विनती करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं विनती करता हूं–I am very sorry, I cannot allow you.

श्री नाथूसिंह।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज तक मैंने राजस्थान की विधान सभा में लगातार दो साल से आपको देखा है, हमेशा अप-टू-डेट जवाब लेकर आते हैं लेकिन पहली बार आपको प्रश्नों को चबाते देखा है, आप इस प्रश्न को चबा गये....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरी जो आपके प्रति धारणा थी वह बिलकुल बदल गई है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोले जा रहे हैं, कृपया। श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आज कोटा में....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको दो दफा वार्निंग दे चुका हूं, प्लीज।

विधायी कार्य

जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982

परिनियत संकल्प

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित जयपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 4, सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस अध्यादेश को पढ़ा। इसमें क्या लिखा है, क्या इसकी

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नाथूसिंह)

धाराएं और पर्पज हैं उनको पढ़ने के पश्चात् इससे जो मूल प्रश्न उठते हैं, मैं मंत्री महोदय और इस सदन का ध्यान उनकी ओर दिलाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण अध्यादेश....

श्री उपाध्यक्ष : एक विनती करता हूं सदन से, बोलने वाले ज्यादा हैं मुझे इजाजत दें तो एक या दो माननीय सदस्य बोल लें। धन्यवाद।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में कोई भी अध्यादेश निकाला जाता है उसका प[illegible] होता है—जनता को लाभ पहुंचाना। इसमें भी कहा कि जयपुर और उसके आसपास, जिसको जयपुर रीजन कहा है, के निवासियों के रहने की व्यवस्था, पानी, सड़कों की व्यवस्था और विकास का कार्यक्रम हाथ में लेना चाहते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश की संरचना आप देखें, इसमें लगभग 7 विभागों के सचिव और अन्य आफिसर्स हैं। इसकी संरचना देखने के पश्चात् मैंने यह पाया कि इसका जो नामकरण किया है—जे. डी. ए. जयपुर डवलपमेंट अथॉरिटी वह जे. डी. ए. नहीं बल्कि जे. बी. ए.—जयपुर ब्यूरोक्रेट अथॉरिटी होना चाहिये क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स भरे पड़े हैं। इस संरचना के आधार पर इसका हैड मुख्य मंत्रीजी को बनाया गया है। वह राजस्थान का विकास करेंगे या जयपुर का विकास करेंगे? मेरी समझ में यह बात नहीं आयी। उसमें जो उपाध्यक्ष हैं वे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री महोदय की इसमें बदनीयती थी इसलिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इसका अध्यक्ष बनाना चाहते थे क्योंकि मुख्य मंत्रीजी तो होंगे नहीं। मुख्य मंत्रीजी जयपुर का विकस करेंगे या राजस्थान का विकास करेंगे? जयपुर के मुख्य मंत्री हैं या राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं? माननीय मंत्री महोदय की जेब में जे. बी. ए. रहे, मैं तो जे. बी. ए. कहता हूं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष का पद अपने लिए रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह जितने भी अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं वे यहां की जनता का विकास करेंगे? इसके सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत विद्वान हैं, लॉ के जानकार हैं अभी रिसेन्टली एक केस का फैसला हुआ है मैं उसे कोट करता हूं। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने एक फैसले में कहा है कि....

श्री उपाध्यक्ष : क्या कोट कर रहे हैं?

श्री नाथूसिंह : उन्होंने एक निर्णय दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : ए. आई. आर. है।

श्री नाथूसिंह : सुप्रीम कोर्ट का केस है 1979 वाल्यूम-I, उसके पेज 160 पर है उन्होंने एक जजमेण्ट दिया है उरविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब....

श्री उपाध्यक्ष : Only relevant portion and no other....

श्री नाथूसिंह : उन्होंने स्पष्ट रूप से पेरा 51-52 में लिखा है, इसको पढ़ने के बाद माननीय मंत्री महोदय तो इसको समझेंगे नहीं, लेकिन यहां पर विधि मंत्री

(श्री नाथूसिंह)

जो बैठे हैं इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं ध्यान से सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कैसे कहा कि मंत्री महोदय तो समझेंगे नहीं ?

श्री नाथूसिंह : मंत्री महोदय के बस की बात नहीं है। वे व्यापार कर सकते है जमीन का लेनदेन कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं लेकिन यह नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : Come to the point.

श्री नाथूसिंह : माननीय परसराम जी और विधि मंत्रीजी दोनों बैठे हैं, जरा ध्यान से सुनें। उपाध्यक्ष महोदय, "Plenary powers of law making are entrusted to elected representatives. But the political Government, instructed by bureacracy, by and large, gets bills through with the aid of three line whip. Even otherwise, legislators are sometimes innocent of legal skills; And complex legislations call for considerable information and instruction. The law making sequence leaves much to subordinate legislation witch, in practical terms, means surrendering to the surrogate, i. e. bureacracy."

आगे इन्होंने लिखा है "i. e. bureacracy which occupies commanding height in the secretariat."

कितना बढ़िया कहा है, उपाध्यक्ष महोदय, "The technocracy and bureacracy who draft subordinate legislation are perhaps well meaning and well informed, but insulated from parliamentary audit, isolated from popular pressure and paper logged most of the time; and units of local self Government are reduced to part-babel mechanisms."

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। इतना ही नहीं लिखा है उन्होंने और भी कहा है। आप स्वयं समझते हैं, मंत्री महोदय को समझ नहीं आया होगा। जो लॉ बनाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वे बैठकर लॉ बना तो लेते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेट यह नहीं सोचते कि प्रेक्टिकल में जनता की क्या डिफिकल्टीज हैं इसका जनता पर क्या इम्पेक्ट होगा, चल पायेगा या नहीं चल पायेगा इसको नहीं सोचते। दो तीन लाइनें और पढ़कर सुनाता हूं, पैरा 51 में कहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उपेन्द्र बख्शी हैं, जिन्होंने पेपर को सेमीनार में पुट अप किया था, उसको कोट करके जस्टिस कृष्ण अय्यर ने लिखा है कि "law making remains more or less exclusive prerogative of a small cross-section of elite. This necessarily affects both the quality of the law made as well as its social communication, acceptence and effectivity."

(श्री नाथूसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, "It also reinforces the higly centralised system of power."

उपाध्यक्ष महोदय, आगे कहा है "It is time that we considered the desirability and feasibility of building into the law making processes a substantial amount of public participation."

पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्या वह उसमें है ? आगे एक और कोट किया है, बहुत जोरदार है, ध्यान देने की आवश्यकता है।

"The situation in regard to delegated legislation, the volume of which is immensely greater than that of usual legislation, is even more alarming. The Indian Parliament enacted from the peried of 1973 to 1979, a total of 302 laws. As against this, the total number of statutory orders and rules passed in the same period was approximately 25, 414,"

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने बताया है कि यह सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इसको पूरी पावर डेलीगेट की जाती है। कितना इम्पार्टेण्ट है। इतने ला पार्लियामेण्ट ने बनाये, इन्होंने कितने बनाये।

,,Corresponding figures for States and Union territories are not available, but the number of rules issued under delegated legislation powers may well be astronomical."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, this is not a court of law.

श्री नाथूसिंह : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह जो इसका कन्स्ट्रक्शन है उसको आप देख लीजिए। सारे अधिकारी ही अधिकारी हैं। क्या इसके अलावा आपके पास और कोई व्यवस्था नहीं थी। एम. पी. होते, इलेक्टेड एम. एल. ए. होते या इलेक्टेड रिप्रजेण्टेटिव होते, कोई और व्यवस्था होती। सैल्फ गवर्नमेण्ट का मतलब होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। वह इसमें नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप यह समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा होशियार हैं, वे ही विद्वान हैं क्या एम. एल. एज. एम. पी. सब × × × होते हैं, बिलकुल समझदार नहीं अगर आप ऐसा मानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तो आप स्वयं जानते हैं, पी. यू. सी. का चेयरमैन एम. एल. ए. बन सकता है। पी. यू. सी., पी. ए. सी. और जितनी पब्लिक कमेटीज् हैं उनका चेयरमैन बन सकता है लेकिन जे. डी. ए. का चेयरमैन एम. एल. ए. नहीं बन सकता। इसका चेयरमैन कौन बनेगा, मुख्यमंत्री बाकी सारे कर्ताधर्ता होंगे, ब्यूरोक्रेट्स।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपको खुशकिस्मती है कि चीफ मिनिस्टर चेयरमैन हैं, आपके अधिकार अच्छे होंगे।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नाथूसिंह : मुख्य मंत्री जी इसमें समय नहीं दे पायेंगे, यह बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। उनको राजस्थान की चिन्ता रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : That is your presumption.

श्री नाथूसिंह : प्रिजंम्पशन नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक से मिलने की जब फुरसत नहीं रहती तो इसमें देने का समय....

(व्यवधान)

डवलपमेण्ट अथारिटी जोधपुर में भी बन सकती है, बन रही है उदयपुर में भी बन सकती है, कोटा में भी, अजमेर में भी, भरतपुर में भी, अलवर में भी बन सकती है। मुख्य मंत्री जी कहां कहां के अध्यक्ष बनेंगे ? प्रेक्टिकल डिफिकल्टी है। उपाध्यक्ष महोदय, उसको मंत्री महोदय अपने अंडर में क्यों रखना चाहते हैं ? मैं नहीं कहता, जयपुर की सड़कों पर कभी आप घूमने निकल जाइये, गोटेवालाजी की चर्चा होगी। मैं नही कहता, आम पब्लिक बोलेगी बाढ़ के कारण मिट्टी उठाने का ठेका लिया गोटेवालाजी ने, जितनी भी जयपुर में सोसाइटीज हैं उनमें से 55 प्रतिशत गोटेवाला की हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइन्ट पर आयें।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मंत्री महोदय चाहते हैं कि यह जे. बी. ए., मैं तो इसको जे. बी. ए. ही कहता हूं, उनकी जेब में रहे। उपाध्यक्ष महोदय, आज यू. आई. टी. के चेयरमैन, जो पहले थे, स्वयं बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यू. आई. टी. को क्यों भंग कर दिया, यू. आई. टी. का पर्पज क्या था ? यू. आई. टी. को भंग क्यों किया ? उसके फेल्योर रहने के क्या कारण थे, कारण दिए जाने चाहिए थे। उसको भंग किया गया....

श्री उपाध्यक्ष : There was no talk.

श्री नाथूसिंह : इसके कारण तो बताते कि इसलिए भंग किया गया। बैक-ग्राउण्ड कुछ देते....

श्री उपाध्यक्ष : डवलपमेण्ट अथारिटी आ गयी, उसको भंग कर दिया।

श्री नाथूसिंह : ऐसा नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, नाम बदल दिया, थोड़ा सा क्षेत्र बदल दिया, बढ़ा दिया इसके अलावा कुछ नहीं है। नाम बदलते रहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं क्षेत्र का थोड़ा और विस्तार कर दीजिए नाम रख दीजिए जे. डी. ए. उससे कुछ नहीं होगा। मैं निवेदन करता हूं कि श्रीरामजी का नाम श्री कृष्ण जी कर देंगे तो कौन सी बहादुरी कर लेंगे काम तो वही करेंगे। नाम से परिवर्तन होने वाला नहीं है, परिवर्तन होगा, संरचना और फंक्शन से। संरचना और फंक्शन जब मैं देखता हूं तो, उपाध्यक्ष महोदय, ब्यूरोक्रेट्स हैं। उन्होंने कानून बनाया है इसके अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा है। स्वयं मंत्री महोदय इस आर्डिनेंस के बारे में दिग्भ्रमित हैं। इसका सबूत यह है कि इस बिल पर जो अमेंडमेण्ट आये हैं, सरकार अब तक अमेण्डमेंट रख रही है, मंत्री महोदय अब तक अमेण्डमेंट दे रहे हैं। ये क्लियर नहीं है।

(श्री नाथूसिंह)

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहले आप इसकी स्टडी करते, इसका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करते और फिर इसको हाउस के अन्दर लाया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस विधेयक के अन्दर कहीं भी पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव का पार्टीसिपेशन जैसी कोई चीज नहीं है। होना यह चाहिये था कि संसद सदस्य इसके चेयरमैन होते, इस जयपुर रीजन के जितने एम.एल.एज. और इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव हैं वह इसके मैम्बर होते।

श्री उपाध्यक्ष : That you have already said.

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रोविजन्स हैं, मैंने उनको पढ़ने का का प्रयास किया है, इसमें कहीं भी बजट का कोई प्रावधान नहीं है कि इसका बजट कहां से आयेगा, कितना बजट होगा, कितना खर्चा होगा, कौन करेगा, इसकी क्या व्यवस्था होगी, इसका इसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। अगर हो तो माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि वह बतायें। हो सकता है कि मेरी गलती हो, मेरे पढ़ने से छूट गया हो लेकिन अब मैं चाहता हूं कि वह बतायें। इसमें बजट का कहीं भी प्रोविजन नहीं है। कितना बजट होगा, कहां से आयेगा, कौन खर्च करेगा, कैसे करेगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, यह भी इसमें कमी रह गई है।

श्री उपाध्यक्ष : You have said enough.

श्री नाथूसिंह : नहीं। Enough नहीं है यह तो इतना लम्बा चौड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने बड़ी काबलियत से कहा है।

श्री नाथूसिंह : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना लम्बा चौड़ा विधेयक है। आप देखिये इसमें कितने क्लाजेज हैं आप स्वयं देख लिजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके फंक्शन्स को आप देखिये। इसकी एक्जीक्यूटिव बाडी बनाई है उस एक्जीक्यूटिव बॉडी में भी सारे अधिकारी हैं। इसकी संरचना में सारे अधिकारी, इसकी एक्जीक्यूटिव में सारे अधिकारी हैं। फंक्शन के पावर उनको दिये गये, चीफ सैक्रेटरी को भी इसमें रखा गया आधी गवर्नमेन्ट इसमें रख दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस जयपुर रीजन का क्या विकास करेंगे वह यह जनता तय करे न कि यहां के अधिकारी, लेकिन इसमें प्रोविजन नहीं है इसलिये मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह भी प्रोविजन इसमें किया जाना चाहिये था।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, फंक्शन्स को देखिये, फंक्शन में जगह जगह यह कर दिया गया कि जे. डी. ए. फाइनल अथारिटी है। ज्यादा से ज्यादा स्टेट गवर्नमेन्ट है। कोर्ट्स में आप नहीं जा सकते। यदि किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही हो तो उसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, किसी बॉडी के फंक्शन्स में इस तरह से रेस्ट्रिक्ट करना कि यह अथारिटी फाइनल अथारिटी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं किया जा सकता है।

(श्री नाथू सिंह)

और भी इतने एक्ट्स बने हैं, इतने रूल्स बने हैं कान्स्टीट्यूशन्स के अलावा, इवन कान्स्टीट्यूशन में भी पालियामेन्ट अमेण्डमेन्ट करती है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट्स में उसको भी चैलेन्ज किया जा सकता है इसमें आपने ऐसा कर दिया कि जो जे. डी. ए. कर देगी, श्री श्रीरामजी गोटेवालाजी जो कलम चला देंगे उसको न तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चैलेन्ज किया जा सकता है न हाई कोर्ट में किया जा सकता है और न ही सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, गोटेवालाजी कल को 50 पर्सेन्ट जितनी उनकी अपनी सोसाइटीज बनी हुई हैं उनमें जितने घोटाले के केसेज उनको एक ही कलम से रेगुलेराइज कर देंगे कि इनमें कोई घोटाला नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक भी घोटाला नहीं है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जयपुर के आसपास जो किसानों की जमीनें हैं उनको भी गोटेवालाजी घोटाला करके हड़प लेंगे, जैसे मुरलीपुरा बसाया गया, क्योंकि उसके पास गोटेवाला जी की जमीन है इसलिये वहां पर....

श्री उपाध्यक्ष : You are going extra, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : यू. आई. टी. के चेयरमैन साहब को वह पावर्स क्यों नहीं दी गई कि वे मुरलीपुरा का विकास करें। लेकिन नहीं, रिलीफ डिपार्टमेन्ट को देकर यह देखना चाहते हैं कि इसमें हेर-फेर किस तरह से किया जाय। प्रोविजन देखते हैं, क्योंकि वहां पर गोटेवालाजी की जमीन पड़ी हुई थी उसकी कीमत बढ़ जाय इसलिये मुरलीपुरा का विकास धड़ाधड़ कानूनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, रिलीफ डिपार्टमेन्ट से उसको शुरू करवा दिया गया है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पावर्स के सम्बन्ध में लेकूनाज रखे गये हैं। पूरी की पूरी पावर्स जे. डी. ए. को होंगी। मंत्री महोदय के गलत कारनामे किसी कोर्ट्स में चैलेन्ज नहीं किये जा सकते कहीं और चैलेन्ज नहीं किये जा सकते....

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सही है कि यह मंत्री हमेशा ही रहेंगे 10 साल 15 साल ?

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम है आदमी जब भी कोई कार्य करता है, अपने चारों तरफ किला बनाता है, तब इस तरह के कानून बनाता है। कई बार इस तरह के डिक्टेटर हुये हैं, उन्होंने भी यही सोचकर कानून बनाये हैं कि मैं ही डिक्टेटर बन कर बैठा रहूंगा किन्तु यह उसका दुर्भाग्य है कि वह भी चला जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उधर से आते जाते हैं क्योंकि आपका तो उधर घर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस दो मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं

(श्री नाथूसिंह)

हास्पिटल रोड पर जायं तो सामने एक सेठ की होटल है, सात मंजिल की होटल है। 7 मंजिल की परमिशन दी गई है और 7 मंजिल इन गोटेवालाजी के राज में उसने बनाई है। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक की बिल्डिंग को तो रोक दिया गया लेकिन 7 मंजिल की वहां पर होटल बना दी गई क्योंकि गोटेवालाजी मंत्री हैं। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहना चाहता....

श्री उपाध्यक्ष : गोटेवाला ने क्या किया, क्या नहीं किया that is not the point in issue.

श्री नाथूसिंह : यह जो फंक्शन के अन्दर पावर्स....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने मुद्दे पर आ जायं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : जी हां। आ रहा हूं।

जयपुर का मास्टर प्लान बना। उपाध्यक्ष महोदय, यहां के जो चीफ टाउन प्लानर हैं उन्होंने एडवाजरी कौंसिल ने जो नक्शा पास किया था उसको रोक लिया और नकली नक्शा पास करके गवर्नमेन्ट की आंख में धूल झोंकी। कहीं पर सरकारी बिल्डिंग बना दी, कहीं किसी के मकान बनाने के लिये जमीन छोड़ दी कहीं पर दो-तीन सिनेमा घर बनाने के लिये जमीन छोड़ दी कहीं होटल बन रही है, कहीं क्या धपला हो रहा है। यह केवल गोटेवालाजी के राज में ही होता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह लेकूनाज इसलिये रखा गये हैं कि गोटेवाला जी जो घोटाले करेंगे उन पर पर्दा पड़ा रहे, उनको चैलेन्ज नहीं किया जा सके। जितने भी माननीय सदस्य एडवोकेट्स हैं, मैं अपनी बात नहीं कहता, सभी पार्टीज के माननीय सदस्य एडवोकेट्स हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आधे मिनट में।

आप उनसे पूछ लीजिये। हरिसिंह जी बहुत अच्छे एडवोकेट हैं उनसे पूछ लीजिये, सूर्य कुमार जी से पूछ लीजिये, तकीउद्दीन जी से पूछ लीजिये जितने भी एडवोकेट्स हैं वे जानते हैं, माननीय गोविन्दसिंह जी जानते हैं और आप स्वयं भी जानते हैं कि क्या किसी कानून में यह लिखा होता है कि इसको किसी भी कोर्ट में चैलेन्ज नहीं किया जा सकता ? फाइनल अथारिटी है, इसका पर्पज क्या होता है ? इसका मतलब क्या होता है ? क्या डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह के बिल या आर्डिनेन्स जारी किये जा सकते हैं ? फिर भी मंत्री महोदय यहां पर इस बिल को ला रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं क्या इस तरह का आर्डिनेन्स जारी किया जा सकता है ? इस तरह का आर्डिनेन्स इस सदन में विधेयक के रूप में विचारार्थ लाया गया है। इसके बॉडी सिस्टम और फंक्शन के पावर्स के अन्दर भयंकर अनियमिततायें और गड़बड़ियां हैं इसलिये मैं मानता हूं कि आर्डिनेन्स के द्वारा जयपुर का विकास नहीं किया जा सकता है। इसको तो मैं गोटेवालाजी के विकास के लिये ही मान सकता हूं।

(श्री नाथूसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे बिल को पढ़ने के पश्चात् मुझे यह लगा कि यह जे०डीए० नहीं है, जयपुर डवलपमेन्ट ऑथोरिटी नहीं है, इसको तो मैं जे०बी०ए०–जयपुर ब्यूरोक्रेट्स ऑथोरिटी कह सकता हूं। अतः सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस आर्डिनेन्स को निरस्त करे।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप दोनों में से एक बोल लें। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय मुझे भी बोलने के लिये दें।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय मुझे भी दें।

श्री उपाध्यक्ष : You will be in a better position to explain.

श्री कैलाश मेघवाल : I have been able to catch your eye, Sir.

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं भी बोलूंगी। मेरे अधिकारों को काटें नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठिये। समय का भी ध्यान रखें। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आपके आदेश की पूरी पालना करेंगे, निवेदन यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : Please be brief.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल द्वारा दिनांक 14·7·82 को प्रख्यापित, जयपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 4, सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि परिनियत संकल्प द्वारा हमने यह प्रस्ताव किया है कि यह जो अध्यादेश सरकार ने जारी किया है उसे निरस्त किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, बार बार इस प्रश्न पर चर्चा होती है, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, कि जब राज्य सरकार को यह आवश्यकता पड़े कि तुरन्त से तुरन्त यह अध्यादेश जारी नहीं किया तो उससे बड़ा नुकसान हो जायगा, उसके कारण इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जायेंगी जिनको काबू करना मुश्किल हो जायगा, उस समय अध्यादेश लाया जाता है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां आज परम्परा ऐसी पड़ गई कि किस न किसी को कुछ न कुछ बनाना है, इसलिये अध्यादेश जारी करना है। एक तारीख को किसी का जन्म दिन था, मंत्री महोदय का था अथवा मुख्य मंत्री का था उनके जन्म दिन को सेलीब्रेट करने के लिये यह अध्यादेश जारी किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2.41 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या किसी के जन्म दिन को सेलीब्रेट करने का मैटर इतनी अर्जेन्सी का मैटर होता है। किसी का जन्म दिन मनाने का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि राज्यपाल से अध्यादेश जारी कराया जाय। क्या इसके बिना जन्म दिन नहीं मनाया जा सकता। जन्म दिन के तोहफे के रूप में इस प्रकार का अध्यादेश जारी करने का घृणित काम और प्रजातन्त्र के साथ मखौल करने का काम जिस प्रकार सरकार ने किया उसकी मिसाल नहीं है। अध्यादेश जारी करने की सरकार की जो पावर है, जो शक्ति है उसका किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा के लिए, किसी व्यक्ति विशेष का जन्म दिन मनाने के लिये जिस प्रकार भयंकर दुरुपयोग किया गया उससे बड़ा प्रजातन्त्र के साथ कोई मखौल नहीं हो सकता। वह इसी राज्य में हो सकता है, सभापति महोदय, और वह इसलिए हो सकता है कि यू. आई. टी. को भंग करना था। वह इसलिए हो सकता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश के द्वारा कितने ही एक्ट समाप्त कर दिये गये, कितने ही एक्ट के ऊपर अध्यादेश थोपा गया। क्या उनके लिए यह आवश्यक नहीं था कि विधान सभा जब चालू होती तब भी जे. डी. ए. का गठन हो सकता था। जे. डी. ए. का गठन आज हो जाता तब आपको क्या तकलीफ हो जाती। उस एक्ट पर विचार होता, उसकी एक एक धारा पर विचार होता उसके बाद पारित किया जाता। आज तो यह हालत पैदा कर दी, सभापति महोदय, यह अध्यादेश राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के ऊपर है। नगरपालिका अधिनियम द्वारा बनाई गई धाराओं के अन्तर्गत जो प्रावधान हैं उनको यह अध्यादेश सुपरसीड करता है। यह अध्यादेश पंचायत अधिनियम के ऊपर है। इसमें इतने गांवों को सम्मिलित किया गया, 300 गांवों को सम्मिलित किया गया।

पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत गांव आते हैं, उस पंचायत अधिनियम को यह सुपरसीड करेगा, टिनेन्सी एक्ट जो बना है उस टिनेन्सी एक्ट को सुपरसीड करेगा, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट जो बना हुआ है उसको सुपरसीड करेगा। फ्रेगमेंटेशन के जो एक्ट बने हुए हैं रजिस्ट्रेशन के, कृषि भूमि का किस प्रकार से फ्रेगमेन्टेशन होगा, रजिस्ट्री नहीं होगी, उस प्रकार के सारे कानूनों को यह सुपरसीड करेगा। आपने प्रावधान किया है जो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार प्लाट्स की रजिस्ट्री करेंगे तो उसका टैक्स लगेगा। यह विकास प्राधिकरण एक्ट में प्रावधान है। उसके पास उसका टैक्स आयेगा। जिला परिषद् अधिनियम बना हुआ है उसको सुपरसीड करेगा। इसके अलावा कृषि भूमि रूपान्तरण के जो नियम बने हुए हैं उनको सुपरसीड करेगा। इस प्रकार के 15-20 एक्ट्स को सुपरसीड करने वाला बिल आज इस अध्यादेश के द्वारा सामने आयेगा। यहां बैठी हुई सरकार की **तुनक मिजाजी** में यह नहीं आया कि इतने एक्ट्स बने हुए हैं। न उन एक्ट्स का अध्ययन किया, न उनके अन्तर्गत जो आने वाली धारायें हैं उनका अध्ययन किया और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं कौन-कौन से अध्यादेशों का यह कान्ट्राडिक्टरी है उसका अध्ययन किया। कोई भी व्यक्ति जब जाकर कहेगा कि पंचायत के अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम बना हुआ है, यह एक्ट उसके खिलाफ है वह जाकर हाई कोर्ट में चैलेन्ज करेगा उस दिन पता चलेगा अपने को। अगर इस परिनियत संकल्प के द्वारा अध्यादेश निरस्त नहीं करेंगे, सभापति महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा जो हमारी विधान निर्माण करने की शक्ति है उसको चैलेन्ज किया जायेगा हाई कोर्ट में, अन्य कोर्ट में और एक-एक धारा एक-एक खण्ड को निरस्त किया जायेगा तब पता लगेगा कि इन ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में खेलकर राजस्थान की विधान सभा कितना बड़ा मखौल उड़ाने की कोशिश कर रही है।

एक अध्यादेश के जरिये 22 कानूनों का उल्लंघन हो रहा हैं, 17 कानूनों को यह सुपरसीड करेगा। आपका विधान सभा का सेशन चल रहा है, आप जानते हैं एक्ट में एक-एक बात हो सकती थी लेकिन इनको करना नहीं था, इनको तो जन्म दिन मनाने के लिए अध्यादेश जारी करना था। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं किसी का जन्म दिन मनाने के लिए किसी की तुनक मिजाजी के लिए संविधान की धाराओं का मखौल नहीं उड़ाया जा सकता, संविधान को खिलौना नहीं बनाया जा सकता। मैं कहना चाहूंगा, गोटेवालाजी, आपने इस अध्यादेश के जरिये संविधान का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, किसी का जन्म दिन मनाने के लिये संविधान का आपने मजाक उड़ाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस आर्डिनेन्स में यह प्रावधान किया गया, सभापति महोदय, कि दो सौ, तीन सौ गांव इसमें आने वाले हैं। उन गांवों में उनके अन्तर्गत आने वाली ढाणियों में अगर कोई व्यक्ति झोंपड़ी बनायेगा तो वह पंचायत से अनुमति नहीं लेगा, उस ढाणी के रहने वाले को मकान बनाने के लिए पंचायत स्वीकृति नहीं देगी। अगर किसी को कुछ भी करना है चाहे वह सांगानेर में रहता है, चाहे वह चौमूं में रहता है, चाहे वह आमेर में रहता है, चाहे छोटी ढाणी में रहता है उसको विकास प्राधिकरण के पास आकर अपने मकान बनाने की अनुमति लेनी होगी। आपने सारे के सारे अधिकार खतम कर दिये, आपने तीन सौ गांवों की जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया ? मैं पूछना चाहता हूं क्या अधिकार था आपको पंचायतों के अधिकार छीनने का ? वह मकान बनाना चाहते हैं, झोंपड़ा बनाना चाहते हैं और अनुमति लेने के लिए आपके पास आयेंगे, शहर में। आपने अनुमति देने के सारे के सारे अधिकार खतम कर दिये। पंचायतें नगरपालिकाएं, अन्य संस्थाएं जो वहां पर काम करती हैं के सारे अधिकार आपने खतम कर दिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यादेश जारी करने का कोई कारण नहीं था।

विकास प्राधिकरण का गठन होते ही यहां जो सचिव नियुक्त हुए उनका पहला स्टेटमेन्ट आया जो राष्ट्रदूत में फर्स्ट पेज पर मुख्य लाइनों में छपा है। सभापति महोदय, आपने पढ़ा होगा तो अध्यादेश जारी करने का मुख्य कारण आपको समझ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में आ गया होगा। उसमें साफ कहा है प्राइवेट कालोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए विकास प्राधिकरण कोशिश करेगा और प्राइवेट कालोनाइजेशन को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जयपुर का मास्टर प्लान बना हुआ है। मास्टर प्लान के अन्दर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या क्या काम होना था उन कामों के लिए स्वीकृति दी हुई थी और आज आप कहते हैं मास्टर प्लान को बदलेंगे। बदलेंगे तो पहले आपने किस प्रकार का ध्यान नहीं दिया? आपने तो एक प्रकार का [redacted] खोल दिया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस आर्डिनेन्स में कुछ नहीं है इसमें एक ही बात है कि गृह निर्माण समितियों ने जो अनधिकृत काम किया है, जो मास्टर प्लान को समाप्त करने का काम किया है उसको रेगुलेराइज कर दें। गोटेवालाजी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री का वाक्य, उन्होंने जब जल महल योजना का उद्घाटन किया था तब उद्घाटन करते हुए कहा था कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा जो कालोनीज बसाई गई हैं वे जयपुर के सुन्दर चेहरे पर चेचक के दाग हैं। उस समय तो आपको जयपुर के सुन्दर चेहरे पर चेचक के दाग लग रहे थे और आज आपने जे. डी. ए. के द्वारा उन चेचक के दागों को मान्यता प्रदान की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह जो गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा कृषि भूमि रूपान्तरण के...

(व्यवधान)

आप नहीं चाहते थे विधान सभा के अन्दर इसका बिल पेश किया जाय, आप असमर्थ हैं। आपमें हिम्मत है तो मैं चैलेन्ज करता हूं, आप इस अध्यादेश को निरस्त करवाइये। अध्यादेश को निरस्त नहीं करवाते हैं तो भेज दीजिये सलेक्ट कमेटी को। जो बिल प्रस्तुत हो उसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करवाइये और इस बिल की खामियां निकलवाइये। मगर मैं जानता हूं आपमें सामर्थ्य नहीं है। सभापति महोदय, मेरा आरोप है प्राइवेट कालोनाइजर्स से पैसा लेकर राजस्थान में इतना बड़ा काण्ड किया है जितना महाराष्ट्र में अन्तुले ने नहीं किया था। एक-एक प्राइवेट कालोनाइजर, एक-एक गृह निर्माण समिति को वह बढ़ावा दे रहे हैं। सभापति महोदय, सरकार ने उनको आश्वासन दिया। उन्होंने सरकार से आश्वासन लिया, गृह निर्माण समिति ने काम करवाये, प्लाट बांटे, प्लाटों से पैसा लिया। उन प्लाटों से जो पैसा लेने वाले थे उन लोगों को एक तरफ सरकार ने आश्वासन दिया, दूसरी तरफ उन लोगों के प्लाटों का नियमितीकरण हो गया। सरकार ने उन लोगों से कृषि भूमि रूपान्तरण का पैसा जमा किया। जे. डी. ए. द्वारा जयपुर के विकास के लिये नहीं, सभापति महोदय, चन्द पूंजीपतियों के विकास के लिए सारा का सारा खेल किया जा रहा है। सरकार चन्द पूंजीपतियों के विकास के लिए पंचायत के अधिकार खतम कर रही है, नगरपालिका के अधिकार खतम कर रही है। चन्द पूंजीपतियों के विकास के लिए जो 15-16 अधिनियम विधान सभा में पारित हुए उनको समाप्त करना चाहते हैं। कुछ व्यक्तियों को टूल बनाकर विधान सभा में अध्यादेश पारित करवाना चाहते हैं इससे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए हो नहीं सकती। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार इसके मूल में है, भ्रष्टाचार इसका मूल आधार है। कृषि भूमि रूपान्तरण के नियम बने हुए थे। आपको, सभापति महोदय, ध्यान होगा राजस्थान रोडवेज का 46 लाख रुपया बकाया था वह 46 लाख रुपया, मैं आरोप लगाता हूं, प्राइवेट कालोनाइजर्स से वसूल किया और राजस्थान रोडवेज को चुकाया। उस चुकाने का बदला देने के लिये यह अध्यादेश यहां लेकर आये हैं। इस 46 लाख रुपये का जब बिल चुकाया एक-एक लाख रुपया एक-एक प्राइवेट कालोनाइजर्स से लिया। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के किसी खाते में कोई पैसा नही था। मैं चैलेन्ज करके कहना चाहता हूं एक भी पैसा बैंक के अन्दर जमा नहीं था। जयपुर की कृषि सहकारी समितियों से पैसा लिया गया और पैसा जमा कराया गया। वह पैसा वापस उन समितियों को जमा करवाया गया। उनसे जो वायदा किया गया उस वायदे के लिये यह अध्यादेश लेकर आये हैं और कोई कारण नहीं है।

श्री सभापति : इस संकल्प पर बोलने वाले बहुत सारे माननीय सदस्य हैं इसलिए पांच मिनट से ज्यादा किसी को नहीं दिया जायगा।

एक माननीय सदस्य : बहुत इम्पार्टेन्ट है।

श्री सभापति : है तो इम्पार्टेन्ट लेकिन समय भी इम्पार्टेन्ट है।

(व्यवधान)

होगा नहीं इस तरह से दो दिन में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें चार दिन लगेंगे, इसमें कई दिन लगेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें बीस दिन लगाओ, उसकी चिन्ता मत करो, लेकिन समय का ध्यान रखियेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समय का भी ध्यान रखूंगा, आपने जो सलाह दी है उसका भी ध्यान रखूंगा और मन्त्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है उसका भी ध्यान रखूंगा और ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर के मास्टर प्लान के अनुसार जिस जगह पर रोडवेज का स्टेण्ड बनना था, जिस जगह तांगा स्टेण्ड बनना था जिस जगह स्कूटर स्टेण्ड बनना था जिस जगह कार्मशियल काम्प्लेक्स बनता था, यह कहा जा रहा है उस मास्टर प्लान में पूर्ण रूप से परिवर्तन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आप यू. आई. टी. के चेयरमैन रहे हैं उस समय तो आप मकानों को तोड़ रहे थे। मन्त्री जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आज से दो महीने पहले जिन मकान वालों को आपने उजाड़ा था उसका क्या जवाब है। सभापति महोदय, दो महीने के अन्दर सरकार को सनक आई, बैठे-बैठे लोगों के मकानों पर बुलडोजर चला दिये और जो लोग बच गये थे, आज दो महीने बाद इस अध्यादेश के द्वारा आप चाहते हैं उनके मकान नहीं तोड़े जायेंगे। जिनके तोड़ दिये उन गरीब आदमियों को मुआवजा कौन देगा, उनका पैसा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कौन चुकायेगा ? सरकार की सनक इस तरह नहीं चलेगी । किसी व्यक्ति का जन्म दिवस मनाने के लिये अध्यादेश जारी नहीं करने दिया जायगा । मैं पूछना चाहता हूं, जहां पर उन लोगों के मकान तोड़े, लाखों का नुकसान किया आज वहां फिर प्राइवेट कालोनीज बसाने का मतलब क्या है । दो महीने पहले जो मास्टर प्लान था उसका क्या हुआ ? एक तरफ सरकार कहती है कि मास्टर प्लान के तहत जिन-जिन लोगों के अवैध मकान बने हुए हैं, उनको ध्वस्त किया जायेगा, बुलडोजर चलाये जायेंगे । तो आप विकास की बात करते हैं ? हम प्राइवेट कालोनाइजर्स को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा विकास किया और आप कहते हैं कि जयपुर के चेहरे पर चेचक के दाग हैं । आप उनको अपने चेहरों पर क्यों लगवाना चाहते हैं ? जयपुर के चेहरे पर दाग हों, लेकिन आप अपने चेहरे पर क्यों चेचक के दाग थोपना चाहते हैं । मुख्य मंत्री जी ने जयपुर को सुधारने की बात जल महल योजना का उद्घाटन करते हुए की थी । यह चेचक के दाग जयपुर के चेहरे पर तो नहीं थे, लेकिन मुख्य मंत्रीजी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी, आपके चेहरों पर यह कलंक के दाग जरूर लग जायेंगे । लोगों के मकान तोड़े पंचायतों की स्वायत्ता वापस ली, नगरपालिकाओं की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी, भ्रष्टाचार का कानून लागू किया, देश में लूटो-खाओ का राज है । इतना बड़ा अत्याचार अन्तुले ने नहीं किया, जगन्नाथ मिश्र ने नहीं किया, जितना बड़ा अत्याचार राजस्थान की सरकार इस कानून के द्वारा करना चाहती है, इससे बड़ी बुरी बात और क्या हो सकती है । इसलिए मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि इस अध्यादेश को निरस्त किया जाये ।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, परिनियत संकल्प पर आपके माध्यम से बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनॉक 14.7.82 को प्रख्यापित जयपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1982) को अस्वीकार करता है ।

माननीय सभापति महोदय, कानून बनाये जाते हैं और विधान सभा राजस्थान में कानून बनाने वाली प्रमुख संस्था है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इस अध्यादेश को देखा जाये तो इसमें 106 धारायें हैं, जिनकी उप धारायें हैं, उप धाराओं के बाद भाग हैं, कुल मिलाकर पांच सौ सवा पांच सौ धाराओं का यह अध्यादेश है । संविधान में आपातकालीन अधिकार अध्यादेश प्रख्यापित करने के हैं । अब यह सही है, यहां भी यह बात स्वीकार की जाती है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसी और को नहीं दे सकते, लेकिन इसका दुरुपयोग करने का अधिकार राज्य सरकार नहीं ले सकती । इतनी बड़ी धाराओं वाले कानून के लिए राजस्थान में यह अध्यादेश लागू करना किसी भी रूप में उचित नहीं था । प्रत्येक धारा, उपधारा पर विचार किया जा सकता था । विचार करने के बाद उसके औचित्य-अनौचित्य, उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं उन पर विचार किया जा सकता था और उसके

(श्री कैलाश मेघवाल)

बाद उसको लागू किया जाता तो, माननीय सभापति महोदय, आप भी उसको उचित समझते और हम भी समझते। आखिर क्या किया अध्यादेश लागू करने के बाद? आपके जयपुर विकास प्राधिकरण की बात बड़े लम्बे समय से चल रही है। मैं इसमें भी राजनीति नहीं समझता कि सदन के अधिकार को समाप्त करने का यही एक तरीका था या कोई और तरीका था, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर विकास प्राधिकरण का अध्यादेश इतनी जल्दी लाने की क्या आवश्यकता थी, क्या कारण था। राज्यपाल महोदय के आने के बाद, आज तक कोई बड़ी बात हुई हो, मैं नहीं समझता। हां, एक बात जरूर हुई राज्यपाल महोदय ने विकास प्राधिकरण का उद्घाटन किया। इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राज्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं, अध्यादेश लागू करना चाहते हैं आपने कानूनी कार्यवाही कर ली लेकिन इस अध्यादेश के द्वारा क्या किया जायेगा, यह बतायें। हर चीज का केन्द्रीयकरण हो रहा है। आज सारे देश में एक आवाज उठ रही है, सारे देश में राजनैतिक चिन्तन चल रहा है राजनैतिक शक्तियों के विभाजन के चिन्तन की चर्चा, केन्द्रीयकरण की चर्चा चल रही है। दिल्ली से लेकर नीचे पंचायत राज तक केन्द्रीयकरण की बात करते हैं।

इस अध्यादेश के द्वारा अधिकारों का केन्द्रीयकरण किया जायेगा। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, राज्य सरकार से यह अधिकारों का केन्द्रीयकरण आप कहां से करना चाहते हैं। क्या यहां आपका चिन्तन, कल्पना है? क्या यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है? जो देश की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की, कर्त्तव्यों के विकेन्द्रीकरण की बात चल रही हैं, अच्छे ढंग से बात हो, क्या यह उसके अनुकूल है? आज तक ऐसा नहीं किया गया। आप सारे अध्यादेश को पढ़ लीजिये, मैंने तो सरसरी तौर से पढ़ा है, मन्त्री महोदय ने तो बड़े ध्यान से उसके ड्राफ्ट को पढ़ा होगा। क्या बिना देखे ही उसको प्रेस में भेज दिया? इसके बारे में मुझे नहीं कहना लेकिन संजीदगी के साथ किसी भी स्वाभिमान वाले, कानून जानने वाले व्यक्ति ने इस अध्यादेश को नहीं देखा है। आज दोहरी प्रणाली है। अथारिटी के कोई अधिकार डिस्टीगुइस नहीं है, अधिकार डिस्टीगुइस नहीं होने के कारण यह मालूम नहीं होता कि कौन सा अधिकार किसके पास रहेगा, किसके पास नहीं रहेगा। प्राधिकरण आखिर क्या है? माननीय सभापति महोदय, यह समय बतायेगा इसके बारे में आप और हम लोग विधान सभा में आयेंगे, जब भी जनता मौका देगी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इससे जयपुर का विकास नहीं होगा बल्कि इससे जयपुर के विकास को बिगाड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी।

सभापति महोदय, आपके समय में भी अधिकार थे, उसको उल्टी गंगा की तरफ अब यह चलायेंगे और यह अध्यादेश अराजकता फैलाने वाली स्थिति पैदा करेगा। आखिर आपके पास क्या है? इस अध्यादेश के द्वारा आपके सारे अधिकार ले लिये। इन अधिकारों को काम में लेने वाले व्यक्तियों को फुरसत नहीं है। अभी-अभी

(श्री कैलाश मेघवाल)

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि पंचायत समितियों के सारे अधिकार आपने ले लिये हैं। आपने सहकारी समितियों के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस राजस्थान में समय-समय पर विभिन्न विषयों पर चिन्तन, मनन, वाद विवाद और पूरी बहस के बाद कई कानून बने हैं। उन कानूनों में जो अधिकार है, सरसरी तौर से इस अध्यादेश के अन्दर कह दिया गया कि प्राधिकरण को यह अधिकार होंगे और यह भी अधिकार होंगे, लेकिन उनको रेगूलेट कौन करेगा, उनको नियन्त्रित कौन करेगा, उनकी क्रियान्विति कैसे होगी, उन शक्तियों का एक्जीक्यूशन कैसे किया जायेगा, इस बात का भी इसमें कुछ पता नहीं है।

यह इस बात को साबित करता है कि लोगों पर कानून के शासन की जगह डंडों का शासन होगा। यह जयपुर के विकास की बात करते हैं, जयपुर के विकास की बात करते हुए उसमें आपने क्या कहा है। आपने जयपुर के विकास की क्या कल्पना की? मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इन्होंने कल्पना नहीं की। उसमें इस बात का जिक्र करते हैं कि जयपुर रीजन के विकास के लिये एक मास्टर प्लान बनेगा और वर्तमान मास्टर प्लान में भी स्वीकृतियां दी जाती रहेंगी, जब तक रूल नहीं बन जाता। अगर इस मास्टर प्लान के अन्तर्गत कोई काम किये गये हैं वह उसमें नहीं आये जान बूझ कर तो मुआवजा दे दिया जायेगा। क्या तमाशा है? आपकी अगर कोई योजना है तो उस योजना के आधार पर चलिये, आपकी अगर कोई सही कल्पना है तो उसके आधार पर चलिये। आपने कल्पना की? जयपुर के लिये जो मास्टर प्लान है वह, सभापति महोदय, इस अध्यादेश के साथ पेश होना चाहिए था। आखिर आपको जल्दी क्या है? कौन-सा आसमान गिर रहा था, कौन सी प्रदेश की हुकूमत नीचे चली जा रही थी। लेकिन तोड़-मरोड़ कर इस अध्यादेश को लाने का बहाना बनाया, कोई कल्पना नहीं की एक मास्टर प्लान और बनेगा और उसमें भी स्वीकृतियां जारी रहेंगी। उसमें जो भी आयेगा उसको मुआवजा दे दिया जायेगा। क्या राजस्थान की सरकार का खजाना, राजस्थान की जनता का खजाना इस अध्यादेश के माध्यम से लुटवाना चाहते हैं।

मैं, सभापति महोदय, इसलिये कह रहा हूं जो अध्यादेश लाने का अधिकार है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। आपने जयपुर की जो कल्पना की है, वह आपने जयपुर रीजन को सुधारने की नहीं बल्कि बिगाड़ने की की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने भी यू. आई. टी. का कानून पढ़ा होगा। उसको पढ़कर उसकी सब धाराओं को पढ़कर मुझे बता दीजिये, स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं वह बतायें कि उसमें क्या फर्क है। यू. आई. टी. के कानून और उसमें क्या फर्क है? जो उसके कर्यकलाप थे, जो उसके कार्य करने के तरीके थे वह ऐसे नहीं थे, वह जनता के हित, लाभ के लिये थे। उसके बजाय आपने इसमें जो पावर्स

(श्री कैलाश मेघवाल)

दी हैं वे जनता के लिए लाभकारी नहीं हैं।

जैसा बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, माननीय सभापति महोदय, मैं आज भी सदन में निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के जिस प्रशासनिक तंत्र, सचिवालय के जिन वरिष्ठ अधिकारियों को आपने प्राधिकरण का तत्व बनाया है और उसमें जिन लोगों को एक्जीक्यूटिव का सदस्य बनाया है उनसे राजस्थान आज परेशान है। ये बड़े आफिसर्स, बड़े ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से काम कर रहे हैं उसकी एक बार नहीं अनेकों बार इस विधान सभा में चर्चा हो चुकी है। मंत्रियों का उसमें हाथ है या नहीं मैं नहीं कहना चाहता लेकिन यहां तो मंत्री का उत्तरदायित्व है। मंत्री के नीचे भ्रष्टाचार होता है उसके लिये मंत्री का उत्तरदायित्व माना जाना चाहिये, यह हमारी शासन व्यवस्था है। उसके लिये मंत्री का उत्तरदायित्व माना जाता है। लेकिन उनको फुरसत नहीं है, उनका कोई कमिटमेंट नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर परिणाम आपको लेने हैं तो उसके लिये कमिटमेंट होना आवश्यक है, उस कमिटमेंट के पीछे डेडीकेशन होना आवश्यक है, उस डेडीकेशन के पीछे मिशन होना आवश्यक है। आज आपके अधिकारियों का, ब्यूरोक्रसी का स्वरूप दुर्भाग्य से इन 35 सालों में इस देश में जो बना है वह यह है कि ब्यूरोक्रसी कमिटमेंटलेस है, आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। रोज सवेरे 10 बजे से ढाई बजे तक या 4 बजे तक टेलीफोन करते रहें, कहां गये सैक्रेटरी साहब? कमेटी में। कहां गये सैक्रेटरी? कमीशन में। कहां गये सैक्रेटरी साहब? फलां जगह। कोई एक निर्णय ऐसा नहीं जो अधिकारियों ने स्वयं अपने उत्तरदायित्व पर लेकर कहा हो कि यह निर्णय मेरा है। मैं यह निर्णय ले रहा हूं। यह हालत इसलिये हो गई कि उनका कमिटमेंट नहीं, कान्सेन्शसलेस हैं। जनता के साथ क्या भी ज्यादती हो जाय, अपने आप में जिस तरह से ट्राइब पैदा हो रही है उस ट्राइब के आधार पर राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्य मंत्री, राजस्थान के स्वायत्त शासन राज्य मंत्री कल्पना करना चाहते हैं कि हम जयपुर का विकास करेंगे, यह कल्पना गलत है। इसमें देखिये, चुने हुये प्रतिनिधियों की बात कही।

मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं वीकर सैक्शन्स के लिये इसमें क्या है? सारे प्राधिकरण का अध्यादेश, सारे अध्यादेश के प्रावधान हैव्ज के लिये आपने रखे हैं, हैव नाट्स के लिये एक भी बता दीजिये, हैव नाट्स का एक प्रतिनिधि बता दीजिये, हैव-नाट्स की बात आप तक पहुंचा सकने का माध्यम बता दीजिये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह कौनसा तरीका है? 20 सूत्री कार्यक्रम का कौनसा क्रियान्वयन हो रहा है जिसमें हैव्ज ही हैव्ज के लिये सारे प्रावधान हैं।

मैंने जैसा निवेदन किया सहकारिता अधिनियम के तहत सारी सहकारी समितियों का प्रशासन चलता है, आडिट होता है, आडिट के आधार पर दूसरी बातें होती हैं। एक

(श्री कैलाश मेघवाल)

ब्लैंकेट सैक्शन 99 में उन्होंने लिख दिया और कह दिया कि सहकारी समितियां अधिनियम सो एण्ड सो के कोई प्रावधानों के होते हुये भी प्राधिकरण अंतिम नियंत्रक होगा। यह अराजकता है, यह जंगल का राज है, यह अधिनायकवादी अधिकार है। कहां ले जायेंगे जनतंत्र के स्वरूप को ? क्या नहीं जनतंत्र का स्वरूप है, मैं पूछना चाहता हूं। आपकी सहकारी समितियां हर क्षेत्र में हैं, औद्योगिक क्षेत्र में हैं, कृषि के क्षेत्र में हैं और क्षेत्रों में हैं और हर क्षेत्र की सहकारी समितियों में राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 लागू होता है।

(3·04 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, आपने आते ही घंटी बजा दी....

श्री उपाध्यक्ष : हां, बहुत देर हो गई।

श्री कैलाश मेघवाल : देर कहां हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य, और भी मौके मिलेंगे आगे।

श्री कैलाश मेघवाल : वह मौका मैं चाहता हूं आये ही नहीं। यह अध्यादेश अस्वीकार कर खारिज कर दिया जाये और मैं चाहता हूं वह मौका नहीं आये। इसलिये मैं चाहता हूं यह प्रामाणिकता से आपने बात कही और अपना तर्क रखा। माननीय खेतसिंह जी, आपका तो यही काम है समय निर्धारित करना और कर दो वो कर दो। वह ठीक है, लेकिन आपके पड़ोस में बैठे राज्य मंत्री से पूछ लें। इसमें आपने अधिकारों के रेगूलेशन, सारे एक्ट को, भू राजस्व अधिनियम....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय निर्धारित है। 5–5 मिनट से ज्यादा न लें।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, भू राजस्व अधिनियम, 1955 लागू हुआ। राजस्व मंत्री इस बात से सहमत होंगे, यह बहुत ही काम्पलीकेटेड लॉ है राजस्थान की भूमि के बारे में, क्योंकि कृषि भूमि के बारे में है। एक ब्लैंकेट सैक्शन 58 में लिख दिया है कि भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई प्रावधान होते हुए भी प्राधिकरण को सब अधिकार होंगे। 300 सैक्शन्स की विस्तार से चर्चा की हुई है, धारा उप धारायें हैं। उस व्यवस्था में एक एक सैक्शन में इस अध्यादेश में आपने इस तरह के प्रावधान किये हैं, माननीय सभापति महोदय, इन प्रावधानों से राजस्थान के जयपुर रीजन का तो भला नहीं होगा। मैं दूसरी चर्चा में जाना नहीं चाहता, समय बता देगा क्या है या नहीं है लेकिन मन्तव्य साफ है, इरादा साफ झलकता है। होना तो यह चाहिये था कि धाराओं पर अच्छे ढंग से सोच विचार करते, जैसे बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था जुम्मे-जुम्मे 8 दिन हुये हैं, अभी हुआ क्या है। आप एक अच्छे वरिष्ठ विधिवेत्ता हैं, आप बतायें

(श्री कैलाश मेघवाल)

कौनसा लेजिस्लेशन अच्छा होता है। बढ़िया लेजिस्लेशन वह होता है जो एक बार बनने के बाद लंबे समय तक सेवा करते रहे, लंबे समय तक काम आता रहे। अच्छे लेजिस्लेशन की परिभाषा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े शहरों में लागू हुआ है।

श्री कैलाश मेघवाल : बड़े बड़े शहरों में लागू हुआ ये तो यहां नहीं हैं। इन्होंने नकल की है दिल्ली विकास प्राधिकरण की लेकिन उस नकल में भी अपनी अकल का हिस्सा होना चाहिये। दिल्ली डवलपमेंट अथॉरिटी के पूरे प्रावधान लागू कर देते तो ठीक था लेकिन वह अकल नहीं आई नकल में अकल से काम लेना चाहिये। यह गोटेवाला का बनाया हुआ है या किसी प्राइवेट लॉबी का बनाया हुआ है मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा लेजिस्लेशन वह होता है जो लंबे समय तक बिना संशोधन, बिना तरमीम के जनता की सेवा करे। अच्छे लेजिस्लेशन की कल्पना भी यह होती है। यह दुर्भाग्य है अध्यादेश तो आया पास हुआ नहीं और एक्ट बना नहीं और एक के बाद एक पचासों संशोधन राज्य सरकार की तरफ से आ गये। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और हमारा क्या हो सकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि अध्यादेश लाने के बाद इसके बारे में सोचा नहीं गया। आखिर क्या कारण है? मैं आपकी राय चाहता हूं, मैं जानता हूं, आप राय देते नहीं हैं इस आसन पर बैठकर, अध्यादेश आते देर नहीं हुई और 50 संशोधन। Can it be deemed to be a good legislation?

इस अध्यादेश पर आज सदन में सहमति करवाना चाहते हैं, भगवान के लिये इनको सदबुद्धि आये और उसके आधार पर इस अध्यादेश को स्वयं वापस ले लें, इसको अस्वीकार हो जाने दें और अस्वीकार हो जाने के बाद अगर जयपुर रीजन के विकास की कल्पना है तो सबक लेकर कुछ दिशा निर्देश लेकर अपनी कल्पनाओं को विशाल करके और कूपमंडूक की स्थिति से निकलकर जयपुर के विकास का एक अच्छा कानून बनायें यही आपके द्वारा निवेदन है। मैं इस अध्यादेश को अस्वीकार करने का निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक। समय का ध्यान रखें। 5 मिनट से ज्यादा न लें।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित जयपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

एक मिनट तो आपने ही ले लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, 14 जुलाई 1982 को एक अध्यादेश के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई। करीब करीब दो ढाई माह होने आये हैं। ऐसी इसकी इमर्जेंसी क्या थी कि अध्यादेश जारी करना पड़ा। इसके साथ ही प्रश्न यह है कि अध्यादेश जारी करके आज तक क्या काम किया? आज तक

(श्रीमती विद्या पाठक)

उसने उस दिशा में क्या क्या कदम उठाये, यह स्वतः ही प्रश्न खड़ा होता है। हां, कुछ कदम तो माननीय मन्त्रीजी ने अवश्य उठाये हैं और कुछ कदम उनके विभाग द्वारा भी उठाये गये हैं। उनमें एक तो यह है कि 6-9-82 को माननीय आवासन मंत्री ने एक वक्तव्य जारी किया कि आवासीय भूखण्ड नीलाम नहीं होंगे। लेकिन इसके तुरन्त दो दिन बाद ही 9-9-82 को मंत्रीजी के इस वक्तव्य का प्राधिकरण ने विरोध किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा। 9 सितम्बर के आसपास ही प्राधिकरण अधि-अधिकारियों का वक्तव्य आया। उसमें उन्होंने कहा कि आवासीय भूखण्डों की बिक्री बन्द कर दी गई है अब केवल नीलाम होंगे। एक काम तो इस प्राधिकरण ने यह किया। दूसरा काम जो अध्यादेश जारी करने के बाद किया गया वह यह किया गया कि जयपुर की यातायात व्यवस्था को सुधारा जायेगा। उसके लिये सबसे पहले उनका हमला उन गरीब मालिनों पर हुआ जो कि बेचारी सड़कों पर बैठी साग-सब्जी बेचती थीं। उन मालिनों को हटाने का जो काम किया उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, उनको आल्टरनेट व्यवस्था किये बिना ही उठा दिया गया। उसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय न जाने अचानक क्यों काम को भी बन्द कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसको बन्द करने का मुख्य कारण एक यह भी था कि विधान सभा चलने वाली है और यह दो ही काम किये एक नया बवण्डर खड़ा हो जायेगा। आपने ही यह काम शुरू किये और आपने ही इनको बन्द कर दिया। आपके यह दोनों कार्यकलाप और यह दोनों ही एक्शन शो करते हैं कि आप अध्यादेश के प्रति कितने सीरियस हैं और कितने अरनेस्ट हैं। यह दृष्टिकोण प्राधिकरण को सुचारू रूप से चलाने की संभावना व भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।

प्राधिकरण की आपके पास न तो कोई योजना है न कोई आपका कनसेप्ट क्लियर है और न ही कोई आपके पास चिन्तन है। आपने जो प्राधिकरण बनाया है और उसमें जो संशोधन किये हैं और करने वाले हैं आप क्या करना चाहते हैं उसकी तस्वीर आपको ही स्पष्ट नहीं है, आप करना चाहने पर भी कुछ नहीं कर पायेंगे। आज भी यह आपके सामने एक बहुत बड़ा डिलेमा खड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश में प्राधिकरण बनाने के लिये जो कारण दिये गये हैं उसमें यह बताया गया है कि जयपुर की आबादी बहुत बढ़ गई है इसलिये वृहद् दृष्टि से इसका शार्ट टर्म और लांग टर्म प्लानिंग होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो फण्डामेंटल बात है इससे डिफर करने की बात ही कहां पर है। यह सही बात है कि आज जयपुर देश के उन 12 बड़े शहरों के अन्दर है जो कि ओवर पापुलेटेड शहर हैं। यह बात भी सही है कि इस सदी के अन्त तक जयपुर शहर की पापुलेशन 25 लाख हो जायेगी। इस प्रकार से जयपुर की जनसंख्या आजादी के बाद 109 प्रतिशत बढ़ गई है जबकि हमारे देश को आजाद हुये सिर्फ 35 साल ही हुये हैं तो यह तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फण्डामेंटल बात है इसको तो मना करने का

(श्रीमती विद्या पाठक)

प्रश्न ही नहीं उठता है। आपने जो प्राधिकरण बनाने की बातें कही हैं वैसे यह तो कोई आपके नये कनसेंप्ट की बात भी नहीं है। आपके पहले तत्काल मुख्य मंत्री, श्री हरदेव जोशीजी के समय में सन् 75-76 में इसके लिये एक विचार चलाया था। तब उन्होंने इसके प्रेक्टिकल आस्पेक्ट और इसकी नोनफिजिबिलिटी को देखकर एक ह्यूमन कन्सिडरेशन को ध्यान में रख कर तब तक के लिये इसको ड्राप कर दिया था जब तक कि इसकी कोई सुनियोजित और फुल प्रूफ योजना नहीं बनाई जावे। लेकिन ये आपके मुख्य मंत्रीजी हैं एक बहुत ही प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं और वे नोवल व कुछ नयी चीज करना चाहते हैं, एक इतिहास बनाना चाहते हैं, उसके लिये उन्होंने जे. डी. ए. का निर्माण करने की बात सोची। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्रीजी यहां पर नहीं बैठे हैं, अगर वह यहां पर बैठे होते तो मैं उनसे कहती, मुख्य मंत्रीजी, इतिहास तो बनेगा पर वह इतिहास ऐसा बनेगा जैसा कि मुहम्मद तुगलक का बना था। उसने भी चमड़े के सिक्के चलाये और राजधानियां बदलीं, और भी इस प्रकार की अनेकों दीवनगियां की थीं जो आप कर रहे हैं। इसका नतीजा यह होगा कि आपका जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसका नक्शा आपके सामने बनकर ऐसा आयेगा कि आपका यह प्राधिकरण बिलकुल ही, अटर फेल्योर जावेगा। वह ऐसा अटर फेल्योर जावेगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप, मुख्य मंत्रीजी, क्योंकि इस प्राधिकरण के चेयरमैन हैं और जैसा कि यहां पर कई माननीय सदस्यों ने शंका व्यक्त की है कि माननीय मन्त्री जी तो शायद इसको समझ ही नहीं पायेंगे कि जे. डी. ए. का मतलब क्या है। वह शायद जे. डी. ए. का मतलब ही नहीं समझ सकेंगे, उनका दायरा यहां तक है कि सिर्फ गोटे की फैक्ट्री बिना फेस बिजली के कैसे चले, चलाई जाय, किस तरह मिट्टी उठवाने में घोटाले किये जायं, और किस तरह पैसा कमाया जाय। मैं, मन्त्री महोदय, आप पर आरोप नहीं लगाना चाहती हूं, लेकिन मुझे, जो आप पर सदन में आरोप लगाये गये हैं उनको डिस्बीलिव करने का मुझे कोई कारण भी नजर नहीं आता है। जयपुर के विकास की बात आपकी समझ के बाहर है यह तो सभी लोग कहते हैं और उसको भी अमान्य करने का प्रश्न ही नही उठता है। आप भी तो वृहद काम करना चाहते हैं और वृहद काम करके एक बहुत बड़ा इतिहास बनाना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि आपका प्राधिकरण का यह अध्यादेश किसको सुपरसीड करेगा ? यह सुपरसीड करेगा, आपकी यू. आई. टी. को जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह डाइरेक्टली उस पर ही असर डालेगा। आप सभी विकास संस्थाओं को मिलाकर काम करना चाहते हैं। जब आप यू. आई. टी. जैसी छोटी संस्था को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाये तो इसको वृहद स्वरुप में कैसे मैनेज करेंगे ? आपकी यू. आई. टी. सन् 61 में बनी और सन् 61 से लेकर 71 तक आपने जयपुर मास्टर प्लान बनाने की सोची। सन् 76 में जो मास्टर प्लान बना उसको एप्रूव किया गया। उसके बाद में आपने क्या किया ? आपकी जो पॉलिटिकल व्हिम थी वह बता रही हूं। मास्टर प्लान

(श्रीमती विद्या पाठक)

बनने के बाद आपने एडवाइजरी कमेटी बनाई और एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया। उसके माध्यम से आप मास्टर प्लान में अमेण्डमेंट करते रहे। आपने उसमें जो चेन्जेज करवाये, वह स्टेट व मन्त्री लेवल पर करवाये। आपकी उन गलतियों का, घोटालों का खामियाजा बेचारे उन अधिकारियों को सदन में अनेकों बार भोगना पड़ा जो कि इसमें शामिल भी नहीं थे। आज स्थिति यह है कि वह लोग आज तक उनका स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं। आपके कारनामों की गा[redacted] उन पर आज भी पड़ती हैं। क्या यह आपकी मोरल रैसपान्सिबिलिटी नहीं है जो आपको पूरी पूरी करनी चाहिये? यहां पर फाइव स्टार होटल की बात कही गई, जैसा कि माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह ने यहां पर कहा कि इसको सैंक्शन देने की कार्यवाही किसने की, यह सभी जानते हैं पर गालियां आज उन अधिकारियों को ही पड़ रही हैं। आपके किये हुये अनुचित कारनामों का दण्ड बेचारे अधिकारियों को भोगना पड़ रहा है। वैसे यह बात भी सही है कि थोड़ा बहुत घोटाला वह भी कर लेते होंगे, इसमें कोई शंका या आशंका की बात नहीं है। सन् 74 से लेकर 82 तक सोडाला में आपने कितनी जमीन एक्वायर की? आप जमीन एक्वायर करते हैं, वह तो गुड इन्टेंशन है, जो आपका विभाग प्रपोजल्स भेजता है। मगर आप एक्वायर या डिएक्वायर किस इन्टेंशन से करते हैं? आपने सन् 74 से लेकर 82 तक सांगानेर से सोडाला तक 9 हजार बीघा जमीन एक्वायर की और उसके प्रपोजल्स हुये। आपने ही डिएक्वायर की, इसके पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि आप निष्पक्षतापूर्वक वृहद दृष्टि से सोच ही नहीं सकते हैं। आप पोलिटिकल मोटिव से सोचते हैं, आपकी सरकार में वृहद दृष्टि से सोचने की क्षमता ही नहीं है। हाउसिंग सोसाइटीज के लिये विशेष तौर से मंत्री जी पर ओपन चार्ज है कि आपकी सरकार उन सोसाइटीज के इशारों पर काम करती हैं, आप अवैध हाउसिंग सोसाइटीज को संरक्षण देते हैं, आपकी सरकार के द्वारा सोसाइटीज को संरक्षण दिया जा रहा है, और यही कारण है कि जयपुर का मास्टर प्लान बर्बाद हो रहा है। जयपुर के मास्टर प्लान को बर्बाद करने का सीधा दोष आप पर और आपकी सरकार पर आता है।

(3.15 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चरागाह, मन्दिर और सरकार की जमीन को हड़पकर आपकी सोसाइटीज धन पर धन लेती गई। अब प्राधिकरण बनने के बाद इसका फल कौन भोगेगा? इसका फल भोगेंगे बेचारे शैयर होल्डर्स, गरीब नागरिक। आप अब आगे भी उन पर अत्याचार करने जा रहे हैं और उसका फल उनको ही भोगना पड़ेगा। जे. डी. ए. के बनने के बाद आप उन सोसायटीज की जमीनों को रेगुलराइज कर देंगे। उसमें भी भ्रष्टाचार होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है, सीरियस इश्यू है, यह सारे

(श्रीमती विद्या पाठक)

जयपुर का सवाल है। आपको भी मालूम है कि जब आपके जोधपुर के बारे में कोई बात होती है तो आपको कितना कष्ट होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं,

श्री उपाध्यक्ष : बहुत संक्षेप में।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद ही संक्षेप में बोलूंगी, आप घंटी बजाने का कष्ट नहीं करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि जयपुर के मास्टर प्लान को बर्बाद करने का सीधा-सीधा श्रेय, सीधी-सीधी ज़िम्मेदारी आपकी सरकार की है। इन सोसाइटीज को रेगुलराइज़ करने के लिये एक हैंडी टूल, जे. डी. ए. आपको मिल गया, इस बीच आपने सोसाइटीज की लैण्ड को कन्वर्ट करके 32 करोड़ रुपये कमाये। यह चार्जेज आपने सोसाइटीज से लैण्ड कन्वर्शन के लिये। आपने अखबारों में खूब पब्लिसिटी की कि फलां सोसाइटी से दो करोड़ रुपये मिले और फलां सोसाइटी से एक करोड़ रुपया मिला। सच बात तो यह है कि न आपको उन सोसाइटीज की लैण्ड की एक्चुअल प्राइस का भी पता है और न ही आपको उन सोसाइटीज की लैण्ड का डाइमेंशन ही मालूम है। आपने उन लोगों को जमीन गिफ्ट में दी है क्या? जवाब है आपके पास? क्या उन जमीनों की कीमत इतनी सी ही थी?

इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, कई सोसाइटीज ऐसी हैं जिनके पास सरकार से भी ज्यादा खाली जमीन है, सरकार से भी ज्यादा खाली जमीन पड़ी है। उसके अन्दर सोसाइटीज लोगों से पैसा भी ले चुकी है। अब आप प्राधिकरण में उस लैण्ड को ले लेंगे और जे. डी. ए. को दे देंगे। उस जमीन को आप एक्वायर करेंगे। उन सोसाइटीज के शेयर होल्डर्स जो गरीब आदमी हैं, उन्होंने अपनी जिन्दगी भर की कमाई से उन जमीनों को खरीदा है और उन पर बाद में मकान बनाया है। उनको आप एक्वायर करेंगे, उनको आप तोड़ेंगे और लोग इधर-उधर भटकेंगे। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन का काम जयपुर में चालू किया था वह रजिस्ट्रेशन की स्लिपें आज भी कमरे में बन्द पड़ी हैं। लोग लिस्ट लेकर घूमेंगे और लोगों की इसमें ऐसी हालत खराब होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं सोचती हूं कि आपने उसके बारे में अभी तक कोई कल्पना भी नहीं की है। अभी मुख्य मन्त्रीजी, आपने सोसाइटीज वालों की मीटिंग बुलाई थी, आपने उनको बुलाकर क्या पूछा? मुख्य मन्त्रीजी को उनसे क्या पता लगा? आपने अवैध सोसाइटीज के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया? आज की तारीख तक सही स्थिति का कोई पता नहीं लग सका और आज भी स्थिति वह की वह ही है। मीटिंग जो थी वह भी आपका एक दिखावा मात्र था। इस तरह से टोटल वायोलेशन हुआ है। नतीजा यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन जयपुर में 150 से ऊपर कच्ची बस्तियां और एक लाख से ऊपर अवैध निर्माण लोगों की निष्क्रियता के कारण, आपके अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण हो गये। मास्टर प्लान की बड़ी चर्चा हो रही है। मास्टर

(श्रीमती विद्या पाठक)

प्लाट बना और फिर बनेगा । कितनी मैन-पावर और कितना पैसा आपका मास्टर प्लान में 1971 से 76 तक लग गया । पब्लिक एक्सचेकर पर यह जो खर्चा हुआ वह क्या आपके घर से खर्चा हुआ था ? माननीय मन्त्री महोदय, अब क्या आप मास्टर प्लान दुबारा बनायेंगे ? पुराने और नये मास्टर प्लान की योजनायें क्या ओवर लेपिंग नहीं होंगी ? उसको आपके पास क्या व्यवस्था है ? उसको व्यवस्था यह है कि जनता कष्ट पायेगी और आपके अध्यादेश निकलते रहेंगे।

इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजाक देखिये जो जे. डी. ए. का बनेगा मास्टर प्लान उसको अप्रूव कौन करेगा, बनायेगा कौन ? बनायेगा भी जे. डी. ए. । और एप्रूव कौन करेगा, अमेन्डमेन्ट कौन करेगा ? वह भी जे. डी. ए. करेगा । सारा कन्सन्ट्रेशन एक ही संस्था के हाथों में है । कोई फाइनल अपीलेट अथॉरिटी का विचार ही नहीं किया और यह सब फिर कोर्ट की पहुंच से भी बाहर कर दिया, यानी यह तो जनता का दम घोटने की बात हो गयी । इसके अलावा जो हाउसिंग सोसाइटीज बन गई व बनेंगी, मास्टर प्लान के अनुसार उनमें जो डर्टी पैसेज हैं वह कहां फिट होंगे ? विशेष तौर से जो ड्रेनेज की प्राब्लम से आज जयपुर सारा सड़ रहा है, यह जो अनप्लाण्ड डवलपमेन्ट हाउसिंग सोसाइटियों के द्वारा हो रहा है, उसको किस तरह से रोड से लिंक करेंगे, कैसे ट्रैफिक व्यवस्था करेंगे और किस तरह आप ड्रेनेज निकालेंगे। इन सब के अभाव में क्या होने वाला है, यह शायद आप सोच भी नहीं सकते ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जयपुर की यह स्थिति बनी हुई है इसके लिए माननीय मन्त्री महोदय, उनके विभाग और उनकी सरकार सीधी जिम्मेदार है । इसी तरह यू. आई. टी. में नक्शे पास करने की प्रक्रिया कठिन है । जिनके पास मकान हैं उन्हीं को फिर भी मकान अलाट हो रहे हैं। आप कहें तो मैं ऐसे एक दर्जन नाम अभी ही आपको बता सकती हूं । ऐसी ही आपके हाउसिंग बोर्ड की स्थिति है । यू. आई. टी. व हाउसिंग बोर्ड, जो एक छोटी सी संस्था है, उसको तो आप संभाल नहीं पाये । इसी तरह से वृहद अतिक्रमण हो गये हैं और हो रहे हैं । जैसा मैंने अभी कहा कि सरकारी जमीन को तो सोसाइटियां लावारिस जमीन मानकर चली जा रही हैं। जोधपुर में भूमि हड़पो अभियान चल रहा है । हांलाकि जोधपुर यहां का कन्टेक्स्ट नहीं है लेकिन उससे कहीं खराब स्थिति यहां है। कुछ चीजें लाइट में आ जाती हैं और कुछ चीजें लोग भोग रहे हैं । मगर रोज अखबार बता रहे हैं कि जनता त्रस्त है। जोधपुर के भूमि हड़पो काण्ड की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है । इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहती हूं, तिलक नगर और बापूनगर में पार्क की जमीन किसने हड़पी ? वह नगरपालिका ने हड़पी आप छुड़वा नहीं पाये। इसी तरह से विधान सभा की लैण्ड पर अवैध कब्जा हो रहा है । हर जगह अवैध निर्माण और अवैध कब्जे हो रहे हैं। इसके विपरीत आपको याद है, माननीय मन्त्री महोदय, आपकी जानकारी में है, जोधपुर के 101

(श्रीमती विद्या पाठक)

हरिजनों ने आपको लिख कर दिया है कि वह लोग ला-अवाइडिंग हैं और अतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं। गैर तरीके से नहीं लेना चाहते हैं। आप उनको छोटे-छोटे भू-खण्ड अलाट कीजिए लेकिन वह तो आप पिछले दो साल में भी नहीं करा पाये और जो अतिक्रमण करते हैं उनसे भी जमीन नही छुड़वा पाये। निम्न इकानामिक स्ट्रेटा के लिए क्या सरकार इसी विचारधारा से कमिटेड है? माननीय मन्त्री महोदय, जरा सौजन्यता से विचार कीजिए, एहसास के साथ विचार कीजिए। जयपुर में बरामदे खाली करने की प्रक्रिया 81 में उत्पन्न हुई स्टेटस-को हो गया क्योंकि पोलिटिकल विल नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी देर में समाप्त करूंगी। जो अतिक्रमण कर रहे हैं वह अतिक्रमणकारी हैव नाट्स के नहीं हैं। जैसा अभी माननीय कलाशजी मेघवाल कह रहे थे कि जितने हैव नाट्स विक रहे हैं वह किसी न किसी के बेनामी ट्रान्जेक्शन में हैं। मंत्रीजी, यह सारी बात आपकी जानकारी में है। मैं एक ग्लेयरिंग उदाहरण देना चाहती हूं। आपने जो अध्यादेश रखा है उसमें आपने कहा है कि जिन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कहीं चल रही है वह स्कीम फाइनलाइज होने के बाद भी उसी नियम में चलती रहेगी। नोट कीजिए, माननीय मंत्री महोदय, सांगानेर में खसरा नम्बर 515 अपोलो गृह निर्माण सोसाइटी खोकावास में है। उसके अवैध निर्माण के लिये कुर्की के आदेश जारी हो गये थे। पर जयपुर कलेक्टर से पूछ लीजिए कि क्या हुआ। उसकी कुर्की की कार्यवाही रुकवा दी गयी। कारण क्या था? कारण सबसे बड़ा यह था उन्होंने कहा कि अभी कन्वर्जन होने वाला है, और जिसकी कुर्की की कार्यवाही अण्डर प्रोसेस और अण्डर कन्टीन्युएशन है उसके कन्वर्जन के लिए इस कुर्की की कार्यवाही को रुकवा दी जाये और अवैध कन्सट्रक्शन उसका चलता रहे। यह साजिश राजनेताओं के साथ-साथ अधिकारियों की भी है। जहां बड़े लोग गड़बड़ करते हैं वहां छोटे लोग भी हाथ धोने से [redacted] नहीं आते, जो आपके मातहत हैं।

इसी तरह से, माननीय मंत्री, महोदय, गांवों में बड़ी आपाधापी चल रही है। अतिक्रमण आप खाली करवाने की स्थिति में नहीं हैं और हो भी नहीं सकते हैं। इसी तरह से हाउसिंग बोर्ड से आपकी सारी जनता त्रस्त है। क्वालिटी मकानों की खराब, सही मेटेरियल नहीं और कभी लाटरी निकालेंगे, और कभी प्रायोरिटी से देंगे। सूचना देते नहीं कि आपका मकान आ गया। रोज नियम बदले जाते हैं। जनता को जानकारी नहीं। मकान किसी का और अलाटमेन्ट किसी और को, यानि किसी बड़े अधिकारी को, किसी दूसरे को दे देते हैं जो प्रायोरिटी में नहीं है। इसी तरह से नीलाम कर रहे हैं। मेरे सारे कहने का मतलब यह है कि यह छोटी-छोटी चीजें तो मैनेज नहीं कर पाये और वृहद फॉर्म में विकास करने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं तो कहती हूं कि दुःसाहस कर रहे हैं।

(श्रीमती विद्या पाठक)

देखने की बात यह है, दिल्ली का आपने उदाहरण तो दिया कि डी. डी. ए. दिल्ली को मैनेज कर रहे हैं, आप यह बात भूल गए कि 1956-60 में दिल्ली में 57 हजार एकड़ भूमि एक साथ डवलपमेन्ट अथारिटी को दी। आपके पास जमीन हैं कहां ? आप डवलपमेन्ट करेंगे कहां व किसका ? जो जमीनें पास-पास की थीं वह तो आपने अपने चहेते राजनेताओं को गिफ्ट कर दी और जो जमीन दूर है वह बची हुई है। वहां जनता जायेगी क्या ? जयपुर की जनता वहां बसेगी, क्यों ? वहां इतनी दूर विकास होगा तो आपके पास ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था नहीं, कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं। तो इन्टीग्रेटेड तरीके से सोचा तो होता आपने। जयपुर में आपने 600 बीघा जमीन मालवीया नगर के लिए दी तब भी आज मालवीया नगर की कहीं सूरत भी नजर आई है। पर जे. डी. ए. को आपने कहां कहां जमीन दे दी ? कौन सी सूरत बनेगी, यह कल्पना ही नहीं की है पर अवश्य ही यह एक बहुत ही बदसूरत लनने वाली है। जन-विकास के कामों के लिए आप कितने सीरियस हैं सो सुनिये, एरोड्राम जयपुर का सांगानेर में है। हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्दी डवलप होकर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। आपको यह बार बार निवेदन किया गया है कि जयपुर बाईपास के पास जो लैण्ड है, वह छोटा सा पीस है, उस लैण्ड को एक्वायर करने की कोशिश कीजिये। वहां टर्मिनल बन सकता है, वहां एयरपोर्ट भवन बन सकता है। इतना आपको कहने के बावजूद आप उसको एक्वायर नहीं कर पाये तो फिर जनता के हितों का आप क्या ध्यान रखोगे। सार्वजनिक हितों को भी आप प्राथमिकता से नहीं सोच पाये...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या। बहुत टाइम ले लिया आपने।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं दो मिनट में समाप्त करूंगी आप बार बार कह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की स्थिति क्या हो गयी इसको वृहद तरीके से मैं नहीं बताना चाहूंगी। हम सब लोग इस बात को भोग रहे हैं लेकिन अफसोस तो मुझे इस बात का है, माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जयपुर की गलियां साफ हैं। मंत्रीजी का यह कथन जयपुर का दुर्भाग्य है क्योंकि हमें उन गलियों से गुजरना पड़ता है। परसों ही ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, यातायात मंत्री कह रहे थे कि आप हमको बताइये कि कहां से ट्रेफिक नियमों का वायोलेशन हो रहा है जबकि तीन दिन से रोज विधान सभा में, बराबर इस वायलेशन पर चर्चा हो रही है। अब इस गूंगी और बहरी सरकार को कैसे समझाइये जो देख कर भी नहीं देखना चाहती है, जो सुनकर भी नहीं सुनना चाहती है। इतनी इम्यून है, यह जनता के हितों के प्रति। इस तरह की सरकार है उसको हम कहां से और किस तरह से समझायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्सपेरीमेंट बहुत बड़ा अनमेनेजेबल इन्स्टीट्यूशन हो जायेगा। आप कहते हैं कि जे. डी. ए. अनमेनेजेबल कैसे हो जायेगा। बड़े शहरों में भी है-कलकत्ता, बम्बई और बंगलोर में है। उपरोक्त सब जगहों में आज

(श्रीमती विद्या पाठक)
समस्या यही आ रही है कि बड़ा है और मेनेजेबल नहीं है। इसलिए कलकत्ता में पांच सैलों में करने की योजना भी चल रही है, वह विचाराधीन है।

इसी तरह से डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट किसी भी पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव का कहीं समावेश नहीं है। आपने एक जगह कहा है कि जो चेयरमैन है, चीफ मिनिस्टर, वह 7 लोगों को नोमीनेट कर सकते हैं। सवाल यह आता है कि, 7 लोगों को नोमीनेट करने में फिर कहीं बाई पोस्ट या पद के अनुसार किसी एक्स-आफिशिओ के हिसाब से होगा। क्यों नहीं आप विधायकों को और एम० पी० को रखते? एक तरफ म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन तो वह होंगे लेकिन इसमें विधायक नहीं हो सकते, कैसा पेराडोक्स है? माननीय मंत्री महोदय, क्या आपने या आपके विभाग ने कभी इस बात पर गम्भीरता से विचार किया है। एम. एल. ए. को रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह इन्टरफियर करेगा? एक ब्यूरोक्रेटिक सल्तनत बनने वाली है, उसमें जन प्रतिनिधियों का दखल पसंद नहीं आयेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी०एम० इसके अध्यक्ष होंगे, यह भी एक बहुत बड़ी फेलेसी होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। सी०एम० स्टेट की हाइएस्ट अथोरिटी है। सी०एम० ही प्राधिकरण की हाइएस्ट अथोरिटी होंगे। जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल तय नहीं होंगे वे स्टेट गवर्नमेंट को रेफर किये जायेंगे। सारे सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स इसके मेम्बर होंगे। फिर जे०डी०ए० की फाइनल अपीलेट अथोरिटी कहां रहेगी? स्टेट को भी हाइएस्ट अथोरिटी मुख्य मंत्री होंगे और जे० डी०ए० की भी हाइएस्ट अथोरिटी वही मुख्य मंत्री होंगे। अपील कहां होगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय? ट्रिब्यूनल की भी हाइएस्ट अथोरिटी वही मुख्यमंत्री होंगे। सात मैम्बर्स को भी, अगर आप सी. एम. द्वारा नोमीनेट करने की बात करते हैं तो यह सारा मामला पोलिटिकलाइज हो जायेगा और यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। जयपुर से हवा चलती है तो पूरे राजस्थान में फैलती है। आपने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि इस हाई पावर कमेटी को, जिसके सी. एम. अध्यक्ष हैं, जिनके पास और बहुत से ऑब्लिगेशन व एक्टिविटीज हैं, अपने बिजी शिड्यूल में से कितनी मीटिंग अटेण्ड कर पायेंगे? आप कहेंगे, साल में दो ही बार तो मीटिंग होगी। लेकिन क्या वे एक भी मीटिंग प्रिसाइड कर पायेंगे? और प्रिसाइड करेंगे तो जे. डी. ए. में जो अधिकारी उनके मातहत हैं और जो जे. डी. ए. में मैम्बर्स हैं वे उन से डिफर करने की या अपनी ओपिनियन को एसर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं? आप स्वयं सोच सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, इस बात पर आपकी सरकार ने कभी विचार ही नहीं किया है। ड्यूटीज एण्ड ऑब्लिगेशन किसके कहां होंगे, डेलीगेशन ऑफ पावर्स क्या होंगे, इसके प्रति भी यह बिल मौन है। एक सबसे बड़ी इवेन्चुअलिटी आ सकती है, माननीय मंत्री महोदय, मुझे तो अफसोस है, आपके मुख्य मंत्री सहित पूरी सरकार और ब्यूरोक्रेसी ने इस बात पर विचार क्यों नहीं किया। यदि कभी राष्ट्रपति रूल होगा तो

(श्रीमती विद्या पाठक)

मुख्य मंत्री व मंत्री के अभाव में जो वेक्यूम क्रिएट होगा उसमें आपकी जे. डी. ए. की जिम्मेदारी का क्या होगा ? उस वक्त आपका यह जे. डी. ए. कैसे फंक्शन करेगा, किस प्रकार से एक्टिविटीज होंगी। मुख्य मंत्री नहीं होंगे, मंत्री नहीं होंगे और उनके न होने पर जो वेक्यूम क्रिएट होगा, उस बारे में आपने क्या सोचा। उसके प्रति आपने क्या सोचा है, बताइये। इसलिए यह जो अध्यादेश है, यह जो बिल है, इसके बारे में वह साइलेन्ट है। ग्रामीण क्षेत्र के 346 गांव, जयपुर शहर और 6 म्यूनिसिपेलिटीज को आप प्राधिकरण में शामिल करने वाले हैं। आप यह तो बतायें कि 346 गांव, जिनका रेडियम बहुत बड़ा है, जिसका एरिया बहुत बड़ा व विस्तृत है, वहां अगर एक छोटी सी चीज बनानी है तो क्या वहां का ग्रामीण जयपुर में आयेगा और उसकी परमिशन प्राप्त करना क्या उस बेचारे अनजान ग्रामीण के लिये पॉसिबल होगा ? परमिशन नहीं मिली तो उसकी क्या दुर्दशा आप करने वाले हैं ? आप तो नहीं आपके अधिकारी करने वाले हैं। आप भी पोलिटिकली कर सकते हैं, उनको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। उसकी अप्रोच कहां तक हो सकती है ? कमिश्नर, सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी को तो छोड़िये वह बेचारा तो सेक्रेटेरियट तक में भी नहीं घुस सकता है।

माननीय मंत्री महोदय, एक बात और भी नोट करें। चेयरमैन किसी को भी अपाइन्ट कर सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : Too much. You have taken half an hour.

(व्यवधान)

Not allowed.

श्रीमती विद्या पाठक : Half minute, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : No, not allowed.

श्रीमती विद्या पाठक : क्या आप यह सोचते हैं कि मैंने कोई बात इररेलेवेन्ट कही है ?

(व्यवधान)

अभी खत्म करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन (2) के पार्ट (8) के मुताबिक चेयरमैन किसी को भी अपाइन्ट कर सकता है, किसी को भी डिसमिस कर सकता है। इसका दुरुपयोग कैसे रूल आउट कर सकते हैं ? इसके पोलिटिकल कलर को कैसे रूल आउट करने वाले हैं या इसको किस तरह कन्टेन करना चाहते हैं, यह भी बताइये। जितने अधिकारी आप लेंगे–जे. डी. ए. के कमिश्नर, एक्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिसटेन्ट सेक्रेटरी, जो भी आप लेंगे, क्या वे सारे सरकारी अधिकारी होंगे ? जे.डी.ए. बनाते समय एक मौका मिला था कि आप एक्सपर्ट लोगों को उसमें लेते, आप बाहर से क्रीम स्पेशलिस्ट को लेते, स्पेशलाइज लोगों को लेते किन्तु आप तो उसमें भी ब्यूरोक्रेसी को घुसाना चाहते हैं। ये लोग जो काम यहां कर रहे हैं उससे बेहतर काम वहां कैसे करेंगे ? इसी तरह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से आपने बाहर कर दिया। कोर्ट

(श्रीमती विद्या पाठक)

में तो मामले जायेंगे ही जायेंगे। आप इसको रोक भी नहीं सकते हैं। यह फण्डामेन्टल राइट्स पर कुठाराघात है। इसलिये जैसा मैंने निवेदन किया सोसाइटीज का बहुत बड़ा भारी कनफ्रन्टेशन होगा और इधर ब्युरोक्रेसी की पावर्स को कन्स्ट्रेंट करना चाहते हैं, यह आपके स्वयं के लिये बहुत घातक होगा। मैं एक बात कह कर समाप्त करती हूं। बात बहुत हंसने वाली है और मजाक वाली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कहते हैं कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। इन्होंने कहीं से जे. डी. ए. के लिये रूल्स रेगूलेशन प्लान मंगवाये हैं स्पष्ट लगता है बम्बई से मंगवाये होंगे। उसके पार्ट 2 का सेक्शन फाइव है, उसमें आप देखिये....

"Including land under sea, creck, river, lake or any other water."

माननीय मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहती हूं जो यह ब्रिज एण्ड सी लिखा है वह आप राजस्थान में कहां से ले आये? राज्य में सी कहा से ले आये? सी का कहीं से कोई स्वप्न आया है क्या? और अगर नहीं आया है तो आप सदन में इस तरह क्यों मजाक का पात्र बनना चाहते हैं आपके अधिकारी क्यों आपका उपहास उड़वाना चाहते हैं? क्या आप इसको देख पायेंगे?

एक माननीय सदस्य : क्रीक एण्ड सी–समुद्र।

श्रीमती विद्या पाठक : वह भी योजना इस राज्य सरकार की अवश्य होगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

इसी तरह Compitent Authority will be the final authority। यह सब डिपार्टमेंट के और यू० आई० टी० के काम्पीटेन्ट अथोरिटी के कारनामें क्या भोग नहीं रहे हैं? कम से कम ये नहीं तो जनता तो भोग रही है। उसके हाथ में सारी पावर्स देना बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक इनका सेविंग क्लाज है वह है 103....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या। More than enough। समाप्त कीजिये माननीय सदस्या। I have given you more latitude. You have taken too much time.

प्लीज, नहीं, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : आधा मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूं। जो 103 धारा इन्होंने रखी है उसमें सारा जे. डी. ए. डिजोल्व हो जायगा। जो अधिकारी जहां से जा रहा है वह वहां चला जायगा, मंत्री जहां है वहां बना रहेगा, कमिश्नर जहां है वहां बना रहेगा पर इसके बाद जनता का क्या होगा? पर, क्या आप डिजोल्व भी कर पायेंगे? अगर आपने डिजोल्व कर दिया, जो कि बहुत जल्दी आयगा, तो निवेदन करना चाहती हूं यह अध्यादेश जारी ही क्यों किया है। इसको यहीं समाप्त करें। बाकी मैं कहती हूं कि इस पर री-थिन्किंग की आवश्यकता है, इसको रि-थिंक के लिये सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द दे।

श्री उपाध्यक्ष : डा० उजला अरोड़ा।

समय का ध्यान रखिये। फाइव मिनट।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्ताव करती हूं, यह सदन श्रीमन् राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित जयपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 4, सन् 1982, को अस्वीकार करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने किये पर पश्चाताप है। मैं कहना चाहूंगी कि जिस दिन जयपुर विकास प्राधिकरण की घोषणा हुई थी, मैंने धन्यवाद दिया था....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिये तो बहुत थोड़ा सा मामला है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अधिकारों पर कुठाराघात नहीं करें। मान्यवर, मैंने प्रशंसा की थी कि जयपुर विकास प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा हुई है। शायद मंत्री महोदय ने उस अखबार की कटिंग भी रखी होगी किन्तु यह विकास प्राधिकरण नहीं है, यह जयपुर का विनाश प्राधिकरण बनाया गया है। मैं निवेदन करूं कि सारे के सारे अधिकारियों का प्राधिकरण बनाया है और मंत्री उसके अध्यक्ष हैं। मुख्य मंत्री अध्यक्ष हों, कोई बात नहीं है। लेकिन जहां सवाल आता है आपके नीचे के अधिकारियों का, उन्होंने एक बात देख ली मुख्य मंत्री अध्यक्ष हैं इसलिये हर मामले में कोर्ट की अवमानना की जा रही है। मुख्य मंत्री का वहां होना इसलिये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर मामले में जो कोर्ट की जो अवमानना की जाती है वह उनके होते हुए जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट को जो जूरिस्डिक्शन देना चाहिये वह नहीं रखा है। उसमें रखा है कि कोर्ट में अपील के ही अधिकार नहीं हैं। मान्यवर, इसको पढ़िये यह किस तरह का अध्यादेश लेकर आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, सैक्रेटरी और कमिश्नर को अपाइन्ट करने के लिये नई पोस्ट क्रियेट की जा रही है जबकि किया यह जाना चाहिये था कि जो जयपुर नगर विकास न्यास के अधिकारी थे, कर्मचारी थे उनको ही प्राधिकरण में नियुक्त किया जाना चाहिये था बजाय उसके, उसमें यह प्रावधान नहीं रखा गया। उसमें चाहे किसी को किसी पोस्ट पर नियुक्त करेंगे अर्थात् जो सैक्रेटरी है उसको चपरासी भी नियुक्त किया जा सकता है और जयपुर की जगह कोटा में भी नियुक्त किया जा सकता है। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जयपुर नगर विकास न्यास के कर्मचारियों के बारे में भी नीति निर्धारण करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारा संविधान बन रहा था तो कई देशों से सूचना मंगा कर डा. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर यह तय किया गया था कि हम किस तरह के संविधान की संरचना करेंगे लेकिन जयपुर विकास अधिकारण ने ऐसा कोई काम नहीं किया। उसमें जनता को कोई प्रतिनिधि नहीं है जो जनता के हितों की रक्षा कर सके, जैसा चाहा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
वैसा जयपुर विकास प्राधिकरण को बनाने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी जो कार्य समिति,

(3.40 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

बनाई जाने वाली है उसमें भी लिखा है कि सभी सरकारी अधिकारी होंगे, उच्च अधिकारी होंगे। जनता का प्रतिनिधित्व उस कार्यसमिति में भी नहीं रखा गया है। मैं कहना चाहूंगी कि यह सरासर गलत है, जनतन्त्र की भावनाओं के विपरीत है। हम नगर परिषद के चुनाव कराते हैं तो सोचते हैं कि जनता के चुने हुये प्रतिनिधि आयेंगे, वह वहां का प्रतिनिधित्व करेंगे, जनता के सुख दुख की बात करेंगे लेकिन यहां जनता से बिलकुल निकट सम्पर्क पड़ने वाले विभाग में जनता के प्रतिनिधियों को नहीं लिया गया है। मैं कहना चाहूंगी कि यह बड़ा दुर्भावनापूर्ण है, इसमें आप संशोधन करेंगे। अपील करने की जो बेसिक फ्रीडम है कि कोर्ट में जा सकें, उसका भी इसमें प्रावधान नहीं रखा गया है। मन चाहेगा, उसकी जमीन, मन्त्री महोदय, एक्वायर करेंगे, कोई अपील नहीं होगी। जिसका मन चाहेगा उसको तुड़वा लेंगे। उसमें कह दिया गया है, अपील का अधिकार ही नहीं है। यू. आई. टी. के परिसर में, रामकिशोर व्यास भवन में एक बंगला बनवा दिया गया है उसमें 24 घण्टे जनता के लोगों को गिरफ्तार करेंगे। मान्यवर, यह क्या करने जा रहे हैं, यह विकास करने जा रहे हैं या तमाशा खड़ा करने जा रहे हैं। इसमें एक बात आप और देखेंगे कि एक्वायर की गई जमीन के मुआवजे की रकम किस ढंग से देंगे, इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। लैंड रेवेन्यू एक्ट और नगर विकास न्यास एक्ट इन सबको समाप्त करके मनचाहे दाम गांव में देंगे और मनचाहे दाम शहर में देंगे जबकि....

श्री अध्यक्ष : यह सब विषय तो जब खंडशः विचार होगा इस विधेयक पर उस समय....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो इसको स्वीकार करना नहीं चाहती हूं, यह इतना विनाशक बिल है कि इसको अस्वीकार करने की बात मैं कह रही हूं। जिसमें....

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोर्ट के फैसले के विपरीत यह मनचाहे दाम गांवों में देंगे और मनचाहे दाम शहर में देंगे। मान्यवर, इन्होंने 346 गांव रेडियस में जयपुर विकास प्राधिकरण में लिये हैं। जयपुर के 92, सांगानेर के 153, आमेर के 36, जमवारामगढ़ के 27, बस्सी के 18 और चाकसू के 9 गांव लिये हैं। मान्यवर, गांव वालों को कम पैसा देंगे और शहर वाले जो इनके चहेते होंगे उनको ठीक मुआवजा देंगे। यह सरासर गलत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें लिखा है कि जो जमीनों की कीमत तय की जायेगी वह एक ही प्रावधान से की जायेगी, उसमें किसी को भी कम मुआवजा नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, मैं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कहना चाहूंगी कि माइन्स वाले मामले में भी मार्केट रेट से मुआवजा नहीं दिया और इसमें भी मार्केट रेट का कोई प्रावधान नहीं रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि नक्शे पास करने की अवधि नगर विकास न्यास के कानून में 30 दिन की थी, यह अलग बात है कि 30 दिन में हो या नहीं हो, लेकिन उसकी भी अवधि बढ़ाकर 60 दिन कर दी है, इसकी क्या जरूरत थी? अगर नया प्रावधान करने जा रहे थे तो 8 दिन या 15 दिन या एक महीने का कर देते। उसको 30 के बजाय 60 दिन की अवधि करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने 20 अगस्त, 1982 को आदेश निकाला था कि जो जमीनें कृषि भूमि में आ गई हैं उनको अवाप्त नहीं करेंगे। मान्यवर, अगर कोई भी बुद्धिमान आदमी जमीन लेता है तो सोच सकता है कि उसकी जमीन एक्वायर नहीं होनी चाहिये। इन्होंने विद्याधर नगर एक्सटेंशन स्कीम के नाम से स्कीम बनायी, पहले विद्याधर नगर योजना थी, जहां 3 हजार मकान आलरेडी बने हुए हैं, उनको अवाप्त करने के लिये विद्याधर नगर एक्सटेंशन स्कीम के नाम से योजना बनाई है। यह सरासर गलत है। यह आपके ही निकाले गये आदेश की अवहेलना है। एक ओर तो आप लोगों ने नियमन का पैसा जमा करने की बात कही। करोड़ों रुपये आप लोगों ने धोखा देकर अपने खजाने में जमा किया है और अब जो जमीन, कृषि भूमि गृह निर्माण सहकारी समितियों की है, जो सोसाइटी एक्ट में बनी हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी की जमीनें हैं, उन पर बने हुये मकानों का कन्वर्शन जमा करा दिया गया है, उनको अवाप्त करने के नोटिस निकाले हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी सांगानेर के पास कल्याणपुरा में विकास प्राधिकरण ने 15 गांवों को एक्वायर करने की घोषणा की है और अपने उद्देश्यों में यह बताया है कि यहां कृषि उद्योग, फल और फूल लगायेंगे। सारे जयपुर में आज 4-5-6 रुपये किलो सब्जी बिक रही है। किस कारण से? इन्होंने जो सब्जी की बैल्ट थी जिसकी सब्जी जयपुर में ही नहीं बाहर भी जाती थी, उसको एक्वायर किया और पूरी सब्जी की बैल्ट को खा गये। मान्यवर, यह गलत काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, तीन दफा इसका वाचन होगा, सभी प्रश्न आ जायेंगे, मुख्य मुद्दे पर आपने अपनी बात कह दी। कृपया समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि लोगों को बोर्ड लगा लगाकर भयभीत कर रहे हैं। गांव में जायेंगे किस तरह से? कहना नहीं चाहती मोम्मडन एक्ट में है कि किसी पुरुष को गुस्सा आ जाय और वह कह दे कि तलाक तलाक, तलाक तो तलाक हो गया, चाहे कोई पृष्ठभूमि हो या नहीं। लेकिन इसी तरह से इन्होंने क्या किया कि ये गांवों में जाते हैं, वहां कुएं पर खड़े होकर कहते हैं अवाप्त अवाप्त, अवाप्त और अवाप्त हो गई। यह कैसा कानून आप बनाने जा रहे हैं? मान्यवर, इसी तरह से यह सारी सब्जी की बैल्ट को खा गये। मैं कहना चाहूंगी कि तीन माह की जो गाइड लाइन है यह उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं, इस अध्यादेश के तहत। मान्यवर, इन्हें

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
समझाइये । सारा सदन, मैं समझती हूं, जो अध्यादेश यह लाये हैं इसके खिलाफ है । हम चाहते थे कि जयपुर विकास प्राधिकरण बने, विभागों में सामंजस्य हो, चुने हुये प्रतिनिधि हों जो जनता के हित बात कर सकें । जिस तरह से जनता शासन में मालवीय नगर स्कीम बनी, विद्याधर नगर स्कीम बनी, हुड़को योजना बनी उसी तरह से यह भी कोई आवासीय योजना लेकर आते, स्कूल की या अन्य चीजों की योजना लेकर आते । अभी भूमि एक इंच है नहीं, लोगों के बने बनाये मकान अवाप्त करना चाहते हैं । नियमों की अवहेलना कर रहे हैं । जो लोग नियमन का पैसा जमा कर चुके, उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं । यह विकास प्राधिकरण जयपुर के लोगों के लिये अहितकारी, व्यर्थ का प्राधिकरण है । कोर्ट की अवमानना का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी । यू. आई. टी. में बागात का दफ्तर था, इन्होंने बागात के दफ्तर को हटाना चाहा लेकिन हटा नहीं सके, कोर्ट का स्टे आ गया । कोर्ट के स्टे के बावजूद उसे हटा दिया कि मुख्य मन्त्री के सामने स्टे कुछ नहीं और इस तरह से उस दफ्तर को शिफ्ट किया गया । मान्यवर, यह कहां का निर्णय है ? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, यह किस तरह से कर रहे हैं । जिन सैक्रेट्रीज को पावर देने जा रहे हैं, उनके डिप्टी सैक्रेटरी को....

श्री अध्यक्ष : इस विधेयक के खण्ड में आया हुआ है, कृपया उस वक्त अपने सुझाव और संशोधन देने का कष्ट करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के सामने एक्वायर की गई जमीन सौ रुपये गज में बेच दी । मेरा सीधा आरोप है, जांच करवा लें । मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं, जिस जमीन का सम्बन्ध सीधे सीधे श्री गोटेवाला से है, जयपुर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी के बारे में बता दें, आपने कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं माना ? मैं कहना चाहती हूं कि कोर्ट की अवमाहनना नहीं होनी चाहिये । न्यायालयों की इज्जत रहनी चाहिये और जनता की भावनाओं की इज्जत रहनी चाहिये । जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिये । इस तरह का कोई प्राधिकरण बनता तो हम स्वागत करते जैसा कि हमने पहले दिन किया, मैंने किया, मेरी पार्टी के अनेक लोगों ने किया । मैं आज कहना चाहूंगी कि यह जो जयपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश लेकर आये हैं, उस अध्यादेश को सदन अस्वीकार करे मैं आपके सामने यह संशोधन प्रस्ताव रखती हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा ।

कृपया समय का ध्यान रखें ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो जयपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश सदन में लाया गया है वह जयपुर को खूबसूरत बनाने और उसकी बढ़ती हुई आबादी को एडजस्ट करने के उद्देश्य से लाया गया है । लेकिन मैं जहां तक समझता हूं इस प्राधिकरण को बनाते समय वर्तमान में भारत सरकार और राज्य सरकार का जो बीस सूत्री कार्यक्रम चल रहा है उसका कोई खयाल नहीं रखा गया है । इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आई कि इतना बड़ा क्षेत्र बनाने पश्चात् भी किसी गरीब

(श्री राम कंवार बैरवा)
आदमी को सस्ते प्लाट दिये जायेंगे या जो लोग ऐसे हैं जिनको दो टाइम भोजन मिलना ही मुश्किल है उन लोगों को भी आवास के लिए सस्ती दर पर मकान दे सकेंगे। जयपुर तहसील के 92 गांव लिए गए हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश निकाला है उसको अस्वीकार किए जाने के सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत हुआ है। आप जो ये बातें कह रहे [redacted] प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन में कही जा सकती हैं। इसलिए थोड़े में आप अपनी बात फर्मा दें।

श्री रामकंवार बैरवा : तो इस तरह से यह सारी इसमें बातें हैं। प्राधिकरण संचालन करने के लिए जो समिति बनाई गई है, मुख्य मंत्री उसके चेयरमैन हैं उसमें संसद सदस्य और विधायकों का बहिष्कार सा कर दिया गया है, यह उचित नहीं है। जैसा कि आम जनता की शिकायतों के लिये जो जन अभाव अभियोग की मीटिंग होती है कोई भी द्वेषतापूर्ण कार्य होते हैं या किसी भी नागरिक के साथ अन्याय होता है तो उस कमेटी में अफसरों के सामने वह चीज रख दी जाती है और उस पर फिर दुबारा से देखरेख की जाती है, इंक्वायरी होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्राधिकरण में जिला जयपुर के संसद सदस्य और विधायकों को अवश्य रखा जाना चाहिए तभी प्रत्येक नागरिक सुनवाई हो सकेगी नहीं तो एकाधिकार चलेगा।

इसके साथ साथ ही जिन किसानों की आप जमीन अपने कब्जे में कर रहे हैं उन किसानों के लिए इस बिल में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है कि किसान की एक बीघा जमीन अगर ली जाएगी तो उसका इतना मुआवजा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जन अभाव अभियोग समिति की जिलाधीश के चेम्बर में कई दफा मीटिंग हुई और सभी सदस्यों ने यह सुझाव रखे हैं, पिछले तीन चार वर्षों से यह सुझाव रख रहे हैं कि किसान आजकल अधिकतर हाउसिंग सोसाइटीज को जमीन देना पसन्द करते हैं बजाय सरकार के। सरकार को कई दफा निवेदन किया है कि आप भी किसानों को कृषि सहकारी समिति जो रेट देती है अगर उतना मुआवजा दे दें तो किसान हाउसिंग सोसाइटियों को जमीन देना पसन्द नहीं करेगा, सरकार को सीधा देना अच्छा समझेगा। ये सारी बातें हैं, इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। प्राधिकरण में जो कमेटी बनाई गई है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ में पूरा भेदभाव बरता गया है इसलिए मैं इस बिल का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आगे तीन दफा वाचन होगा, तीन दफा आपके सामने आएगा, उस वक्त मैं आपको अवसर दे दूंगा। कृपया मंत्री महोदय।

संक्षेप में, मंत्री महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : बहुत संक्षेप में ही निवेदन करूंगा आपको।

श्री अध्यक्ष : क्योंकि कई दफा बोलना पड़ेगा आपको।

व्यवस्था का प्रश्न
अध्यादेश की कतिपय धाराओं के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर बाद में ही रख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मौका ही यही है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो अध्यादेश प्रस्तुत किया गया है और मंत्री महोदय जिस निरसन प्रस्ताव का उत्तर दे रहे हैं इस अध्यादेश के पेज टू पर एक बात कही गई है। पेज टू पर लिखा है, "और राष्ट्रपति के पूर्वानुदेश उन उपबन्धों के लिए प्राप्त कर लिए गए हैं जिनके लिए वे अपेक्षित हैं।"

अध्यक्ष महोदय, मैंने बिल भी देखा है, आर्डिनेंस भी देखा है। मुझे इसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि किन किन धाराओं के लिए उन्होंने इस प्रकार के आदेश प्राप्त किये हैं। उसका इसमें कोई भी प्रकरण या विश्लेषण नहीं है तो मंत्री महोदय कोई उत्तर दें उसके पहले मैं चाहूंगा कि वे बतायें आर्डिनेंस में जो ये बातें लिखी हैं, किन किन धाराओं के सम्बन्ध में आपने राष्ट्रपतिजी से स्वीकृति प्राप्त की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के माननीय नेता महोदय का ध्यान आर्टिकल 213 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा आर्डिनेंस जारी करने से पहले अगर कानकरेंट लेजिस्लेशन का कोई प्रश्न अराइज होता है तो उन कानकरेंट लेजिस्लेशन की जो धारायें आती हैं उसके लिए अनुमति लेना आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सब ठीक है, मैं भी जानता हूं। वे कौन सी धारायें हैं, यह बता दीजिए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें एक तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक नहीं बहुत सी हैं। आप इस आर्डिनेंस को लें।

श्री अध्यक्ष : आप उनको पूरा उत्तर तो देने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, पूरा उत्तर नहीं आएगा। आप यह बताइये कि के कौन कौन सी धारायें हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक धारा की स्वीकृति ली जावे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक्ट की जो स्कीम है उस स्कीम में पहली चीज तो यह है कि किसी भी सिविल कोर्ट का जूरिस्डिक्शन बार कर दिया गया है। दूसरी चीज यह है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है क्रिमनल प्रोसिजर कोड की वह कानकरेंट लेजिस्लेशन की लिस्ट में 2 नम्बर पर है, इसलिये प्रेसिडेण्ट की अनुमति

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

लेना आवश्यक है। तीसरी चीज एक्वीजिशन आफ लैंड के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने जो पावर्स ली हैं, जो लैंड एक्वीजिशन एक्ट के प्रोविजन के अलावा प्रोविजन दिया गया है उसके बारे में हैं। चौथी चीज यह है कि जो पीनल क्लाज है, क्लाज 75 के अन्दर, 74 के अन्दर, 35 के अन्दर, यह जो प्रोविजन्स हैं यह अफेक्ट करते हैं कानकरेन्ट लेजिस्लेशन को, इन प्रोविजन्स का अध्यादेश में समावेश था इसलिए इस सारे ही अध्यादेश की अनुमति पहले ले करके यह अध्यादेश जारी किया गया है, जो आर्टिकल 213 की धारा के प्रतिकूल नहीं है वरन उसी के अनुसार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रतिकूल होने की बात नहीं कही है। मैंने केवल एक बात की जानकारी करनी चाही थी कि किन किन धाराओं के सम्बन्ध में राष्ट्रपतिजी से स्वीकृति प्राप्त की है। माननीय मंत्री महोदय ने चार धाराओं का नाम लिया....

श्री अध्यक्ष : धारायें नहीं, चार तरह के प्रावधानों का नाम लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आखिर हम कानून बना रहे हैं, कम से कम सदन को इस बात की जानकारी तो मिले कि अमुक अमुक धारा के सम्बन्ध में राष्ट्रपतिजी से स्वीकृति प्राप्त की गई वह धारायें नहीं बताई हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सारे ही अध्यादेश के बारे में पूर्वानुमति ली गई है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, जो विधेयक के पीछे मूल धारणा होती है या उसके पीछे मूल उद्देश्य होता है, उसके लिये स्वीकृति प्राप्त की जाती है। अब विधेयक को किस भाषा में बनाया जायगा, किस तरह की भाषा में उसको बनाया जाएगा, उसमें कितने खण्ड होंगे, कितने नहीं होंगे, यह तो विधि निर्माण करने वाले पर निर्भर करता है। अब जैसा आपने कहा, सिविल कोर्ट के जूरिस्डिक्शन का प्रश्न था, यह उनके ध्यान में ले आए भले ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो कुछ अख्तियार दिए गए, कम दिए गए या ज्यादा दिए गए हैं। लैंड एक्वीजिशन के बारे में प्रश्न उठाया, इसी तरह से पेनल्टी के सम्बन्ध में जो कोई भी जो कोई भी खण्ड या जो कुछ भी क्लाजेज हैं उनके बारे में था। मैं समझता हूं कि जो अनुमति ली गई है पर्याप्त है। इस हद तक ही अनुमति ली जाती है। एक्चुअल वर्डिंग किसी विधेयक के अन्दर क्या हो, इसके बारे में कभी स्वीकृति नहीं ली जाती है। केवल जो मूल धारणा है, जो मूल उद्देश्य है या जो विधेयक में विषय आ जाते हैं वह विषय यदि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों से सम्बन्धित हों उस अवस्था में स्वीकृति लेनी पड़ेगी। इससे अधिक गहराई में जा भी नहीं सकते क्योंकि आपको भी मालूम नहीं हो सकता कि इसमें क्या होगा। स्पेसिफिक्ली कोई बात होती तो मैं समझता हूं कि बता देते। उसके लिए राष्ट्रपति जी से अनुमति लेना आवश्यक होता तो उस स्थिति में उस बात पर विचार कर सकते थे वरना उनका इतना कहना पर्याप्त है कि जो अनुमति लेना आवश्यक था वह ले ली है। इतना विवरण दे देना मेरे ख्याल

(श्री अध्यक्ष)
से पर्याप्त है। इसलिए आपका जो व्यवस्था का प्रश्न है मैं इसको निरस्त करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने बड़ी कृपा की है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपकी सूचना के लिये मैं बता दूं मुझे जैसा बताया गया है कि स्वीकृति मिल चुकी है।

श्री अध्यक्ष : आप इसको और खराब कर दोगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सारे ही अध्यादेश पर स्वीकृति मिल चुकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी उसके उपरान्त यह कह रहे हैं कि सारे अध्यादेश पर राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल, आप चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अब एक ही जानकारी करना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है वह सही है, आप स्पष्ट कर दें या मंत्री महोदय स्पष्ट कर दें, राष्ट्रपति की पूर्व मन्जूरी उन उपबन्धों के लिये प्राप्त कर ली गई जिनके लिये पूर्व मंजूरी अपेक्षित है। माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि पूरे के पूरे विधेयक पर राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, इन दोनों में सही कौन सी बात है ?

श्री अध्यक्ष : जो मैंने पहले कही-वह सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो बात कही वह सरकार की तरफ से नहीं कही गई है मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दोनों सही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों सही कैसे हो सकती हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो उपबन्ध ऐसे है जिनके लिये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है उनको सम्मिलित करते हुए ले ली गई है। यह पाइन्ट आउट कर दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राष्ट्रपति जी ने पूर्व स्वीकृति कर दी तो फिर संशोधन नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

इस सदन में पहले भी कई व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, आपकी, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग भी है कि इस सदन के किसी भी सदस्य का किसी विधेयक, प्रश्न या प्रस्ताव में यदि स्वयं का इंट्रेस्ट हो तो स्वयं उसमें भाग नहीं ले सकता। रूल्स में इस बात की व्यवस्था है कि वोट भी नहीं दे सकता। परम्पराएं कहती हैं कि किसी मंत्री का किसी भी प्रकार से इंट्रेस्ट इन्वाल्व्ड हो तो वह इस सदन में उस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं कर सकता। यहां केवल चर्चा करने का प्रश्न नहीं है, यहां मंत्री महोदय विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं मानता हूं उनका इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विधेयक में स्वयं का इंट्रेस्ट है। आपकी अनुमति हो तो सदन के सामने वह इंट्रेस्ट प्रस्तुत करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, इसका तीन दफा वाचन होगा। अभी तो हमने केवल परिनियत संकल्प पर बहस की है। आप आगे इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं उठाने का सवाल नहीं है। यह प्रोपराइटी का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को ओपन रख रहा हूं। उत्तर सुन कर सदन का मत लेकर फिर आ रहा है यह प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो सही है लेकिन फिर यह प्रश्न आ जायेगा कि माननीय मंत्री महोदय ने आर्डिनेंस रखा उसको निरस्त न किया जाय।

श्री अध्यक्ष : अभी तो हम कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और कहेंगे। जब यह स्टेज चली जायेगी तो यह तो कहेंगे नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप नहीं कहेंगे ना ?

श्री अध्यक्ष : नहीं कहेंगे।

परिनियत संकल्प

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इस विधेयक पर सात माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विधेयक पर नहीं, अध्यादेश पर।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप बता दीजिये, इनको जानकारी नहीं है कि अध्यादेश है या विधेयक है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सम्माननीय सदस्यों ने जो जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं बहुत संक्षेप में उनकी सारी बातों का उत्तर देना चाहूंगा। विशेषकर श्री नाथूसिंह जी, घनश्याम जी, कैलाश जी, श्रीमती विद्या पाठक, उजला जी, रामकंवार जी ने जिन जिन बातों के बारे में कहा है मैं बहुत संक्षेप में इतना ही निवेदन करूंगा कि पता नहीं क्यों....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदस्यों के नाम नहीं लिये जाते, अध्यक्ष महोदय, यह आप इनको बता दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उन लोगों को सारी बातों के बारे में गलतफहमी पैदा हो रही है। बहुत जोर के साथ इस बात को कहा गया कि यह जे. डी. ए. नहीं है बल्कि जे. बी. ए. है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि जे. डी. ए. की स्थापना के कारणों पर प्रकाश डाला है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जे. डी. ए. के चेयरमैन राजस्थान के मुख्य मन्त्री इसलिए बने हैं क्योंकि उनका स्वयं का इसमें इंट्रेस्ट है। वे यह चाहते हैं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है इसका बहुत तेज गति के साथ विकास हो ऐसी हमारी कल्पना है, हम सन् 2000 तक यह उम्मीद करके चलते हैं कि लगभग 25 लाख की आबादी इसकी हो जायेगी। अयोजनाबद्ध ढंग से अगर शहर बढ़ता गया

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

तो यह हिन्दुस्तान का गुलाबी नगर जो आज से 254 साल पहले बसाया गया था, विकृत हो जायेगा। उन्होंने कहा कि इसमें केवल मात्र अधिकारियों की भरमार है। अध्यक्ष इसके मुख्य मंत्रीजी हैं जो एक जन प्रतिनिधि हैं और राजस्थान की 3.41 करोड जनता के नुमाइन्दे के रूप में इस विधान सभा में विराजे हुए हैं। राजस्थान का स्वायत्त शासन मंत्री जे. डी. ए. का उपाध्यक्ष होगा। सांगानेर, आमेर नगरपालिकाओं के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त सात सदस्यों को और नामजद करने का अधिकार मुख्य मंत्री महोदय को एज चेयरमैन आफ. जे. डी. ए. दिया गया है। वह सात सदस्य गैर सरकारी सदस्य होंगे। यह मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं गैर सरकारी सदस्यों को नामिनेट करके इसके स्वरुप को निखारने का प्रयास किया जायेगा। मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेसी की सारी बात इनके दिल और दिमाग से निकल जानी चाहिये। मैं एक बात बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा यह ब्यूरोक्रेट कोई इंग्लैण्ड के तो हैं नहीं, सारे इंडियन हैं। कमिटमेंट की बात अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे। कमिटमेंट है कांग्रेस पार्टी का, इस बात का वायदा है कि जो गरीब झोंपडियों में, कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय, आपने बहुत भाषण और आश्वासन दिये होंगे यहां पर किन्तु हमने उनको नियोजित रूप से बसाने का निर्णय लिया है। करीब 16 हजार परिवारों के कब्जों को हम रेगुलेराइज कर चुके हैं। जे. डी. ए. के जो कार्यक्रम लिये गये हैं, पहली मीटिंग में ही मुख्य मंत्रीजी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो गन्दी और कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीब लोग जिस जगह बसे हैं वहां उनको सड़क' नाली और बिजली की व्यवस्था करके केवल मात्र 5) रु. गज लेकर जमीन दे दी जाय। जहां जमीन 500) रु. गज जा सकती है, केशवपुरा ऐसी बस्ती है जहां पर 10 साल पहले 1500) रु. गज जमीन नीलाम हुई थी, राज्य सरकार का फैसला है, मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि वहां पर सैंकड़ों सालों से रहने वाले लोगों को केवल मात्र 5) रु. की दर से जमीन दी जाय। जो इस प्रकार की बात करते हैं उन्होंने ढाई साल में केवल मात्र भाषण देने और झांसापट्टी के अलावा कहीं पर कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, अध्यक्ष महोदय, गलतफहमी निकाल दें, जो उद्देश्य हमने दिये हैं हम उनको पूरा करेंगे। मैं ब्यूरोक्रेसी की शुरू की बात पर आना चाहता हूं वह हमारे बीच के लोग हैं। राज्य सरकार के अंग हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे गंजे को नाखून मिल जाते हैं, मैं इन शब्दों के अंदर ही कहूंगा, एक बार राज्य सरकार चलाने का आप लोगों को अवसर मिल गया था। आपने भी उस समय इन्हीं ब्यूरोक्रेट से काम लिया था। ये आपके भी उतने ही लायल थे जितने कि आज किसी दूसरी व्यवस्था के प्रति लायल हैं। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन व्यक्ति आता है और कौन व्यक्ति जाता है। इनका तो एक ही मकसद है कि सत्तारूढ़ पार्टी का क्या मकसद है, वह पार्टी क्या कार्यक्रम एग्जीक्यूट करवाना चाहती है। उस कार्यक्रम को

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

एक्जीक्यूट करने की इनकी जिम्मेदारी होती है। जो जन प्रतिनिधि इस सदन में जनता का विश्वास लेकर आये हैं, और जो इस सदन के नेता के रूप में यहां पर बैठते हैं, आप सदन के सदस्य के रूप में बैठते हैं तो हम भी यहां पर बैठते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं उस कमिटमेन्ट की बात करता हूं जो हम करके आये हैं, उसको पूरा करने के के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है है कि राजस्थान के शहर, गांव के लिये हमारी जो भी योजनाएं बनेंगी उनमें 33 पर्सेंट हिस्सा, 33 पर्सेन्ट भू-खण्ड इकानामिकली जो वीकर सैक्शन है उसके लिये रिजर्व रखा जाय। कोई भी इसके अन्दर चेन्ज नहीं कर सकता है। 33 पर्सेन्ट हिस्सा, भूखण्ड सारी योजना के अन्दर होगा, जो इकानामिकली वीकर सैक्शन के लिए रखा गया है। हम इस उद्देश्य की पूर्ति को लेकर चले हैं। जहां तक यह कहा गया कि इसके अन्दर ब्यूरोक्रेट हावी हो जाएंगे या हम उनके अधीन हो जाएंगे तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जिन्दगी भर इसी गलतफहमी में रहे और आगे भी रहेंगे। हमारे में दोष ही देखते-आये हैं। इन्होंने जांच कमीशन बैठाये हैं, जांच करवायी है। बड़े जोश के साथ विरोधी दल के नेता महोदय ने यहां पर कहा था, इस सदन में कहा था कि मैं कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार को उनकी नाक से निकलवा लूंगा। मैं उनको बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं रोज सुनता हूं उनके यहां क्या सिस्टम है। यह लोग जिस प्रकार बात करते हैं, उनको भी मैं सुन रहा हूं। यहां पर जो कुछ कहा है, उन सारी बातों को भी मैं समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन को इतना ही अनुरोध करूंगा चाहूंगा कि विरोधी दल के नेता महोदय ने मुझ पर आरोप लगाये हैं, एक भी इंच जमीन अगर मेरी इसके अन्दर आती है, तो मैं उनको चुनौती देता हूं मैंने मुख्य मंत्रीजी को लिख कर दिया है कि मेरी यह यह प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अलावा कोई साबित कर दें तो मैंने चैलेन्ज किया था विरोधी दल के नेता महोदय को कि वे लोकायुक्त के पास जायें और जांच करवा लें। आखिर 3 करोड़ 41 लाख जनता के नुमाइन्दे के रूप में आप और हम इस सदन के अन्दर बैठते हैं। आप इस सदन के अन्दर विरोधी दल के नेता के रूप में हैं। इस सदन के अन्दर हम लोग, सरकारी पक्ष के लोग इसलिए बैठते हैं कि जनता ने हमीं में आस्था प्रकट की है। जनता ने हमको एक आदेश दिया है। हमारे देश की नेता इन्दिरा गांधी ने एक कार्यक्रम देकर इस बात के लिये हमको बिठाया है कि हम इस सारे कार्यक्रम को क्रियान्वित करें। आप इस तरह की बात करते हैं। आप कभी कहते हैं मिट्टी उठाने में पैसा खा गया। एक तरफ और कुछ कहा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इन छोटी बातों में नहीं जाना चाहता हूं। कोई कीचड़ में पत्थर फेंक कर अपने कपड़े को बचा सकता है....

(व्यवधान)

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से बोल रहा हूं। आप कृपा करके सुनें।

एक माननीय सदस्य : दस लाख रुपये खा गये, कोई कम बात है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं। जो मिट्टी के ठेके की सारी बातें यहां पर कही हैं, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं भी इस सदन का सदस्य हूं और जनता के द्वारा चुन कर आया हूं इनकी मेहरबानी से चुनकर नहीं आया हूं...

(व्यवधान)

इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं, घनश्यामजी, आप बोलते हो तो जवाब सुनने की भी ताकत रखो। ऐसी कौनसी परेशानी हो रही है। इन सारी बातों को कृपा कर के समझने की कोशिश करें।

यह बात सही है कि गत वर्ष बाढ़ आई। सड़कों पर मिट्टी आई। स्वायत्त शासन विभाग जो मेरे जिम्मे है, बाढ़ व्यवस्था का काम राजस्थान के मुख्य मंत्री ने आदरणीय मदेरणा साहब के जिम्मे दिया। दिन रात बैठ करके, रात को दो दो बजे लगातार बैठ करके कोशिश इस बात के लिये की गई कि जयपुर शहर के ऊपर जो संकट आया है, उस संकट का शीघ्रातिशीघ्र निवारण करें। इसके लिये ट्रैक्टर भी एंगेज किये गये, म्यूनिसिपैलिटी एक्टिव हुई, यू. आई. टी. एक्टिव हुई लाखों रुपयों का काम इसके अन्दर करवाना पड़ा। इसमें, अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि लगातार एक बात यहां पर दोहराई जाती है। कृपा करके आप इन फाइलों का अवलोकन कर लें। मैं आपको यहां तक कहता हूं, ये तो कहते हैं मेरे भाई हैं, उसमें मेरे एक भी भाई को ठेकेदार बता दें। अध्यक्ष महोदय, जिन भाई के लिये यहां पर चर्चा करते हैं. मैं आपको पूछता हूं यह किसी प्रकार कांस्टीट्यूशन में लिखवा लें कि श्रीराम गोटेवाला के भाई कोई धन्धा नहीं करेंगे, तब तो बात दूसरी है। वरना इसका मेरे पास इलाज नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, स्वीकार करें इस चुनौती को, कहीं भी एक भी ठेका मेरे भाई को मिट्टी उठाने का बता दें तो आप जो सजा देंगे मैं भोगूंगा वरना अनावश्यक रूप से अनर्गल आरोप इस बारे में लगाते हैं वह गलत है। यह कहा गया कोटेवाला का होटल श्रीरामजी ने बनवा दिया, समझ में नहीं आती हैं इनकी वा[illegible]। किसके समय में यह हुआ ? सन् 1977 से 1980 तक कौन मुख्य मंत्री था ? किस के मुख्य मंत्री काल में यह हुआ। श्रीराम गोटेवाला ने तो इसको रोका है। जांच की है। इस जांच के अन्दर जिस जिस अधिकारी को दोषी पाया गया है उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात थी। अब इनके ऐसे ऐसे सदस्य आते हैं जिनको किसी बात की जानकारी नहीं है। कहीं से सुन आते हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में आपने यहां पर ऐसी बातें लाकर रखीं जो गलत हैं, जिनमें कोई तथ्य नहीं हैं। यह आपकी आदत हो गई है। आपका एक ही काम रह गया है हमारे ऊपर आरोप लगाना। आप आरोप लगावें, आपका अधिकार है लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जनता आपसे सवाल पूछेगी। जनता आपको जवाब तलब करेगी। आपको केवल मात्र यहां पर गाली गलौज करने के लिये जनता ने नहीं भेजा है। आपसे यह आशा की जाती है कि जो रचनात्मक कार्य यहां पर होता है उसको आप समझें।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

आज जयपुर डवलमेन्ट आथॉरिटी का जो काम है, मैं मान कर चलता हूं कि जितना बड़ा काम हाथ में लिया जा रहा है, जिस प्रकार की इसकी योजना है, जिस प्रकार से इस सुन्दर शहर को अति सुन्दर बनाने का कार्यक्रम है इन सारी बातों को आप समझें। जो अव्यवस्थित रूप से इसका विकास हुआ है, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, गंदी और कच्ची बस्तियों के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया है। यह बात सही है कि 1976 के बाद में 1977 के शुरू से लगातार यहां पर कई अनधिकृत कब्जे हुये हैं। [redacted] सरकार ने बने हुए मकानों के एग्रीकल्चर लेंड के कन्वर्सन की बात तय की है। सारे राजस्थान में जितने कब्जे हुए हैं उनमें से 50 हजार के करीब, मतलब 50 पर्सेन्ट के करीब जयपुर शहर में हैं। अब यह अव्यवस्थित काम तो हो गया। एक तरफ यह बात सोची गई कि जो दो मंजिले, तीन मंजिले मकान बन हुये हैं, क्या उन मकानों को तुड़वाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि आप भी इस मत के होंगे कि इस प्रकार जो अरबों, करोड़ों रुपयों के मकान हैं....

श्री अध्यक्ष : राष्ट्र की बड़ी भारी हानि होगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनको तुड़वाने से, मैं मानकर चलता हूं, बहुत बड़ी हानि की बात होगी। राज्य सरकार ने इस बारे में निर्णय लिया। राज्य सरकार का यह निर्णय है तो अब मेरी समझ में नहीं आता कि इनको क्या परेशानी है? अब जो जयपुर डवलपमेंट अथॉरिटी को काम सौंपा गया है, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने अपने प्रथम भाषण में यहां पर कहा है कि अनधिकृत कब्जों को रेगुलेराइज करना है। अधिकारीगण को यह कहा गया है कि सितम्बर के अन्त तक दस हजार परिवारों के कब्जों को साइट पर ही जा करके वे रेगुलेराइज करेंगे।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि रोज हम एन्क्रोचमेंट को रोकने की बात करते हैं। हम यह कहते हैं कि हम इनको तोड़ देंगे। मगर हमने दूसरा रास्ता नहीं खोला तो यहां पर इनको अनधिकृत मकान बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। हमने इस बात की व्यवस्था की है। आज उजला जी यह कहती है मालवीय नगर की योजना हमने बनाई, विद्याधर नगर की योजना हमने बनाई। योजनाएं कागज पर बना दीं, योजना की क्रियान्विति के लिये क्या किया। किसलिये योजना बनाई थी। कहां गया था आपका दिल और दिमाग? क्यों नहीं रिजर्वेशन किया 33 पर्सेन्ट का? किसने आपको पांच रुपया गज जमीन दी है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको फाइल दिखाऊंगा जिसमें इन्होंने आदेश दिया था कि 70 रुपये गज जमीन दी जाये। यह कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार का एक ही लक्ष्य है और हमारी नेता इन्दिरा गांधी का आदेश है कि हमारे जो गरीब भाई हैं, उनकी गरीबी को दूर करना है। गरीबों को मकान बनाकर देने का हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जयपुर डवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश दिया गया है। इस विद्याधर नगर योजना के बारे में मैं आपको निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, विद्याजी ने यह

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कहा, आप क्षमा करेंगे नाम मैंने ले लिया, सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा, दिल्ली में तो इतनी बड़ी जमीनें दी गई पर यहां जमीन कहां है ? ये भी इस बात को जानते होंगे, मुझे याद है इनकी बात जो रामनिवास बाग की आम सभा में, जब मोरारजी पधारे थे उस वक्त विरोधी दल के नेता महोदय ने कही थी, एक साल में कच्ची बस्तियों की समस्या को हल कर देंगे। ये समस्या हल तो क्या कर पाये ये तो खुद ही हल हो गये। समस्या हल करने की बात नहीं कहता हूं लेकिन मैं इतना आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने इन सबको लिया है, 20 हजार परिवारों के लिये अलग से मकान देने की बात विद्याधर नगर में तय की गई है जिसमें से वीकर सैक्शन को चार हजार मकान मुरलीपुरा और विद्याधर नगर में देने की योजना चल रही है।

बांदीकुई से आने वाले सम्माननीय सदस्य कह रहे थे कि मुरलीपुरा में मेरी जमीन है इसलिये उसका डवलपमेंट मैं पहले करना चाहता था। मुझे पता नहीं है कि वे इस बात को कहां से ले आये हैं। मेरी जमीन नहीं है। मैं आज इस विधान सभा में घोषणा करता हूं कि अगर वह मेरी जमीन है तो वह ले ली जाये और मुआवजा दिया जाय। ना मेरी जमीन है ना ही मेरे किसी भाई की है। हालांकि भाई की बात के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं लेकिन मुझे जानकारी है इसलिये ही मैं कह रहा हूं। जयपुर की सड़कों पर तो मैं इनका मुकाबला करता रहता हूं। ये लोग लगातार चरित्र हनन का कार्यक्रम चलाते हैं। आपके माध्यम सदन से यह बात कहता हूं कि अगर यहां पर किसी भी बात के लिये प्रमाण दे दें, एक भी प्रमाण दे दें, आपको सुना दें, बता दें तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पवित्र सदन, जो राजस्थान की 3, 4 करोड़ जनता को रिप्रेजेन्ट करता है, के अन्दर मुझ जैसे आदमी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इन सारी बात, जो सम्माननीय सदस्य ने कही है, के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि जयपुर के विकास के लिये, जयपुर का ठीक ढंग से विकास करने के लिये, यह जो सुन्दर शहर है इसको सुन्दरतम बनाने के लिये, इसका सुन्दरतम ढंग से विकास हो सके इसके लिये, और इसके इर्द-गिर्द जो गांवों में रहते हैं, कस्बे हैं, उनके लिए ही यह किया है।

सम्माननीय सदस्यों के मन में कई प्रकार की शंकायें हैं जैसे फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम का आप खयाल नहीं रखेंगे और किसानों की जमीनों को ले लेंगे। मैं उनसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे जो आइटम हैं उनको पूरा करने के लिये राज्य सरकार कटिबद्ध है, उनको हर कीमत पर पूरा किया जायगा। एक बात माननीय सदस्य ने और कही थी कि आप इस प्रकार से क्यों नहीं करते हैं, किसान सहकारी समितियों को तो जमीन बेच देते हैं लेकिन सरकार को क्यों नहीं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने इस सारी बात पर विचार किया है, विद्याधर नगर, मुरलीपुरा में इस बात के लिए

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
प्रेक्टिकली विचार किया है, जयपुर डवलपमेंट कमीश्नर, फाइनेंस के एक रिप्रेजेन्टेटिव और जिलाधीश की कमेटी बिठाकर हमने यह विचार किया है कि एक तरफ तो किसानों से हम उनकी जमीन ले लेते हैं और दूसरी ओर उनको रेट भी कम मिलती है, उसके कारण उसको कम पैसे मिलते हैं। वे सहकारी समितियों को बेच देते हैं और सरकार को नहीं बेचते हैं, इसलिए हमने इस बार यह किया है कि उनको आज की मार्केट रेट के अनुसार पैसा दिया जाये। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कहीं पर भी उनको दिक्कत आये या लोग उनके पास आयें तो मुझे बतायें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी जो दिक्कत है उनको दूर कर सकूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह समझता हूं कि यहां पर जमीन की बात जो माननीय सदस्य ने कही है वह एक प्रकार से मन गढ़ंत कही है।

पुनः यह भरोसा दिलाता हूं कि केवल मात्र जयपुर शहर और जो आस पास में छोटे-छोटे कस्बे हैं गांव हैं उनका ठीक ढंग से विकास करने के लिए ही यह जयपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया है। यही उसका लक्ष्य है। इसलिये दिल और दिमाग से इस बात को निकाल दें कि केवल मात्र ब्यूरोक्रेट हम पर हावी होंगे। ब्यूरोक्रेट की यह ड्यूटी है कि कांग्रेस (आई) के जितने कार्यक्रम हैं जो कार्यक्रम हमने तय किये हैं तय करके उनको दिये हैं उनको वे पूरा करें। जो पूरा करने में बाधक होंगे, मैं बता दूं कि सदन ने सत्ता दी है वर्तमान सरकार को, इस सरकार द्वारा कार्यक्रम में बाधक बनने वाले को कहीं पर भी नहीं छोड़ा जायेगा। हमारे सामने जनता सर्वोपरि है, जनता का कार्य सर्वोपरि है। इसलिये आप अपने दिल और दिमाग में यह भ्रम नहीं रखें कि यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है। यह जल्दबाजी में नहीं लाया गया है। इसके सम्बन्ध में पूर्ण रूप से विचार किया गया है....

श्री अध्यक्ष : श्रीमन् मन्त्री महोदय, समाप्त करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुख्य मन्त्री के जन्म दिन को लेकर यह बात कही है। 14 जुलाई को कौनसे मुख्य मन्त्री का जन्म दिन था यह वे ही जानें, यह एक अच्छी बात थी....

(व्यवधान)

अनावश्यक इस प्रकार की बातें करके, तथ्यों को गलत ढंग से पेश करके, मैं नहीं समझ पाया, वे क्या कहना चाहते हैं। आज तो मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं।

उजलाजी ने जो कहा तो उसमें तो मुख्य मन्त्रीजी ने यह लिखा था कि जयपुर अकेला कांग्रेस का नहीं है यह जयपुर आपका भी है। उन्होंने जयपुर के विकास के लिए विरोधी दलों का भी आहवान किया था, आइये, सभी बैठें और इस सुन्दर शहर, जिसको दुनिया के लोग देखने आते हैं, को और सुन्दर बनायें। एक बात समझ लीजिए कि जितनी गलती रही 77 से लेकर 80

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

तक उस सारी गलती को ठीक करने का मौका आज आपको मिल रहा है, इसमें सहयोग दें। कृपापूर्वक जो यहां पर यह बिल नियमितीकरण के लिए लाये हैं उसको आप मानें और राज्य सरकार को इसमें सहयोग दें।

श्री अध्यक्ष : मतदान करा लिया जाय।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 1982 को प्रख्यापित जयपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 4, सन् 1982) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव दिया है। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि काफी समय लग गया है अत: अब जो माननीय सदस्य बोलेंगे, प्रत्येक पांच से सात मिनट के लिये बोलेंगे।

श्री महाराम चौधरी।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, ये मुझे कह रहे है कि आप क्या समझते हैं तो यह बात आपको मालूम नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, यह जो जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक विचारार्थ पेश किया जा रहा है इसके द्वारा जयपुर के आस पास के गांव हैं उन गांवों का विकास करने के लिये, उनके शहरीकरण के नाम पर शहर को नरक में क्यों धकेल रहे हैं। इसलिये मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

जयपुर की सीमा जो निर्धारित की हुयी है वह शहरीकरण के लिये है। जयपुर बहुत ही कनजसटेड हो गया है यहां भीड़ बढ़ गयी है। गांवों में रहने वाले लोगों के सुख चैन को, उनकी सुखी जिन्दगी को आप शहरीकरण के दुख में क्यों धकेल रहे हैं। उनको आप क्यों परेशानी में डाल रहे है। जयपुर शहर की जो सीमा है वह थोड़ी-थोड़ी जमीनों को बेचकर अपना गुजारा चला रहे थे। उन ग्रामीणों को पैसे का मोह देकर भुलावा दे रहे हैं, एक साथ आप उनको पांच रुपये गज या फीट, जो कुछ आप एक साथ दे रहे हैं, के हिसाब से पैसे देंगे तो वह जमीन बेच देगा। लेकिन वे पैसे उसके पास चलेंगे कितने दिन। उनको

(श्री महाराम चौधरी)

जो पैसा मुआवजे के तौर पर जो कुछ भी आप रेट तय करके देंगे, इन सरकारी अधिकारियों के जरिये से आपके प्राधिकरण के जरिये से कितना पैसा उनके पास पहुंच पायेगा या नहीं पहुंच पायेगा, उसमें से कितना पैसा काट कर देंगे इससे परेशानियां बहुत भारी उठानी पड़ेंगी। फिर जो कुछ पैसा उनको मिलेगा उसका सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। थोड़ी बहुत जो रकम मिलेगी उसका सदुपयोग करने की दृष्टि से इन्डस्ट्री लगा नहीं सकेंगे। उनके पास में कुछ भी नहीं बचेगा, वह सिर्फ आपके मुंह की तरफ ताकते रहेंगे। आपने ग्रामीण क्षेत्र की खेती बाड़ी की जमीन लेकर बड़े बड़े महल मकान बना लिए हैं, उनको वह देखते रहेंगे और आप जैसों को रिक्शा पर बैठा कर रिक्शा चलाने के अलावा दूसरा कोई काम उनका रहेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं जो जयपुर की जो सीमा है, वहीं तक का एरिया इसमें रख लीजिए। आस पास के गांवों को जयपुर की सीमा में मिलाकर के उनका और ज्यादा शहरीकरण मत करिये। हम देखते आये हैं कि खेती बाड़ी की जमीन है जिसके अन्दर अपने देश के लिये खाद्यान्न का उत्पादन होता है। और आम आदमी के खाने पीने का साधन उपलब्ध होता है। जयपुर के आस पास के गांवों के अन्दर कुओं का जल स्तर भी ठीक है, जिस से खेती बाड़ी की जमीन उपजाऊ हो सकती है। लेकिन इस आसपास के एरिया का जब आप शहरीकरण कर देंगे, बाग बगीचे लगा देंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे तो खाद्यान्न के उत्पादन की क्षमता घटेगी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मुझे तो सिर्फ जो एतराज है, वह सबसे बड़ा यही है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनको, अध्यक्ष महोदय, परेशान मत कीजिए। इसकी सीमा यहां तक ही रहने दीजिए। अपनी माया अपने पास ही रखिए।

श्रीमान् गोटेवाला जी ने भाषण दिया, घोषणा की गरीब के लिये। जिस तरह आपने इनके लिए कहा कि इनकी भाषण देने की आदत है, आपकी भी आदत है, आप भाषण करते आये हैं लेकिन आज तक कितने आदमियों को सुन्दर मकान बना कर प्राप्त कराये हैं। यह भाषण सिर्फ भाषण नहीं रह जाये। अब जो आपकी गंदी बस्तियां हैं, उनको ही सुधार दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को परेशानी में मत डालिये। जो गांव हैं, उनको छोड़ कर इसे जयपुर शहर की सीमा तक रहने दीजिए। जो आप सुख सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे, उन सुख सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर प्रसार करना आपके बिलकुल ही बूते के बाहर की बात है और न आप कर सकेंगे। आपके इर्द-गिर्द जो घूमते हैं, उन तक ही यह सुख सुविधा सीमित रहती आई है। अपनी मांगों को सही तरीके से आपके पास पहुंचाने के लिए समुचित भाषा, या तरीके, जिससे पहुंचा सके, की भी जानकारी नहीं। आप उन तक शहरी सुविधाएं नहीं पहुंचा सकेंगे और शहर की जो गंदी बुरी आदतें हैं उनसे आप उनको वाकिफ करा देंगे।

श्री अध्यक्ष : विधेयक जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये, इसके लिए अन्य माननीय सदस्य यदुनाथसिंह, उजला

(श्री अध्यक्ष)

अरोड़ा और वीरेन्द्र प्रतापसिंह ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। वे बोलना चाहेंगे ?

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

अब इस संशोधन प्रस्ताव पर विचार होगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये। संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं संशोधन प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष : क्षमा करें, मूल प्रस्ताव श्री....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अभी जिस समय बोल रहे थे, उस समय मुझे लग रहा था कि स्वर्गीय महाराजा जयसिंह जी जिन्होंने जयपुर नगर को बसाया और श्री, विद्याधरजी, जिन्होंने नगर की योजना बनायी इन दोनों की आत्मा श्रीरामजी के अन्दर अवतरित हो गयी हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : नाम तो लिया।

श्री अध्यक्ष : श्रीराम में तो सब लीन हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया वह बिलकुल सही है लेकिन श्रीरामजी में सब लीन नहीं हैं ये तो श्रीराम के बिलकुल....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस ऑर्डिनेंस को लेकर चर्चा की कि इससे जयपुर का विकास होगा इससे ऐसा लगता है जैसे अब तक जयपुर का विकास नहीं हुआ और इनकी पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि जयपुर का विकास करना है। जहां तक यह प्रश्न है कि विकास हो, वह कांग्रेस पार्टी करे या अन्य दल करे, इसमें किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता। हमारा विरोध भी नहीं है। मैं समझता हूं, जैसा वह कहते हैं, उनकी पार्टी ने संकल्प लिया है....

श्री अध्यक्ष : ईर्ष्या जरूर हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ईर्ष्या भी हो सकती है। यह मनुष्य का स्वभाव है इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी वह कर रहे हैं, वह किस नीयत से कर रहे हैं। सवाल अगर जयपुर के विकास का है तो इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस सारे विधेयक को यदि आप ए से जैड तक पढ़ें तो आपको लगेगा कि विकास की आड़ में कुछ और होने वाला है। इस विधेयक को देखें तो मुख्य-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मंत्रीजी ने जैसा कहा, मुख्य मंत्री ने इसका उद्‌घाटन किया उस उद्‌घाटन के भाषण का उल्लेख किया, उससे मैं ऐसा समझता हूं कि जयपुर के प्राधिकरण का उन्होंने उद्‌घाटन नहीं किया, अध्यक्ष महोदय, बल्कि नासिक में जैसे नोट छापने का कारखाना है, वैसे ही इस जयपुर नगर में उस कारखाने को प्राधिकरण का नाम देकर उसका उद्‌घाटन किया। अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे कि नोट छापने का कारखाना कैसे बताया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सबसे पहले इसकी धारा-17 को ले लें नोट कैसे छपेंगे, उसका अंदाजा इससे हो जायेगा। इसका मूल उद्देश्य क्या है, वह बता रहा हूं। इससे आपको अंदाजा लग जायेगा कि जयपुर का विकास नहीं, विकास के नाम पर किस प्रकार से अपनी व्यवस्था करना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था धारा-17 में कहा है, अध्यक्ष महोदय, "Functions of the Authority".

इसमें एक है–बी। बी में लिखा है कि "To control and supervise the housing co-operative societies in the Jaipur Region."

आपका प्रमुख काम क्या होगा। जयपुर में जो 200 के लगभग हाउसिंग को ऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं जिनके बारे में इस सदन का प्रत्येक सदस्य जानता है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम पर जनता का और सरकार का भयंकर एक्सप्लायटेशन हुआ, उस एक्सप्लायटेशन का, अध्यक्ष महोदय, यदि रुपए के अन्दर हिसाब लगाया जाये तो इस सदी का सबसे बड़ा स्केण्डल होगा। लगभग 500 करोड़ जनता का पैसा खागये, 500 करोड़ कन्वर्शन चार्जेज के रूप में सरकार ने वसूल कर लिया उसी 500 करोड़ के अन्दर कुछ राशि, अध्यक्ष महोदय, लोगों ने मकान बनाने में, रिश्वत देने में, मैटीरियल खरीदने में लगाई। इस प्रकार जिन को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ने दुरुपयोग किया, आज उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कन्ट्रोल में लाने का मुख्य उद्देश्य है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, कोई यह कह दे कि को ऑपरेटिव सोसाइटीज को काबू में लाने से काम नहीं चलेगा तो मैं मंत्री महोदय से और सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अब धारा 99 पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, बड़ा इन्ट्रेस्टिंग कानून है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं धारा 99 में क्या लिखा है, एक तरफ तो इन्होंने धारा 17 में लिख दिया "To control and supervise the housing co-opera tive societies in the Jaipur region"

आप 'कन्ट्रोल" और "सुपरवीजन शब्द काम में नहीं लेते हैं तो काम कैसे चलेगा धारा 99 में लिखा है "99. Control over Housing Co-operative Societies. Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 (Rajasthan Act No. 13 of 1965) the Authority shall have power of general superintendance and control over the housing co-operative societies in Jaipur Region."

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अधिकार ले लिया, उन पर कन्ट्रोल पड़ेगा। आगे क्या लिखते हैं

"All powers and functions of Registrar under that Act in case of the housing co-operative societies in Jaipur Region shall be exercised and perfomed by the Jaipur Development Commissioner."

अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग को आपरेटिव सोसाइटीज़ का जितना गंदा इतिहास है, उस गंदे इतिहास में नहीं जाना चाहता। आज मुख्य मंत्री मौजूद नहीं हैं, मैं उनकी नामौजूदगी में नहीं कहना चाहता हूं। जब मुख्य मंत्री जी कल आयेंगे तो कहूंगा। हाउसिंग को ऑपरेटिव सोसाइटीज़ में किस प्रकार मकान बने, किस प्रकार मकानों की अनुमति मिली या ली गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हाउसिंग को ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कन्ट्रोल और उनका सुपरवीज़न करने का अधिकार लिया है, कानून बनाकर व्यवस्था कर दी है कि रजिस्ट्रार, कोआपरटिव सोसाइटीज़ का उन हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर अधिकार नहीं होगा। अर्थ क्या होगा ? हाउसिंग को आपेरेटिव सोसाइटीज़ इस प्राधिकरण के कब्जे में आ गयीं। प्राधिकरण में आ गयीं इसका मतलब यह हुआ कि मुख्य मन्त्री जी सचिवालय में बैठे रहेंगे और जयपुर की 200 के लगभग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिन्होंने लगभग 500 करोड का स्कैण्डल किया है, का राजा विद्याधर नहीं बनेगा, महाराजा जयसिंह जी नहीं बनेंगे इनका राजा बनेगा श्रीराम जी गोटेवाला जो छाती ठोक कर कह रहे थे मुझे जयपुर के विकास की चिन्ता है जयपुर के विकास की आपको चिन्ता नहीं, आपको चिन्ता है हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज जो खा गईं उसको निकलवाने की और निकलवाकर कुछ हजम करने की।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, चार्ज लगा रहे हैं आप कि हमें जयपुर के विकास चिन्ता थी। जयपुर के विकास की केवल आपको ही चिन्ता थी तो बताये, हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज के मामले में क्या किया। अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि 14 जुलाई को शपथ ग्रहण की, मुख्य मंत्री जी ने 14 जुलाई को शपथ ग्रहण की और 14 जुलाई को यह प्राधिकरण का विधेयक एक आर्डिनेन्स के रूप में हमारे सामने आया। अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष का समय निकल गया, शासन की वर्षगांठ पर अखबारों में कुछ चर्चायें छपीं कि मुख्य मंत्रीजी ने जिस समय शपथ ग्रहण की थी उस समय यह घोषणा की थी कि जयपुर डवलपमेन्ट अथोरिटी मैं बना देऊंगा। अपनी इस बात को पूरा करने के लिये जयपुर डवलपमेन्ट अथॉरिटी का आर्डिनेन्स इश्यू किया। इसके पीछे कोई पत्रपंज नहीं है। यदि 14 तारीख को जयपुर डवलपमेन्ट अथॉरिटी नहीं बनती तो उसका परिणाम यह होता कि जयपुर का विकास नहीं होता, जयपुर का विनाश हो जाता, जयपुर का किसी न किसी तरह से नुकसान हो जाता। जयपुर में बाढ़ आये, उसके कारण तबाही हो जाय और जयपुर में कुछ बस्तियां बन रही हैं वह उजड़

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

जायं, इस बात की कोई चिन्ता नहीं थी। 14 तारीख को ही नहीं आज के दिन भी यदि माननीय मंत्री महोदय चाहते तो विधेयक पास हो जाता इस आर्डिनेन्स की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय जयपुर डवलपमेंट अथॉरिटी के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित थे। राज्यपाल महोदय ने भी इस समय भाषण दिया था। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में क्या कहा? राज्यपाल महोदय ने भाषण में एक बात कही कि अगर मान लीजिये मैं और मुख्य मंत्री जी अनधिकृत रूप से यहां मकान बनवाना शुरू कर दें तो इस राजस्थान का क्या होगा? स्वायत्त शासन मंत्रीजी, आपको वह शब्द याद होंगे, राज्यपाल महोदय की वह बात, राज्यपाल महोदय के वाक्य कोई निरर्थक नहीं हैं। राज्यपाल महोदय को भी कुछ जानकारी है कि किस प्रकार से मकान बनते हैं, किस प्रकार से मकानों की व्यवस्था की जाती है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह बात कही? तो इससे यह अन्दाजा लगा लेना चाहिये कि जो लोग मकान बना रहे हैं, उन मकानों के बारे में राज्यपाल महोदय को भी जानकारी है और उसी जानकारी के आधार पर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि जयपुर में काफी संख्या में मकान बने।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय बड़े जोर–शोर से बोल रहे थे। मेरे ऊपर कई आरोप लगाये। मैं आरोप लगाना नहीं चाहता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि 1979 में शायद अक्टूबर के महीने में सैक्टर वन योजना के अन्तर्गत उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में 9 हजार बीघा जमीन के एक्वीजिशन की बात कही कि 9 हजार बीघा जमीन का एक्वीजिशन किया जाय जयपुर शहर के विकास के लिये। 1980 में हम लोग चले गये। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से कम्पेनसेशन की सारी कार्यवाही होने के बाद 1980 में 52 1 (2) का नोटिस निकालने के लिये कागज भेजे, उन कागजों पर आज दिन तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? अध्यक्ष महोदय, वह नोटिफिकेशन मेरे पास है। उस नोटिफिकेशन के बारे में, मुख्य मंत्रीजी आज सदन में नहीं है इसलिये मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, बड़े जोर-शोर से बोल रहे थे उस गजट नोटिफिकेशन में क्या निकला? सीरिअल नम्बर 16 पर माननीय मन्त्री महोदय के नाम का उल्लेख है। ग्राम मन्डोली मानपुरा में श्री श्रीराम गोटेवाला पुत्र श्री मोहनदास गोर्धनदास, श्री बालाबक्स व श्री उमराव मल चोरड़िया पुत्र श्री स्वरूपचन्द मैसर्स जयपुर लैण्ड डवलपमेन्ट एण्ड फाइनेन्सियल कार्पोरेशन जयपुर, खसरा नम्बर 38 रकबा 6 बीघा और 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 39 रकबा एक बीघा और 14 बिस्वा, अध्यक्ष महोदय, बसन्त विहार सिन्धी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिला जयपुर खसरा 40, इसमें लगभग 7 बीघा या 8 बीघा जमीन है और छोटे-छोटे खसरे हैं, जिनका वर्णन कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। श्री श्रीराम गोटे-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वाला वगैरह खसरा नम्बर 38, इसमें 16 बिस्वा, 1 बीघा 1 बिस्वा, 12 बिस्वा, 2 बीघा 14 बिस्वा। यह भी जमीनें इसमें हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई इस धोखे में नहीं रहे, यह बसन्त विहार सिन्धी हाउसिंग सोसाइटी किसी दूसरे आदमी की नहीं है, 15-1-1967 का यह लैटर मेरे पास है। 1967 में लिखा हुआ लैटर यू. आई. टी. का है, जो माननीय श्री श्रीरामजी गोटेवाला को लिखा हुआ है, इसको सदन में पढ़ कर मैं सुना दूंगा तो उससे यह जानकारी हो जायेगी कि यह बसन्त विहार, हाउसिंग सोसाइटी का मालिक कोई दूसरा नहीं थे श्रीमान् स्वयं मंत्रीजी हैं। उसमें लिखा है—

श्री श्रीरामजी गोटेवाला, मिश्र राजाजी का रास्ता, जयपुर।

आप ही श्री श्रीरामजी गोटेवाला हैं, आपको ही लिखा है, श्री रामजी।

"बसन्त विहार टौंक रोड की भूमि के, उप-विभाजन के सम्बन्ध में निदेशानुसार लेख है कि बसन्त विहार क्षेत्र का उप-विभाजन मुख्य नगर नियोजक की राय से निम्न प्रकार से अनुमोदित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।" अध्यक्ष महोदय, इसकी डिटेल में तो मैं नहीं जानना चाहूंगा।

उक्त क्षेत्र में निम्न विकास कार्यों हेतु 73,040 रुपये की राशि के व्यय का अनुमान है जिसके प्रति कृपया 6,300 रुपये अनुमानित जमा कराने का श्रम करें एवं 2 रुपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पर इकरारनामे हेतु प्रस्तुत करें जिसमे अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।"

अध्यक्ष महोदय, इससे तो पता लग गया कि बसन्त विहार हाउसिंग सोसाइटी के माननीय श्री श्रीरामजी गोटेवाला मालिक थे। अध्यक्ष महोदय, दूसरे यह पता लग गया कि श्री श्रीरामजी के नाम पर जमीनें हैं जिनको लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के अन्तर्गत लेने के लिये नोटिस निकले हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और इस सदन से यह पूछना चाहता हूं, आपके पास अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट भी पड़ा हुआ है, लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट भी पड़ा है, आपके पास नौकरशाही भी बैठी है उससे भी पूछ लें. 52 1 (2) लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के अन्तर्गत यदि लैण्ड एक्वीजिशन का नोटिस निकाला हो तो क्या नोटिस निकलने के बाद किसी को मकान बनाने का अधिकार रहता है? अध्यक्ष महोदय, यदि एक बार किसी जमीन के एक्वीजिशन का नोटिस निकल गया तो उस जमीन पर मकान बनाने का अधिकार नहीं रहता है। ईमानदार हों, तो गोटेवाला जी खड़े होकर कह दें कि उस जमीन पर आज दिन तक कोई मकान नहीं बना। सब मकान बने हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जिस समय मथुरादास जी माथुर राजस्थान के वित्त मंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि एग्रीकल्चर कन्वर्शन चार्जेज क्या होंगे, डवलपमेन्ट चार्जेज क्या होंगे, डवलपमेन्ट चार्जेज, अध्यक्ष महोदय, मुझे आज भी याद है 8 रुपये प्रति गज के हिसाब से उन्होंने घोषणा की थी और आपने 1 रुपया और 10 पैसे प्रति गज का जमा कराया. बाकी की रकम आज तक यू. आई. टी. में जमा नहीं कराई....

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(व्यवधान)

....और आप यहां भाषण दे रहे हैं, महाराजा जयसिंह की बात याद कर रहे हैं और विद्याधर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने विद्याधर नगर योजना में कोई काम किये हैं, तो मुझे उसकी प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन यह कहने को आप तैयार हो जायं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस नोटिफिकेशन, जो 1967 के अन्दर निकला, के अनुसार 'क्या पूरी कार्यवाही की? दो हजार बीघा जमीन एक्वायर करनी थी, अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता। आज कह रहे थे, गोटेवालाजी, होटल हमने बनवा दिया। जयपुर का कोई पूंजीपति ऐसा नहीं जिसकी जमीन एक्वायर नहीं की गई हो। केवल पूंजीपतियों की जमीन के एक्वीजिशन का नोटिस था। राजनेताओं की जमीन के एक्वीजिशन का नोटिस था। लेकिन इस सरकार ने उस नोटिफिकेशन के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, खुली छूट दे दी कि हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज को जमीन बेच दो जब कि लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के अन्तर्गत हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज को जमीन नहीं बेच सकते थे। यह माननीय मंत्रीजी और इस सरकार की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेन्ट की जो जमीन थी वह हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी को बेच दी। करोड़ों रुपये का माल जो जनता का था, जो जनता के खजाने में जमा होना चाहिये था वह लोगों के कब्जे में चला गया। वह भाग नहीं छोड़ रहे हैं और आज कह रहे हैं हमने वह कर दिया यह कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं श्रीरामजी से कि क्या अपोलो गृह निर्माण कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जमीन एक्वायर नहीं हुई थी? क्या उन्होंने उसका पैसा जमा नहीं कराया था? क्या वहां लोगों का कब्जा नहीं कराया था? क्या अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति, जिसके पास जमीन नहीं थी, को वह जमीन दिलाने में आपका हाथ नहीं है? आपकी सरकार का हाथ नहीं है, आपका हाथ है आपकी सरकार का हाथ है। अब यदि कोई आदमी उस पर कब्जा करता है तो उस कब्जे की बात को लेकर दुनिया भर में चिल्लाहट मचायें उससे काम चलने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमें यहां उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने अधिकार लिये हैं, इस विधेयक के अन्तर्गत क्या अधिकार लिये हैं वह मैं बताना चाहता हूं। धारा 27 पढ़िये, आपने अधिकार लिये जिस बात के, अध्यक्ष महोदय, वह आपको अधिकार है और किसी को नहीं, मुख्य मन्त्रीजी नाम मात्र के हैं, अधिकार मिलेंगे। इनको किसी व्यक्ति को अधिकार मिलेंगे इनको जो 9 हजार बीघा जमीन का नोटिफिकेशन निकाला हुआ है इसी तरह से जयपुर शहर के आसपास की लगभगत साढ़े तीन हजार बीघा जमीन का नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। साढ़े बारह हजार बीघा जमीन को नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। अब माननीय मन्त्री महोदय अधिकार क्या ले रहे हैं? अधिकार ये नहीं ले रहे हैं, अधिकार ले रहे हैं आप, नियम 57 को पढ़िये, उसमें है "57. Release of land from acquisition.--(1) Where on the

(श्री भैरोंसिंह शेखवत)

representotion of a person interested or otherwise...."

मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेसी, जिसने इसे ड्राफ्ट किया है, ही इस वात को वतायेगी कि or otherwise का मतलव क्या है ?

"....the State Government is of the opinion that any land, which has been compulsorily acquired under this Act, is not needed for the publice purpose for which it was acquired, or it decides to release any land or any part of it acquired under Section 47, of which possession has not been taken, the State Government shall make a declaration in the official Gazette, that such land shall, from such date as may be specified in the notification, be released from acquisition and shall revert to the person from whom it was acquired."

अब, अध्यक्ष महोदय, यह अधिकार मंत्री महोदय ने ले लिया है तो 9 हजार बीघा जमीन का नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है उसमें मेरी जमीन है तो मैं जाऊंगा कहां ? मंत्री महोदय की सेवा में खड़ा होऊंगा और कहूंगा इस जमीन को रिलीज करो। आप अगर पैसा देंगे ढाई हजार रुपये बीघा या दो हजार रुपये बीघा। मैं यदि उसके प्लाट बनाकर बेचता हूं तो एक बीघा की कीमत एक लाख रुपया मिलेगी ढाई हजार और एक लाख का डिफरेन्स कितना होता है ? साढ़े सित्यानवे हजार रुपये। साढ़े सित्यानवे हजार रुपया मिला वह किसको जायगा ? गंगाजी जायगा या जमुनाजी जायगा ? रामजी के पास जायगा या श्री जी के पास जायगा,

(4·47 म.प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता मैं कह सकता हूं कि जमीन एक्वीजिशन में आई उस जमीन को वापस रिलीज किया जायगा। अध्यक्ष महोदय, कोई यह कहे कि माननीय मन्त्री महोदय ऐसा करने वाले नहीं हैं तो, माननीय सभापति महोदय, एक्वीजिशन के बाद जमीन का डीएक्वीजिशन करना चाहते हैं तो, सभापति महोदय, इन्होंने अपने राज में जो डीएक्वीजिशन किया वह भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं ताकि सदन में यह कोई धोखे में नहीं रहे कि माननीय मंत्री ने जो अधिकार लिया यह अधिकार विना मतलव के लिया है। यह मतलव के अधिकार लिये हैं। नोटिफिकेशन में था वह मैं सुना देता हूं। पहला नोटिफिकेशन है 27.12.80 का, ज्योति जगजीवन नगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के पक्ष में खसरा नम्बर 531 का रकवा 12 बीघा तीन विस्वा भूमि को अधिसूचना संख्या 6/29, दिनांक 27.10.80 को अवाप्ति से मुक्त किया गया। मैं समझता हूं मन्त्री महोदय इसको आप आप स्वीकार करेंगे। इसको यूं कर दिया गया, इसको केवल इसलिए किया गया कि यह गृह निर्माण सहकारी समिति भी गृह निर्माण का काम कर रही है इसलिये गृह निर्माण के लिये भी भूमि अवाप्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की जाती है तो क्या आवश्यकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं यदि और लोग गृह निर्माण करने के लिये अवाप्ति से मुक्ति चाहते हैं तो आप उनको मुक्ति क्यों नहीं देते ? वहां, अध्यक्ष महोदय, आपको पता है आपने तो बहुत कोशिश की है इन मामलों की। अब दूसरा लीजिये, एक, अध्यक्ष, महोदय, यह है मौजी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि. जयपुर के पक्ष में खसरा नम्बर 70 से लेकर 77 व 79 की भूमि झालाना डूंगरी के पास को आदेश क्रमांक 6/30/74 दिनांक 5.8.81 को अवाप्ति से मुक्त किया गया। दूसरी मौजी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी है जिस सोसायटी को केवल इसलिए मुक्त किया गया कि यह भी वही काम करना चाहती है जिस काम के लिए हम जमीन एक्वायर कर रहे हैं। इससे भी आप अन्दाज लगाइये कि हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज की जमीन के एक्वीजिशन के पीछे मतलब क्या है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से....

श्री श्रीराम गोटेवाला : कौनसी सोसायटी की बात है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मौजी हाउसिंग सोसायटी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मौजी या खोजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मौजी हाउसिंग सोसायटी क्लार्क आमेर के पास वाली. जिसके नाम से बेनामी धन्धे चल रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मामला ठीक है अपना कोई खराबी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं साफ कर दूंगा। बेफिक्र रहो। आज सी. एम. साहब नहीं है वरना मैं आज ही कर देता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो ठीक है, मगर मैं सब समझता हूं। आ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां वह सब मैं बताऊं, मैं उस पर आ रहा हूं। आप नाराज क्यों हो रहे हैं। आप कहो तो नहीं बोलें आपकी नाराजगी हो तो जयपुर में रहने नहीं दें कल ही बाहर कर सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप भी बाहर से आये हैं इसलिये घबराओ मत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप खण्डेला में गोटा काढ़ते काढ़ते गोटेवाला बन गये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप वहां कौनसी तलवारें चलाते चलाते पधारे हैं। आप भी उसी हैसियत से पधार रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपन एक ही जगह के रहने वाले हैं, इसलिए आप ज्यादा चिन्ता मत करिये।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : एक घण्टा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके नेता महोदय बोल रहे हैं। दो घण्टे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक घण्टा बढ़ा दीजिये ।

श्री सभापति ; प्रश्न यह है कि सदन का समय सदन की अनुमति से एक घण्टा बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाता ।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, अब एक और है नव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा तीसरी सोसायटी है, नव गृह निर्माण सहकारी समिति लि० जयपुर की भूमि ग्राम धूला तहसील सांगानेर जिला जयपुर की भूमि खसरा नम्बर 14 रकवा 17 बीघा व खसरा नम्बर 7,2,5 रकवा 4 बीघा को दिनांक 3-8-81 को अवाप्ति से मुक्त किया गया । अब, सभापति महोदय, नम्बर 4 जय जवान जय किसान हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि० जयपुर इसकी भूमि को 16-10-81 को अवाप्ति से मुक्त किया गया । कृष्णपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की भूमि को 23-8-81 को अवाप्ति से मुक्त किया गया, इसकी जितनी भूमि थी, जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति है इसकी जितनी भूमि को 1-1-82 को मुक्त किया गया अवाप्ति से, हाल ही में किया है कोई ज्यादा देर नहीं हुई । अध्यक्ष महोदय, जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लाइज कोआपरेटिव सोसायटीज की भूमि को अवाप्ति की कार्यवाही से मुक्त किया गया । यह बाकी की एम्प्लाइज की हैं । एवरेस्ट हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि.-जयपुर को नियमन करने के आदेश प्रदान किये गये ।

नेशनल इन्जीनियरिंग की भूमि को आपने अवाप्ति से मुक्त किया और इसी प्रकार से ग्राम चैनपुरा में आपने कुछ भूमि को अवाप्ति से मुक्त किया । मैं, सभापति महोदय, यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर इस अवाप्ति को वापस लेने के अधिकार के पीछे पर्पज क्या होगा, इसका अन्दाज लगा लें । इसमें यदि कहीं कोई यह रेशनल हो कि कोई भी कोआपरेटिव सोसायटी यदि अपनी इच्छा से मकान बनाना चाहती है, मास्टर प्लान के अनुसार मकान बनाना चाहती है, मास्टर प्लान की योजना के अनुसार मकान बनाना चाहती है, अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की इजाजत से मकान बनाना चाहती है उसका नक्शा और सब डिवीजन पास कराकर मकान बनाना चाहती है, उन सारी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज को हम इजाजत देंगे हम उसमें किसी प्रकार को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे । अगर मन्त्री महोदय इस प्रकार का निर्णय लेते तो मैं समझता हूं किसी को कोई आपत्ति नहीं होती । जमीन का एक्वीजिशन हो गया, एक्वीजिशन के बाद भी अगर मकान बनाते हैं और माननीय मन्त्री महोदय एक साथ बिना डिस्क्रिमिनेशन के अगर अवाप्ति से मुक्त करते तो, सभापति महोदय, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी लेकिन इन्होंने यह नहीं करके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

छांट छांटकर किस किस सोसायटी की जमीन को मुक्त करना है, कितनी मुक्त करना है उस प्रकार की व्यवस्था की है। सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, एक सरकारी अफसर है, उन सरकारी अफसर की जमीन को इसलिए रिलीज किया गया कि होटल बनाना चाहते हैं। सरकारी अफसर है, दरख्वास्त ली उनसे। यह कहा कि जमीन की मुक्ति चाहते हो तो दरख्वास्त दो कि होटल बनाना चाहते हैं। होटल बनाने की दरख्वास्त दी और होटल बनाने के ग्राउण्ड के ऊपर जमीन को आपने एक्वीजिशन से मुक्त कर दिया। मैं समझता हूं नाम बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, बता दिया जाय तो ठीक रहेगा, मेरे को भी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको शायद याद नहीं। मैं, सभापति महोदय, नाम बता दूंगा।

(व्यवधान)

अभी नाम बताऊंगा।

एक माननीय सदस्य : आपको भी मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम मुझे याद है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे कानून में इस सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्था की उस व्यवस्था से आप अन्दाज लगा सकते हैं कि लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही होगी, न्याय संगत सबके साथ होगी। लैंड एक्जीवीशन की कार्यवाही से यदि सबको मुक्त करना है न्याय संगत सबको मुक्ति मिलनी चाहिये। सभापति महोदय, पहले पहाड़िया जी का जमाना था, पहाड़िया जी के जमाने में कोई दिन समाचार-पत्रों में ऐसा नहीं आ रहा था कि अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अनधिकृत रूप से बने हुए मकानों को तोड़ दिया। सभापति महोदय, आपने स्वयं ने उसमें एक कीर्तिमान कायम किया है। आपने व्यवस्था कर दी कि जो लोग अनॉथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन करेंगे उनको तोड़ दिया जायेगा। जो लोग नाजायज तरीके से सरकारी जमीन, जिन जमीनों का सरकार ने मुआवजा दे दिया, सरकार में जमीन वेस्ट हो गई, पर जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। सभापति महोदया, मुझे गवाही दिलाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं गवाह हैं, आपने आदेश देकर उन मकानों को तुड़वाया। वह जमाना पहाड़ियाजी का था। पहाड़िया जी का जमाना बदला और श्रीराम जी का जमाना आ गया, जो मकान टूटे वह तो बने ही, लेकिन सरकार की जमीन जो जयपुर में कहीं भी बची-खुची पड़ी थी उसके ऊपर भी मंत्री महोदय ने एन्क्रोचमेंट करा दिया। अब सरकार के पास जमीन नहीं है। सभापति महोदय, आज की तारीख में सरकार के पास कोई जमीन नहीं है और जब जमीन नहीं है तो यह जयपुर विकास प्राधिकरण बनकर विकास कहां करेगा। विकास करेगा 342 गांवों में गरीब किसानों की जमीन को लेकर, विकास करेगा उस जमीन पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
जिस पर किसान खेती करके, सब्जी पैदा करके अपना पेट भरते हैं उन किसानों के पेट पर लात मारकर, लैण्ड एक्वीजिशन का नोटिस देकर उन जमीनों को सरकार अपने कब्जे में लेगी और फिर मंत्री महोदय जी की इच्छा के अनुसार डीएक्वीजिशन हो जायेगा। जिस समय इच्छा नहीं होगी उस समय कब्जा कर लिया जायेगा जिस समय आवश्यकता होगी उस समय लोगों का कब्जा करवा दिया जायेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून बना है यह जयपुर में कोई विकास कर पायेगा, इस प्रकार की संभावना नहीं है। उसके चेयरमैन मुख्य मंत्रीजी होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे श्रीमान। राज्य मंत्री जैसा कि बहन विद्या जी ने कहा कि मान लो राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया, चीफ मिनिस्टर साहब गायब, राज्य मंत्री ऐसे गायब जैसे घोड़े के सिर से सींग गायब होते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आपकी कल्पना है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : स्वयं पर हो चुका है यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है, हम कब ना कह रहे हैं। स्वयं में हुआ तो आपमें भी हुआ है। आप भी बैठे थे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो बीच वाली बात बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो, सभापति महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं कि मान लीजिये जो आप में हुई वही मेरे में हुई। जिस आदमी को समझ नहीं है उसके सामने बात करने की कोई सेंस नहीं है। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि मुख्य मंत्रीजी यहां होते तो ज्यादा अच्छा होता। वह कुछ समझते। मुझे ऐसा लग रहा है, खेतसिंह जी मुझे क्षमा करेंगे, गांव में अपने कहावत है "भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं।" मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मैं सिर्फ अपना कर्त्तव्य पूरा करने के लिये यहां भाषण दे रहा हूं, लेकिन इसका असर कुछ होगा, उन मंत्री महोदय पर तो होने वाला नहीं। बृजसुन्दर जी पर हो सकता है, परसराम जी पर हो सकता है, खेतसिंह जी पर भी थोड़ा-बहुत हो सकता है, जो भी समझदार व्यक्ति होगा उसके ऊपर तो असर होगा लेकिन, मैं समझता हूं, ऐसे आदमी पर असर होने की कोई बात नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं, सदन को मालूम है कि इसके अन्दर 342 गांव हैं। उनकी पंचायतें बनी हुई हैं, 342 पंचायते हों यह मैं नहीं कहता एक पंचायत में 4 गांव होंगे, किसी पंचायत में 5 गांव होंगे, किसी गांव में 10 गांव होंगे। पंचायत समितियां बनी हुई हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप जमीन तो लेना चाहते हैं काश्तकार की, 342 गांवों की जमीन आप हड़पना चाहते हैं विकास की ऊंची कल्पना करना चाहते हैं, मैं परसराम जी, आपसे पूछना चाहता हूं इसमें सिवाय मुख्य मंत्री के, जो यह कह सकते हैं कि वह राजस्थान के प्रतिनिधि हैं, सदन के नेता हैं, माननीय मुख्य मंत्री है उस रूप में मैं भी मान लेता हूं कि वह राजस्थान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन 342 गांवों का इसमें कोई प्रतिनिधि

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

है ? क्या उन 342 गांवों के लोगों को अपने संबंध में विकास की योजनायें बनाने को कुछ कहने का किसी प्रकार का कोई अधिकार है, क्या उनकी वाणी को किसी प्रकार का महत्व दिया जाये, इस प्रकार की योजना है ? नहीं है । सभापति महोदय, इस प्रकार की योजना नहीं है । माननीय मंत्री ने कहा कि कानून में व्यवस्था की है कि मुख्य मंत्री जी सात व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे । सात व्यक्तियों को मनोनीत करने से सारी समस्या का समाधान हो जायगा, यह नहीं हो सकता । यदि मंत्री महोदय आप वास्तव में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो बनेंगे शायद आप ही या कोई और बन सकते हैं, वाइस चेयरमैन का पद इलेक्टेड कर दिया जाय जिसमें उस क्षेत्र के विधायक हो जायें, उस क्षेत्र के सरपंच हो जायें, उस क्षेत्र की पंचायत समितियों के प्रधान हो जायें, उस क्षेत्र के जिला प्रमुख हो जायें, उस क्षेत्र के संसद सदस्य हो जायें, म्युनिसिपैलिटी के मैम्बर और चेयरमैन हो जायें और वह नहीं हों तो प्रशासक हो जायें, उनके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति यदि उपाध्यक्ष बनता है तो इस सारे ढांचे को हम लोकतान्त्रिक कह सकते हैं । सभापति महोदय, यह स्वरूप यदि नहीं दिया जाता है तो यह बात निश्चित रूप से है कि यह न जनता की आवाज है न किसी प्रकार से गांव वालों की आवाज ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह इलेक्टेड नहीं हैं । यह भी इलेक्टेड हैं, मैं भी हूं आप भी हैं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह इलेक्टेड हैं, आप भी हैं और मैं भी हूं ।

मैंने कब मना किया । यह किशनपोल से इलेक्टेड हैं लेकिन यह इलेक्टेड कूकस से नहीं है, यह इलेक्टेड सागानेर से नहीं, यह इलेक्टेड आमेर से नहीं हैं, यह इलेक्टेड चौमूं से नहीं हैं । 342 गांवों से नहीं हैं, कस्बों से नहीं हैं । मंत्री होने के नाते से यह दावा कर सकते हैं कि मैं राजस्थान का प्रतिनिधि हूं; उस सीमा तक मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं, खेतसिंह जी, यदि आपकी पंचायत समिति में, तो आपको कैसा लगेगा, इसका अन्दाजा आप लगा लें । शेरगढ़ में कोई व्यक्ति प्रधान बनकर खाचरियावास का आ जाय ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पधारे तो थे आप शेरगढ़ में प्रधान बनने के लिये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : दुर्भाग्य यही हैं, मंत्री महोदय, आपको कानून की जानकारी नहीं है । मैं वहां जाऊं भी तो भी नहीं बनूं । मैं तो वहां जाता रहता हूं ।

सभापति महोदय, कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं । इसका मतलब, इसका आप चाहें पूरा पॉलिटिकलाइजेशन कह दें, चाहे एक पार्टी का राज कह दें, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है । सभापति महोदय, यह कानून क्या बन रहा है, कितने कानून की हत्या कर रहा है । यह जयपुर प्राधिकरण सेंट्रलाइजेशन आफ पावर्स है । आज तक भारत सरकार, इस देश की नेता प्रधान मत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस बात का भाषण देती आई है कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

डी सेंट्रेलाइजेशन-ग्राप पावर्स करना चाहिये। शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना चाहिये। इस कानून में क्या हुआ है, सारी शक्ति एक प्राधिकरण के अन्दर केन्द्रित की गई है। वह किस प्रकार से हुई है "म्यूनिसिपैलिटी एक्ट" एक वर्ड लिख दिया—

"Notwithstanding anything contained in any other law, which is for the time being in force....

यह सारा लिखने के बाद न म्यूनिसिपैलिटी का एक्ट प्रभावशाली होगा, न यू. आई. टी. का एक्ट प्रभावशाली होगा। न लैंड रेवेन्यू एक्ट प्रभावशाली होगा न टिनेन्सी एक्ट प्रभावशाली होगा, न फ्रेगमेंटेशन आफ होल्डिंग एक्ट प्रभावशाली होगा, न लैण्ड यूटिलाइजेशन एक्ट प्रभावशाली होगा, न अरबन लैण्ड सीलिंग एक्ट प्रभावशाली होगा मास्टर प्लान एक्ट प्रभावशाली नहीं होगा, नेशनल हाई वे एक्ट प्रभावशाली नहीं होगा, पंचायत एक्ट किसी प्रकार से प्रभावशाली नहीं होगा।

सभापति महोदय, सारी व्यवस्था कर दी, इन सारे कानूनों के होते हुए भी जयपुर प्राधिकरण कानून सर्वोपरि होगा। इसमें जो अधिकार निहित हो गये उन अधिकारों में चाहे किसी कानून में कोई विसंगति आती हो वह स्वीकार नहीं की जायगी। यहां तक होगा कि हरिजन की जमीन हरिजन ले सकता है, लेकिन हरिजन की जमीन हिन्दू नहीं ले सकता है, यह कानून में व्यवस्था है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में एक नहीं अनेक निर्णय हुए हैं। मैं हरिजन वस्ती बन्धुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन की जमीन अगर गैर हरिजन ले ले तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन, सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हरिजन की जमीन किसी हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटी के पास चली गई तो हरिजन को वह जमीन नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिये मैं कहता हूं, सभापति महोदय, जो आज मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम तो लोकतांत्रिक आधार पर चल रहे हैं, लोकतांत्रिक आधार पर नहीं, यह सब कुछ चल रहे हैं इस आधार पर कि किस प्रकार से शक्तियों का केन्द्रीकरण किया जाय और किस प्रकार से शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में चली जायं। अब एक व्यक्ति ने हाथ में शक्ति अपने पास ले ली। सभापति महोदय, अरबन सीलिंग कानून, इस सदन के सब माननीय सदस्य जानते हैं, 1974 में शायद लागू हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कानून तो लागू हुआ है इस कानून के अन्तर्गत जमीन कितनी आई है? प्रति वर्ष इस महकमे पर कितना खर्चा होता है और कितनी जमीन आई है? मेरी जानकारी में कुल 276 बीघा जमीन आई है। इन 10 या 8 वर्षों में करोड़ों रुपये का डिपार्टमेंट पर खर्चा हुआ है और उस खर्च से जमीन सरकार को नहीं मिल रही है। अब सरकार ने फैसला कर दिया। इस सरकार का नोटिफिकेशन है, मैं समझता हूं कोई भी सभ्य सरकार इस प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं निकालती। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन है :

राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय परसरामजी मंत्री हैं राजस्व विभाग के। उनसे मैं कम से कम आशा नहीं करता था कि वह इस प्रकार का विज्ञापन निकलवायेंगे, यह बहुत बड़ा विज्ञापन है। पहले तो कन्वर्शन रूल्स निकले 1981 में। ये नियम बने और नियम बनने के बाद में यह आपने निकाला :

"राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग।

यदि आपने कृषि भूमि पर मकान बना लिया है या अन्य गैर कृषि उपयोग में ले ली है तो ऐसे अवैध रूपान्तरण को नियमित करने के एक मात्र सुनहरा अवसर को न गंवायें।" उसमें लिखा है, "26 मार्च, 1982 से पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, इस एक मात्र अवसर का लाभ उठायें।" आगे लिखा है, "कृषि भूमि अकृषि कार्य हेतु प्रयोग में नहीं लाई जा सकती।" यह खुद मान रहे हैं, "और ऐसा करने पर विवादास्पद भूमि का कब्जा राज्य सरकार वापस ले सकती है।" यह भी माननीय राजस्व मंत्री मानते हैं। "इसी प्रकार बिना जिलाधीश की पूर्वानुमति के कृषि भूमि के टुकड़ों का बेचान और अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करना भी अवैधानिक है।" यह भी मंत्री महोदय मानते हैं। "भविष्य में इस प्रकार के गैर न्यायिक कार्य पर राज्य सरकार सख्ती से रोक लगायेगी।" होलसेल में सख्ती से रोक लगायेंगी। आज तक क्या कर रहे हैं ? "परन्तु पूर्व में अवैधानिक कार्यवाही को नियमित करने हेतु राज्य सरकार ने समयबद्ध अवसर दिया है कि उपरोक्त मामलों में यदि सम्बन्धित व्यक्ति 26 मार्च, 1982 से पूर्व नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें तो उसके प्रति उदारता का दृष्टिकोण अपनाया जायगा। अतः आप इस सुनहरे अवसर का निश्चित समय के अन्दर लाभ उठायें। उसके बाद कानून अपना रास्ता अपनाएगा।"

वाह मैं समझता हूं, परसरामजी, कोई भी सभ्य या शिष्ट सरकार, सरकार के अर्थ में यदि कोई सरकार हो तो इस प्रकार का नग्न विज्ञापन नहीं निकलवाएगी। यह आपने विज्ञापन निकाला है, यहीं तक तसल्ली नहीं की है। आगे आप लिखते हैं, भूमि अवाप्ति। मैं इसकी सारी तफसील में नहीं जाना चाहता एक घंटा लगेगा। उसमें लिखा है "भूमि अवाप्ति : सामान्यत यदि परिवर्तित भूमि तथा उस पर किये गये निर्माण का समायोजन विचाराधीन योजना के प्रयोग में बिना विशेष कठिनाई के हो सकता है तो ऐसे मामलों को नियमित करने का प्रयास किया जायगा। यदि लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत जमीन ले ली गई, लेने की कार्यवाही चल रही है, उस पर यदि किसी ने मकान बना लिया या खंड का आवंटन कर लिया तो उस जमीन का नियमन किया जा सकता है उसके लिये रूपान्तरण शुल्क जमा करा दिया जाय।"

सभापति महोदय, फिर लिखा है आपने मास्टर प्लान। "जिन शहरों के लिये मास्टर प्लान घोषित हो चुका है उनमें विवादास्पद रूपान्तरण के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा और यथासंभव ऐसे रूपान्तरणों को विशेष रूप से रिहायशी मकान संबंधी नियमित करने की चेष्टा की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जायगी। सभापति महोदय, यह तो भूमि अवाप्ति का और मास्टर प्लान का है, यहीं तक तसल्ली नहीं हुई, राजस्व सचिव ने तीन सक्यूलर्स निकाले, वे तीन सक्यूलर में पढना नहीं चाहूंगा। उन सक्यूलर्स का मतलब यही है कि लैंड एक्वी-जिशन एक्ट में नोटिस में आ गये, रूपान्तरण किया जा सकता है मास्टर प्लान में ज़मीन आ गई, अवहेलना हो गई, रूपान्तरण किया जा सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो गया उसका भी रूपान्तरण किया जा सकता हैं और यदि अर्बन सीलिंग में जमीन आ गई उसका भी रूपांतरण किया जा सकता है।

सभापति महोदय, राजस्थान की जनता में इस प्रकार के प्रचार और प्रसार के द्वारा राज्य सरकार ने भूमि कन्वर्शन चार्जेज के नाम पर, मुझे पूरे फिगर्स तो याद नहीं, लगभग 28 करोड़ रुपये की वसूली की है। 28 करोड़ रुपया खजाने में जमा हो गया उसके 10 दिन बाद राजस्व मंत्री और मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि जिस जमीन पर अर्बन सीलिंग एक्ट लागू है उस जमीन का कन्वर्शन नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं आपने जनता को धोखा क्यों दिया? लार्ड विलियम बैंटिंग ने ठगी प्रथा बन्द कर दी, ये आपके यहां ठग कहां से पैदा हो गये जिन्होंने विज्ञापन निकलवा कर जनता में इस प्रकार की घोषणा करके कि कानून की परिभाषा को बदल कर कानून में रियायत दी जायेगी, 28 करोड़ इकट्ठे कर लिये और बाद में आप कहते हैं कि लैंड सीलिंग में जमीन आ गई उसका रेगुलेराइ-जेशन नहीं किया जायगा। मैं समझता हूं, ऐसी सरकार आज तक हिन्दुस्तान में पैदा नहीं हुई जिसने इतना बड़ा धोखा देकर जनता से पैसा इकट्ठा किया हो और बाद में सरकार कहती है कि अब इसका रूपान्तरण नहीं होगा। मैं चाहता हूं, ऐसी राज्य सरकार का जनता प्रासीक्यूशन करे जिसने धोखा देकर जनता से पैसा वसूल कर लिया। यह नोटिफिकेशन सब कुछ निकले, पैसा इकट्ठा हो गया, यह सारी व्यवस्था इस सरकार ने कर दी। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से पैसा इकट्ठा किया गया और किस प्रकार से यह सरकार आगे बढ़ी है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अब प्रश्न आता है कि सारी व्यवस्था कैसे करेंगे? यह सब कुछ करने के बाद व्यवस्था करेंगे। इस सरकार ने अपने विज्ञापन में लिखा है अर्बन लैंड सीलिंग में जमीन आ गई है इसका रेगुलेराइजेशन हो हो जायगा। इस सदन को इससे जानकारी होगी कि माननीय मुख्य मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री कितने स्वार्थी हैं, इस सदन के मानीय सदस्यों के साथ ये खिलवाड़ कर सकते हैं, वह खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं। मैं अपने लिये नहीं लेकिन सदन के माननीय सदस्यों के लिये कह रहा हूं। मैं उनका ध्यान इस कानून की धारा 12 की ओर दिलाना चाहता हूं। मानीय सदस्य निकाल लें, धारा 12 में क्या लिखा है, सब पढ़ लें सब के काम की है।

Members not disqualified from contesting elections as members of State Legislature or local authorities (1) Notwithstanding anything contained in any other law

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

tor the time being in force, a non-official member (including the Chairman or Vice Chairman) of the Authority or any of its committees or Functional Boards shall not be disqualifid for being chosen as, and for being a member of coucil or of the State Legislature or any local authority or any committee, board or body of such Legislature or Authority merely by reason of the fact that he is a member of the Authority or any of its committees or boards,

(1) In section 3 of the Rajasthan Legislative Assembly Members Removal of disqualifications) Act, 1956 (Rajasthan Act no. 7 of 1957) after clause (g) the following clause shall be added namely —

(h) the office of the member (including Chairmen or Vice Chairman of the Authority constituted under the Jaipur Development Authority Act, 1982 or of any of its committees or Functional Boads constituted under that Act.

यदि चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन जाता है तो वह कोई डिस्क्वालिफिकेशन इन्कर नहीं करेगा क्योंकि इसमें रिमूवल ग्राफ डिस्क्वालिफिकेशश एक्ट के तहत एक एक क्लाज लगाकर इन्होंने अपने ग्राप को बचा लिया। इस सदन की जानकारी होगी कि इस सदन के कई माननीय सदस्य, जिनको पहाड़ियाजी ने कई बोर्ड्स के चेयरमैन, कमेटियों के चेयरमैन ग्रौर कार्पोरेशन्स के चेयरमैन बनाया था, के पीछे इलेक्शन कमीशन पड़ा हुग्रा है, वह उनको नोटिसेज दे रहा है कि ग्रापने डिसक्वालिफिकेशन इन्कर कर ली इसलिये ग्रापको डिसक्वालिफाई क्यों न किया जाय। उसके लिये मुख्य मंत्री को चिंता नहीं है। वह भी जानते हैं कि पहाड़िया के 30 ग्रादमियों का यदि एक साथ सफाया हो जाता है तो होने दो, इसमें बोलने की ग्रावश्यकता नहीं। तो मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ग्रापमें ग्रगर न्याय के प्रति ग्रादर था, पक्षपात रहित यदि ग्रापका व्यवहार था, यदि सदन के माननीय सदस्यों के ग्रंदर ग्रापमें डिक्रिमिनेशन करने की कोई बात नहीं थी तो....

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर डवलपमेंट ग्रॉथोरिटी का जो है वह डिस्क्वालिफिकेशन इन्कर नहीं करेंगे ग्राप क्या हवा दे रहे है ? दूसरा जो इनेक्टमेंट है वह इसके है वह इसके ग्रन्दर ग्रा जावेगा, यह कैसे हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे इनेक्टमेंट की बात है उसमें ग्रोपिनियन है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह इसमें है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रापने तो एडवोकेट जनरल की राय नहीं मानी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एडवोकेट जनरल ने राय दी उसकी राय से डिफर करते हुए मैंने यह तय किया, इसमें इस बात का प्रावधान है इसलिये जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो एडवोकेट जनरल की राय नहीं मानी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने तो यह कहा कि इसको इलेक्शन कमीशन तय करेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं मान गया, आपने बड़ी बहादुरी की कि आपने एडवोकेट जनरल की राय से इतफाक नहीं किया। लेकिन आपको यह पता है कि जो मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा गया है वह किसने भेजा है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही नहीं है कि यह मामला गवर्नर साहब ने इलेक्शन कमीशन का भेजा है?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : गवर्नर साहब ने भेजा है। हमारे कान्स्टीट्यूशन में प्रावधान है इसमें गवर्नर को अधिकार नहीं है, यह तो डिसाइड करने के गर्वनर साहब अधिकारी नहीं हैं। यह तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। उसको भेजना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कान्सटीट्यूशन की किताब निकाल कर दिखा दें कि गवर्नर के लिये आब्लीगेट्री है या मैन्डेट्री हैं। आप सदन के माननीय सदस्यों को मुगालता दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं, हम सदन के सदस्यों को मुगालता नहीं दे रहे है। वैसे लीगल ओपिनियन के बाद हमने देखा कि गवर्नर को कोई पावर्स नहीं हैं। उनके पास कोई आप्शन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नर के लिये कोई आब्लीगेट्री या मैन्डेट्री नहीं है, यह कान्स्टीटयूशन में है क्या? आप बता दें कान्सटीट्यूशन की किताब देख कर।

श्री परसराम मदेरणा : आप एक बार नहीं पांच दफा कान्सटीट्यूशन की किताब देख लें। इसमें आब्लीगेट्री है। Provision is mendatory and obligatory.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे किताब पढ़ कर सुना दें। वैसे कोई गवर्नर के ऊपर मैन्डेट्री या आब्लीगेट्री नहीं है। गवर्नर इस बात से सेटिस्फाई हो जावे तो अपने खुद का विवेक काम में लेगा। अगर किसी की शिकायत आये इस प्रकार की तो गवर्नर पर आब्लीगेट्री नहीं है पर, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इनको तो इस बात की जरूरत नहीं थी, इनको तो यह जरूरत थी, मुख्य मंत्री जी और स्वायत्त शासन मन्त्रीजी को इस डिस्क्वालिफिकेशन से बचाना चाहते थे। तो जो कमी थी उस कमी के कारण जो हमारे दूसरे 30–35 मैम्बर्स थे उन मैम्बर्स को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। रिमूवल आफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट के तहत आप कार्यवाही करते तो क्या बात थी पर आपको दूसरे मैम्बर्स की डिस्क्वालिफिकेशन की क्यों चिन्ता सौ मैम्बर्स मर जायें उसकी आपको चिन्ता नहीं। आपको चिन्त्य है, दो आदमी बच जावें।

सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्राधिकरण के बिल में जो सबसे बड़ा मजाक किया गया है वह यह किया गया हैं कि चूंकि प्राधिकरण का चेअरमैन मुख्य मन्त्री होता है इस लिये उसने अगर कोई फैसला सुना दिया तो....

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(व्यवधान)

हां हां, सुना दीजिये। आप जल्दी गये थे। आप क्या बताना चाहते हैं। यह मैन्डेट्री या आब्लीगेट्री का बताना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप क्या कहना चाहते हैं। आप शायद आराम करना चाहते हैं। आप बैठिये।

समापति महोदय, हमारे कान्सटीट्यूशन का आर्टिकल 192 है, उसमें है :

"If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.

(2) Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion."

गवर्नर के पास कोई आप्शन नहीं है। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाये, आर्टिकल 192 के नीचे गवर्नर के पास अगर कोई एप्लीकेशन आये तो उसको इलेक्शन कमीशन को रेफर करना पड़ेगा। कानून का इन्टरप्रिटेशन क्या है इसके लिये हमने कानूनी राय ली थी। लीगल ओपिनियन गवर्नर के सामने गयी। उसमें उनका कोई आप्शन नहीं था सिवाय इसके कि एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन के पास भेजें। गवर्नर साहब ने कहा कि मेरे पास अगर दो सौ एप्लीकेशन आयेंगी तो क्या मुझे दो सो एप्लीकेशन भी आपिनियन के लिये इलेक्शन कमीशन को भेजनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समापति महोदय में माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस पर क्या राय दी। इस सम्बन्ध में क्या आपिनियन दी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह राय एटार्नी जनरल आफ इन्डिया की थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने भी एडवोकेट जनरल से अलग राय दी। हमारे लॉ सैक्रेटरी को राय के लिये एटार्नी जनरल के पास भेजा। मेरी खुद की राय थी कि गवर्नर को इलेक्शन कमीशन को रेफर करना पड़ेगा। आज भी मेरी राय है कि जो भी इलेक्शन कमीशन राय देगा, उसको मानना पड़ेगा। मेरी आज भी यही आरीनियन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझ गया, यह राय मन्त्रीजी की पहले नहीं थी। जो राय अब आपकी बनी है पहले यह राय नहीं थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी पहले भी राय यही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका फैसला तो, समापति महोदय, फाइल देखने से होगा कि क्या राय थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, मैं यह विपक्ष के नेता महोदय को कहना चाहूंगा कि यह कानूनी मामला है। मेरे लायक दोस्त कानून नहीं जानते हैं। वह इस कानूनी पेशीदगी में क्यों पड़ना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

मैं यह बताना चाहता हूं कि आपके एडवोकेट जो हैं उनसे मेरी एडवोकेट्स में ज्यादा स्टैंडिंग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह बात सही है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे से कानून ज्यादा जानते हैं पर एक बात जरूर है कि जब इनकी जमीन का केस चला था उस वक्त इन्होंने कानूनी दलीलें दी थीं लेकिन इन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ी थी। मैं तो कानून नहीं जानता। मैं तो, सभापति महोदय, उस वक्त भी कानून नहीं जानता था और आज भी कानून नहीं जानता हूं लेकिन जितना कानून समझना आवश्यक होता है उतना मैं समझता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह तो कोई कानूनी मसला ही नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मुझे कोई वकालत नहीं करनी है यह भी सही है कि मेरे पास लॉ की डिग्री भी नहीं है। जितना पढ़ा-लिखा मैं हूं उतना हूं। इससे ज्यादा मैं पढ़ भी नहीं सकता और मुझे न डिग्री मिल सकती है लेकिन, पण्डितजी, उस बात को आप उम्र भर याद रखेंगे, आपने, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इन दोनों की धाराओं का जबरदस्त हवाला दिया था और मैंने भी हवाला दिया था। उसमें आपको जमीन छोड़नी पड़ी, जमीन सरेन्डर करनी पड़ी और आपके मुख्य मन्त्रीजी को भी जमीन सरेन्डर करनी पड़ी थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह तो हमने यों ही कर दी थी, यह समझ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह बात सही है। पण्डितजी, आपके मुकाबले मैं कानून नहीं जानता हूं। यह सही बात है कि आप मेरे से कानून ज्यादा जानते है क्योंकि आप कानून की प्रेक्टिस करते हैं और आपके परिवार वाले भी कानून की प्रेक्टिस करते हैं लेकिन अपने परिवार के लोगों को फर्जी कागज बनाकर बैक डेट में अपाइन्टमेन्ट देना मैं नहीं जानता हूं। पंडितजी, मैं इस बात को नहीं जानता हूं, यह शायद आप को मालूम होगा। मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता हूं। इन्होंने कहा कि मैं कानून नहीं जानता हूं तब मैंने यह बात कही कि मैं ऐसा कानून नहीं जानता हूं कि बैक डेट में अपने परिवार के सदस्य को अपाइन्टमेन्ट दे दूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह बिलकुल गलत है। एडवाइजर्स के जमाने में उसका अपाइन्टमेंट हुआ था।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : सभापति महोदय, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये, किसका अपाइन्टमेंट हुआ ? माननीय मन्त्री

(श्री यदुनाथसिंह)
महोदय पर इतना गम्भीर आरोप लगाया गया है, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ।

श्री यदुनाथसिंह : यह क्या तरीका है । किसका अपाइन्टमेन्ट हुआ ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसका तो अपाइन्टमेन्ट राष्ट्रपति शासन में हुआ था, एडवाइजर्स के जमाने में अपाइन्टमेन्ट हुआ था ।

(व्यवधान)

इनको पता है, यह बता दें । आपके नेता को पता है ।

श्री देवीसिंह भाटी : इसका स्पष्टी-होना चाहिये ।

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदय, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये, किसका अपाइन्टमेन्ट हुआ ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आप बता दें कि किसका अपाइन्टमेन्ट हुआ । कुछ समझ में नहीं आया ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अपाइन्टमेन्ट की बात कर रहे हैं, यह बता दें ।

श्री यदुनाथसिंह : यह आप बतायें कि....

(व्यवधान)

आप व्यवस्था दें ।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह किसके लिये कह रहे हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको तो डी. सी. एम. की वकालत करना आता है, आप तो सेठों की वकालत करते है । उन की वकालत करना जानते हैं । उनसे पैसे लेकर वकालत करना चाहते हैं । आपको यह कानून आता है, डी. सी. एम. के पैसे लेकर डी. सी. एम. की बोलते है । यह जानते है, सारी दुनिया जानती है, सारा ससार जानता है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : आप व्यवस्था दें, सभापति महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि अपाइन्टमेंट हुआ है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय मैं कुछ नहीं करता....

श्री सभापति : मैं एक निवेदन कर दूं कि आप विपक्ष के नेता हैं । हम सब आपका

(श्री सभापति)
सम्मान करते हैं । आपका भाषण है वह मूल रूप से सब्जेक्ट पर होना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसी सब्जेक्ट पर आ रहा है वह कहें कि सभापति महोदय! मैं मंत्री महोदय से यह अपेक्षा नहीं करता था कि मुझे कानून का ज्ञान नहीं है । मैंने उनके लिये कभी बोला नहीं । यह उन्होंने कहा, उस कारण से मुझे यह बात कहनी पड़ी वरना मैं नहीं कहता । सभापति महोदय, आज कई माननीय सदस्य ऐसे हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, अभी इस बातचीत के दौरान माननीय विधि मंत्री जी के लिए कहा कि कोई बैक डेट में अपाइन्टमेन्ट हुआ है । ऐसा माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने आरोप लगाया और माननीय बृजसुन्दरजी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन काल में हुआ है । तो हम जानना चाहते हैं कि जब इतनी जानकारी है तो कहें, किसका । कहने में आप को क्या आपत्ति है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे सैकण्ड सन कमलाकर शर्मा का राष्ट्रपति शासन के जमाने में अपाइन्टमेन्ट हुआ है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या अपान्टमेन्ट हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गवर्नमेन्ट एडवोकेट ।

श्री यदुनाथ सिंह : गवर्नमेन्ट एडवोकेट बैक डेट कैसे बने फिर ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बैक डेट से कहां बने । राष्ट्रपति के शासन काल में हुआ ।

श्रीमति उजला अरोड़ा : किस प्रभाव से बना दिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, शायद कभी मौका आयेगा तो फिर बाद में बात करेंगे, माननीय सभापति महोदय ।

सबसे पहले, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन चाहता हूं कि इस कानून में सबसे बड़ा मजाक है....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इतना अच्छा एडवोकेट है कि सब को मात दे देगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैंने बता दिया कि मैं एडवोकेट नहीं हूं । मैं, सभापति महोदय, न तो एडवोकेट हूं....

श्री खेतसिंह राठोड़ : आगे तो चलो । यह मान लिया कि आप एडवोकेट नहीं हैं । हम तो मानते हैं ।

श्री श्री राम गोटेवाला : सभापति महोदय, आधे घन्टे का समय बचा है । यह तो बहुत लम्बा हो जायेगा ।

श्री सभापति : ऐसा है कि विपक्ष के नेता बोल रहें है । बोलने दीजिए ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आखिर समय तो निश्चित करना पड़ेगा। आपने एक घन्टे का समय बढ़ाया है। अब आधा घंटा बाकी बचा है। मुझे इनकी बात का जवाब देना है। यह तो कह दीजिए कि इन सब के बोलने के बाद मेरा जवाब जरूर सुना जायेगा। तब तक आप समय बढ़ाने की बात करें।

जो अनर्गल आरोप लगाये हैं मैं उनका जवाब दूंगा। इनके जो कारनामें है उनके ऊपर भी मैं यहां प्रकाश डालूंगा।

श्री सभापति : देखिये, एक घंटे का समय बढ़ाया। फिर रिक्वेस्ट करेंगे तो देख लेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, मैंने कभी मना नहीं किया कि हम श्री श्री रामजी का जवाब नहीं सुनेंगे। अभी तो इस सदन तीन दिन तक चर्चा चलेगी। कितने ही सवाल होंगे और कितने ही जवाब होंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : सभापति महोदय, आज जब विपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसका जवाब आज ही हो जाना चाहिए। वह जिस मकसद से बोल रहे हैं वह मकसद इनका यही है कि अनर्गल प्रचार भी कर दें। आज यों ही छोड़ दें और कल अखबारों में आ जाये। इसलिए मन्त्री महोदय का जवाब आज ही होना चाहिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, माननीय यातायात मन्त्रीजी ने किस नियत से यहां यह बात कही, यह तो वह जानें, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना....

श्री श्री राम गोटेवाला : मैं चाहता हूं माननीय सदस्य, जो विषय है उसी तक सीमित रहें तो ठीक है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि दो घंटे तक बैठने के लिए तैयार रहें। मैं तो जवाब दूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं भी बैठूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं सारी बातों का जवाब दूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यहीं रहूंगा मैं। जाने वाला नहीं हूं।

तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस कानून में सबसे बड़ी एक विसंगति है, मजाक कहना चाहिए, इस प्राधिकरण का चेयरमैन कौन होगा। मुख्य मंत्री। इसका वाइस चेयरमैन कौन? स्वायत्त शासन राज्य मंत्री। अगर प्राधिकरण के किसी निर्णय से कोई आदमी असन्तुष्ट है तो अपील किस के पास जायेगी? राजस्थान सरकार के पास। राजस्थान सरकार के किस विभाग के पास जायेगी? स्वायत्त शासन विभाग में। स्वायत्त शासन विभाग के इन्डिपेन्डेन्ट मंत्री कौन? श्री श्रीराम जी गोटेवाला। तो माननीय मुख्य मंत्री जी के एक्शन की अपील श्री श्रीराम जी के पास जायेगी। यह है इस कानून की विसंगति। सभापति महोदय, मेरी समझ में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं ग्राया कि ग्राखिर नाम तो होगा मुख्य मंत्री जी का। मुख्य मंत्री जी वहां बैठे हैं। प्राधिकरण में एक इन्होंने कमेटी बनाई है। उस कमेटी का फैसला ग्रलग है। उस कमेटी के फैसले के सम्बन्ध में समझ में ग्रा सकता है कि फैसला मुख्य मंत्री के पास चला जायेगा लेकिन प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ यदि कोई ग्रपील होती है तो गवर्नमेन्ट के पास जायेगी। जो गवर्नमेन्ट का मेनुग्रल है उसके हिसाब से जो डिपार्टमेन्ट कन्सर्न्ड है वह डिपार्टमेन्ट कन्सर्न्ड उसको सुनेगा ग्रौर सुनने के बाद फैसला करेगा। यदि ग्रौपचारिकता पूरी करनी है तो मुख्य मंत्री जी के उस पर हस्ताक्षर करा लेंगे। लेकिन मुख्य मंत्री जी के फैसले की ग्रपील राज्य मंत्री के पास जायेगी। इस कानून में इस प्रकार की व्यवस्था इस सरकार ने की है। क्यों ऐसा किया है यह सरकार स्वयं ही समझे।

सभापति महोदय, जिस समय जयपुर प्राधिकरण की घोषणा हुई उसके तुरन्त बाद स्वायत्त शासन मंत्री, मुख्य मंत्री ग्रौर प्राधिकरण के कमिश्नर इन तीनों के स्टेटमेन्ट ग्राये कि मास्टर प्लान जयपुर का नया बनेगा। यह तो ग्रापने भी पढ़ा होगा। मास्टर प्लान में कई विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए मास्टर प्लान नया बनेगा। मास्टर प्लान नया बनेगा लेकिन इसमें व्यवस्था इन्होंने कर दी कि ग्रब तक जो मास्टर प्लान बना हुग्रा है वह मास्टर प्लान नये कानून के ग्रन्तर्गत बना हुग्रा समझा जायेगा। एक तरफ कह रहे हैं कि मास्टर प्लान बदलेंगे क्योंकि उसमें विसंगतियां हैं, दूसरी तरफ उस मास्टर प्लान को स्वीकार कर रहे हैं। वह नये कानून के ग्रनुसार बनाया हुग्रा माना जायेगा। इसका मतलब यह है कि मास्टर प्लान में जो विसंगतियां हैं वह इस कानून के रहते हुए भी रहेंगी ग्रौर उसके कारण से जो प्राब्लम्स जनता के सामने ग्रा रही हैं वह प्राब्लम्स इसी रूप में विद्यमान रहेंगी।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक धारा में एक ग्रधिकार लिया गया है लोकल बॉडी का, पंचायत समिति का, जिसको शाया प्राधिकरण कहा है हिन्दी में। जो भी उसका ग्रार्डर होगा उसका रेकार्ड मंगा सकते हैं, उसके ग्रेकार्ड्स को देखा जा सकता है, उसकी फाइल को देखा जा सकता है। ग्राज कोई भी पंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद है, उसका कोई भी कागज हो, रेकार्ड हो, रजिस्टर हों, फैसला हो उस सारे को मंगाकर यह देख सकते हैं। यह भी इन्होंने ग्रधिकार ले लिया। सबसे बड़ी बात जो है जिससे इस सदन के सदस्य सभी चिन्तित होंगे, उसके लिये मैं धारा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इस धारा को निकाल लें, यह धारा 86 है। इस धारा को पढ़ें, बड़ी इन्ट्रेस्टिंग है। इस लोकतंत्र में सरकार क्या ग्रधिकार लेना चाहती है। धारा 86 में लिखा है :

"86 Power of police officer.—(1) Any police officer may arrest any person committing in his view any offence against any of the provisions of this Act or of any order or rule or regulations thereunder, if the name and address of such person be unknown to him

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

and he declines to give his name and address, or if the police officer has reason to doubt the accuracy of such name and address if given, and such person may be detained at the station house until his name and address shall be correctly ascertained."

सभापति महोदय, आज पुलिस आफिसर खेतसिंह जी को गिरफ्तार करना चाहे तो कोई वारन्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। सीधा उठा कर थाने में रख देगी और थाने में रख कर कह देगी कि यह खेतसिंह हैं जी लेकिन वह नाम भैरोंसिंह बतायें तो 24 घंटे के लिए नाम के मामले में जेल में रखा जा सकता है। इतनी बड़ी स्वीपिंग पावर, सभापति महोदय, मैंने किसी कानून में आज तक नहीं देखी। हालांकि मैं कानूनदां नहीं हूं, एडवोकेट नहीं हूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पंडित जी से, जो कि एडवोकेट हैं, वह सुप्रिम कोर्ट तक भी कई बार जाते हैं, हाई कोर्ट में भी वकालत करते हैं, क्या कभी पुलिस को इस प्रकार के स्वीपिंग पावर्स दिये हैं। लिखा है नियम में कि यदि सन्देह है तो उस समय तक जेल में रखा जा सकता है।

श्री सभापति : वह तो धारा 109 में रख ही लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धारा 109 है तो फिर इसकी जरूरत क्या थी। वह धारा आवारागर्दी की है। सभापति महोदय, इसमें आवारागर्दी नहीं है। आप भी सावधान रहना, कभी उठा कर घर दबोचें क्योंकि श्री श्रीराम जी आपसे भी खुश नहीं हैं। आप भी इस कानून के बारे में कहते रहेंगे कि जब मैं कुर्सी पर बैठा था उस समय यह धारा बनी। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई। बाद में कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं कि अधिकार लें, सभापति महोदय, जो एन्क्रोचमेन्ट कर रहे हैं उन एन्क्रोचमेन्ट को हटाने का अधिकार लें। जो एन्क्रोचमेन्ट करने के आदी हैं, जो एन्क्रोचमेन्ट का बिजनेस करते हैं उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाये। लेकिन आप तो, सभापति महोदय, सब तरह से पुलिस को अधिकार देकर गिरफ्तार कराने की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, सब कानून में जितनी डिटेल्स में जा सकती हैं सरकार उतनी डिटेल्स में गई है लेकिन इसकी धारा 102 के मातहत इन्होंने अधिकार ले लिये हैं कि यदि इस कानून को लागू करने में किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी होगी तो उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिये जो सरकार जरूरी समझे उस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है। लिखा है —

"102. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion requires, but not later than two years from the date on which the Authority is established, by order, do anything, not inconsistent with the objects and purposes of this Act, which appears to it to be necessary or

(श्री भैरोंसिंह शैखावत)

expedient for the purposes of removing the difficulty."

सभापति महोदय, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाय और सरकार यह समझे कि हम डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं तो जिस प्रकार सरकार उचित समझेगी वह करेगी। इस तरह का अधिकार लेती है तो फिर मैं समझता हूं किसी प्रकार का कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब अन्त में आप धारा 106 को देखें। धारा 106 में पहले (एच) को देखे। यह, सभापति महोदय, बहुत बढ़िया रहा कि आज आप यहां विराजमान है। आप अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। आपके नीचे वहां अधिकारी और कर्मचारी हैं वे आपसे यह आशा करते थे कि कर्मचारियों और अधिकारियों को राज्य सेवा में जिस प्रकार का प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसी प्रकार का प्रोटेक्शन उनको मिलना चाहिये। अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट खतम हो गया—लायबिलिटीज ट्रान्सफर हो गई, असेट्स ट्रान्सफर हो गये, प्रापर्टी जो अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की थी वह ट्रान्सफर हो गई लेकिन सर्विसेज के बारे में क्या व्यवस्था की है....

"(h) every officer or servant serving under the Trust immediately before such constitution shall, on or from such constitution, be deemed to have been transferred temporarily for a period of six months to the Authority, within which period until otherwise extended by it, the Authority shall, after their screening in such manner as may be determined by regulations, absorb them in the service of the Authority on such posts and with such designations, as the Authority may determine."

आगे लिखा है—

"The officers and servants so absorbed in the service of the Authority may hold office by the same tenure, at the same remuneration and on the same terms and conditions of service as they would have held if the Authority had not been constituted, and shall continue to so hold unless and until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the Authority. Such of the officers and servants who are not absorbed by the Authority under its service shall be deemed to be surplus officers and servants of the Trust and shall be absorbed by the State Government in the service of any local authority or other authority as the State Government may deem fit, on such posts, with such designations, on such salary and allowances and on such terms and conditions of service, as may be prescribed."

सभापति महोदय, इसका मतलब क्या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुआ। इसका मतलब सारी सर्विसेज पर तलवार लटका दी। सभापति महोदय, आप चाहें तो दूसरे को बिठा दें। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके और राज्य मंत्री के बीच में झगड़ा था, जो कर्मचारी उस समय आपका साथ दे रहे थे, आज उन कर्मचारियों को अथोरिटी के अन्दर नहीं लिया जा रहा है। उन सबके ऊपर तलवार लटका दी और उन सबको कहा जा रहा है कि या तो मेरे सामने घुटने टेको, नहीं तो मैं अथोरिटी की सर्विस में नहीं लूंगा। सभापति महोदय, आप जानते है इस सम्बन्ध में कानून भी बन गया। इस सम्बन्ध के अन्दर पंडित जी ज्यादा बतायेंगे।

(व्यवधान)

श्री दिनेश राय डांगी : सभापति महोदय, वे चेयरमैन दूसरे हैं। ये चेयरमैन विधान सभा के हैं। आप दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ये चेयरमैन हैं, यह तो आप भी जानते हैं। इनके जमाने में ही अपना मकान बना है....

(व्यवधान)

श्री दिनेश राय डांगी : इसका जवाब दूंगा, आप चिन्ता मत करें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी आदत और मेरी आदत एक है। मैं अहसान किसी का भूलता नहीं हूं, मैं समझता हूं आपको भी नहीं भूलना चाहिये। मैं भी इनके अहसान नहीं भूलता इसलिये इनके बारे में आप कुछ मत कहिये।

(व्यवधान)

श्री दिनेश राय डांगी : आपने तो मुझे डेढ़ लाख का नोटिस दिया था और घर से बाहर निकालने की बात थी। आपने किसी को जिन्दा रहने दिया क्या ? सीकर वालों ने जो कहा है वह भी मैं कहूंगा....

(व्यवधान)

जो कांग्रेस (एस) में थे, अखबारों में छपा है, उनको नोटिस मिला था। आपने किस प्रकार दबा दिया। बेरी आयोग की बात भी मैं कहूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, मुझे तो पता नहीं, कौनसी बात है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, बेरी कमीशन की रिपोर्ट इनके पास है, सरकार इनके पास है, पुलिस इनके पास है। हमने कोई गड़बड़ी की, यदि हम उनके लिये कोई रियासत मागते हैं, तो बता दें। कभी हमने आपके हाथ जोड़े नहीं हैं, कभी दरख्वास्त की नहीं है कि यदि हमने गड़बड़ी की है तो उसके लिये हमें माफ करो। यह हमने आपसे कभी कहा नहीं....

(व्यवधान)

आपको अधिकार है, आप सीधा चालान करिये....

(व्यवधान)

ब्यावर के माननीय सदस्य, आप जरा शान्त रहें।

(व्यवधान)

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

ग्राप शान्त रहें। मैं एक से ही निपट लूं, ग्राप क्यों बीच में ग्रा रहे हैं ?

मैं, सभापति महोदय, सरकार से यह कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों की हालत ऐसी हो गई कि उन कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। कुछ कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया ग्रौर कुछ कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया जाता है।

सभापति महोदय, ग्रागे पढ़िये उपधारा में एच से एन,ग्रो,पी, इन सबको पढ़ लीजिये। सारी ऐसी व्यवस्था सरकार ने कर दी कि कोई भी एप्लीकेशन गलत हुई हो, वह इस कानून के ग्रन्तर्गत सही माने। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में यदि कोई काम हो गया, ग्रार्डिनेन्स के खिलाफ हो गया, रूल्स के खिलाफ हो गया, सरकार की नीति के खिलाफ हो गया, कही भी कुछ काम हो गया तो सारे के सारे काम वाजिब माने जायेंगे। जनता के कई लोगों के ग्रिवान्सेज ग्रापके सामने भी ग्रा सकते हैं, सरकार के सामने भी ग्रा सकते हैं, । वह सारे ग्रिवान्सेज खतम कर दिये वह खतम करने से कई लोगों को बहुत नुकसान होगा कैसे नुकसान होगा, ? इस कानून में व्यवस्था की कि यदि एप्लीकेशन दी ग्रथोरिटी के सामने ग्रौर ग्रथोरिटी ने इन्कार नहीं किया, ६० दिन में इन्कार नहीं किया तो यह माना जायगा कि ग्रथोरिटी ने ग्रनुमति दे दी। 60 दिन में फैसला नही हुग्रा तो मान लिया जाय कि ग्रनुमति दे दी। ग्रब, सभापति महोदय, यह तो समझ में ग्राता है कि ग्रथोरिटी ने कोई काम नहीं किया, जनता ने कोई एप्लीकेशन दी वह उसने स्वीकार नही की। लेकिन यह 60 दिन की व्यवस्था कर दी है, यह मेरी समझ में नहीं ग्राती है। सभापति महोदय, पंडितजी बतायेंगे, मैं कानून का जानकार नहीं हूं, ग्राज तक हिन्दुस्तान में ऐसा कोई कानून है जिस कानून में यह लिखा हुग्रा हो कि यदि प्राधिकरण ने राजस्थान सरकार के सामने ने कोई योजना बनाकर भेजी ग्रौर वह योजना 30 दिन में मंजूर नही हुई तो वह मंजूर-शुदा मान ली जायगी। ग्रापने ग्रर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के एकट में देखा होगा, म्यूनिसिपेलिटी के भी एक्ट यह बात लिखी हुई है लेकिन यह नहीं देखा होगा सरकार की एफीसियेन्सी पर सरकार के ही लोग डाउट करें कि 30 दिन की ग्रवधि निर्धारित कर दी, उस 30 दिन में यदि उस योजना का कोई फैसला नही होगा तो मान लिया जायगा कि सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी।

सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं माननीय विधि मंत्री जी कुछ ज्यादा जानते हैं, वह किसी कानून का हवाला देंगे। मेरी दृष्टि में तो सरकार पर मोटिव इम्प्यूट करने का ग्रौर सरकार को इन-एफीसियेन्सी का सर्टिफिकेट देने का कानून ग्राज तक राजस्थान में ग्रौर हिन्दुस्तान में नहीं बना। 60 दिन में ग्रनुमति नहीं होती है तो यह मान लिया जायगा, ग्रनुमति हो गई। ग्रन्त में, सभापति महोदय, मैं धारा 104 की ग्रोर ध्यान दिला कर ग्रपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा जिसमें सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बार किया गया है। सभापति महोदय, ग्राज जमाना है, जितना डेमोक्रेसी का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विस्तार होगा, उतना हर क्षेत्र के अन्दर सरकार और जनता दोनों साथ साथ चलेंगी किसी क्षेत्र के अन्दर सरकार की तरफ से कमी होगी, किसी क्षेत्र में जनता की तरफ से कमी होगी लेकिन जनता को सरकार बान्ध हीं सकती, जनता के अधिकारों को कुंठित नहीं कर सकती है। धारा 104 है -

104) Bar of Jurisdiction of civil court–(1) Save as otherwise provided in this Act, no civil court shall take cognizance of any matter which is required to be or may be decided by the Authority, Executive Committee, Jaipur Development Commissioner, Functional Board, any body thereof, the Tribunal or the State Government, under this Act.

इन्होंने व्यवस्था की है—

(2) Save as otherwise expressly provided in this Act, an order passed or a direction given by the Authority under this Act shall be final and shall not be questioned in any suit or other legal proceeding.

श्री परसराम मदेरणा : अभी तो विधेयक चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माफ करना मेरे हाथ में आर्डिनेन्स की जगह बिल है, कोई फर्क नहीं है।

सभापति महोदय, यह जुरिस्डिक्शन बार करने की एक बड़ी बेसिक बात है। आप कानून बनावें और उस कानून की किसी विसंगति के कारण, उस धारा के दुरुपयोग के कारण से यदि जनता या किसी भी व्यक्ति के अधिकारों पर कुठाराघात होता है और वह व्यक्ति किसी न्यायालय में जाना चाहता है, उस पर रोक लगाना, मैं समझता हूं, न्यायसंगत नहीं है, लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों के विपरीत है। सरकार को चाहिये जो कुछ भी कानून बनावे उसको यदि कोई चुनौती देना चाहे तो वह कोर्ट में जा सकता है। उस कानून की किसी धारा को चैलेन्ज करना चाहे तो कोर्ट में जा सकता है। मुझे खेद है, सभापति महोदय, यह कहते हुए कि आज के युग, 1982 में हमारी सरकार इस प्रकार का कानून बनाये जिससे कोर्ट का दरवाजा बन्द कर दिया जाय तो इससे बड़ी घातक चीज नहीं हो सकती है।

मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, अभी इस सदन में इस बिल पर धारावाइज विचार होगा, इस बिल पर तीसरी रीडिंग में विचार होगा। मुख्य मंत्रीजी कल यहां पर उपस्थित होंगे, कई ऐसे इम्पार्टेन्ट मसले हैं जिनको मैं आज न रख कर उनके सामने रखना चाहूंगा। सरकार की नीति जो जयपुर का विकास करने की है, उस नीति का मैं विरोधी नहीं हूं उस नीति की आड़ में जिस तरह की व्यवस्था की है, मैं उसका विरोधी हूं। इसमें निश्चित रूप से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

परिवर्तन की आवश्यकता है । इसलिए, सभापति महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था, मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था कि म्यूनिसिपैलिटी का कानून 22 दिन में पास हुआ था, पंचायत एक्ट का कानून 22 दिन से ज्यादा दिन में पास हुआ था, यू०आई०टी० का कानून लगभग 11 दिनों में पास हुआ था, यह जयपुर प्राधिकरण का कानून, जो 19 कानूनों को सुपरसीड करता है, को बनाने में हम 2 दिन का समय लें, यह उचित नहीं है। हम, श्रीराम जी और विधि मन्त्री जी और इस सदन के बाकी के माननीय सदस्य, यदि सरकार का ज्यादा तकाजा है, सदन के चलते रहते हुए बैठ सकते हैं। बैठ कर किस धारा में किस प्रकार से संशोधन करना है, उस पर चिन्तन किया जा सकता है ताकि सदन का समय भी नहीं लगे और इसमें विसंगतियाँ भी दूर हो जायें। इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सदन में कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को भेजा जाय, सलेक्ट कमेटी का प्रतिवेदन आने पर इस विधेयक पर खण्डश: विचार किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय राज्य मंत्री श्री गोटेवाला साहब जवाब दें तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह : चले जायेंगे सब।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं सुनना पड़ेगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता महोदय के बोलने के बाद अब जो और माननीय सदस्य हैं, उनका इसके ऊपर बोलना....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई नहीं बोलेंगे अब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलेंगे अभी तो सब।

श्री नाथूसिंह : हम बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : टाइम काफी हो जायेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : प्रस्ताव तो मेरा है, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कानून आसानी से पास नहीं होगा। अभी तो नाथूसिंहजी का प्रस्ताव है, कैलाशजी का है, इनके हैं। सब बोलेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका तुरन्त जवाब आयेगा तो जरा आपको अच्छा लगेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : खेतसिंह जी साहब, 3 दिन लगेंगे, तुरत फुरत नहीं तीन दिन लगातार चलेगा। आप एक ही दिन में क्यों उतावले हो रहे हैं। अभी तो माननीय सदस्य हैं उनके पास भी बहुत सामग्री हैं। यह तो मैंने, हालांकि कानूनदा नहीं हूं, थोड़ी सी स्टडी की है। अभी हमारे कानून के विशेषज्ञ बोलेंगे। तब पता लगेगा कि मामला क्या है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री खेत सिंह राठौड़ : अभी तो बिल भी शुरू नहीं हुआ है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : अभी तो माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री खेत सिंह राठौड़ : यह आपकी मर्जी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बोलेंगे, मर्जी क्या है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : तो फिर समय बढ़ा दीजिए।

श्री भैरों सिंह शेखावत : समय बढ़ा दीजिये। किसको आपत्ति है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि संशोधन के ऊपर जब तक स्वयात्त शासन मन्त्री महोदय का उत्तर नहीं आये, उस वक्त तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री भैरों सिंह शेखावत : टाइम निश्चित कर दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जवाब तो आपको सुनना ही पड़ेगा। जब आप गालियां निकालते हैं तो गालियों के एवज में जवाब तो सुनेंगे ही। मेरे पास भी सारा रिकार्ड मौजूद है। मैं भी आज आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि आप क्या हो और क्या नहीं हो, वह सारा स्वरूप मैं आपका बताना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो रिकार्ड रखना चाहते हैं, सब रिकार्ड रख देना।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अजी, अभी हुआ क्या है। मेरे पास सारी चीजें हैं जो जो आपने कही। सभापति महोदय, एक तो मैं उस अधिकारी का नाम जानना चाहूंगा,

(व्यवधान)

यह उल्टी सीधी बात करके टाल जाते है, इनकी हमेशा की नेचर है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : मैं, माननीय, सभापति महोदय, अभी 5 मिनट में बता देता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इतना लम्बा आप ने भाषण दिया है, अब आप जवाब। सुनो आपकी खोटी बातें करने की आदत क्यों है।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पटेल यहां मौजूद हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति प्रश्न यह है कि सदन का समय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक तो मन्त्री महोदय को बोलने का होश नहीं है। वह × × × कहते हैं। आप पहले तो × × शब्द को एक्सपंज करें।

श्री सभापति : × × × शब्द को एक्सपंज किया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने खोटी बात कही है। खोटी बात संसदीय शब्द।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब, सभापति महोदय, मैं नाम बताता हूं। डा० पटेल चैनपुरा में....

श्री श्रीराम गोटेवाला : चैनपुरा के डा. पटेल कौन सी तारीख को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जाने दीजिए। आप नाम पूछ रहे थे। उसकी फाइल निकालिए। उसको होटल के लिए जमीन दी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने दी है जमीन, असिस्टेन्ट इंजीनियर हैं। आपने होटल की जमीन दी है।

(व्यवधान)

× × × आप जानते हैं कि वह सरकारी कर्मचारी है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप जानते हैं कि आपके लोगों ने और आपने इस जमीन में भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया हैं, जमीनें हड़पी हैं। उनका आपका पास क्या जवाब है।

श्रीमती उजला अरोडा : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्वायत्त शासन मन्त्री बन कर आपने सबसे भयंकर घोटाले किये है। × × ×

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिह : सभापति महोदय, इनके घोटालों से आप तो अच्छी तरह परिचित हैं। आप तो यू. आई. टी. में रहते हैं आपजानते हैं कितने घोटाले किये हैं इन्होंने।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय मन्त्री महोदय के उत्तर देने तक के लिए बढ़ाया जाय।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिह : रात भर चलेगा हाउस।

श्री भैरोंसिह शेखावत : टाइम पहले एक घण्टा बढ़ा दिया जाय।

श्री खेतसिह राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि रात के तीन बजेगे।

श्री रामसिह विश्नोई : क्या जरूरी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सदन का समय एक घण्टा बढ़ा दीजिए, दो घण्टा बढ़ा दीजिए लेकिन टाइम तय करिये।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जरूरी इसलिए हो रहा है कि राज्य मंत्री के ऊपर विपक्ष के नेता ने कुछ चार्जेज लगाये हैं । अगर वह उनका जवाब नहीं देंगे तो अखबारों में जो बात आयेगी वह यह आयेगी कि कांग्रेस के मन्त्रि-मण्डल ने यह यह गड़बड़ियां की हैं । यह उसकी सफाई देना चाहते हैं कि उन्होंने कोई गड़बड़ियां नहीं की हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जवाब आज आ जाय । इसमें मेरा निवेदन है....

श्री नाथूसिंह : खेतसिंह जी, कब तक बचाओगे इनको ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाय। आप लोग अब शान्ति रखिये । विरोधी दल के नेता ने बोल दिया, अब आप क्या बोलेंगे । इसलिए अब इनका जवाब आ जाने दीजिए ।

श्री नाथूसिंह : खेतसिंह जी इनको कब तक बचाएंगे । इनके घोटालों में कब तक सहारा लगाएंगे ।

श्री श्री राम गोटेवाला : आपके सारे घोटाले मैं निकाल दूंगा आज ।

श्री नाथूसिंह इनके शरीर में जितने बाल हैं, उतने ही घोटाले किये हैं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घन्टे के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला ।

(व्यवधान)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है, माननीय सभापति महोदय ।

श्री सभापति : देखिये जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है, विस्तार से विपक्ष के नेता महोदय बोल चुके हैं। अब जो सदस्य बोलना चाहेंगे, मैं उनको दो मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतने वृहत विषय पर कोई दो मिनट में क्या बोलेगा ।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह । आपने अपना राइट छोड़ कर नेता महोदय को टाइम दिया है ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, रूल्स में कहीं प्रोविजन नहीं है कि आप दो मिनट बोलने देंगे हमें। कोई रूल्स में प्रोविजन नहीं है ।

श्री कैलाश मेघवाल : मायनीय अध्यक्ष महोदय ने विपक्ष के नेता को उस समय पुकार लिया था ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, बांदीकुई से आने वाले

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सदस्य लोक सभा के सदस्य रहे हैं। लोक सभा में एक दिन में एक बिल नहीं 3–3 बिल पास होते हैं। घण्टे, सवा घण्टे, डेढ़ घण्टे का जो भी समय होता है उसमें बिल पारित होता है। आक्रोश के साथ अभी आप सभापति जी को एड्रेस कर रहे थे, आप स्वयं लोक सभा सदस्य रहे हैं, इस तरह की परमिशन आपको लोक सभा में अध्यक्ष महोदय नहीं देंगे और कभी भी नहीं देंगे।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि जो स्टेटूटरी मोशन रखा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और आपने उस स्टेटूटरी मोशन के द्वारा जब आप आर्डिनेंस को रिजेक्ट करना चाहते थे। आपने उसमें करीब करीब सभी आर्गुमेंट दे दिए हैं। इस सदन में इस प्रकार की परिपाटी रही है कि जो परिनियत संकल्प देता है या जो पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्क्यूलेट करने के लिए या सलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिए मोशन देता है वह और किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं देता है। आपने परिनियत संकल्प भी दे दिया, पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्क्यूलेट करने का भी दे दिया, सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का भी दे दिया। आपको यह देखना चाहिए कि सौ और कुछ धाराओं का यह विधेयक है। इसके लिये 18 तारीख का एक और दिन मुकर्रर है और 108 धारायें पास करने को अभी तक बाकी हैं। तो कम से कम सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का जहां तक मामला है वह बिजनेस तो डिस्पोज आफ हो जावे। इसके बाद खण्डशः विचार कर लिया जाएगा। इसलिए सभापतिजी ने जो कुछ भी निर्देश दिया है आप के नेता ने डिबेट में पार्टीसिपेट कर लिया है इसलिये रिपीटिशन नहीं हो और समय के अन्दर आप अपनी बात कह दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय, यह तो स्वीकृत प्रस्ताव हैं, उनके लिए आप किस तरह से चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी उसके आधार पर ये सारे प्रस्ताव आये हैं, उनके ऊपर आप विवेचन क्या कर रहे हैं कि कैसे दे दिये। अगर अध्यक्ष महोदय को अस्वीकृत करने होते तो कर देते। आपकी आलोचना का विषय बचा कहां ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, अध्यक्ष महोदय ने जब विपक्ष के नेता महोदय को बोलने का अवसर दिया था....

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसमें कोई कण्डीशन नहीं थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस समय यही समझा था कि नेता बोल जाते हैं उसके बाद में क्या रहता है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिन्होंने प्रस्ताव दिये हैं वे सब बोलेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप एक घण्टे से ज्यादा बोल लिए....

श्री सभापति : अच्छा यही रहे कि विपक्ष के नेता महोदय के बोलने के बाद उस पार्टी के लोग हैं उन्हें अगर कोई इम्पोर्टेंट बात कहनी हो तो कहें वरना बोलने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़: इस लिए मेरा निवेदन यह है कि आप अपनी पार्टी के लोगों से कह दीजिए कि कोई ज्यादा बोलने का विषय नहीं है।

(6.2 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : श्रीरामजी खड़े होइये।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा निवेदन है। यह जो परिनियत संकल्प....

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, सभापतिजी ने मुझे आदेश दिया था।

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : अभी श्रीरामजी ने चूंकि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा था अन्दर सारी डिबेट।

श्री रामसिंह विश्नोई : सुन तो रहे थे लेकिन आप उसको पुनः चालू कर रहे हैं। इन्होंने आरोप लगाए उसका ये प्रत्युत्तर देंगे। उसके बाद या तो इन्हें बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये और आरोप लगायेंगे, फिर जवाब देना पड़ेगा। यों सारी रात हम क्या यहीं बैठे रहेंगे। इसलिए या तो इसके बाद कोई बोलें ही नहीं या आप किसी को अलाऊ ही नहीं करें। सिर्फ श्री रामजी बोलेंगे वरन फिर हमारे खेतसिहजी साहब कह देंगे कि ये और बोल जायेंगे जो इनके विरुद्ध रेडियो में आ जाएगा। इसका इलाज हम क्या कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

इस विधेयक के लिए प्रारम्भ में जब बैठक हुई थी कार्य सलाहकार समिति की उस वक्त दो दिन का समय तय किया गया था। उसके बाद में जब कल बैठक हुई तो विपक्ष के नेता महोदय ने यह कहा था कि साहब दो दिन इसमें कम रहेंगे। कुछ ज्यादा समय हो। मैंने उस वक्त निवेदन किया था सदन में, दो दिन के लिए, एक दिन के लिये नहीं कहा था, यह कहा था, थोड़ा समय और दिया जा सकता है। इस बात से आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि जब समयावधि सदन निश्चित कर देता है तो उसका पालन अध्यक्ष को अथवा अध्यक्ष के स्थान पर माननीय उपाध्यक्ष जी अथवा चेयरमैन साहबान बैठें तो उनको करवाना होता है। वादविवाद का कायदा यह है। खास तौर से हमारे जैसे देश में वादविवाद जो सदन में करते हैं उसका बड़ा महत्व होता है। बार बार माननीय सदस्य भी यह कहते रहते हैं कि साहब यदि प्रेस के प्रतिनिधि यहां पर नहीं हों तो चर्चायें पूरी बाहर नहीं जा सकतीं। अगर पांच बजे के बाद में कार्यवाही चलती है तो रेडियो में अथवा अन्य जो प्रचार के माध्यम हैं उनमें यह खबरें नहीं जाती हैं। आप सब मानते हैं कि जो कोई यहां चर्चा हो वह जनता में आम

(श्री अध्यक्ष)

तौर से जानी चाहिए। वादविवाद में यह भी है कि किसी संकल्प के, प्रस्ताव के अथवा किसी विधेयक के पक्ष में कोई बात कही जाय, चाहे विपक्ष में कही जाय वह एक साथ कही जानी चाहिए आम तौर से ताकि दोनों पक्ष सामने आ जायें। यह वादविवाद की एक स्वच्छ परम्परा होती है।

जहां तक इस संशोधन प्रस्ताव का प्रश्न है, इस संशोधन प्रस्ताव को पेश किया था श्री केलाश मेघवाल ने, मैंने विपक्ष के नेता महोदय का नाम पुकारा और पुकारने के बाद में मुझे यह त्रुटि ध्यान में आई कि यह प्रस्ताव है श्री कैलाश मेघवाल, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य का। तो मैंने उनको पहले अवसर दिया लेकिन उस वक्त वह बोले नहीं और उन्होंने कहा, विपक्ष के नेता महोदय को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : उसके बाद बोलना था।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद का प्रश्न नहीं है। विपक्ष के नेता महोदय ने इस विधेयक के बारे में लगभग एक घण्टे तक विस्तृत चर्चा की।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ज्यादा बोले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 1 घण्टा और 17 मिनट बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : यदि यह सही है तो इतने समय बोले हैं, इतने समय तक चर्चा की है। आम तौर से किसी भी वादविवाद का नियम यह है कि जो किसी दल का प्रमुख सदस्य होता है वह उस पक्ष की ओर से वादविवाद का समापन करता है। आम तौर से हमको यही बात मान कर चलनी चाहिए कि विपक्ष के नेता बोल लिए तो उसके पश्चात् अन्य माननीय सदस्यों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई अंतिम बहस नहीं है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन में बोलने के अवसर आयेंगे। क्योंकि समय पर पाबन्दी रखना जरूरी है, समय सीमा जो आपने निश्चित की है उस समय सीमा में इसको पारित करना है। मैंने डिबेट काफी ध्यान से अन्दर सुनी, मैं समझता हूं कि विपक्ष की ओर से जितने भी मुद्दे उठाए जा सकते थे वहा उठा लिए गए हैं। उसके बाद भी माननीय सदस्य विपक्ष वाले यह समझते हैं कि उनको थोड़ा अवसर दिया जावे तो थोड़ा अवसर दिया जा सकता है। लेकिन समय सीमा जो निश्चित करने का मुझे अधिकार है, उस समय सीमा को निश्चित करते हुए मैं दो-तीन माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दे सकता हूं। इसके बाद में प्रभारी मंत्रीजी अपना उत्तर देंगे। वादविवाद का यह कोई कायदा नहीं है कि क्योंकि विपक्ष ने कुछ आरोप लगा दिए इसलिए उसका स्पष्टीकरण अभी हो। उसके बाद में दुबारा विपक्ष की तरफ से वादविवाद चालू किया जावे उसके बाद में फिर वह पूरी डिबेट का उत्तर दें। ऐसा कोई नियम नहीं है। जो कुछ भी आरोप लगाये हैं अथवा आलोचना की है, जब प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे उस वक्त वह अपनी सब बातें कह सकते हैं। इसलिए अच्छा तो यही होगा, मेरा सुझाव है कि अब प्रभारी मंत्रीजी का उत्तर सदन सुन ले। अगर ऐसा समझते हैं कि सारी बातें

(श्री अध्यक्ष)

नहीं कही गई हैं तो दो दो मिनट में आप कहने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

समय सीमा में मैं समझता हूं कि....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

जितने भी सदन के अन्दर दल हैं उन सभी दलों के प्रतिनिधि बैठ कर कार्य सूची तैयार करते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

पर यहां वाद विवाद का अवसर रहता है, उसके बाद में सदन अपनी सहमति व्यक्त करता है। उसके बाद आसन की जिम्मेदारी कितनी कठिन हो जाती है क्योंकि बार बार हमारे माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए भी समय सीमा का ध्यान नही रखा जावे, तो आप जानते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे लिए कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि समय होता तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। आप स्वयं जानते हैं मैं पूर्ण अवसर देता हूं माननीय सयस्यों को। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रभारी मंत्रीजी का उत्तर प्राप्त कर लिया जावे। उसके बाद में जब खण्डश: विचार होगा उस वक्त आप विस्तार से, मैं समझता हूं, और कह सकेंगे।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। बहुत ही बढ़िया ढंग से चर्चा चल रही थी जिसमें आपकी तरफ से गर्मा गर्मी आ गई। जो कुछ भी विषय हो, व्यक्तिगत किसी का स्वार्थ नहीं है इसलिये जो कुछ मुद्दे आते हैं उनका जवाब सही तरीके से ही दिया जाना चाहिये। कटुता फैले, विवाद बढ़े सदन में, माननीय सदस्यों की नाराजगी हो इस तरीके से कोई जवाब नहीं दिया जाय, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के नेता महोदय ने एक घंटे तक इसे प्रवर समिति में भेजा जाय उसके बारे में विद्वतापूर्वक प्रकाश डाला। जिन जिन बातों का सम्माननीय सदस्य ने यहां पर उल्लेख किया है उनका मैं यहां पर उत्तर देना आवश्यक समझता हूं। उसके साथ आपने जो आदेश दिया है, यह मैं मान कर चलता हूं कि सदन के सम्माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत मामलों में नहीं जाना चाहिये। दूसरी तरफ से अनर्गल आरोप लगाये जायं और उनका उत्तर न देवें तो इसके मायने निश्चिन रूप से यह होते हैं कि कहीं इस तरफ कमजोरी है। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा, मुझे भी सारे तथ्यों को उजागर करने को कृपापूर्वक अलाऊ करेंगे ताकि उन बातों का मैं उल्लेख कर दूं। विपक्षी दल के माननीय नेता महोदय ने शुरुआत ही इस बात से की थी कि शायद जयसिंह और विद्याधर की तरह से छाती फुला कर बात करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूं कि जयपुर शहर 1600 बीघा में बना हुआ है और आज जो विद्याधर नगर की योजना बनाई गई है वह भी, अध्यक्ष महोदय, 1600 बीघा में ही बनाई गई है। राज्य सरकार की इस प्रकार की

(श्री अध्यक्ष)

कोई कल्पना नहीं है कि कोई महाराजा जयसिंह या विद्याधर बने लेकिन राज्य सरकार का दृढ़ निश्चय है कि यहां पर रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिये मकान की व्यवस्था करें। उसके लिये योजनाबद्ध ढंग से सारे काम को उठाना चाहते हैं। उससे अगर किसी के पेट में दर्द, तकलीफ होती है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरे सामने तो हमारी नेता के निर्देश मानने का सवाल है। जो कार्यक्रम दिये हैं उन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये हम सारे प्रयास कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने हाउसिंग सोसाइटीज को भूमि अवाप्ति से मुक्त करने के बारे में कहा, अपने आपको बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव सिद्ध करने की दृष्टि से कहा कि हमने तो 1979 में 2 हजार बीघा भूमि आवंटन के लिये नोटिसेज दिये थे। आपने उनको विथड्रा कर दिया। मैं उनको तथ्यों की जानकारी और याद दिलाना चाहता हूं, 1979 की फरवरी, जब आपको यहां से जनता ने हटाया था, उस समय तक की बातों को आप याद करें। मेरे जमाने में यहां पर एक भी सहकारी समिति की भूमि अवाप्ति से मुक्त नहीं की गई है। आरोप लगाने वाले विरोध पक्ष के नेता महोदय को विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, 1975 से जो फैसला हुआ उसकी सजा मुझे देंगे? आपके जमाने में सारा फैसला हुआ, आप क्यों भूल गये, जवाब हुए थे आपकी तरफ से। सदस्यों ने यह कहा, गोटेवाला होटल श्रीराम गोटेवाला का है, जो आपके जमाने में बना है, आप क्यों उस तथ्य को मानने में हिचकिचा रहे हैं। यह तो आपके जमाने में हुआ है। आप चुप कर गये। क्या परिस्थितियां थीं, क्यों भूल जाते हैं उन बातों को। आप दूसरों पर पत्थर फेंकते रहते हैं और भूल जाते हैं कि हमने एक इंच भी जमीन अवाप्ति से मुक्त नहीं कराई। मेरे से किसी ने कहा भी नहीं, अध्यक्ष महोदय। वर्तमान विरोधी दल के नेता महोदय ने जरूर कहा था। यह आरोप मैंने नहीं लगाये थे, इन्हीं की पार्टी के संसद सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने इन पर खुले आम आरोप लगाया था, वह भी प्रमाण मेरे पास हैं। उन्होंने ही मुझे दिया था। इनकी माताजी को 1969 में एक किसान के नाम पर भूमि अलाट की गई कि इनकी माताजी खेती करें। मेरी माताजी के समान हैं। आप स्वयं इस बात का निर्णय करें कि 1969 में किन परिस्थितियों में किस प्रकार से सौदे हुए थे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मेरी मां के नाम पर....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं सरकारी रेकार्ड, दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा। माननीय देवीसिंह जी भाटी, मैं धमकियों से बैठने वाला नहीं हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। मैंने विरोधी पक्ष के नेता को बोलने की इजाजत दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
मेरी मां के नाम पर 1979 में एक बीघा भी....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने 1969 बोला है। मैं 79 नहीं बोल रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब से मैं विधायक बना हूं, उस समय से लेकर आज तक मेरी मां के नाम पर एक बीघा जमीन का भी अलाट हुआ हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तालियां तो मैं बजानी बन्द कर दूंगा, तसल्ली रखो आप।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले ये इस्तीफा दें, आप इसकी घोषणा कीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आप इसकी घोषणा कीजिये कि यह असत्य हुआ तो ये भी इस्तीफा देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्रत्युत्तर में कोई ऐसी बात, आरोप होते हैं तो इस तरह से बाधा डालने के बजाय समय मांगेंगे तो मैं अलग से स्पष्टीकरण के लिये समय दे दूंगा। वाद-विवाद के नियमों से माननीय सदस्य अच्छी तरह से परिचित हैं। जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो उसको शांति से सुनना चाहिये। उसमें अगर कोई तथ्य गलत बयान किया गया हो अथवा आरोप लगाया गया हो तो उसके लिये अलग से समय ले सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे कुछ सत्यों को उजागर करने से माननीय सदस्यों को कुछ तकलीफ हो रही है।

श्री यदुनाथ सिंह : खुला चैलेन्ज दिया है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया धैर्य रखिये। आर्डर प्लीज। यह कौन सा तरीका है, आप अपनी बात कह दें और दूसरे कहें तो धैर्य खो दें। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। यदि कोई ऐसी बात होगी जिस पर आप स्पष्टीकरण करना चाहेंगे तो मैं माननीय सदस्य को अवसर दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी दल के नेता महोदय ने बड़ी बहादुरी के साथ कहा कि मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो नम्रतापूर्वक एक ही अनुरोध करूंगा कि इस बात की सत्यता की जांच हो, यह मैंने आज जो रेकार्ड मंगाया है, तहसीलदार, भू-अभिलेख, जयपुर से मैं यह रेकार्ड आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं इसमें देवीसिंह पुत्र चतरसिंह और श्रीमती स्वरूपकंवर बेवा ठाकुर देवी-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
सिंह, यह इतनी जमीन, 17-4-69 को इनको अलाट हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ये बोल रहे हैं मेरे पिताजी का नाम देवीसिंह है, मेरे दादा का नाम गोपालसिंह है और मेरी मां का नाम बनेकंवर है। यह × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह कागज लीजिये आप।

यह कागज लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कागज मंगवा लेता हूं अपने पास। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस × × × से कागज लीजिये, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरी बात सुन लीजिये।

ऐसा है सदन के, अन्दर अगर कोई गलतबयानी होती है अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाते हैं तो इसके नियम हैं। खास तौर से बहुत ही विवादास्पद विषय हों तो उसके लिये काफी कठोर नियम हैं अन्यथा यह माना जाता है कि गलती से कह दिया है। यदि विवादास्पद विषय है उसमें कोई अपने तर्क को मजबूत करने के लिये कागज या पत्रावली पेश करें तो वह संदर्भ दूसरा बन जाता है इसलिये वह कागज है जब तक काम में आ रहा है तब तक उनके पास है। उसके बाद मैं ले लूंगा। आप बेफिक्र रहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इस बारे में क्षमा चाह ली थी क्योंकि अभी तो इब्तदाये इश्क हुआ है। मैंने अभी तो एक शुरूआत की है।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

ऐसा है, यह डिबेट जब दुबारा शुरू हो रही थी उस वक्त भी माननीय सदस्य को निवेदन किया था कि आप धैर्य बरतें। जो

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 170

(१७०)

(श्री अध्यक्ष)

बात वे कहते हैं, उनकी बात को शांति से सुन लीजिये। यह वाद विवाद का कोई नियम नहीं है कि इस तरह बाधा पैदा करें।

(व्यवधान)

अपनी बात कह दें, आर्डर प्लीज। सदन की कार्यवाही तब स्थगित करेंगे जब जो आरोप लगा गये है उनका स्पष्टीकरण दे दे उसके बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित करेंगे। लेकिन यह कोई तरीका नहीं हुआ कि वह बोलें और उसमें बाधा उपस्थित की जाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एक निवेदन कर दूं मैं बाधा उपस्थित करने में कतई विश्वास नहीं करता हूं। आप सुन लीजिये।

(व्यवधान)

यदि मेरे ऊपर आरोप लगाये जाते हैं तो मुझे उसकी कोई चिन्ता....

श्री अध्यक्ष : लेकिन इनको धैर्य से सुन लें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं बात कर रहा हूं। आर्डर प्लीज।

उन्होंने जिस तरह से सुना है, आप भी उन्हें उसी तरीके से सुन लीजिये। यदि आप चाहेंगे जो आरोप आप पर लगाये गये हैं या कोई गलतबयानी हुई है तो मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपसे एक ही प्रोटेक्शन चाहता हूं। यह कागजों में हेरफेर करेंगे। मैंने जो कागज यहां पर कोट किये हैं वह गजट नोटिफिकेशन किया था। मैं ही नहीं सरकार भी उसमें हेरफेर नहीं कर सकती है। मैंने जो चार्जेज लगाये हैं वह गजट नोटिफिकेशन के आधार पर लगाये हैं। यह जो कागज है, उन कागजों में हेरफेर होगा। मेरा निवेदन करना यह है कि यह कागज अपने पास में ले लें। इनको छूट है जो मर्जी चाहे कह लें।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, क्योंकि संशकित है विपक्ष के नेता महोदय इसलिये कृपया कागज काम में ले लें। यदि उनके बारे में और नहीं कहना है तो वह दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अभिलेख का, राजस्व रिकार्ड का स्वायत्त शासन मंत्री महोदय उल्लेख कर रहे थे जवाब देने के, बाद में उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रख दिया जाये।....

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : शेर के मुंह में हाथ डाला है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया शांत रहें।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । मैं नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं । आप बैठिये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मेरे को × × × और कह रहे थे पता नहीं क्या क्या आरोप लग रहे थे तब मैं तसल्ली से सुन रहा था। अब मैं सरकारी रिकार्ड के आधार पर जवाब दे रहा हूं। मैं विपक्षी दल के माननीय नेता महोदय, जो इस्तीफा देने की बात करते हैं, को निवेदन करूंगा इस सारी बात को तो बाद में कर लें, यह सारा रिकार्ड मैं आपके सामने रखूंगा ही और इस रिकार्ड के साथ साथ मैं उस घटना की भी याद दिला दूं क्योंकि स्वयं बड़े सत्य बोलने वाले हैं, जितनी बात कहा करते हैं, हमेशा यह कहते हैं मैं हमेशा सत्य में आस्था रखता हूं, सत्य बोलने वाला हूं, अगर ये खुद ही इस बात को आपको कहें कि मैं इनके घर गया था....

(व्यवधान)

ऐसी बात नहीं है वैसे मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपस में बहुत निकटता है ।....

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम दोनों एक ही जिले के रहने वाले हैं । मैं वहां से गोटा बेचता हुआ यहां आया और ये वहां से हैड कांस्टेबल बन कर यहां आ गये । दोनों करीब एक ही जिले से आये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इस बात की तरफ मैं आना चाहता था, स्वयं ने मुझे कहा, मेरे तो एक ही जमीन बची है । मां के नाम पर है । वहां नाम तो सारे लिखे हैं, जिन जिन व्यक्तियों को अलाट हुई है उनमें एक स्वर्गीय निरंजन नाथ आचार्य, जो इनके मिलने वाले थे, स्वर्गीय ज्वालाप्रसाद शर्मा और श्री देवी सिंह का नाम मैंने निवेदन किया । यह रिकार्ड में है । मैं यहां पर रखूंगा । आप स्वयं ही इसकी जांच करें और उसके बाद निर्णय करें । मैंने संसद सदस्य का भी उल्लेख किया है । इन सारी बातों का मैं उल्लेख इसलिये ज्यादा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये बड़े ईमानदार हैं । हमारे को सारी गालियां ही सुननी पड़ती हैं । हमारे ऊपर आरोप लगावें, हम तो इनको तसल्ली से बैठे बैठे सुनते हैं, जितनी अननेसेसरी बात ये कहते हैं उनको सुनते हैं । इन्होंने एक तरीका, कार्यक्रम बना रखा है । शुरू में जिस समय मैंने जवाब दिया था तब भी मैंने कहा था कि एक भी जगह मिट्टी उठाने का काम, एक जगह भी ठेके का काम अगर कहीं मेरा बता दें, यों तो, दुनियां भर के लोगों को मेरा भाई कह देंगे, किसी को मेरा साला बता देंगे, किसी को बहनोई बता देंगे....

श्री अध्यक्ष : बड़े आदमी से हर कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह कहना चाहता हूं, जहां इनको गोटेवाला बोलना होता है वहां घोटालावाला बोल देते हैं । सारी बातें कहते हैं....

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : यह गलती मेरे से भी एक दफा हो गई थी ।....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं चुपचाप, अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को सुनता रहता हूं । अब मैं यह अनुरोध करूंगा इन्होंने एक नोटिफिकेशन का जिक्र किया । यह स्वयं जब मुख्य मंत्री थे, 8 इन्क्वायरी इन्होंने मेरी करवाई हैं । मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं हुई । इनका तो काम जांच ही जांच करवाने का है । हम तो जांच के पचड़े में नहीं पड़ेंगे । मैं आपको विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करूंगा कि 1969 का इन्होंने उल्लेख किया । बाकायदा यू. आई. टी. को नक्शे पेश किये गये । यू. आई. टी. ने जितना डवलपमेंट का पैसा मांगा 1969 में डवलपमेंट का उतना पैसा दे दिया और 1969 या 1970 में वह काम हुआ । उसको आज 1982 के अन्दर कहते हैं । 1972 में सर्व प्रथम मैं विधायक बना, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में मैंने कोई इस प्रकार का धन्धा किया हो जिसमें कि मैंने जमीन ली हो तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैंने तो इनसे पहले भी कहा है, मैंने लिखकर दिया है मुख्य मन्त्रीजी को कि आप विरोधी दल के नेता को कह दें वे लोकायुक्त से जांच करवा लें । क्यों नहीं आते हैं कटघरे में ? क्या परेशानी है इनको ? आरोप लगा कर मजे करते हैं । यों ही इधर उधर हाथ पैर हिला देने से पार नहीं पड़ती है, अध्यक्ष महोदय । मैं तो उम्मीद करके चला था कि जिस बड़े काम को हम करने जा रहे हैं मैंने निवेदन किया, हमारे मुख्य मन्त्री ने तो यह कहा था कि विरोधी दल भी इस काम के अन्दर सहयोग करें, जयपुर आपका भी है । इनको यह बात तो याद रही नहीं । यह बात याद रही कि 14 जुलाई को माथुर साहब के शासन को एक वर्ष हो गया है, मुख्य मन्त्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण का वायदा किया था इसलिए यह आर्डिनेंस जारी कर दिया । आप यह क्यों भूल गये हैं कि आपने भी तो वायदा किया था । आपने वायदा पूरा क्यों नहीं किया ? आपकी वायदा पूरा करने की तमन्ना नहीं थी । आप नहीं करना चाहते थे अपने वायदों को पूरा और गरीबों की भलाई के काम नहीं करना चाहते थे, झोंपड़ी में रहने वालों को जमीन देना नहीं चाहते थे, सड़कें, नल, बिजली की सुविधा नहीं देना चाहते थे । ये जिस हाउसिंग सोसायटी का जिक्र कर रहे हैं, 2 हजार बीघा जमीन के लिए छाती खोलकर विपक्ष के नेता महोदय ने बड़ी बात कही है और यह कहा है कि सब उन्होंने पावर ले ली है । यह इन्क्वायरी कर लें, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि मेरे नाम से एक भी इंच जमीन नहीं है इसलिए एक्वायर की बात ही नहीं आती है ।

जहां तक दूसरा प्रश्न है सहकारी समितियों का तो यह हमारा फर्ज है; हमारी नीति है कि हम सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा दें । सहकारी आन्दोलन के अन्दर 2 हजार बीघा के बारे में निवेदन किया, राज्य सरकार ने, राज्य मंत्री मण्डल ने लैण्ड कन्वर्शन नियम बनाये हैं । जो 28 करोड़ का जिक्र किया है विपक्ष के नेता ने वह 23 करोड़ 60 लाख है । माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने मुझे सही आंकड़े बताये हैं जो मकान बन गये हैं उन मकानों को

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

रेगुलराइज करने के। उस समय अवाप्ति का एक ही पर्पज था कि हाउसिंग के लिए उस जमीन को लेना चाहते थे। यह निर्णय सारे राज्य भर के लिए किया गया है, कोई अकेले जयपुर शहर के लिए नहीं किया गया है। करोड़ों अरबों के जो मकान बन गये थे उनको ठीक करना था। ये बड़े जोर से कह रहे थे सभापति महोदय के लिए, सभापति जी आपने तो मकान तुड़वा दिये। पता नहीं उनको शाबासी देने की बात कह रहे थे या और कोई बात कह रहे थे, यह बोल रहे थे कि अब टूटना बन्द हो गये हैं, श्री श्रीराम गोटेवाला ने सब जमीनों को कब्जे में कर लिया है। मैं अनुरोध करता हूं, अध्यक्ष महोदय, न तो हमारा यह मकसद था और न कोई बात थी। हमारी यह कल्पना है कि पुराने उलझे हुए मामलों को सुलझायें। यही हमारा मकसद है, जितने भी नाजायज काम हो चुके थे उनको रेगुलराइज करने का इसको जारी करके राज्य सरकार ने निर्णय लिया। यह कोई अकेले श्री श्रीराम गोटेवाला का निर्णय नहीं है यह सारी राज्य सरकार का निर्णय है। यह बात तो आप भी मानेंगे, अध्यक्ष महोदय, इस समय इससे बड़ा प्रेक्टिकल कदम उठाया नहीं जा सकता था, जैसा उन्होंने खुद ने कहा है 500 करोड़ से ज्यादा के मकान बन गये थे। आप चाहते थे कि मकानों को नष्ट कर दिया जाय? एक लाख ऐसे लोग हैं जिनके मकान हैं आज राजस्थान के अन्दर आप तो यह चाहते थे कि उनको आप रोज तंग करते रहें, लोग उनसे पैसे खाते रहें, लोग उन्हें लूटते रहें। आपने जो छूट दी थी एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मंगाने की और आपने नेकरियों को भर्ती किया। बिना किसी प्रकार के नियमों के आपने सारी छूट लेकर जिनको भर्ती किया था उनकी जेब भरने के लिए आप यह करना चाहते थे लेकिन वर्तमान राज्य सरकार, जो कि काम करने के लिए कटिबद्ध है, गरीबों की भलाई करना चाहती है और इस दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार इन बातों को देखकर उन्हें बर्दाश्त करके नहीं चल सकती थी। आज हमारा प्रयास है इस बात का, आज हमारी कोशिश है इस बात की कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो, उनके नक्शे शीघ्रातिशीघ्र पास किये जायें। जैसा कि निवेदन किया, हमें दो कामों को करना है, एक तो गंदी बस्तियों का विकास और जितने पुराने केसेज हैं उनको रेगुलराइज करने का काम। यह काम हम करना चाह रहे हैं। 1600 बीघा जमीन पर जयपुर शहर बसा हुआ है इतनी ही 1600 बीघा जमीन पर विद्याधर नगर बनाने की बात की है हमने। विपक्ष के नेता महोदय, हम इससे भी बड़ा मानसरोवर नगर बनाने जा रहे हैं। इससे अगर आपकी नींव हिलती है, आप जनता में नहीं टिकते हैं तो मेरा अपराध नहीं है। अगर आप मेरा अपराध मानते हैं तो इसके लिये मुझे क्षमा करें। मैं इसके बारे में क्या कहूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा, मैंने सहकारी 8 समितियों के बारे में उल्लेख किया है, मैंने आपके माध्यम से अनुरोध किया है। और तो क्या कहूं दो आफिसर का नाम लिया गया और कहा कि होटल बनाने की अनुमति दे दी। मैंने कहा था, नाम बताओ तो बड़ी तलाश के बाद एक डाक्टर पटेल का नाम बताया।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मैंने कहा, तारीख बताम्रो तो तारीख नदारद। यह बात सही है, मैं व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूं, पटेल के बारे में जानता हूं परन्तु यह पता नहीं है कि ये पटेल वही हैं या नहीं जिनको मैं जानता हूं या कोई दूसरे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपसे तो रोज इतने मिलने वाले आते हैं ध्यान नहीं रहता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर शहर का विधायक हूं, मेरे मिलने वाले नहीं आयेंगे तो क्या इनके मिलने वाले आयेंगे। आखिर इनके भरोसे थोड़े ही चुनाव लड़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कहीं पर पक्षपात की बात न तो की गई है, न की जाती है और न करने की बात है। इतना जरूर निवेदन करूंगा कि मेरे से पूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री श्री भंवरलालजी थे, आप भी बराबर पता नहीं कौन-कौनसे मिट्टी उठाने के ठेके के घोटाले, गड़बड़ घोटाले लेकर आते थे मैं उनके लिए बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि एक लेप्सेज है इसकी जांच करवा लूंगा। 140 रुपया गज की जमीन नीलामी में बोली बोली गई थी, दौसा के अन्दर उसको इस भाव में न देकर के ढाई रुपया गज के हिसाब से उन्होंने दे दी। राज्य के इतने बड़े नुकसान की बात और स्वायत्त शासन मंत्री उस पर बैठा हो....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अच्छा तो यह घाटा तभी से है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा की बात आपसे निवेदन करूं, भीलवाड़ा के अन्दर आपातकाल के अन्दर झोंपड़ियों वालों को उठाकर 77 दुकानें अलाट की थीं। नगर परिषद और उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि वहां पर दुकानों का निर्माण दुकानदार स्वयं करवायेंगे, सारी बात फाइल पर है, लिखा पड़ी है, 800 रुपये तक जमीन वहां पर नीलामी में जाती लेकिन उन्होंने 100 रुपया गज के हिसाब से अपने नेकरियों को दे दी और बाकी के लोग जमीन के लिए तरसते ही रहे। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप उनके बारे में है। मैं चुनौती देता हूं कि कोई भाई की बात करता है, कोई क्या करता है, सारी बात होती है मैं पूछना चाहता हूं कि कोटावाले के होटल में क्या गड़बड़ हुई, वह किसके जमाने में बना? कम से कम अपने सदस्यों को तो सही जानकारी दे दिया करें। खुद अकेले ही सारा नहीं पचायें आखिर वे भी आपके सहयोगी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का वातावरण बनाया और जिस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि जयपुर में जमीन है और लैंड एक्वीजिशन आर्डर को विथड्रा करके इस प्रकार की बात करेंगे, पता नहीं कहां से यह खबर लाते हैं। मैं यह उम्मीद करके चलता हूं कि ये माणक चौक की चौपड़ पर जो भाषण देते हैं उस प्रकार का भाषण उसी ढंग से कम से कम इतने महत्वपूर्ण मसले पर यहां पर तो नहीं दें। कुछ तथ्यात्मक बातें करें, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उचित होगा। यहां पर कहा गया कि सारे अधिकार ले लिये, कुछ को कुछ

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अधिकार नहीं दिया। तो यह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए गया था वहां पर 4 महीने तक एटार्नी जनरल और भारत सरकार के पांच विधि विशेषज्ञों ने इसके एक एक क्लॉज की जांच की और फिर राष्ट्रपतिजी ने इसकी स्वीकृति दी है। कहीं पर कोई मकसद नहीं है, कहीं पर व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं है। जयपुर के फायदे के लिये ही यह कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें कहीं स्वार्थ पूर्ति की बात नहीं है। जयपुर शहर के विकास, राजस्थान की राजधानी के विकास के लिये। न केवल जयपुर के बल्कि सारे राजस्थान के 192 शहरों के विकास के लिए हमारा संकल्प है। इसके लिये हमें जो कुछ करना होगा, हम करेंगे। इस सदन में हमारी आस्था है और जनता ने हमको विश्वास दिया है इसलिए ही आप उधर जाकर बैठ गये हैं। आप झांसे देते रहे, वायदे से मुकरते रहे, आपने काम पूरा नहीं किया। हम यहां पर जनता की आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिये आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी और स्लिपें आ रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सारी बातों के बारे में जितना जो कुछ मैंने निवेदन कर दिया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्री श्रीराम गोटेवाला : लेकिन मैं एक बात विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मेहरबानी करके किसी प्रकार की बातें अनावश्यक रूप से न कहें। यदि मैं अपराधी हूं, अगर आज भी जमीनों का धंधा करता हूं, या इस प्रकार के काम करता हूं तो निश्चित रूप से मुझे यहां बैठने तक का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं यह बात निवेदन करता हूं कि हमारे दिलो दिमाग के अन्दर कांग्रेस (आई) के इस कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को लेकर जयपुर विकास अथारिटी बनायी गयी है। उन्हीं लक्ष्यों को लेकर हम सारे विकास के काम सारे राजस्थान भर में फैलाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि सदाशयता के साथ, इच्छाओं के साथ राजस्थान का विकास करना चाहते हैं और राजस्थान के शहरी क्षेत्रों को वही आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करना चाहते हैं, जो हिन्दुस्तान के अन्य बड़े शहरों के अन्दर हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको प्रवर समिति के अन्दर भेजने से कोई लाभ नहीं है। मैं उसका विरोध करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो इन्होंने संशोधन प्रस्ताव दिया है, उसको अस्वीकार किया जाये।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भैरोंसिह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से दो मिनट के लिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो यह आशा करता हूं कि माननीय सदस्य ने वह कागज देख लिए होंगे और आपको सबमिट कर दिए होंगे।

बहुत अच्छा किया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात कही थी। जब से मैं विधायक बना हूं, तब से लेकर आज मेरी मां के नाम से भूमि का अलाटमेण्ट हुआ हो, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा, तो मैं त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं। मैं जानकारी इतनी सी करना चाहता हूं कि अगर यह असत्य है तो जैसे मैं त्यागपत्र देने को तैयार हूं क्या श्री श्रीराम गोटेवाला भी देने को तैयार हैं?

नहीं देंगे, कोई बात नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा इरादा होता तो वह कह देते....

(व्यवधान)

आर्डर, माननीय सदस्य, शांत रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरी एक और बात निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने न मालूम गंगापुर, भीलवाड़ा कहां-कहां भूमि के अलाटमेण्ट के आरोप लगाये, और भी कई आरोप लगाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि सरकार हमारे पास नहीं है, आपके पास है। यदि भंवरलालजी शर्मा ललित किशोर जी चतुर्वेदी, भैरोंसिंह शेखावत ने या अन्य किसी मंत्री, जो जनता पार्टी के शासन में मंत्री थे, ने कानून की अवहेलना की है, सरकारी हितों को आघात पहुंचाया है तो सरकार आपके हाथ में है, आप हम सबका प्रोसिक्यूशन कर दें....

एक माननीय सदस्य : जनता ने कर दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि मैं सारी पत्रावली आपके समक्ष रखूंगा....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विरोधी पक्ष ने आरोप लगाये....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राधेश्याम जी, सुन लें, थोड़ी कृपा करके। आपके तो फोटो पट्टे पर छापे गये, इंदिरा गांधी ने साफ कर दिए तो मेरी गलती थोड़ी है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रधान मंत्री ने साफ कर दिये। आप बतायें कि साफ हुए कि नहीं....

श्री राधेश्याम : अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष ने आरोप लगाये, हमारे पास सरकार नहीं है, सरकारी पत्रावली नहीं है, हम किसी का प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते। प्राइवेटली मंत्रियों के खिलाफ ही कर सकते हैं, उसमें प्रोसिजर जिस प्रकार का है, धन्य हो अंतुले और गवर्नर, उन्होंने प्रोसिक्यूशन की परमिशन देना शुरू कर दिया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि श्री श्रीराम जी गोटेवाला मेरा प्रोसिक्यूशन हो सकता है, तो करते, चतुर्वेदी जी का प्रोसिक्यूशन हो सकता था तो करते, यदि और किसी का प्रोसिक्यूशन हो सकता तो प्रोसिक्यूशन करते....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप ज्यादा नहीं बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं एक निवेदन कर रहा हूं। बोलने के लिए काफी है। अकाल पर बहस के समय बोलेंगे, इस समय क्या बोलें।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इनका काम था प्रोसिक्यूशन करना। यदि हम इनसे रिक्वेस्ट करते कि हमारा प्रोसिक्यूशन करो तो समझ में आता। मैं समझता हूं कि सरकार के हाथ में अधिकार है, अभी भी है उस सरकार को चार्ज लगाने की क्या आवश्यकता है ? उसको प्रोसिक्यूशन करने की आवश्यकता है। हमारा प्रोसिक्यूशन करते तो मैं समझता कि, गोटेवाला जी, आप कह रहे हैं, वह सही है। हमारा प्रोसिक्यूशन नहीं करते तो लगता है कि....

श्री अध्यक्ष : प्रोसिक्यूशन तो अपराध के लिए होता है। अपराध की इन्होंने बात कहां कही....

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं कही, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। खतम हुई बात।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

आपके पास, उस वक्त मंत्री रहते हुए क्या किया, क्यों नहीं किया उसकी क्या....

(व्यवधान)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने व प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के संशोधन प्रस्ताव

प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 को प्रवर समिति को विनिर्दिष्ट करने का जो संशोधन प्रस्ताव किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(श्री अध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को विनिर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रस्ताव रख दीजिए, उसके बाद में एडजोर्न ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्टीकरण का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विचारार्थ लिए जाने के बाद में प्रस्ताव होता है ?

आपको नहीं, उनको । इतना सा ज्ञान नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मैं चूक गया था । इसमें उनकी गलती नहीं है ।

प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय 6·50 बजे बुधवार दिनांक 15 सितम्बर, 1982 के म. पू. 11·00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 208 की सूची

भारत-पाक संघर्ष 1971 के विस्थापित परिवार जिनको तहसील शिव में बसाया गया है का गांव घर विवरण

क्रम संख्या	नाम गांव	परिवार संख्या
1.	वांडासर	5
2.	तामरोल	78
3.	जैसिन्धर	57
4.	जैसिन्धर स्टेशन	105
5.	मुनावा	5
6.	रोहिडी	312
7.	सुन्धरा	202
8.	द्राबा	326
9.	मेदूसर	150
10.	खनियानी	60
11.	राणासर	28
12.	बन्धा	44
13.	गिराव	53
14.	दाबड़	123
15.	चेतराडी	33
16.	कुण्डल	1
17.	उतरोड	11
18.	नेगरडा	12
19.	झापलीकला	3
20.	झिमकली	4
21.	राजडाल	7
22.	कानेकागाव	2
23.	बालेवा	5
24.	रेडाना	7
25.	हरसानी	17
26.	भुगेराई	10
27.	रावतका गांव	1
28.	कालीझाल	24

(180)

29.	मुगेरिया	21
30.	धाकीखुर्द	51
31.	बरियाडा	57
32.	हडबा	13
33.	तिबीनयार	2
34.	कोटडा	9
35.	पूसड	1
36.	जोरानाडा	13
37.	बलाई	2
38	आगोरिया	1
		1855

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 210 की सूची

तहसील : भीम

क्रम स.	गांव का नाम	कोड सं.	हैण्ड पम्पों की संख्या	गहराई क्रमश: मीटर में	कार्य करने वाली ऐजेन्सी	ग्रसफल और की संख्या व गहराई
1	2	3	4	5	6	7
1.	नालोइ मालपुरा	34	3	37, 37, 50	ड्रिलिंग हैड पम्प खण्ड उदयपुर	
2.	मोटा गुदा	78	3	31, 43, 45		
3.	रोडी जस्सा	87	1	32		
4.	काला गुमाना	93	4	32, 30, 38, 30		
5.	बग्गड	72	7	47, 52, 57, 35, 40, 40, 47		
6.	बरवास	83	3	47, 47, 51		
7.	खेडी का खेडा	5	4	42, 42, 42, 47		
8.	स्वाजना बेजपुरा	7	1	47		
9.	लगेत खेडा	12	4	47, 48, 47, 37		
10.	शेलावस	13	5	42, 37, 39, 57, 57		
11.	जैसा खेडा	18	1	52		
12.	घाटा	35	2	32, 32		
13.	ग्रजीजगढ	40	5	47, 47, 32, 37, 32		
14.	नन्दावट	50	4	50, 32, 47, 42		
15.	कालेटरा	53	3	45, 36, 38		
16.	लाखा गुडा	61	7	31, 38, 38, 36, 39 37, 42		
17.	चेता	73	3	40, 47, 37		
18.	भीम	51	11	42, 40, 47, 47, 52 55, 60, 55, 67		
19.	तीतरी	36	4	37, 47, 42, 53		
20.	पालरा	39	3	35, 47, 40		
21.	टोगी	44	5	39, 43, 38, 37, 30		
22.	टिवाणा	45	2	37, 37		
23.	कालादेह	48	4	32, 35, 40, 60		
24.	घोटी	49	2	37, 42		
25.	सुनार गुडी	54, 3	38, 45, 40			
26.	डासरिया	55	4	47, 35, 47, 37		

1	2	3	4	5	6	7
27.	घवरा कला	65	2	37, 37	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प	
28.	ठिकरवास कला	59	1	42	खण्ड उदयपुर।	
29.	वोरवा	1	6	36, 36, 40, 47, 50, 55		
30.	जेतपुरा	3	1	36		
31.	माना नगला	4	1	34		
32.	उम्मेदपुरा	23	2	38, 30, 50,		
33.	मोरखेडा	242	2	30.5, 33.5, 33.5		
34.	बार	25	3	23, 23, 27		
35.	जयनगर	26	3	30.5 33.5 33.5		
36.	डूंगर खेडा	28	3	38, 12. 33		
37.	सारोठ	32	5	38, 38, 36, 35, 35		
38.	हथूण	11	2	58, 55		
39.	छापली	84	6	60, 40, 52, 62, 52, 50		
40.	बागाना	81	6	56, 55, 50, 45, 50		
41.	दिवे	86	4	45		
42.	भेरा गुडा	82	2	52, 46		
43.	ग्रामनेर	46	6	49, 59, 60.0, 44.1 60, 58		
44.	भगाना	81	2	59, 60	जिला खण्ड उदयपुर	
45.	काहरी	57	2	45, 54	मै. एच. ग्रार. ट्रेडर्स	
46	बरिया हेडा	19	1	46	भीलवाड़ा	
47.	थंकरवास खुर्द	58	2	47, 52	,,	
48.	बेरा गुरहा	82	3	54, 59, 54	,,	
49.	भूटरा	66	2	59, 60	,,	
50.	फाटा खेरा	16	2	53, 59	,,	
51.	भोपा लगढ	10	2	46, 57	,,	
52.	धावल खुर्द	68	2	68, 57	,,	
53.	वीरम गुरहा	74	2	43, 44	,,	
54.	नावरी	6	2	81, 67	,,	
55.	नया गाँव	14	2	33, 44	,,	
56.	गुडा घाट	92	2	59, 59	,,	
57.	पीपरलू	88	2	57, 60	,,	
58.	थोरिया	69	2	28, 32	,,	

तहसील : सराड़ा

क्रम सं.	गांव का नाम	कोड सं.	हैण्ड पम्पों की संख्या	गहराई क्रमशः मीटर में	कार्य करने वाली एजेन्सी	असफल बोर की संख्या व गहराई
1	2	3	4	5	6	7
1.	टिलाई	85	2	28	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प खण्ड उदयपुर	
2.	पाल सरड़ा	113	5	35, 36, 27		
3.	छोडासर	147	4			
4.	वीरपुरा	43	7	39, 39, 35, 31, 30 30, 40		
5.	चानी	85	1	40		
6.	बाबरमल	2	2	35, 35		
7.	रेला	12	3	85, 35, 74		
8.	महुवाडा	16	4	40, 40, 45, 65		
9.	पलुना	23	3	35, 45, 45		
10.	गामड़ी	49	4	35, 40, 35, 33		
11.	श्यामपुरा	52	5	35, 35, 35, 45, 30		
12.	देलवास	59	5	30.5, 30.5, 29, 23, 28		
13.	डायली	64	4	40, 40, 40, 40		
14.	थाणा	66	4	35, 31, 35, 35		
15.	बेहुली	71	2	35, 35		
16.	मांचर	78	2	35, 50		
17.	पारेई	90	4	26, 29, 30.5, 30.5		
18.	वनाकला	101	2	35, 45		
19.	कुराड़िया	128	3	45, 45, 45		
20.	मजबरा	25	3	35, 50, 40		
21.	भारिया	27	2	37, 35		
22.	नईजर	31	4	35, 35, 35, 49		
23.	नालहलकार	86	4	33, 45, 40, 45		
24.	सेपूर	95	4	33, 33, 35, 35		
25.	वतापा	29	2	40, 35		
26.	सेमाल	38	4	35, 29, 31, 30		

Page No 184

(१८४)

1 2	3	4	5	6	7
27. माण्डला	84	1	50	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प	
28. दुर्जनपुरा	141	2	35, 40	खण्ड उदयपुर।	
29. राठोडा	153	5	32, 33, 50, 30, 30		
30. डिगरी	68	5	30, 30, 35, 30, 35		
31. बाडोली	81	3	45, 40, 55		
32. कातनवाडा	83	2	40, 28, 35, 40, 40		
33. शक्तावतों का गुडा	148	6	35, 50, 45, 35, 35, 45, 30, 35		
34. पलोदडा	24	2	40, 35		
35. नावरा	102	3	31, 31, 35		
36. सुरसुण्ड का खेड़ा	111	2	35, 50		
37. पाल निमोदा	92	3	38, 40, 38		
38. टोकर	148	7	38, 44, 42, 46, 31, 38, 44		
39. जावद खुर्द	28	2	46, 37		
40. बडगांव	75	2	42, 50, 47		
41. देवपुरा	15	4	50, 52, 58, 50		
42. पीलाघड	55	3	47, 37, 42		
43. अमरपुरा	19	1	40		
44. घाटोर	48	3	38, 40, 40		
45. सरसिया	50	1	45, 35		
46. सदकडी	117	5	21, 36, 38, 21, 21, 31		
47. कुण्डा	146	4	30, 27, 33, 29		
48. बलुआ	115	12	18, 21, 24, 30, 25, 30, 30, 26, 30, 42, 74, 42		
49. पालसेपुर	114	1	37		
50. ईटाली	157	2	47, 22, 40		
51. बडावली	136	3	45, 22, 40		
52. मुण्डा	152	3	45, 42, 40		
53. भारोई	150	7	40. 40, 35, 40, 25 42, 37		
54. निमडीपाल	133	2	33, 34		
55. संगतपुर	154	2	39		

तहसील : गोगुन्दा

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं०	हैण्ड पम्पों की सं.	गहराई क्रमशः मीटर में	कार्य करने वाली एजेन्सी	असफल बोर की संख्या व गहराई
1	2	3	4	5	6	7
1.	जसवन्तगढ़	92	4	40, 37, 65, 62	ड्रिलिंग हैण्ड	
2.	मानपुरा	4	5	52, 67, 52, 52, 31	पम्प खण्ड	
3.	तरमाल	68	2	32 —	उदयपुर।	
4.	कन्डुन्दिया	134	1	45		
5.	मगा	1	2	32, 20		
6.	जोरमा	6	2	32, 35		
7.	वाटेरी	13	2	35, 35		
8.	सेमड	24	3	32, 32, 32		
9.	उभरना	25	2	32, 23		
10.	नाहरों का गुडा	71	2	32, 32		
11.	श्रीमालियों की मादडी	85	2	44, 34		
12.	माडोली	89	3	35, 35, 35		
13.	जोशियों की भागल	95	2	30, 35		
14.	चाटीया खेड़ी	104	3	43, 35, 43		
15.	अजयपुरा	110	1	28		
16.	खामही	109	2	32, 32		
17.	मदवीगुढ़ी	110	1	26		
18.	हुन्दर	148	3	32, 32, 32		
19.	झालों का फलवाणा	11	3	30, 30, 30		
20.	बनावली	60	4	42, 33, 34, 31		
21.	अंवगनी	77	1	34		
22.	मोडी	101	6	31, 32, 31, 33, 30, 31		
23.	ओलराकला	90	7	28, 50, 30, 34, 20, 31, 34		
24.	काम्बा	2	2	33, 34		
25.	बगड	3	3	37, 34, 34		
26.	ढिकोरा	5	6	46, 46, 55, 46, 46, 55		
27.	सिगोडा	7	3	32, 30.5, 39.6		
28.	वीरवाडा	8	5	33.5. 35, 36. 40 23		

Page No 186

(186)

1	2	3	4	5	6	7
29.	ब्राह्मणों का पलवाना	22	4	28, 35, 41	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प खण्ड उदयपुर ।	
30.	डिवाणा	14	2	31		
31.	धानेर	39	2	33, 35		
32.	वडगांव	42	1	40		
33.	ढोल	43	2	29, 30		
34.	उमरोद	44	1	32		
35.	सामल	46	2	34, 31		
36.	रावढ	56	1	25		
37.	पालीवाणा	2	2	30, 27		
38.	डिगारी	74	2	35, 30		
39.	रावलिया खुर्द	82	4	35, 45, 35, 45,		
40.	आवरा खुर्द	97	4	39, 34.5, 37.5, 33		
41.	सेमवाल	99	3	35, 35, 35		
42.	चाना	100	3	36, 38, 50		
43.	मजावरी	107	5	30, 36, 30 27, 32		
44.	दादिया	100	5	35, 37.5, 27, 30, 31		
45.	दाणाव	117	4	31, 34, 40, 34		
46.	घाटा	119	3	43, 31		
47.	काछवा	118	5	36, 34, 46, 31, 45		
48.	उण्डीथल	120	4	30, 27, 27, 35		
49.	झावद	136	5	27, 30, 35		
50.	जोगी का गुडा	142	2	59, 27		
51.	मदारडा	147	4	37, 31, 31		
52.	बोरावली माठडी	26	1	30		
53.	मुन्दली	30	3	31, 32, 31		
54.	मोरवी	120	1	27		
55.	मादा	133	4	30, 39, 38, 27		
56.	मणाथ	141	3	33, 27, 37		
57.	बरवाडा	34	3	38, 41, 38		
58.	विशमा	48	1	31, 31		
59.	सुनावतों का गुडा	63	1	52, 46		

1	2	3	4	5	6	7
60.	मोट भादरा	86	2	48, 33	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प	
61.	मोरवल	125	2	46, 46	खण्ड उदयपुर।	
62.	सादडा	33	4	42, 36, 34, 41		
63.	सरण	111	2	30, 20		
64.	चोर चादडी	145	1	37		
65.	मोड़वा	123	1	46, 40		
66.	देवडों का खेडा	124	3	45, 46, 58		
67.	सूरजगढ़	126	2	43, 43		
68.	नया गांव	136	1	30		
69.	जराई	20	1	43		
70.	जेमेली	32	2	31, 40		
71.	करवा	32	2	32, 32		
72.	सापोली	26	1	37		
73.	ढण्डो	35	1	35		
74.	सोयरा	9	1	30, 32, 45, 35, 47		

तहसील : कुम्भलगढ़

1.	बागुन्दा	39	2	32	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प खण्ड, उदयपुर
2.	ग्रारेट की मागल	82	2	—	
3.	लाम्बोडी	12	2	47, 32, 32, 30, 32, 35	
4.	घनायका	32	2	32, 31	
5.	धानीन	46	5	52, 42, 41, 30, 32	
6.	कड़िया	91	3	45, 37, 45	
7.	नोवल	106	3	30, 32, 32	
8.	वनीया टुकड़ा	56	2	32, 30	
9. मारावा	मारावा	66	3	35, 40, 35	
10.	मेवाडीया	68	1	35	
11.	मनावतों का गुडा	71	1	34	
12.	उमरवास	1	3	30, 37, 31	

1	2	3	4	5	6	7
13.	बांवा	4	1	34	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प	
14.	हीलोडिया	17	1	33	खण्ड उदयपुर।	
15.	जम्बू का तालाब	23	2	34, 34		
16.	लौर	26	2	32, 34		
17.	बोरडा	33	2	34, 34		
18.	ताडादाडा गुजरान	44	3	30, 34, 41		
19.	जोज	47	2	31, 38		
20.	गिटोरिया	219	2	31, 31		
21.	कुवांरिया	57	4	31, 65, 38, 32		
22.	बुखांर	61	5	48, 31, 31, 31, 31, 31		
23.	ग्रण्टालिया	62	5	31, 38, 32, 35, 30		
24.	चारभुजा	40	4	34, 34, 35		
25.	केशर	130	5	36, 31, 31 31, 31		
26.	पालछा	131	3	31, 90, 39		
27.	कुचोली	132	3	40, 36		
28.	बावदा	133	2	35, 47		
29.	कुणुजा	145	3	39, 34, 34		
30.	दोवार	123	4	34, 32, 38, 34		
31.	जनापद	15	3	46, 45, 40		
32.	कलथाणा	84	3	27, 40, 35		
33.	बरदड़ा	85	3	37, 30, 35		
34.	गामड़ी	117	2	41, 88, 40		
35.	जेतारण	125	4	40, 36, 37, 38		
36.	पीपाण	126	4	45, 30, 44, 38		
37.	जडफा	138	3	35, 46, 46		
38.	पीपली	130	2	41, 37		
39.	तलादड़ी	151	3	36, 45, 41		
40.	मजेरा	79	5	39, 38, 35, 40.8		

1	2	3	4	5	6	7
41.	सन्दुकों का गुड़ा	86	4	47, 42, 47, 57	ड्रिलिंग हैण्ड	
42.	उदडो कि भागल	87	3	37, 47, 60	पम्प खण्ड	
43.	ग्रांतरी	124	3	40, 47, 62	उदयपुर।	
44.	बांरा	128	3	37, 37, 40		
45.	खेडलीया	114	5	47, 62, 42, 62		
46.	मोरवा	116	5	37, 47, 48, 62, 52		
47.	मांचड़ा	142	4	52, 47, 52, 67		
48.	घोरण	152	3	52, 47, 52		
49.	भीलवाड़ा	73	2	77, 70		
50.	साथिया	25	2	34, 30		
51.	कोयल	107	2	76, 78		
52.	केलवाड़ा	92	2	33, 50		
53.	सेवन्तरी	22	2	41, 44		
54.	काकरवा	121	1	50		
55.	हमीरपाल	118	4	35, 39, 41, 41		
56.	मेलावडी	96	2	42, 47		
57.	चम्लग्रा सरलेला	119	1	41		
58.	थुरावड	77	2	35, 34		
59.	लखमावतों का गुडा	134	1	46		
60.	वरगुला	157	2	41, 43		
61.	संगलखुर्द	161	2	38, 30		
62.	घाटा	102	1	46		
63.	ग्रगलीयार	53	1	50		
64.	ग्रमरतिया	13	1	47		
65.	टाडावाडा सोलकिया	10	1	46		
66.	मजावतों का गुडा	54	1	44		

Page No 190

(१९०)

1	3	3	4	6	5	7
तहसील : देवगढ						
1. कामली		48	4	41, 42, 42, 42	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प खण्ड उदयपुर	
2. अर्जुनगढ़		10	1	45	"	
3. बनियाडई		20	2	45.50	"	
4. इसरमन्द		21	2	50, 45	"	
5. काकरोद		16	2	47, 52	"	
6. देपुरा		23	2	47, 62	"	
7. कुवारिया		24	3	29, 50, 50	"	
8. तेलीखेडा			2	52, 57	"	
9. कुण्डवा		87	3	57, 57, 52, 62	"	
10. डागर्डी		92	2	52, 62	"	
11. नरानी		95	2	52, 52	"	
12. रान		122	1	62	"	
13. पानडी		123	1	52	"	
14. आजना		61	4	43.0, 43.0, 46.3, 43.0	"	
					मै.आई.पी.आर.सी. सिकन्दराबाद	
15. सावादरी		54	3	49.2, 51.4, 49.5	"	49.3
16. घाटी			3	51.0, 52.7 56.0	"	
17. कालासरी		29	1	32.7	"	
18. नीमभारा		32	2	47.3, 57.9	"	50.00
19. माडारिया		34	5	45.5, 51.7, 57.8 59.4, 46.0		
20. सवादरी	बी	103	1	20.0	"	49.3, 50

1	2	3	4	5	6	7
21.	टाल		3	45.0, 43.3 46.0	मैं. ग्राई. जी. ग्रार सी., सिकन्दराबाद	
22.	पारडी	09	3	62.0, 59.3 51.1	"	65
23.	कालाकोन की ग्र टी	38	3	42.4, 37.0 34.5	"	
24.	दोलपुरा	59	5	52.3, 52.1 52.4, 41.1	"	51.0
25.	नारदास का गुडा	111	4	46.0, 45.0 43.2, 60.2	"	
26.	कावटाल	120	4	52.1, 50.6 49.0, 51.6	"	54.5, 51.5 52
27.	बचरड़िया	69	2	58.2, 63.1	"	61
28.	रासमी		2	54.6, 60.6	"	
29.	मियाला	10	3	50.2, 41.7 50.1	"	41.8, 59.1 57.2
30.	जाडसा	117	2	54.3, 56.4	"	
31.	माड	130	1	44.8	"	
32.	हडकियावास	66	2	57.2, 59.9	"	
33.	कामिनी	128		-	"	63, 58.9 58.5
34.	मोडावाला	75				51.4

(192)

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं	हैंड पम्पों की सं.	गहराई क्रमश: मीटर में	कार्य करने वाली एजेन्सी	असफल बोर की सं. व गहराई
1	2	3	4	5	6	7
	तहसील : आमेट					
1.	आमेट	27	3	50,45,50 53.3,50	ड्रीलिंग हैंडपम्प खण्ड, उदयपुर।	
2.	सियाना	98	5	45.9, 55.6, 50.2		
3.	गोवल	5	2	61, 62	जिला खण्ड, उदयपुर मै. एच. आर ट्रेडर्स भीलवाड़ा	
4.	टंका	11	2	52, 54	,,	
5.	करतवास	124	2	57, 60	,,	
6.	किशनपुरिया	78	2	57, 61	,,	
7.	मालीखेड़ा	105	2	51, 55	,,	
8.	रकमपुरा	120	2	67, 65	,,	
9	दोवड़ा	103	5	67, 55, 60, 61, 47	,,	
10.	घनोली	106	2	57, 34	,,	
11.	सीमल	131	2	64, 53	,,	
12.	गजसिंह जी की बागल	67	2	57, 66	,,	
13.	मेड़ा खालसा	69	3	57, 54, 54	,,	
14.	डीडवाना	40	1	64	,,	
15.	राचेटी का खेड़ा	35	1	48	,,	
16.	नारूजी का गुड़ा	19	3	55, 58	,,	
17.	नवलसिंह का खेड़ा	2	2	70, 60	,,	
18.	खारा	16	1	58	,,	
19.	गुगली की ओड़ा	—	1	60	,,	
20.	आरनीया	113	2	47, 57	,,	
21.	गुगली	70	3	49, 45.5, 45.5	मै. भागीरता बोर वेल, हैदराबाद	
22.	आयडना	71	3	61.0, 49.0 45.0	,,	
23.	सिरोही	100	3	43, 53, 41.5	,,	
24.	जोर	121	2	25.5, 60.5	मै. आई. पी. आर. सी, सिकन्दराबाद	48.6

1	2	3	4	5	6	7
25.	बीकावास	66	4	57.5 45 6 46.0, 46.1	मै. मागीरत्ता वोर वैल हैदरावाद	
26.	डिगगेल	94	4	39.7 48.1 55.8, 52	,,	
27.	सेला गुड़	17	8	58.3, 54.5 49, 55, 61.9 23.5, 63.8	,,	
28.	डनोला	10	5	44.8, 49, 46.8 55.4, 39.8	,,	
29.	भीलोला	52	4	61, 61, 55, 61.9	मै. ग्राई. पी. ग्रार. सी. 47.2, सिकन्दरावाद 61.5	
30.	भाडला	86	4	48.7, 55.4, 30, 48.5	,,	
31.	सेगनवास	104	4	48.1, 41.1, 51.5, 50.2	,,	
32.	साकरोडा	133	2	41.8, 36.5	,,	30, 40.4
33.	पानोटिया	107	2	54.8, 50.8	,,	
34.	माकियावास	22	2	59.1, 59.05	मै. मागीरथनाथ वी. डब्लू. हैदराबाद	
35.	टीकर	12	2	59.4, 63.5	,,	59.85
36.	देकवारा	51	2	51.2, 53	,,	55. 2
37.	मकवारा	34	1	58.2	,,	60. 5
38.	साकरडा	50	2	61.0, 52.3	,,	61. 5, 61. 6
39.	भील मागरा	83	4	60.7, 58.6 57.6, 60.5	,,	
40.	मूरदा	118	6	62.5, 61.1, 55.3, 55.2, 55.9, 45	,, ,,	
41.	उलपुरा	119	3	52.2, 51.2, 47.1	,,	
42.	लोडीयाना	134	2	43, 44	,,	
43.	कावरी	136	3	40.0, 61.3, 48.1	,,	
44.	गाडरोडा	65	2	59.3, 59.1	,,	
45.	माखरोडा	17	2	48.8, 55	,,	
46.	ग्रामेट	27	1	52.6	,,	
47.	सरदारगढ़	88	–	—	,,	51.65

तहसील : रेलमगरा:—

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं.	हैंड पम्पों की सं.	गहराई क्रमशः मीटर में	कार्य करने वाली एजेन्सी	असफल बोर की सं. व गहराई
1	2	3	4	5	6	7
1.	रेलमगरा	41	5	45, 47, 52 57, 47	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प खण्ड उदयपुर	
2.	कुरज	7	5	45, 38, 40, 50		
3.	अमरपुरा	63	1	42		
4.	फतपुरा	9	1	42		
5.	जूडाखेड़ा	15	2	44, 44		
6.	पिपली आईरान	2	2	33 –		
7.	जूड़ा	16	4	44, 44, 44, 44		
8.	वनेड़िया	36	5	50, 45, 60, 50, 50		
9.	गोंगदला	5	1	45		
10.	लठिया खेड़ा	42	2	36, 36		
11.	खरबानिया	59	4	45, 44, 42, 44		
12.	मड़राई	71	4	48, 48, 42, 45		
13.	खासेरा	73	7	36, 40, 29, 32, 30, 47, 45		
14.	ढोली	74	3	33, 42, 55		
15.	दरीबा	84	5	45, 45, 33, 30, 47		
16.	सुनारिया खेडा	83	2	42. 45		
17.	माताजी का खेडा	86	1	45		
18.	कवरा	93	4	45, 45, 45, 45, 42		
19.	गवारडी		6	46, 46, 46, 46, 50.6, 45.0	मै. गोग्रण्डर बोर वैल सालेम	
20.	अंजाना		3	40.7, 45.7, 51.7	,,	
21.	महेन्दरीया		3	53.9, 44.8 31.4	,,	
22.	राजपुरा		3	42.3 40, 41	,,	
23.	चावण्डीया		3	38.4, 25.5, 43.2	,,	
24.	छापरी		3	35.9, 48, 39.5	,,	
25.	चारना		6	33.7, 30.5, 39.9, 54.9, 25, 42	,,	
26.	खातुपाडा		5	48, 48.4, 45.4 49.3, 58.3	,,	

1	2	3	4	5	6	7
27. बावनखेडा			3	64.3, 46.4, 64.25	मैं. गोग्रण्डर बोर वैल सालेम	
28. सादरी			5	49.3, 39.7, 36.7, 44.6, 29	,, ,,	
29. सिदेशर कलां			6	57.8, 58.7, 47.7, 38.4, 36.6, 41	,,	
30. रेलमगरा			3	25.5, 46.5, 40.5	,,	
31. कोटरी			7	23.6, 45.4, 56.6, 62.6, 51.5, 41.5, 55.4	,, ,,	
32. मेनिया			4	56.2, 55, 46, 49.4	,,	
33. आढतिया			3	46, 42.6, 27	,,	
34. मदार			6	36.5, 42.2, 24.25, 36.4, 49, 51.7	,,	
35. चौकारी			4	41.2, 36.4, 37.9, 42.6	,,	
36. मूरवाडा			3	48.05, 40.7, 48.7	,,	
37. लापसिया			4	60.8, 64.55, 42.9, 37.05,	,,	
38. जितावास			7	56.8, 41.5, 60.6, 55.9, 41.0, 61.9, 54.3	,,	
39. गनगास			3	39.85, 33.5, 30	,,	
40. वेयूम्बी			4	40.5, 29.6, 30.0, 19.0	,,	
41. पीपली डोडियाना			5	46.2, 49, 41.5, 45.9, 45.6	,,	
42. पोरकीया			3	50, 45.1, 36.9	,,	
43. सिदेशर खुर्द			3	45.9, 42.6, 33.6	,,	
44. लदापचा			5	59.9, 39.6, 48.7, 66.5, 52.0	,,	
45. पानोटिया			2	10.4, 14.7	,,	

तहसील :—राजसमन्द

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड सं.	हैण्ड पम्पों की सं.	गहराई मीटर में	क्रमशः कार्य करने वाली ऐजेन्सी	असफल बोर की सं. व गहराई
1	2	3	4	5	6	7
1.	कांकरोली गुडेल	अरबन	1	—	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प खण्ड उदयपुर	
2.	थोईदा	87	2	47,47	,,	
3.	मोखमपुर	51	2	32,38	,,	
4.	अकोडिया का खेडा	26	1	40	,,	
5.	लालपुर	34	2	42,45	,,	
6.	कुवरिया	33	4	40,37,42	,,	
7.	पोदावली	14	2	55,54	जिला खण्ड उदयपुर	
8.	डीप्टी खेड़ा	96	3	65,58,61	मै. एच. आर. ट्रेडर्स	
9.	पड़ासली	6	5	76,61,52,61,67	भीलवाड़ा	
10.	बागडोला	77	2	40,55	,,	
11.	खारण्डीया	63	2	49,60	,,	
12.	मादड़ा	70	2	65,61	,,	
13.	बासनी	23	3	48,53,55	मै. कालूराम रामसुख	
14.	देवपुरा	18	2	65,60	भीलवाडा	
15.	बागपुरा	82	2	52,51	,,	
16.	सावलियों का गुड़ा	102	2	63,68	,,	
17.	मादरी गोवलिया	64	2	40,54	,,	
18.	मौखम	62	2	57,52	,,	
19.	अरवाड़ा	4	2	42,60	,,	
20.	मण्डावर	69	1	61	,,	
21.	कुवारिया	33	6	54,60.50,48,60,57		
22.	आसोटिया	84	5	35,28,42·5 46·3,39·7	मै. आई. पी. आर.सी सिकन्दरा बाद	
23.	जावद	88	2	53·56,5	,,	
24.	साकरदा	105	2	53·4,47	,,	57,47,58,5,60
25.	भोरचाना	67	2	48,5,31,1	,,	42,7
26.	बोराज का खेडा	52	2	45·8,45·7	,,	
27.	बादरदा	113	2	46·1,39·5	,,	40,7
28.	महुभा	111	3	50·2,48·8,51	,,	
29.	सोनियाना	74	4	44·0,47·5 42.5,48.2	,,	

1	2	3	4	5	6	7
30.	बीनोल	24	7	48.8,40.8, 48.7,55,54.8 50.6,52.4	मै. ग्राई. पी. ग्रार. सी. सिकन्दराबाद	
31.	धरवाल	106	3	51.8,45.4, 60.5	मै. ग्राई. पी. ग्रार सी. सिकन्दराबाद	
32.	मावा	75	3	48.4,54.0 46	,,	51.7
33.	नंदोरा	112	1	57	,,	51,45
34.	लवाना	79	3	49.5,35,40	,,	7
35.	भगवण्डा कलां	80	2	48.7,46.5	,,	
36.	सापोल	59	3	56.5,57.5 29.8,	,,	54.4 51.2
37.	भूदान	99	2	43,54.7,	,,	66
38.	संगाथ कलां	101	3	59.5,36,44.4	,,	30
39.	भागोट	100	2	66,60.5	,,	60.5
40.	पीपलान्टरी कलां	60	3	54.5,54.8, 58.3,	,,	45.6
41.	पुथोल	97	3	64.5,58.0	,,	65
42.	मुंडोल	95	1	58.5,	,,	48
43.	पुनावली	103	2	42.5,56.3,	,,	45
44.	टारोट	104	2	48,60	,,	
45.	दोवर	108	3	35.5,57.0, 52.0	,,	57
46.	देवथारी	89	3	47.7,42.0, 39.5	,,	
47.	कानदेवका गुडा	107	3	56.0,52,51.3	,,	
48.	पीपरदा	116	1	60	,,	60.5,57.5
49.	माना	78	8	59.8,45,54.8 49.2,43,45.5, 30.5	,,	
50.	ग्रमोली	128	3	40.1,52.4,30	,,	
51.	नाकली	131	2	38.3,36.6,	,,	
52.	साथना	134	3	39,34.6,43	,,	
53.	नोगवान	118	2	55.2,57.4,	,,	60
54.	पियावारी	32	3	48.5,60.5,60.5	,,	

1	2	3	4	5	6	7
55.	रूपाखेडा	37	2	36.5,38.5,	,,	
56.	माधुरी	12	2	47.5,47.9	,,	
57.	कानावाडा	13	2	46,44	,,	
58.	ग्रात्मा	58	4	38.7,62.5, 43,54.5	,,	
59.	नियारी	51	1	53	62	
60.	मावन टुकरा	9	2	54·5,53.0	59.5	
61.	मंदावरदा	7	1	57·4	57.3	
62.	दयाला	20	2	61,57.6	,,	
63.	तलाई	16	3	58,56.5,31	,,	
64.	बगाई	42	2	59.5,60.5	54.5	
65.	धूलियाना	39	1	51.5	49.5	
66.	खातमला	44	4	35.5,48,45.5,44·5	,,	
67.	जोधपुरा	25	2	60.5,60·5	,,	
68.	खातलिया खेडा	35	2	39,59.5	,,	
69.	सुनधारचा	35	2	65,45.5,26	,,	

तहसील नाथद्वारा

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं.	हैण्ड पम्पों की सं.	गहराई क्रमशः मीटर में	कार्य करने वाली एजेन्सी	ग्रसफल वोर की सं. व गहराई
1	2	3	4	5	6	7
1.	शिशोदाखुर्द	32	2	35,32	ड्रिलिग हैण्ड पम्प खण्ड उदयपुर	
2.	मोलेला	28	4	45,40,40,42		
3.	देलवाड़ा	184	4	43,43,46,42		
4.	शिशोदा कला	8	4	46,43,46,46,37·37		
5.	नागरा	ग्ररवन	4	46,43,46,46		
6.	कोठारिया	96	1	47		
7.	गांव गुडा	3	1	40		

1	2	3	4	5	6	7
8.	झालों का मदार	4	1	39		
9.	खमनोर	111	2	57,52		
10.	कटार	116	3	46,43,48		
11.	अटारिया	33	2	35,29		
12.	जमेला	92	2	46,30		
13.	रुपाजी का गुडा	124	1	50		
14.	अमराजी का गुडा	143	3	43,39,43		
15.	कुडरा	35	2	55,38		
16.	भूताला	154	3	46,39,46		
17.	नेतावली की भागल	155	3	45,40,43		
18.	हीरावतों का भागल	158	1			
19.	ब्राह्मनों की करीया	162	2	30,43		
20.	लोसोनिंग	163	2	45,46		
21.	नेगडिया	141	3	46·3,44·5, 43	मैसर्स आई. पी. आर. सी. सिकन्दराबाद	
22.	मोगाना	86	4	41·2,44·6,40, 35·3	,, ,,	
23.	देवपुर	88	4	34·0,38·1,39, 37·2		
24.	सोलर	85	4	35,35,33,40·9		
25.	तागडियान का गुडा	79	3	32,46·7,28		
26.	उथनोल	101	3	35·6,20·5,48·7,33		
27.	नामना	65	4	37,43·3,47·4,35		
28.	उसरवास	31	5	45·5,45·0,40·7,56·5, 56·5,55·8		
29.	गुन्जोल	50	2	43·5,60·5		
30.	उशान	166	6	60,50·6,60,47,59·6, 64		
31.	बलीचा	171	3	54·4,60·5,59·0		
32.	पारावाल	29	4	34·0,38·0,54·5, 48,43·5	मैसर्स आई. पी. आर.सी. सिकन्दराबाद	
33.	भेसा का मेर	10	1	60	51·4,51·4,40,57	
34.	सायक खेरा	6	7	58,51,59·0,57·8, 53·3, 64·3,52·7		

1	2	3	4	5	6
35.	बिजनोल	70	2	48,47·7,51	
36.	राथुजना	137	4	54·8,58·8,45, 60·5	
37.	पीपलवास	143	3	45·8,45·4,57	
38.	लालमदरी	127	4	57·5,55,55,45·5	6400
39.	रबच्छा	126	3	42,42,39·2,	50,57·6
40.	चिकलवास	7	3	54·0,59·7,52·5	
41.	दादवेल	9	3	50·6,59·7,58·5,	58·1
42.	मारका	5	2	63·4,59·5	
43.	कीयावास	72	2	47·0,47·0	
44.	मदलीयाना	89	5	50·0,37·0,47·0 46·5,38	
45.	जेताल	107	2	29·5,45	
46.	करोली की ढाणी	126	2	59·0,55	
47.	कालोडा	170	3	66,62,5,51·0	64·5
48.	बेबुन	88	4	54·5,64,66,64·5	
49.	फतेपुरा	21	3	62·0,50·5,54·5	60·00
50.	बेरन	196	3	45·3,28·2,54·8	
51.	सिसनी	140	2	54·3,57·4	
52.	गोदान	164	2	58·4,50·4	
53.	सेमा	25	3	53,57,60·7	
54.	बेरा भानूजा	16	7	60,48·3,41,54,50·6 45·8,42·7	
55.	कराई	18	5	46·3,61,68·5,58·7,40·6	
56.	सिरोदी की मागल		3	60,56·2,59·0	
57.	कुन्चोली	40	3	52,33·6,30·6	
58.	डुंगेला	105	2	57·5,60·5	
59.	उल्पुरा मेघरा	99	2	58,61·0	
60.	उथारडा	75	3	60,60,58	
61.	जेवाखेडा	74	2	56,57	
62.	बाजण्ड	133	2	61·0,46·2	
63.	पाखण्ड	80	7	46·3,58·6,55·5,59·0, 50·5,63·4,54·5	
64.	आकोदरा	81	4	39·5,59·5,55,51·0,	

(201)

1	2	3	4	5	6
65.	बामर्दी हीरा	61	3	59,51·5,45	
66.	कोसीवाद	11	2	44·5,57·5	
67.	छोटा मानूजा	15	3	48·5,44·5,43·5	
68.	सरसूनिया	110	2	60·2,50·2	
69.	पीपर	150	2	55·5,55·5	

तहसील :—वल्लभनगर

क्र.सं. 1	गांव का नाम 2	कोड सं. 3	हैण्ड पम्पों की सं. 4.	गहराई क्रमशः मीटर में 5	कार्य करने वाली एजेन्सी 6	असफल वोर की सं. व गहराई 7
1.	मीण्डर	अरबन	7	44·2,45·5,42.2 44.2,29.5,40,42	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प खण्ड उदयपुर	
2.	हमीरपुरा	122	2	40 41.5		
3.	पदमेला	130	1	30		
4.	पीपलपुरा	182	2	35,35		
5.	अरनिया	185	2	30,38		
6.	खण्डेरा	31	1	39	जिला खण्ड उदयपुर	
					मै. एच. आर. ट्रेडर्स भीलवाड़ा	
7.	सालेरा	101	7	54,41,54,51,26,39,35		
8.	पीण्डोरिया	72	1	36,	,,	
9.	अगोरिया	34	3	37,45,41	,,	
10.	अमरपुरा	267	1	26	,,	
11.	भोपा खेड़ा	123	2	54,57	,,	
12.	खारोडा	33	2	38,32	,,	
13.	खोखरवास	28	2	51.45	,,	
14.	कपारियोंकाखेड़ा	127	2	61,60	,,	
15.	शोपुरा	32	3	54,62,55	,,	
16.	बीकवानिया	236	1	38,	,,	
17.	कछेर	146	1	50	,,	
18.	मापुरा	254	1	48	,,	
19.	भीमा का खेड़ा	105	2	51,56	,,	
20.	वोर तलाई	164	2	41,58	,,	

1	2	3	4	5	6
21.	धावड़िया	145	3	50,42.56	जिला खण्ड उदयपुर मै. एच.आर. ट्रेडर्स भीलवाड़ा
22.	किया खेड़ा	96	2	35,46	
23.	नगलिया	142	1	61	,,
24.	उनाड़सिंह जी की वागल	137	1	52	,,
25.	सरवानिया	183	2	43,36	,,
26.	जोरजी का खेड़ा	27	1	75	,,
27.	कुणटत्रास	144	2	61,53	,,
28.	उम्मेदपुरा	167	2	49,47	,,
29.	गड़ी	170	1	48	,,
30.	असावड़ा	66	2	39,45	,,
31.	करनपुर	22	3	54,49,49	,,
32.	खेड़ी	47	1	57	,,
33.	गोटिया	20	4	44·5,42.5,33,42.5	मै. इण्डिया ट्यूब वैल सिकन्दरा
34.	पूरिया खेड़ी	3	2	20·5,43·5,	,,
35.	बाथेरा कलां	136	7	26·5,28,46,42·5,44·6, 50·3,53·7	,,
36.	लक्ष्मणपुर	54	2	30,37	,,
37.	माजवाड़ा	73	5	31·5,39·5,47,43 59	मै. इण्डिया ट्यूबवेल सिकन्दरावाद
38.	नान्दवेल	60	6	27,5,33·5,30,20,33	,,
39.	माण्डोसर	58	4	21,37·5,33·10,23	,,
40.	विचवाड़ा	55	3	42,50,32	,,
49.	अमरपुरा	87	7	30,33,33,27·4,36 37·8,53·5	,,
50.	मण्डरिया	56	2	25·5,42·5,	,,
51.	अडीण्डा	130	7	41·5,53·4,36·6 60·1,45,40,51	मै. गाउण्डर वौर वैल सलीम
52.	कुण्दाई	151	3	33,60·5,32·2	,,
53.	वनिया तालिया	207	2	31·5,44,	मै. आई. पी. आर. सी. सिकन्दरावाद
54.	बसदा		3	45·5,44·0,	मै. इण्डिया ट्यूब वैल सिकन्दरावाद

1	2	3	4	5	6
55.	भिण्डर		3	37·5,36,22·7	मै. इण्डिया ट्यूब वैल ,,
56.	कनोरी	95	4	34,30·5,32·5	सिकन्दराबाद
57.	नैनवाल	14	2	17·3,42,40	मै. राजन पाठी वी डब्ल्यू सलीम
58.	कीकावास	30	6	50,56,53,53,53,50	,,
59.	बाना	37	6	33.5,25,26,26,43·7,30	इण्डिया ट्यूब वैल सिकन्दराबाद
60.	बड़ोदिया	36	4	39·5,27·0,39·2	,,
61.	धमानिया	0	5	27,33,20·4,43·5, 42·2	मै. राजन पाठी वी.डब्ल्यू. सलीम
62.	बारगाठिया	100	5	49,51,47·95,56	,,
63.	जैलाई		2	56·5,42·5,30·7	,,
64.	मवनिया	80	2	44·7,30·2	,,
65.	लूडा	264	4	42·5,41,36·5,27	,,
66.	सांगोरामपुरा	193	3	45·5,50·4,46·7	,,
67.	गोपालपुरा	197	1	64·4,	,,
68.	अचलाना	195	2	44·7,34	,,
69.	केरपुरा	245	2	35·5,43·75,	,,
70.	सिर	246	2	47·5,44·5,	,,
71.	बाचेरी	74	5	33·3,54·8,45·5 51·7,45·15	मै. गाउण्डर वी. डब्ल्यू. सलीम
72.	मालकीटस	65	5	45·5,40,33·2,32·75,51·2	,,
73.	वगाद	84	3	47·4,56·0,30·5,	मै. राजन पाठी वी.डब्ल्यू सलीम
74.	संग्रामपुरा	266	3	45·3,40,34·6	,,
75.	मावली डांगियान	70	3	55·4,61,55·4	,,
76.	मागरी फाला	253	2	30·5,35·2	,,
77.	ढटी	103	6	34·5,32,28·7 39,31·5	मै. गाउण्डर वी डब्ल्यू सलीम
78.	बिमाड़ी	120	6	31·6,30,35·6,33, 35·2,35·5	,,
79.	मासिंग पुरा	132	2	23·6,42	मै, इण्डिया ट्यूबवैल सिकन्दराबाद
80.	राजपुरा	179	6	46·4,30·2,35, 41,40,44	

1	2	3	4	5	6
81.	खेता खेरा	175	2	39·4,44·1, मै. इण्डिया ट्यूब वेल सिकन्दराबाद	
82.	पनूड	233	4	35·5,41·7,41·4, 44·5 मै. गाउण्डर बी. डवल्यू. सलीम	
83.	टाक	67	1	41·7, ,,	
84.	सवाना	223	3	42·1,60,45 ,,	
85.	राचौतपुरा	26	2	20·7,57·2, ,,	
86.	रोहीखेरा	52	3	60,63·5,54·2 ,,	
87.	वारनी	97	5	48·3,40,44·3,50,45·4 ,,	
88.	बड़गांव	6	3	35·6,32·7,30·6	
89.	सीयाखेरी	17	2	38·8,35 ,,	
90.	मोरजाई	12	2	23·7,51·1 ,,	
91.	अकोला	200	3	49·1,47·8,41·6 ,,	55
92.	अखोघेरा	222	3	38·8,38·1,60·9 ,,	
93.	केदारिया	90	4	43,34·7,41,60·8 ,,	
94.	नरायनपुर	95	4	42·4,29,34·8,30 ,,	
95.	वलूथल	4	3	27·2,57·8,44·7 ,,	
96.	कलवाल	99	3	38·5,45,42·0 ,,	
97.	भूपासागर	131	1	39·5, ,,	54·8
98.	खाचर	146	3	45,46,41·3 मै. इण्डिया ट्यूब वेल सिकन्दराबाद	
99.	मटकाला	212	1	39·5 ,,	
100.	गोपुरा	63	1	39·5 ,,	
101.	घरोली	49	1	42·3 ,,	
102.	खर्चा	155	2	44·7,48, मै. आइ. पी. आर. सी. सिकन्दराबाद	
103.	रानिया	140	—	—	60·6,51·5

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्पों की सूची (जिला उदयपुर)

तहसील : गिर्वा

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	हैण्ड पम्पों की संख्या	गहराई क्रमशः 5 मीटर में	एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	सेठजी की कुण्डाल	74	3	24,28,31	खण्ड ड्रिलिंग एण्ड हैण्ड पम्प उदयपुर
2.	सवीना खेडा	72	2	30,32	
3.	चासंदा	149	3	30,30,32	
4.	पातु खेडा	205	1	33	
5.	वेदला	सिटी	1	41	
6.	गुडली	173	2	47,40	
7.	कुरावड	178	3	47,42,33	
8.	लखावली	28	2	43,46	
9.	कूर	32	1	40	
10.	लकडवास	56	1	38	
11.	उदयपुर सिटी	अरबन	19	47,38,11,42,12 40,40,37,45,18,41 43,43,46,31,	
12.	मदार	4	7	37,45,47,50,43, 50,40,50,37,35,	
13.	लोयरा	33	4	35,24,30,29,	
14.	सुखेर	40,2	42,40		
15.	ढीकली	44	6	45,45,42,47,45,45	
16.	भीलों की वेदला	27	2	43,30	
17.	वेडवास रुरल	65ए	1	50	
18.	तीतरी	72	2	51,50	
19.	मदून	61	4	29,28,38,30	
20.	हवाला कल	76	3	31,30,30	
21.	कोडीयान	92	1	40	

1	2	3	4	5	6
22.	डोडालली	100	4	43,45,40,46	खण्ड ड्रिलिंग एण्ड
23.	करनाली	101	2	40,46	हैण्ड पम्प उदयपुर
24.	सुराना	102	2	43,43	
25.	मादडी	104	1	45	
26.	ब्यावर	105	3	43,43,40	
27.	वारी		5	36·5,44·0,26·5, 16·0,29·0	मै. एच. ग्रार ट्रेडर्स भीलवाडा
28.	वालीचा		4	46·0,45·0, 45·0,46·0	मै. भागीरथ वी. डब्ल्यू. हैदराबाद
29.	बालोचा		3	60,40,37	,,
30.	गोरधन विलास		4	44·5,45,47·5,46	,,
31.	नाया खेड़ा		5	46·5,44,44·2,44 46·5	,,
32.	छोटी उन्दरी				
33.	बड़ी उन्दरी		5	43·7,52,45·4,63, 49·3	,,
34.	बूटाला		2	36,36·5,	मै. एच. ग्रार. ट्रेडर्स भीलवाडा
35.	काबीजा		4	55·5,44·6,59·5,39·5	,,
36.	सारी		5	67,67,47,64,65·5	,,
37.	पीपलावास		2	49,55	मै. भागीरथ वी. डब्ल्यू. हैदराबाद
38.	ग्रलसीगढ		8	47,55·2,47·3,49·4,55·5,, 53·5,49·3,57	
39.	भायाँन की पंचोली		3	43·5,51,45·7	,,
40.	डांगियान की पंचोली		4	50·5,52·5,59·3,32·3	,,
41.	ग्वाला		1	43·2,	,,
42.	केशदा काला खुर्द		4	53,57,40·0,47·2	,,
43.	फान्दा		2	50·3,59·4	,,
44.	रामा		3	54·8,54·0,60·9	,,
45.	मुनवास		3	54·2,54·2,46·7,45·7	,,
46.	कमारियान का वकलां		4	50·55,60·4,30·9,40·8	,,
47.	बोरी कुग्रा		3	45·7,46,42·7	,,
48.	गाजिया		2	60·9,48·7	,,
49.	शिशवी		6	66·1,45·7,45·7,45·7,45·7 51·7	,,
50.	बरोडिया		2	63·9,50·4	मै. ग्राई पी ग्रार सिकन्दराबाद

1	2	3	4	5	6	7
51.	झोंझोली		2	59.64, 50.80	मै. आई. पी. आर सिकन्दराबाद	
52.	ढीकली		2	51.8, 39.9	,,	
53.	कैलाशपुरी		3	54.5, 44.9, 45.5	,,	
54.	कारगट		3	30.0, 47.2, 40.10	मै. भागीरथ, बी. डब्ल्यू. हैदराबाद	
55.	भूटियां		3	40, 44, 48.10	,,	
56.	जूदो		2	44.5, 35.3	,,	
57.	लालपुरा		3	65.6, 59.0, 40.5	,,	
58.	रामजा		1	51	,,	
59.	दातीसर		2	56, 40	,,	
60.	रोडा		2	50.4, 49	,,	
61.	खेडी		1	51.00	,,	

तहसील : लसाडीया

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं.	हैण्ड पम्पों की सं.	गहराई क्रमशः मीटर में	कार्य करने वाली एजेन्सी	असफल बोर की सं. व गहराई
1	2	3	4	5	6	7
1.	मानपुर	199	2	18	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प खण्ड उदयपुर	
2.	आड	219	4			
3.	कुण	61	5	33, 77, 35, 33, 33		
4.	भोजपुर	112	3	43, 55, 39	जिला खण्ड उदयपुर	
5.	उत्तान	201	2	34, 55	मै. एच. आर. ट्रेडर्स भीलवाड़ा	
6.	बूजोन का पडला	171	2	33,21	,,	
7.	नालवा	130	6	42, 34, 46, 30, 39,46	,,	
8.	जूना बोलिया	230	2	39, 50	,,	
9.	पीपालिया	247	7	33, 53, 61, 56, 31, 30, 59	,,	
10.	रायपुर	133	1	33	,,	
11.	चारनीया कालीकाकर	167	1	54	मै. कालूराम राम-सुख भीलवाड़ा	
12.	गड़वास	142	2	41 34	,,	

(208)

1	2	3	4	5	6	7
13.	गरडा	132	3	42, 32, 23	मै. कालूराम राम-सुख भीलवाड़ा	
14.	अरबडा	195	2	34, 60	,,	
15.	माना गांव	166	2	46, 33	,,	
16.	विकरूम	134	2	49, 53	,,	
17.	देवलिया	73	3	53, 43, 40	,,	
18.	मुंगाना	216	4	36, 30, 24, 36	,,	
19.	गाडरियावास		3	29.4, 30, 35.4	मै. आई पी आर सी सीकन्दर	
20.	बान्दाला		3	42.0, 44, 24	,,	
21.	मुनिया		3	46, 39.0, 22	,,	
22.	लाकु का सिवा		2	36.5, 36.5	,,	
23.	भाव		4	34.0, 32.0, 36.0, 30.1	,,	
24.	सारां जी का खेड़ा		2	43, 42	,,	
25.	हजारी गुडा		4	32.7, 26.5, 31.3	,,	
26.	घोठारा		3	33.6, 34.1, 33.1	,,	
27.	सकरकन्द		3	30.5, 46.0, 30	,,	
28.	सियाद		5	37.5, 34.2, 20	,,	
				41.5, 46	,,	
29.	टाटाकिया		2	40, 41.5	,,	
30.	विजानिया		3	35, 27, 25.0	,,	
31.	जाडोली		3	34.9, 33.1, 43.5	,,	
32.	भारकुयी		4	46.4, 37.0, 46.3, 41	,,	
33.	पाहेरा		5	40, 43.2, 51,	,,	
				49.7, 47.7	,,	
34.	घाटा		3	32, 43, 33	,,	

तहसील : कोटरा

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं.	हैण्ड पम्पों की सं.	गहराई क्रमश: मीटर में	कार्य करने वाली एजेन्सी	असफल बोर की सं. व गहराई
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुलव	157	3	37.7, 32.7, 29.7	मै. आई. पी. आर. सी. सिकन्दराबाद	
2.	विकारनी	56	3	54.0, 43.3, 50.0	,,	
3.	कागवास	181	2	37.8, 40.0	,,	

1	2	3	4	5	6	7
4.	जुड़ा	193	1	53.1		
5.	आजनी	117	2	35.9, 32.0		
6.	भाखेल	176	2	40.4, 35.6		
7.	मेहाड़	192	2	35.3, 58.3		
8.	मामेर	287	4	56.4, 45.5, 50.4, 45.6		
9.	गुडा	242	2	47.6, 58.0		
10.	सारा	269	1	53.0		
11.	मलवा का चौराया	27	3	45.7, 37.7, 37		
12.	गोगरूड	55	4	30.0, 48.1, 27.7, 37		
13.	घाटा	54	1	58.4		
14.	पीपला	68	2	45.5, 47.3		
15.	ताजका वास	39	1	53.5		
16.	पदवी कलाँ	85	2	40, 48		
17.	समीणा	123	3	49, 50.5, 41		
18.	थेप	179	2	39.7, 61.6	मै. गोउंडर बी. डब्लू सालेम	
19.	कोटरा	234	2	39.7, 46.1		
20.	कियारी	–	–	–	मै. आई. पी. आर. सी. सिकन्दरावाद 63.5, 52.7, 57.8	

तहसील : सलूम्बर

1	2	3	4	5	6	7
1.	सलुम्बर	अरवन	4	32, 29, 29, 29	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प खण्ड उदयपुर	
2.	भलारा	130	3	40, 40, 50		
3.	वामनिया	147	2	43, 45		
4.	डगोर	32	3	45, 45, 40. 43		
5.	करावली	32	3	40, 40, 40		
6.	दोलपुरा	37	1	40		
7.	खेराड़	56	2	46, 43		
8.	तुलवों का नामला	51	1	35		
9.	वस्ही सागवात		4	46.2, 46.5, 46.0, 44.0	मै. आई पी आर सी सिकन्दरावाद	

1	2	3	4	5	6	7
10.	बसीटर सामदीयत		3	26.5. 47.0, 45.7 मं.		आईजीआरसी सिकन्दराबाद
11.	माण्डली		3	44.2, 46.1, 46.5		,,
12.	माटा सूलाव		3	41.0, 43.5, 44.5		,,
13.	साजनोत		3	41.0, 42.5, 30.0		,,
14.	बौरी		3	39.0, 59.5, 39.5		,,
15.	हारमिटिया		3	37.5. 42,5, 30.0		,,
16.	पायरा		4	34.2, 49.0, 41.0, 36.4		,,
17.	काराकाली		3	60.2, 50.0, 46.0		,,
18.	लोडा		4	30.0, 41.0, 44.0, 46.5		,,
19.	डाटानरी		3	41.6, 54.5, 46.1		,,
20.	ईशरवास देवियान		4	52.0, 60.0, 36.0, 50.0		,,
21.	जैलावत कलान		4	41.0, 45.0, 36.5, 29.0		,,
22.	मानपुर		2	27.5, 44.0		,,
23.	कोलरी		5	36.4 40.0, 35.0, 51,1, 34.5		,,
24.	शेषपुरा		4	32.0, 30.0 30.0, 44.5		,,
25.	जोंतपुरा		2	41.2, 60.3		,,
26.	आईडीना		4	55.3, 41.0, 59.3, 53.9		,,
27.	काण्ट		4	55.0, 53.5, 36.3, 51.6		,,
28.	मकरीमा		1	34.5		,,
29.	उ.म.दरा		4	41.5, 42.5, 51.0, 56.0		,,
30.	गुड़		4	34.2, 35.0, 31.0, 53.0		,,
31.	राण्डीला		3	40.1, 44.3, 37.6		,,
32.	कुण्डली		3	36.0, 29.8, 38.1		,,
33.	नौली		5	39.8, 31.0, 39.3, 44.7, 29.5		,,
34.	पारोडा		3	47.1, 40.5, 45·5 मं.		आईजीआरसी सिकन्दराबाद
35.	काराकोलान		3	49.0, 49·1, 52.0		,,
36,	ढोलीगढ़ खेड़ा		3	37.5, 27.5, 47.4		,,
37.	मानपुर		6	32.5, 45.2, 44.0, 30.0, 58.2		
38.	मूडाल		5	49.0, 49.0, 42.0, 30.0, 37.9		
39.	ठर्रा		4	40.0, 44.0, 46.5 34.5		,,
40.	थारोड़ा		3	26.0, 28.5, 30.5		,,
41.	लाकापा		3	41.5. 35.7, 32.0		,,

1	2	3	4	5	6
42.	वस्सीतर सामजोत	2	24·0,48·2,		मै. ग्राई. पी.ग्रार. सी.
43.	मिथुड़ी	1	42·0		सिकन्दराबाद
44.	वस्सीतर भुभावत	2	44·1,30·0		,,
45.	गुरेल	2	41·0,36·0		,,
46.	मकरसीमा	1	39·0		,,
47.	काडुनी	2	44·7,25·0		,,
48.	मोरिला	3	44·0,42·7,42·5		,,
49.	बेरावाल	4	59·0,52·4,63·3,56·7		,,
50.	नीमबोरा	2	20·5,31·5		,,
51.	ग्रमालवा	4	62·0,57·2,58·0		,,
52.	गाटार	3	63·0,62·0,58·1		,,
53.	तालाव	1	46·5		,,

तहसील : फलासिया

1	2	3	4	5	6	7
1.	मादडी	195	5	37,37,37,37	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प खण्ड उदयपुर	
2.	गोराणा	84	4	34,38,30,35		
3.	मगवास	119	5	33,33,30,35		
4.	वाढा	120	7	30,30,30,30, 31,26,32		
5.	कोठयारी	161	5	33,40,33,35,30		
6.	विडिवाडा	193	5	35,31,23,31,31		
7.	भाडोल	69	1	38		
8.	ग्रोगणा	24	6	40,40,40,40,40,35		
9.	ग्रमरा	224	2	25,26		
10.	गुरड	183	1	35		
11.	फलासिया	209	9	30,30,30,30,30, 30,30,30,30		
12.	बागपुरा	147	7	40·1,40,50,45·1, 37,49,48	मैसर्स गाउन्डर वी०डब्लू, सालेम	
13.	खाटी कामली	205	3	45·0,52,70·7,		
14.	गोरन	196	4	49,39·6,45·5,41		

(212)

1	2	3	4	5	6
15.	रेचावर	202	3	49·7,43·2,48·2	
16.	बोरोलिा	213	3	51·0,54·6,60	
17.	सालना	131	3	39·0,45·7,46·4,	
18.	देवास	14	2	57·6,40·2	
19.	तुमदार	169	3	27·7,46,7,31·5	
20.	गोडाना	74	5	46·5,37·2,47·5,40·4,47	
21.	वेदारना	56	4	50·2,37·8,53,40·8	
22.	गुगेला	75	5	51·0,45·7,45·8,46,58·5,	
23.	ब्रहमन का खेरवाडा	63	3	46,43·4,40·3	
24.	खेराडिया	152	3	32·0,39·0,46·5	
25.	खंथारिया	150	7	55,30,41·4,36·0,19·5, 19·7,44	
26.	लूनावतान का क्षेडा	149	3	49,40·3,36·4	
27.	कोचला	122	4	21·0,46·0,59·0,37·5	
28.	दामना	118	5	60,39,43·5,47,43·5	
29.	सारे	211	2	46,5,34·5,44	
30.	उपली सिगारी	248	3	31·5,33·5,59,0	
31.	कारेल	244	6	41,30,5,30·5,44,21.5, 36·0	
32.	सोम	243	4	27·5,27·5,24·5, 24·5	
33.	भन्टी	246	3	31,31,33·5	
34.	गारानवास	239	4	61,37·5,37·5,33·5	
35.	थोववारा	79	3	37·5,33·5,33·5	

तहसील : खेरवाडा

1	2	3	4	5	6	7
1.	माकडजपा	65	2	48,42	ड्रिलिंग हैण्ड	
2.	डेरी	89	3	32,32,32	पम्प खण्ड उदयपुर	
3.	खाण्डीयावाडा	99	1	32	,,	
4.	रोकिया	170	1	34	,,	
5.	मोवली	175	3	43,35,37	,,	

1	2	3	4	5	6
6.	खूटा नोरा	70	2	35,32	ड्रिलिग हैण्ड पम्प
7.	ईटावा	109	1	32	खण्ड उदयपुर
8.	जुवारका	116	3	30,32,32	,,
9.	निवलाफला	139	1	43	,,
10.	महूदडा	170	3	32,32,32	,,
11.	गरनाला	190	4	35,40,35,32	,,
12.	महूदडा	215	2	32,32	,,
13.	पाहाडा	93	2	35,38	,,
14.	वायरी	149	6	35,35,33,35,40,40	,,
15.	ग्रोडवास	206	4	35,35,40,40	,,
16.	कनबई	135	1	25	,,
17.	नयागांव	144	1	25	,,
18.	पहाडा	234	1	40	,,
19.	मसरी की ग्रोबरी	205	5	45,45,42,45,37	,,
20.	खाण्डी ग्रोबरी	194	2	42,42	,,
21.	ढेलाना	218	2	45,45	,,
22.	कटेव	230	3	42,42,48	,,
23.	पाडीयावाडा	232	2	40,41	,,
24.	मून्दवाड़ा	182	2	48,45	,,
25.	कारावाड़ा	106	7	45,37,46,29,24 30,27	मै. एच. ग्रार. ट्रेडर्स. भीलवाड़ा
26.	खारडीवाडा	95	4	28,36,46,37,	,,
27.	बंजरवाड़ा	105	4	23,30,23,25	,,
28.	सारीरा	110	4	36,35,38,36	,,
29.	महुग्रा	138	4	48,54,44,42	,,
30.	ढानोल	155	3	33,33,29	,,
31.	मिथी माहुदी	156	3	32,36,33	,,
32.	ग्रंसारोवाड़ा	102	4	23,26,28,30	,,
33.	सुखलाल	141	1	29·0	,,
34.	बंजारिया	178	4	32·8,44·5,35·0,52·8	,,
35.	लारेथी	73	2	24·0,28·2	,,
36.	जवास	76	3	18.7,19·8,24·4	,,
37.	कानपुर	127	3	29·2,32·5,31·5	,,
38.	भागोरपाडा	126	2	26·5,32·3	,,

1	2	3	4	5	6
39.	पाडेरी	57	4	30·5,40 5,41·0,36·0	
				मै. आई पी आरसी सिकन्दराबाद	
40.	काजावाड़	55	5	44·5.48·0,47·0,47·2,39·0	
41.	मुलाई	83	2	35·0,43·0.	585
42.	सारोली	50	3	37·0,35·6,30·5	,,
43.	बावलवाड़ा	42	5	45·5,40·0,48·8, 54·7,59·5	60
44.	नावगरा	27	3	47·0,35·8,58·5,	,,
45.	पीपली	60	4	30·0,32·9,34·0,47·0	,,
46.	उखमाना कोटरा	189	5	33·3,53·0,41·0,33.3,55·5	
				मै. गाउण्डर बी डब्ल्यू सालेम	
47.	बिबवाड़ा	208	4	42·0,39·6,54·5,40·5	,,
48.	चौराई	207	4	62·3,53·0,54·0,53·0	,,
49.	राजौल	212	4	54·0,41·5,29·5,29·0	29·00
50.	गुमानपुरा	223	4	45·0.49·2,48·0,29·5	61·80
51.	डीपुर	224	3	46·0,53·4,52·3	,,
52.	काराण्डवाड़ा	197	1	30·5	,,
53.	बारनोला	202	4	32·6,36·0,45·7,35·5	,,
54.	थाना	100	4	33·3,45·0,38·3,30·0	,,
				मै. गाउण्डर बी डब्ल्यू सालीम	
55.	कारजी	210	1	53·5	,,
56.	गडावत गोरिम्बा	186	5	46·4,38·5,46·2,39·5,38·5	
				मै. आइ पी आरसी सिकन्दराबाद	
57.	केलावत फाला	63	4	46·2,36·7,44·5,35·0,	,,
58.	कोकावाडन का फाला	187	5	50·2,32·5,43·0,49·5 33·3	57·4
59.	नीचला तालाव	28	2	37·8,34·0	,,
60.	काटारवास काला	33	3	41·5,43·0,37·5	,,
61.	सोमवातन का फाला	62	7	45,44·5,44·7,33 7, 41·5,37·0	,,
62.	काटवी	31	1	36	,,
63.	गगरा	2	1	43·5	,,
64.	बारोटी ब्राह्मण	39	5	47·0,46·4,39·8,61·5,45·0	
65.	कटार	9	1	53·0	,,
66.	चीकला	67	3	55·0,52·2,57·0	,,

1	2	3	4	5	6
67.	थापडावाडी	72	2	41·5,42·0	,,
68.	पीपली (ए)	59	5	47·0,36·0,32·0,35·5,34·0	
69.	जालपाका	10	2	36·2,40·0	,,

तहसील : मावली

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं. संख्या	हैण्ड.पम्प	गहराई क्रमशः मीटर में	कार्य करने वाली एजेन्सी	असफल बोर की संख्या व गहराई
1	2	3	4	5	6	7
1.	मावली	56	2	50	ड्रिलिंग हैण्ड पम्प	
2.	पलाना खुर्द	11	3	52,52,30	खण्ड उदयपुर	
3.	देवाली	95	3	45,47,45		
4.	थामला	17	3	50,57		
5.	बागरोदा	116	2	42,50		
6.	नूरडा	65	6	50,45,50,50,45,55		
7.	खाखाडा का गुडा	71	2	13,40		
8.	मानकिया बास	72	3	45,55,50		
9.	गुण्डोली	76	4	52,47,50		
10.	दूधालिया	132	2	40		
11.	बूढडिया	140	7	47,50,50,50,47 39,42		
12.	फतहनगर	40	1	52		
13.	गडबा	88	1	24		
14.	डबोक	98	1	50		
15.	मेरला	91	2	42,60		
16.	आसना	94	5	30,36,39·5, 39·5,23·5,	मै.एस०आर ट्रेडर्स भीलवाड़ा	
17.	नन्दवेल	97	5	46,24·2,27, 23·5,20	,,	
18.	भीमल	102	4	36·75,36·75, 39·8.20·2	,,	
19.	गनोली	100	4	37,30,22·4, 43·5	,,	
20.	डंगीखेरा	54	2	36·6,42·9,	,,	
21.	बीदगास	53	2	53,49·5	,,	

1	2	3	4	5		6
22.	छीपीखेरा	132	3	23,26·5,21·3	मै. एस.आर. ट्रेडर्स	
23.	बीशनपुरा	51	2	27,26	भीलवाड़ा	
24.	विधांलिया	76	5	30,40,43·5,54, 50	,,	54
25.	संगवा	77	8	54,57·5,29·3, 54·4,30,41·5, 45,39·5,	,,	
26.	वासनीकला	42	3	39,39·5,26·5,	,,	
27.	लाडनी	136	2	60·5,59		52,66,47,66
28.	लाडना	50	2	40,60	,,	
29.	ओरडी	89	4	23·5,36·6,38,56	,,	
30.	फलीचारा		2	25,52·3	,,	
31.	मावली	56	4	52·5,60,57,44·5	,,	
32.	खरताना	34	8	41,43·5.53,33,52·7, 48·5,29,30·5	,,	
33.	वासलीया	61	3	42,67,61·2	,,	
34.	वोयाना	108	3	49,63,54	,,	
35.	वासनी खुर्द	49	5	38·0,47·5,36,45 41·6	,,	
36.	घानेरिया	32	4	32·7,66·5,71,63,	,,	47·5
37.	खेमपुरा	125	5	39,39,53,47·5,47	,,	
38.	धरना	124	1	26,	,,	
39.	राथना	63	2	50,50·2	,,	61,62
40.	धाऊली	45	3	55,30.37	,,	50·4
41.	सवानिया	47	3	35·3,39·7,37·5	मै. कालूराम रामसुख भीलवाड़ा	
42.	मेराठ	35	2	50·4,50·5	,,	59·2 41·5
43.	राखवाल	75	2	32·1,40	,,	53·6
44.	कुंछोली	26	3	54·3,51·6,53·7	,,	46·6
45.	वीकारनी	80	2	44,40·3	,,	
46.	फलीचारा		6	44·5,44·0,47·7, 57·2,44.31·8	,,	
47.	बरीयार	130	5	50·2,41·5,42·2 44·2,41·4	,,	

1	2	3	4	5	6
48.	सालेरा खुर्द		3	44·5,44·5,53	मै. कालूराम
49.	मादरी सोलानीकयान	112	2	63,67	रामसुख भीलवाड़ा
50.	आमली		3	43·3,42,42·5	,,
51.	ओडवालिया	85	3	51·7,50·5,59	,, 62
52.	तुलसीदासजी का सराय	87	3	53,56·8,52·9	,,
53.	गोलवाडा		3	52·3,58·5,30·5	,,
54.	भारोडी	15	1	50·7	,, 58·4
55.	वारनी	16	2	50,44	,,
56.	वंसौल खेरा	6	4	57,39·0,44·2,40	,,
57.	नीमरी		2	41·2,50·4	,, 60
58.	धोली मगरी	69	4	42,50·4,47,56	,,
59.	डूंगरकीया		1	40	,, 61
60.	पीपरोली	64	3	62·7,52·5,46	,,
61.	भंसोल	1	1	56·7	,,
62.	वारगांव	134	2	57,57	,, 56,57·5
63.	होली		2	20,31·5	मै०एच०आर ट्रेडर्स भीलवाड़ा
64.	चूरावंट धेरी	–	–	–	,, 60·0, 67·5

उदयपुर नगर :

सफल

क. सं.	हैण्ड पम्पों की संख्या	गहराई क्रमशः मीटर में	कार्य करने वाली एजेन्सी का नाम
1	2	3	4
1.	116	37·4, 15,26,56,41·8,54·3,60,30,43·25, 42·25, 39, 55, 22, 45, 42·5, 47, 51·80, 39·60, 36, 47, 45, 57, 33, 48,46, 51·70 40·50, 36·5, 36·6, 43·25, 45, 60,42,44. 60, 52·70, 42·70, 50·33, 55, 55·4, 24, 45, 33, 40, 52, 48·9, 57·8, 33·6, 60·4	1. राजस्थान वाटर डवलमेन्ट उदयपुर 2. कालूराम रामसुख भीलवाड़ा

1	2	3	4
	45·7, 45·3, 30·7, 20, 54, 54, 54·10, 47·9, 45·6, 34·05, 28·7, 52, 32·5, 45, 33, 36, 32·0, 39·7, 42·7, 31·4, 59·2, 49. 27, 60, 28·5, 55, 45, 59·05, 26, 30·7, 50·7, 21·5. 38, 10, 51, 47·7, 60·3, 24·65, 36·5, 41·9, 36, 29, 30, 46, 54·05, 59·2, 56·00, 29·25, 55·7, 44·2, 35·5, 60·35, 42, 42·60, 30·10, 60·35, 46·3, 60·05, 55·75, 45·7, 51·5, 45·7, 35·55, 51·75, 74·35, 42·65		3 एच. ग्रार. ट्रेडर्स भीलवाड़ा 4. ग्राई. पी. ग्रार सी. सीकन्दराबाद

क्र. सं.	ग्रसफल हैण्ड पम्पों की सं.	गहराई क्रमशः मीटर में
2	8	63, 46·5, 64·4, 60·05, 51·0, 60, 40·7, 52

भाग 2 की सूची

उदयपुर जिले में सुत्रानुसार कार्यरत विभागीय रिगों का विवरण

वर्ष/माह	80–81	81–82	82–83
जनवरी	–	2	3
फरवरी	–	2	3
मार्च	–	6	3
ग्रप्रैल	–	3	4
मई	–	2	10
जून	1	4	10
जुलाई	1	4	12
ग्रगस्त	3	3	11
सितम्बर	3	4	–
ग्रक्टूबर	4	3	–
नवम्बर	3	1	–
दिसम्बर	2	3	–
ड्रिल माह	17	37	56
कुल ड्रिल माह	110		

ठेके की शर्तों की प्रतिलिपि

THE TERMS AND CONDITIONS APPROVED FOR ALLOTTING HAND PUMP DRILLING WORK AND HAND PUMP INSTALLATION TO PRIVATE PARTIES ON UNIFORM RATES :

1. The rate of drilling in all type of rock to remain as Rs. 240/- per meter for 100 mm dia bore.

2. The rates for drilling in alluviam (All type soil strata) for first 10 meter depth including casing pipe was agreed to be reduced to Rs. 150/- per meter from previously negotiated rate of Rs. 175/- per meter. However the rate for drilling in alluvium (all type soils) beyond 10 meter depth was agreed to remain same as Rs. 175/- per meter including casing pipe.

3. The rates for construction of plateform, Sock-pits, and other Civil Engineering works was again agreed as 50% above B. S. R. rates for the purpese of the concerning distt., as applicable on 1.9.80.

4. The rates for installation of India Mark-II Hand Pump (to be supplied by the department) to remein as Rs. 145/- per hand pump as already negotiated.

5. The casing pipe and G. I. Pipe etc. as per relevant ISS was agreed to be provided by the contractors for which payment will be made to him as per earlier negotiated rates of Rs. 30/- per meter.

6. The contractor will shift his drilling unit free of cost if the distance between the two drilling points is less than 15 K. Meter. However a rate of Rs. 5/- per K. M. will be paid for the Addl. distance between the two points beyond 15 K. M. by the department.

7. No price escalation will be applicable on the quoted rates upto 31st March, 1981 and for increase in consumer price index upto 10%. The position will be reviewed in April & October every year. The base price level shall be as that existed on 1.9.80. The formula as given in the recommendation of seminar held in S. I. P. A. on contract agreement

for Civil Engineering Works (Under New clause-45) shall be applicable and 60% neutralization as recommended there in will be allowed. The formula is as reproduced below :—

$$V = \frac{60}{100} \times \frac{R(I-IO)}{IO}$$

Where—

V = Compensation payable in Rupees.

R = Value of work done during the six months under consideration.

I = All India consumers price Index (Number for Industrial workers in 6 months under consideration).

IO = All India consumer Price Index (Number for Industrial workers on 1.9.80).

8. The payment for drilling of tube wells and installations of Hand Pumps on its comletion commissioning and satisfactory field testing as per IS : 2600 (Part-I, II) 1979 will be made monthly on presentation of bill by the contractor for the commissioned points and no running payments for tube wells drilled shall be given. The security deposit of these commissioned points will be refundable after expiry of four months from the date of commissioning of water supply. No payment for unsuccessful bore shall be admissible.

9. The area of allotment of work will be as per names of the districts conveyed by the contractors in writing in negotiated offers which are shown below in table.

10. The supply of India Mark-II hand pump shall be made by the deptt., at Divl./Distt. H. Q. aud contractors shall transport them to site at their level.

11. The work will be allotted to individual contractor as per the capacity indicated below in proportion to the actual number of hand pumps that may be required to be carried out each year. That the actual number of hand pumps to be carried out be determined by the Chief Engineer, each year & its distribution will be decided by him amonget the following contractors :—

APPROX CAPACITY ASSESMENT

S. No.	Name of Contractor	1980-81 half year upto March 31st. 81.	1981-82 (Twelve months excluding rainy seasons).	1982-13	Distt. in which firm is interested to work
1	2	3	4	5	6
1.	M/s. Kaluram Ramsukh & Sons, Bhilwara (Raj:)	$\frac{800}{2}$ = 400	1800	2000	Udaipur, Chittorgarh, Bhilwara, Ajmer, Tonk, Kota, Banswara, Pali, Nagaur.
2.	M/s. H. R. Traders Bhilwara (Raj.)	$\frac{600}{2}$ = 200	1500	2000	Udaipur, Chittorgarh, Bhilwara, Ajmer, Tonk, Nagour, Basnwara Kota, S.Madhopur
3.	M/s. Marathwada Boring Co., Jalan Dist. Aurangabad (Maharashtra)	$\frac{800}{2}$ = 400	2000	2000	Udaipur, Chittorgarh, Bhilwara, Ajmer, Tonk, Kota. Nagaur, Pali, Banswara.
4.	M/s. General Agencies & Suppliers, Bhilwara.	$\frac{800}{2}$ = 400	1200	2000	Ajmer, Bhilwara Chittorgarh, Udaipur, Banswara.
5.	M/s. Permanand Agrawal, Baran, Distt. Kota.	200	200	300	Kota, Bundi, Jhalawar.
6.	M/s. Jeewandhara Boring Co., Kota.	70	140	200	Kota, Bundi, Ajmer.
7.	M/s. Hanuman Tube Well, Jaipur.	1200	1500	2000	Jaipur, Sikar, Jhunjhunu, Bharatpur, Nagaur, Tonk, Ajmer, S. Madhopur.
8.	M/s. Ganesh Machinery Stores, Baran, Distt. Kota.	150	200	300	Kota, Bundi, Jhalawar.

1	2	3	4	5	6
9.	M/s. Bhagwan Boring Co., Kota.	70	140	200	Kota, Bundi Jhalawar.
10.	M/s. Anandilal Thekadar, Jaipur.	75-100	500	1000	Jaipur, Sikar, Jhunjhunu.
11.	M/s. Allied Sales Agencies, Jaipur,	125	300	600	Jaipur, Tonk, S. Madhopur, Alwar, Bharat-pur, Pali.
12.	M/s. Jairamji Bhai, Kanji Bhai Verdia, Distt. Amrali (Gujrat)	70	200	250	Pali, Kota, Jodhpur, Bundi, Ajmer, Jhalawar.

F From the agreed quantity each year the variation can be 20% The agreement in the first year will be entered immediately and for the subsequent years, immediately after the number of hand pumps in that year is decided.

12. The General Condition of the standard agreement Form the (Appendix XI PWFAR) in respect of timely completion of work and imposition of penalty will be applicable.

13. The above agreement with the above contractors will remain in force for three years from September, 1 '1980 but work order will be issued periodically taking into account the availability of budget and subject to administrative, financial sanction of work from competant authority.

14. The contractors who come for negotiation in Chief Engineers and Chairman RWSSMB office shall continue to be allotted works in the districts and the area already indicated by them, From the sanctioned work load of the year after deleting the capacity of the departmental rigs the department, will allot the work to the contractor mentioned above and other

agencies would be employed only after the work is left belong the capacity of the said contractors. In case the quantom of sanctioned work is below the capacity as shown by the contractors the work can be allotted to those contractors in other area with mutual consent as per decision of Chief Engineer.

15. The department will recommend to the concerned authorities for issue of permit of the controlled items like diesel, Cement, Lubricant etc. for bonafied use of work but the supply is not guaranteed by the department.

16. No payment for unsuccessful bore holes shall be admissible without prior approval of the Chief Engineer.

———

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में सामान की खरीद में कथित अनियमितता

211. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष अगस्त माह में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में खरीददारी करने में बिलों में काट-छांट कर हजारों रुपयों का आर्थिक भुगतान का तथ्य सामने आया था ?

(2) क्या यह सही है कि प्रशिक्षण संस्थान हेतु खरीदा गया माल संस्थान के स्टोर में नहीं पहुंचने के बावजूद उसकी प्राप्ति का प्रमाणीकरण किया जाकर चुकारा करा दिया जाता था ?

(3) क्या इन तथ्यों के सामने आने पर इस संस्थान में प्राप्त सामान का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखे ।

(4) अभी तक की जांच से बिलों की काट-छांट से कितना चुकारा अधिक हुआ है ? कृपया उसका विवरण भी सदन के पटल पर रखें ।

(5) इस सारी अनियमितता के लिए कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) जी हां विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अधिक भुगतान के आंकड़ों का पता लग सकेगा ।

(2) प्रारम्भिक जांच के अनुसार खरीदा हुआ माल भण्डार-पंजिका में अंकित पाया गया । जहां तक चुकारे का प्रश्न है इसकी जांच की जा रही है ।

(3) जी हां । भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट अपेक्षित है तथा आंशिक सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत है :

(4) कुछ बिलों की काट-छांट में जो जो गलती पाई गई है उसकी सूची प्रस्तुत है ।

(5) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा । स्टोर-कीपर को इस कार्य से हटा दिया गया है ।

आंशिक भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट

इस निरीक्षण दल द्वारा संस्थान के भण्डार गेप्स औषद्यालय के सामान का आंशिक प्रत्यक्ष सत्यापन लगभग 14 प्रतिशत तक किया गया था। इस सत्यापन पर रुपये 445·50 के मूल्य का सामान अधिक पाया गया उसे भण्डार-पंजिकाओं में जमा किया गया। इसके अलावा रुपये 3,192·50 के मूल्य का सामान कम पाया गया जिसकी क्षतिपूर्ति क्रय मूल्य या वर्तमान बाजार भाव, जो भी अधिक हो, के आधार पर वसूल कर की जावें।

बिलों में काट-छांट का विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	बिल का नम्बर व तारीख	बिल की कारबन प्रति की राशि	उठाई गई राशि	अंतर
1	2	3	4	5	6
1.	लाल चन्द ज्ञान चन्द पड़ाव अजमेर	23-9-79	–	27.00	27.00
2.	रामजीलाल सूरजमल मदार गेट अजमेर	5626 / 2-10-79	5.25	35.25	30.00
3.	लक्ष्मण जनरल स्टोर पहाड़ गंज अजमेर	7-8-87	–	100.00	100.00
4.	मदन लाल पदम चन्द जैन मदार गेट, अजमेर	4462 / 12-11-80	3.42	4.52	1.10
5.	आदिनाथ पाइप फिटिंग मदार गेट अजमेर	667 / 28-1-81	20.00	68.00	48.00
6.	सुभाष स्टोर्स नया बाजार अजमेर	1513 / 18-6-81	14.00	25.20	11.20
7.	सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार, अजमेर	101488 / 5-2-81	12.00	212.00	200.00

1	2	3	4	5	6
8.	यादव मोटर कम्पनी· अजमेर	3033 / 16-7-87	27.25	80.10	52.85
9.	,, ,,	7537 / 23-2-81	17.64	176.40	158.76
10.	,, ,,	5659 / 14-11-80	27.25	81.75	54.50
					683.81

घुमन्तु जाति के छात्रावास

212. **श्री अमरराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितने घुमक्कड़ जाति के छात्रावास है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या बाड़मेर जिले की पचपदरा तहसील में पचपदरा सिटी में घुमक्कड़ जाति का छात्रावास है ? यदि हां, तो कब से है तथा कितने छात्र प्रति वर्ष भर्ती किये जाते हैं ?

(3) क्या यह छात्रावास भवन सरकारी है ? यदि नही, तो क्या सरकार इसके भवन का इस वर्ष निर्माण करायेगी ?

(4) क्या इस छात्रावास में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में घुमक्कड़ जाति के छात्रों के लिये चलने वाले छात्रावासों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–क)

(2) जी हां। बाड़मेर जिले के पचपदरा सिटी में घुमक्कड़ जाति के छात्रों के लिये एक छात्रावास वर्ष 1964–65 से चलाया जा रहा है जहां 30 छात्र भर्ती किये जाने की स्वीकृति है।

(3) जी नहीं। भवन निर्माण हेतु प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

(4) इस वर्ष छात्रों की संख्या में वृद्धि का कोई बजट प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट क

राज्य में घुमक्कड़ जाति के छात्रों के लिये चलाये जा रहे

छात्रावासों की सूची

क्र०सं	स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या
1.	राजकीय घुमन्तु जाति छात्रावास, ब्यावर	40
2.	राजकीय घुमन्तु जाति छात्रावास, पचपदरा	30
3.	गाडिया लोहार छात्रावास (घुमन्तु जाति), चित्तौड़गढ़	176

जिला बाड़मेर में समन्वित ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम

213. **श्री भगवान दास डोसी** (चौहटन)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत चार गांवों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो किन किन गांवों का ?

(2) किन किन गांवों की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है तथा उनकी परियोजना लागत क्या होगी ? योजना के कब तक प्रारम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हां । बाड़मेर जिले में समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चार गांवों का चयन किया गया था :—

क्र.सं.	गांव का नाम	पं.समिति	तहसील
1.	जूना पतरासर	बाड़मेर	बाड़मेर
2.	गूंगा	शिव	शिव
3.	कापराऊ	चौहटन	चौहटन
4.	मवड़ी	सिवाणा	सिवाणा

(2) इनमें से गूंगा, जूना पतरासर एवं कापराऊ गांवों के परियोजना प्रतिवेदन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर द्वारा राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके हैं । मवड़ी का प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया है । परियोजना लागत गूंगा पर 15.07 लाख, जूना पतरासर पर 29.79 लाख तथा कापराऊ पर 26.99 लाख रुपये आंकी गई है । गूंगा की परियोजना मार्च, 1981 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई थी और उसका क्रियान्वयन जारी है । अब नई योजनायें स्वीकृत

(कृषि मंत्री)

न करके पुरानी योजनाओं का ही ठीक से क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया है ।

उदयपुर रेन्ज परसाद में मजदूरों की बकाया

214. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) उदयपुर रेन्ज परसाद सराड़ा क्षेत्र में उदपुरीया, सरसीया और वन्डीया मगरा में दिनांक 17-3-1982 व 28-3-1982 तक कितने मजदूरों ने कार्य किया एवं कितना भुगतान किया गया ? कृपया उनकी नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि झूठे मस्टर रोल भर कर सरकारी द्रव्य का गबन करने के बारे में अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? नहीं, तो क्यों ?

(3) अकाल में स्थानीय गरीब तबके को राहत प्रदान करने हेतु प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यों में मजदूरों को मजदूरी से महरूम करने के इस प्रकरण में क्या सरकार जांच का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वन मण्डल उदयपुर की रेन्ज परसाद के अंतर्गत सराड़ा क्षेत्र में दिनांक 17.3.82 से 28.3.82 के बीच कराये गये कार्य, उन पर लगाये गये मजदूरों की संख्या एवम् उनके नाम तथा किये गये भुगतान की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार जांच के उपरान्त शिकायत निराधार एवम् असत्य पाई गई ।

(3) जांच करवा ली गई है ।

उदयपुर वन मण्डल के रेंज परसाद के अंतर्गत सराड़ा क्षेत्र में कराये गये कार्यों की सूची (मार्च 1982)

क्र. सं.	नाम कार्य	कार्य अवधि	मजदूरों की संख्या	किया गया भुगतान
1.	उदयपुरिया प्लान्टेशन (कोट मरम्मत)	18-3-82 से 28-3-82	20	1498·00
2.	सरसिया प्लान्टेशन (कोट मरम्मत)	18-3-82 से 26-3-82	10	595·00
3.	बन्डिया मगरा प्ला० (कोट मरम्मत, धोर के फेन्सिग, खाई फेन्सिग दुरुस्ती ।	17-3-82 से 25-3-82	32	1848·00

प्लान्टेशन उदयपुरिया नाका डिगरी रेंज परशाद में हुए कार्य पर लगे श्रमिकों की सूची दिनांक 18-3-82 से 28-3-82 तक

क्र. सं.	नाम श्रमिक मय वल्दियत	साकिन
1.	श्री रूपा पिता मागा	केरपुरा
2.	श्री हकरा पिता लाला	,,
3.	श्री हकरा पिता हरजी	,,
4.	श्री मेगा पिता लाला	,,
5.	श्री सोमा पिता मेगा	,,
6.	श्री वाला पिता रूपा	,,
7.	श्री अमरा पिता हुका	,,
8.	श्री नगजी पिता पेमा	टुचडा
9.	श्रीमती कोदरी बाई वाइफ/रूपा	केरपुरा
10.	श्री दला पिता वेला	,,
11.	श्री भागा पिता खेती	,,
12.	श्री हुरजी पिता हकरा	,,
13.	श्री दोला पिता मनजी	,,
14.	श्रीमती गंगा वाइफ अमरा	,,
15.	श्रीमती अमरी पिता रूपा	,,
16.	श्री हीरा पिता मंगा	डिगरी
17.	श्री नाथु पिता भगा	,,
18.	श्री शंकर पिता पुन्जा	,,
19.	श्री मागा पिता धुला	,,
20.	श्री हिरा पिता खेली	केरपुरा

प्लान्टेशन सरसिया रेंज परशाद में हुऐ कार्य पर लगे श्रमिकों की सूची दिनांक 18-3-82 से 26-3-82 तक

क्र. सं	नाम श्रमिक मय वल्दियत	साकिन
1.	श्री शंकर पिता लाखा	सरसिया
2.	श्री रकवा पिता मावा	,,
3.	श्रीमती लिलकी पिता रतना	,,
4.	श्री वाला पिता घोखा	,,

1	2	3
5.	श्री अमरा पिता लालु	सरसिया
6.	श्री मनजी पिता खेमा	,,
7.	श्री काला पिता चोखा	,,
8.	श्री रूपा पिता जीवा	,,
9.	श्री हीरा पिता लाखा	,,
10.	श्री पुजा पिता जीवा	,,

प्लान्टेशन वन्डिया मगरा नाका डिगरी रेंज परसाद में हुए कार्य पर लगे श्रमिकों की सूची दिनांक 17.3.82 से 25.3.82 तक

क.सं.	नाम श्रमिक अप वल्दिपत	साकिन
1.	श्री रतना पिता वेला	सरसिया
2.	श्री थानू/पदमा मीणा	,,
3.	श्री देवा/नानजी	,,
4.	श्री चंदा/वेला	,,
5.	सामा/केला	,,
6.	श्री चनूडी पुत्री श्रीकेला	,,
7.	श्री जमकू माना	,,
8.	श्री गोमा/समा	,,
9.	श्री भीमा/नाथू	,,
10.	श्री वकता/पदमा	,,
11.	श्री हरजी/पनना	,,
12.	श्री शंकर/सवा	,,
13.	गलानी पुत्री श्री वेला	,,
14.	श्रीमती रोडी पुत्री माया मेघवाल	,,
15.	सुश्री कंकू/लकमा	,,
16.	सुश्री तुलसी/केला	,,
17.	श्री भीमा पुत्र लालू	,,
18.	श्रीमती जमना/नानजी	धोलादांता
19.	श्रीमती ढोली/शंकर	सरसिया
20.	श्रीमती देवा/मेवा मेघवाल	,,

1	2	3
21.	श्रीमती नाथू/फूला	सरसिया
22.	श्रीमती कालू/बालजी डांगी	डींगरी
23.	श्रीमती लक्ष्मण/भीखा	सरसिया
24.	श्रीमती सोवना/भीमा	,,
25.	श्रीमती सोमली पत्नी श्री हकरा	,,
26.	श्री नानजी/भीमजी डांगी	डींगरी
27.	श्री अमरा/लालु मीणा	धोलादाता
28.	श्री देवकरण/भगा	डींगरी
29.	श्री सुश्री अमरी/मोगा	डींगरी
30.	सुश्री धूली/रूपा	सरसिया
31.	श्रीमती नाथी/नानजी	,,
32.	सुश्री पारती/माया	,,

जिला बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों के सैकण्डरी स्कूल्स में जीव विज्ञान संवर्ग की व्यवस्था

215. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुड़ामालानी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या सरकार वर्ष 1982-83 में बाड़मेर जिले के राजकीय सैकण्डरी विद्यालय धोरीमन्ना एवं बायतु में जीव विज्ञान (बायोलोजी) विषय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के सैण्कडरी स्कूलों में जीव विज्ञान विषय नहीं होने से बाड़मेर जिले से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र डॉक्टर व कम्पाउन्डर नहीं बन पाते तथा शहरी क्षेत्रों के डॉक्टर्स व कम्पाउन्डर्स के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाने से काफी स्थान रिक्त पड़े हैं ?

(3) क्या राजकीय सैकण्डरी विद्यालय धोरीमन्ना एवं बायतु में लेबोरेट्रीज के लिए भवन की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या जन सहयोग से लेबोरेट्रीज भवन बनाने की स्थिति में सरकार उक्त विषय खोलने व स्टाफ आदि की व्यवस्था करने को तैयार है ?

उत्तर

(1) सत्र 1982-83 में नये विषय|वर्ग स्वीकृत करते समय राजकीय सैकण्डरी विद्यालय, धोरीमन्ना व बायतु में जीव विज्ञान विषय खोलने के बारे में राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

(2) बाड़मेर में ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर व कम्पाउन्डर के रिक्त स्थान हैं। यह मामला

(शिक्षा मंत्री)
केवल शिक्षा सुविधाओं से ही सम्बन्धित न होकर प्रशिक्षित लोगों के गांवों में न रहने की प्रवृत्ति से भी सम्बन्धित है ।

(3) धोरीमन्ना व बायुतु में विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित का अध्यापन होता है । भौतिक व रसायन विज्ञान को प्रयोगशाला उपलब्ध हैं । राज्य सरकार विज्ञान का विषय/वर्ग इसी शर्त पर स्वीकृत करती है कि प्रयोगशाला भवन जनसहयोग द्वारा बनाया जावेगा ।

बड़े नगरों में सीवरेज लाइन डालने की योजना

216. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बड़े नगरों की स्वच्छता के लिये अन्डर ग्राउण्ड सीवरेज लाइन डालने के सन्दर्भ में कोटा, अजमेर एवं जोधपुर में कितनी धनराशि खर्च करने की योजना विचाराधीन है ? यह कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

(2) क्या उक्त सीवरेज लाइन डालने से भंगियों को मैला ढोने से मुक्ति मिलेगी ? यदि हां, तो फिर इस दिशा में कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) कोटा नगर में सीवरेज लाइन डालने हेतु योजना 77-78 में रु. 1.74 करोड़ की लागत की स्वीकृति की जा चुकी है । योजना पर मार्च, 82 तक रु. 1.19 करोड़ खर्च किया जा चुका है । इस वर्ष 0.19 करोड़ रुपया खर्च करने के लिये उपलब्ध है । योजना को (इस वित्तीय वर्ष) आंशिक रूप से चालू करने की आशा है ।

अजमेर शहर के लिये सीवरेज योजना वर्ष 1979 में रु. 2.93 करोड़ की बनाई गई । उक्त योजना विचाराधीन है एवं छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में इसके लिये 10.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है । योजना पर कार्य धन की उपलब्धि के अनुसार किया जा सकेगा ।

जोधपुर शहर के लिये वर्ष 77-78 में 1.48 करोड़ रुपये लागत की योजना स्वीकृत की गई । उक्त योजना पर मार्च, 1982 तक 74 लाख रुपये खर्च किया गया । इस वर्ष खर्च करने के लिये 54 लाख रुपया उपलब्ध है । योजना के तहत स्वीकृत कार्य इस वर्ष पूरे कर लिये जाने की आशा है ।

विश्व बैंक योजनाओं के तहत जोधपुर नगर के लिये 3.33 करोड रुपये लागत की एक योजना वर्ष 80-81 में स्वीकृत की गई । मार्च, 1982 तक इस योजना के तहत 22 लाख रुपया खर्च किया गया । वर्ष 82–83 में योजना के लिये 30 लाख रुपये का आवंटन है । योजना के लिये छठीं पंचवर्षीय योजना में 2.25 करोड़ रुपये का प्रावधान है । वर्ष 84-85 तक योजना के अन्तर्गत मुख्य कार्य कर लिये जायेंगे एवं शेष कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में धन की उपलब्धि के अनुसार करवाये जावेंगे ।

(2) जी हां । योजना पूरी होने पर सफाई कर्मचारियों को मल ढोने के कार्य से राहत मिलेगी । सीमित साधनों के अनुसार कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जा रही है ।

निगम के बस डिपो की स्थापना–पाली

217, **श्री शिवदान सिंह राठोड़** (जैतारण) व

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री की पाली यात्रा के समय पाली की जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि पाली में शीघ्र ही राज्य पथ परिवहन निगम का डिपो खोल दिया जायेगा ? यदि हां, तो वहां डिपो कब तक खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां। तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी। तत्पश्चात् विचार करने पर यह पाया गया कि वर्तमान में पाली से प्रारम्भ होने वाली तथा पाली में ही समाप्त होने वाली केवल सात सेवायें हैं। जब तक 30 सेवायें न हो जावें तब तक पाली में डिपो खोलना अनार्थिक है।

उचित मूल्य की वस्तुओं के वितरण की एसोसिएशन्स–नागौर

218. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जिला नागौर में उचित मूल्य की वस्तुएं वितरण करने के लिये कोई एसोसियशन बनी हुई है ? यदि हां, तो किस किस तहसील में तथा उचित मूल्य की किन वस्तुओं के लिये बनाई हुई है ? कृपया तहसीलवार एसोसिएशन का नाम, एसोसिएशन के सदस्यों का नाम, पूर्ण पता सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) ऐसी एसोसिएशन हैण्डलिंग चार्जेज के रूप में किन-किन वस्तुओं एवं खाद्यान्नों पर कमीशन लेती है ? क्या ये एसोसिएशन पंजीकृत है ? यदि हां, तो पंजीकरण कब किया गया तथा इनके क्रियाशील होने से कुल कितना कमीशन ऐसी संस्थाओं ने कमाया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) ऐसे एसोसिएशन को कमीशन सरकार देती है या खुदरा विक्रेताओं से वसूल किया जाता है ? ऐसे एसोसिएशन का क्या औचित्य है और एसोसिएशन द्वारा क्या-क्या कार्य किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां। दी नागौर सरकारी उचित मूल्य दुकानदार एसोसिएशन नागौर को तहसील नागौर, जायल, मेडता, डेगाना, डीडवाना तथा लाडनूं के लिये जुलाई, 1981 से मार्च, 1982 तक तथा सभी तहसीलों के लिये माह अप्रेल, 1982 से गेहूं व चावल वितरण के लिए हैण्डलिंग एजेन्ट बनाया हुआ है। अन्य तहसीलों में कोई एसोसिएशन नहीं बनी हुई है। उक्त एसोसिएशन के सदस्यों के नाम एवं पते की सूची संलग्न है। (**परिशिष्ट 'क'**)।

(2) यह एसोसिएशन नागौर से वितरण होने वाले गेहूं और चावल पर कमीशन लेती है। यह एसोसिएशन पंजीकृत नहीं है। जुलाई, 81 से 31.3.82 तक कमीशन एवं परिवहन के रूप में 2.80 रुपये प्रति क्वि. की दर से 1,08,698.80 एवं 1.4.82 से 8.9.82 तक 70 पैसे प्रति क्वि. की कमीशन की दर 9,240 से रुपये कमीशन के रूप में एसोसिएशन को प्राप्त हुए व एक रुपया प्रति क्वि. परिवहन की दर से 13240 रुपया का भुगतान देय है।

परिशिष्ट "क"

क. सं.	नाम	पूरा पता
1–	श्री सोहनलाल राठी	बाठड़ियों का चौक नागौर उ. मु. दु. वार्ड संख्या 6, नागौर।
2–	श्री सूरजमल भाटी	नया दरवाजा, नागौर उ. मु. दु. वार्ड 1, नागौर।
3–	श्री श्रवण कुमार	नकास गेट, नागौर, उ. मु. दु. वार्ड संख्या 1, नागौर।
4–	श्री अब्दुल सतार	विमलवास, खिचियो की पोल नागौर उ. मु. दु. वार्ड 4, नागौर।
5–	श्री घासी राम	नया दरवाजा नागौर उ. मु. दु. वार्ड संख्या 16 नागौर।
6–	श्री फते चन्द	माही दरवाजा, नागौर उ. मु. दु. वार्ड संख्या 8, नागौर।
7–	श्री अब्दुल मजीद	माही दरवाजा, नागौर, उ. मु. दु. वार्ड सं. 15 एव ग्राम पंचायत चूंटीसरा।
8–	श्री अब्दुल सतार	नीचला बास, खिचियों की पोल उ. मु. दु. वार्ड संख्या 7, नागौर
9–	श्री ज्ञान चन्द	माही दरवाजा, नागौर, उ. मु. दु. वार्ड संख्या 12, नागौर।
10–	श्री सफी मोहम्मद	दिल्ली दरवाजा, उ. मु. दु. वार्ड संख्या 10, नागौर।
11–	श्री मोहम्मद फारूकगौरी	आजाद चौक, उ. मु. दु. वार्ड सं. 3, नागौर।
12–	श्री श्यामसुन्दर बंग	नकास गेट प्रो. उ. मु. दु. वार्ड सं 5, नागौर।
13–	श्री सत्यनारायण मूंदड़ा	सुराना की पोल, नागौर उ. मु. दु. वार्ड संख्या 2

टोंक में पक्के बांध के निकटस्थ सड़क की मरम्मत

219. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टोंक में स्थित पक्के बांध के निकटस्थ सड़क का कुछ हिस्सा बाढ़ के कारण पूर्णतया नष्ट हो गया था तथा इस सड़क के पूर्णतया ठीक न होने की वजह से दुर्घटना होने व नेशनल हाइवे पर आवागमन बन्द होने का अंदेशा रहता है ?

(2) यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है तथा अब यह कब तक ठीक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि टोंक में स्थित पक्के बांध के पास वाली सड़क का कुछ हिस्सा बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था परन्तु इसे उसी समय यातायात योग्य कर दिया गया था। मरम्मत करते समय यह ध्यान रखा गया था कि यातायात के दौरान कोई दुर्घटना न हो। इस पर सभी तरफ ड्रम्स गाड़ दिये गये थे तथा दोनों तरफ चेतावनी सूचना पट्ट लगा दिये गये थे। साधारण स्थिति में यातायात बन्द नहीं होगा।

(2) क्षति अतिवृष्टि के कारण हुई अतः इसमें किसी का उत्तरदायित्व नहीं है। यह सड़क जयपुर-कोटा-भोपाल, राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 12 घोषित की जा चुकी है। अतः इसका तखमीना भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था जो अभी स्वीकृत हुआ है। सड़क यथा संभव मार्च, 83 तक पूर्णतया ठीक हो जाने की संभावना है।

सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में गबन के विचाराधीन मामले-जिला कोटा

220. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) व **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में कोटा जिले की विभिन्न सहकारी समितियों के गबन के मामले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत विचाराधीन हैं ?

(2) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने मामले हैं तथा किस–किस सहकारी समिति के, किस-किसके विरुद्ध ? इनकी पुलिस में रिपोर्ट कराने में देरी क्यों की जा रही है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मोडक गांव सहकारी समिति के गबन के मामले की भी रिपोर्ट नहीं कराई जा रही है ? जिले के इन प्रकरणों में किस-किस पर कितना–कितना गबन सिद्ध हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कुल मामले 81 हैं। जिनकी समितिवार सूची संलग्न है। आडिट रिपोर्ट की प्रतियां तैयार कराये जाने के कारण रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई है।

(3) जी नहीं। जिले में जिन मामलों में गबन सिद्ध हुआ है उनकी सूची संलग्न है।

Page No 236

परिशिष्ट (अ)

एफ. आई. आर. जिनके विरुद्ध दर्ज की जानी है।

क्र. सं.	नाम समिति	नाम व्यक्ति मय पद	राशि
1	2	3	4
1–	सोगरिया ग्राम सेवा स. स.	श्री उच्छवलाल भू. प. अध्यक्ष	9511-41
2–	,,	श्री हजारीलाल, मन्त्री, भू. प.	4957-50
3–	,,	श्री ताराचन्द, अध्यक्ष, भू. पू.	3506-00
4–	,,	श्री मूलचन्द पुरोहित, व्यवस्थापक ,,	190-94
5–	,,	श्री प्रभुलाल अध्यक्ष, भू. पू.	11073-73
6–	,,	श्री छीतरलाल मंत्री भू. पू.	11073-73
7–	,,	श्री सीताराम व्यवस्थापक भू. पू.	8826-20
8–	मंडाना ग्राम सेवा स. स.	श्री कृष्ण मालव, भू. पू. व्यवस्थापक	2897-22
9–	,,	श्री मूलचन्द शर्मा, सहा. व्यवस्थापक	1406-81
10–	,,	श्री जमनालाल भू. पू. सेल्समैन	1490-36
11–	,,	श्री रामचन्द्र जैन भू. पू. मंत्री	1490-36
12–	मंचेलकला ग्राम सेवा स. स.	श्री रामचन्द्र दाधीच, भू. पू. व्यव.	900-00
13–	नृसिंह मऊ ,,	श्री वीरेन्द्रकुमार जैन, भू. पू. ,,	29813-35
14–	पलायथ ,,	श्री भवरलाल धोबी मनोनीत अध्यक्ष	317-10
15–	,,	श्री बनवारी लाल भू. पू. व्यवस्थापक	317-10
16–	,,	श्री भैरूलाल कुमावत, सदस्य	55-30
17–	,,	श्री भैरूलाल रजक, सदस्य	55-30
18–	,,	श्री सुखदेव कहार, सदस्य	134-23
19–	,,	श्री अब्दुल वहीद, सदस्य	128-16
20–	,,	श्री भंवरलाल सुमन, सदस्य	168-21
21–	,,	श्री मोहम्मद, उस्मान, सदस्य	175.71
22–	,,	श्री जगन्नाथ, अध्यक्ष	157-50

1	2	3	4
23–	पलायन ग्राम सेवा स. स.	श्री मेरोसिंह, मनोनीत अध्यक्ष	147-30
24–	बापचा,	श्री परमानन्द मू. पू. व्यवस्थापक)	8500-00
25–	कडैयानोहर ,,	श्री किशनलाल, मू. पू. अध्यक्ष)	
26–	,,	श्री चम्मपालाल, मू. पू. अध्यक्ष)	3797-05
27–	,,	श्री अमरलाल, ,,	
28–	,,	श्री किशनलाल मू. पू. अध्यक्ष	8670-08
29–	देवरीजोघ ,,	श्री जगन्नाथ, अध्यक्ष	1500-00
30–	मोडक ,,	श्री रामचन्द्र चोकान मू. पू. अध्यक्ष	4080-98
31–	मोडक ,,	श्री प्रेमनारायण अध्यक्ष	450-50
32–	,,	श्री लाला मंत्री	2030-00
33–	कुम्भेकोट ,,	श्री फकरी फकीर मोहम्मद, व्यवस्थापक	16033-00
34–	भोलू ,,	श्री पापूसिंह, भू. पू. व्यवस्थापक	8000-00
35–	गादिया ,,	श्री रामभरोस गुप्ता, मू. पू. ,,	4571-37
36–	कुन्डी ,,	श्री शिवनारायण, मू. पू.	1000-00
37–	पटना ,,	श्री अमरलाल गोचर ,,	3714-46
38–	बुद्धखान ,,	श्री कान्तीचन्द्र ,,	19311
39–	बुद्ध खानं ग्राम सेवा सह. स.	श्री हीरा लाल मू. पू. व्यवस्थापक	748-55
40–	,, ,,	श्री प्रभू लाल मू. पू. अध्यक्ष	1187-26
41–	करवाड़ा ,,	श्री शमशुद्दीन आजाद ,,	23314-06
42–	,, ,,	श्री शमशुद्दीन आजाद ,,)	
43–	,, ,,	श्री जयदेव प्रसाद ,,)	11039-00
44–	लुहावद ,,	श्री छीतर वंग मू. पू. व्यवस्थापक	5764-00
45.	करवाड़ ,,	श्री शमशुद्दीन आजाद मू. पू. अध्यक्ष	4130-00
46–	,, ,,	श्री सुकमान हकीम मू. पू. व्यवस्थापक	15306-19
47–	विनायका ,,	श्री सुखपाल मू. पू. अध्यक्ष	2000-00
48–	वावई ,,	श्री रामस्वरूप पारीक मू. पू. व्यवस्थापक	2572-08

1	2	3	4
49-	करजोदा ग्राम सेवा स. स.	श्री राम रतन भू. पू. अध्यक्ष	23900-00
50-	,, ,,	श्री भैरू लाल भू. पू. व्यवस्थापक	4916-97
51-	पीपल्दा खुर्द ,,	श्री दुर्गा शकर सोनी भू. पू. व्यवस्थापक	71228-23
52-	लुहावद ,,	श्री बृजमोहन भू. पू. मंत्री	1610-65
53-	पीपलदा खुर्द ,,	श्री भंवर लाल शर्मा भू. पू. व्य.	220-00
54-	,, ,,	श्री दुर्गा शंकर भू. पू. व्य.	220-00
55-	,, ,,	श्री भैरूलाल वर्ग ,,	170-30
56-	,, ,,	श्री मोहन लाल मित्तल भू. पू. कोषा	1000-00
57-	ग्रावा ,,	श्री मदनलाल वर्मा भू. पू. व्य.	676-00
58-	विजयपुरी ,,	श्री बद्री लाल मंत्री	5367-45
59-	,, ,,	श्री शरीफ मोहम्मद व्य.	5171-13
60-	सावनभादो ,,	श्री कन्हैया लाल व्य.	6960-00
61-	बालूहेड़ा ,,	श्री चम्पा लाल व्य.	4367-00
62-	थूनपूर ,,	श्री हनुमानसिंह अध्यक्ष	4110-00
63-	गढ़ेपान ,,	श्री मुनीम चन्द भू. पू. सैल्समेन	7332-75
64-	नोताड़ा ,,	श्री रमेश चन्द भू. पू. व्य.	1224-99
65-	नाहरगढ़ ,,	श्री जगदीश प्रसाद भू. पू. व्य.	936-94
66-	बरोनी ,,	श्री मिल्खा सिंह भू. पू. अध्यक्ष	6124-39
67-	सनवाड़ा विलिन माचोगड़ा लम्पस, सनवाड़ा	श्री प्रेम नारायण भू. पू. व्य.	300-00
68-	नाहरगढ़ ग्राम सेवा सह. स.	श्री जगन्नाथ गौड भू. पू. निरी.	1000-00
69-	मुन्डियर ,,	श्री बाबूलाल मेहता भू. पू. मंत्री	1800-00
70-	गणेशपुरा ,,	श्री मुरारी लाल भू. पू. व्य.	9301-00
71-	केलवाड़ा ,,	श्री प्रेमनारायण सहा. व्य.	31474-09
72-	,, ,,	श्री कृष्ण कुमार सहा. व्य.)	18500-00
73-	,, ,,	श्री मांगीलाल भू. पू. अध्यक्ष)	
74-	,, ,,	श्री कृष्ण शर्मा निल. व्य.]	5400-00
75-	,, ,,	श्री प्रेमनारायण भू. पू. व्य.]	
76-	,, ,,	श्री प्रेमनारायण भू. पू. व्य.	250-00
77-	काकडदा ग्राम सेवा सह. स.	श्री भंवर सिंह सोलंकी व्य.	1547-00

1	2	3	4
78–	मोज्याखेड़ी सह. स.	श्री रघुवीर सिंह सदस्य	243682-05
79–	,, ,,	श्री राधेश्याम सहा. व्यव.	8361-00
80–	,, ,,	श्री लक्ष्मी नारायण भू. पू. अध्यक्ष	52257-25
81–	,, ,,	श्री छीतर लाल भू. पू. व्यवस्थापक	40131-35

परिशिष्ट "ब"

कोटा जिले में जिन मामलों में गबन सिद्ध हो चुका है समितिवार दोषी व्यक्तियों की सूची

क्र.स. 1	नाम समिति 2	नाम दोषी व्यक्ति 3	निर्णय में गबन सिद्ध हुई राशि 4
1.	नौताड़ा ग्राम सेवा सह.स.	श्री लाल अहमद मंत्री	153-07
		श्री बदरुद्दीन व्यवस्थापक	153-07
		श्री मोहनलाल कोषाध्यक्ष	153-07
		श्री रामचन्द्र	153-07
		श्री छोटे खां	153-07
		श्री नूरू मोहम्मद	153-07
		श्री मोहम्मद	153-07
2.	भगवानपुरा ग्रा.से.सह.स.	श्री किशोरीलाल, भू.पू. अध्यक्ष	12,628-99
3.	गंगापुर ग्राम सेवा सह.स.	श्री कान्तीचन्द्र व्यवस्थापक	800-00
		श्री रामगोपाल व्यवस्थापक	
		श्री ग्यारसीलाल अध्यक्ष	2,700-00
4.	केवलनगर सह.उप. भंडार	श्री जोरावरमल व्यवस्थापक	2,291-22
5.	हाड़ोती मोड़ो	श्री लक्ष्मीनारायण, भू. पू. सैलसमेन	464-67
6.	श्रीराम ग्राम सेवा सह. स.	श्री छीतरलाल व्यवस्थापक	324-00
7.	जुलमी ग्राम सेवा सह. स.	श्री मोहनलाल विजय	5,000-53
		श्री बिरधीलाल, अध्यक्ष	1,305-50
8.	बमूलिया खुडखांडी सारी	श्री अमरनाथ मंत्री	3,266-00
9.	घूलेट ग्राम सेवा सह.स.	श्री रतनलाल अध्यक्ष	8,570-89
10.	मोरपा वृहत बहु.सह.स.	श्री मोतीलाल व्यवस्थापक	2,013-00
		श्री सूरजमल उपाध्यक्ष	

1	2	3	4
11.	धाकड़खेड़ी ग्राम सेवा सह.स.	श्री दुर्गालाल विजय	9,565-50
		श्री सत्यनारायण	
		श्री छीतरलाल	
		श्री मुरलीधर	
		श्री इरफो मोहम्मद	13,487-20
12.	विजयपुरा ग्राम सेवा सह.स.	श्री अर्जुनसिंह	8,480-70
		श्री रामनारायण	6,180-30
		श्री रामयोगी	30,000-30
		श्री गोपाल	2,515-19
13.	लक्ष्मीबड़ोद ग्राम सेवा स.स.	श्री बद्रीलाल	
		श्री रहीम बक्स	3,304-21
14.	पीपल्दा ग्राम सेवा सह.स.	श्री बजरंगलाल अध्यक्ष	4,882-26
15.	बम्बूलिया ग्राम सेवा सह.स.	श्री शम्भूसिंह	36,287-00
16.	रामराज पुरा ग्राम से.सह.स.	श्री हीरालाल	
		श्री बद्रीलाल	12-790-53
		श्री कृष्ण	
17.	धाकड़खेड़ी ग्राम सेवा सह.स.	श्री बृजमोहन	
		श्री जोरावर	
		श्री महावीर सिंह	7,620-00
		श्री मोहनलाल	
		श्री जसराज	
18.	सोगरिया ग्राम से.सह.स.	श्री उच्छब लाल	9,511-41
		श्री ताराचन्द्र	3,506-00
		श्री हजारीलाल	9,407-50
		श्री मूलचन्द पुरोहित	190-94
		श्री रघूलाल	11,073-73
		श्री छीतरलाल	11,073-73
		श्री सीताराम	8,826-20
19.	मोहनपुरा ग्राम सेवा सह.स.	श्री प्रेमचन्द कोषाध्यक्ष	4,452-63
20.	दी गोद ग्राम सेवा सह.स.	श्री श्रीनिवास नन्दवाना	10,989-11
		श्री व अन्य मदनलाल	
		श्री श्रीनाथ, गोपाल, मोतीलाल, वंशी	
21.	खातोली ग्राम सेवा सह. स.	श्री कालूलाल	1,700-00

1	2	3	4
22.	रेल्वे मेल कर्मचारी सह.स.	श्री महेन्द्र कुमार व्यवस्थापक	7,239-54
23.	सं.स. इटावा कर्म.सह.स.	श्री गिरिशकुमार व्यवस्थापक	4.500-36
24.	वोरिना कलां ग्राम से.सह.स.	श्री रामगोपाल व्यवस्थापक	1,965-60
25.	ऊरना ग्राम सेवा सह.स.	श्री चम्पालाल	476-00
26.	ग्रामलली ग्राम सेवा सह.स.	श्री हरीचरण व्यवस्थापक	4,485-15
27.	गादिया ग्राम सेवा सह.स.	श्री रामप्रताप	
		श्री उदयराम व्यवस्थापक	5,095-18
28.	मांगरोल ग्राम सेवा सह.स.	श्री अब्दुल सुबहान	525-00
29.	रजोपा ग्राम सेवा सह.स.	श्री उमरखां अध्यक्ष	12,547-46
30.	लाख सनोजा ग्राम से.सह.स.	श्री मांगलाल	3,005000
31.	हींगी ग्राम सेवा सह.स.	श्री वेलाराम व्यवस्थापक	1,216-91
32.	श्यामपुरा ग्राम सेवा सह.स.	श्री जगन्नाथ नागर	16,476-00
33.	वीरदा ग्राम सेवा सह.स.	श्री शम्भूदयाल व्यवस्थापक	2,147-24
34.	नृसिंह मऊ ग्राम सेवा सह.स.	श्रीरघुनन्द शर्मा	4,704-95
		श्री माधोलाल भू.पू. कोषाध्यक्ष	
		श्री हीरालाल	
35.	खेड़ालसूलपुर ग्राम से.सह.स.	श्री माधोलाल	1,269-65
		श्री रामकिशन	
36.	किशनपुरा ग्राम सेवा सह.स.	श्री रघुनन्दन शर्मा	3,094-55
		श्री रामदयाल	2,605-00
37.	रूपाहेड़ा ग्राम सेवा सह.स.	श्री रतनलाल	110-00
		श्री उमाशंकर	
38.	ताथेड ग्राम सेवा सह. स.	श्री फूलसिंह	22,978-72
39.	सावन भादो ग्राम से. सह. स.	श्री नाथूलाल	2,160-00
		श्री मथुरालाल	
40.	बालाखेड़ा ग्राम सेवा सह. स	श्री बृज मोहन व्यवस्थापक	6,725-00
		श्री बजरंगलाल	141-00
41.	बम्बूहिलया ग्राम सेवा सह. स.	श्री खेमराज	1,936-90
42.	रेल ग्राम सेवा सह. स.	श्री मोहनलाल	65,194-89
		श्री तैयावअली	20,231-23
		श्री रामनारायण	14,520-00
		श्री केसरीलाल	31,549-33

Page No 242

1	2	3	4
		श्री गोपीलाल	14,699-00
		श्री छीतरसिंह	1,09,261-25
43.	कोटड़ चर्म सह. स.	श्री प्रभूलाल	7,922-00
44.	खेराबाद ग्रा. से. स. स.	श्री शम्भूदयाल	527-22
		श्री लालचन्द	588-02
45.	नवलपुरा ग्राम सेवा सह. स.	श्री मांगीलाल	527-23
		श्री बद्रीलाल	1,015-00
		श्री मोरूलाल	600-21
		श्री रमेशचन्द	938-99
		श्री रामेश्वर प्रसाद	538-43
46.	श्री ग्रसानी ग्राम सेवा सह. स.	श्री किशनलाल	1,312-93
		श्री खेमराज	781-40
		श्री गफ्फार खान	56-40
47.	किशनपुरा ग्राम सेवा सह. स.	श्री रघुनन्दन	5,349-19
		श्री रामदयाल	340-00
48.	ढारडा ग्राम सेवा सह. स.	श्री वेजनाथ	71,745-63
49.	केयून ग्राम सेवा सह. स.	श्री देवीदास	1,150-20
50.	बटवाड़ा ग्राम सेवा सह. स.	श्री प्रकाशचन्द्र	97-35
		श्री मांगीलाल	169-12
		प्रबन्धकारिणी	472-15
51.	श्रीराम ग्राम सेवा सह. स.	श्री छीतरलाल	5,40,131-35
		श्री राधेश्याम	4,316-00
		श्री लक्ष्मीनारायण	52,257-25
		श्री रघुवीरसिंह कौशल	2,39,367-05
52.	कनवास ग्राम सेवा सह. स.	श्री विश्वेश्वर दयाल	5,592-23
		श्री परसराम	1,248-27
		श्री सत्यनारायण	400-10
53.	छापोल ग्राम सेवा सह. स.	श्री सूरजमल	49-50
		श्री उदयभान सिंह	725-00
		श्री चतुर्भुज	3,594-70

1	2	3	4
54.	सोमतया ग्राम सेवा सह. स.	श्री जवाहरलाल	2,671-38
		श्री जगन्नाथ नागर	754-21
55.	पीपल्दा ग्राम सेवा सह. स.	श्री माधुराम	6,328-00
56.	उरना ग्राम सेवा सह. स.	श्री शिवनारायण	14,023-00
		[illegible]राम	350-00
57.	ग्रांवा ग्राम सेवा सह. स.	श्री हुसैन मोहम्मद	55-00
		श्री देवीलाल	55-00
		श्री छीतरलाल	245-00
		श्री नन्दलाल	245-00
58.	बुनकर कैथुन ग्राम से. सह. स.	श्री गुल मोहम्मद	1,790-10
59.	सुकेत ग्राम सेवा सह. स.	श्री जीनधान सीस	2,357-00
60.	बुढ्ढखान ग्राम सेवा सह. स.	श्री किशोर, कान्तीचन्द्र, प्रमूलाल एवं मांगीलाल	585-00
61.	वालूहेड़ा ग्राम सेवा सह. स.	श्री लक्ष्मणकुमार	2,130-73
		श्री वरदीलाल	133-00
62.	खेड़ा रुददा ग्राम से. सह. स.	श्री जगन्नाथ	2,000-00
		श्री धर्मसिंह	2,250-00
63.	सुमेरगंज मंडी मार्के. सोसा.	श्री बद्रीप्रसाद	869-60
		श्री प्रहलाद शर्मा	2,285-58
64.	वालूखेड़ा ग्राम सेवा सह. स.	श्री जमनालाल	1,500-00
65.	बालाखेड़ा ग्राम सेवा सह. स.	श्री हमीरमल	2,937-66
66.	बड़ोदियां ग्राम सेवा सह. स.	श्री नन्दकिशोर	7,200-00
		श्री मोड़ूलाल	557-00
		श्री रामचन्द्र	19,528-80
67.	कोटा फल सब्जी सह. स.	श्री मुकुट बिहारी	402-50
68.	नेवलपुरा ग्राम सेवा सह. स.	श्री सोजीराम	70-63
		श्री मोहरपाल	11,250-00
		श्री रामेश्वर	2,135-90
		श्री जगन्नाथ	1,793-50

Page No 244

(244)

1 2	3	4
69. गेंता ग्राम सेवा सह. स.	श्री रामेश्वर प्रसाद	2,524-00
	श्री भोपालसिंह	1,25,930-38
70. तलाब ग्राम सेवा सह. स.	श्री केसरीलाल	45,472-00
	श्री सीताराम	54,873-23
	श्री प्रभूलाल	5,382-40
	श्री मुकुट बिहारी	42,491-57
	श्री बजरंगलाल	303-87
	श्री ओमप्रकाश	180-00
	श्री शम्भूदयाल	5,823-97
71. श्री कुम्भकोट ग्राम सेवा सह.स.	श्री मोहम्मद	129-50
72. ढढवारा ग्राम सेवा सह.स.	श्री भवानीलाल	74-17
73. मोडक ग्राम सेवा सह.स.	श्री प्रमनारायण	450-50
	श्री लाला मंत्री	2,030-00
	श्री रामचन्द्र	4,080-98
74. लबानियां ग्राम सेवा सह.स.	श्री मथुरालाल	14,795-96
	श्री दुर्गालाल	1,033-62
75. भावपुरा ग्राम सेवा सह.स.	श्री नारायणलाल	5,850-00
	श्री काशीराम	1,240-00
	श्री रामगोपाल	11,436-52
76. राजोपा ग्राम सेवा सह.स.	श्री प्रभूलाल	17,185-81
	श्री पन्नालाल	811-00
	श्री लुकमान	16,750-00
77. रामगंज मंडी मार्के.सोसा.	श्री राजाकृष्ण	1,41,566-29
78. करवाड़ ग्राम सेवा सह.स.	श्री शम्भुदीन, जयदेव, चतुर्भुज, रमेश	34,805-06
79. लाडपुरा सह. भंडार	श्री नन्दकिशोर	8,579-50
80. बाबई ग्राम सेवा सह.स.	श्री रामस्वरूप	2,552-08
81. केथून एल.एस.एस	श्री मोहम्मद उबेद	1,992-25
	श्री नन्द किशोर	2,740-46
	श्री ओमप्रकाश	636-94

Page No 245

245

.1	2	3	4
		श्री मुकुट विहारी	6,450-55
		श्री नन्दकिशोर सुमन	23,223-78
82.	खेड़ा रसूलपुर गृह निर्माण	श्री रामकल्याण	125-00
83.	नृसिंह मऊ ग्राम सेवा सह.स.	श्री विरेन्द्रकुमार	29,813-35
84.	सुकेत राज.श्र. ठेका सह.स.	श्री नन्दकिशोर	257-25
85.	बिनायका ग्रामसेवा सह.स.	श्री घन्नालाल	2,000-00
		श्री सुखपाल	400-00
		श्री धन्नालाल व सुखपाल	6,528-00
86.	ढोपरो ग्राम सेवा सह.स.	श्री मालाराम	2,975-00
		श्री वाबूलाल	285-00
87.	वागला ग्राम सेवा सह.स.	श्री हरीसिंह	5,735-00
88.	वागली ग्राम सेवा सह.स.	श्री गोबरीलाल	2,112-00
89.	वागली ग्राम सेवा सह.स.	श्री बृजमोहन	1,846-00
90.	मोती कुआं ग्राम सेवा सह.स.	श्री बलदेव सिंह	1,200-00
91.	गणेश एल.एस.एस.	श्री शंकरलाल	3·126·00
92.	करजोदा ग्राम सेवा सह.स.	श्री भैरूलाल	4,916-79
93.	पलायथा ग्राम सेवा सह.स.	श्री प्रबन्धकारिणी	1,021-50
		श्री बनवारीलाल	634-20
94.	करजोदा ग्राम सेवा सह.स.	श्री रामरतन	23,900-00
95.	गेंता ग्राम सेवा सह.स	श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता	3,858-05
96.	गेंता ग्राम सेवा सह.स.	श्री ग्यारसीलाल	1,100-00
97.	गेंता ग्राम सेवा सह.स.	श्री बिहारीलाल	1,265-05
98.	गडेपन ग्राम सेवा सह.स.	श्री नेमीचन्द सेल्समेन	7,332-75
99.	गडेपान ग्राम सेवा सह.स.	श्री वाबूलाल	101-70
100.	मोड़क ग्राम सेवा सह.स.	श्री मदनलाल	4,903-90
101.	नान्ता ग्राम सेवा सह.स.	श्री सीताराम शर्मा	584-65
102.	करवाड ग्राम सेवा सह.स.	श्री लुकमान हकीम	15,306-19
103.	करवाड ग्राम सेवा सह.स.	श्री शम्शुद्दीन	4·031-00
104.	करवाड ग्राम सेवा सह.स.	श्री लुकमान हकीम	5,176-00
105.	बम्बूलियां ग्राम सेवा सह.स.	श्री नन्दलाल	5,614-75
106.	वम्बूलियां ग्राम सेवा सह.स.	श्री रामेश्वर	25-65
107.	सोगरिया ग्राम सेवा सह.स.	श्री विरवचन्द जैन	1,267-50
108.	ढ़ोपरी ग्राम सेवा सह.स.	श्री मोड़ूलाल	2·793-35
109.	भेलू ग्राम सेवा सह.स.	श्री बापूसिंह	8,000-00

1	2	3	4
110.	अन्ता क्रय विक्रय सह.स.	श्री बापूसिंह	2,365-08
111.	पाड़लिया ग्राम सेवा सह.स.	श्री तेजमल शर्मा	1,143-25
112.	खेड़ा रट्टा ग्राम सेवा सह.स.	श्री जगन्नाथ पटेल	2,000-00
		श्री धर्मसिंह	2,000-00
113.	ढोपरी ग्राम सेवा सह.स.	श्री मंशाराम	2,975-00
114.	ढोपरी ग्राम सेवा सह.स.	श्री बाबूलाल शर्मा	825-00
115.	किशनगंज ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	श्री चतुर्भुज	2000-00
		श्रीलाल शर्मा	333-33
		श्री बृजमोहन	333-33
		श्री चतुर्भुज	333-33
		श्री किशनलाल	333-33
		श्री चांद खां	333-33
		श्री हरि बल्लभ	333-33
116.	पीपलाकलां ग्राम सेवा सह. स.	श्री हरनारायण	3462-87
117.	सुभाष घाटी ग्राम सेवा सह. स.	श्री दया शंकर व्यवस्थापक	99-20
118.	गोडियाचरण ग्राम. सेवा सह. स.	श्री छोटेलाल अध्यक्ष	1872-33
119.	आटोन ग्राम सेवा सह. स.	श्री जगदीश प्रसाद	248-00
		श्री छीतर लाल अध्यक्ष	18953-50
120.	खाड़ा सहरोल ग्रा. से. सह. स.	श्री बजरंग लाल व्यवस्थापक	1573-54
121.	चरडाना ग्रा. सेवा सह. स.	श्री रामप्रताप सुमन	1338-88
122.	बारा व्यापारियान एम्प. स. उप. भण्डार	श्री द्वारकालाल	2173-29
123.	कलोनी संयु. सह. समिति	श्री चतुर्भुज चौधरी	150-00
124.	पटना ग्राम सेवा सह. स.	श्री मदनलाल चौधरी	1580-60
		श्री दुर्गा शंकर व्यवस्थापक	1417-00
		श्री प्रेम नारायण व्यवस्थापक	143-00
125.	खरखड़ा लोधान ग्रा. से. सह.स.	श्री कल्याणसिंह	1500-00
		श्री अमर लाल व्यवस्थापक	5817-66
126.	मिश्राई ग्राम सेवा सह. स.	श्री हरिकृष्ण गौतम व्यव.	1243-96
127.	तुलसा ग्राम सेवा सह. स.	श्री गिर्राज शरण	10500-00
128.	रटावद ग्राम सेवा सह. स.	श्री हरीवल्लभ व्यवस्थापक	2800-00
		श्री केसरी लाल	464-00

1	2	3	4
129.	सुभाष घटी ग्रा. से. सह. स.	श्री उमाशंकर व्यवस्थापक	311-00
130.	केलवाडा ग्राम सेवा सह. स.	श्री प्रेम नारायण	250-00
		श्री कृष्ण शर्मा मांगीलाल	31474-03
131.	नाहरगढ़ ग्राम सेवा सह. स.	श्री जगन्नाथ	1000-00
132.	सोभागपुरा ग्राम सेवा सह. स.	श्री घनश्याम भू. पू. व्यव.	1768-50
		श्री हरवीर सिंह अध्यक्ष	8240-00
133.	खरी ग्राम सेवा सह. स.	श्री छीतरसिंह मंत्री	213-41
		श्री आशा राम	86-00
		श्री चतुर्भुज	60-00
134.	मेलखेरी ग्राम सेवा सह. स.	श्री मोहन लाल व्यवस्थापक	2437-70
135.	नाहरगढ़ वन श्रमिक सह. स.	श्री देव किशन अध्यक्ष	24547-51
136.	शाहबाद पं. स.कर्म. राज्य सह.स.	श्री दुर्गा प्रसाद मंत्री	15-00
137.	गणेशपुरा ग्राम सेवा सह. स.	श्री जगदीश प्रसाद	936-94
138.	अटरू क्रय विक्रय सह. स.	श्री राम कल्याण नागर	7298-25
		श्री मोहन लाल	4540-40
139.	पीपलोद ग्राम सेवा सह. स.	श्री कल्लू खां	28570-59
140.	केलवाडा ग्राम सेवा सह. स.	श्री रामस्वरूप भारद्वाज	1642-20
141.	बांरा कोआप.मार्के. सोसायटी	श्री सूर्यप्रकाश	5574-20
		श्री कल्याण मल चौबे	12669-69
142.	कोटा जिला सह. संस्थान	श्री शकुंत कुमार शर्मा व्यवस्थापक	1988-60
		श्री अरविन्दकुमार ,,	90-12
		श्री मोहन प्रसाद ,,	5-10
		श्री श्याम बिहारी ,,	12-50
		श्री सतीश	11-00
143.	कोटा जिला सह. संस्थान	श्री राजेन्द्रसिंह सिसोदिया	2409-09
		श्री रघुवर सिंह कौशल	2001-00
		श्री श्याम बिहारी	139-00
		श्री सतीश चतुर्वेदी	117-85
		श्री मोहनलाल गुप्ता	20-85
		श्री सतीश चतुर्वेदी	8-85

1	2	3	4
144.	खेडारसूलपुर गृह निर्माण सह.स.	श्री रामफल मंत्री	778-00
145.	जाजौदा गृह निर्माण सह. स.	श्री राम गोपाल	95-98
146.	कैथून गृह निर्माण सह. स.	श्री कन्हैयालाल मंत्री	648-90
147.	अशोका गृह निर्माण सह. स.	श्री अध्यक्ष; उपाध्यक्ष, मंत्री कोषाध्यक्ष संयुक्त रूप से	5724-72
148.	कोटा गांधा गृह निर्माण सह.स.	श्री मोडूलाल अध्यक्ष	279-71
		श्री देवीलाल मंत्री	250-00
149.	शिक्षक गृह निर्माण सह. स.	श्री जगन्नाथ शर्मा मंत्री	1736-00
150.	पोकडी तुलसा गृह निर्माण सह.स.	श्री मन्नालाल अध्यक्ष	5942-00
151.	बारा सह. भूमि वि. बैंक ब्रान्च	श्री रामदयाल	5803-75
152.	अन्ता		
153.	कंवरपुरा गृह निर्माण सह. स.	श्री मदन लाल मंत्री	2100-00
154.	कोटा सह. उप. होलसेल भ.	श्री रतनलाल	8467-33
155.	गोपाल गृह निर्माण सह. स.	श्री रामेश्वर प्रसाद मंत्री	420-75
156.	कोटा सह. उप. होलसेल भ.	श्री ओम शंकर गर्ग	2910-85
157.	खाद बीज सह. स. लाडपुरा	श्री रघुवीर सिंह शर्मा	2560-25
158.	भगवानपुरा ग्राम सेवा सह. स.	श्री कान्तीचन्द्र	1263-99
159.	मांगरोल चमडा उत्पादक सह. स.	श्री चम्पालाल अध्यक्ष	548-08
160.	साघना ग्राम सेवा सह. स.	श्री नेमीचन्द	4431-50
161.	जालेरा ग्राम सेवा सह. स.	श्री दौलतराम	1343-00
162.	किशनपुरा ग्राम सेवा सह.स.	श्री रामगोपाल नागर	2682-70
		श्री मांगी लाल शर्मा	150-00
		श्री किशन चन्द छीपा	70-00
163.	खेड़ा रसूलपुर ग्राम सेवा सह.स.	श्री रमेश चन्द बंसल	2341-89
		श्री राम नाथ व्यवस्थापक	20079-73
164.	बोरदा ग्रान सेवा सह.स.	श्री शम्भु दयाल	10859-91
		श्री फकीर चन्द	560-00
		श्री तसद्दीन हुसैन	375-00
		श्री प्रभुलाल	1716-00
		श्री हसराज	970-00
		श्री विजय शंकर	2040-00
165.	दीगोद ग्राम सेवा सह.स.	श्रीदेवी लाल	1322-96

1	2	3	4
		श्री रामेश्वर	8581-26
		श्री बाबू लाल	165-42
166.	तोथेड़ ग्राम सेवा सह.स.	श्री फूल सिंह	10605-00
167.	आलोक शिक्षक सह.स.लि.	श्री हरि प्रसाद	811-23
		श्री श्रीधर मिश्रा	190-00
168.	कैथून ग्राम सेवा सह.स.लि.	श्री मुकुट बिहारी	1146-80
		श्री बृजमोहन शर्मा	143-00
		श्री जगन्नाथ नागर	956-50
169.	मण्डाना ग्राम सेवा सह.स,	श्री विमलकुमार जैन	216-00
		श्री लाल चन्द	1286-00
170.	खेड़ा रसूलपुर ग्राम सेवा सह.स.	श्री श्री राम नाथ शर्मा	8858-75
		श्री हजारी लाल	927-27
		श्री कान्ती चन्द्र	7907-77
		श्री पांचूलाल	520-00
171.	मोरपा ग्राम सेवा सह.स.	श्री नाथूलाल व्यवस्थापक	15214-00
		श्री राम कल्याण	436-12
172.	लुआवद ग्राम सेवा सह.स.	श्री बृजमोहन मंत्री	1610-65
173.	बालाखेड़ा ग्राम सेवा सह.स.	श्री बजरंगलाल	270-00
174.	भौरा ग्राम सेवा सह.स.	श्री बंशीलाल	100-00
175.	काटोदा ग्राम सेवा सह.स.	श्री मोहन लाल अध्यक्ष	3879-87
		श्री सीताराम राठौड	85-75
176.	बिनायका ग्राम सेवा सह.स.	श्री धन्नालाल व्यवस्थापक	1040-00
177.	सुमेरगंज मंडी कृ.वि.सह.स.	श्री शमशुद्धीन आजाद	1104-84
		श्री उमर खां	443-12
178.	करवाड़ ग्राम सेवा सह.स.	श्री शमशुद्धीन आजाद अध्यक्ष	6484-00
		श्री नबी शेर खां	238-00
179.	सुल्तानपुर ग्राम सेवा सह.स.	श्री मकबूल शाह	6655-60
		श्री गोपी लाल	777-38
		श्री शमशेर खां	958-66
		श्री प्रेम चन्द	200-00
180.	बसूलिया ग्राम सेवा सह. स.	श्री धन्ना लाल	1222-40

1	2	3	4
181.	पीपल्दा ग्राम सेवा सह.स.लि	श्री मोहनलाल	1000-00
		श्री भैरू लाल	170-30
		श्री रामेश्वर	120-00
		श्री दुर्गाशंकर	240-00
		श्री भंवरलाल	100-00
182.	जालीपुरा ग्राम सेवा सह.स.	श्री उदय लाल व कल्याण	26160-80
		श्री उदयलाल	4000-00
		श्री उदय लाल व रतनसिंह	6579-06
		श्री उदयलाल	2255-50
		श्री मुकुट बिहारी	80-00
183.	शाहपुरा ग्राम सेवा सह.स.	श्री हीरालाल पोरवाल	13852-70
		श्री छोटेलाल	360-35
184.	बोरया ग्राम सेवा सह.स.	श्री प्रभूलाल अध्यक्ष	8050-00
185.	बोरखण्डी ग्राम सेवा सह.स.	श्री गजानन्द	11270-00
186.	गणेश ग्राम सेवा सह.स.	श्री प्रकाश चन्द	2834-50
187.	पाडल्या ग्राम सेवा सह.स.	श्री तेजमल अध्यक्ष	435-36
188.	गडेपान ग्राम सेवा सह.स.	श्री प्रभुलाल अध्यक्ष एवं मांगीलाल	80666-83
		श्री मांगीलाल एवं राम कुमार	3648-10
		श्री रमेश चन्द्र व्यवस्थापक	338-08
		श्री प्रभु लाल अध्यक्ष	1011-00
189.	फागदा ग्राम सेवा सह.स.	श्री हीरालाल	375-00
190.	मीयाणा ग्राम सेवा सह.स.	श्री मोहन लाल	1992-25
191.	धाकड़खेड ग्राम सेवा सह.स.	श्री राम स्वरूप पारीक	26-30
		श्री बृजमोहन	500-00
192.	रामराजपुरा ग्राम सेवा सह.स.	श्री जगन्नाथ गौतम	1360-00
		श्री अलमोहम्मद सुजानसिंह एवं	
		श्री चौथमल चपरासी	525-00
		श्री लक्ष्मण सिंह	574-00
193.	खंडारसलपुर ग्राम सेवा सह.स.	श्री लाल चन्द	900-00
194.	गोर्धनपुरा ग्राम सेवा सह.स.	श्री घनश्याम	3687-55
		श्री मोरपाल	1000-00
195.	अरलाई ग्राम सेवा सह.स.	श्री राम स्वरूप	17000-00
		श्री धर्म सिंह	24242-29
		श्री धर्म सिंह एवं श्री मोतीलाल	64893-53

1	2	3	4
196.	मौरा ग्राम सेवा सह.स.	श्री शिव शंकर	16500-00
197.	करवांड़ ग्राम सेवा सह.स.	श्री नूबी शेर खां	500-00
		श्री जयदेव	21-00
198.	लक्ष्मी कनवास ग्राम सेवा सह.स.	श्री विशम्भर दयाल	4766-87
199.	पेचाल कला ग्राम सेवा सह.स.	श्री रामचन्द्र दाधिच	34915-23
		श्री कृष्ण चन्द नन्दवाना	2600-00
		श्री राम चन्द्र मोहिया	300-00
200.	कुभंकोट ग्राम सेवा सह. स.	श्री फकीर मोहम्मद	16033-00
201.	पेचंनलकला वृहत बहु.स.स.	अन्ता श्री रामचन्द्र दाधिच	900-00
202.	लुग्रावद ग्राम सेवा सह. स.	श्री छीतर बैंक व्यवस्थापक	5764-00
203.	कंथून वृहत बहु. स. स.	श्री ओम प्रकाश गौतम	535-99
		श्री नन्द किशोर सुमन	958-07
204.	आवां ग्राम सेवा सह. स.	श्री मदन लाल व्यवस्थापक	676-00
205.	सावंन भादो ग्राम सेवा सह. स.	श्री कन्हैयालाल व्यवस्थापक	6907-00
206.	विजयपुरा ग्राम सेवा सह. स.	श्री शरीफ मोहम्मद व्यवस्थापक	5171-13
		श्री बद्री लाल मंत्री	5367-45
207.	करवाड ग्राम सेवा सह.स.	श्री लुकमान व्यवस्थापक	7282-00
208.	पीपल्दा खुर्द ग्राम सेवा स.स.	श्री दुर्गा शंकर सोनी	71228-23
209.	नोताड़ा ग्राम सेवा सह.स.	श्री रमेश चन्द्र धारवाल	1224-99
210.	बुढसान ग्राम सेवा सह.स.	श्री श्री प्रभु लाल	1187-26
		श्री कान्ती चन्द्र	193-11
		श्री हीरा लाल	784-55
211.	नोताड़ा ग्राम सेवा सह.स.	श्री रमेश चन्द्र धारीवाल	21392-00
212.	बडौदिया ग्राम सेवा सह.स.	श्री ओम प्रकाश व्यवस्थापक	156-00
213.	मंण्डाना ग्राम सेवा सह.स.	श्री कृष्ण चन्द्र भू.पू. व्यवस्थापक	2897-22
		श्री मूल चन्द	1406-86
		श्री जमना लाल	1490-36
		श्री राम चन्द्र	1490-36
214.	रानपुर ग्राम सेवा सह.स.	श्री मान सिंह व्यवस्थापक	2585-09
215.	रामपुरा ग्राम सेवा सह.स.	श्री हीरालाल	210-00
		श्री मान सिंह	210-00
		श्री मोहन लाल	1004-00

Page No 252

1	2	3	4
216.	पाडलिया ग्राम सेवा सह.स	श्री तेजमल शर्मा	4000-00
217.	डूगरज्या ग्राम सेवा सह.स.	श्री रामकुमार	300-00
		श्री जानकी लाल	250-00
218.	फाण्दा ग्राम सेवा सह.स.	श्री बाल चन्द	202-50
		श्री दुर्गा शंकर	150-00
		श्री बाबू लाल	590-00
219.	अरलाई ग्राम सेवा सह.स.	श्री कजोड़मल	125-00
		श्री राम गोपाल	2203-98
220.	रीछड़िया ग्राम सेवा सह.स.	श्री राम किशन पंवार	8463-00
221.	ढोटी ग्राम सेवा सह.स.	श्री बिरधीलाल व्यवस्थापक	25-00
222.	हींगी ग्राम सेवा सह.स.	श्री भोला राम	6495-50
		श्री देवीलाल	1205-50
223.	गादिया ग्राम सेवा सह.स.	श्री राम भरोसी व्यवस्थापक	4571-37
224.	बालूहेड़ा ग्राम सेवा सह.स.	श्री चम्पा लाल व्यवस्थापक	4367-00

विभिन्न जिलों में मंडी याई्स का निर्माण

221. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार की यह नीति है कि राज्य के सभी 27 जिलों में मंडी याई्स का निर्माण कराया जाय ? यदि हां, तो इस नीति के अनुसरण में कितने जिला मुख्यालयों पर मण्डी यार्ड का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ऐसे कितने जिला मुख्यालय हैं जिनमें अभी तक मण्डी यार्ड का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या तदनुसार राज्य सरकार सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर मण्डी यार्ड बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । मण्डी यार्ड का निर्माण आवश्यकतानुसार ही किया जाता है ।

(2) सवाई माधोपुर में मण्डी यार्ड के लिये उपयुक्त भूमि का चयन किया जा चुका है तथा अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है । भूमि उपलब्ध होने पर मण्डी यार्ड का निर्माण किया जा सकेगा ।

विभिन्न सड़क मार्गों पर बस संचालन हेतु आवेदन

222. **श्री घनश्याम जैन** (वेगू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किन किन मार्गों पर बसें लगाने या परमिट लेने हेतु आवेदन करने का प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि निगम को 'सी' क्लास रूट पर, जो एकदम कच्चा है वहां भी आवेदन करने की छूट है ?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक स्वीकृत राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की बसें पर्याप्त संख्या में चल रही हैं ? यदि नहीं, तो हर प्राइवेट बस के रिन्यूअल के समय पथ परिवहन निगम द्वारा आवेदन करने के क्या उद्देश्य हैं ?

(4) क्या सरकार इस नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यात्रियों को यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु किसी भी मार्ग के लिये परमिट लेने हेतु आवेदन करने का अधिकारी है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। क्योंकि उक्त नीति एम. वी. एक्ट के प्रावधानों में निहित है जिसमें परिवर्तन करना न्यायोचित नहीं है।

केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स पर किसानों की बकाया

223. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड पर बूंदी जिले के किसानों की गन्ने की कुल कितनी राशि बकाया है ? यह बकाया राशि किस अवधि की है ? कृपया किसान के नाम मय पते के बकाया राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बकाया राशि का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया है एवं अब भुगतान कब तक हो जायेगा ?

(3) क्या शुगर मिल्स मूल भुगतान के साथ ब्याज का भी भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड पर बून्दी जिले के 1098 किसानों की कुल 12,97,477.81 रुपये की राशि बकाया है। ग्रामवार किसानों की संख्या एवं बकाया राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। यह बकाया राशि दिनांक 20·3·82 के पश्चात क्रय किये गये गन्ने की है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(2) बकाया राशि का भुगतान मिल को भारत सरकार के ऋण प्राप्त नहीं होने के कारण अब तक नहीं किया गया है। यह भुगतान अब 6 अक्टूबर, 82 कर दिया जायेगा। क्योंकि भारत सरकार द्वारा बकाया गन्ना भुगतान के ऋण की स्वीकृति की सूचना प्राप्त हो चुकी है।

(3) जी नहीं। ब्याज के संबंध में भारत सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं।

श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. केशोरायपाटन
सीजन 81–82 की बकाया गन्ना भुगतान की सूची

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	किसानों की संख्या।	अवधि	भुगतान राशि
1	2	3	4	5
1.	मिलगेट केशोरायपाटन	38	23-3-82 से 5-4-82	92744·55
2.	मिलगेट भीया	51	23-3-82 से 6-4-82	120044·47
3.	मिलगेट रेडी	73	25-3-82 से 6-4-82	118699·14
4.	मिलगेट लेसरढ़ा	30	26-3-82 से 6-4-82	18998·11
5.	मिलगेट चितावा	21	26-3-82 व 6-4-82	15362·27
6.	मिलगेट विनायका	3	28-3-82 से 1-4-82	1383·21
7.	मिलगेट सूतगर	14	25-3-82 से 6-4-82	19332·04
8.	कापरेन	15	23-3-82 से 30-3-82	20143·72
9.	अरनेठा	40	20-3-82 से 5-4-82	50065·20
10.	मायजा	20	23-3-82 से 5-4-82	38914·92
11.	लाड़पुरा	3	28-3-82 से 4-4-82	3621·96
12.	सुंवासा	14	23-3-82 से 2-4-82	21949.65
13.	सुंवासा	3	4-4-82 से 6-4-82	1659·43
14.	बाजड	21	21-3-82 से 5-4-82	62645·25
15.	तालेड़	59	31-3-82 से 6-4-82	59758·60
16.	अल्फानगर	21	26-3-82 से 6-4-82	30923·33
17.	बल्लोप	33	31-3-82 से 6-4-82	26752·52
18.	नमानारोड़	147	23-3-82 से 4-4-82	105370·44
19.	रामगंज	38	31-3-82 से 5-4-82	19280·70
20.	रामगंज (पूरकशीट)	1	5-4-82	273·63
21.	दोलाड़ा	48	26-3-82 से 6-4-82	31988·40

1	2	3	4	5
22.	मून्डथसा	33	1-4-82 से 6-4-82	24630·24
23.	मोतीपुरा	12	15-3-82 से	2485·68
24.	देई	6	21-3-82 से 28-3-82	2752·68
25.	ग्रालोद	86	26-3-82 से 6-4-82	167947·50
26.	धा. नयागांव	258	26-3-82 से 6-4-82	201517·68
27.	सीताबाड़ी	8	24-3-82 से 31-3-82	38132·50
		1098		1297477·82

परिशिष्ट "ब"

श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. केशोरायपाटन
(भारत सरकार द्वारा प्रबन्धित चीनी उपक्रम)

क्रमांक/एफ. 6/(108) लेखा/82 दिनांक 7-9-82

कार्यालय ग्रादेश

मिलगेट एवं वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों का ग्रंतिम गन्ना कीमत भुगतान दिनांक 20 सितम्बर, 1982 से प्रारम्भ किया जा रहा है। समस्त गन्ना कीमत भुगतान (वाह्य केन्द्रो सहित) मिल कार्यालय में ही किया जावेगा। ग्रतएव समस्त गन्ना उत्पादक उनका देय शेष भुगतान उनके सर्किल/गन्ना क्रय केन्द्रों के ग्रागे ग्रंकित दिनांक को कार्यालय समय पर मिल में ग्राकर प्राप्त करलें :—

क्र. सं. 1	सर्किल/केन्द्र का नाम 2	भुगतान तिथि 3
1.	(ग्र) मिलगेट (के. पाटन) (ब) कापरेन	20 सितम्बर, 1982 सोमवार
2.	(ग्र) मिलगेट (धीया) (ब) ग्ररनेठा	21 सितम्बर, 1982 मंगलवार
3.	(ग्र) मिलगेट (रडी) (ब) मायजा	22 सितम्बर, 1982 बुद्धवार

1	2	3
4.	(अ) मिलगेट (लेसरदा) (ब) लाडपुरा	23 सितम्बर, 1982 बृहस्पतिवार
5.	(अ) मिलगेट (चितावा) (ब) सुवासा	24 सितम्बर, 1982 शुक्रवार
6.	(अ) मिलगेट (बिनायका) (ब) बाजड	25 सितम्बर, 1982 शनिवार
7.	(अ) मिलगेट (सूनगर) (ब) तालेड़ा	27 सितम्बर, 1982 सोमवार
8.	(अ) अल्फानगर (ब) बल्लोप	29 सितम्बर, 1982 बुद्धवार
9.	(अ) नमानारोड़ (ब) रामगंज	30 सितम्बर, 1982 बृहस्पतिवार
10.	(अ) दालोड़ा (ब) मूण्डथला	1 अक्टूबर, 1982 शुक्रवार
11.	(अ) मोतीपुरा (ब) देई	4 अक्टूबर, 1982 सोमवार
12.	(अ) अलोद (ब) धा. नयागांव	5 अक्टूबर, 1982 मंगलवार
13.	(अ) सीता वाड़ी	6 अक्टूबर, 1982 बुद्धवार

मन्दिरों की भूमि पर अनधिकृत कब्जे-कोटा

224. **श्री रामकिशन** (लाडपुरा) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा में मन्दिरों की भूमि पर काबिज व्यक्तियों को हटाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जिलाधीश कोटा को आदेश दिये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इन व्यक्तियों को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत हटाया जा रहा है ? यदि हां, तो कैसे ?

उत्तर

(1) केवल कोटा जिला के राजकीय प्रभार

257

(देवस्थान राज्य मंत्री)

के मंदिरों के लिए ही नहीं अपितु समस्त राज्य के मंदिरों की भूमियों से अतिक्रमण हटाने के लिये निर्देश जारी किये गये हैं।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक परिस्थिति राजस्व विभाग के परिपत्र सं० एफ 21 (76) राज /1/ 78, दिनांक 14–5–79 में दर्शाई गई है, जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GR–I) DEPARTMENT

No. F. 21 (76) Rev–I/78 Dated, Jaipur, the 14-5-79

To

The Commissioner,
Devasthan Department,
Rajasthan, Udaipur

Sub. :—Meeting to review the working of the Department.

Sir,

I am directed to refer to your latter No. F.S.(2) Gen/Dev/71/2067 dated the 9th Feb. 1979 on the above subject and to say that the view of the Collector, Udaidur does not seem to be correct as far as question of taking action against trespassers in respect of land belonging of temples owned and managed by devasthan department is concerned. As per definition of land given in section 103 of the Rajasthan Land Revenue Act, land as defined in clause 24 of Section 5 of the Rajasthan Tenancy Act is also included in the definition of land for the purposes of Chapter 6 of the Land Revenue Act. According to section 91 of the Land Revenue Act any person who occupies or continue to occupy land with lawful authority shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted therefrom by the Tehsildar any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed. The land vesting in the temples owned by devasthan department is for all purposes land owned by the Government and there should not be any difficulty in takin action under Section 91 in respect of such land.

As far as the question of the land belonging to the temples which are not owned by devasthan department is concerned, the action under section 91 cannot be taken and removal of traspass over such land recourse to provision of Section 185 of the Rajasthan Tenancy Act shall have to be taken. For such type of land, you should advise the management of the temple concerned to take action accordingly.

Yours faithfully,

Sd/-

Deputy Secretary to Government.

विद्युत मंडल के कर्मचारियों की हड़ताल

226. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के कर्मचारियों ने वर्ष 1982 में अपनी किन मांगों को लेकर हड़ताल की थी? कृपया कर्मचारियों का मांग-पत्र सदन के पटल पर रखें।

(2) मण्डल के कर्मचारी किस तिथि से किस तिथि तक हड़ताल पर रहे? हड़ताली कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और काम पर आने वाले कर्मचारियों की कितनी?

(3) कर्मचारी हड़ताल के अन्तर्गत पुलिस द्वारा कितने कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया? क्या गिरफ्तार कर्मचारियों में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत गम्भीर अपराधिक धाराओं के अन्तर्गत भी मण्डल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किये गये? क्या सभी मुकदमों को वापस ले लिया गया? यदि नहीं, तो कितने मुकदमे विचाराधीन हैं?

(4) मण्डल कर्मचारियों की हड़ताल से निपटने के लिये जो कदम उठाये गये उनमें मण्डल-कोष से कितनी धनराशि किस किस मद में व्यय की गई? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(5) क्या हड़ताल पर गये सभी स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया गया है? यदि नहीं, तो कितनों को काम पर नहीं लिया और क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पांच श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने "संयुक्त संघर्ष समिति" गठित कर जो मांग पत्र प्रस्तुत किया था और जिस आधार पर हड़ताल की गई थी उसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त संयुक्त संघर्ष समिति के

(ऊर्जा मंत्री)

आव्हान पर मण्डल के कर्मचारियों का एक बड़ा भाग दिनांक 19 मई को रात्रि को 11 बजे से दिनांक 15 जुलाई, 1982 तक हड़ताल पर रहा। हड़ताल की अवधि के दौरान हड़ताल पर रहे कर्मचारियों एवं कार्य पर आने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिदिन परिवर्तन होता रहा। इसके अतिरिक्त कुछ कर्मचारी पहले से ही स्वीकृत/अस्वीकृत अवकाश पर थे अथवा अवकाश पर चले गये। अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों को न तो हड़ताली कर्मचारियों की संज्ञा दी जा सकती है न ही कार्य पर उपस्थित होने वाली। अतः हड़ताली कर्मचारियों को एवं कार्य पर आने वाले कर्मचारियों की सही संख्या अभी देना संभव नहीं है। तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार हड़ताल कर्मचारियों की संख्या विभिन्न दिनों में लगभग 41 हजार से 42 हजार के बीच में रही और कार्य पर आने वालों की संख्या लगभग 12500 से 15 हजार के बीच रही।

(3) हड़ताल की अवधि में पुलिस सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हड़ताल के दौरान 5246 कर्मचारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था जिनमें अधिकांश कर्मचारी थे। जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता में कुल 315 मुकदमे दर्ज किये गये परन्तु इनमें लिप्त कर्मचारियों की निश्चित संख्या देना संभव नहीं है, क्योंकि इन मुकदमों में गैर-कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों में से कोई मुकदमा अभी वापस नहीं लिया गया है। ऐसे कुछ मुकदमों में एफ.आर. दी जा चुकी है तथा कुछ न्यायालय द्वारा निर्णीत किये जा चुके हैं।

(4) हड़ताल से निपटने के लिये जो कदम उठाये गये उनमें विभिन्न कार्यालयों द्वारा भिन्न मदों पर धनराशि व्यय की गई है। इस व्यय के आंकड़े पूरे प्रदेश में स्थित सहायता अभियन्ता तक के स्तर के कार्यालयों से प्राप्त लेखों की जांच एवं संकलन के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेंगे।

(4) कुछेक ऐसे सुपरवाइजरी श्रेणी के कर्मचारियों, जो हड़ताल पर नहीं होते हुये भी हड़ताल की अवधि में बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहे या ऐसे कर्मचारी जिन्हें न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है, को छोड़कर शेष उन सभी स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को जो काम पर उपस्थित हुए, काम पर वापस ले लिया गया है।

260

RAJASTHAN VIDYUT SHRAMIK SANYUKT SANGHARSH SAMITI

2 Form-L

(See Rule 71 of the Rajasthan Industrial Disputes Rules, 1958)

FORM OF NOTICE OF STRIKE TO BE GIVEN BY THE WORKMEN IN PUBLIC UTILITY SERVICES

Ref. No. /RVSSSS/ 101 Jaipur, dated, 15.4.82

From :

Rajastan Vidhyut
Shramik Sanyukt Sangharsh Samiti,
Mazdoor Maidan, Power House, Jaipur.

To,

Shri C. R. Mehta,
Secretary,
Rajasthan State Electricity Board,
Jaipur.

Dear Sir,

In accordance with the provisions contained in Sub section 1 of Section 22 of the Industrial Disputes Act, 1947, we give this notice that we propose to call strike within six week but not before the fortnight from the date of issue of this notice for the reasons explained in the Charter of Demands.

Yours faithfully-

Sd/-		Sd/-
(Fateh Singh)	AITUC	(Ram Pd. Sharma)
General Secretary,		Secretary
Raj. Bijli Workers Fed,		Raj, Bijli workers Fed.
Sd/-		Sd/-
(Krishna Kant Verma)	CTTU	(Kishore Singh)
General Secretary,		Secretary,

Raj. Vidyut Kamgar Ekta Federation.		Raj, Vidyut Kamgar Ekta Federation.
Sd/–		Sd/–
(Krishna Gopal)		(V. K. Yadv)
Org. Secretary,		President
Raj. Rajya Vidyut Karmachari Federation.		Raj. Rajya Vidyut Karmachari Federation.
Sd/–		Sd/–
(P. S. Awana)	BMS	(Heeralal Nirankari)
General Secretary,		President
Raj. Vidyut Shramik Mahasangh.		Raj. Vidyut Shramik Mahasangh.
Sd/–		Sd/–
(Damodar Maurya)	IRTUC	(J. S. Rathod)
Generl Secretary,		President,
P. V. M. M. Federation.		P. V. M. M. Federation.

Copy to the following for information and necessary action :—

1. The Labour Commissioner & Conciliation Officer, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
2. Tho Chief minister, Rajasthan, Jaipur.
3. The Energy Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. The Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
5. The Power Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
6. Chairman, Raj. State Electricity Board, Jaipur.
7. The Accounts Member, RSEB. Jaipur.
8. Tho Technical Member, RSEB. Jaipur.
9. The Chief Engineer RSEB,
10. The F. A. & COA, RSEB, Jaipur.
11. The C. I. A. RSEB, Jaipur.
12. The –

262

RAJASTHAN VIDYUT SRAMIK SANYUKT SANGARSH SAMITI

CHARTER OF DEMAND

he following Charter of Demands covering all Sections of employees of the Rajasthan State Electricity Board, such as Ministerial, Class Iv, Technical including workcharged, Daily Rated, Casual etc. is submitted:–

Demad No. 1

(i) proper grades be formulated and enforced with effect from 1-4-79 in respect of all categories of employees of the Rajasthan State Electricity Board. These grades should be based on the Minimum pay/wage of Rs. 500/–P. M. as on 1-4-79 for unskilled and class IV employee.

(ii) The minimum of each category of post and pay scale be increased by an amount equal the percentage/ratio of benefit allowed to the lowest pay scale.

(iii) Each employee be given service weightage on the basis of length of service, one grade increment for each set of two years service.

(iv) All emplovees be provided with rent free accommodation and in the absence of such accommodation employees be paid house rent allowance @ 15% of their salary w. e. f. 1-4-79

(v) Dearness Allowance be linked with All India Consumers, Price Index, 1960, series and be paid @ Rs. 1.75 per point on the quarterly increase basis w. e. f. 1-4-79.

(vi) City Compensatory Allowance @ 5% of salary be paid w. e. f. 1-4-79 to employees posted at all District Head Quarters,

Demand No. 2

Order No. RSEB/Karmik/ D. 900 dated 16th June, 81 be withdrawn from the date of issue.

Demand No. 3

(i) Promotin policy be formulated so that each employee is promoted as soon as he completes seven years of service in particular cadre|grade or he should be invariably allowed next higher scale i. e. selection grade from the date he completes seven years of service. This process be commenced from 1-4-49.

(ii) Posting and transfer policy should be framed mutually.

(iii) Contract system be abolished and ban on recruitment be lifted including ban on recruitment of dependant of retired Board Employees. Appointments to all such pending cases be given immediately.

(iv) Orderlies and workcharged/Daily rated employees who have completed 240 days be allowed scale No. 1 from the date they have completed 240 days in twelve calender months alongwith all benefits and facilities.

(v) Law Graduates Employees of the Board be promoted as Assistant personnel officeres. II.

(vi) Steno-typists who have completed 3 years of service as Steno-typist be promoted as Stenographer Grade-II.

Demand No. 4

(i) Free electricity be allowed to all employees of the Board.

(ii) Leave travel Concession be allowed to all employees.

(iii) One set of leave rules/Provisions/ regulations for all categories of employees.

(iv) Employees coveredunder Employees State Insurance meets with non-fatal accident arising out of and while performing duty at the works and is required to remain ase Indoor patient in any Hospital/dispensary should be paid full wages for the period he remains hospitalised and or incapable to work.

(v) Rs, 5,000/– be paid as subsistence money to the dependent, if an employee expires during service. Rs. 10,000/-- be paid as sudsistence money to the money to the dependent, if an employees expires due to accident during duty hours and in both the cases all type of loans and advances taken by him be waived.

(vi) Quality of uniform including woollen uniform be improved, quantity be increased and this facility be extended to all employees under scale no. 1 to 6 including workcharged and daily rated employees. Stitching charges be paid at market rate, all employeees paid Rs. 10/-- per month as uniform keep up allowance.

(vii) All categories of employees be provided two cakes of Lifebuoy soap and two metre cloth per month.

(viii) Two pairs of shoes to all workmen in a year be provided looking to their jobs.

(ix) Board should arrange bail of those vehicle drivers and cleaners who are arrested in any accident case during the course of their duty and expenditure of the court cases be borne by the Board. Similarly if a workman gets acquitted from the appropriate court in the criminal case initiated and registered by the management be reimbursed fully by the Board.

(x) Cycle Allowance at the rate of Rs. 30/- P. M. motor Cycle and Scooter Allowance at par with Junior Engineers be paid to all empoyees of scale No. 1 to 6 including workcharged and daily rated employees.

265

(xi) Time bound for Daily Allowance be withdrawn and the employees be paid full daily allowance for period they remain outside from their Head Quarters and rate of DA be increased.

(xii) Special pay/Allowance of the following categories of employees be paid as below:--

(a) Cashier (Security Allowance)	Rs. 5/-	to Rs. 30/-	p. m.
(b) Typing Allowance	Rs. 12/-	to Rs. 30/-	p. m.
(c) Reconciliation allowance	Rs. 10/-	to Rs. 30/-	p. m.
(d) E. S. I. Clerk	Rs. 5/-	to Rs. 20/-	p. m.
(e) Store keeper (Security Allowance)	Rs. 10/-	to Rs. 30/-	p. m.
(f) ward keeper	Rs. 5/-	to Rs. 30/-	p. m.
(g) Asstt. Store keeper.	Rs. 10/-	to Rs. 30/-	p. m.
(h) Bradma Operator	Rs. 10/-	to Rs. 30/-	p. m.
(i) Asstt. Bradma operator	Rs. 10/-	to Rs. 30/-	p. m.
(j) Accounts Clerk	Rs. 10/-	to Rs. 40/-	p. m.
(k) Steno typist	Rs. 25/-	to Rs. 40/-	p. m.
(l) Established work Supervision allowance.	Rs. 20/-	to Rs. 40/-	p. m.
(m) Heavy Vehicle Allowance.	Rs. 20/-	to Rs. 40/-	p. m.
(n) Gestetner Operator.	Rs. 5-/	to Rs. 20/-	p. m.
(o) Project & Hydel Allowance be paid to all employees including PLCC and Civil attached with the projects.	Rs. 10%	to 20%	p. m.
(p) Night duty allowance.	Rs. 5/-		per night

(q) Hard Duty at- Owance to TCC employees. Rs. 20%

(xiii) The remaining fixation workcharged Daily rated and muster roll employees be completed keeping in view their working trade in accordance with the Singh Shncheti Award. Employees expired and retired before the date of announcement of Singh & sancheti Award should also be allowed the benefit of the said Award.

राजस्थान बीज निगम द्वारा बाजरे के बीज का क्रय

227. **श्री महेन्द्र सिंह** (सांगरिया):– क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान बीज निगम ने सन् 1980-81 में बाजरे का बीज कितनी मात्रा में खरीदा? उस समय राजस्थान में कितने क्विंटल बाजरे के बीज की आवश्यकता थी? यह बीज किन किन फर्मों से खरीदा गया? उसमें से कितना बीज वितरण हुआ तथा कितना शेष रहा?

(2) क्या बाजरे का बीज गुजरात से भी क्रय किया गया? यदि हां, तो कृपया जिस समय बीज खरीदा उस समय की प्रस्फुटित होने की रिपोर्ट व अब जो 12 हजार क्विंटल बाजरे का बीज शेष बचा उसकी जर्मिनेशन रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितना बाजरे का बीज खरीदा गया और प्रति वर्ष किसानों को कितना बीज वितरित किया गया?

(4) राज्य बीज निगम को प्रति वर्ष कितना घाटा या मुनाफा हुआ और किस कारण?

उत्तर

(1) खरीफ 80 में वितरण हेतु राज्य बीज निगम ने 5582 क्विंटल बाजरे का बीज खरीदा। यह बीज राष्ट्रीय बीज निगम से खरीदा गया। निगम के पास कुल 7075 क्वि. बाजरे का बीज था जिसमें से 6913 क्वि. बीज वितरित किया गया। निगम को कृषि विभाग ने 15070 क्वि. बीज की मांग दी थी। खरीफ 81 में वितरण हेतु निगम ने 24458 क्वि. बाजरे का बीज खरीदा। यह बीज निम्न स्रोतों से खरीदा गया–

राष्ट्रीय बीज निगम	8510 क्वि.
कार्तिक खेती बाड़ी बीज केन्द्र कम्पनी प्राइवेट लि. अहमदाबाद	11592 ,,
ग्रोवेल एग्रो ट्रेड्स, जालना	1856 ,,
किसान सेवक सीड कम्पनी, अमरावती	2500 ,,

(2) निगम के पास कुल 24458 क्वि. बीज था जिसमें से 13801 क्वि. वितरित

(कृषि मंत्री)

किया गया। निगम को कृषि विभाग द्वारा 28592 क्वि. बाजरे के बीज की मांग दी गई थी।

खरीफ 81 में निगम द्वारा गुजरात की दो फर्मों से बाजरा बीज क्रय किया गया। बाजरा बीज क्रय करते समय गुजरात सीड्स सर्टिफिकेशन एजेन्सी, अहमदाबाद द्वारा क्रय किये गये लॉट्स की अंकुरण क्षमता 79% से 92% थी। वितरण के पश्चात् शेष बचे बाजरे बीज की अंकुरण क्षमता भी 75% (न्यूनतम) से अधिक थी, जो बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा (जयपुर) की रिपोर्ट दिनांक 1.3.82 के अनुसार स्पष्ट है (प्रति संलग्न है)।

(3) गत पांच वर्षों में निगम द्वारा क्रय किए गए एवं वितरण किए गए बाजरे के बीज का विवरण इस प्रकार हैं :-

(मात्रा-क्विंटल)

वर्ष 1	क्रय किया गया 2	वितरण किया गया 3
1979	10052 (एन.एस.सी/ विभागीय)	8559
1980	5582	6913
1981	24458	13801
1982	8572	9212

राज्य बीज निगम को हुए मुनाफे एवं घाटे का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	मुनाफा (आयकर एवं लाभांश)	घाटा
1978-79	—	11927
1979-80	4,49,472	—
1980-81	5,17,546 (अनुमानित)	—

(4) चूंकि 1978-79 निगम के कार्यकाल का प्रथम वर्ष था, अतः निगम पर्याप्त मात्रा में बीज इत्यादि का प्रबन्ध नहीं कर पाया। परिणामस्वरूप रु. 11927 का घाटा उठाना पड़ा। वर्ष 81-82 का लेखा-जोखा अभी तैयार हो रहा है अतः मुनाफे अथवा घाटे की स्थिति अभी नहीं बताई जा सकती।

राजस्थान स्टेट साइ्स कार्पोरेशन लि०, जयपुर
सीड प्रोसेसिंग प्लान्ट, दुर्गापुरा

क्रमांक :—एफ (1) डी पी आर/81-82/443 दिनांक 1-3-82

श्रीमान् प्रबन्ध संचालक,
राजस्थान राज्य बीज निगम,
जयपुर।

विषय :—बाजरा, बी. जे.–104 के परिणाम के संबंध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम से जो बाजरा, बी. जे.–104 मात्रा 100·00 क्वि. इस विधायन केन्द्र पर लाया गया था उसके नमूने श्री नारायण सिंह जी राठौड़ के मौखिक आदेशानुसार बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे गये थे जिनके परिणाम आ गये हैं। जो निम्न प्रकार से हैं अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रस्तुत है :—

क्र. सं.	लेब टैस्ट या सैम्पल नं.	लॉट नं	फसल/किस्म	बीज की श्रेणी	प्योरे सीड%	इनरट मैटर%	नार्मल सीडलिंग	एबनार्मल %	डेड सीड %
1.	82–459	एस–81–66 सीसी के–102	बाजरा बी. जे.	प्रमाणित	99·2	0·8	92	3	5
2.	82–460	,, /10	,, 104	,,	99·2	0·8	93	3	4
3.	82–461	,, /4	,,	,,	100·00	ट्रेस	87	5	8
4.	82–462	,, /09	,,	,,	100·05	ट्रेस	93	3	4
5.	82–463	,, /103	,,	,,	99·5	0·1	93	3	4
6.	82–464	,, /69	,,	,,	99·9	0·1	93	3	4

ह०
इन्चार्ज,
सीड प्रोसेसिंग प्लान्ट, दुर्गापुरा

जयपुर में ड्राईपोर्ट का निर्माण

228. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार का जयपुर नगर में ड्राईपोर्ट बनाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सरकार द्वारा अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया ।

(2) प्रश्न नहीं उठता है ।

बनास नदी पर पुल का निर्माण

229. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में बनास नदी पर पुल निर्माणाधीन है ? प्रारम्भ में इसके निर्माण कार्य पर कितना व्यय अनुमानित था और कब तक पूर्ण करने की अवधि नियत थी ?

(2) क्या यह सही है कि निर्माण कार्य के सन्दर्भ में ठेकेदार द्वारा लगाई गई शर्त को सरकार द्वारा मान लिया गया था ? यदि हां, तो शर्त क्या थी तथा क्या उसका अब तक पालन किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि बनास के पुल निर्माण का कार्य बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो किस कारण से तथा कब तक पुनः चालू किया जायेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि अब पुल के पूर्ण निर्माण में पहले के अनुमानित कार्य से अधिक व्यय होगा ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी हां । प्रारम्भ में इसके निर्माण कार्य पर 76·00 लाख रु० व्यय किया जाना अनुमानित था और 9–5–79 तक कार्य पूर्ण किया जाना था ।

(2) निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा लगाई शर्तें (1) दिनांक 31–3–75 के बाद मूल्य सूचकांक के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान (2) निश्चित दर पर सीमेन्ट व लोहा की सप्लाई एवं (3) निर्धारित लेवल से अतिरिक्त गहराई की खुदाई का भुगतान, सरकार द्वारा मानली गई थीं जिनका पूर्णरूपेण पालन किया गया है ।

(3) यह सही है कि वर्षा की वजह से पीयर नं 10 की खुदाई का कार्य एवं पानी के अन्दर के पीयर नं. 4, 5 व 6 का कार्य संवेदक द्वारा प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण बन्द पड़ा है । पानी का स्तर कम होने पर पुनः कार्य माह नवम्बर, 82 में चालू किये जाने की संभावना है ।

(4) पुल के पीयर में निर्धारित सतह से अतिरिक्त खुदाई, सीमेन्ट, लोहे एवं मूल्य सूचकांक के अनुसार अतिरिक्त भुगतान की वजह से व्यय लगभग 92.00 लाख रुपया होने का अनुमान है । अधिक व्यय के लिये

Page No 270

(270)

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)
कोई जिम्मेदार न होने के कारण कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि विकास बैंक, प्रतापगढ़ में अध्यक्ष का मनोनयन

230. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980 से भूमि विकास बैंक प्रतापगढ़ के अध्यक्ष पद पर अब तक राज्य सरकार ने दो राजनैतिक कार्यकर्ताओं का मनोनयन किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि माह जुलाई, 1982 में राज्य आज्ञा द्वारा भूमि विकास बैंक, प्रतापगढ़ के घोषित चुनाव को स्थगित कर दिया है ? कृपया कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) भूमि विकास बैंक, प्रतापगढ़ में वर्ष 1980 से जुलाई, 1982 तक किस किस मनोनीत अध्यक्ष द्वारा कितना यात्रा भत्ता उठाया गया तथा कितना जीप का पेट्रोल व्यय किया गया ? कृपया की गई यात्राओं का विवरण सदन के पटल पर रखें ।

क्या सरकार सीकर नगर की जनसंख्या, खेलों के महत्व आदि को देखते हुए वहां स्टेडियम बनाना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आदेश दिनांक 10.7.81 के द्वारा श्री हरलाल मीणा को तथा उनके द्वारा कार्यभार न संभालने पर आदेश दिनांक 4.5.82 के द्वारा श्री ईश्वरलाल पाटीदार को अध्यक्ष मनोनीत किया ।

(2) जी हां, संचालक मंडल की अपील पर राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प. 3/229/सह. कृषि. 4/82, दि. 29.7.82 द्वारा निर्वाचन स्थगित किये ।

(3) मनोनीत अध्यक्ष, श्री ईश्वरलाल पाटीदार ने दिनांक 15.5.82 को कार्यभार संभालने के पश्चात् 516.40 रु. का यात्रा भत्ता तथा 112 लीटर डीजल का उपयोग किया । की गई यात्राओं का विवरण संलग्न है ।

की गई यात्राओं का विवरण

दिनांक 1	कहां से 2	कहां को 3	डीजल 4
29.5.82	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़ व वापसी	–
1.6.82	प्रतापगढ़	मुवासिया	
		बांरी	
		थमोतर	
		कुलमीपुरा	
		प्रतापगढ़	15 लीटर
3.6.82	प्रतापगढ़	कुनी	
		बडोदिया	
		सैलारपुरा	
		मन्दसोर	
		मचलाना	
		प्रतापपुरा	
		प्रतापगढ़	10 लीटर
11.6.82	प्रतापगढ़	जयपुर व	–
		वापसी	
18.6.82	प्रतापगढ़	घोटारसी	
		भीखपुरा	
		कुलमीपुरा	
		ढलमु वापस	10 लीटर
20.6.82	प्रतापगढ़	बांरावरदा	
		सेवरा	
		मैरादखेडी	
		घमोतूर	
		दुवापत	20 लीटर
25.6.82.	प्रतापगढ़	चिकलाई	

1	2	3	4
		ग्यासपुर	
		फुगालालाब	
		मुगाडा, पुन्डावा	
		महेन्दाखेडा	
		प्रतापगढ़	20 लीटर
22.7.82 से	प्रतापगढ	जयपुर व	
27.7.82		वापसी	–
20.8.82	प्रतापगढ	बांरवारदा	
		सेवरा	
		प्रतापगढ़	
		अरनोद से वापस	22 लीटर
29.8.82	प्रतापगढ	कुलमीपुरा	
		बांरावरदा	
		मेरियाखेडी	
		छोटीसादडी	15 लीटर
		योग	112 लीटर

सीकर नगर में स्टेडियम का निर्माण

231. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सीकर में स्टेडियम बनाने हेतु जिला प्रशासन का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह स्टेडियम किस स्थान पर बनेगा तथा कितना खर्चा आयेगा ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं।

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं का चयन

232. **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो कनिष्ट अभियन्ता के पदों पर कार्य कर रहे थे उन्हें सन् 1978 में सीधा तदर्थ सहायक अभियन्ता के पदों पर लगा दिया गया जो कि पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित होने के बाद भरे जाने चाहिये थे ? यदि हां, तो ऐसे कितने रिक्त स्थान भरे गये एवं कितने लोगों को तदर्थ सहायक अभियन्ता लगाया गया ? कृपया संबंधित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सन् 1978 के बाद लोक सेवा आयोग ने इन पदों हेतु चयन करने के लिये कौन से वर्ष में कौनसी तारीख तय की तथा कितने पदों को भरने की घोषणा की ? विभाग ने कितने पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को लिखा था ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सेवा आयोग से घोषित पद निश्चित तिथि को नियमानुसार भर लिये गये थे ? यदि हां, तो कुल घोषित पदों में से कितने भरे गये एवं कितने खाली रहे ?

(4) लोक सेवा आयोग से सभी रिक्त पदों पर चयन कर लेने एवं विभाग द्वारा चयनित व्यक्तियों को लेकर रिक्त पद भर लेने पर उन सहायक अभियन्ताओं का क्या किया गया जिन्हें इन्हीं रिक्त पदों के लिये तदर्थ रूप में लिया गया था ?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1978 में सहायता अभियन्ता (सिविल) के सीधी भर्ती के पदों पर 182 कनिष्ठ अभियन्ताओं की तदर्थ नियुक्तियां की गई। आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) वर्ष 1978 के पश्चात् लोग सेवा आयोग ने सहायक अभियन्ता के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु वर्ष 1980 में दिनांक 11–2–80 से 4–4–80 तक साक्षात्कार लिया, तदुपरान्त विभाग को प्रार्थनानुसार 201 चयनित अभ्यर्थियों के नामों की अभिस्थापना मूल सूची से तथा 20 नामों की अभिस्थापना आरक्षित सूची से की गई। विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को प्रारम्भ में 201 पदों के लिए प्रार्थना की गई थी तथा इसके पश्चात् आरक्षित सूची से 20 नाम और भेजने हेतु लिखा गया। इस प्रकार कुल 221 पदों के लिये लोक सेवा आयोग से प्रार्थना की गई।

(3) जी हां। कुल घोषित 221 पदों के लिए 4–4–81 तक नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये थे किन्तु उनमें से 36 व्यक्तियों के विभाग में कार्यभार न सम्भालने अथवा छोड़ देने/मृत्यु हो जाने के कारण 36 पद रिक्त रहे।

(4) सीधी भर्ती के पदों पर तदर्थ रूप से पदोन्नत किये गये 182 कनिष्ठ अभियन्ताओं में से 105 व्यक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कर लिये गये। शेष रहे 77 तदर्थ सहायक अभियन्ताओं की स्थिति निम्नानुसार है :—

47 — तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हैं।
21 — सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति हेतु कनिष्ठ

(सिंचाई मंत्री)

2–कार्यभार नहीं सम्भाला।
6–विभाग छोड गये।
1–मृत्यु हो गई।

अभियन्ताओं के पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत समायोजित किया गया है। 77

9 — विभाग छोड़ चुके है।

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER IRRIGATION RAJASTHAN JAIPUR

No. 40 Estt/4377 Jaipur, dated 4th August, 1978

OFFICE-ORDER

1. Under rule 27 of Rajasthan services of Engineer (Irrigation Branch) Rules, 1954, the undersigned hereby appoints following candidates on purely urgent temporary basis, to the Post of Assistant Engineer (Civil) against direct quota posts from the date of their taking over the charge of the post for a period of three months or till a candidate selected by the Rajasthan Public Service Commission, Ajmer or by any other method provided in the rules is made available, whichever is earlier and posted at the place shown against each.

2. The date of birth of these candidates have been verified from their Secondary/Higher Secondary Certificates and is shown against each.

3. The appointment shall stand terminated on the expiry of the above period unless specifically extended further.

4. They will get the pay under rule 26 of Rajasthan Service Rules @ Rs 750/-(Seven Hundred & Fifty only) in the pay scale of Rs. 750-30-1020-40-1300-50-1350 and other allowances admissible under the relevant rules. No T. A. will be admissible for joining the post.

5. It is certified that the appointments have been made in accordance with the provision available in the said Service Rules and that the certificate prescribed by the Department of Personnel vide No. F. 8 (28) DOP/A-II/73 dated 21.11.1974 are hereby attached.

S. No.	Name	Father's Name	Date of birth	Present place of posting as J. E N.	Place of Posting as A. E. N.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sh. Madan Mohan Gupta	Sh. Ram Nath Gupta	6-4-47	Ajmer Irg. Circle.	Irg. Sub-Dn. Haran (Vacant post)
2.	,, Bhanwar Lal Jain	,, Chela Ram	8-11-45	RCP Org.	RCP Org.
3.	,, Satya Prakash Bhutani	,, Harish Chand Bhutani	1-7.47	-do-	-do-
4.	,, Nemi Chand Sethia	,, Ganpat Lal	11-1-44	-do-	-do-
5.	,, Narendra Deo Punia	,, Lal Chand Punia	27-7-47	-do-	-do-
6.	,, Ramesh Chandra Srivastava	,, Har Narain Srivastava	2-1-45	Mahi Org	Mahi Org.
7.	,, Omprakash Srivastava	,, Shyam Sunder Srivastava	17-7-45	CAD CP Kota	CAD CP Kota.
8.	,, Nawab Singh	Late ,, Ghanshyam Singh	5-10-51	Udaipur Irg. circle.	Jakham CAS Survey Sub Dn. Dharaiawad.
9.	,, Pyara Singh.	,, Mukund Singh	1-1-44	RCP Org.	North west Bhakra CAD Sub Dn. Sadar Pura.
10.	,, Dev Dutt Sharma	,, S. B. Sharma	20-6-44	CAD CP Kota.	CAD CP Kota.
11.	,, Sunder Dass	,, Hari chand	14-11-44	RCP Org.	CAD RCP Org.
12.	,, Babu Ram Agrawal	,, Narain mal Agrawal	21-9-47	RCP Org.	RCP Org.
13.	,, Brij Mohan Goyal	,, Goury Shanker Goyal	29-1-49	RCP Org.	Gang. Canal CAD Sub Dn. Faquirwali
14.	,, Virendra Kumar Joshi	,, S. S. Joshi	15-1-45	Mahi Org.	Mahi Org.

1	2	3	4	5	6
15. Sh.	Mahendra Bhushan Goyal	Sh. Dr. Mahavir Pd. Goyal	17-12-47	Beas Porj.	CAD RCP Org.
16. ,,	Vagish Kumar Bhatia	,, Ishwar Dutt Bhatia.	22-11-48	RCP Org.	CAD RCP Org.
17. ,,	Mahesh Chand Gupta	,, R. K. Gupta.	11-3-22	Flood circle Bhartpur	Survey Sub Dn. Dholpur
18. ,,	Satish Chand Modi	,, Kishan Gopal Modi.	11-5-54	—	CAD RCP Org.
19. ,,	Hans Raj Narula	,, Biru Ram	15-7-44	RCP Org.	CAD RCP Org.
20. ,,	Mohan Lal Jain	,, Moti lal Jain	20-12-47	RCP Org.	AEN & TA to S. E. F.I Circle, JPR.
21. ,,	Ram Babu Gupta	,, Jai Narain	17-4-49	JPR. Circle	Master Plan Sub Dn. (I) JPR,
22. ,,	Magan Mal Mundra	,, Laxmi Narain Mundra	5-7-47	RCP Org,	CAD RCP Org;
23. ,,	Bhanwar Lal Mishra	,, Udai Chand Mishra	14-7-47	RCP Org.	RCP Org.
24. ,,	Nitya Nand Sharma.	,, Kanhaiya Lal Sharma.	15-8-48	Udaiyur Irg Circle	Hight Canal Sub Dn. Chariabad
25. ,,	Ramesh Chand Bhargave	,, Kailash Chand Bhargave	30-9-49	RCP Org.	S & I Sub Dn. Rajgarh vice sh. S. K. Bhargave transferred.
26. ,,	Diwan Singh	Late ,, Sugan Singh	25-1-49	JPR Cirale	CAD Survey Sub Dn Uniara.
27. ,,	Kalash Chand Jain	,, Hari Pd. Joshi	14-9-50	RCP Org.	AEN & TA to XEN wagon Diversion Dn. Chittorgarh.
28. ,,	Sawai Singh	,, Mohan Singh	5-12-54	RCP Org.	RCP Org.

1	2	3	4	5	6
29.	Sh. Asha Ram Goyal	Sh. Sant Ram Goyal	17-1-48	RCp Org.	North west Bhakra CAD Sub Dn. Golu wala CAD RCP Org.
30. ,,	Hari Ram Bishnoi	,, Mangla Ram	5-3-52	RCP Org.	CAD RCP Org.
31. ,,	Mahendra Singh Shekhawat	,, Sultan Singh Shekhawat	25-2-48	RCP Org.	CAD RCP Org.
32. ,,	Laxmi Narain Kulmi	,, Jag Nath Culmi	5-9-45	AJmer Circle	Irg. Sub, Dn. Asnawar Jhalawar Distt.)
33. ,,	Ramesh Chand Chaturvedi	,, Gopal Lal Chaturvedi	15-4-48	S & I Jaipur	S & I Sub. Dn. (II) Jhalawar.
34. ,,	Mohd. Harun	,, Mohd. Ibrahim	1-4-48	Mahi Org.	Mahi org.
35. ,,	Satyandra Kumar Pareek	,, Bhonri Lal Pareek	4-8-48	CAD RCP Org.	CAD RCP Org.
36. ,,	Ramesh Chand Gupta	,, Amba Lal Gupta			
37. ,,	Ramesh Babu Gupta	,, Govind Ram Gupta	1-4-50	RCP Org.	CAD RCP Org.
38. ,,	Raj Kumar Nebnani	,, R. C. Nebnani	20-9-50	RCP Org.	CAD RCP Org.
39. ,,	Shyam Sunder Somani	,, Jhampoo Lal	7-1-48	Ajmer Circle	CAD Jetpura Survey Sub Dn. Mandalgarh
40. ,,	Pram Narain Bansal	,, Girwal Lal	20-1-51	Jaipur ,,	Master Plan Dn. JPr
41. ,,	Bhowani Shanker Sharma	,, Onkar Lal Sharma	31-4-48	Mrhi Org.	Mahi Org.
42. ,,	Shabd Prakash Agarwal	,, Sant Dass Agarwal	22-10-47	CAD RCP Org.	CAD RCP Org.
43. ,,	Virendra Kumar Singhal	,, Chanran Ramji	28-7-55	—do—	—do—
44. ,,	Balwant Singh	,, Manphool Singh	15-2-46	RCP Org.	—do—
45. ,,	Hari Kumar Joshi	,, Onkar Lal Joshi	5-10-50	RPS JS Dam Kota	AEN & TA to XEN Modernisation Dn. Jaipur.

(277)

1	2	3	4	5	6
46. Sh.	Prem Chand Rathi	Sh. Bhanwar Lal Rathi	13-2-51	RCP Org.	CAD RCP Org.
47. ,,	Dalam Chand Galere	,, Tola Ram	2-4-49	CAD RCP Org.	—do—
48. ,,	Kanhaiya Lal Gupta	,, Manna Lal	7-6-47	Mahi Org.	Mahi Org.
49. ,,	Praveen Chand Mathur	,, Shive Chand Mathur	27-5-48	Jodhpur	RCP Org.
50. ,,	Ganesh Dass	,, Makkhan Ram	1-6-48	CAD RCP Org.	CAD RCP Org.
51. ,,	Takhatraj Singhvi	,, Ugam Raj.	3-10-48	JPr Circle	Sci Proj. Sub Dn. Sumerpur.
52. ,,	Tej Pal Singh.	,, Amer Singh	6-4-46	CAD RCP Org.	CAD RCP Org.
53. ,,	Avinash Chandra sobti	,, Dwarka Nath Sobti	5-1-48	—do—	—do—
54. ,,	Prabhu Dayal Verma	,, R. N. Verma	12-5-47	CAD CP Kota.	CAD CP Kota.
55. ,,	Ghanshyam Sharma	,, B. N. Sharma	4-1-49	—do—	Modernisation Sub Division Alwar.
56. ,,	Kadar nath	,, Jagan Nath	13-12-48	RCP Org.	CAD RCP Org.
57. ,,	K. D. Shivastava	,, Tarkeshwar Dass	10-4-46	JPR. Circle	CEI's office JPR.
58. ,,	Mahesh Chandra Saxena.	,, Chandra Mohan Saxena	23-6-51	CAD CP Kota.	Modernsation Sub Division Alnia.
59. ,,	Narendra Singh	,, Magan Singh	20-8-46	RCP Org.	CAD RCP Org
60. ,,	Ram Karan Singh	,, Ganpat Ram	23-10-47	—do—	—do—
61. ,,	Prabhu Dayal Rajput	,, Jeev Raj Rajput	20-10-50	—do—	—do—
62. ,,	Sumnesh Dixit	,, J. P. Dixit	1-6-50	Irg. Circle Ajmer.	AEN & TA to SE Irg. Circle, Udaipur.
63. ,,	Ganpat Lal sharma	,, Kanhaiya Lal Sharma	1-3-50	Mahi Org.	Mahi Proj. Banswara

1	2	3	4	5	6
64.	Sh. Ambrish Kumar	Sh. Ram Pd.	4-9.46	RCP Org.	CAD RCP Org.
65. ,,	Ram Chand Maden	,, Khem Chad Maden	1-8-53	—do—	—do—
66. ,,	Praveen Kumar Chowhan	,, Nawal Kishore	7-11-92	Jakham Udaipur	Left Cenal Sub Dn. Dhariabad
67. ,,	Shive Kumar Soni	,, Dule Raj Soni	21-6-54	RCP Org.	CAD RCP Org.
68. ,,	Kulwant Singh	,, S. Man Singh	4-4-51	Mahi Org.	Mahi Org.
69. ,,	Omprakash Mathur	,, S. L. Mathur	7-7-78	Ajmer Circle	Master Plan Dn. (I & S) Directorate Jaipur.
70. ,,	Triloki Nath Bansal	,, Dutta Ram Bansal	18-5-50	CAD RCP	CAD RCP Org.
71. ,,	Gyanendra Singh.	,, Davendra Singh	1-7-54	Mahi Org.	Mahi Org.
72. ,,	Naresh Chand Mathur	,, Kanhaiya Lal Mathur	5-6-55	Udaipur Irg. Circle.	CAD Jai Samand Samand Survey Sub Dn. (I) Salumber.
73. ,,	Sumnesh Lal Mathur	,, Jatan Lal Mathur	28-9-56	—	CAD Survey Sub Dn. Lalsot
74. ,,	P. B. Mathur	,, Bansi Lal Mathur	1-3-47	Const. Cricle, Udaipur.	CAD Jakham Survey Sub Dn. (II), Dhariabad.
75. ,,	Dev Raj Dadhich	,, Hira Lal Dadhich	1-1-50	CAD RCP Org.	CAD RCP Org.
76. ,,	Lal Singh Jhinja	,, Bhagirath	3-4-44	–do–	–do–
77. ,,	Ashok Kumar Bhandari	,, Ganpat Singh Bhandari	30-9-52	–do– Mahi Org.	Mahi Org.

(279)

1	2	3	4	5	6
78.	Sh. Kul Bhushan Sanghi	Sh. Babu Sal Sanghi	6-5-50	CAD RCP Org. Mahi Org.	Mahi Org.
79.	,, Inder Jeet Singh Bishnoi	,, R.N. Bishnoi	14-4-51	RCP Org.	CAD RCP Org.
80.	,, Ummed Singh.	,, Samander Singh	16-10-48	Mahi Org.	Mahi Org.
81.	,, S.P. Sharma	,, B.C. Shastri	15-7-49	RCP Org.	CAD RCP Org.
82.	,, Balbir Singh Rathore	,, Kesar Singh	9-2-49	Mahi Org.	Mahi Org.
83.	,, Raman Lal Patel	,, Kalaji Patel	15-9-50	–do–	–do–
84.	,, Jain Narain Parihar.	,, Sri Chand Chotia	5-5-47	Jodhpur Circle	CAD RCP Org
85.	,, Bahal Singh	,, Manphool Singh.	15-11-51	RCP Org.	CAD RCP Org.
86.	,, Rajesh Chandra Mat ur	,, Lachman Dass Mathur	25-12-51	–do–	–do–
87.	,, Hanuman Singh.	,, Vishnu Ram	—	CAD RCP Org.	–do–
88.	,, Madan Lal Saraswat.	,, Jagannath Ram	10-5-51	CAD CP Kota	RCP Org.
89.	,, Anil Kumar Shah	,, K.G.Shah	19-9-51	Mahi Org.	Mahi Org.
90.	,, Satya Narain Khaliya	,, Moha Lal Khalia	12-2-54	RCP. Org.	CAD RCP Org.
91.	,, Ashok Kumar Gupta	,, B.P. Gupta.	25-4-52	CAD RCP Org.	–do–
92.	,, Ramesh Chand Gangwal	,, Ratan Lal Gangwal	5-11-51	CAD CP Kota	–do–
93.	,, Rajender Mathur	,, B.P. Mathur	4-1-53	RPS JS Dam Kota.	S&I Sub Dn. (I) Kota.

1	2	3	4	5	6
94. Sh.	Ram Chandra Chaudhary	Sh. Nanu Ram	–	RCP Org.	CAD RCP Org.
95. ,,	Mahavir Chand Jain	,, Paras Mal Jain	1-2-54	Irg. Circle, Jodhpur.	–do–
96. ,,	Ranjeet Mal Singhvi	,, Sarbat Mal Singhvi	3-6-54	RCP Org.	–do–
97. ,,	Rakesh Kumar Gupta	,, Rjaeshwar Kumar Gupta	30-6-54	–do–	–do–
98. ,,	Shiv Kumar Gupta	,, Jwala Prasad Gupta	31-12-49	Mahi Org.	CAD Jaisamand Survey Sub Dn., Salumber.
99. ,,	Anil Kumar Rajvanshi	,, Rajendra Siugh.	30-12-49	RCP Org.	RCP Org.
100. ,,	Ghewer Chand Mangal	,, Gopa Ramji	15-7-53	–do–	CAD Jaisamand Survey Sub Dn., Salumber.
101. ,,	Ram Kishore Saran	,, Daya Ram Saran.	13-3-54	–do–	AEN & T.A. to XEN GFC Dn., Suratgarh Jn.
102. ,,	Shiv Dutt Swami	,, Dilip Dutt. Swami.	10-5-53	CAD RCP	CAD RCP org.
103. ,,	Rajendra Prakash Gupta	,, Suraj Mal Gupta.	1-6-53	RCP Org.	AEN & TA TO XEN Left Canal Dn. Dhariabad.

282

1	2	3	4	5	6
104.	Sh. Radheyshym Goyal	Sh. Roshan Lal Goyal	3-7-53	Mahi Org.	AEN & TA TO XEN Right Canal Dn., Dhariabad.
105.	,, Harnek Singh Sindhu	,, Puran Singh Sindhu	20-3-52	CAD RCP Org.	CAD RCP Org.
106.	,, Gopi Ballabh Gupta.	,, Badri Pd. Gupta.	10-3-54	Bharatpur F.C.C. Bharatpur	AEN & TA to SE Bharatpur FCC
107.	,, Harsha Kumar Jain	,, Mul Chand Jain	1-2-53	Master Plan Dn. Jaipur.	AEN & TA TO XEN Moderaisation Dn. Baran.
108.	,, Ridh Karan Meghwal (S.C.)	,, Dhula Ram Meghwal	4-3-53	Irg. Circle, Jodhpur	CAD RCP ORG.
109.	,, Jai Deo (S.C.)	,, Dal Ji	3-5-54	RCP Org.	RCP Org.
110.	,, Bhagwan Pd. Chowhan (SC)	,, Balu Ram	16-7-53	(New)	CAD RCP ORG.

Further posting orders of the above Assistant Engineers will be issued by the respective Chief Engineer.

–Sd/ (A.S. Kapoor)

Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur-5

1	2	3	4	5	6

ANNEXURE–II

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, IRRIGATION, RAJASTHAN JAIPUR.

No. 40 Estt/CEI/201 Dated 23.11.1978

OFFICE–ORDER

(1) Under rule 27 of Rajasthan Service of Engineers (Irrigation Branch) Rules, 1954, the undersigned hereby appointed following candidates on purely urgent temporary basis, to the post of Assistant Engineer, (Civil) against direct quota posts from the date of their taking over the charge of the post for a period of three months or till a candidate selected by the Rajasthan Public Service Commission, Ajmer or by any other method provided in the rules is made available, which ever is earlier and posted at the place shown against each.

(2) The date of birth of these candidates have been verified from their Secondary Certficates and is shown against each.

(3) The appointment shall stand terminated on the expiry of the above period unless specifically extended further.

(4) They will get the pay under rule 26 of Rajasthan Service Rules @ Rs. 750–30–1020–40–1300–50–1350 and other allowances admissible under the relevant rules No T.A. will be admissible for joining the post.

S. No.	Name	Father's Name	Date of Birth.	Present place of posting, as J.E.N.	Place of posting as A.E.N.
1	2	3	4	5	6
1. Sh.	Tribhuvan Kumar	Sh. Devaji Bhai	30-4-55	RCP Org.	RCP Org.
2. ,,	Pyare Lal Solanki (S.C.)	,, Shanker Lal		Mahi Proj. Banswara	Mahi Proj. Banswara.
3. ,,	Mangi Lal Dheyal	,, Bhura Ram	1-1-51	—	RCP Bikaner.
4. ,,	Rajendra Kumar Gupta	,, Chand Mal Gupta	21-4-55	Const. Circ. Udaipur	Som Kamla Amba Disty
5. ,,	Mahendra Kumar Parihar	,, Sampat Ram Parihar	15-6-53	—	Minor Irg. Sub. Dn. Durgaspur.
6. ,,	Suman Kumar Sharma	,, Khem Chand Sharma.	10-10-49	RCP Org.	RCP Org. Bikaner.
7. ,,	Shi Chand Chotia	,, Shiv Prased Chotia	10-9-51	Mahi Proj.Banswara.	Mahi Project, Banswara.
8. ,,	Gulab Singh Shekhawat	,, Nawal Singh	3-11-51	GAD RCP Bikaner.	CAD RCP Org.
9. ,,	Naresh Chand Gupta	,, P.C. Gupta	1-10-51	RCP Org. Bikaner.	RCP Org., Bikaner.
10. ,,	Kamal Singh.	,, Chauth Mal	11-1-53	Irg. Circle, Jaipur.	Hydrology & Analysis Dn., Jaipur.
11. ,,	Rawat Ram Saharan	,, Ram Karan Saharan	4-8-49	CAD RCP Org.	CAD RCP Org. Bikaner.
12. ,,	Makkhan Lal Maru	,, Shive Karan Maru	10-7-48	RCP Org Bikaner	RCP Org. Bikaner.
13. ,,	Ashwani Kumar Mathur	,, Sardar Mal Mathur	17-7-50	Irg. Circle, Udaipur.	Irrg. Sub Dn.. Som Kamla Amba Proj. Dam Site.

1	2	3	4	5	6
14.	Sh. Arun Kumar Sharma.	Sh. Chandra Bhan Sharma	15-8-51	CAD RCP Org.	CAD RCP Org. Bikaner.
15.	,, Devi Charan Garg.	,, Chaturbhuj Garg.	15-12-47	–do–	–do–
16.	,, P.P. Mathur	,, Amar Das Mathur	5-6-52	Mahi Proj. Banswara.	Mahi Proj. Banswara.
17.	,, Rajendra Kumar Mittal	,, Suraj Bhan Mittal	30-9-49	RPS & JS Dam Circle, Kota.	S & I Sub Dn. (I) Rajgarh (Churu)
18.	,, Naresh Chand Saxena	,, Shaym Behari Lal Saxena.	12-2-51	CAD CP Kota	Hydrology & Analysis Dn., Jaipur.
19.	,, Anand Nanwaui	,, Govind Ram Nanwani	9-8-54	Irg. Cirele. Udaipur	Field Investigation Sub Division, Bhilwara.
20.	,, Rajendra Kumar Rawat.	,, P.S. Rawat	15-8-53	Mahi Proj. Banswara.	Mahi Project, Banswara.
21.	,, Suth Karan Chopra	,, Jetha Mal Chopra.	21-11-50	RCP Org., Bikaner.	RCP Org., Bikaner.
22.	,, Lokesh Chandra Bhargava	,, G.P. Bhargava	20-2-48	Design Director Jaipur.	Design Sub Dn. IV of Dn. II, Jaipur.
23.	,, Suresh Chandra Bohra	,, Bansi Dhar Bohra.	15-8-53	RCP Org., Bikaner.	RCP Org. Bikaner.

285

1	2	3	4	5	6
24.	Sh. Surendra Kumar Rawat.	Sh. K.L. Rawat	7-3-52	Irg. Circle, Jaipur.	Dasign Sub Dn., (II) of Divn., (II), Jaipur.
25.	,, Anand Shankar Acharya	,, Namami Shanker Acharya	8-3-54	RCP Orgn., Bikaner	RCP Orgn., Bikaner.
26.	,, Rajendra Pd. Kashyap.	,, M.L. Kashyap	7-7-53	CAD RCP Org., Bikaner.	R.C.P. Org., Bikaner
27.	,, Prithvi Raj.	,, Khyali Ram Kasnia	10-4-50	–do–	–do–
28.	,, Kaila Pd. Sharma	,, Badri Pd. Sharma	21-9-51	CAD CP Kota	XEN C.E.I's Oofficе Jaipur.
29.	,, Damodar Soni	,, Shiv Raj Soni	11-8-52	RCP Org. Bikaner.	RCP Org. Bikaner.
30.	,, Ram Chandra Gupta	,, Ladu Ram Gupta	6-5-54	–do–	-do–
31.	,, Chandra Shekhar Mehta.	,, Manak Mal Mehta.	22-7-54	Irg. Circle, Ajmer.	F&I Sub Dn., Barmer
32.	,, P.S. Dakar.	,, Ramji Lal Dhakar	31-7-54	Mahi Proj. Bans-wara.	Mahi Project. Bans-wara.

Further posting orders will be issued by the respective Chief Engineers/Additionl Chief Engineers.

Sd/--

(A. S. Kapoor)

Chief Engineer, Irrigation,

Rajasthan, Jaipur.

ANNEXURE III

CHIEF ENGINEER IRRIGATION RAJASTHAN JAIPUR

No. 40-Estt/CEI/23144 Dated 29th Dec. 78

OFFICE ORDER

1. Under Rule 27 of Rajasthan Service of Engineers (Irrigation Branch) Rules, 1954, the undersigned hereby appointed following candidates on purely urgent temporary basis to the post of Assistant Engineer (Civil) against direct quota post from the date of their taking over the charge of the post for a period of three months or till a candidate selected by the Rajasthan Public Service Commission, Ajmer or by any other method provided in the rules is made available which-ever is earlier and posted at the place shown against each.
2. The date of Birth of these candidates have been verified from their Secondary/Higher Secondary Certificates and is shown against each.
3. The appointment shall stand terminated on the expiry of the above period unless specifically extended further.
4. They will get the pay under rule 26 of Rajasthan Service Rules @ Rs. 750/- (Seven Hundred & Fifhy only) in the pay scale of Rs. 750-30-1020-40-1300-50-1350 and other allowances admissible under the relevant rules. No. T. A. will be admissible for joining the post.

S. N.	Name	Father, s name	Date of Birth	Present place of posting as JEN	Place cf posting as Asstt. Engineer.
1	2	3	4	5	6
1.	Shri Kuldeep	Shri Gopi Ram Vishnoi	16-1.56	—	CAD, RCP, Org.

1	2	3	4	5	6
2.	Shri Kamal Chand Jain	Shri P. C. Jain	26-1-53	CAD,RCP Org.,	CAD, RCP,Org.
3.	Shri Ratti Ram Dhatterwal	Shri sada sukh Dhatterwal	1-3-53	RCP, Org.,	-do-
4.	Shri Baldev Ram	Shri R. R. Jat	6-5-54	-do-	Minor Irrg., planing Circle Jaipur against newly created posts.
5.	Shri Shyam Singh sisodia	Shri N. S, Sisodia	5-9-53	RPS & JS Dam Kota	-do-
6.	Shri Karam Chand P. Jain	Shri P. C. Jaipur	4-12-51	RCP, Org.,	Irrg. Som Kamla Amba Sub Dn. III Bungarqur vice Shri S. C. Jain transferred.
7.	Shri Bhuvnesh Chandra Mathur	Shri B. L, Mathur	29-9-54	RCP, Org.	S & I Sub Dn, II S. Madhopur (Newely created)
8.	Shri Ramswaroop Singhal	Shri Nand Kishor	20-7-53	-do-	Mod., Sub Dn. Chittorgarh vice Shri p. S. Rathod Transferred.

1	2	3	4	5	6
9.	Shri Vimal Kumar Chourdia	Shri S. M. Chourdia	8-7-55	RCP, Ong.	Som Kagder Canal Sub Dn. III Ubaipur Vice Shri S. P. Sharma Transferrd.
10.	Shri Ajai Kumar	,, H. P. Garg	8-7-55	RCP, Org,	Som Kagder Project. sud Dn. Dam site vide Shri V. P. Mathur Promoted.
11.	Arun Kumar Bohra	,, M. D. Bohra	1-10-53	-do-	Mod., sub Dn., Malpura (Newely Created)
12.	,, Om prakash Bhadu	,, M. R. Bhadu	15-4-49	Water Controller Cell Chandigarh	Water Controller for Rajasthan cell Chandigarh against newely created post.
13.	,, Mahesh Chand Mathur	,, Ram Chandra S. Rai	15-12.54	Nahi Project Banswara	Jhadol sub Dn., II Dam site vice sh. G. S. Charam Promoted.
14.	Sh. Rameswar Lal Prajapat	,, S. D. Prajapat	4-8-53	CAD, RCP Org.,	CAD RCP organisation.
15.	,, Rajendra Prasad Mathur	,, K. L. Mathur	10-11-53	-do-	-do-
16.	,, Ashok Kumar Sinha	,, S. S. Sinha	13-5-54	-do-	-do-

1	2	3	4	5	6
17.	sh. Bharat sen Bhatia	sh. G. R.	22-9-54 Bhatia	CAD., Rep. Org.	Gang Canal sub Dn., II Rai singhnagar,
18.	,, Sobhraj Vaswani	,, Metha Ram Vashwani	3-1-52	-do-	CAD, RCP, Org.,
19.	,, Soham Lokwani	,, H. C. Lokwani	15-6-55	Mahi proj. Banswara	Mahi projt. Banswara Irrg., sub Dn., Dungar-pur vice Sh. M. A. mansoori transferred.
20.	,, Ashok Kumar Bhardwaj	,, D. C. Bhardwaj	1-10-55	-do-	
21.	,, Ajit Kumar Verma	,, Atam Prakash	1-2-56	RCP, Org.,	N. W. B., CAD sub, Dn. Haumangarh Vice Shri S. P. Saragi transferred
22.	,, shoaan Lal Vishnoi	,, Nanu Ram Vishnoi	1-1-52	—	Master Plan sub Dn., Hanumangarh vice Sh. S. P. saroagi Tnansferred.
23.	,, Rajendra Prasad Mathur	,, C. L. Mathur	4-1-53	—	CAD, Jakham Survey Sub Dn., Dhariawad Vice. Sh. Nawab singh transaferred.
24.	,, Tilok Chand Chajjed.	,, Late JM Chajjed.	5-3-54	—	S & I sub Dn., Hindaun (Newely ereated)
25.	,, subhash Kumar Nabh	,, K. C. Nabh	15-11-54	—	Minor Irrg., Planning Circle Jaipur (Newely created)

291

1	2	3	4	5	6
Note — His appointment subject to production of Man power registration certificate at the time of joining duty.					
26.	Sh. Dhirendra Mathur	Sh. B. M. Mathur	31-3-55	—	CAD CP, Kota against clear vacancies.
27.	,, Shanti Raj Joshi	,, V. K. Joshi	2-8-55	—	Minor Irrg., Planning Circle, Jaipur (Newely created post.)
28.	,, Om Prakash Changani	,, D. C. Changani	1-3-54	—	S & I sub Dn., II Rajgarh (Churu vice Sh. R. K. Mittal, tranaferred.
29.	,, Ramesh Chandra Garg	,, V. D. Garg	10-8-49	—	S & I Sub Dn., Karauli (Newely creaeted.)
30.	,, Ashok Kumar Khanna	,, Hari Kishan Lal Khanna	8-3-52	RCP, Org.,	CAD, RCP Org., against clear vacancies.
31.	,, Om prakash sharma	,, Uttam Chand sharma	8-2-52	Mahi Projt., Banswara	Mahi Project Banswara
32.	,, Ram Karan Choudhary	Lat. S. R. Choudhary	15-3-52	CAD; RCP Org.,	CAD, RCP, Organisation
33.	,, Mathura Dass Bansal	,, R. R. Bansal	10-10-47	-do-	Chieg Engineer, Irrig. Office, Jaipur against newely create Postd
34.	,, N. C. saini	,, K. Patodia	5-2-50	Beas projt.	As at Present
35.	,, Yousuf sekh Mohd.	,, Gani Mohd	30-12-50	Irrg., Circle Jodhpur	S & I Sub Dn. I sawaimadhopur against newely Created Post

1	2	3	4	5	6
36.	Sh. Bhanwar singh	Sh. B. S. sekhawat.	21-5-49	CAD, RCP, Org.,	CAD, RCP, Org. Bikaner.
37.	,, Manohar Rooproi	,, R. R. Roop Rai.	7-8-52	RCP Org.,	Master Plan sub Dn., II Jaipur vice R. P. Gupta transferred.
38.	,, Girdhari Lal Bugalia	,, R. R. Bugalia	24-12-52	-do-	Irrg., sub Dn., I Mahaveerji Against newely created post.
39.	,, Deepak Jain	,, L. C. Jain	1-8-52	Irrg., Circle, Jodhpur	Asstt. Engineer & T A to XEN Bhimsagarproject Dn. Jhalawar vice shri J. M. Kalla transferred.
40.	,, shyam sundar sharma	,, J. L. sharma	17-7-51	RCP., Org.,	CAD, RCP Org. Bikaner.

Further posting orders will be issued by the repesctive Chief Engineers/Addl Chief Engineers.

Sd/—
(A. S. Capoor)
Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur

No. 40/Estt/EE/23945

Dated 29 th Dec. 1978.

Copy forwarded to the following for information & n. a. :—

1. The Commissioner & Secy to Govt. Irrigation Deptt., Raj., Jaipur
2. The Private Secretary to the HonlbleMunister for Irrg., Rajasthan, Jaipur.

3. The Secretary, Rajasthan Public serarce eCommission, Ajmer
4. The Secretary, Rajasthan Canal Board Jaipur
5. The General Manager, Beas Construction Board, Telwara Township Nangal.
6. The Commissioner, C. A. D. RCP Bikaner/CAD CP Kota.
7. The Chief Engineer C. A. D. RCP Bikaner/RCP Bikaner/Mahi Project Banswa.a.
8. The Addl. Chief Engineer, CAD CP Kota
9. The Superintendindingg Engineer, Irrigation Circle———
10. The Directen & Research, Jaipur/Investigation & survey Jaipur
11. The Executivr Engineer, Desigh Irrigation Dn.,————
12. The Collector————
13. The supdt., Cell I, II & III, CEI's Office, Jaipur
14. The Confidential Cell C. E. I. Office Jaipur
15. Shri———
16. P. A. to CEI/Addl. CEI/Steno to TA (I) /TA (w) / TA (c) / TA (SS) / sr. A.P.
17. Guard File/Personal File.

-sd-
Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur,

ओवरड्राफ्ट समस्या का निदान

233. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 31 जुलाई, 1982 को राज्य पर कितना ओवरड्राफ्ट था ? इसके प्रमुख कारण क्या हैं ?

(2) भविष्य में ओवरड्राफ्ट नहीं हो इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या केन्द्र सरकार ने ओवरड्राफ्ट को सीधे ही एडवांस प्लान में से काट लेने की धमकी दी है ? यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने क्या उपाय सोचे हैं ?

उत्तर

(1) दिनांक 31 जुलाई, 1982 को रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकार के खाते में कोई ओवर-ड्राफ्ट नहीं था ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(2) राज्य सरकार अपने खर्च में मितव्ययता करके एवं संसाधनों को बढ़ा कर ओवर-ड्राफ्ट नहीं होने देने के लिए सतत् जागरुक है । केन्द्र ने सभी राज्यों को निश्चित सीमा से अधिक मार्गोपाय अग्रिम लेने पर चैंक और बिलों का भुगतान बन्द करने को कहा है ।

पंचायत समिति बीलवा के ग्राम कंवरपुरा (जयपुर) की गोचर भूमि का विक्रय

234. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1982 में जयपुर जिले की पंचायत बीलवा के ग्राम कंवरपुर की 57 बीघा से अधिक गोचर भूमि सरपंच द्वारा किसी को विक्रय कर देने का प्रकरण राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरपंच ने उक्त जमीन पिछले वर्ष वन विभाग को विक्रय की थी और वह विक्रय निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राज्य सरकार ने सरपंच को उक्त प्रवति पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां । इस मामले में जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उचित निर्णय लिया जायेगा ।

जालौर जिले में सड़क निर्माण कार्य

236. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जालौर जिले में सड़कों के निर्माण हेतु जनवरी, 1982 से जून, 1982 तक कुल कितने टेण्डर निकाले गये और उनमें विभिन्न ठेकेदारों द्वारा क्या दरें उद्धृत की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री सूरजपाल सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि एक ही सड़क पर एक ही प्रकार के नाम एक ठेकेदार को बी. एस. आर. दरों से 1-1/2 प्रतिशत ऊंची दर पर व अन्य ठेकेदार को 20 प्रतिशत की दर पर दिये गये ? यदि, हां, तो इसके क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता ने कुछ ठेकेदारों को ऊंची दर पर काम दिया एवं अन्य ठेकेदारों को नीची दर पर भी काम नहीं दिये ? क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता के इस रवैये के कारण कई ठेकेदारों को न्याय प्राप्ति हेतु न्यायालय में भी जाना पड़ा है ?

उत्तर

(1) सूची (प्रपत्र-क) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। केवल चार ठेकेदार टेण्डर कापी न दिए जाने के कारण न्यायालय गए उनमें से दो के केस न्यायालय ने खारिज कर दिये।

"प्रपत्र-क"

1-1-82 से 30-6-82 तक निकाले गये टेण्डर (सड़क निर्माण हेतु) का विवरण।

कार्य का नाम जिनका टेण्डर निकाला गया।	ठेकेदारों का नाम	ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दर
डामर का कार्य कुआरडा से माद्राजून	1. श्री मोहम्मद कासम	5.30% बिलो
	2. ,, सोहन लाल जैन बाड़मेर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	3. ,, भूरचंद मेहता	,,
	4. ,, लालचन्द ओजा	7% एबाव
	5. ,, प्रेमसिंह देवी लाल जोधपुर	15.50% बिलो
	6. ,, कन्हैया लाल कोठारी	3.05% एबाव
	7. ,, केवल चन्द जैन बाड़मेर	8.95% एबाव
डामर का कार्य रानीवाड़ा सांचौर रोड	1. ,, मोहम्मद कासम जालौर	7% एबाव
	2. ,, सोहन लाल जैन बाडमेर	5% एबाव
	3. ,, भूरचन्द मेहता	5% एबाव
	4. ,, द्वारका दास डोसी बाड़मेर	4.95% एबाव
	5. ,, सैनिक कन्सट्रक्शन कं. जोधपुर	3.25% एबाव
	6. ,, केवल चन्द जैन बाडमेर	5.96% एबाव
डामर कार्य रानीवाड़ा साँचौर रोड कि. मी, 150% से 154%	1. ,, मोहम्मद कासम जालौर	3.25% एबाव
	2. ,, द्वारका दास बाड़मेर	2.95% एबाव
	3. ,, जमना राम केसु सिंह	4% एबाव
	4. ,, बिरदीचन्द जालौर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	5. ,, मैसर्स सैनिक कन्सट्रक्शन जोधपुर	5% एबाव
	6. ,, केवलचन्द जैन बाड़मेर	रेट प्राप्त नहीं हुई

Page No 296

(296)

1	2	3
	7. श्री भूरचन्द मेहता बाड़मेर	2.25% एबाव
डामर कार्य रानीवाड़ा सॉचौर रोड कि. मी. 145% से 147%	1. ,, मोहम्मद कासम	3% एबाव
	2. ,, मैसर्स द्वारकादास डोसी	2.95% एबाव
	3. ,, मैसर्स जमनाराम केमुसिंह	4% एबाव
	4. ,, बिरदीचन्द जालौर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	5. ,, मैसर्स सैनिक कन्सट्रेक्शन जोधपुर	5% एबाव
	6. ,, केवलचन्द जैन बाड़मेर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	7. ,, भूरचन्द मेहता बाड़मेर	4,25% एबाव
डामर कार्य रानीवाड़ा सॉचौर 111/0-118/0	1. श्री मोहम्मद कासम जालौर	3.50% एबाव
	2. ,, मैसर्स द्वारकादास दोसी	3,95% एबाव
	3. ,, जमनाराम केसुजी	4% एबाव
	4. ,, बिरदीचंद जालौर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	5. ,, मैसर्स सैनिक कन्सट्रक्शन	2.25% एबाव
	6. ,, केवलचंद जैन बाड़मेर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	7. ,, भूरचन्द मेहता	4.25% एबाव
डामर कार्य रानीवाड़ा सॉचौर रोड कि. मी. 126/0-132/0	1. ,, मोहम्मद कासम जालौर	3% एबाव
	2. ,, मैसर्स द्वारकादास बाड़मेर	2.95% एबाव
	3. ,, जमनाराम केमुसिंह	2.25% एबाव
	4. ,, बिरदीचंद जालौर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	5. ,, मैसर्स सैनिक कन्सट्रक्शन जोधपुर	5% एबाव
	6. ,, केवलचंद जैन	रेट प्राप्त नहीं हुई
	7. ,, भूरचंद मेहता बाड़मेर	4.25% एबाव
डामर कार्य रानीवाड़ा सॉचौर 139/0-144/0	1. ,, मोहम्मद कासम जालौर	3.50% एबाव
	2. ,, द्वारकादास दौसा	3.95% एबाव
	3. ,, मै. जमनाराम केसु सिंह	4.00 एबाव
	4. ,, बिरदीचंद जालौर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	5. ,, मै. सैनिक कन्सक्ट्रेक्शन जोधपुर	2.25% एबाव
	6. ,, केवलचंद जैन बाड़मेर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	7. ,, भूरचंद मेहता	4.25% एबाव
डामर कार्य रानीवाड़ा सॉचौर किमी. 122/0-125/0	1. ,, मोहम्मद कासम जालौर	3.00% एबाव
	2. ,, द्वारकादास दोसी	2.95% एबाव
	3. ,, मै. जमनाराम केमुसिंह	2,25% एबाव
	4. ,, बिरदीचंद जालौर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	5. ,, मै. सैनिक कन्स्ट्रेक्शन जोधपुर	5% एबाव
	6. ,, केवलचंद जैन	रेट प्राप्त नहीं हुई
	7. ,, भूरचंद मेहता	4.25% एबाव

1	2	3
मेटलरोड बागरा डूडसी पेडी उपरला किमी. 6/0-15/0	1. श्री मोहम्मद कासम जालोर	11.75% एबाव
	2. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर	3% लेस
	3. ,, मै. चिनाराम एण्ड कं. जोधपुर	10% एबाव
	4. ,, मै. जयसिंह मांगीलाल गहलोत	0% लेस
	5. ,, मै. प्रेमसिंह देवीलाल	8% लेस
	6. ,, लालचंद ओजा आहोर	5% लेस
	7. ,, विरदीचंद मोडाजी	10% लेस
मेटल रोड रानीवाड़ा से जसवन्तपुरा	1. मोहम्मद कासप जालौर	बी.एस.आर.
	2. श्री सोहनलाल जैन, बाड़मेर	12·50 %लेस
	3. ,, मै. चिनाराम एण्ड कं. जोधपुर	7% लेस
	4. ,, मै. जयसिंह मांगीलाल गहलोत, जोधपुर	10·25% लेस
	5. ,, प्रेमसिंह देवीलाल एण्ड़ कं. जोधपुर	5%
	6. ,, लालचन्द ओजा आहोर	2% एबाव
	7. ,, विरदीचन्द मोडाजी जा.	8% एबाव
	8. ,, मै. मारवाड़ कन्सट्रेक्शन जोधपुर	8% लेस
	9. ,, जीवेखान भारताजी भीनमाल	12·25% लेस
मैटलरोड़ मागली से वाकरा कि.मी. 0/0-10/0	1. ,, मोहम्मदकासम जालौर	3% एबाव
	2. ,, मै. सोहनलाल जैन बाड़मेर	5% एबाव
	3. ,, चिन्नाराम एण्ड़ कं. जोधपुर	15% एबाव
	4. ,, जयसिंह मांगीलाल गहलोत जोधपुर	5% एबाव
	5. ,, प्रेमसिंह देवीलाल जोधपुर	4% एबाव
	6, ,, लालचंद ओजा जालौर	6% एबाव
	7. ,, विरदीचंद मोडाजी जालौर	5% एबाव
मरम्मत कार्य जालौर याकलसर रोड	1. ,, जमनाराम केसुसिंह जोधपुर	3·25% एबाव
	2. ,, जयसिंह मांगीलाल गहलोत	4% एबाव
	3. ,, मांयाराम चौधरी	4% एबाव
	4. ,, विरदीचंद मोडाजी जालौर	3% एबाव
	5. ,, मोहम्मद इकबाल जालौर 3%	3·75%एबाव

Page No 298

(298)

1	2	3
	6. श्री थानाराम जालौर	1·25% एबाव
मरम्मत का कार्य ए.आर. निम्बाला कि. 0/0-2/0	1. ,, भीयाराम चौधरी जालौर	5% एबाव
	2. ,, मोहम्मद इकबाल जालौर	1% एबाव
	3. ,, मोहनलाल प्रभुजी जालौर	18% एबाव
	4. ,, थानाराम जालौर	3% एबाव
	5. ,, दुर्गाराम जालौर	रेट प्राप्त नहीं हुई
मरम्मत कार्य गुडा से चांदराई कि. 1–2	1. ,, जयराम केसुसिंह जोधपुर	4·25% एबाव
	2. ,, भीयाराम चौधरी जालौर	3% एबाव
	3. ,, मेहन्द्रगा एण्ड सूरज जोधपुर	1·50% एबाव
	4. ,, मोहनलाल प्रभुजी जालौर	5.50% एबाव
	5. ,, मोहम्मद इकबाल ,,	3·50% एबाव
मरम्मत कार्य तखतगढ़ से चांदराई कि. 8/0 से 12%	1. मैसर्स जमनाराम केसुसिंह जोधपुर	3·19% एबाव
	2. श्री भीयाराम चौधरी जालौर	3% एबाव
	3. ,, बिरदीचन्द्र मोडाजी जालौर	5% एबाव
	4. ,, महेन्द्रा एण्ड सूरज जोधपुर	5% एबाव
	5. ,, मोहनलाल प्रभुजी जालौर	2% एबाव
	6. ,, मोहनलाल पीराजी जालौर	9% एबाव
मरम्मत कार्य गोदन बिशनग रोड	1. श्री भीयाराम चौधरी जालौर	5% एबाव
	2. ,, बिरदीचंद जालौर	1·50% एबाव
	3. ,, लालचन्द आहोर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	4. ,, सोहनलाल पीराजी जालौर	1·75% एबाव
	5. ,, थानाराम जालौर	7% एबाव
	6. ,, दुर्गाराम जालौर	रेट प्राप्त नहीं हुई
मरम्मत कार्य पाली से नोसरा	1. ,, भीयाराम चौधरी	3% एबाव
	2. ,, लालचंद ओजा	रेट प्राप्त नहीं हुई
	3. ,, मोहनलाल प्रभुजी जालौर	7% एबाव
	4. ,, सोहनलाल पीराजी	2% एबाव
	5. ,, मोहम्मद कासम जालौर	5% एबाव
मरम्मत कार्य साण्डेराव मोकलसर	1. ,, भीयाराम चौधरी जालौर	1·75% एबाव
	2. ,, महेन्द्रा एण्ड सूरज जोधपुर	5% एबाव
	3. ,, मै. जयसिंह मांगीलाल गहलोत	5% एबाव

1	2	3
	4. श्री मोहम्मद इकबाल जालौर	4% एबाव
	5. ,, सोहनलाल पीराजी जालौर	6% एबाव
मरम्मत कार्य बी.टी.	1. ,, भीयाराम चौधरी	4% एबाव
रानीवाड़ा मण्डार रोड	2. ,, मै. जयसिंह मांगीलाल गहलोत	1·75% एबाव
	3. ,, मोहम्मद कासम जालौर	7% एबाव
	4. ,, दुर्गाराम जालौर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	5. ,, संजीव चौधरी	4.50% एबाव
मरम्मत कार्य मेटलरोड	1. ,, भीयराम चौधरी	3% एबाव
मालवाड़ा जसवन्तपुरा	2. ,, जयसिंह मांगीलाल गहलोत	5% एबाव
	3. ,, मोहनलाल प्रभुजी जालौर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	4. ,, संजीव चौधरी जालौर	5·25% एबाव
	5. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर	1·75% एबाव
मरम्मत कार्य बी.टी.	1. ,, भीयाराम चौधरी जालौर	9% एबाव
कागमाला जसवन्तपुरा	2. ,, जयसिंह मांगीलाल गहलोत	5% एबाव
0/0 5/0	3. ,, बिरदीचन्द मोडाजी जालौर	3% एबाव
	4. ,, दुर्गाराम जालौर	रेट प्राप्त नही हुई
	5. ,, संजीव चौधरी	5·25% एबाव
	6. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर	1·75% एबाव
मरम्मत कार्य सांचौर	1. श्री भीयाराम चौधरी जालौर	7% एबाव
चितलवाला 0/0–21/0	2. ,, जमनाराम केसुसिंह	1·25% एबाव
	3. ,, महेन्द्रा एण्ड सूरज जोधपुर	4·00% एबाव
	4. ,, थानाराम जालौर	4·00% एबाव
भीनपाल साँचौर रोड	1. ,, भीयाराम चौधरी	9% एबाव
17/0–22	2. ,, जयसिंह मांगीलाल	5% एबाव
	3. ,, बीरदीचन्द मोडाजी	4·2% एबाव
	4. ,, संजीव चौधरी	1·50% एबाव
	5. ,, दुर्गाराम जालौर	दर प्राप्त नहीं हुई
आकोली सियाणा रोड़	1. ,, भीयाराम चौधरी	2·50% एबाव
15/0–18/0	2. ,, मोहनलाल प्रभुजी	10% एबाव
	3. ,, लालचन्द जयनारायण	दर प्राप्त नहीं हुई
	4. ,, थानाराम जालौर	5% एबाव

1	2	3
	5. श्री मोहम्मद कासम जालौर	2% एबाव
सरकारी माल की ढुलाई कोवना अलासण रेवतड़ा रोड	1. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर	7% एबाव
	2. ,, विरदीचंद मोडाजी	4% लेस
	3. ,, जयसिंह मांगीलाल गहलोत	4% एबाव
	4. ,, हजारीमल जोधपुर	रेट प्राप्त नहीं हुई।
	5. ,, भीयाराम चौधरी	,,
	6. ,, लालचंद ओजा आहोर	30% लेस
	7. ,, मारवाड़ कन्सट्रक्शन	4% एबाव
	8. ,, फलेखा भीनपाल	17% एबाव
रिनेवाल कार्य आहोर रोहिट रोड	1. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर	5% एबाव
	2. ,, मै. मारवाड़ कन्सट्रक्शन	10% एबाव
	3. ,, विरदी चन्द मोडाजी	18% एबाव
	4. ,, भीयाराम चौधरी जालौर	रेट प्राप्त नहीं हुई।
	5. ,, मै. प्रेमसिंह देवीलाल जोधपुर	3.50% एबाव
	6. ,, लालचन्द ओजा	4% एबाव
सरकारी माल की ढुलाई विशनगढ़ भवरानी	1. ,, मोहम्मद कासम जालौर	4% एबाव
	2. ,, मै. बाड़मेर क.क. बाड़मेर	3·25% एबाव
	3. ,, विरदीचन्द मोडाजी जालौर	4·75% एबाव
	4. ,, मरवाड़ कन्स्ट्रक्शन जोधपुर	रेट प्राप्त नहीं हुई।
	5. ,, मै. सोहनलाल जैन बाड़मेर	,,
	6. ,, प्रेमसिंह देवीलाल एण्ड कं. जोधपुर	4·25% एबाव
	7. ,, मै. सैनिक कन्स्ट्रक्शन जोधपुर	5·25% एबाव
	8. लालचन्द ओजा आहोर	3·50% एबाव
डामर कार्य कानीवाड़ा हरजी रोड	1. श्री मोहम्मद कासम	4·50% एबाव
	2. ,, मै. बाड़मेर कन्स्ट्रक्शन कं. बाड़मेर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	3. ,, विरदीचंद मोडाजी जालौर	5% एबाव
	4. ,, मारवाड़ कन्स्ट्रक्शन कं. जोधपुर	4·50%
	5. ,, मै. सोहनलाल जैन बाड़मेर	रेट प्राप्त नहीं हुई।
	6. ,, मै. प्रेमसिंह देवीलाल जोधपुर	3·25% एबाव

1	2	3
	7. श्री सैनिक कन्स्ट्रक्शन जोधपुर	रेट प्राप्त नहीं हुई
	8. ,, राणाराम सेराजी बालोतरा	,,
	9. ,, लालचन्द ओजा आहोर	,,
	10. , सुमेरमल सोहनलाल आहोर	,,
सरकारी माल की ढ़लाई	1. ,, मोहम्मद कासम जालोर	13% एबाव
भीनमाल जसवन्तपुरा रोड	2. ,, मं. द्वारकादास दोसी बाड़मेर	4·95% एबाव
	3. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर	3·50% एबाव
	4. ,, मं. जयसिंह गहलोत	3·75% एबाव
	5. ,, विरदीचंद मोडाराजी जालोर	5·00% एबाव
	6. ,, महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कं. ,,	6·00 एबाव
सरकारी माल की ढुलाई	1. ,, मोहम्मद कासम जालोर	7% एबाव
भीनमाल रणजी का गोलिया	2. ,, मं द्वारकादास दोसी बाड़मेर	4·95% एबाव
	3. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर	3·75% एबाव
	4. ,, जयसिंह मांगीलाल गहलोत	10·00% एबाव
	5. ,, विरदीचंद मोडाजी जालोर	5·00% एबाव
	6. ,, महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन जोधपुर	3·25% एबाव
डामर जालोर सायला रोड	1. ,, मोहम्मद कासम जालोर	3·50% एबाव
किमी. 2/0–3/0	2. ,, मं. द्वारकादास दोसी बाड़मेर	19·95% एबाव
	3. ,, मं. सोहनलाल जैन बाड़मेर	7·00% एबाव
	4. ,, जयसिंह गहलोत	20·00% एबाव
	5. ,, विरदीचन्द मोडाजी जालोर	6·00% एबाव
	6. ,, महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन	19·00% एबाव
सरकारी माल की ढुलाई	1. ,, मोहम्मद कासम जालोर	3·50% एबाव
एपरोच रोड माडवली	2. ,, द्वारकादास दोसी बाड़मेर	7·95% एबाव
	3. ,, मं. सोहनलाल जैन बाड़मेर	8·00% एबाव
	4. ,, जयसिंह जोधपुर	5·00% एबाव
	5. ,, विरदीचन्द मोडाजी	4·00% एबाव
	6. ,, मै. महालक्ष्मी कं. बाड़मेर	7·00% एबाव
रेवतड़ा बोकरारोड़	1. ,, मोहम्मद कासम जालोर	8·00% एबाव
	2. ,, मं. द्वारकादास दोसी बाड़मेर	6·95% एबाव

1	2	3
	3. श्री मै. सोहनलाल जैन बाड़मेर	5·00% एबाव
	4. जयसिंह मांगीलाल गहलोत	5·00% एबाव
	5. विरदीचन्द मोडाजी जालौर	3·45% एबाव
	6. ,, मै. महालक्ष्मी कं.कं. बाड़मेर	7·00% एबाव
सरकारी माल की ढुलाई जुजाणी घुम्बडिया रोड	1. श्री मोहम्मद कासिम जालौर 8.00% एबाव	
	2. ,, मै.द्वारका दास दोसा बाड़मेर 3.45% एबाव. 25 लेर	
	3. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर रेट प्राप्त नही हुई	
	4. ,, जयसिंह मांगीलाल गहलोत 5% एबाव	
	5. ,, विरदीचन्दमोडाजी जालौर रेट प्राप्त नहीं हुई	
	6. ,, मैं महालक्ष्मी क. कं. बाडमेर ,,	
सरकारी माल की ढुलाई कार्य बागोड़ा रोड	1. ,, मोहम्मद कासिम जालौर 4.95% एबाव	
	2. ,, मैं बाड़मेर कं. रेट प्राप्त नहीं हुई	
	3. ,, द्वारकादास दौसा बाड़मेर 3.95 प्रति एबाब	
	4. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर 3.85 प्रति एबाव	
	5. ,, मारवाड़ कन्स्ट्रक्शन जोधपुर 5.00 प्रति एबाव	
	6. ,, राणारा खेराजी बालोतरा रेट प्राप्त नहीं हुई	
	7. ,, जयसिंह मागीलाल जोधपुर ,,	
	8, ,, विरदीचन्द मोडाणी जालौर 3.45 प्रति एबाब 1.10 प्रति रेट	
	9. ,, भीयाराम चौधरी 3.50 प्रति एबाव	
	10. ,, लालचन्द ग्रोंजा ग्राहोर 6.00 प्रति एबाव	
	11. ,, मूलचन्द मोहती बाड़मेर 5·00 प्रति. एबाव	
सरकारी माल की ढुलाई का कार्य सायला से सिन्दरी	1. ,, मोहम्मद कासिम जालौर 3·50 प्रति एबाव	
	2. ,, म. बाडमेर कं. कं. बाडमेर 3·50 प्रति एबाव	
	3. ,, द्वारकादास दौसा बाड़मेर 3·95 प्रति. ,,	
	4. ,, सोहनलाल जैन बाडमेर 3·15 प्रति. ,,	
	5. ,, मारवाड़ कं., जोधपुर 5 प्रति. एबाव	
	6. ,, राजाराम लछाजी बालोतरा रेट प्राप्त नहीं हुई	
	7. ,, मै. जयसिंह मांगीलाल जोधपुर ,,	
	8. ,, विरदीचन्द जैठाजी जालौर 5 प्रति. एबाब	
	9. ,, भायाराम चौधरी 2·50 प्रति. एबाब	
	10. ,, लालचन्द ग्रोजा ग्राहोर 6 प्रति. एबाव	
	11. ,, भूरचन्द मेहता बाड़मेर 5 प्रति. एबाव	

1	2	3
मांगली से वाकरा सड़क	1. श्री मोहम्मद कासिम जालौर 2·90 प्रति. एवाव ·10 लेस	
	2. ,, मै. बाड़मेर कं. बाड़मेर रेट प्राप्त नहीं हुई	
	3. ,, द्वारकादास दौसा 3·95 प्रति. एबाव	
	4. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर 3·25 प्रति. एवाव	
	5. ,, मारवाड़, कन्स्ट्र. जोधपुर टेण्डर दर प्राप्त नहीं	
	6. ,, रानाराम खेराजी बालोतरा ,,	
	7. ,, जयसिंह मांगीलाल गहलोत जोधपुर ,,	
	8. ,, विरदीचन्द मोडाजी 5 प्रति. एबाव	
	9. ,, मायाराम चौधरी 5 प्रति. एबाव	
	10. ,, लालचन्द ग्रोजा ग्राहौर 7 प्रति. एवाव	
	11. ,, भूरचन्द मेहता बाड़मेर 5 प्रति. एवाव	
काठीवाड़ा से हरजी सड़क	1. ,, बाड़मेर कन्क. 5 प्रति. एबाव	
	2. ,, द्वारकादास बाड़मेर 3·95 प्रति. एवाव	
	3. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर 3·25 प्रति. एबाव	
	4. ,, मारवाड़ कं. जोधपुर 5·0 प्रति. एबाव	
	5. ,, राणाराम खेराजी रेट प्राप्त नहीं हुई	
	6. ,, जयसिंह मांगीलाल रेट प्राप्त नहीं हुई	
	7. ,, लालचन्द ग्रोजा ग्राहौर 2·90 प्रति. एबाव ·25 लेस	
	8. ,, भूरचन्द मेहता बाड़मेर 5 प्रति. एवाव	
	9. ,, जयसिंह मांगीलाल गेहलोत 21 प्रति. लेस	
	10. ,, धनराज पालीवाल बी. एस. ग्रार.	
	11. ,, मायाराम चौधरी 7 प्रति. एबाव	
	12. लालचन्द जैन 20 प्रति एबाव.	
सरकारी माल की ढुलाई केसुरा खसरवा अर्पटू सूराचन्द	1. ,, मोहम्मद कासीम बी. एस. ग्रार.	
	2. ,, बाडमेर कं. बाड़मेर रेट प्राप्त नहीं हुई	
	3. ,, राणाराम खेराजी बालोतरा 21 प्रति. एवाव	
	4. ,, सोहनलाल जैन बाडमेर 20 प्रति. एवाव	
	5. ,, विरदीचन्द मोडाजी 12 प्रति. एवाव	
	6. ,, सैनिक ट्रेडर्स भीनमाल रेट प्राप्त नहीं हुई	

Page No 304

(304)

1	2	3	4	5	6	7
				7. श्री जयसिंह मांगीलाल गहलोत 15 प्रति. एबाव		
				8. धनराज पालीवाल जालौर 15 प्रति. लेस		
				9. ,, भायाराम चौधरी 5 प्रति. लेस		
				10. ,, संजीव चौधरी 2 प्रति. एबाव		
				11. ,, लालचन्द ओजा 25 प्रति एबाव		
				12. ,, जमनाराम केसूसिंह रेट प्राप्त नहीं हुई		
				13. ,, सैनिक कन्टशन कं., जोधपुर 8·25 प्रति लेस		
				14. ,, भूरचन्द मेहता 4·95 प्रति. एबाव		
	सरकारी माल की ढुलाई आलडी रूपसी			1. ,, मोहम्मदकासिम जालौर 25 प्रति. एबाव		
				2. ,, बाडमेर कन्र्श. बाडमेर रेट प्राप्त नहीं हुई		
				3. ,, राणारामखेराजी बालोतरा 21 प्रति. एबाव		
				4. ,, सोहनलाल जैन बाडमेर 5 प्रति. एबाव		
				5. ,, बिरदीचन्द मोडाजी एक प्रति. एबाव		
				6. ,, सैनिक ट्रेडर्स भीनमाल 5 प्रति. एबाव		
				7. ,, जयसिंह मांगीलाल गहलोत 19 प्रति. एबाव		
				8. ,, धनराज पालीवाल 20 प्रति. एबाव		
				9. ,, भायाराम चौधरी 51 प्रति. एबाव		
				10. ,, संजीव चौधरी रेट प्राप्त नहीं हुई		
				11. ,, लालचन्द ओजा 25 प्रति. एबाव		
				12. ,, विष्णु प्रकाश जालौर 21 प्रति. एबाव		
				13. ,, रसूलखान भीनमाल रेट प्राप्त नहीं हुई		
	सरकारी माल की ढुलाई पाली से नौसरा			1. ,, मोहम्मद कासिम जालौर 5 प्रति. एबाव		
				2. ,, मै. बाडमेर कन्स., 5 प्रति. एबाव		
				3. ,, बिरदीचन्द मोडाजी 5 प्रति. एबाव		
				4. ,, नाथाराम चौधरी 10 प्रति. एवबा		
				5. ,, लालचन्द ओजा 5 प्रति. एबाव		
				6. ,, मोहनलाल पीराजी 3 प्रति. एबाव		
				7. ,, मै सोजन लाल जैन 3·10 प्रति एबाव		
	मैंटल, बीं टी रामसीन जसवन्तपुरा %+27%			1. ,, मोहम्मद कासिम 4 प्रति. एबाव		
				2. ,, मै. बाडमेर कन्स, बाडमेर टेण्डर रेट प्राप्त नहीं हुई		
				3. ,, मै. द्वारकादास दीसा 3·95 प्रति. एबाव		
				4. ,, मै. सोहनलाल जैन 2·95 प्रति एबाव		
				5. ,, मारवाड क. टेण्डर रेट प्राप्त नहीं हुई		

Page No 305

305

1	2	3
	6. श्री राणाराम बालोतरा रेट प्राप्त नहीं हुई	
	7. ,, जयसिंह मांगीलाल गहलोत 59 प्रति एवाव	
	8. ,, विरदीचंद मोडाजी टेण्डर रेट प्राप्त नहीं हुई	
	9. ,, मायाराम चौधरी ,,	
	10. ,, लालचंद ओझा 5 प्रति. एवाव	
	11. ,, भूरचन्द मेहता 5 प्रति एवाव	
सरकारी माल की ढुलाई भीनमाल जसवन्तपुरा 1%	1. ,, मोहम्मद कासिम 4·25 प्रति एवाव	
	2. ,, मै. बाड़मेर कन्स., टेण्डर रेट प्राप्त नहीं हुई	
	3. ,, मै. द्वारकादास दौसा 3·95 प्रति एवाव	
	4. ,, सोहनलाल जैन बाडमेर 5 प्रति. एवाव	
	5. ,, मारवाड़ कन्स, रेट प्राप्त नहीं हुई	
	6. ,, राणाराम बालोतरा ,,	
	7. ,, जयसिंह मांगीलाल 3·25 प्रति. एवाव 2·25 प्रति लेस	
	8. ,, विरदीचंद मोडाजी रेट प्राप्त नहीं हुई	
	9. ,, मायाराम चौधरी 5 प्रति. एवाव	
	10. ,, लालचन्द ओझा रेट प्राप्त नहीं हुई	
	11. ,, भूरचंद मेहता 14 प्रति. एवाव	
सरकारी माल की ढुलाई कुवारड़ा से नासरा	1. ,, मोहम्मद कासिम जालौर 5 प्रति. एवाव	
	2. ,, बाड़मेर कन्स, बाड़मेर रेट प्राप्त नहीं हुई	
	3. ,, राणाराम खेराजी बालोतरा 7 प्रति. एवाव	
	4. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर 8 प्रति एवाव	
	5. ,, विरदीचन्द मोडाजी जालौर 13 प्रति. एवाव	
	6. ,, मै. सैनिक ट्रेडर्स भीनमाल रेट प्राप्त नहीं हुई	
	7. ,, जयसिंह मांगीलाल 3·00 प्रति. लेस	
	8. ,, मायाराम चौधरी 5 प्रति. लेस	
	9. ,, धनराज पालीवाल 15 प्रति. लेस	
	10. ,, संजीव चौधरी जालौर 7 प्रति. लेस	
	11. ,, लालचन्द जयनारादण 11·25 प्रति. लेस	
	12. ,, मारवाड़ कन्स., जोधपुर 2 प्रति. एवाव	
	13. ,, प्रेमसिंह देवीलाल 9 प्रति. लेस 18 प्रति.लेस	
सरकारी माल की ढुलाई बासराधनजी वाया टाटोल	1. ,, मोहम्द कासिम जालौर 10 प्रति. एवाव	
	2. ,, बाड़मेर कन्स. बाड़मेर रेट प्राप्त नहीं हुई	
	3. ,, राणाराम खेराजी 21 प्रति. लेस	
	4. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर 10 प्रति. लेस	

Page No 306

306

1	2	3
	5. श्री जयसिंह मांगीलाल 21 प्रति. लेस	
	6. ,, धनराज पालीवाल बी. एस. आर.	
	7. ,, भीयाराम 7 प्रति. लेस	
	8. ,, संजीव चौधरी 3 प्रति. एबाव	
	9. ,, लालचन्द 20 प्रति. एबाव	
	10. ,, विरदीचन्द मोडाजी 13 प्रति. लेस	
	11. ,, सैनिक ट्रेडर्स भीनमाल 8 प्रति. लेस	
रेसिंग कोजवे सायला लिंकरोड	1. ,, मौहम्मद कासिम जालौर 5 प्रति. एबाव	
	2. ,, भायाराम चौधरी जालौर 5 प्रति. एबाव	
	3. ,, मारवाड़ कन्स., जोधपुर 2·75 प्रति. एबाव प्रति लेस	
	4. ,, लालचन्द ओजा 5 प्रति एबाव	
	5. ,, मोहनलाल प्रभूजी रेट प्राप्त नहीं हुई	
सरकारी माल की ढुलाई सायला से रेवतड़ा	1. ,, बाड़मेर कन्स. कं., बाड़मेर 2 प्रति एबाव	
	2. ,, सोहनलाल जैन 2.25 प्रति एबाव	
	3. ,, मारवाड़ कन्स कं. रेट प्राप्त नहीं हुई	
	4. ,, प्रेमसिंह देवीलाल 5 प्रति एबाव	
	5. ,, भायाराम चौधरी 4 प्रति एबाव	
	6. ,, मोहम्मद इकबाल 0.10 प्रति लेस 0.10 प्रति लेस	
	7. ,, थानाराम रेट प्राप्त नहीं हुइ	
	8. ,, संजीव चौधरी 3 प्रति एबाव	
	9. ,, सुमेरमल सोहनराज रेट प्राप्त नहीं हुई	
कन्स्ट्रक्शन ऑफ एम. आर. सोसरामवरानी रोड	1. ,, बाड़मेर कन्स. कं., बाड़मेर 3 प्रति. एबाव	
	2. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर 3 प्रति. एबाव	
	3. ,, मारवाड़ कन्स. कं. जोधपुर रेट प्राप्त नहीं हुई	
	4. ,, मं. प्रेमसिंह देवीलाल 5 प्रति एबाव	
	5. ,, भायामराम चौधरी 3 प्रति. एबाव	
	6. ,, मोहम्मद इकबाल जालौर 5 प्रति. एबाव	
	7. ,, थानाराम जालौर 0.10 प्रति. लेस	
	8. ,, संजीव चौधरी 0.05 प्रति. लेस	
	9. ,, सुमेरमल सोहनराज जैन रेट नहीं दी	
सरकारी माल की ढुलाई रानीवाड़ा से चाटवाड़ा रोड	1. ,, बाड़मेर कन्स. कं. बाड़मेर 0.05 प्रति. लेस	
	2. ,, सोहनराज जैन 0 02 प्रति. लेस	
	3. ,, मारवाड़ कन्स. जोधपुर रेट नहीं दी	

1	2	3
	4. श्री प्रेमसिह देवीलाल 4 प्रति. एवाव	
	5. ,, भीयाराम चौधरी जालौर 5 प्रति. एवाव	
	6. ,, मोहम्मद इकलाव 10 प्रति. एवाव	
	7. ,, थानाराम तोलाजी 8 प्रति. एवाव	
	8. ,, संजीव चौधरी 5 प्रति. एवाव	
	9. ,, सुमेरमल जैन रेट नहीं दी।	
सरकारी माल की ढुलाई नरसाणा से भाव Km 5/0 + 11/0	1. ,, मैसर्स बाडमेर कन्स. बाडमेर 3 प्रति. एवाव	
	2. ,, सोहनलाल जैन 0.25 प्रति. लेस	
	3. ,, मारवाड़ कन्स. जोधपुर रेट नहीं दी	
	4. ,, प्रेमसिह देवीलाल 4 प्रति. एवाव	
	5. ,, भीयाराम चौधरी 3 प्रति. एवाव	
	6. ,, मोहम्मद इकलाव 7 प्रति. एवाव	
	7. ,, थानाराम तोलाजी 10 प्रति. एवाव	
	8. ,, संजीव चौधरी 4 प्रति. एवाव	
	9. ,, सुमेरमल सोहनराज रेट नहीं दी	
कंस्ट्रक्शन ग्रॉफ रामा भवरड़ा नीलकंठ	1. ,, बाड़मेर कन्स., बाडमेर 2 प्रति. एवाव	
	2. ,, सोहनलाल जैन, बाड़मेर 2 प्रति. एवाव	
	3. ,, मारवाड़ कन्स. कं जोधपुर 5 प्रति. एवाव	
	4. ,, प्रेमसिह देवीलाल 5 प्रति. एवाव	
	5. ,, भीयाराम चौधरी बी.एस.ग्रार. 1·25 प्रति.लेस	
	6. ,, मोहम्मद इकबाल 5 प्रति० एवाव	
	7. ,, थानाराम तोलाजी 7 प्रति० एवाव	
	8. ,, संजीव चौधरी 5 प्रति० एवाव	
	9. ,, सुमेरमल जैन रेट नहीं दी	
सरकारी माल की ढुलाई ग्रेवल जाखडी धाजोल जैतपुरा रोड	1. ,, बाड़मेर कन्स०कं० बाड़मेर 0·50 प्रति० लेस	
	2. ,, सोहनलाल जैन बाड़मेर 3 प्रति० एवाव	
	3. ,, मारवाड़ कन्स०कं० जोधपुर रेट नहीं दी	
	4. ,, प्रेमसिह देवीलाल 4 प्रति० एवाव	
	5. ,, भीयाराम चौधरी 46 प्रति० एवाव	
	6. ,, मोहम्मद इकबाल 15 प्रति० एवाव	
	7. ,, थानाराम तोलाजी 9 प्रति० एवाव	
	8. ,, संजीव चौधरी 3 प्रति० एवाव	
	9. ,, सुमेरमल सोहनलाल रेट नहीं दी	

माही बजाज सागर बांध एवं कडाना बांध से सिंचाई

237. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माही बजाज सागर बान्ध राजस्थान में और कडाना बांध गुजरात में निर्मित होकर लगभग तैयार हो चुके हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि माही बजाज सागर बांध और कडाना बांध से सिंचाई के लिए 320 किलो मीटर लम्बी नहरें निर्मित करने के लिये आवश्यक कार्य शुरु नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन नहरों के बनने में कितना समय लगेगा ?

(2) चोरी पकड़े जाने के बाद कितने व्यक्तियों व उद्योगों के बिजली के कनेक्शन काटे गये तथा कितनों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) राज्य सरकार इस प्रकार की चोरी को रोकने के क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) माही बजाज सागर बांध अभी अधूरा है और क्रेस्ट लेविल तक बन कर तैयार हो गया है व कडाना बांध का निर्माण गुजरात में पूर्ण हो चुका है ?

(2) सन् 1966 के गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के समझौते के अनुसार माही बजाज सागर बांध का सम्पूर्ण एवं कडाना बांध का आंशिक संग्रहित जल राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की सिंचाई हेतु (गुजरात में नर्मदा नदी के जल का विकास होने के उपरान्त) उपयोग किया जाना है। इस जल को राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई हेतु एक नहर के द्वारा लाया जायेगा जो कि कडाना बांध से निकलेगी और जिसकी लम्बाई गुजरात राज्य में कडाना बांध से राजस्थान की सीमा तक लगभग 320 किमी होगी।

(3) इस नहर का निर्माण कार्य गुजरात राज्य द्वारा किया जाना है लेकिन गुजरात राज्य में सन् 1966 के समझौते की पूर्ण रूप से पालन में अरुचि (Reluctance) प्रकट की है। इसलिए मुख्य मंत्री स्तर पर इस विषय पर केंद्रीय सिंचाई मंत्री के तत्वावधान में गुजरात व राजस्थान में वार्ता चल रही है।

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न 201 की सूची

एस०पी०ऐ० स्कीम वस्सी में सम्मिलित ग्रामों की सूची

(अविद्युतिकृत)

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं	क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०
1	2	3	1	2	3
1.	पालावाला जाटान	8/10/90	30.	राजपुरा	8/10/53
2.	चतरपुरा	91	31.	खीजूरिया जाटान	49
3.	सवाईजयसिंहपुरा	94	32.	रतनपुरा	53
4.	वाढमहादेवपुरा	93	33.	देवापुरा	56
5.	ब्रह्मपुरी	95	34.	तिलोकपुरा	57
6.	खेड़ा मलूकपुरा	96	35.	कचोलिया	52
7.	भींभा	97	36.	श्यामपुरा उर्फ ढेढपुरा	208
8.	शंकरपुरा	99	37.	नया गांव	86
9.	नांगल करना	103	38.	मनोहरपुरा	80
10.	बाढ रामरखपुरा	102	39.	किशनपुरा	85
11.	रामपुरावास देवगांव	104	40.	पील्या	89
12.	काशीपुरा	100	41.	खिजूरिया तिवाडियान	92
13.	रामरखपुरा	105	42.	खातीपुरा	112
14.	चतरपुरा	101	43.	हिंगोणिया	16
15.	चेनपुरावास खेमराज	106	44.	मटेसरी	17
16.	घासीपुरा	107	45.	बोराई	146
17.	अचलपुरा	46	46.	पेईपुरा	147
18.	खीजूरिया अहीरान	48	47.	चक पोतली	139
19.	गंगारामपुरा	47		विद्युतीकृत ग्रामों की सूची	
20.	खिजूरिया ब्राह्मण	41	48.	बड़ला	8/10/40
21.	केसूपुरा	42	49.	सांभरया	43
22.	रामपुरा	45	50.	मूंडली	98
23.	रुपपुरा	37	51.	जीतावाला	21
24.	किशनसिंह पुरा	36	52.	आरापुरा	31
25.	सॉख	34	53.	फाल्यावास	54
26.	बसेडी	38	54.	खेड़ी	24

1	2	3	1	2	3
27.	रहावता	35	55.	फिलसन बिहारी पुरा	62
28.	फीपलावाई	39	56.	हरीरामपुरा	58
29.	महाराजपुरा	51	57.	भाजूपुरा	82

क्र०सं.	ग्राम का नाम	कोड नं०
58.	अखेपुरा	8/10/81
59.	रामसर पालावाला	23
60.	गिरधारीपुरा	30
61.	रामसिंहपुरा	20
62.	खोखावाला	25
63.	घाटा	12
64.	चक घाटी	207
65.	सेवापुरा	9
66.	गीलाकी नांगल	7
67.	कुठारा खुर्द	11
68.	कुठारा कंला	8
69.	भावसर ईसरावाला	26
70.	लसाडिया गूजरान	27
71.	हिम्मतपुरा	28
72.	लसाडिया गोकुलपुरा	29
73.	सिन्दोली	32
74.	अभयपुरा	44
75.	गुढ़ा पाल्यावास	50
76.	चक भाजूपुरा	83
77.	बाढ़ भाजूपुरा	84

एम०पी०ए० पंचायत समिति आमेर में सम्मलित ग्रामों की सूची

विद्युतीकृत

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	क्र० सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०
1	2	3	1	2	3
1.	हरवन्सपुरा (रामगट्टा)	8/3/70	34.	बिचपडी	8/3/129
2.	बिहारीपुरा	71	35.	मुन्डोता	130
3.	सिरसली	72	36.	झालोई	131

1	2	3	1	2	3
4.	राधाकिशनपुर पोखर सावास	73	37.	महेसवास खुर्द	132
5.	भीलपुरा	74	38.	नांगल लाडी	133
6.	गुढ़ा सोरजन	79	39.	महेशवास कलां	134
7.	मोहनपुरा	80	40.	चक रोजडा	136
8.	बरना	101	41.	चक जेतपुरा	137
9.	रघुनाथपुरा	102	42.	नारदपुरा	138
10.	मुकन्दपुरा	103	43.	चतरपुरा	144
11.	जालसू	104	44.	ग्राकेडा चोड	153
12.	लालपुरा	105	45.	रामपुरा	154
13.	देवगुढ़ा	106	46.	रिसानी	171
14.	मोडी	107	47.	चक देगडावास	172
15.	ग्रटलबिहारीपुरा	108	48.	बूडथल	174
16.	जाहोता	111	49.	डावडी	176
17.	चिमनपुरा	112	50.	टोडूयावास	177
18.	भट्टो की गली	113	51.	राजा रामपुरा	178
19.	द्वारकापुरा	114	52.	मोटू का वास	179
20.	मुकन्दपुरा	115	53.	राजावास	180
21.	मोहनवाड़ी	116	54.	नागल पुरोहितान	192
22.	जयरामपुरा	117	55.	छवर का वास	193
23.	वास बावड़ी	118	56.	चेतावाला	194
24.	दादर बावड़ी	119	57.	बदनपुरा	195
25.	सुदर्शनपुरा	120	58.	खोरा श्यामदास	196
26.	श्रीपुरा	121	59.	सेवापुरा	207
27.	खनीपुरा	122	60.	खेरवाडी	208
28.	चिनी	123	61.	दोलतवास कोटा	200
29.	राधाकिशनपुरा	124	62.	रोजदा	140
30.	राधापुरा	125	63.	सींदोलाई	141
31.	बिशनपुरा	126	64.	सरदारपुरा	142
32.	पुनाना	127	65.	हरदतपुरा	147
33.	बुगाल्या	128	66.	सुबारामपुरा	188
67.	खोरा बीसल	8/3/149	100.	ढण्ड	8/6/64
68.	गोविन्दपुरा	151	101.	धीगपुर	66
69.	नागल सिरसा	181	102.	ग्रगी	67
70.	वेनाड दौलतपुरा	182	103.	ग्रचरोल	68
71.	नींदड	183	104.	नागल तुरकान	149

(312)

1	2	3	1	2	3
72.	हरमाडा	8/3/185	105.	कांकरेल	8/6/150
73.	बडारना	186	106.	सुन्दर का वास	36
74.	उदयपुरा	188	107.	वीलपुरा	37
75.	दीपपुरा उर्फ टोडी	189	108.	चन्दवाजी	29
76.	रामल्यावाला	190	109.	सिरोही	2
77.	लूनियावास	200		नये ग्रामों की सूची (अविद्युतिकृत)	
78.	अचेपुरा	201	110.	देगडावास	8/3/173
79.	अकेडा डूगंर	202	111.	रामपुराचिराडा	197
80.	सूराड	213	112.	रामपुरा	198
81.	चिमनपुरा उर्फ डबा का नाला	214	113.	हनुमानपुरा चक	199
82.	अमीर चक नं० 2	215	114.	लक्ष्मीनारायणपुरा	187
83.	नागंल सुसावतान	216	115.	बिशनगढ़	206
84.	आमेर चक नं० 1	217	116.	बड़ागांव जडापा	210
85.	खन्डल	8/6/1	117.	नेस्टीवास	211
86.	श्री गोविन्दपुरा	46	118.	सीमियावास	205
87.	बिलोची	47	119.	जैसाल्या	203
88.	इसरवाला	48	120.	मायला बाग	204
89.	चोन्य	49	121.	महेशपुरा रावण	152
90.	पोखरवाला	50	122.	दन्तावता	150
91.	चक पोखरवाला	51	123.	चक जाहोता	110
92.	बगवाड़ा	52	124.	चक जयसिंहपुरा	93
93.	भीमपुरा	53	125.	बल्लुपुरा	98
94.	साका	57	126.	विजयपुरा	97
95.	गुनावता	58	127.	जैतपुरा	135
96.	हरवर	59	128.	हरचन्दपुरा	139
97.	कूकस	60	129.	आछोजाई	143
98.	खोरामीना	62	130.	दलपुरा	145
99.	राजपुरा खान्या	63	131.	अमरसिंहपुरा	99
132.	किशनपुरा वास बावडी	8/3/146			
133.	चक नांगल	191			
134.	किशनपुरा लालवास	218			
135.	राजपुरा वास चन्दवाजी	8/6/30			
136.	चादांवास	31			
137.	कुशलपुरा	32			
138.	जैसिंह नगर	33			

1	2	3
139.	चिताणु	35
140.	जुगलपुरा	34
141.	श्यामपुरा	73
142.	कालवाड	69
143.	प्यारी	70
144.	रामपुरा उर्फ बनियावाला	71
145.	चक जयसिंह नगर	72
146.	कांट	39
147.	सांगावाला	40
148.	किरथपुरा	41
149.	लदान	43
150.	जैतपुरा खीची	44
151.	कालीघाटी	45
152.	खोखल्यावास	54
153.	सींगवाना	55
154.	छापराडी	56
155.	चक कोठिया	163

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 204 की सूची

क्र. सं.	गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम व पता	रजिस्ट्रेशन सं. व दिनांक	गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों की संख्या	समिति की भूमि का गांव का नाम व खसरा नं. व क्षेत्रफल			समिति के उपरोक्त भूमि को जिस व्यक्ति से क्रय की उनका नाम, पिता का नाम एवं क्रय की दिनांक	
				गांव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	जिससे भूमि का क्रय की उसका नाम व पिता का नाम	दिनांक क्रय का
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मारवाड गृह निर्माण सहकारी समिति लि., 27 ए हेवी इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर	1734/क्यू ——— 16-12-78	580	जोधपुर	769 803 808 ——— 804 759 771 818 ——— 760	सवा इकतीस बीघा तीन बिस्वा	श्री उम्मेद मल गांधी पुत्र देवचन्द जी गांधी	15-2-81
				कुडी भगतासनी	61,63 व 64	बरायु बीघा, तीन बिस्वा	श्री रामाराम, वंशीलाल, मोतीराम मूलचन्द पिसरान पीराराम तथा श्यामलाल व लक्ष्मीनारायण पिसरान श्री जगनाथ जी पांची	15-1-81

Page No 315

1	2	3	4	5	6	7 8	9
			कुडी भगतासनी	65	साढे वियालिस विघा	हंसराज पुत्र श्री लिछमणजी कौम कुम्हार	10-1-81
2.	मरुधर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जालोरी गेट, जोधपुर	1845/क्यू 22 ——— 15-9-81	जोधपुर	829/1/751	पांच बीघा चार बिस्वा	मुकुल गुप्ता, मृदुल गुप्ता पुत्रान सर्वाधार गुप्ता चन्दनमल पुत्र दानमल जी वेध श्रीमती नर्मदा देवी पत्नी हरीबल्लभजी श्रीमती अनुसुइया पत्नी डा. शिव नारायणजी, श्रीमती विनोद गुप्ता पत्नी श्री सर्वाधार गुप्ता	15-7-81
			,,	829/1/751	पांच बीघा	श्रीमती विमला पत्नी बलदेव मल सिंघवी, श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्री पारसचन्द, पुष्पकंवर पत्नी श्री रिखबचन्द, पवित्रदेवी पत्नी कैलाशमल, रणजीतमल पुत्र श्री नथमल, एवं उदयमल, पुरुषोतम पुत्रान रणजीतमल	7-7-81
			,,	751/43	37941'11 वर्ग गज	सोमचन्द पुत्र प्रेमचन्द पारख सजन राज डागा पुत्र धनराजी सम्पत राज चामड पुत्र श्री मोहनलाल केदारमल सारड़ा पुत्र अमरचन्द	29-9-81

Page No 316

(316)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			जोधपुर	751/43	1777·78 वर्ग गज	केसरकंवर पत्नी रामदेवी जी, अकद-कंवर पत्नी जीतमल पटवा, जगमकंवर, पत्नी लाभचन्द ओसवाल		29-9-81
			,,	751/43	5119 वर्ग गज	माणेक चौपड़ा पुत्र मानमलजी व श्यामसिंह पुत्र श्री पारसमल जी मुणोयत		21-9-81
			,,	751/43	4986 वर्ग गज	लक्ष्मीनारायण पुत्र गोविन्द नारायण, गणेशनारायण पुत्र रामदेव जी,		25-9-81
			,,	571/43	1350 वर्ग गज	सोमचन्द पुत्र प्रेमचन्द		22-9-81
			,,	751/43	3011·11	श्रीमती पुष्पलता पत्नी धीसूराम भाटी, श्रीमती ओमकुकारी धर्मपत्नी द्रोणाचार्य टाक		
			,,	751/43	3911·11 वर्ग गज	विजयादेवी पत्नी हरकराजजी पुरोहित श्रीमती भारतीदेवी पत्नी विशन नारायण		21-9-81
			,,	751/43	1777·77 वर्ग गज	शिवजीराम बोहरा पुत्र श्री सिद्ध लाल लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री अमरदत		30-9-81
			,,	751/43	4355·55	श्रीमती आनन्द गेहलोत बेवा यशवीर		6-7-81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			जोधपुर		वर्ग गज	सिंह शलित गेहलोत पुत्र श्री यशवीर सिंह अनिल गेहलोत पुत्र श्री यशवीर सिंह व लक्ष्मी गेहलोत पुत्री यशवीर		
			"	751/43	11984·41 वर्ग गज	लक्ष्मणसिंह गेहलोत पुत्र सालगराम जी		6-7-81
			"	751/82	1360 वर्ग गज	अशोक कुमार पुत्र पारसराम कल्ला		28-9-81
			"	751/82	1371·31 वर्ग गज	शिवदत पुत्र मुरलीधरजी हर्ष		22-9-81
			"	751/82	2720·18 वर्ग गज	सुरेन्द्रकुमार पुत्र शोभचन्द अोसवाल		22-9-81
			"	751/82	1353·32 वर्ग गज	सम्पतराज पुत्र मोहनलाल अोसवाल		24-9-81
			"	751/82	1327·66 वर्ग गज	श्रीमती गंगादेवी पत्नी रामगोपाल पुरोहित		25-9-81
			"	751/82	1341·51 वर्गगज	धर्मनारायण माथुर पुत्र श्री छोटमल		25-9-81
			"	751/82	2643·92 वर्गगज	नरपतसिंह पुत्र सरदारसिंह राजपूत		24-9-81
			"	751/82	1319·11 वर्गगज	अशोक कुमार मेहता पुत्र श्री सोहन मल मेहता		22-9-81
			"	751/82	1304·33 वर्गगज	अमरकौर पत्नी अमरवत व्यास		22-9-81
			"	751/85	1292·52 वर्गगज	अनन्तराम पुत्र श्री मांगीलाल		24-9-81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				जोधपुर	751/82	1304 वर्गगज	गोविन्दसिंह लोढा पुत्र श्री बजरंग	23-9-81
				,,	751/82	1319.11 ,,	नरेन्द्र भण्डारी पुत्र पवनचन्द जी	22-9-81
				जोधपुर	759 719/751	6500 वर्ग गज	सोमचन्द पुत्र श्री प्रेमराज पारीख	22-9-91
				,,	830/751	पच्चीस बीघा	कैलाशराज टाटीया पुत्र श्री	25-9-81
				,,	831/751	चार बिस्वा	रंगराजजी टाटीया व नरपतसिंह पुत्र सरदार सिंह राजपूत	25-9-81
3–	राजीव गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., विजय चौक, जोधपुर	1847/क्यू 15-9-81	390	जोधपुर	124	सवा पांच बीघा छः बिस्वा	अल्ला बक्श पुत्र कादर खां	8-8-81
				,,				
				,,	125	पूरा चौदह बीघा दो बिस्वा	नूर मोहम्मद पुत्र फकीर मोहम्मद तथा रमजू	10-8-81
				,,	120	साढे चार बीघा	अल्ला बक्स पुत्र कादर खां	8-8-81
				,,	88	छः बीघा एक बिस्वा	बिहारी लाल पुत्र गंगाराम कच्छवाह	8-8-81
				कूडी भगतासनी	44 व 52	सवा पच्चीस बीघा चार बिस्वा	नेनूराम पुत्र भीकाराम घांची	8-8-81
				,,	57	सोलह बीघा दो बिस्वा	कालूराम पुत्र गोरधनराम कुम्हार	8-8-81
				,,	54	नौ बीघा दो बिस्वा	जगदीश पुत्र कंवरलाल घांची	8-8-81
				,,	45 व 53	बाईश बीघा चार बिस्वा	खेताराम पुत्र मोहनलाल	8-8-81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				कुड़ी भगतासनी जोधपुर	395/54	नौ बीघा दो बिस्वा	पुखराज पुत्र कंवरलाल घाची	8-8-81
						दस बीघा	मुंली पुत्र मुकना नाई व रामचन्द्र पुत्र मुकना नाई	8-8-81
4–	अमृत गृह निर्माण सहकारी समिति लि. प्रथम पोलो, जोधपुर	1816/क्यू 5-1-81	328	जोधपुर	775/91, 775/94 775/100	सवा अड़तालिस बिघा दो बिस्वा	घेवरलाल पुत्र दामोदर कुम्हार व गिरधारी पुत्र लक्ष्मीनारायण कुम्हार	15-1-81
				पूंजला	58/1	चालिस बीघा पांच बिस्वा	रत्नी देवी पत्नी खींवराज गहलोत	27-7-81
5–	गुलजार गृह निर्माण सहकारी समिति लि. मेडती गेट, जोधपुर	1872/क्यू 25-1-32	158	पूंजला	67	साढे दस बीघा	रणजीत सिंह पुत्र श्री साहगराम माली	10-4-81
				,,	72	दस बीघा	सफी खां पुत्र श्री अकबर खां मुसलमान	10-4-81
				,,	64/68	साढे आठ बीघा चार बिस्वा	बीन्जाराम पुत्र श्री मोमाराम माली	15-4-81
6–	नवभारत गृह निर्माण सहकारी समिति लि. दफ्तरियों का बास, जोधपुर	618/क्यू 16-11-59	764	जोधपुर	751/23	पन्द्रह बीघा तीन बिस्वा	सोमचन्द पुत्र प्रेमचन्द पारिख	10-3-69
				कालामण्ड	1 व 1/2	पूणा उन्नीस बीघा तीन बिस्वा	छेनाराम, पुसाराम, सोहनलाल पुत्रान मनजी व बुद्धाराम, जवरीलाल, मदनलाल, पुत्रान हीरालाव घांची	27-10-75
				जोधपुर	75/827	दस बीघा	धनपतसिंह पुत्र श्री बिलराज, हुक्मीचन्द पुत्र हीरालाल, पारसराम	22-12-75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
....	....				....		पुत्र मुरलीधर मांचीलाल पुत्र टीकमदास बसन्तराज पुत्र घीसूलाल केवलचन्द पुत्र तुसाराम, पुखराज पुत्र अजबनाम	....
				कुडी भगतासनी	35	बतीस बीघा तीन बिस्वा	धनसुख पुत्र खेलाजी घांची	2-4-81
	....			,,	41	साढे बारह बीघा दो बिस्वा	नेनूराम पुत्र श्री चुन्नीलाल घांची	2-4-81
				,,	42	साढे नौ बीघा तीन बिस्वा	दासूराम नारायणराम पिसरान रामाराम मांची	1-4-81
				,,	43	पूणा दस बीघा तीन बिस्वा	ओमप्रकाश, सोहनलाल, श्रीकिशन व राजू पिसरान नारायणी तथा मु, राधका	1-4-81
				गेंवा	799/3	साढे चौदह बीघा एक बिस्वा	शंकर पुत्र गुलावजी गाछा	1-10-74
				कूडी	78	सताईस बीघा	रूपसिंह पुत्र सुरासिंह पुरोहित	24-12-75
				भगतासनी	69	साढे चौतीस बीघा चार बिस्वा	रामचन्द्र एवं शिवजी पुत्रान सुरजी मांजी	4-1-76
				ढेढ	74/2	सवा इकसठ बीघा	दादूराम पुत्र किशनलाल, सूरजमल उर्फ सूरजाराम	27-7-81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							श्री मोहनराम श्री मगाराम पुत्रान मुसवकी चुन्नी लाल मुस्तम आसी वेवा चुन्नीलाल श्रीमती रामजोत पत्नी भंवरलाल श्रीमती गोमा पत्नी मांगीलाल, श्रीमती आचुकी पत्नी सालगराम श्रीमती भीमा पत्नी भंवरलाल श्री भंवरलाल, श्री वंशीलाल श्री जवरीलाल श्री शिवजी, श्री प्रभूजी पुत्रान भंवर-लाल जी श्रीमती बाइचन्दीया पत्नी श्याम जी श्रीमती तुलछी पत्नी अचलूरामजी, श्रीमती बाबड़ी पत्नी जौहरीलाल ।	
				बासनी	2.2 मि.	इकावन बीघा	भंवरलला, दासूराम पितरान किशनराम सूरजमल	16-12-75
				चौहान	3.3 मि.	दो बिस्वा	मोहन, मगराज पितरान चुन्नीलाल, श्रीमती आती वेवा,-चुन्नीलाल, रामजोत, गोमती व आचुकी दुखतर श्री चुन्नीलाल प्रेमाराम, कानाराम, मिश्रीलाल, मोहन, सुखराम पितरान दीपा ।	
				जोधपुर	825/751 (751/825)	चौदह बीघा चार बिस्वा	श्रीमती गोविबाई पत्नी मिश्रीलाल ब्राह्मण ।	9-11-75
				गेंवा	662, 662/1 663, 664, 666	पूरा अठाईस बीघा दो बिस्वा	सोहनराज, मदनराज पुत्रान सोनराज जी श्रीमती विमला मेहता पत्नी नारायण चन्द ओसवाल भंवरलाल पुत्र श्री भागीरथजी माहेश्वरी ।	10-11-75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	जोधपुर मोडल गृह निर्माण सहकारी समिति लि., पोलो प्रथम, जोधपुर	220/ 30-7-55	क्यू 89 ———	जोधपुर	751/832/1 751/832 751/833	तेबीस बीघा सोलह बिस्वा	थानाराम पुत्र नैनाराम, बीणाराम, लम्बाराम, मंगलाराम, अण्दाराम पिसरान नैनाराम, चम्पा लाल पुत्र सूरजमल, श्रीमती सुखदादेवी पुत्री नैना राम, रामचन्द्र पुत्र रामगोपाल, प्रेमसिंह पुत्र आईदानराम, भंवरलाल पुत्र उम्मेदराम, हीरालाल पुत्र पूनमचन्द, चैनसिंह पुत्र रणधीरसिंह, लादूराम पुत्र देवाराम, श्रीमती चन्द्रमणी पत्नी मोहनराम वसन्तकुमार पुत्र अमृतलाल श्रीमती धन्नोदेवी पत्नी किशनजी गणेशराम पुत्र अण्दाराम, रूकमा पत्नी गंगाराम जाट।	20-2-73
8.	बजरंग गृह निर्माण सहकारी समिति लि. फतेहनगर अचल आश्रम, जोधपुर	1876/ 27-1-82	क्यू 72 ———	जोधपुर	175/1	आठ बीघा	दाऊजी पुत्र आसूजी, धीवजी वल्द बीजोणी मिश्री लाल वल्द भंवरलाल, भगवानजी वल्द रूपजी माली	16-1-82
9.	कंवर हाउसिंग को-आपरेटिव सहकारी समिति लि, सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर	1139/ 20-4-70	क्यू 94 ———	जोधपुर	75/885	साढे बारह बीघा चार बिस्वा	रामकिशन पुत्र टीकमचन्द	13-1-75
10.	आदेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.,	1898/ ———	क्यू 87	जोधपुर	775/90, 775/93,	तेयालीस बीघा तीन बिस्वा	पुरखाराम, रामूराम, तारूराम, पन्नाराम, नरपतराम, चिमनाराम पुत्र श्री माणकराम कौम	24-6-81 व 28-4-82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25 हेवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, पावर हाउस के पीछे, जोधपुर		28-4-82		775/99		माली।	
11.	गौतम भवन निर्माण सहकारी समिति लि. सुनारों का बास, जोधपुर	1174/क्यू 79	2-12-71	जोधपुर	747/1	'साढे छाइश बीघा' दो बिस्वा	रजाक खां पुत्र गुलाब खां मुसलमान	15-5-81
12.	रेलवे कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., उत्तरीय रेलवे कार्यालय जोधपुर	1892/क्यू 254	14-4-82	जोधपुर	775, 775, 775 / 37 32 44	सवा चालीस बीघा चार बिस्वा	अध्यक्ष त्रिगति गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जोधपुर	28-4-82
13.	जोधपुर आदर्श प्रगतिशील गृह निर्माण सहकारी समिति लि., फस्ट सी रोड सरदारपुरा जोधपुर	1262/क्यू 169	26-3-73	गेंवा	101	एक सौ दस बीघा तेरह बिस्वा	म्यूचल कोपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लि.. जोधपुर	15-4-82
14.	नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति लि., 14 स्टेडियम शोपिंग सैंटर, जोधपुर	1117/क्यू	9-4-70	कुडी भगतासनी	56 / 71	सवा पच्चीस बीघा चार बिस्वा	भंवरीलाल पुत्र गुटीयाणी घांची	25-11-74
				,,		पोना उनतीस बीघा तीन बिस्वा	श्रीराम पुत्र हुकमाराम कुम्हार	3-3-75
15.	पोलो लिंक गृह निर्माण सहकारी समिति लि., धासमण्डी बाजार, जोधपुर	1186/क्यू	3-5-72	कुडी भगतासनी	16, 17 व 18	पूणा चालीस बीघा	भंवरी पत्नी गोरीया घांची व गुमनाराम, श्राईदान पितरान कालूराम	28-1-76

उपखण्ड अधिकारी (तृतीय) कृषि रूपान्तरण, जोधपुर के यहां समितियों के मामले

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मरुधर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जालोरी गेट, जोधपुर	1946/क्यू ——— 15-9-81	22	जोधपुर	829/1751	तीन बीघा	बलवन्तराज पुत्र हुकमराज लोढ़ा, सूरजराज पुत्र करणराज, भिमराज पुत्र बच्छराज	8-7-81
				,,	751%82	1250 वर्गगज	बुधराज लोढ़ा पुत्र हुकमराज लोढ़ा, सूरजराज पुत्र करणराज, भिमराज पुत्र बच्छराज	7-7-81
				,,	829/1/751	तीन बीघा	बलवन्तराज पुत्र हुकमराज लोढ़ा, सूरजराज पुत्र करणराज भिमराज पुत्र बच्छराज	8-7-81
				,,	829/1/751	1935.55 वर्ग गज	सत्यमूषणसिंह पुत्र शिवदानसिंह राजपूत	6-7-81
				,,	829/1/751	1935.55 वर्ग गज	बिलाराम पुत्र लुम्बाराम पिटल	7-7-81
				,,	829/1/751	1935.55 वर्ग गज	सत्यमूषणसिंह पुत्र शिवदानसिंह राजपूत	6-7-81
				,,	829/1/751	1935.55 वर्ग गज	सुगनीराम जांगीड पुत्र माणकलाल	7-7-81
				,,	829/1/751	1935.55 वर्ग गज	बिजाराम पुत्र लुम्बाराम पिटल	7-7-81
				,,	751/49 (1145)	3000 वर्ग गज	प्रकाशमल पुत्र नथमलजजी भण्डारी कैलाशराम टाटीया	20-6-81
				,,	751/49 (1145)	3000 वर्ग गज	प्रकाशमल पुत्र नथमलजी भण्डारी कैलाशराज टाटीया	20-6-81

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 205 की सूचना

गत दस वर्षों में पश्चिमी राजस्थान के सूखे से प्रभावित ग्रामों की सख्या

क्र. सं.	नाम जिला	कुल ग्रामों की संख्या	वर्ष								
			72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82
1	बाड़मेर	865	586	–	664	–	–	356	409	820	849	630
2.	बीकानेर	680	661	–	670	–	–	–	174	551	610	611
3.	चूरू	908	742	–	719	–	–	307	501	894	550	732
4.	जैसलमेर	515	512	–	512	–	–	356	394	395	398	395
5.	जालौर	615	560	–	596	–	–	–	472	610	368	456
6.	जोधपुर	725	693	–	719	–	–	–	720	677	724	725
7.	नागौर	1266	1038	–	1016	–	–	607	661	1240	1213	1174
8.	पाली	852	851	–	814	–	–	136	77	852	848	849
9.	सिरोही	458	422	–	412	–	–	376	69	436	449	448
	योग :—	6884	6063	–	6122	–	–	2138		6475	6336	6020

परिशिष्ट "ख"

गत 10 वर्षों में पश्चिमी राजस्थान के जिलों में बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की संख्या

क्र. सं.	नाम जिला	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82
1.	बाड़मेर	–	हां	–	हां	–	–	–	152	–	–
2.	बीकानेर	–	–	–	–	–	–	30	–	–	22
3.	चूरू	–	–	–	हां	हां	7	671	–	–	–
4.	जैसलमेर	–	हां	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	जालोर	–	हां	–	–	–	13	–	63	–	–
6.	जोधपुर	–	हां	–	हां	हां	–	–	209	–	–
7.	नागोर	–	हां	–	हां	हां	668	1	123	–	123
8.	पाली	–	–	हां	–	–	411	–	–	–	–
9.	सिरोही	–	हां	–	–	हां	–	–	–	–	–
		–		–	–	–	1099	702	547	–	145

वर्ष 73-74, 75-76, 76-77 में पश्चिमी राजस्थान में जो जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे उन जिलों के प्रभावित ग्रामों की घोषणा नहीं हुई थी इसलिये गांवों की संख्या देना सम्भव नहीं है। जिन जिलों में बाढ़ आई थी उन जिलों के आगे हां कर दिया गया है।

परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्न संख्या 208 की प्रतिलिपियां

RST No. 714/100 Tel P. P. 4380

CST No. 1851-UD/A

M. &. S. ENTERPRISER

14, Bap-na Street, Moti Chotta, Udaipur

Everything in Hardware, Machinary, pipe fittings and Electricals

Date 7/12/79

Executive Engineer,

P. H. E. D. Dn.

Banswara.

Dear Sir,

We thank your for your valued enquiry due on 11/12/79 and have great pleasure in submitting out lowest rates as under:--

P. V. C. "Raj Make" Single
case unseatted copper wire
440 Volts 91.44 M
Length

Size	3/81	–	Rs. 158.00 P. coil.
	3/20	–	Rs. 132.00 ,, ,,

TERMS & CONDITIONS:--

1. The rates are F. O. R. Banswara
2. The S. T. will be S. T. Paid.
3. 75% Payment against R. R/G. R. & 25% within a fortnight.
4. The Supply shall be despatched ready stock from the date of receipt of the order.
5. our offer is valid up to date 31/12/79.
6. Dispute if any is subject to Udaipur Jurisdiction.
7. Postal order No. F 008403 dt. 11/12/79 For Rs. 3,00
8. Tender Fee has been deposited wide C. R. No............ dt........

9. The rates quoted are subject to Market Fluctuation.

Yours Faithfully,

Sd/–
For M. & S. Enterpriser
Phone P. P. 61684

QUOTATION

SHREE SHIVA SALES

Your Ref. N. I. T. Electrics goods.
Our Ref. SSSI 79180. 30
Due on 11.12.79

Laxmi Narayan Temple
Laxmi Narayan Puri
Outside Surajpole Gate
Jaipur-302002

The Executive Engineer,
P. H. E. D. Division,
Banswara.

ITEM No.	DESCRIPTION	RATE PER
1.	Capecitors Best quality make power phase I. S. I. mark.	
	Upto 5 H. P.-1500 RPM/3000 RPM 2 KVAR	Rs. 336/85 each
	Upto 7.5 H. P.-1500 RPM/3000 RPM 3 KVAR	Rs. 524/95 each
	Upto 10 H. P.-1500 RPM/3000 RPM 3 KVAR	Rs. 525/95 each
2.	P. V. C. Copper wire 3/20	Rs. 180/Per coil
3.	-,,- -,,- 3/18	Rs. 220/- " "
4.	-,,- -,,- 1/18	Rs. 240/- " "

Price; F. O. R. your stores Validity 15 days
Delivery Ready stock Discount
Subject to Force Majure conditions) ....
Payment within 3 days ....
Sales Tax Extra ....

for SHREE SHIVA SALES

Sd–
M. K.
Preprietor.

(329)

GRAM: SINGHVI MACHINERY Phone (Office 2371
QUOTATION (Resi. 570

Without Engagement & Subject to Market Fluctuation

SINGHVI MACHINERY STORES

ENGINEERS, CONTRACTORS & GENERAL ORDER SUPPLIERS AUTHORISED DEALER FOR UDAIPUR DIVISION : P. S. G. MOTORS : ENGINES & MONO-BLOC, PUMPING SETS

SALES, SPARES & SERVICE

No. 662/79

Outside Hathipole,
UDAIPUR 11-12-79 197
(Rajasthan)

The XEN PHED,
Banswara,

Dear Sir/Sirs,

We thank you for your eteemed enquiry No.................... Date........ ....and have the pleasure to quote as under.

S.No.	DESCRIPTION		RATE Rs. P.	Per
1.	Cosin Make Power capiciter sheet type as per your specification & confirming to ISS. 2834 & 199 Marked.			
		1 KVAR	185 00	Each
		2 KVAR	320.00	,,
		3 KVAR	602,00	,,

E. & O. E.

1. F. O. R. Destination at Banswara Rly. Station,
2. DELIVER 30/60 Days after receive your office order.
3. PAYMENT 75% Payment through the bank against the despatch document balance 25% within 7 days after supply the material should

Yours faithfully,

FOR SINGHVI MACHINERY STORES

4. TAX The Rajasthan Sales Tax will be charged extra
5. VALIDITY Our rates valied upto 31-12-79
6. REMARKS ....
....

Thanking you

Sd/-
Manager

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER P. H. E. D. DIVISION BANSWARA DISTT,

N. I. T. No. :-
Due date :- 11-12-79

Earnest Money–500/–
Tender cost 5/–

MHTERIAL SPECIFICATION

Electric goods :–

Capacitors :– Best quality make power phase expeditor as per ISI mark

upto 5 H.P. –1500 rpm/3000 rpm 2 KVAR	24 Nos.	Not Quoting	
upto 7.5 H.P. 1500 rpm/3000 rpm 2 ,,	24 Nos.		
upto 10 H.P. 1500 rpm/3000 rpm 3 ,,	12 Nos.		
			Rs.
2. P. V. C. Copper wire 3/20 –20 Coil			118/–Coil
3. –,,– 3/18 –20 ,,			149/ ,,
4. –,,– 1/18 –30 ,,			168/ ,,

CONDITIONS :-

1. Earnest money as per N. I. T. should be deposited at the time of tendered failing which tender may not be considered.

2. Samples with literature if any are to be furnished along with the tender on as to judge the quality of material offered.

3. Materials required urgently as much ready stock offer shall be given as preference.

4. Rates should be quoted for free delivery to w. w. Stores Banswara.

5. Quantities can be increased/decreased as per condition and

requirement.

6. Tenderersq are requested to quote the rates only in case the material is in ready stock with him.

7. Tenderers are requested to white on sealed tender regarding ready stock of material failing xhich no tender shall be considered.

8. Separate sealed tender for separate item is requested.

9. R. S. T. Paid

10. Delivery–within 3 days.

11. 75% payment against proof of despatch.

FOR ARJENT AGENCIES
Sd/-
Manager/Partner,

Sd/-
Executive Engineer,
P. H. E. D. Division,
Banswara,

ARJENT AGENCIES 8, SARDAR PATEL NAGAR HIRAN MAGRI, SECTOR-II UDAI PUR (Raj,) 313001,

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 209 की सूची

निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
1.	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
2.	राजकीय महाविद्यालय, अलवर
3.	एस. डी. महाविद्यालय,ब्यावर
4.	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा
5.	एम. एस. जे. महाविद्यालय भरतपुर
6.	एम.एस. बी. महाविद्यालय, भीलवाड़ा
7.	डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
8.	राजकीय महाविद्यालय, बून्दी
9.	राजकीय महाविद्यालय, चितौडगढ़
10.	लोहिया महाविद्यालय, चूरू
11.	राजकीय महाविद्यालय, दौसा
12.	राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर
13.	राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़
14.	राजकीय महाविद्यालय, करौली
15.	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ
16,	राजकीय महाविद्यालय, कोटा
17.	राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली
18.	बांगड़ महाविद्यालय, पाली
19.	राजकीय महाविद्यालय, सिरोही
20.	एस. के. महाविद्यालय, सीकर
21.	राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
22.	राजकीय महाविद्यालय, टौंक
23.	मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर
24.	राजकीय महाविद्यालय, बारां
25.	राजकीय महाविद्यालय, *
26.	बांगड महाविद्यालय, डीडवाना
27.	राजकीय महाविद्यालय, जालौर
28.	राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर
29.	राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा
30.	राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा
31.	राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़
32.	राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ (सीकर)

* अस्पष्ट

1	2
33.	राजकीय महाविद्यालय, साम्भर लेक
34.	राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर
35.	राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा
36.	राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर
37.	एस. एस. कन्या महाविद्यालय, बीकानेर
38.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्री गंगानगर
39.	जे. डी. बी. कन्या महाविद्यालय, कोटा
40.	राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल
41.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर
42.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा ।

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 213 की सूची
राज्य से बाहर के समाचार पत्रों की सूची

1. हिन्दुस्तान हिन्दी, दिल्ली
2. नवभारत टाइम्स, देहली
3. हिन्दुस्तान टाइम्स, देहली
4. टाइम्स ऑफ इण्डिया, देहली/अहमदाबाद
5. इण्डियन एक्सप्रेस, देहली/चन्डीगढ़
6. थांथी, मद्रास (समस्त संस्करण)
7. हिन्दु, मद्रास
8. इण्डियन एक्सप्रेस, मद्रास (समस्त पश्चिम संस्करण)
9. मलाया मरासू, मद्रास
10. आन्ध्रप्रभा, विजयवाड़ा (समस्त संस्करण)
11. एनाडू, विजयवाड़ा, हैदराबाद/विशाखापटनम्
12. मलयाला मनोरमा, कोट्टायम
13. संदेश, अहमदाबाद
14. मातृभूमि, कालीकट (समस्त संस्करण)
15. गुजरात समाचार, अहमदाबाद
16. फूलछाब, राजकोट
17. नूतन सौराष्ट्रा, राजकोट
18. नई दुनिया, इन्दौर
19. अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता (नदर्न इंडिया पत्रिका सहित)
20. आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता
21. प्रजवानी, बैंगलोर
22. आर्यव्रत, पटना
23. ट्रिब्यून, चण्डीगढ़ (समस्त संस्करण)
24. हिन्द समाचार/पंजाब केसरी/जगवानी, जालंधर
25. आज, बनारस/कानपुर
26. स्वतन्त्र भारत, लखनऊ
27. जागरन, कानपुर/गोरखपुर (समस्त संस्करण)
28. पायोनियर, लखनऊ
29. अमर उजाला, आगरा/बरेली
30. इकोनोमिक टाइम्स, दिल्ली/कलकत्ता
31. नवभारत (चार संस्करण) भोपाल
32. अजीत, जालंधर
33. नेशनल हैराल्ड, दिल्ली/लखनऊ
34. सर्चलाइट, पटना

35. जुगान्तर, कलकत्ता
36. विश्वामित्र, कलकत्ता
36. सन्मार्ग, कलकत्ता
37. सन्मार्ग, कलकत्ता
38. आसाम ट्रिब्यून, गोहाटी
39. दैनिक आसाम, गोहाटी
40. दीनामल्हार, मद्रास
41. डेकन क्रानीकल, सिकन्दराबाद
42. डेकन हैराल्ड, बेंगलोर
43. खिदमत, श्रीनगर
44. कन्नड प्रभा, बेंगलोर
45. उदयवाणी, बेंगलोर
46. प्रजातन्त्र, कटक
47. खमाण, कटक
48. दीनामानी, मद्रास
49. उदयवाणी, मनीमाल
50. मलाई मलार, कोयम्बटूर
51. जनसत्ता/लोकसत्ता. अहमदाबाद
52. दीनाकरण, मद्रास
53. दैनिक वासुमति
54. जागरन, भोपाल ।

राजस्थान के समाचार पत्रों की सूची

1. राजस्थान पत्रिका, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
2. राष्ट्रदूत, जयपुर/बीकानेर/कोटा
3. नवज्योति, जयपुर/अजमेर
4. अधिकार, जयपुर/बीकानेर/कोटा/फरीदाबाद
5. जलते दीप, जोधपुर
6. अरानाद, अलवर
7. सीमा संदेश, गंगानगर
8. अणिमा, जयपुर
9. न्याय, अजमेर
10. जननायक, कोटा
11. जय राजस्थान, उदयपुर
12. प्रताप केसरी, गंगानगर
13. युगपक्ष, बीकानेर
14. प्रातःकाल, उदयपुर
15. तरुण राजस्थान, जोधपुर ।

खर्च का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 1981–82 में समाचार पत्रों को लॉटरी के विज्ञापनों पर किये गये भुगतानों की सूची

क्र. सं.	नाम समाचार पत्र	राशि
1.	हिन्दुस्तान हिन्दी, दिल्ली	99,146-90
2.	नवभारत टाइम्स, देहली	1,67,437-00
3.	हिन्दुस्तान टाइम्स, देहली	1,20,153-43
4.	टाइम्स ऑफ इण्डिया, देहली/अहमदाबाद	1,38,566-70
5.	इंडियन एक्सप्रेस, देहली/चण्डीगढ़	1,23,016-95
6.	थांथी, मद्रास समस्त (समस्त संस्करण)	1,83,239-88
7.	हिन्दु, मद्रास	1,41,650-00
8.	इण्डियन एक्सप्रेस, मद्रास (समस्त पश्चिम संस्करण)	1,49,309-93
9.	मलाया मरासू, मद्रास	74,784-00
10.	आन्ध्रप्रभा, विजयवाड़ा (समस्त संस्करण)	82,189-77
11.	एनाडू विजयवाड़ा/हैदराबाद/विशाखापट्नम्	1,05,631-48
12.	मलयाला, मनोरमा, कोट्टायम	2,44,003-00
13.	संदेश, अहमदाबाद	98,950-34
14.	मातृभूमि, कालीकट (समस्त संस्करण)	1,69,587-00
15.	गुजरात समाचार, अहमदाबाद	98,015-12
16.	फूलछाव, राजकोट	39,751-25
17.	नूतन सौराष्ट्रा, राजकोट	20,453-60
18.	नई दुनिया, इन्दौर	63,907-00
19.	अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता (नदर्न इंडिया पत्रिका सहित)	19,694-60
20.	आनंद बाजार पत्रिका, कलकत्ता	3,81,697-42
21.	प्रजवानी, बैंगलौर	41,610-80
22.	आर्यव्रत, पटना	83,162-70
23.	ट्रिब्यून, चण्डीगढ़ (समस्त संस्करण)	1,03,559-72
24.	हिन्द समाचार/पंजाब केसरी/बगवानी, जालंधर	1,30,203-40
25.	आज, बनारस/कानपुर	42,078-13
26.	स्वतन्त्र भारत, लखनऊ	57,420-30

1	2	3
27.	जागरन, कानपुर/गोरखपुर (समस्त संस्करण)	1,33,739-42
28.	पायोनियर, लखनऊ	22,919-20
29.	अमर उजाला, बरेली/आगरा	72,362-40
30.	नवभारत (चार संस्करण) भोपाल	88,776-21
31.	अजीत, जालंधर	34'788-60
32.	नेशनल हैराल्ड, दिल्ली/लखनऊ	64,000-90
33.	सर्चलाइट, पटना	18,631-20
34.	जुगान्तर, कलकत्ता	1,64,384-25
35.	विश्वामित्र, कलकत्ता	38,604-80
36.	सन्मार्ग, कलकत्ता	29,518-80
37.	आसाम ट्रिब्यून, गोहाटी	9,787-50
38.	दैनिक आसाम, गोहाटी	25,728-80
39.	दीनामल्हार, मद्रास	49,013-10
40.	डेकन क्रानीकल, सिकन्दराबाद	23,984-10
41.	डेकन हैराल्ड, बैंगलोर	37,726-20
42.	खिदमत, श्रीनगर	588-00
43.	कन्नड प्रभा, बैंगलोर	4,540-00
44.	उदयवाणी, बैंगलोर	2,790-00
45.	प्रजातंत्र, कटक	14,670-36
46.	समाज, कटक	5,982-00
47.	दीनामानी, मद्रास	72,767-00
48.	उदयवाणी, मनीपाल	25,170-00
49.	मलाई मलार, कोयम्बटूर	11,067-57
50.	जनसत्ता/लोकसत्ता, अहमदाबाद	24,266-95
51.	जागरण, भोपाल	3,645-50
52.	दीनाकरण, मद्रास	28,291-35
53.	दैनिक वासुमति	321-75
54.	राष्ट्रदूत, जयपुर	43,435-22
55.	जलते दीप, जोधपुर	20,434-56
56.	सीमा संदेश, श्री गंगानगर	6,759-10

1	2	3
57.	अरानाद, अलवर	14,548-68
58.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	63,593-15
59.	नवज्योति, जयपुर	53,941-52
60.	जय राजस्थान, उदयपुर	576-00
61,	न्याय दैनिक, अजमेर	3,848-23
62.	अधिकार दैनिक, जयपुर	39,235-97
63.	अमर राजस्थान, जयपुर	109-20
64.	अभय दूत, जोधपुर	282-00
65.	बढ़ते चरण, जोधपुर	46-80
66.	युगपक्ष, बीकानेर	5,445-99
67.	जय राजस्थान, उदयपुर	126-00
68.	उदयपुर एक्सप्रेस,	341-93
69.	प्रताप केसरी, श्री गंगानगर	337-25
70.	लोकजीवन, जोधपुर	78-00
71.	दैनिक तेज, हनुमानगढ़	1,638-43
72.	जननायक, कोटा	7,175-84
73.	पाक्षिक कोटिनून, बीकानेर	90-00
74.	बीकानेर एक्सप्रेस,	124-50
75.	महाप्राण, झुंझुनू	46-60
76.	स्वायत्त संदेश, टोंक	124-50
77.	बूंदी संदेश, सवाईमाधोपुर	23-40
78.	अंगद, बूंदी	93-60
79.	साप्ताहिक आदिवासी जागृति, अजमेर	105-00
80.	बांगडदूत साप्ताहिक, डूंगरपुर	46-80
81.	चम्बल, कोटा	46-80
82.	देश की धरती, कोटा	100-50
83.	धरती करे पुकार, कोटा	78-00
84.	चम्बल सेतु, कोटा	54-00
85.	तरुण राजस्थान, जोधपुर	862-00
86.	गंगानगर ज्योति, श्रीगंगानगर	119-85
87.	भोर, श्रीगंगानगर	159-00
88.	शहजादा, श्रीगंगानगर	207-50
89.	नवजीवन, उदयपुर	124-50
90.	प्रातः काल, उदयपुर	653-00
91.	जन मंगल, उदयपुर	78-00
92.	जय मेवाड़, चित्तौडगढ़	90-60

1	2	3
93.	ललकार साप्ताहिक, चित्तौड़गढ़	120-00
94.	ग्राम समाज, भीलवाड़ा	46-80
95.	समाचार जगत, जयपुर	378-00
96.	दैनिक अरुणिमा, जयपुर	5,948-80
97.	निराला राजस्थान (साप्ताहिक)	799-00
98.	नियोजन भारती, जयपुर	935-00
99.	यंग लीडर, जयपुर	654-75
100.	जयपुर न्यूज क्लब, जयपुर	300-00
101.	गुप्तदूत, जयपुर	520-00
102.	प्रताप केसरी, श्री गंगानगर	304-20
103.	साप्ताहिक हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	72-00
104.	साप्ताहिक शाश्वत सत्य, श्री गंगानगर	63-00
105.	जन सम्मत, श्री गंगानगर	128-00
106.	सेनानी, बीकानेर	83-00

———

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 215 की सूची

परिशिष्ठ (क)

राजस्थान में शराब बन्दी समाप्त होने के बाद अजमेर नगर परिषद सीमा में देशी मदिरा की निम्नांकित 11 दुकाने खोलने के स्थान स्वीकृत की

क्र. सं.	नाम दुकान	नाम उप दुकान
1.	क्रिशिचयन गंज	
2.	गंज	1 मीरशाली
3.	कहार मोहल्ला	
4.	पुरानी मण्डी	
5.	मेरु खेड़ा	
6.	जादुगर	1 गुलाब बाड़ी
7.	रामगंज	
8.	उसरीगेट	
9.	रामनगर	
10.	नारेली	
11.	परवतपुरा	

नोटः– वर्ष 82-83 में क्र. सं. 4 पर अंकित दुकान पुरानी मंडी को बन्द कर उसके स्थान पर खाईलेन्ड में दुकान खोली गई है। शेष दुकानें यथावत स्थान पर वर्ष 81-82व 82-83 के लिये स्वीकृत थीं।

परिशिष्ट (ख)

राजस्थान में शराबबंदी समाप्त होने के पश्चात अजमेर नगर परिषद सीमा में खोली गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा रिटेल आफ दुकानों की सूची

क्र. सं.	नाम अनुज्ञाधारी	स्थान
1.	श्री महादेव पुत्र खुशालदास श्रीमती धर्मीबाई पत्नि टोपनदास	अजमेर शहर

1	2	3
2	श्री हरवंशसिंह पुत्र शेरसिंह	अजमेर शहर
	श्री सुरजीतसिंह पुत्र शेरसिंह	,,
3.	श्री भावनदास पुत्र मोटूमल	,,
4.	श्री रामचन्द्र पुत्र टीटूमल	,,
	श्रीमती निर्मलादेवी पत्नि हेमनदास	,,
	श्रीचन्द पुत्र मंगाराम	
5.	श्री जयकिशन पुत्र लालचंद	,,
6.	श्री इन्द्रपालसिंह पुत्र जगतसिंह व	,,
	श्री कुलदीपसिंह पुत्र जगतसिंह	,,
7.	श्री मै. एम. आर. एण्ड संस अजमेर	,,
8.	श्री ईश्वर पुत्र प्रतापमल	,,
	श्रीमती ईसा पत्नि जवाहर	,,
9.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र शंकरलाल	,,
	श्री मानसिंह पुत्र मूरालाल	
10.	श्री गुरुबचनसिंह पुत्र ज्ञानचंद	,,
	श्री पुरुषोतम सिंह पुत्र ज्ञानचंद	,,
11.	श्री ई. एन. कान्ट्रेक्टर पुत्र डी.एन. कन्ट्राक्टर	,,
12.	श्री तारनसिंह पुत्र सुन्दरसिंह	,,
	श्री जगप्रीतसिंह पुत्र इन्दरसिंह	,,
13.	श्री किशनचंद पुत्र चनामल	,,
14.	श्रीमती कान्तादेवी पत्नि दीपचन्द टांक	,,
15.	श्री भंवरलाल पुत्र माधुलाल	,,
16.	श्री प्रेमचंद पुत्र भंवरलाल श्रीमाल	,,
	श्री सत्यनारायण पुत्र छोटूलाल	,,
17.	श्री अमरजीतसिंह पुत्र मनमोहनसिंह	,,
18.	श्री एम. जी. आवतसिंह एण्ड संस अजमेर	,,
19	श्री मोहनलाल पुत्र किशनलाल	,,
	श्रीमती इन्द्राकुमारी पत्नि रामस्वरुप टांक	,,

परिशिष्ट ख

वर्ष 1982-83 में अजमेर नगर परिषद सीमा में खोली गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा रिटेल आफ दुकानों की सूची

क्र. सं.	नाम अनुज्ञाधारी	स्थान
1.	श्री नारायणदास पुत्र हेमनदास सिंधी	अजमेर शहर न. 1
2.	श्री विनोद कुमार पुत्र शंकरलाल टांक	अजमेर शहर न. 2
3.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र शंकरलाल टांक श्री मानसिंह पुत्र भूरालाल टांक	अजमेर शहर न. 3
4.	श्री टोपनदास पुत्र चणामल सिंधी	अजमेर शहर न. 4
5.	श्री जयकिशन पुत्र लालचंद सिंधी	अजमेर शहर न. 5
6.	श्री रामचन्द्र पुत्र टीकूमल सिंधी	अजमेर शहर न. 6
7.	श्री मंघाराम पुत्र झमटमल सिंधी	अजमेर शहर न. 7
8.	श्री सुरजीतसिंह पुत्र शेरसिंह सिख	अजमेर शहर न. 8
9.	श्री इन्द्रपालसिंह पुत्र जगतसिंह सिख	अजमेर शहर न. 9
10.	श्री इ. एन. कन्ट्राक्टर पुत्र एन. डी. कन्ट्राक्टर	अजमेर शहर न. 1
11.	श्री अशोक कुमार पुत्र भगवानदास सिंधी	अजमेर शहर न. 12
12.	श्री ईश्वर प्रताप राय सिंधी ईसा जे. पत्नि जवाहर सिंधी	अजमेर शहर न. 17
13.	श्री ईश्वरदास पुत्र भगवानदास सिंधी	अजमेर शहर नं. 21
14.	श्री प्रेमचंद पुत्र भंवरलाल श्रीमाल	अजमेर शहर न. 22

———————

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 221 का सूची विवरण

पंचायत समिति एवं श्रेणीवार लाभान्वित व्यक्तियों की सूची

पंचायत समिति	कुल लाभान्वित परिवार	गरीबी की रेखा के अन्तर्गत चयनित परिवारों की सूची में से	लघु कृषक/एवं अन्य
1. आमेर	697	424	273
2. बांदीकुई	994	466	528
3. बस्सी	669	315	354
4. चाकसू	722	341	381
5. दौसा	578	300	198
6. दूदू	508	409	99
7. गोविन्दगढ़	764	403	361
8. ज. रामगढ़	717	676	41
9. मोटवाड़ा	493	365	120
10. कोटपूतली	367	330	37
11. लालसोट	590	542	48
12. फागी	705	591	114
13. सांभर	480	460	20
14. सागानेर	410	323	87
15. शाहपुरा	561	406	155
16. सिकराय	561	267	294
17. विराटनगर	434	376	50
कुल	10250	7074	3176

गरीबी रेखा से नीचे चयन किये गये परिवारों की संख्या

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	वर्ष 1981-82	1982-83	1983-84	योग
1.	आमेर	600	600	396	1596
2.	गोविन्दगढ़	695	655	599	1949
3.	जमवारामगढ	945	684	583	2212
4.	दौसा	968	752	728	2448
5.	बांदीकुइ	855	606	535	1996
6.	लालसोट	604	517	457	1578
7.	सिकराय	815	702	572	2089
8.	बस्सी	612	523	583	1719
9.	झोटवाड़ा	538	–	–	538
10.	चाकसू	504	532	381	1417
11.	सांगानेर	388	189	139	716
12.	कोटपूतली	760	736	683	2179
13.	शाहपुरा	353	365	354	1072
14.	विराटनगर	611	572	285	1468
15.	फागी	617	610	614	1841
16.	दूदू	744	596	214	1554
17.	सांभर	914	759	760	2433
	योग	11524	9398	7883	28805

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न सख्या 222 की सूची

परिवहन निगम द्वारा वर्षवार खोले गये आगारों का नाम व जिला

क्र.सं. जिला	आगार का नाम	स्थापना का वर्ष
1. जयपुर	1. जयपुर	1964 से पूर्व
	2. द्रुतगामी	1978
	3. नगर वाहन सेवा	1972
	4. उपनगरीय	1977
	5. कोटपूतली	1976
2. अलवर	अलवर	1964 से पूर्व
3. कोटा	कोटा	,, ,,
4. अजमेर	1. अजमेर	,, ,,
	2. ब्यावर	1974
5. जोधपुर	1. जोधपुर	1964 से पूर्व
	2. फलोदी	1975
6. सिरोही	1. सिरोही	1964 से पूर्व
	2. आबू रोड	,, ,,
7. भरतपुर	भरतपुर	,, ,,
8. गंगानगर	1. गंगानगर	1968
	2. हनुमानगढ़	1973
9. बीकानेर	बीकानेर	1972
10. उदयपुर	उदयपुर	1973
11. झालावाड़	झालावाड़	1973
12. टौंक	टौंक	1974
13. डूंगरपुर	डूंगरपुर	1974
14. झुंझुनू	1. खेतडी	1975
	2. झुंझुनू	1977
15. बून्दी	बून्दी	1975
16. जालौर	जालौर	1975
17. बाड़मेर	बाड़मेर	1975

346

1	2	3	4
18.	सीकर	सीकर	1975
19.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	1975
20.	चुरू	सरदारशहर	1977
21.	सवाई माधोपुर	हिण्डौन	1977
22.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1677
23.	चितौड़	चितौड़	1977
24.	धौलपुर	धौलपुर	1978
25.	नागौर	नागौर	1978
26.	जैसलमेर	–	–
37.	पाली	–	–

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न 223 की सूची विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

वर्षवार निर्मित मकानों का विवरण वर्ष 1977-78 से 1981-82 तक ।

क्र. सं.	शहर का नाम	1977-78					1978-79					1979-80					1980-81					1981-82				
		ई.	एल.	एम.	एच.	योग	ई.	एल.	एम.	एच.	योग	ई.	एल.	एम.	एच.	योग	ई.	एल.	एम.	एच.	योग	ई.	एल.	एम.	एच.	योग
1.	जयपुर	28	109	32	10	179	46	477	116	13	652	232	148	52	–	432	186	308	132	–	626	643	713	492	40	1888
2.	जोधपुर	38	49	26	–	113	21	128	–	–	149	388	120	–	–	500	–	79	48	–	127	–	–	20	–	20
3.	कोटा	613	278	131	–	1022	4	278	93	17	392	536	140	176	31	883	497	169	292	7	965	983	915	140	8	2046
4.	उदयपुर	707	146	–	–	053	134	–	–	–	134	660	–	–	–	660	–	–	–	–	–	–	–	30	–	30
5.	भीलवाड़ा	–	–	–	–	–	404	17	3	–	424	3	50	–	–	53	–	–	–	–	–	47	22	8	–	77
6.	बीकानेर	–	–	–	–	–	–	54	–	–	54	–	–	–	–	–	–	45	42	–	88	279	63	195	16	553
7.	अलवर	40	–	14	–	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200	40	45	–	285	–	–	–	–	–
8.	बांसवाड़ा	266	122	–	–	388	14	–	–	–	14	–	–	–	–	–	13	18	–	–	31	40	35	4	–	79
9.	सागवाड़ा	–	355	14	–	369	–	113	15	–	128	–	55	–	–	55	–	54	19	–	73	–	–	–	–	–
10.	झुंझुनू	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	–	–	–	82	60	–	–	–	60	46	–	–	–	46
11.	पाली	–	–	–	–	–	100	–	–	–	100	19	–	–	–	19	81	131	–	–	212	–	–	–	–	–
12.	नागौर	–	–	–	–	–	138	5	–	–	143	–	–	–	–	–	=	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	भरतपुर	–	–	–	–	–	116	–	–	–	116	48	–	28	–	76	–	–	–	–	–	–	–	37	–	37
14.	बूंदी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	अजमेर	241	–	–	–	241	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87	–	–	87	24	61	87	–	172
16.	चित्तौड़गढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42	37	7	–	86	41	–	12	–	53	–	–	–	–	–
17.	गंगानगर	–	–	=	–	–	–	–	–	–	–	62	58	159	–	279	–	–	–	–	–	291	103	90	–	484
	योग	1933	1059	217	10	3219	977	1072	227	30	2306	2072	600	422	31	3133	1078	932	590	7	2607	2353	1912	1103	64	5432

कुल योग ई. 8413 एल. 5583 एम. 2559 एच. 142 टोटल 16697

City-: JAIPUR.

Scheme:- JAIPUR NAGAR

S. No.	SIZE	1977	1978	1979	1980	1981
1.	13 × 38	8,000/-	8.605/-			
2.	20 × 50	– –	18,800/-			
3.	25 × 50	27,200/-	30,405/-			
4.	30 × 60	43,000/-	46,115/-			
5.	40 × 60	52,600/-	59,500/-	NOTE:- Costing for Draw III/80-81		
6.	40 × 60 (WOG)	46,400/-	52,076/-	is in Process.		
7.	40 × 60 (BLOCK M)	–	49,150/-			
8.	40 × 90	–	98,425/-			
9.	50 × 90	–	1,13,800/-			

Schem:- NAHARI-KA-NAKA

S. No.	SIZE	1977	1978	1979	1980	1981
1.	18 × 35	13,150/-	13,150/-	–	14,971/-	–
2.	18 × 35 (Stone Patti)	12,700/-	12,700/-	–	14,781/-	–
3.	18 × 375 (Acc Sheet)	12,000/-	12,000/-	–	13,631/-	–
4.	20 × 45	18,300/-	–	–	–	–
5-	20 × 50	–	18,300/-	–	35,137	–
6.	25 × 50	27,200/-	30,405/-	–	53,337	–

347

S. No.	SIZE	1977	1978	1979	1980	1981
7.	30 × 60	43,000/-	46,115/-	–	–	–
8.	30 × 60 (NEW)	41,600/-	–	–	–	–
9.	40 × 60	52,600/-	–	–	–	–
City--JAIPUR						
Scheme JAWAHAR NAGAR			FLATS			
1.	20 × 50 (GF)	–	23,063/-	23.221/-	27,942/-	
2.	20 × 50 (FF)		22,936/-	23,094/-	27.7 .4/-	
3.	20 × 50 (SF)		22,369/-	22,527/-	26,915/-	
4.	25 × 50 (GF)		28,987/-	29,171/-	34,848/-	
5.	25 × 50 (FF)		28,696/-	28,880/-	34,421/-	
6.	25 × 50 (SR)		28,146/-	28,330/-	33,607/-	
7.	30 × 60 (GF)		38,038/-	32,208/-	44,552/-	
8.	30 × 60 (FF)		37,355/-	37,525/-	44,538/-	
9.	30 × 60 (SF)		36,446/-	–	42,192/-	
10.	40 × 60 (GF)		74,345/-	74,345/-	86,312/-	
11.	40 × 60 (FF)		70,749/-	70,739/-	80,431/-	
12.	40 × 60 (SF)		69,709/-	–	–	

S. No.	Size	1977	1978	1979	1980	1981
Scheme LAL KOTHI		FLATS				
1.	20 × 50 (GF)	27,910/-	27,910/-	–	30,000/-	
2.	20 × 50 (FF)	25,260/-	–			
3.	20 × 50 (SF)	25,260/-	–			
4.	26 × 50 (GF)	32,400/-	32,400/-	–	37,132/-	
5.	25 × 50 (FF)	29,825/-	29,825/-			
6.	25 × 50 (SF)	29,825/-	29,825/-			
7.	30 × 60 (GF)	41,500/-	42,050/-	–	49,272/-	
8.	30 × 60 (FF)	39,800/-	49,325/-			
9.	30 × 60 (SF)	39,800/-	40,325/-			
10.	40 × 60 (GF)	64,000/-	–			
11.	40 × 60 (FF)	60,670/-	62,490/-			
Scheme:- MALVIYA NAGAR (Houses)						
1.	5.05 × 08 M	–	–	12,190/-		
2.	6 × 15 M	–	–	25,650/-	–	
3.	8 × 15 M	–	–	35,650/-	–	
4.	11 × 18 M	–	–	60,550/-	–	
5.	12 × 20 M	–	–	1,08,200/-	–	

S. No.	SIZE	1977	1978	1979	1980	1981
6.	3,05 × 08 M	–	–	7,100/-		–
7.	3.75 × 8 M	–	–	8,300/-		–
City:-KOTA						
Scheme:-Vigyan Nagar						
1.	13 × 38	8,000/-	8,320/-	–	8,320/-	
2.	18 × 35	–	11,230/-	–	12,861/-	
3.	20 × 37.5	18,400/-	–	–	19,965/-	
4.	20 × 50	22,610/-	22,610/-	23,288/-	25,368/-	
5.	20 × 50(WOS)	20,200/-	20,810/-	20,810/-	23,540/-	
6.	25 × 50	28,975/-	28,975/-	–	33,700/-	
7.	25 × 50 (DELUX)	31,300/-	31,300/-	–	36,032/-	
8.	25 × 50 (SLABE)	32,300/-	–	–	–	
9.	30 × 60	43,300/-	–	–	51,922/-	
10.	30 × 60 (WOS)	41,900/-	43,300/-	–	50,522/-	
11.	40 × 60 (WOG)	–	–	–	59,940/-	
12.	40 × 60 (WOG/WOS)	49,400/-	49,400/-	–	59,640/-	

351

S. NO.	SIZE	1977	1978	1979	1980	1981
13.	40 × 60 (RCC)	—	49,700/-	—	—	
14.	40 × 90	—	—	81,600/-	—	
15.	50 × 90			1,20,400/-	—	
Scheme :— DADA BARI EXTENSION						
1.	13 × 38	8,000/-	7,890/-	9,400/-	—	
2.	18 × 35	12,300/-	—	13,146-	—	
3.	18 × 35 (WS)	—	—	15,734/-	—	
4.	20 × 50	20,085/-	—	20,720/-	—	
Scheme :— DADABARI						
1.	18 × 35 (WOS)	12,300/-	—	—	—	
2.	20 × 50	20,505/-	20,085/-	20,687/-	25,368/-	
3.	25 × 50	27,460/-	28,285/-	—	—	
4.	30 × 60	—	38,420/-	—	—	
5.	40 × 60	47,500/-	48,925/-	—	—	
6.	40 × 90	86,000/-	88,580/-	—	—	
City :—KOTA						
Scheme :—TALVANDI						
1.	18 × 28(WOK)	-	-	10,120/-	05.25 × 11.25	20,030/-
2.	18 × 28(RWK)	-	-	10,420/-	6 × 11.25	23,590/-

S. NO.	SIZE	1977	1978	1979	1980 SIZE	1980 AMOUNT	1981
3.	20 × 37.5	–	–	20,750/-	07.05 × 15.00	30,540/-	
4.	20 × 50	–	–	27,290/-	07.06 × 15.00 (WS)	36,480/-	
5.	20 × 50 (Ordystaps)	–	–	27,620/-	07.06 × 15.00 (WOS)	33,700/-	
6.	25 × 50	–	–	35,950/-	09.02 × 18.00	58,020/-	
7.	30 × 60	–	–	51,070/-	12 × 18.00	67,240/-	
8.	40 × 60	–	–	61,990/-	12 × 18.00	66,250/-	
S· :ne :—Additional Dada Bari							
1.	6.0 × 15	–	–	–	–	–	28,860/-
2.	6.1 × 15(CCFLOOR)						25,290/-
3.	– do – (STONE)						25,350/-
4	7.5 × 15(KATLAFLOOR)						36,370/-
5.	– do – (CCFLOOR)						35,500/-
	7.6 × 15 (STONEFLOOR)						38,480/-
	– do – (CCFLOOR)						37,250/-
	11 × 18						58,310/-
	12 × 27						1,09,560/-
1 .	12 × 27						1,17,550/-
1 .	12 × 22.5						1,03,410/-

City :—AJMER

Scheme :—Vashali Nagar

S. NO.	SIZE	1977	1978	1979	1980	1981
1.	25 × 50			23,278/-		
2.	30 × 60	35,440/-	35,440/-	36,503/-		
3.	40 × 60	—	42,100/-	46,000/-		
Scheme :—Dhola Bhata						
1.	18 × 35	9,530/-	9,530/-	12,250/- (WS)	14,250/-	
2.	20 × 50	14,450/-	14,450/-	—	16,540/-	
3	25 × 50	18,010/-	18,010/-	22,600	24,677/-	
Scheme :—Ajay Nagar						
1.	13 × 18	6,225/-	6,225/-	6,950/-	7,730/-	
2.	18 × 35	9,800/-	9,800/-	12,250/-	—	
3.	20 × 37.5	13,850/-	13,850/-	16,800/-	—	
4.	20 × 50	16,760/-	16,760/-	17,500/-	—	
5.	25 × 50	20.540/-	20,540/-	—	—	
6.	30 × 60	34,000/-	34,000/-	36,100/-	43,320/-	
Scheme :—Anasagar Circular Road						
1.	13 × 18	—	6,950/-	7,159/-	7,730/-	
2.	18 × 35	—	12,250/-	12,618/-	14,250/-	
3.	20 × 37.5	—	16,800/-	17,304/-	18,240/-	
4.	20 × 50				20,770/-	

S. NO	SIZE	1977	1978	1979	1980	1981
City :— JODHPUR						
Scheme :—Pratap Nagar						
1.	18×35	10,850/-	—	12,103/-	—	
2.	20×50	15,900/-	17,430/-	17,853/-	20,043/-	
3.	25×50	17,850/-	23,260/-	23,958/-	28,690/-	
4.	40×60	—	48,270/-	49,718/-	59,958/-	
Scheme :—Chopasani Road Jodhpur.						
1.	13×38	6,000/-	6,180/-	6,365/-	6,716/-	
2.	18×35	10,850/-	11,175/-	11,510/-	13,019/-	
3.	20×37.5	16,060/-	15,785/-	15,744/-	16,490/-	
4.	20×50	16,600/-	17,420/-	17,943/-	20,233/-	
5.	25×50	21,500/-	22,150/-	22,815/-	28,690/-	
6.	30×60	36,050/-	36,050/-	37,149/-	44,354/-	
7.	40×60	44,690/-	45,970/-	47,349/-	59,958/-	
Scheme :—BHAGAT-KI-KOTHI						
1.	30×60				44,354/-	
2.	40×60				59.958/-	
City PALI						
Scheme : Jodhpur Road Pali						
1.	13×38			7,005/-		
2.	18×35			13,092/-	Note :—Costing for Draw	
3.	20×50			18,803/-	III/80-81 is under process.	

City :—ALWAR
Scheme :—CES

S. No.	Size	1977	1978	1979	1980	1981
1.	18 × 35	13,100/–	–	15,770/–	–	–
2.	20 × 50	18,300/–	–	–	–	–
3.	25 × 50	25,060/–	–	32,740/–	–	–
4.	30 × 60	41,300/–	–	–	–	–
5.	40 × 60	–	–	62.070/–	–	–
6.	40 × 70	–	–	76,470/–	–	–
Scheme :—SWB, ALWAR						
1.	5·25 × 08·5	–	–			12,790/–
2.	5·25 × 11·25					20,840/–
3.	6 × 11·25					28,210/–
4.	8 × 15					40,540/–
5.	9·02 × 18					61,090/–
City :—BHARATPUR						
Scheme :—Krishan Nagar						
1.	13 × 38	–	–	11,840/–	11,014/–	13,020/–

S. No.	SIZE	1977	1978	1979	1980	1981
2.	20 × 50	–	–	29,030/–	–	–
3.	25 × 50	–	–	39,720/–	35,881/–	–
4.	30 × 60	–	–	59,330/–	55,145/–	65,030/–
City :—CHITTORGARH						
Scheme :—Kumbha Nagar						
1.	5·75 × 8·25	–	–	8,790/-	8,415/-	–
2.	6 × 15	–	–	23,650/-	–	–
3.	7·06 × 15	–	–	33,690/-	–	–
4.	9·02 × 18	–	–	54,360/-	53,305/-	–

City : JHUNJHUNU

Scheme :—Harijan Basti

No draw in 1977, 1978, 1979 and 1980

S. No.	SIZE	1977 Rs.	1978 Rs.	1979 Rs.	1980 Rs.	1981 Rs.
1.	7·6 × 15M	–	–	–	–	12,120/-
City :—SAGWARA						
1.	'B' Type	–	19,085/-	21,800/-	–	21,380/-

S. No.	SIZE	1977	1978	1979	1980	1981
Citp :—SAGWARA						
2.	'C' Single Type	–	9,175/-	12,030/-	11,980/-	12,760/-
3.	'C' Type	–	8,330/-	11,100/-	–	–
4.	,C' Type (HF roofing)	–	6,250/-	–	–	–
5.	'C' Type ordy.	–	–	–	11,390/-	12,130/-
City :—BHILWARA						
Scheme :—Bapu Nagar						
	13 × 38	7,100/-	8,755/-	–	9,326/-	–
2.	18 × 35	12,100/-	14,304/-	–	15,063/-	–
3.	18 × 35(WOS)	–	–	–	14,873/-	–
4.	20 × 37	–	21,378/-	21,378/-	22,818/-	–
5.	20 × 50	19,870/-	22,700/-	22,700/-	24,790/-	–
6.	25 × 50	20,180/-	27,980/-	–	–	–
7.	30 × 60	–	48,120/-	–	55,338/-	–
City :—UDAIPUR						
Scheme Hiran Magri						

S. No.	SIZE	1977	1978	1979	1980	1981
1.	13 × 38	6,330/-	6,600/-	7,100/-	7,271/-	–

S. No.	SIZE	1977	1978	1979	1980	1981
2.	18 × 35	11,690/-	11,950/-	12,450/-	13,758/-	–
3.	20 × 50	17,300/-	17,590/-	18,900/-	20,990/-	–
4.	20 × 45	13,330/-	–	–	–	–
5.	25 × 50(Ws)	23,315/-	24,910/-	24,910/-	29,636/-	–
6.	20 × 37·5	16,530/-	–	18,058/-	19,958/-	–
7.	30 × 60	38,260/-	39,840/-	41,035/-	48,257/-	–
8.	40 × 60	48,109/-	50,060/-	51,262/-	61,802/-	–
9.	40 × 60(WOC)	49,960/-	47,895/-	49,332/-	–	–
Scheme :—Machala Macra						
1.	18 × 35	12,100/-	12,005/-	12,431/-	–	–
2.	25 × 50	23,808/-	–	–	–	–
City :—BUNDI						
Scheme :—Vikas Nagar						
1.	3·75 × 8				10,270/-	
2.	5·25 × 8				10,910/-	
3.	6 × 11.25 (WITHOUT KHARANJA)				20,900/-	
4.	6 × 11·25(WITH (KHARANJA)				23,020/-	
5.	6 × 15				28,270/-	
6.	7·05 × 15				33,080/-	

(359)

City :—BIKANER

Scheme :—Pawan Puri

S. No.	SIZE	1977	1978	1979	1980	1981
1.	13×18	6,970/-	–	7,179/-	7,895/-	
2.	18×35	11,150/-	–	11,485/-	13,609/-	
3.	20×50	17.300/-	–	17,820/-	22,687/-	
4.	25×50	25,400/-	–	26,162/-	32,067/-	
5.	30×60	38,450/-	–	39,610/-	–	
6.	40×60	46,900/-	–	–	–	
7.	12×27M					86,800/-
Scheme :—MUKATA PRASAD						
1.	0·03×07·05					8,870/-
2.	6×11·25					23,370/-
3.	7·05×15·00					29,980/-
4.	10·5×15					50.400/-

Details of final costing for Khandu-colony. Banswara.

5Final Costing approved on 3. 3. 1979.

S. No.	Size	Nos.	Amount
1.	'C' type house with kitchen plus verandah platfora and double shoutter.		
2.	'C' type with kitchen verandah platforn and single shutter		
3.	'C' type house with kitchen plus verandah and double sbutter.	276	7,730/-
4.	Single (C' typehouses with kitchen plus verandah and double shutter	28	8, 625/-
5.	Single 'C' type houses with Kalu roofing and double shutter.	1	7, 820/-
6.	Single 'C' type houses with kitchen platform and single shutter	11	7, 860/-
7.	Single 'C' type houses with kitchen plus platform and double shutter	11	8, 610/-
8.	Gandhi Grah	6	8, 000/-
9.	'B' tyye houses with black masona.y	1	15, 880/-
10.	'B' type houses with 5 D shutter	28	16, 775/-
11.	'B' type houses with 2 D shutter	102	16, 325/-

Final costing approved on 25. 4. 80

1. A type houses	4	23, 303/-

Final costing approved on 12. 6. 80

	Main cost	extra cost
1. Single 'C'	–	–
2. 1/2 Block 'C'	–	–
3. 'B' type	44	17,800/-

Details of final costing of houses at Sri-Ganganagar--

The houses for reservation were Ist included in Sri-Ganganagar in draw III of 1980-81.

The cost has so far not been finalised on account of the finalisation of cost of land payable by RHB to UIT Sriganganagar,

---

(34)

परिशिष्ट 14

परिशिष्ट 'अ'

अतारांकित प्रश्न संख्या 227 की सूची

जयपुर शहर की पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियां

क्र. सं.	नाम गृह निर्माण सहकारी समिति	रजिस्ट्रेशन नं.	दिनांक
1.	जयपुर रिफ्यूजी	356 एल	10-12-48
2.	जयपुर पुरुशार्थी	358 एल	13-12-48
3.	पंजाबी	394 एल	23-2-49
4.	पंजाबी रिहेबीलेटेशन	398 एल	7-5-49
5.	सिंधी	400 एल	3-5-39
6.	ब्रह्मपुरी रिफ्यूजी	682 एल	15-7-53
7.	चांदपोल रिफ्यूजी	712 एल	17-3-54
8.	मित्र	603 एल	20-5-56
9.	महालेखापाल कर्मचारी	1125 एल	28-3-59
10.	पुरानी बस्ती कोली	1169 एल	30-6-59
11.	बड़ोदिया बस्ती	1214 एल	28-7-59
12.	जालूपुरा	1294 एल	30-11-59
13.	अमरपुरी भवन	1180 एल	30-8-60
14.	गांधी	1487 एल	8-9-60
15	सहकारी विभाग	1512 एल	2-1-61
16.	श्री 108	1526 एल	10-1-61
17.	पथिक भवन	1560 एल	29-3-61
18.	जनता	1571 एल	11-5-61
19.	सिंधु नगर	1576 एल	31-5-61
20.	जयपुर भवन	1577 एल	31-5-61
21.	सुभाष सिंधी	1588 एल	29-7-61
22	कृष्णा हाउसिंग	1599 एल	24-8-56
23.	जयपुर जिला कर्मचारी	1600 एल	24-8-61
24.	दी शिवा	1601 एल	24-8-61
25.	भारत भवन	1603 एल	8-9-61
26.	दी राजहंस	1617 एल	6-10-61
27.	हथरोई बावरी	1612 एल	13-10-61
28.	गांधी नगर	1649 एल	21-12-61
29.	जयपुर हाउस बिल्डिंग	1669 एल	30-12-61
30.	जेल कर्मचारी	1685 एल	5-1-61
31.	सेन कालोनी	1694 एल	16-1-62
32.	हीरा	1995 एल	16-1-62

362

1	2	3	4
33.	फारेस्ट एम्पलाईज	1702 एल	5-2-62
34.	डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच	1724 एल	23-2-62
35,	आनन्दपुरी	1884 एल	19-6-62
36.	राम नगर	1904 एल	3-10-62
37.	श्री रामपुरा	1924 एल	20-12-62
38.	टेलीफोन एम्प.	1930 एल	22-1-63
39.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	1959 एल	7-3-63
40.	विकास भवन	2071 एल	14-11-63
41.	जय अम्बे	2059 एल	30-9-63
42.	श्यामपुरी	2077 एल	23-11-63
43.	जयपुर सेंटलस एण्ड इले.	2078 एल	23-11-63
44.	बन्धु	2135 एल	12-3-64
45.	सुदर्शनपुरा	2161 एल	18-5-64
46.	जयपुर इन्स्ट्रियल	2193 एल	13-8-64
47.	लक्ष्मीनारायण	2211 एल	9-10-64
48.	महाराजा गोपालपुरा	2225 एल	8-12-64
49.	सूरजपोल	2235 एल	31-12-64
50.	जवाहर पुरी	2294 एल	1-4-65
51.	कंकेश्वर महादेव	2311 एल	27-7-65
52.	जैन कालोनी	2324 एल	22-12-65
53.	राज. सक्रेट एम्प.	2334 एल	17-2-66
54.	श्री रामजीपुरा	2361 एल	13-5-66
55.	स्वर्णकार	2362 एल	20-5-66
56.	गवर्नमेंट एम्प.	2363 एल	21-5-66
57.	एवरेस्ट	2369 एल	4-5-66
58.	लाला लाजपतराय	2373 एल	9-8-66
59.	बजाज नगर	2376 एल	27-9-66
60.	मालवीय नगर	2383 एल	8-12-66
61.	खुदाबादी सोनारा	2387 एल	23-12-66
62.	संयुक्त गृह	2409 एल	7-12-67
63.	वर्मा डिस्टप्लेस्ड पर्सन्स	2420 एल	2-3-68
64.	विजय	2425 एल	14-3-68
65.	पहाडगंज	2429 एल	6-4-68
66.	दी जय बैंक	2437 एल	19-8-68
67.	सहकारी मित्र	2438 एल	19-8-68
68.	फारेस्ट व्यू	2443 एल	4-10-68
69.	आदर्श गृह	2444 एल	29-10-68

1	2	3	4
70.	गोविन्द गृह	2445 एल	11-11-68
71.	कीर्ति नगर	2446 एल	5-12-68
72.	श्रीगणेश	2447 एल	16-21-68
73.	महालक्ष्मी	2450 एल	14-12-69
74.	प्रतापनगर	2451 एल	14-12:69
75.	मोजी	2452 एल	14-12-69
76.	इन्कम टैक्स गजेटेड	2453 एल	21-2-69
77.	इन्कम टैक्स नान गजेटेड	2454 एल	8-3-68
	एस. व एस. बी. बी. जे. एम्प.	2455 एल	11-3-69
79.	किसान	2460 एल	7-5-69
80.	मोर्डन	2466 एल	5-8-69
81.	मीचुवल	2467 एल	5-8-69
82.	नव गृह	2470 एल	5.9-69
83.	विद्युत अभियन्ता	2471 एल	6-9-69
84.	सिविल लाइन	2472 एल	10-9.79
85.	भूवनेश्वरी	2476 एल	4-10-69
86.	गुलाबी नगर	2477 एल	13-10:69
87.	न्यू पिंक सिटी	2481 एल	5-11-69
88.	माणक्यपुरी	2485 एल	5-12-69
89.	जय जवान	2486 एल	1-1-70
90.	नेशनल	2488 एल	9-1-70
91.	जय चामुंडा	2489 एल	20-1-70
92.	इन्द्रपुरी	2490 एल	3-2-70
93.	लक्ष्मी नगर	2493 एल	7-2-70
94.	दी महावीर नगर	2494 एल	21-2-70
95.	बसन्त वहार	2496 एल	28-2-70
96.	महेश	2501 एल	4-6-70
97.	छत्रपति शिवाजी	2505 एल	29-6-70
98.	कृष्णापुरी	2507 एल	29-7-70
99.	जयपुर वाल्मिकी	2511 एल	26-10-70
100.	स्वास्थ्यक	2518 एल	5-7-71
101.	न्यू लाइट	2519 एल	15-6-71
102.	शिल्पाचारी विश्वकर्मा	2541 एल	19-7-72
103.	जगजीवन	2542 एल	27-2-72
104.	शंकर भवन	2544 एल	31-7-72
105.	अम्बेडकर	2552 एल	1-8-72
106.	हसनपुरा "ए"	2554 एल	5-8-72

(364)

1	2	3	4
107.	मोती भवन	2555 एल	5-8-72
108.	दयाल भवन	2558 एल	7-8-72
109.	कसावपुरा	2569 एल	7-8-72
110.	नव जीवन	2560 एल	7-8-72
111.	बलाई बस्ती	2563 एल	8-8-72
112.	गुलाब बाड़ी	2564 एल	8-8-72
113.	सीकर हाउस	2568 एल	10-8-72
114.	जयपुर हसनपुरा "बी"	2569 एल	11-8-72
115.	तोपखाना देश	2601 एल	7-9-72
117.	गोपालपुरा	2605 एल	11-9-72
118.	बस्सी सीतारामपुरा	2611 एल	13-9-72
119.	प्रेमनगर कच्ची बस्ती	2622 एल	16-9-72
120.	रघुनाथपुरी	2626 एल	16-9-72
122.	शांति नगर	2650 एल	26-9-72
123.	मदरामपुरा	2655 एल	30-9-72
124.	संतोष नगर	2657 एल	30-9-72
125.	धन्नादास की बगीची	2660 एल	30-9-72
126.	लाल कोठी भवन	2661 एल	30-9-72
127.	अशोकपुरा	2662 एल	30-9-72
128.	गणपति नगर	2668 एल	10-10-72
129.	अरविंद नगर	2674 एल	11-10-72
130.	बाबा रामदेव	2678 एल	19-10-72
131.	हथरोई गाड़ी	2686 एल	28-10-72
132.	माधवनगर	2688 एल	3-11-72
133.	इन्द्रा नगर	2689 एल	3-11-72
134.	शिवशंकर	2690 एल	4-11-72
135.	सुन्दर नगर	2695 एल	27-11-72
136.	नानक पुरी	2718 एल	31-1-73
137.	नरसिंहपुरी	2720 एल	8-2-73
138.	विवेकानन्द	2723 एल	9-2-73
139.	सुदामा	2725 एल	9-2-73
140.	हसनपुरा	2727 एल	12-2-73
141.	विश्वकर्मा	2728 एल	12-2-73
142.	मेजरखन्ना	2729 एल	12-2-73
143.	इन्द्रा श्रमिक	2730 एल	12-2-73
144.	लोकनायक व्यास कालोनी	2731 एल	12-2-73

365

1 2	3	4
145. वधपुरी	2733 एल	13-12-73
146. श्री लक्ष्मी	2727 एल	28-2-73
147. नवयुवक	2736 एल	8-3-73
148. रामदेव पुरी	2444 एल	9-3-73
149. नागरिक	2749 एल	1-5-73
150. रामराजपुरा	2750 एल	3-5-73
151. ओम शिव	2757 एल	15-3-73
152. नेहरू	2764 एल	24-8-73
153. मुख्य सोडाला	2765 एल	24-8-73
154. श्रीरामपुरी	2766 एल	24-8-73
155. बुनियादी विकास	2768 एल	27-8-73
156. आजाद	2778 एल	29-12-73
157. स्वामी कच्ची बस्ती	2781 एल	16-1-74
158. गौतम बुद्ध	2787 एल	14-3-74
159. रिजर्व बैंक एम्प.	2805 एल	12-4-74
160. जल महल	2842 एल	31-10-74
161. शिव नगर	2811 एल	24-7-74
162. श्यामपुरी लक्ष्मीनारायण पुरी	2819 एल	24-7-74
163. लक्ष्मण डूंगरी	2821 एल	16-8-74
164. अमरतपुरी	2822 एल	19-4-74
165. अम्बेश्वर	2826 एल	9-2-74
166. वास बदनपुरा फकीरों की डूंगरी	2830 एल	27-9-74
167. शिवाजी नगर	2831 एल	27-9-74
168. श्रीराम कालोनी	2836 एल	3-10-74
169. राजेन्द्र नगर	2848 एल	26-11-74
170. फतेह नगर	2850 एल	3-12-74
171. श्री कृष्ण	2851 एल	29-12-74
172. दयानंदपुरी	2867 एल	14-2-75
173. बेरीया बस्ती	2868 एल	14-2-75
174. ज्योती जगजीवन	2893 एल	19-3-75
175. कैलाशपुरी	2898 एल	22-3-75

(366)

1 2	3	4
176. टैगोर नगर	2899 एल	22-3-75
177. महावीर नगर	2900 एल	22-3-75
178. कच्ची बस्ती मालवीयानगर	2909 एल	29-3-75
179. महाराणा प्रताप नगर	2928 एल	11-11-75
180. बैकुन्ठ नगर	2933 एल	15-5-75
181. बरक्त कालोनी	2935 एल	16-6-75
182. लाखाजी की डाणी	2936 एल	14-8-75
183. मीणा कालोनी	2942 एल	22-12-75
184. सतरधाना	2943 एल	7-1-76
185. इन्द्र नगर	2946 एल	11-2-76
286. वर्मा	2947 एल	20-2-76
187. बाबू कालोनी	2951 एल	15-3-76
188. पटेल नगर	2966 एल	29-5-76
189. शिव शक्ती	2966 एल	31-5-76
190. लंकापुरी	2996 एल	31-8-76
191. सीतारामपुरी	3012 एल	22-11-76
192. करतारपुरा	3044 एल	9-2-77
193. महात्मा गांधी	3092 एल	16-2-78
194. गोरधनपुरी	3101 एल	10-5-78
195. मैरोनगर	3122 एल	16-9-78
166. मंडी खटीकन	3126 एल	15-10-78
197. ग्रवधपुरी	3183 एल	25-6-79
198. शांति	3284 एल	3-12-80
199. जीवन ज्योति कर्मचारी	3313 एल	2-6-81
200. मदन मोहन मालवीय	3321 एल	15-9-81
201. सरस्वती हरीजन	3327 एल	25-11-81
202. गलता ढ़ाटी	3329 एल	22-12-81

"परिशिष्ट ख"

अवसायानाधीन गृह निर्माण सहकारी समितियों (जयपुर शहर) की सूची

क.सं.	नाम गृह निर्माण स.स.	रजिस्ट्रेशन नं.	रजिस्ट्रेशन दिनांक
1	2	3	4
1.	पंजाबी डिस्पेस्ड परसन	1711 एल	4-3-54
2.	चित्रगुप्त	510 एल	9-5-55
3.	हरीजन आदर्श बस्ती	1112 एल	7-5-58
4.	सिंधी ब्रहम खत्री	1533 एल	16-2-61
5.	राज. मोटर गेरेज एम्प.	1630 एल	15-11-61
6.	विनोबा	1903 एल	18-9-62
7.	हरी नगर	2724 एल	9-2-73
8.	झूलेलाल	2776 एल	29-11-73
9.	ललिता शास्त्री	2823 एल	19-8-74
पंज.	**पंजीयन जो निरस्त किये गये**		
1.	टेगौर	1696 एल	16-1-62
2.	वैस्टर्न रेलवे एम्प.	1548 एल	10-3-68
3.	गूजर बस्ती	2853 एल	11-1-75
4.	मुख्य नगर	2732 एल	13-2-73
5.	श्रीराम कच्ची बस्ती	2950 एल	8-3-76
6.	विलेश्वर शिव नगर	2945 एल	20-1-76

सहायक रजिस्ट्रार

सहकारी समितियां

(जयपुर शहर)

परिशिष्ट 'ब'

वर्ष 1980-81 में जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों के चुनाव कराये गये की सूची :—

क्रमांक	नाम समिति	अध्यक्ष	मंत्री	चुनाव दि.
1	2	3	4	5
1.	छत्रपति शिवाजी	हनुमान सहाय वैद्य	पोखरमल	10 6 81
2.	जयपुर वाल्मीकी	अरविन्द कुमार	जानकीशरण	5·6·81

1 2	3	4	5
नाम समिति	अध्यक्ष	मंत्री	चुनाव दिनांक
3. स्वास्तिक	गोपाल लाल	सुरेश कुमार	21·5·81
4. न्यूलाइट	दिनेशचन्द	जुगलकिशोर सिंगल	24·5·81
5. शिल्पाचार्यविश्व कर्मा	अभयसिंह	बसन्तीलाल	17·6·81
6. अम्बेडकर	बाबूलाल पारीक	सुधीनकु. शर्मा	8·6·81
7. मोती भवन	ईश्वरसिंह	प्रभुराम	28·6·81
8. दयाल भवन	जमनाप्रसाद बेनीवाल	मदनलाल	19·5·81
9. गुलाबवाड़ी	जौहरसिंह	महादेवपूनिया	15·5·81
10. जयपुरहसनपुरा-बी	दामाराम	कन्हैयालाल	11·8·81
11. तोपखानादेशी	बिहारी शर्मा	चन्द्रकान्त	18·5·81
12. गोपालपुरा	कंवललाल बाफना	ठा. देवीसिंह	20·5·81
13. प्रेमनगर कच्ची बस्ती	नूर	अब्दुल हमीद	24·6·81
14. रघुनाथपुरी	प्रेमनारायण शर्मा	श्री कृष्ण शर्मा	24·6·81
15. सूरजनगर	अलीमुद्दीन	लक्ष्मीनारायण	24·5·81
16. शान्तीनगर	रामलाल	मोहनलाल	28·6·81
17. मदराम पुरा	पाचूराम	लक्ष्मीनारायण	40·6·81
18. संतोषनगर	प्रेमदास	सन्नुराम	26·5·81
19. धन्नादास की बगीची	मेहराजुद्दीन	ताऊजी	27·5·81
20. अशोकपुरा	कन्हैयालाल पालीवाल	मदनमोहन	13·7·81
21. गणपती	भंवरलाल	दौलतराम	25·8·81
22. बाबारामदेव	रघुनाथ	घासीराम	27·8·81
23. हथरोई गढ़ी	सोहनसिंह	सुल्तानअली	29·6·81
24. शिवशंकर	पन्नालाल मीणा	रामलाल	21·5·81
25. सुन्दरनगर	पी. के. तिवाडी	रामबाबू	13·6·81
26. नृसिंहपुरी	श्रीमती मीरादेवी	चौथमल शर्मा	6·6·81
27. विवेकानन्द	इजादीन	सीताराम	4·6·81
28. सुदामा	श्रवण	मनमोहन	25·5·81
29. विश्वकर्मा	श्याम बिहारीलाल	बाबूलाल	12·6·81
30. मेजरखन्ना	भूराराम	छोटेलाल	10·6·81
31. इन्द्राश्रमिक	परमानन्द	बिरदीचन्द	28·5·81

[redacted]

369

1	2	3	4	5
32.	लोकनायक व्यास कोलोनी	श्यामलाल	राधाकृष्ण	7·6·81
33.	श्री लक्ष्मी	रामनारायण	मदनलाल	30·7·81
34.	नवयुवक	रतनसिंह यादव	सोमतीलाल	29·6·81
35.	रामदेवपुरी	सेढूनायक	कल्याणमल मीणा	22·6·81
36.	नागरिक	रामसिंह	सुवालाल	4·6·81
37.	मुख्य सोढ़ाला	रामपाल	श्रवण	27·6·81
38.	श्री रामपुरी	राधेश्याम पोरवाल	रामशरण	18·6·81
39.	आजाद	बुद्धू मिया	यूनिस	7·6·81
40.	गौतम बुद्ध	रामपाल	निर्मलदास बेनीवाल	17·5·81
41.	रिजर्व बैंक एम्प्लाई	एम. सी. भाटिया	एस. डी. खीन	23·5·81
42.	जलमहल	आनन्दीलाल	पूरणमल	17·8·81
43.	श्यामपुरी लक्ष्मीपुरी	खुशलसिंह खीचीं	महावीरप्रसाद	30·5·81
44.	लक्ष्मण डूंगरी	प्रेमसिंह	अनवरडल्ला	24·5·81
45.	अमृतपुरी विकास	शमशुद्दीन	इमामुद्दीन	24·5·81
46.	वासवदनपुरा फकीरों की डूंगरी	सुरेशकुमार	श्यामसुन्दर	23·5·81
47.	शिवाजीनगर	गणेशीलाल शर्मा	सीताराम सैनी	31·5·81
48.	श्री राम कोलोनी	प्रभूसिंह	मुंशीराम	28·5·81
49.	राजेन्द्र नगर आदर्श	अकबर खां	हबीब खां	11·6·81
50.	फतहनगर	फूल खां	सैयदसाबिद	2·6·81
51.	दयानन्दपुरी	लालचन्द	ईश्वरलाल	23·5·81
52.	ज्योती जगजीवन	दुलीचन्द	हरीशंकर	30·5·81
53.	कैलाशपुरी	मलफूल	रामनारायण	8·6·81
54.	टैगोरनगर	कृष्णकुमार स्वामी	शकीला	16·5·81
55.	महाराणा प्रताप नगर	सूरजनसिंह	मदनलाल	18·7·81
56.	वैकुण्ठनगर	सूरजमल गुप्ता	भैरोमल सैनी	10·6·81
57.	बरकत कालोनी	जुम्मनखां	अब्दुल वहीद	14·5·81
58.	सुत्तरखाना	गोपाललाल नरवाल	सावरमल	21·5·81
59.	वर्मा	रूडमल	कैलाशचंद	13·6·81
60.	बापू कालोनी	रामप्रसाद	भौरीलाल	14·6·81
61.	पटेलनगर	जौहरीलाल	नन्दकिशोर	23·7·81
62.	अवधपुरी	राधेश्यामगुप्ता	जुगलकिशोर	24·5·81
63.	शांति	प्रभातीलाल	जगरू मो. कुरेशी	2·6·81
64.	जीवन ज्योति कर्मचारी	हरनाथसिंह	राजेन्द्र जैन	1·9·81

परिशिष्ट "ब"

जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों के चुनाव सम्पन्न हो चुके है की सूची :—

क्र.सं.	नाम समिति	चुनाव दिनांक
1.	अशोकपुरा गृह निर्माण स.स.	15·8·82
2.	न्यूलाइट गृह निर्माण स.स.	13·8·82
3.	सिन्धुनगर गृह निर्माण स.स.	9·8·82
4.	तोपखाना देश गृह निर्माण स.स.	14·8·82
5.	बुनियादी विकास गृह नि.स.स.	11·8·82
6.	रामपुरी गृह निर्माण स.स.	6·8·82
7.	महाराजा गोपालपुरा	13·8·82
8.	रामनगर भवन निर्माण	16·8·82
9.	नानक पुरी गृह निर्माण	19·8·82
10.	आनन्द भवन गृह निर्माण	18·8·82
11.	जयपुर वाल्मीकी गृह निर्माण	16·8·82
12.	गणेश कोपरेटिव हाऊसिंग सो.	29·8·82
13.	खुदाबादी सेसारा	19·8·82
14.	दी कृष्ण कोपरेटिव हाउ. सो.	8·8·82
15.	दी पंजीबी कोपरेटिव हाउ. सो.	19·8·82
16.	नव गृह निर्माण स.स.	27·8·82
17.	बरकत कालोनी स.स.	28·8·82
18.	लाखाजी की ढाणी स.स.	24·8·82
19.	सुन्दरनगर गृह निर्माण स.स.	3·9·82
20.	लक्ष्मीनारायणपुरी गृह नि.स.स.	1·9·82
21.	रामनगर गृह निर्माण स.स.	16·7·82
22.	पटेलनगर गृह निर्माण स.स.	25·8·82
23.	बस्सीसीतारामपुरा गृह नि.	22·8·82
24.	वंकेश्वर महादेव गृह निर्माण स.स.	31·8·82
25,	सहकारी विभाग कर्म. गृह नि.	26·8·82

(371)

परिशिष्ट "स"

जयपुर शहर की निम्न गृह निर्माण सहकारी समितियों के हिसाबात का ऑडिट निर्धारित समय में सम्पन्न हुआ है :—

क्र.सं.	नाम समिति		वर्ष
1.	दी कृष्णा कोआपरेटिव हाउ. सो. लि. जयपुर		80–81
2.	खण्डेलवाल वैश्य गृह निर्माण सह.समिति लि.		,,
3.	रामराजपुरा	,,	,,
4.	आजाद	,,	,,
5.	श्रीराम कालोनी	,,	,,
6.	बडोदिया वस्ती	,,	,,
7.	स्वर्णकार	,,	,,
8.	आदर्श	,,	,,
9.	बरकत कालोनी	,,	,,
10.	बापू कालोनी	,,	,,
11.	पंजाबी को.हाऊ.	,,	,,
12.	अरविन्द नगर	,,	,,
13.	जयपुर को.हाऊ.	,,	,,
14.	शिवशक्ति	,,	,,
15.	शिवनगर	,,	,,
16.	श्यामपुरी	,,	,,
17.	दयानन्दपुरी	,,	,,
18.	रामदेवपुरी	,,	,,
19.	वेकुण्ठनगर	,,	,,
20.	केलाशपुरी	,,	,,
21.	करतारपुरा	,,	,,
22.	मण्डी खटीकान	,,	,,
23.	कीर्तिनगर	,,	,,
24.	अशोकपुरा	,,	,,
25.	हरिजन आदर्श	,,	,,
26.	रघुनाथपुरा	,,	,,
27.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर आफिसर्स गृह	,,	,,

(372)

क. सं. नाम समिति		वर्ष
28. महावीरनगर	गृह निर्माण सह. समिति लि.	80-81
29. मुख्य सोडाला	,,	,,
30. ग्रम्बेश्वर	,,	,,
31. श्री गणपति	,,	,,
32. लाखाजी कोटाणी	,,	,,
33. शिवशकर	,,	,,
34. सीतारामपुरी	,,	,,
35. विजय को.हाउ.	,,	,,
36. विजयबैंक एम्प. को.हाऊ.सोसा.लि.		80–81
37. नवयुवक	,,	,,
38. श्री रामपुरी	,,	,,
39. हथरोई बावडी	,,	,,
40. मुतरखाना	,,	,,
41. गांधीनगर	,,	,,
42. महेश	,,	,,
43. जालुपुरा	,,	,,
44. नेहरू	,,	,,
45. किसान	,,	,,
46. सूरजपोल	,,	,,
47. राजेन्द्रनगर	,,	,,
48. रामनगर भवन	,,	,,
49. गोरधनपुरी	,,	,,
50. भैरव	,,	,,
51. नागरिक	,,	,,
52. स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया कर्म.	,,	,,
53, जयपुर हाऊ. बिल्डिग	,,	,,
54. हीरा	,,	,,
55. महाराणाप्रताप	,,	,,
56. इनकमटैक्स गजेटेड ग्राफिसर्स	,,	,,
57. संतोषनगर	,,	,,
58. कच्चीबस्ती मालवीयनगर	,,	,,
59. फतेहनगर	,,	,,

(373)

क्र. सं.	नाम समिति		वर्ष
60.	सीकर हाऊस	गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	80–81
61.	नरसिंहपुरी	,,	,,
62.	बुनियादी विकास	,,	,,
63.	लालकोठी	,,	,,
64.	सूरजनगर	,,	,,
65.	लक्ष्मण डूगरी	,,	,,
66.	नानक पुरी	,,	,,
67.	धन्नादास की बगीची	,,	,,
68.	शांती	,,	,,
69.	सहकारी विभाग कर्म.	,,	,,
70.	बजाजनगर	,,	,,
71.	श्रीदयाल	,,	,,
72.	जयपुर पुरूषार्थी	,,	,,
73.	मेजर खन्ना	,,	,,
74.	नव गृह निर्माण सहकारी समिति लि.		80–81
75.	श्री महावीर	,,	,,
76.	विद्युत अभि.	,,	,,
77.	महात्मा गांधी	,,	,,
78.	बलाई बस्ती	,,	,,
79.	रिजर्व बैंक कर्म,	,,	,,
80.	दी मालवीयनगर	,,	,,
81.	चॉदपोल रिफयुजी शापकीपर	,,	,,
82.	पटेलनगर	,,	,,
83.	जैन कालोनी	,,	,,
84.	गोरमेन्ट एम्पलाईज	,,	,,
85.	वर्मा	,,	,,
86.	विवेकानन्दपुरी	,,	,,
87.	सुदामा	,,	,,
88.	वर्मा डिस्प्लेस्ड परशन	,,	,,
89.	श्री मोजी	,,	,,
90.	हसनपुरा सी.	,,	,,

क्र. सं.	नाम समिति		वर्ष
91.	श्री कृष्ण	गृह निर्माण सहकारी समिति	80-81
92.	स्वामी कच्ची बस्ती	,,	,,
93.	लक्ष्मीनगर	,,	,,
94.	अमृतपुरी विकास	,,	,,
95.	जयपुर इण्डस्ट्रियल स्टेट	,,	,,
96.	राज. स्टेट मोटर गरेज एण्ड स्टेट रोडवेज एम्प.	,,	,,
97.	मणिक्यपुरी	,,	,,
98.	गोपालपुरा	,,	,,
99.	पंजाबी रिहेब्लीटेशन	,,	,,
100.	डिस्ट्रीक्ट इंपे. ब्रांच	,,	,,
101.	जगजीवन	,,	,,
102.	बसन्त बहार	,,	,,
103.	कंकेश्वर महादेव	,,	,,
104.	जयपुर भवन	,,	,,
105.	श्री 108	,,	,,
106.	गौतम बुद्ध	,,	,,
107.	टेलीफोन कर्म.	,,	,,
108.	जयपुर जिला कर्म.	,,	,,
109.	राज. सेक्रेट्रियट मि. स्टाफ	,,	,,
110.	महाराजपुरा	,,	,,
111.	सिंधी ब्रह्म खत्री	,,	,,
112.	हसनपुरा ए	,,	,,
113.	ज्योती जगजीवन	,,	,,
114.	भूलेलाल गृह निर्माण सह. समिति लि.		80-81
115.	अवधपुरी	,,	,,
116.	भारतभवन	,,	,,
117.	अमृतपुरी भवन	,,	,,
118.	महालक्ष्मी	,,	,,
119.	बेरिया बस्ती	,,	,,
120.	शान्तीनगर	,,	,,

क्र. सं.	नाम समिति		वर्ष
121.	श्रीजनता	गृह निर्माण सहकारी समिति	80–81
122.	सिंधी	,,	,,
123.	सुन्दर नगर	,,	,,
124.	लोकनायक व्यास	,,	,,
125.	वासबंदनपुरा	,,	,,
126.	जयग्रम्बे	,,	,,
127.	हसनपुरा बी.	,,	,,
128.	टेगौरनगर	,,	,,
129.	बेढ़पुरी	,,	,,
130.	खुदाबाडी सुनारा	,,	,,
131.	दी जयपुर रिफ्युजी	,,	,,
132.	ग्रानन्द भवन	,,	,,
133.	सुभाष सिंधी	,,	,,
134.	शिवाजीनगर	,,	,,
135.	कस्साबपुरा	,,	,,
136.	दी सिविल लाईन्स	,,	,,
137.	ऐवरेस्ट	,,	,,
138.	नवजीवन	,,	,,
139.	न्यूपिक सिटी	,,	,,
140.	श्रीरामपुरा	,,	,,
141.	प्रेमनगर	,,	,,
142.	लक्ष्मीनारायणपुरी	,,	,,
143.	महालेखाकार	,,	,,
144.	जयपुर वाल्मिकी	,,	,,
145.	मदरामपुरा	,,	,,
146.	विश्वकर्मा	,,	,,
147.	नेशनल हाउ.	,,	,,
148.	कृष्णपुरी	,,	,,
149.	फोरेस्ट एम्प.	,,	,,
150.	शिवा	,,	,,
151.	जयपुर मेटल	,,	,,

क्र. सं.	नाम समिति		वर्ष
152.	प्रतापनगर	गृह निर्माण सहकारी समिति	80–81
153.	लंकापुरी	,,	,,
154.	जवाहरपुरी	,,	,,
155.	बस्सी सीतारामपुरा "बी" गृह निर्माण सह. समिति		80–81
156.	पथिक भवन	,,	,,
157.	शिल्पाचार्य विश्वकर्मा	,,	,,
158.	शंकर भवन	,,	,,
159.	छत्रपति शिवाजी	,,	,,
160.	पंजाबी डिस्पलेस्ड परशन	,,	,,
161.	चित्रगुप्त	,,	,,
162.	बाबा रामदेव	,,	,,
163.	ओम शिव	,,	,,
164.	जलमहल	,,	,,
165.	इन्द्रा कोलोनी	,,	,,
166.	गुलाबबाडी	,,	,,
167.	जेल कर्मचारी	,,	,,
168.	बन्धु	,,	,,
169.	पुरानी बस्ती	,,	,,

जयपुर शहर की निम्न गृह निर्माण सहकारी समिति का हिसाबात का आडिट निर्धारित समय हर नहीं हुआ :—

क्र.सं.	नाम समिति		वर्ष
1.	ब्रह्मपुरी रिफ्युजी को. हाऊ.सो.लि.		80–81
2.	मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि..		64–65
3.	सिन्धुनगर	,,	80–81
4.	गांधी	,,	80–81
5.	राजहंस	,,	79–80
6.	विनोबा	,,	80–81
7.	विकास भवन	,,	80–81
8.	सुदर्शनपुरा	,,	80–81
9.	रामजीपुरा	,,	73–74

क्र. सं.	नाम समिति		वर्ष
10.	लाला लाजपतराय	गृह निर्माण सहकारी समिति	80–11
11.	पहाड़गंज	,,	80–81
12.	सहकारी मित्र	,,	72–73
13.	फोरेस्ट व्यू	,,	75–76
14.	गोविन्द	,,	76–77
15.	गणेश	,,	80–81
16.	इनकमटेक्स नोन गजेटेड	,,	80–81
17.	मिच्युवल	,,	80–81
18.	भुवनेश्वरी	,,	80–81
19.	गुलाबीनगर	,,	80–81
20.	जयजवान	,,	80–81
21.	जयचामुण्डा	,,	80–81
22.	इन्द्रपुरी	,,	71–72
23.	अपोलोनगर	,,	76–77
24.	स्वास्तिक	,,	80–81
25.	न्यूलाईट	,,	80–81
26.	अम्बेडकर	,,	80–81
27.	मोती भवन	,,	80–81
28.	तोपखाना देश	,,	79–80
29.	बस्सी सीतारामपुरा	,,	79–80
30.	हथरोई गढ़ी	,,	80–81
31.	माधवनगर	,,	73–74
32.	इन्द्रानगर	,,	80–81
33.	हथिनगर	,,	79–80
34.	श्री लक्ष्मी	,,	79–80
35.	श्यामपुरी लक्ष्मीपुरी	,,	80–81
36.	मीणा कालोनी	,,	80–81
37.	ज्योती जगजीवन	,,	80–81
38.	मार्डन	,,	80–81

378

परिशिष्ट "द"

जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों में राजस्थान
सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की विभिन्न
धाराओं के तहत् कार्यवाही चालू है की सूची :—

क्रमांक	नाम समिति			धारा
1.	दी शिवा कोआपरेटिव हाउ.सो.लि. जयपुर			धारा 32 के अन्तर्गत
2.	गणेश	,,	,,	धारा 36 के अन्तर्गत
3.	सिन्धी	,,	,,	,,
4.	बडोदिया बस्ती	,,	,,	,,
5.	बस्ती सीतारामपुरा	,,	,,	,,
6.	आदर्श	,,	,,	,,
7.	मित्र	,,	,,	,,
8.	सहकारी मित्र	,,	,,	,,
9.	सुदर्शपुरा	,,	,,	,,
10.	जय अम्बे	,,	,,	,,
11.	राजहंस	,,	,,	70
12.	जयपुर हाउस बिल्डिंग		,,	,,
13.	सिविल लाइन्स	,,	,,	,,
14.	बजाज नगर	,,	,,	,,
15.	ओमशिव	,,	,,	,,
16,	विकास भवन निर्माण		,,	,,
17.	आदर्श	,,	,,	,,
18.	सुदर्शपुरा	,,	,,	,,
19.	लंकापुरी	,,	,,	,,
20.	गोविन्द	,,	,,	,,
21.	भुवनेश्वरी	,,	,,	,,
22.	दी माणिक्यपुरी	,,	,,	,,
23.	श्यामपुरी कच्ची बस्ती		,,	,,
24.	सुभाष सिन्धी	,,	,,	74

(1079)

क्रमांक	नाम समिति			धारा
25.	माधव नगर	कोआपरेटिव	हाउसिंग सो. लि.	धारा 36 के अन्तर्गत
26.	छत्रपति शिवाजी	,,	,,	,,
27.	सुदर्शनपुरा	,,	,,	,,
28.	इन्दिरा नगर	,,	,,	,,
29.	बुनियादी विकास	,,	,,	,,
30.	मीणा कोलोनी	,,	,,	78
31.	फोरेस्टव्यू	,,	,,	,,
32.	अशोलो	,,	,,	,,

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न 229 की प्रति 906
राजस्थान राज्य सहकारी कर्मचारी यूनियन
द्वारा–ए, 61, शांति.पथ, तिलक नगर, जयपुर।

क्रमांक 170 दिनांक 5.10,81

अध्यक्ष महोदय,
राजस्थान राज्य सहकारी संघ,
जयपुर.

विषय :–कर्मचारियों की सेवा-विषयक कठिनाइयों के निवारण के संबंध में नोटिस।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि संघ के अधीन सहकारी शिक्षा योजना, प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमान्तर्गत सेवारत कर्मचारियों को अनेक सेवा विषयक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तथा बार-2 निवेदन करने पर भी संघ प्रशासक द्वारा उनके समाधान के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यही नहीं नियुक्तियों व पदोन्नतियों आदि कार्यवाही से इन कठिनाइयों को और भी बढ़ाया है।

अतः कृपया कर्मचारियों की निम्न सेवा विषयक कठिनाइयों का इस नोटिस के प्राप्ति के एक माह की अवधि में निवारण करने का कष्ट करें अन्यथा यूनियन को अपनी जायज मांगों की पूर्ति के लिये आन्दोलनात्मक रुख अपनाने के लिये बाध्य होना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी संघ प्रशासन पर होगी।

1. संघ के कर्मचारियों पर सेवा नियम लागू किये जायें।
2. ग्रेच्युटी सुविधा लागू की जावे। ग्रेच्युटी सुविधा लागू हुए बिना किसी कर्मचारी को सेवानिवृत न किया जावें।

ह. महामन्त्री

———

(381)

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 230 की सूची

प्रपत्र—"क"

क. सं.	सड़क का नाम	प्रस्तावित राशि 1982-83
1.	एप्रोच रोड टू दांतिल (3913)	1.00
2.	एप्रोच रोड टू मादवा 3396	1,00
3.	मनोहरपुर खोरालावाद खानों (2571)	2.00
4.	एप्रोच रोड टू रायसर (3399) फ्राम जमवारामगढ प्रतापगढ़ रोड	3.00
5.	रुपनगढ़ भरना वियून रोड	5.50
6.	नोमेड़ा से पालड़ी	2.50
7.	गोशिर से शिमला (3257)	2.00
8.	मासोटा से मोहाना (3565)	3.00
9.	मलसोसर से टमकोर	2.00
10.	पलसाना से खण्डेला सड़क	4.00
11.	वाइडनिंग ऑफ स्टेट हाईवे नं. 2 किमी 10 से 13	–
12.	वाइडनिंग एवं स्ट्रन्थनिंग आफ डीग कामा रोड किमी 3.6 से 41.1	–
13.	गंगापुर नाडोतो, सिकन्दरा, वांदीकुई राजगढ़ अलवर सड़क स्टेट हा. नं.25	3.00
14.	एप्रोच रोड टू मेहसलान (3249)	–
15.	सलमाबाद से अरखेडी (3167)	1.00
16.	इम्प्रूवमेंट स्ट्रेन्थनिंग एण्ड वाइडनिंग आफ ब्यावर पाली सिरोही रोड़ किमी 55/0 से 61/0 स्टेट हा. नं. 27	2.00
17.	इम्प्रूवमेंट स्ट्रेन्थनिंग एवं वाइडनिंग आफ नसीरावाद निम्बाहेड़ा रोड़ कि. मी. 0/0 से 70/0 स्टेट हा. नं. 4	2.00
18.	इम्प्रूवमेंट स्ट्रेन्थनिंग एवं वाइडनिंग आफ किशनगढ़ नसीरावाद रोड	2.00
19.	इम्प्रूवमेंट स्ट्रेन्थनिंग एवं वाइडनिंग अजमेर नसीरावाद रोड नेशनल हा. 4	–
20.	इम्प्रूवमेंट स्ट्रेन्थनिंग एवं वाइडनिंग आफ नसीरावाद देवली रोड नं. हा. नं. 6	1.00
21.	रुपनगढ़ भरणार विचून रोड	1.00
22.	एप्रोच रोड गोगानी (3351) फ्राम जोधपुर नागौर रोड	2.50
23.	धावप से धुन्धारा (3549)	–
24.	इम्प्रूवमेंट स्ट्रन्थनिंग एण्ड वाइडनिंग ब्यावर वर जोधपुर रोड किमी 36/ 0 से 89/0 स्टेट हा. नं. 5	9.00
25.	आहू से घटियाला (2171) वाया भाजासर(3223) पट्टू भोजासर	–
26.	एप्रोच रोड टू नायरु (3783)	1.50
27.	इम्प्रूवमेंट स्ट्रेन्थनिंग एन्ड वाइडनिंग आफ ब्यावर पाली सिरोही रोड कि. मी. 61 से 235	9.00

1	2	3
28.	रामसिया से नाडोल सड़क	–
29.	इम्प्रूवमेंट स्ट्रेन्थनिग एण्ड वाइडनिंग ब्यावर बर जोधपुर रोड किमी 89/0 से 120/0	–
30.	नागौर से डेह (4348) रोड़	–
31.	मकराना से लोसल (मोलासर से ढाकोली)	6.00
32.	तरनाऊ से खाटू (बो/टो)	–
33.	मोकलसर से खयन्डोल (3440)	2.00
34.	एप्रोच रोड टू भुरतिया (3074)	–
35.	एप्रोच रोड टू हुडड (3999)	–
36.	एप्रोच रोड टू सवाईपदमसिंह (3596)	1.00
37.	एप्रोच रोड टू बिसरानी फाश चौहटन	–
38.	एप्रोच रोड टू विलेज असाडा (3045)	–
39.	एप्रोच रोड टू टू अडेल वाया नेहरोनग की ढाणी	–
40.	एप्रोच रोड टू विलेज टाराटेरा (3071)	–
41.	सिन्दरी से पाडरु (3545)	1.00
42.	इम्प्रूवमेंट स्ट्रेन्थनिग एण्ड वाइडनिग ब्यावर पाली सिरोही रोड किमी 239 से 349/0	5.00
43.	सिरोही से माउन्ट आबू वाया सिरोही	3.00
44.	आबू बाई पास रोड	–
45.	सिवारा से चितलवाना (4295)	4.00
46.	बिशनगढ से मवराती (3425)	–
47.	दाँता से अरणी (3879)	–
48.	राजगढ़ से सिद्धमुख (3536)	–
49.	साथ्स्यू (3188) से तारानगर	–
50.	छिपा बेबडाद से हरनावदा (3572)	6.00
51.	छबडा से कुम्भराज रोड	15.00
52.	एप्रोच रोड टू मोहो	2.00
53.	इम्प्रूवमेंट स्ट्रेन्थनिग एवं वाइडनिंग ऑफ नसीराबाद निम्बाहेडा रोड किमी 70/0 से 155	1.00
54.	जयपुर मालपुरा केकड़ी शाहपुरा मण्डल भीलवाडा कांकरोली स्टेट हा. नं. 12	–
55.	इम्प्रूवमेंट स्ट्रे. व वाइडनिग नसीराबाद निम्बाहेडा रोड किमी 56/0 से 311/0	2.00
56.	पहुना से करोई सड़क।	–
57.	बेरीवाल से 7 के एन. डी. (प्रोजेक्ट क्षेत्र में) सड़क का निर्माण (23.27 किमी.)	26.00

1	2	3
58.	सत्तासर से 1 ए. डी. एम. तक सड़क का निर्माण कार्य	48.55
59.	सत्तासर से 2 एम. एल. डी. तक सडक का निर्माण	51.00
60.	ग्रामीण सड़क सं. 10–2 के एल. डी. से 3 के एच. एम. तक	10.00
61.	राज. नहर परियोजना क्षेत्र में घड़साना से गोमाबली तक सड़क का निर्माण कार्य	12.00
62.	रावला से रोजरी सड़क का निर्माण	5.00
63.	घड़साना से 6 एस. एम. तक सड़क का निर्माण कार्य	28.00
64.	ग्रामीण सड़क सं. 13 लिंकरोड सत्तासर अनूपगढ़	25.00
65.	विजयनगर से गोविन्दगढ़ सड़क का निर्माण कार्य	30.00
66.	विजयनगर से राजिका पर सड़क का निर्माण	50.00
67.	ग्रामीण सड़क सं. 17 लिंकरोड विजयनगर राजिका पर	10.00
68.	ग्रामीण सड़क संख्या 17 रामसिंह नगर अनूपगढ़ सड़क से आबादी नं. 56 (3 पी. डब्लू. एस. वाया 19 पी. टी. डी.)	2.17
69.	ग्रामीण सड़क सं. 28-इमली घड़साना से आबादी नं. 3 डी. डी. वाया 2 जे. एस. एम.	1.47
70.	तातेड़ अन्ता सड़क का निर्माण	25.57
71.	सीसवाली मांगरोल सड़क का निर्माण	19.47
72.	सुलतानपुर भंवरा सड़क का निर्माण	5.40
73.	इटावा पीपलवा सड़क का सुधार	0.91
74.	नूह नौगांवा सड़क की निर्माण	1.00
75.	गोविन्दगढ़ से सीकरी सड़क निर्माण	1.50
76.	राजगढ़ से वहलगढ़ सड़क निमाण	0.70
77.	नागलाबाड़ी से भंपा सड़क निर्माण	0.65
78.	भादरा से लुडेपर सड़क निर्माण	6.70
79.	भादरा से भट सड़क निर्माण	10.00
80.	टी. बी. से एलानाबाद सड़क निर्माण	3.00
81.	खेरवाड़ा रानीधानी सड़क निर्माण	0.50
82.	डग आगर सड़क निर्माण	यह सड़क के दि. 7.6.82 को स्वीकृत हुई है जिनका कार्य अब प्रारम्भ किया जावेगा।
83.	तापगडा से नुह सड़क का निर्माण	
84.	मेनाल से ठकराई सड़क निर्माण	
85.	सिंधमुख से सिवानी सड़क निर्माण	9.00
86.	राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 (जयपुर अजमेर रोड) पर क्रोसिंग का सुधार कार्य	0.33
87.	राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 (बीकानेर जयपुर आगरा रोड) पर	2.70

1	2	3
	क्षतिग्रस्त तीन किमी. अरबन लिंग का सुधार कार्य	
88.	राष्ट्रीय मार्ग नं. 12 (जयपुर टोंक रोड पर क्षतिग्रस्त अरबन लिंक का सुधार कार्य	1.50
89.	राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 (जयपुर बीकानेर रोड) को जोड़ने वाले आलटरनेट डस्ट का सुधार कार्य	4.00
90.	करोली मन्डरेल से मुरेना (म. प्र.) तक सड़क का निर्माण वाया सबलगढ़	
91.	करोली माछीलपुर से जगनेर (उ. प्र.) लानपुरतक सड़क का निर्माण	10.00
92.	बांरा शाह बाद कस्बा कलाना सड़क का निर्माण मय पुलिया म. प्र. में शिवपुरी को मिलाने हेतु	(भारत सरकार द्वारा आवंटित राशि)
93.	करोली सरमथुरा वाड़ी धौलपुर सड़क का निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 3 मिलाने हेतु ।	
94.	कम्पलीशन आफ रिमेनिंग वर्क आफ केशुपुरा ओन जयपुर अजमेर रोड 3 ट्रक स्टेण्ड आन जयपुर आगरा रोड	3.92
95.	निर्माण कार्य बाई पास रोड इठर आफ जवाहर नगर शान्तिपथ एवं सत्य सांई बाबा कालेज के बीच	0.50
96.	जयपुर बाई पास अजमेर रोड से आगरा रोड तक सड़क को चौड़ा करने तथा विकास कार्य	10.00
97.	एप्रोच रोड करतारपुरा पर जल निकासी का कार्य	0.90
98.	इससलिया पिपला तक एप्रोच रोड	4.00
99.	बहरोड़ नासीम रोड के अधूरे कार्य को पूरा करना	0.80
100.	राजगढ़ से मादरा द्वि मुख्य सड़क का निर्माण	
101.	नैनवा उनियारा रोड जिला सीमा तक सड़क का निर्माण अजमेर से सीकर वाया बवाइचा सलेमाबाद	1.50
102.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 पर वडगांव से आराई जिला सीमा तक सड़क का निर्माण	4.00
103.	सतासर अनूपगढ़ का सुधार एवं मजरती कार्य	16.00
104.	सांगारिया टी. बी, रोड का निर्माण	5.00

* अस्पष्ट

(385)

1	2	3
105.	घवड़ा से कुंभराज (म. प्र.) रोड राज्य सीमा तक सड़क निर्माण	20.00
106.	ववाना से सननाली सड़क	2.00
107.	डीगाल से बीवासर-झुझूनू झुगदगढ़ सड़क से उपागमन सड़क	3.50
108.	उमाडा ग्राम तक उपगमन सड़क	1.50
109.	बहादुरपुर से रामगढ़ के बीच मिसिंग लिंग	4.00
110.	खेरतल सिवाना सड़क	0.51
111.	मुसावर से रणधीगढ़ सड़क	3.50
112.	मुसावर से देवली	0.50
113	बेर से हेलेना	3.00
114.	हेलेना से खेड़ली	4.00
115.	मुसावर से नया गांव	1.50
116.	हेलना से नदबई	4.50
117.	राजाखेडा से पिनहार	8.00
118.	बसेरी से सहपउ	6.00
119.	नमीया से वसईनवाव	12.50
120.	जसुपुरा से लाडूखेड़ा	1.00
121.	महुआ से ओंड	2.00
122.	रसीदपुर तक उपगमन सड़क	0.30
123.	पाखार से रसीदपुर	0.40
124.	कालापहाड़ से पाली ओपर	0.30
125.	महुआ से हुडला	0.40
126.	पीलवा से रसीदपुर	0.30
127.	मंडार से डोसा	0.23
128.	मुकाम के डोरा से पीघसर	6.00
129.	नारगढ़ से पारोन	0.30
130.	उपागमन सड़क पीपली से चितौडगढ़ कपासन रोड वाया धनेत	6.00
131.	सामरिया तक सड़क का निर्माण	6.00

(386)

1	2	3
132.	कुण्डला से गुडा करला	5.00
133.	चदलाई से तीतरीया	0.50
134.	अनंतवाड़ा वाया नदेरा सड़क	0.50
135.	खोरा विसल वाया निवास	1.20
136.	सपई सड़क पडोता	0.23
137.	नेवता गाँव में एप्रोच रोड	0.80
138.	राजनोता तक सड़क निमण	0.25
139.	राजनेता मंडा तक नांगल पडितपुरा होते हुए सड़क	0.40
140.	फागी से लदाना	0.40
141.	शाहपुरा से देवन	0.42
142.	कुकस से रायपुर	1.00
143.	दीदपुरा ढोडी से दौलतपुर	0.80
144.	राष्ट्रीय मार्ग (एन. एच,) नं. 11 से साँगोद खुर्द और कला तक एप्रोच रोड	1.00
145	घाल से इटावा	2.50
146.	माण्डा भीमसिंह तक एप्रोच सड़क	0.45
147.	बड़नगर और जैसिंहपुरा तक एप्रोच रोड	5.00
148.	महाडा से इदवा वाया गोटीर तक खेतड़ी निजामपुर मार्ग तक सड़क	0.50
148.	बगड़ से काली पहाड़ी	0.45
150.	झुंझनू मलसीसर रोड	2.00
151.	चिड़ावा से मण्डरेला	6.00
152.	झाझर खिरोड वाया वसावा	1.00
153.	चिड़ावा से हिरवा	1.50
154.	सूरजगढ़ से लोहार	1.50
155.	गुडागोडसी से पोंख	2.00
156.	सिहोर तक सड़क	0.50
157.	बगोठड़ी कला बगोठरी खुर्द तक पिलानी से सड़क	2.00
158.	पातुमरी से अजारी	0.70
159.	नवलगढ़ से धीमड़ी	1.20
160.	चवासरी तक सड़क	0.40
161.	जेसरापुर तक उपागमन सड़क	8.00

1	2	3
162.	बईदाता सडक	0·60
163.	महुनाथपुर देवराला अजीत गढ़ सड़क	1·50
164.	खण्डेला से बायनवास	0·50
165.	रींगस से खाटुश्यामजी	0·40
166.	सीकर से डोढ वाया कांसली	1·00
167.	पचार तक सडक निर्माण	0·50
168.	बई से डींगपुर खाट तक सडक	2·00
169.	टोडागांव तक सडक	4·00
170.	नीम का थाना से चिपलाटा	7·00
171.	सीकर नवलगढ सड़क से कोलीडा	0·50
172.	सीकर उदयपुर वाटी सड़क से गुनारा	1·75
173.	बडी गांव तक सड़क	3·12
174.	किशोरी गांव तक सड़क	1·40
175.	बरोली तक कपनवाडा से सड़क	2·00
176.	दानीया तक सड़क	1·80
177.	बलवाड चौराया तक वाया सड़क	2·50
178.	मोहनपुर गांव तक वाया गुटर शाहपुरा	2·00
179.	माचा तक सडक निर्माण	1·25
180.	माजरी से कायसा	5·00
181.	सबोरा गांव तक सडक	1·75
182.	खेरली गड़ासीया गांव तक सड़क	4·00
183.	पीपरेला एवं वटवाली तक सड़क	7·00
184.	कोरेर गांव तक सड़क	2·00
185.	हेलक से एण्डेलक	1·78
186.	आगोरी गांव तक सड़क	1·00
187.	जटमासी तक सड़क निर्माण	3·80
188.	बसेरी से मनोधन	6·00
189.	कोलारी से सईपड तक सड़क	2·00
190.	बी.टी रोड टोडाभीमसिंह से मेहदी पुर बालाजी	3·00
191.	बोली निवाई रोड	0·10
192.	खण्डार से बालर सड़क	4·00

388

1	2	3
193.	टोडाभीमसिंह से गुडाचन्दसी पदमपुर तक	4·00
194.	बीचाद वाया बरनाला तक सड़क	4·00
195.	जसोदा बड गांव महुआ करोली पर डामर का कार्य	3·00
196.	टीगरीया गांव तक सड़क	3·00
197.	बजाना कला एवं खुर्द तक सड़क	1·00
198.	लालसोट गंगापुर रोड मोरा सागर वाया अनार वाला	5·00
199.	गेदू कला से मण्डारवर तक सड़क	5·00
200.	जगर से हिडोन	3·00
201.	सुखारल से भगवन गढ़	7·00
202.	सिवाड़ तक उपागमन सड़क	8·00
203.	केकड़ी से बगेड़ा	2·00
204.	हरमाड़ा से सुरसुरा	0·50
205.	कानीयायी गांव तक सड़क	5·00
206.	भावता गांव नेनक सड़क	2·00
207.	पन्नेवर नगर तक सड़क	2·00
208.	बोली निवाई रोड	2·00
209.	एप्रोच रोड दबी से घर	3·00
210.	नगर काकोड़ सड़क	12·00
211.	जोधपुर बिलाड़ा रोड	2·00
212.	साथिन से कोनाना	3·00
213.	नरनाड़ी से डोली भंवर	1·50
214.	सार से दुदवाड़ा वाया पींच	3·00
215.	बनासर लोहावट रोड से आमली	2·50
216.	बास तक सड़क निर्माण	0·68
217.	संदर्भ सड़क तिवरी	0·50
218.	रानी धानी सड़क का निर्माण	1·75
219.	बाली से नागा	0·50
220.	बिसल पुर तक सड़क निर्माण	3·00
221.	पाली से भटिण्डा	5·00
222.	देसुरू से खिवारा	1·00
223.	मण्डरनाना सड़क से चापण्डरी तक ग्रोवल रोड	0·50

1	2	3
224.	मारवाड जक्शन से भुभावर	4·00
225.	रोजत रोड से सिरियारी	2·00
226.	ब्यावर पाली रोड से कुशलपुरा	2·20
227.	मकराना से वरसू	1·50
228.	मेडता सिटी से बिवाड सिटी	2·80
229.	राजोन तक सड़क	0·30
230.	राउ से मडपुरा	1·35
231.	उपागमन सड़क भिण्डा वाया लुणवा	5·00
232.	उपामन सड़क बड़ तक	2·00
233.	शिव से विसाला	8·00
234.	इन्दाराना गांव तक सड़क	1·30
235.	शिवकर से सरल नोखडा तक	0·50
236.	झिझीयाली तक सड़क	0·50
237.	खेदर जसवंत पुरा रोड	4·00
238.	बेलागिरी तक सड़क	2·00
239.	वास मटाना	5·40
240.	भादराजून से रामू तक सड़क	0·63
241.	वगड़ा से बागरा वाया सापू	0·47
242.	मीनमारल से पांचेरी	4·50
243.	मोदरथ रेल्वे स्टेशन से धानसा	2·02
244.	दान बरीया से मोरसीन	3·00
245.	उपागमन सडक हरजी	7·70
246.	नोखा से कानू	5·00
247.	देसरी तक सड़क निर्माण	4·00
248.	गिरजा गर गांव तक सड़क निर्माण	7·00
249.	शेखसर वाया कपुरीसर एप्रोच रोड	0·60
250.	छत्तर गढ़ से कानोलाई एप्रोच सड़क	15·00
251.	विजयनगर रार्मसिंग रोड	25·00
252.	अनूपगढ़ रायसिंग रोड	14·00
253.	गंगानगर बीकानेर रोड से सरदारगढ़	8·00
254.	एन एच नं. 15 से जोगीवाला	10·00

1	2	3
255.	रिडपल तक सड़क	10·00
256.	हनुमानगढ़ टाउन से नकावाड़ा	3·50
257.	सांगरिया बी बी रोड़	1·25
258.	सुरतगढ़ जाखरवाली रोड़	3·00
259.	गोगामेडी से निपराना	1·50
260.	बादरा से सिंध	5·00
261.	गोलवाला से उमेवाला	5·00
262.	काली बंगा से दोलतावाद की ढाणी	12·00
263.	साथू से हडीयाल	1·50
264.	चूरू सरदार शहर	2·00
265.	दुलयासर गांव तक सड़क	2·00
266.	परियाडा रेल्वे स्टेशन तक	0·20
267.	रतनगढ़ वाया सोमासर	4·00
268.	बगेरा वाया खेजड़ा	10·00
269.	साथू तक सड़क का निर्माण	1·00
270.	राजगढ़ सिधमुख रोड से बनी तक सडक निर्माण	7·00
271.	राजगढ़ सांखू वाया बेरासर	8·00
272.	चूरु से सनाली छोटी सनाली बड़ी	4·00
273.	धुलेर सड़क पर डामर का कार्य	0·50
274.	बबोरी से चीया बड़ोद	0·50
275.	गडरा तक सड़क निर्माण	15·00
276.	देई से दुगारी वाया बजनेरी	0·45
277.	बसदा गांव तक सड़क	1·00
278.	रजलावता से वामन गांव	2·50
279.	दबलाना तक डामर सड़क	0·50
280.	झालीजी का बराना गांव तक	3·00
281.	सुवेत पीपलीया रोड़	0·76
282.	अकलेरा मनोहर थाना	2·75
283.	गंगाधर से सनेल	1·28
284.	सुनेल से करोडीया	1·25
285.	असलपुर से मालता	1·50

1	2		3
286.	जीवना तक सड़क		2·00
287.	कांकरोली से रेल मगरा		5·00
288.	दोड़ंदा से थराड़ा		1·00
289.	मुण्डावर से कचावाली		0·50
290.	ग्रमरावसी से लोहारी		0·90
291.	पण्डेर से पाटोली		2·00
292.	भीखेद से नन्दराय		5·30
293.	बरसानी गांव तक सड़क		0·00
294.	ग्रटुना गांव तक सड़क		0·45
295.	बनास से मदिन्दर गढ़		1·00
296.	वेगु से चेची		2·50
297.	बंठ गांव तक सड़क		4·70
298.	जासदा तक डामर सड़क		1·00
299.	बड़ी सादड़ी से निकुम		8·00
300.	संपर्क सड़क कालेण्ड वाया डंगला		4·00
301.	ग्राबू से निचल गढ़		5·00
302.	कोटेश्वर से पोसीना		5·00
303.	भोडोल से सोम		3·50
304.	वंसी घटीया वद		0·50
305.	वंसी घरीयावाद पाटसोला		3·00
306.	कानोड़ लासाडिया		1·00
307.	उपगमन सड़क संचड़ी की पाल		1·00
308.	खेरवाड़ा रानीधानी		3·00
309.	सेमारी से कल्याणपुर		1·00
310.	माण्डवी तक उपागमन सड़क		7·00
311.	केशरीया बाद तक उपागमन सड़क		2·00
312.	कल्याणपुर से टोंक		2·50
313.	धानी बलिया सड़क	कार्य वर्ष 83-84 में	
314.	डाक तक उपागमन सड़क	प्रारंभ किये जायेंगे	
315.	खरावाद से जंगत		2·00
316.	प्रतापगढ़ बास वाला सड़क		0·50

(392)

1	2	3
317.	अरनात से पीपलादा	0·40
318.	दलोन से सालम गढ़	3·00
319.	उपगमन सड़क मदुरा तालाब	3·00
320.	नीनोर आम्बी रामा सरकोट	7·00
321.	प्रतापगढ़ से नीमच	10·00
322.	प्रतापगढ घरीया बाद	1·10
323.	आसपुरा से वाजवा माका	3·71
324.	अम्बाड़ा तक उपागमन सड़क	1·00
325.	आंनरी से ओरी सड़क	0 20
326.	रास्ता तक उपागमन	0·10
327.	थमबोला से जानवर	2·00
328.	सागवाड़ा से सरोडा	1·50
329.	चितौड़वाड़ा से सरोडा	5·00
330.	सुवास से बड़ी आडा	0·20
331.	सुलीया करजी तक उपगमन सड़क	0·50
332.	नावली तक उपागमन सड़क	0·55
333.	जगपुरा तक सड़क	6·00
334.	कुण्डाला खुर्द से भाजना तक सड़क	10·00
335.	गोसुभड़ा से ओगना	1·00
336.	वोडआवली तक सड़क	1·30
337.	नक्सी गाही नाचला वाया भरण्डा तालड़ी	0·75
338.	नकसी गाही नाचला वाया के मध्य रिकण्डशनीग	2·00
339.	बसेई से चम्बल नदी	0·50
340.	हिन्डोन से खरेशा	4·00
341.	खरेटा से भरना	2·00
342.	माधलपुर से खेड़ा	0·80
343.	चोपासनी से कदमकुण्डी	7·00
344.	गोटल से परलू	12·05
345.	धनेश्वर से डावी	2·00
346.	डाबी से लाम्बाखो	3·00
347.	लाम्बाखो से गुडा	0·50

1	2	3
348.	बुधपुरा से नाला की माताजी	0·50
349.	डाबी से बुधपुरा	1·50
350.	करोडी से धनेश्वर	3·60
351.	उदयपुर से झामर कोटडा	1.00
352.	संतकुण्डीया, वहादुरजी का खेड़ा	0.35
353.	सदारामजी का खेड़ा से नाला की माताजी	1.30
354.	संतकण्डीया से वहादुर जी का खेड़ा	0.60
355.	बतीया का तालाब से कठवाडा	0·54
356.	ग्ररोली से नया नगर	0·50
357.	मालीखेडा से सतकण्डीया	0·62
358.	ग्रामली से मदिन्दर गढ़	3·00
359.	कोसीयल से खेमाना	1·50
360.	लाखोला से सुनीयाना	2·00
361.	लक्ष्मण डूंगरी से नरवरदास का खोला	5·00
362.	सइपउ से धोलपुर	2·50
363.	माडरवा से ग्राखली	11·50
364.	उदयपुर से शहरी झामर कोरडा	0·70
365.	केवडा से बावरमल	4·80
366.	कुडीयाल खामी बलिया दोरी सडक	1·25
367.	दोरी से रोदिन वाडा टपाना मेटालर सडक	3·00
368.	कुण्डाल खामीना बलीया दोरी डूंगरपुर	1·00
369.	तलवाडा से उमराई	2·00
370.	मावी से सिलारी	2·00
371.	बिसलपुर से जोधपुर	10·32
372.	रणसीगांव से खजडला	1·82
373.	चांदीलाव से बिनावाय	1·00
374.	गुडा जोधपुर से गुडा खारा वेरा	7·00
375.	उनेसर से माधाण्डा	7·00
376.	राट से मेडता सिटी	1·50
377.	गगराना से पगलानी	0·50
378.	बडी घाटी मार्ग	10·00
379.	मेड मार्ग	8·00

1	2	3
380.	ग्रालाई से सत्यरण	6·00
381.	खरानी माण्डावास मार्ग	7·00
382.	रखवास से मंवरी	7·00
383.	सावत पाली खारीडी मेसरना नागा की वेडी	6·00
384.	लाम्बीया से रास	4·00
385.	जानमालिया से पल मालिया	0·50
386.	बालोतरा सिवाना मार्ग	1·25
387.	पचपदरा से पोब	14·50
388.	सोडखोर से भांरघ	12·00
389.	रपसी लुदखा	0·55
390.	मादासर उपागमन रोड	0·90
391.	ग्रलसीसर मलका सर	1·81
392.	जलबसर पाटबदेसर	10·91
393.	कीकासर सोमासर	12·73
394.	लुणकरण सर कुम्माना	6·25
395.	ग्रजीत माना से मेहराना	19·29
396.	रायपुरा से लुणकरण सर	13·84
397.	रणजीत पुरा से गजीवाला	2·25
398.	कपुरी सर शेखसर खडाला	18·89
399.	जामसर करणी सर	16·50

395

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 233 की सूची

झालावाड़ जिले में जंगल से मंगल कार्यक्रम के तहत किये गये वृक्षारोपण के प्रमुख कार्य स्थलों की सूची :—

क्रम संख्या	नाम प्लान्टेशन
1.	प्लान्ट इन फील्ड टायल वी
2.	,, मोलक्या
3.	,, वाटोली
4.	,, गेलानी
5.	,, सालरिया
6.	,, बिलासरा
7.	,, मोंजपुर
8.	,, पिपलाज
9.	,, डावरी
10.	,, विशनखेडा
11.	,, वांसरोड़
12.	,रोड़ साईड प्लान्टेशन भवानी मंडी
13.	,, चन्दभागा
14.	,, वृन्दावन
15.	,, मुन्देरी
16.	,, गिन्दोर
17.	,, वासोदिया
18.	,, दूधालिया